



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष



मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या—3

**भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

**सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष**

**मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या—3**

विषय सूची		
	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
प्राक्कथन		xi
विहंगावलोकन		xiii
अध्याय I		
प्रस्तावना		
बजट रूपरेखा	1.1	1
राज्य शासन के संसाधनों का अनुप्रयोग	1.2	1
सतत बचतें	1.3	2
निधियों का राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे अंतरण	1.4	3
भारत सरकार से सहायतानुदान	1.5	3
लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन	1.6	3
निरीक्षण प्रतिवेदनों पर शासन की उत्तरदायित्वता का अभाव	1.7	4
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर सरकार की प्रतिक्रिया	1.8	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर आगे की कार्रवाई	1.9	5
राज्य विधान सभा में स्वायत्तशासी निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को रखे जाने की स्थिति	1.10	6
अध्याय II		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	2.1	9
गृह विभाग		
मध्य प्रदेश पुलिस बल का आधुनिकीकरण	2.2	62
महिला एवं बाल विकास विभाग		
एकीकृत बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत पूरक पोषण कार्यक्रम पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.3	93

अध्याय III		
अनुपालन लेखापरीक्षा		
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग		
'मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की स्थापना एवं इसके कार्यों की निगरानी' की लेखापरीक्षा	3.1	125
श्रम विभाग		
"मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल" की लेखापरीक्षा	3.2	151
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
'108 एंबुलेंस सेवाओं' की लेखापरीक्षा	3.3	173
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग		
"महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" पर निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुवर्ती लेखापरीक्षा	3.4	189
लेखापरीक्षा कंडिकाएं		
सामान्य क्षेत्र		
गृह विभाग		
पूर्व संशोधित दरों के उपयोग के कारण प्रशमन शुल्क राशि का कम आरोपण	3.5	199
गृहिता संगठनों से पुलिस गार्ड की लागत वसूल नहीं किया जाना	3.6	200
सामाजिक क्षेत्र		
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग		
उपभोक्ता कल्याण हेतु कॉर्पस निधि में ब्याज जमा न किया जाना	3.7	201
चिकित्सा शिक्षा विभाग		
फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग कर निजी मुद्रकों को अनियमित भुगतान	3.8	203
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग		
क्षतिपूर्ति का कम आरोपण	3.9	205
अधिक व्यय	3.10	207

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
कपटपूर्ण अधिक भुगतान	3.11	209
संदिग्ध गबन/कपटपूर्ण भुगतान	3.12	210
मुद्रांक शुल्क कम/नहीं आरोपित किया गया एवं पंजीयन नहीं किया गया	3.13	211
अप्राधिकृत व्यय	3.14	213
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग		
ठेकेदार को अनुचित लाभ	3.15	214
स्कूल शिक्षा विभाग		
सर्व शिक्षा अभियान निधि का अनियमित प्रतिधारण	3.16	216
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग		
कपटपूर्ण भुगतान	3.17	217
परिहार्य व्यय	3.18	219
आदिम जाति कल्याण विभाग		
ब्याज की हानि	3.19	220
निष्फल व्यय	3.20	221
शहरी विकास एवं पर्यावरण विभाग		
निधियों का अवरोध	3.21	223
महिला एवं बाल विकास विभाग		
संदिग्ध गबन	3.22	225

परिशिष्टों की सूची		
परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.1	31 मार्च 2016 तक जारी तथा 30 सितम्बर 2016 की स्थिति में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा कण्डिकाओं का वर्षवार विवरण	229
2.1.1	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यान्वयन की रूपरेखा के राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षित परिणामों की सूची	230
2.1.2	चयनित जिले/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/उप स्वास्थ्य केंद्र/आशा एवं हितग्राहियों की सूची	231
2.1.3	13 नमूना परीक्षित जिलों में वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में ए.एन.सी. सेवाओं की स्थिति	234
2.1.4	वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में राज्य में प्रसव देखभाल की स्थिति	235
2.1.5	टीकाकरण की स्थिति	236
2.1.6	उप्रवार टीकाकरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	236
2.1.7	पुरुष एवं महिला नसबंदी की स्थिति	237
2.1.8	गर्भ अंतराल तथा गर्भ–निरोधक के उपयोग की स्थिति	238
2.1.9	राज्य वार्षिक कार्य योजना के प्रस्तुति एवं अनुमोदन की स्थिति	238
2.1.10	पी.आई.पी. के प्रस्तुति में विलंब एवं पी.आई.पी. के अनुमोदन में विलंब को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	239
2.1.11	राज्य स्तर पर निरस्त किए गए कार्यों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक	241
2.1.12	नमूना परीक्षित जिले में निरस्त किए गए कार्यों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक	243
2.1.13	राज्य स्तर पर प्रारंभ नहीं किए गए निर्माण कार्यों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	244
2.1.14	नमूना परीक्षित जिले में प्रारंभ नहीं किए गए निर्माण कार्यों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	246
2.1.15	चयनित जिलों में अपूर्ण निर्माण कार्यों का सार	247

2.1.16	नमूना परीक्षित जिलों में पूर्ण किए किंतु अधिगृहित नहीं किए गए कार्यों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	248
2.1.17	नमूना परीक्षित 13 जिला अस्पतालों की अधोसंरचना एवं प्रदत्त सुविधा की स्थिति	250
2.1.18	नमूना परीक्षित जिले में मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थिति को दर्शाने वाला पत्रक	251
2.2.1	एम.पी.एफ. योजना के घटकों में राज्य और अन्य केन्द्रीय योजनाओं का योगदान दर्शाने वाला पत्रक	252
2.2.2	मध्य प्रदेश शासन द्वारा ए.ए.पी. के प्रस्तुतीकरण और विलम्ब की स्थिति	252
2.2.3	गृह मंत्रालय और मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत और विमुक्त राशि की स्थिति को दर्शाने वाला प्रपत्र	253
2.2.4	जिलों में औसत प्रतिक्रिया समय की स्थिति (मिनट में)	254
2.2.5	एफ.एस.एल. में प्राप्त, निराकृत एवं लम्बित प्रकरणों को दर्शाने वाला प्रपत्र	255
2.3.1	आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु बजट आवंटन और व्यय दर्शाने वाला पत्रक	256
2.3.2	जिला स्तर पर दर्ज और लाभान्वित हितग्राहियों को दर्शाने वाला पत्रक	258
2.3.3	परियोजना स्तर पर दर्ज और लाभान्वित हितग्राहियों को दर्शाने वाला पत्रक	259
2.3.4	आंगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण व्यवधान का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	261
2.3.5	राज्य स्तर पर आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण की स्थिति दर्शाने वाला पत्रक	262
2.3.6	2011–12 से 2015–16 की अवधि में जिला स्तर पर आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण की धीमी प्रगति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	262
3.1.1	म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग के आदेश क्रमांक एफ/14 – 10/98/42 –1 दिनांक 11.09.2000 के अनुसार व्यापम में स्वीकृत पदों का विवरण	263

3.1.2	अक्टूबर 2004 से मार्च 2016 तक मण्डल के अध्यक्षों का विवरण	264
3.1.3	मण्डल द्वारा आयोजित की गई परीक्षाओं का विवरण	265
3.1.4	म.प्र. शासन, जनशक्ति नियोजन विभाग के आदेश क्रमांक एफ / 1717 / 42 / 82 दिनांक 03.05.1982 के अनुसार मण्डल में स्वीकृत पदों का विवरण	266
3.1.5	पुलिस विभाग के लिए मण्डल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं का विवरण	266
3.1.6	मण्डल की प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं में शामिल संदिग्ध व्यक्तियों का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	267
3.1.7	मण्डल की कुल आय के विरुद्ध कुल व्यय दर्शाने वाला विवरण पत्रक	268
3.1.8	भर्ती परीक्षाओं में तथाकथित अनियमितताओं पर मण्डल द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	268
3.1.9	प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं पर मण्डल द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	270
3.2.1	कटौत्रा नहीं की गई उपकर की राशि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	272
3.2.2	मनरेगा योजना के कार्यों से कटौत्रा नहीं की गई उपकर की राशि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	273
3.2.3	मंडल में जमा नहीं किये गए संग्रहित उपकर का ब्यौरेवार विवरण पत्रक	274
3.2.4	विलम्ब से जमा किये गये उपकर का ब्यौरेवार दर्शाने वाला विवरण पत्रक	275
3.2.5	उपकर की वसूली हेतु दोषी नियोक्ताओं के विरुद्ध जारी की आर.आर.सी. के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	276
3.2.6	उपकर के चेकों/ड्राफ्टों से प्राप्त नहीं हुई राशि एवं संख्या को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	280
3.2.7	कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	281
3.2.8	प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित निर्माण श्रमिकों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	283

3.2.9	अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान अंतर्गत लाभ की स्वीकृति में अनियमितताओं का व्यौरेवार विवरण पत्रक (जाली मृत्यु प्रमाण पत्र)	284
3.2.10	चिकित्सालयों को प्रदाय अग्रिमों का समायोजन न होने का व्यौरा दर्शने वाला विवरण पत्रक	286
3.2.11	विवाह सहायता योजना के अंतर्गत नाबालिंग हितग्राहियों को हितलाभ की अनियमित स्वीकृति को दर्शने वाला पत्रक	289
3.3.1	अनुदान प्राप्ति एवं किए गए व्यय को दर्शने वाला विवरण पत्रक	291
3.3.2	मानकों से अधिक किए गए ओपेक्स व्यय को दर्शने वाला विवरण पत्रक	292
3.3.3	निर्धारित परिचालन लागत एवं वास्तविक व्यय को दर्शने वाला विवरण पत्रक	293
3.3.4	जनसंख्या का विवरण, उपलब्ध एंबुलेंसों एवं जिलों में एंबुलेंसों की आवश्यकता जहां एंबुलेंसें कम तैनात की गई हैं, को दर्शने वाला विवरण पत्रक	294
3.3.5	ग्रहण की गई आपात स्थितियों के प्रकार को दर्शने वाला विवरण पत्रक	295
3.3.6	एंबुलेंसों के प्रतिक्रिया समय को दर्शाता विवरण	295
3.3.7	निर्धारित प्रतिक्रिया समय तथा वास्तविक प्रतिक्रिया समय को दर्शने वाला विवरण पत्रक	296
3.3.8	ई.एम.आर.आई. तथा जिला चिकित्सालयों के आंकड़ों के मध्य अंतर को दर्शने वाला विवरण पत्रक	297
3.4.1	नमूना जाँच की गई ग्राम पंचायतों में रोजगार सृजन एवं परिसम्पत्तियों के निर्माण से संबंधित आवश्यक अभिलेखों की स्थिति	298
3.4.2	राज्य स्तर पर लंबित शिकायतों को दर्शने वाला विवरण पत्रक	300
3.4.3	नमूना जाँच की गई ग्राम पंचायतों में शिकायत पंजी/सामाजिक अंकक्षेण के विवरण को दर्शने वाला विवरण पत्रक	301
3.5.1	पूर्व संशोधित दरों के उपयोग के कारण प्रशमन शुल्क का कम आरोपण	303

3.6.1	पुलिस गार्ड की बकाया लागत का विवरण	304
3.8.1	मुद्रण कार्य हेतु कपटपूर्ण तरीके से तैयार अभिलेखों के आधार पर निजी मुद्रकों को किये गये भुगतानों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	305
3.9.1	ठेकेदारों से समय में कार्य पूरा कराने के लिए निविदा प्रपत्रों के मुख्य नियम और अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करने पर क्षतिपूर्ति की दरें दर्शाने वाला विवरण पत्रक	314
3.9.2	समयवृद्धि प्रकरणों में कम शास्ति लगाए जाने के कारण ठेकेदारों से वसूली योग्य राशि का कार्यवार विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	315
3.9.3	अधीक्षण यंत्री के पैकेजवार उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	319
3.10.1	प्रथम ठेकेदार से जोखिम एवं लागत के रूप में कार्यवार अधिक एवं वसूली योग्य राशि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	325
3.10.2	अनुबंध की धारा 3 (सी) के अंतर्गत अन्य ठेकेदार द्वारा कार्य करने पर प्रथम ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर पैकेजवार वसूली योग्य राशि का विवरण पत्रक	326
3.11.1	लॉँग्री सर्विसेस को जारी लिनेन कपड़ों का वार्डवार विवरण एवं संबंधित वार्डों के विवरण से वास्तविक पुष्टि किये बिना कपटपूर्ण अधिक भुगतान का विवरण पत्रक	327
3.12.1	संदिग्ध हस्तलिखित बिल के माध्यम से क्रय करना दर्शाकर एल.पी.जी. सिलेंडरों के लिए किए गये भुगतान का तिथिवार विवरण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	330
3.12.2	हस्तलिखित बिलों के आधार पर क्रय किये एल.पी.जी. सिलेंडर का भुगतान दर्शाने वाला प्रपत्र, जिनकी प्रविष्टियाँ भंडार पंजी में नहीं पाई गई	333
3.12.3	उच्च दर से क्रय किए गये एल.पी.जी. गैस सिलेंडर के लिए संदिग्ध हस्तलिखित बिल के माध्यम से अधिक आहरित राशि का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	334
3.13.1	मुद्रांक शुल्क का कम/नहीं लगाने एवं पंजीकरण शुल्क नहीं लगाने का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	335

3.14.1	पूर्व से पदस्थ सफाई कर्मियों एवं आउटसोर्सड किए गए सफाई कर्मियों के साथ के सफाई कर्मियों, अधिक सफाई कर्मियों के परिनियोजन पर किए गए अधिक व्यय का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	340
3.14.2	पूर्व से पदस्थ सफाई कर्मियों एवं आउटसोर्स पर रखे गये अत्यधिक सफाई कर्मियों पर मासिक परिहार्य व्यय का विवरण पत्रक	341
3.15.1	ई-टेण्डरिंग में भाग लेने वाले निविदाकारों की संख्या एवं कार्यवार निविदा प्रस्तुत करने के लिये प्रदाय समय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	342
3.16.1	कार्य की मूल्यांकन राशि से अधिक आहरित राशि के विवरण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	347
3.16.2	कार्य की ब्लॉकवार स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक	353
3.16.3	कार्यों का वर्षवार विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	353
3.17.1	व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रशिक्षण खर्च की प्रतिपूर्ति के मूल एवं कपटपूर्ण तरीके से हेरफेर किए गए देयकों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	354
3.20.1	बन्द ग्रेन बैंकों की कुल संख्या एवं उन पर स्थापना एवं खाद्यान्न मद में किए गए व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	355
3.21.1	एन.आर.सी.डी., एम.ओ.ई.एफ. को सूचित किए अनुसार घटकवार स्वीकृत और व्यय राशि के विवरण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	356

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन मध्य प्रदेश शासन के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्रों के विभागों जिनमें गृह, श्रम, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, चिकित्सा शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, आदिम जाति कल्याण, नगरीय विकास एवं पर्यावरण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग सम्मिलित हैं, की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को समाहित करता है। तथापि, आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले विभागों को छोड़ दिया गया है तथा आर्थिक क्षेत्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समाहित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो वर्ष 2015–16 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा करने के दौरान जानकारी में आये तथा ऐसे भी मामले हैं जो पूर्व वर्षों में जानकारी में आ चुके थे परन्तु उन्हें पूर्व प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था; वर्ष 2015–16 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी यथास्थान आवश्यकतानुसार सम्मिलित किये गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र, मध्य प्रदेश शासन 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु प्रतिवेदन में, चयनित कार्यक्रमों और विभागों की तीन निष्पादन लेखापरीक्षा, तीन अनुपालन लेखापरीक्षा, एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा एवं 18 लेखापरीक्षा कंडिकायें सम्मिलित हैं जो सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी निकायों, समितियों आदि के निष्पादन लेखापरीक्षा एवं वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित हैं। महत्वपूर्ण निष्कार्षों का सार नीचे दिया गया है।

1. निष्पादन लेखापरीक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु संचालित की जाती हैं कि क्या शासकीय कार्यक्रमों/योजनाओं/विभागों द्वारा आपेक्षित उद्देश्यों को न्यूनतम लागत में प्राप्त कर लिया गया है और उनका प्रयोजित लाभ दिया गया है।

1.1 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) को ग्रामीण आबादी विशेष कर कमज़ोर वर्गों को सुलभ, सस्ती एवं गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शुरू (अप्रैल 2005) किया गया था। इसका उद्देश्य शिशु मृत्यु, मातृ मृत्यु तथा कुल प्रजनन दर को कम कर रोगों से होने वाली रुग्णता तथा मृत्यु को रोकना एवं कम करना था। वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य (आर.सी.एच.), टीकाकरण कार्यक्रम तथा मिशन फैलैकर्सी पूल के लिए अनुमोदित परिव्यय ₹ 6,247.01 करोड़ के विरुद्ध ₹ 5,588.76 करोड़ व्यय किया गया था।

राज्य में प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य के सुधार में एन.आर.एच.एम. के प्रभाव की अवधि वर्ष 2011–12 से 2015–16 के आंकलन की निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित परिलक्षित हुआ:

राज्य, शिशु एवं मातृ मृत्यु के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका तथा अन्य राज्यों की उपलब्धियों से बहुत पीछे था। राज्य की शिशु मृत्यु दर, राष्ट्रीय औसत 40 प्रति हजार जीवित जन्म के विरुद्ध 51 प्रति हजार जीवित जन्म थी। इसी प्रकार, राज्य की मातृ मृत्यु दर 221 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म था, जो कि राष्ट्रीय औसत 178 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म से बहुत कम था। मातृ, शिशु एवं प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की प्रदायगी में कमी होने के परिणामस्वरूप राज्य, आई.एम.आर., एम.एम.आर. तथा कुल प्रजनन दर (टी.एफ.आर.) के लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहा।

(कंडिका 2.1.6)

वर्ष 2011–16 में प्रसव पूर्व जांच (ए.एन.सी.) हेतु पंजीकृत कुल 93.72 लाख गर्भवती महिलाओं में से केवल 52.51 लाख (56 प्रतिशत) महिलाएं गर्भ की प्रथम तिमाही में पंजीकृत की गई थीं। जिसके परिणामस्वरूप ऐसे प्रकरणों में भ्रूण का बेहतर स्वास्थ्य एवं विकास सुनिश्चित नहीं किया जा सका। आगे, जैसा कि आर.एम.एन.सी.एच.+ए. मार्गदर्शिका में परिकल्पित है, 19.44 लाख (21 प्रतिशत) गर्भवती महिलाएं, पूरे गर्भकाल में तीन ए.एन.सी. जांच से वंचित रह गई थीं। अतः प्रसव के दौरान होने वाली जटिलताओं जैसे प्रि-एकलेम्पसिया, गर्भपात, एम्निओटिक फ्लूड की कमी इत्यादि के कारण होने वाले जटिलताओं की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता।

(कंडिका 2.1.7.1)

प्रसव के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 48 घंटे के अंदर अत्यधिक संभावित प्रसव संबंधी जटिलताओं तथा मातृ मृत्यु को दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य केंद्रों पर 48 घंटे तक रुकने को प्रोत्साहन देना था। हालांकि, शासकीय अस्पतालों में 28 प्रतिशत महिलाओं की छुट्टी प्रसव के 48 घंटे के अंदर कर दी गई थी। आगे, सेवा प्रदाताओं (स्टॉफ नर्स, सहायक सुश्रूषा परिचारिका (ए.एन.एम.)) के उपेक्षापूर्ण व्यवहार तथा रेफरल परिवहन की कमी के कारण केवल 35.21 लाख (55 प्रतिशत) माताओं ने 48 घंटे से 14 दिन के अंदर प्रसवोपरांत जांच सेवाएं प्राप्त की।

(कंडिका 2.1.7.2)

वर्ष 2011–16 की अवधि में राज्य में कुल ए.एन.सी. पंजीकृत महिलाओं की संख्या 93.72 लाख थी। हालांकि, राज्य में इस अवधि में 69.83 लाख प्रसव ही प्रतिवेदित किए गए थे। राज्य में लापता प्रसवों का प्रभाव जन्म के समय विषम लिंगानुपात 52:48 का कारण हो सकता है।

(कंडिका 2.1.7.4)

अवधि 2011–16 के दौरान, माता—पिता में जागरूकता की कमी तथा महिलाओं एवं बच्चों को प्रेरित करने में आशा की विफलता के कारण बच्चों को लगाए जाने वाले सात रोग रोधी वैक्सीनों के टीकाकरण हेतु निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो सकी तथा उपलब्धियों में कमियों की परिसीमा 16 से 21 प्रतिशत तक रही। स्वास्थ्य केंद्रों पर भंडारण सुविधा की अनुपलब्धता तथा गृह प्रसवों के प्रकरण में खुराक देने में असफलता के कारण 69.25 लाख जीवित जन्मे शिशुओं में से हेपेटाइट्स-बी जीरो की खुराक केवल 39.30 (57 प्रतिशत) शिशुओं को दी जा सकी।

(कंडिका 2.1.8.2)

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न प्रदर्शन के कारण राज्य टी.एफ.आर. के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। वर्ष 2011–16 के दौरान निर्धारित पुरुष नसबंदी के लक्ष्य 3.03 लाख के विरुद्ध केवल 0.83 लाख (27 प्रतिशत) पुरुष नसबंदी की गई। महिला नसबंदी की उपलब्धि क्रमशः 43 एवं 22 प्रतिशत निर्धारित (मिनी लैप तथा प्रसवोपरांत) नसबंदी लक्ष्य के विरुद्ध थी। गर्भनिरोधक गोली तथा कंडोम वितरण में कमी क्रमशः 42 प्रतिशत एवं 49 प्रतिशत थी।

(कंडिका 2.1.9.2)

कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पी.आई.पी.) एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के विलंब से प्रस्तुतीकरण के कारण वर्ष 2011–16 के दौरान, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पी.आई.पी. ₹ 6,247.01 करोड़ के विरुद्ध राज्य को एन.आर.एच.एम. के कार्यान्वयन के लिए केवल ₹ 5,269.70 करोड़ उपलब्ध हुए। जिसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य संकेतकों पर राज्य के निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद शासन योजना के कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त निधियां प्रदाय नहीं कर सका।

(कंडिका 2.1.10.4)

राज्य, मानव संसाधन की कमी के कारण पर्याप्त संख्या में ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण में विफल रहा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य अधोसंरचना के लिए अपर्याप्त निधियां आवंटित की गई थीं। एन.आर.एच.एम. के जनसंख्या मानदंड के अनुसार 2,588 उप स्वास्थ्य केंद्र (22 प्रतिशत), 828 पी.एच.सी. (41 प्रतिशत) तथा 153 सी.एच.सी. (31 प्रतिशत) की कमी थी। नमूना जांच में लेखापरीक्षा ने देखा कि ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में अधोसंरचना के संदर्भ में वार्ड, लेबर रूम, ऑपरेशन थियेटर, बिजली आपूर्ति तथा शौचालयों इत्यादि की कमी थी।

(कंडिका 2.1.11)

अप्रैल 2016 की स्थिति में राज्य में कुल 1,172 पी.एच.सी. में से, 503 पी.एच.सी. बिना चिकित्सक के कार्यशील थी। जांच तकनीशियन तथा फार्मासिस्ट क्रमशः 525 एवं 312 पी.एच.सी. पर पदस्थ नहीं थे। नमूना परीक्षित जिलों के 96 सी.एच.सी. में, स्वीकृत 346 विशेषज्ञों में से केवल 13 विशेषज्ञ उपलब्ध थे। आगे, अप्रैल 2016 की स्थिति में राज्य में आवश्यक 62,206 अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) के विरुद्ध 58,730 आशा ही नियुक्त थी।

(कंडिका 2.1.12)

मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सेवा गारंटी योजना के अंतर्गत शासन सभी प्रकार के स्वास्थ्य केंद्रों पर न्यूनतम आवश्यक औषधियों तथा जांच सेवाएं प्रदाय करने के लिए संकल्पित थी। हालांकि, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सेवा गारंटी योजना में सूचीबद्ध सभी औषधियां एवं वर्गीकृत सभी जांच सेवाएं नमूना परीक्षित किसी भी स्वास्थ्य केंद्रों में नहीं थी।

(कंडिका ए 2.1.13 एवं 2.1.15)

राज्य गुणवत्ता आश्वासन समिति तथा जिला गुणवत्ता आश्वासन समितियों ने निर्धारित अंतराल पर बैठकें नहीं की। नमूना परीक्षित 13 जिला अस्पतालों (डी.एच.) में से 10 जिला अस्पतालों में रोगी संतुष्टि सर्वेक्षण नहीं कराया गया। गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम सी.एच.सी. तथा पी.एच.सी. स्तर पर कार्यान्वित नहीं किया गया।

(कंडिका 2.1.18)

1.2 मध्य प्रदेश पुलिस बल का आधुनिकीकरण

"पुलिस" राज्य का विषय है और पुलिस बल को आधुनिक बनाने और पर्याप्त रूप से सज्जित करना राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आंतरिक सुरक्षा के लिए उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने हेतु पुलिस बल का आधुनिकीकरण (एम.पी.एफ.) योजना शुरू की गई। अवधि 2011–12 से 2015–16 के लिए मध्य प्रदेश पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर एक निष्पादन लेखा परीक्षा में निम्नलिखित परिलक्षित हुआ:

- निर्माण गतिविधियों के लिए बजट की कमी के कारण, मार्च 2016 की स्थिति में, राज्य में पुलिस भवनों की 35 प्रतिशत एवं पुलिस आवासों की 68 प्रतिशत कमी थी। 69,978 मकानों की कमी के कारण दो तिहाई से अधिक अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को शासकीय आवास उपलब्ध नहीं कराया जा सका। मकानों में कमी के कारण चयनित जिलों में 683 कंडम और 582 जर्जर भवनों में पुलिस कर्मी अधिवासित थे। पुलिस थानों/चौकियों में महिला कर्मियों के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे प्रसाधन एवं विश्राम गृह की कमी थी।

(कंडिका 2.2.10)

- विभाग में वाहनों विशेष रूप से मोटर साईकिल की काफी कमी थी। चयनित 39 पुलिस थानों (पी.एस.) और चौकियों (ओ.पी.) में से छ: पी.एस. और दो ओ.पी. में कोई मोटरसाइकिल नहीं थी। आगे, ₹ 5.88 करोड़ मूल्य के 102 कार खरीदे गए जो एम.पी.एफ. के अंतर्गत क्रय हेतु निषिद्ध थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि दिसम्बर 2016 तक 23,955 आधुनिक शस्त्रों की कमी थी। इस प्रकार विभाग पुलिस बल के मारक क्षमता को प्रभावित करते हुए पुराने शस्त्रों पर निर्भर था।

(कंडिका ए 2.2.11 एवं 2.2.12)

- जून 2016 की स्थिति में पुलिस बल में समग्र रिक्तियां 16,751 थी। फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एफ.एस.एल.) में वैज्ञानिक अधिकारी और प्रयोगशाला तकनीशियनों के पद रिक्त थे जिसके परिणामस्वरूप फॉरेंसिक परीक्षणों के मामले लंबित हुए। प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी के कारण पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण प्रभावित हुए।

(कंडिकाएँ 2.2.13.1 एवं 2.2.17)

- उपलब्ध निधियों के विरुद्ध व्यय की प्रगति धीमी थी जो मुख्यतः रूप से 2015–16 के दौरान बढ़ी एवं ₹ 163.65 करोड़ (₹ 316.47 करोड़ का 52 प्रतिशत) व्यय हुआ। व्यय की धीमी प्रगति, राज्य में एम.पी.एफ. के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रांश ₹ 92.79 करोड़ कम विमुक्ति की ओर ले गई। अवधि 2015–16 के लिए गृह मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश शासन को विमुक्त ₹ 23.42 करोड़ केन्द्रांश और साथ–साथ ₹ 17.87 करोड़ राज्यांश मार्च 2016 के अंत तक विभाग को विमुक्त नहीं किया गया।

(कंडिका 2.2.8)

1.3 एकीकृत बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत पूरक पोषण आहार कार्यक्रम पर निष्पादन लेखापरीक्षा

एकीकृत बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत पूरक पोषण कार्यक्रम (पू.पो.का.), अनुशासित आहार भत्ता और औसत दैनिक खपत के मध्य अंतर को पाठने के लिये प्रारंभिक रूप से तैयार किया गया है। पू.पो.का. के प्रत्येक हितग्राही को वर्ष में 300 दिनों का पूरक पोषण प्रदाय किया जाता है, जो आंगनबाड़ी केन्द्रों के द्वारा पके भोजन तथा टेक होम राशन के रूप में प्रदाय किया जाता है। 2011–12 से 2015–16 के दौरान, मध्य प्रदेश में विभाग ने पूरक पोषण आहार योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹ 5012.17 करोड़ व्यय किये। मध्यप्रदेश में आई.सी.डी.एस. (पूरक पोषण कार्यक्रम) के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि 2011–16 के दौरान निम्नानुसार परिलक्षित हुआ:

भारत सरकार द्वारा निर्धारित जनसंख्या मानदण्ड के अनुसार मार्च 2016 की स्थिति में राज्य में 18604 आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा 3400 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों की कमी थी। राज्य में कुल 61,755 गांवों/वार्डों में से 53.84 लाख की जनसंख्या वाले 11,156 ग्राम/वार्ड आंगनबाड़ी केन्द्र विहीन थे।

राज्य शासन द्वारा 4,305 आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं खोले गये थे, जबकि भारत सरकार द्वारा ये आंगनबाड़ी केन्द्र नवम्बर 2014 में स्वीकृत किये गये थे।

(कंडिका 2.3.10)

आंगनबाड़ी केन्द्रों के खराब बुनियादी ढांचे, पोषाहार के कम मात्रा तैयार करना या पोषाहार का प्रदाय नहीं होना तथा केन्द्रों की लम्बी दूरी पर होने के कारण वर्ष 2011–16 के दौरान छः माह से तीन वर्ष के आयु समूह के 20.94 लाख दर्ज बच्चे, तीन वर्ष से छः वर्ष के आयु समूह के 57.02 लाख दर्ज बच्चे तथा 7.99 लाख दर्ज गर्भवती एवं धात्री माताओं को पूरक पोषण आहार का लाभ नहीं मिला जिसने दर्ज हितग्राहियों की आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपस्थिति को निरुत्साहित किया।

(कंडिका 2.3.7.2)

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (2015–16) के अनुसार राज्य में 9.2 प्रतिशत बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित थे। इस प्रकार राज्य अति कुपोषित बच्चों को 12.6 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक कम करने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका।

(कंडिका 2.3.11)

14 नमूना जांच किये गये परियोजना कार्यालयों में, 2011–12 से 2015–16 के दौरान 983 आंगनबाड़ी केन्द्रों में 37,079 दर्ज हितग्राहियों को विभिन्न माहों में (एक दिन से लेकर 120 दिन तक) पूरक पोषाहार प्रदाय नहीं किया गया।

जबकि जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा स्व-सहायता समूहों को गेहूं तथा चावल के वितरण में 24432.05 मिट्रिक टन गेहूं और 3592.06 मिट्रिक टन चावल की कमी थी। इसने हितग्राहियों को पकाया हुआ भोजन के वितरण को प्रभावित किया।

(कांडिकाएं 2.3.9.1 एवं 2.3.9.2)

राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं समीक्षा समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई। जिला एवं खण्ड स्तर पर उचित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु अनुश्रवण एवं समीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया।

(कांडिकाएं 2.3.12.3 एवं 2.3.12.4)

2. अनुपालन लेखा परीक्षा

लेखापरीक्षा ने सार्थक क्षेत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण कमियों को प्रतिवेदित किया है जो शासकीय विभागों/संस्थाओं की प्रभावी कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है।

2.1 मध्य प्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मण्डल की स्थापना एवं इसके कार्यों की निगरानी की लेखा परीक्षा

मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1982 में 'व्यावसायिक परीक्षा मण्डल' जिसे सामान्यतः व्यापम के रूप में जाना जाता है, का गठन प्रदेश के विकित्सा, अभियांत्रिकी, कृषि एवं पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में भर्ती हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए किया गया था। अप्रैल 2003 में, मण्डल को ऐसे राज्य स्तरीय पदों (पुलिस एवं विधिक विभागों के अलावा), जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं भरे जाते हैं, पर भर्ती कराने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी।

मध्य प्रदेश विधानमण्डल ने अगस्त 2007 में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और उससे संबद्ध विषयों की परीक्षाएं आयोजित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल अधिनियम, 2007 (एम.पी.पी.ई.बी.) को पारित किया था। महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नानुसार हैं।

मण्डल की स्थिति पर शासन के दृष्टिकोण में दोहरापन

मण्डल की स्थापना, इसकी स्थिति पर भ्रम के साथ की गई थी, क्योंकि राज्य शासन ने घोषित किया था कि वह व्यापम द्वारा किए गए अथवा करने से छोड़े गए कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। हांलाकि, इसके बाद मण्डल के एक शासकीय विभाग होने की स्थिति को विभिन्न अंतर्विभागीय विचारविमर्श में स्वीकार किया गया था जिसकी बाद में इसके विधिक विभाग की कानूनी सलाह एवं न्यायिक निर्णयों में भी पुष्टि की गई। राज्य शासन का भी सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए मण्डल के ऊपर पूर्ण नियंत्रण था क्योंकि मण्डल में अध्यक्ष, संचालक और नियंत्रक की नियुक्ति राज्य शासन के अधिकारियों के स्थानान्तरण से की जा रही थी। इसके बावजूद शासन ने मण्डल के कार्य संचालन, परीक्षा आयोजित करने, शुल्क के संग्रहण एवं जमा, वित्तीय प्रक्रियाओं के अनुसरण करने, परीक्षाओं एवं सहायक गतिविधियों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से आयोजित करने के लिए व्यवस्था को स्थापित करने, जिससे पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने एवं कदाचार पर रोक लगाने हेतु कोई नियम/विनियम नहीं बनाया गया।

व्यापम की स्थिति पर भ्रम को जारी रखा गया एवं राज्य शासन तथा मण्डल के बीच की व्यवस्था लचीली रही। राज्य शासन ने सर्वोच्च प्रबंधन पर प्रशासनिक नियंत्रण के बावजूद मण्डल की गतिविधियों से प्रत्यक्ष रूप से स्वयं को दूर रखा। यह अप्रत्यक्ष नियंत्रण, व्यापम के कार्यों के मूल्यांकन एवं सत्यापन के लिए सुव्यवस्थित निर्धारित प्रक्रिया के बिना, उत्तरदायित्व रहित शक्तियों के प्रयोग का स्पष्ट प्रकरण था। इससे अंततः एक ऐसी स्थिति बनी जहां मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं की विश्वसनीयता में गंभीर कमी आई जिसके कारण व्यापक जन असंतोष बना जैसा कि मीडिया द्वारा प्रतिवेदित किया गया और जिसकी विभाग के साथ ई.डी./सी.बी.आई./ई.ओ.डब्ल्यू द्वारा अनियमितताओं की जांच में अभिस्वीकृति दी गई तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एम.बी.बी.एस. छात्रों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी गई।

(कंडिका 3.1.2)

सांविधिक मण्डल के गठन में विलम्ब

शासन ने इस अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक मण्डल की स्थापना मार्च 2016 में अर्थात आठ वर्षों से अधिक की देरी के साथ की। सांविधिक मण्डल की स्थापना में देरी से मध्य प्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को अधिक प्राधिकार तथा अधिक विश्वसनीयता प्रदान करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ।

(कंडिका 3.1.3)

मण्डल को भर्ती कार्य सौंपना

मण्डल की जनशक्ति में बढ़ोत्तरी किए बिना राज्य स्तरीय पदों के लिए भर्ती परीक्षाओं के आयोजन को मण्डल को अप्रैल 2003 में अंतरित किया गया था जिससे मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाएं प्रभावित हुई। कर्मचारी चयन आयोग की उपेक्षा कर शासन द्वारा बिना किसी धोषित लक्ष्यों / लाभों के भर्ती प्रक्रिया को व्यापम को सौंपने की आवश्यकता पूरे देश में सुव्यवस्थित रूप से स्थापित प्रक्रिया से पलायन था।

शासन ने मण्डल द्वारा भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने के लिए निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता और उपयुक्तता को प्राप्त करने के लिए मजबूत चयन प्रक्रियाओं/नियमों के विकास को सुनिश्चित नहीं किया। इस प्रकार शासन का एक प्राथमिक कार्य स्वयं की सेवाओं के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष भर्ती सुनिश्चित करना जो अब तक लोक सेवा आयोग/शासकीय विभागों द्वारा किया जा रहा था, को एक संस्था के लिए छोड़ दिया गया जो न तो सांविधिक थी तथा न ही स्वतंत्र, न ही विधिवत बनाए गए नियमों के तहत संचालित थी।

(कंडिका 3.1.4)

राज्य शासन द्वारा मण्डल में नियुक्तियाँ

मण्डल में संचालक एवं नियंत्रक की नियुक्ति नियमों को सुनियोजित तरीके से अनदेखा कर रखकर की गई जिससे अधिकारियों को अनुचित लाभ हुआ। डॉ. योगेश उपरीत एवं डॉ. पंकज त्रिवेदी को क्रमशः संचालक एवं नियंत्रक के पदों पर तत्कालीन मंत्री के आदेश पर नियमों का उल्लंघन करते हुए सीधे नियुक्त किया गया। डॉ. पंकज त्रिवेदी को उनके नियंत्रक पद पर नियुक्ति के साथ—साथ बाद में संचालक के पद पर नियुक्त किया गया। इसी प्रकार, श्री अजय सेन, सिस्टम एनालिस्ट एवं श्री नितिन मोहिन्द्रा, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट को शासन या मण्डल के अनुमोदन के बिना उनके वेतनमान का उन्नयन कर अनुचित लाभ दिया गया। उक्त अधिकारी बाद में मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं में संदेहास्पद रूप से संलिप्त पाए गए।

(कंडिका 3.1.5)

राज्य शासन द्वारा मण्डल की निगरानी

व्यापम द्वारा परीक्षाओं में अनियमितताओं के कुछ प्रकरणों के बारे में बताए जाने के बाद भी अनियमितताओं को रोकने हेतु राज्य शासन ने नियमों/विनियमों को बनाकर कोई उपचारात्मक उपाय नहीं किए। इस बात का कोई प्रमाण नहीं था कि राज्य शासन ने मण्डल द्वारा आयोजित कराई गई परीक्षाओं में उपयोग की गई सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली की सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित किया।

(कंडिका 3.1.7)

मण्डल का वित्तीय उत्तरदायित्व

मण्डल की निधियों को शासकीय लेखों से बाहर रखा गया एवं यह राज्य विधान मण्डल के बजटीय नियंत्रण के विषयान्तर्गत नहीं था, जिसके कारण इसकी वित्तीय उत्तरदायित्व में कमी आई। मण्डल के साथ साथ राज्य शासन ने मण्डल की निधि का अपनी सुविधा के अनुसार दुरुपयोग किया एवं मण्डल निधि के ₹ 13.75 करोड़ अन्य संस्थानों को व्यापम से असंबंध गतिविधियों के लिए अंतरित किए गये।

(कंडिका 3.1.6)

2.2 मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की लेखापरीक्षा

राज्य शासन ने भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए कल्याणकारी उपायों का क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की स्थापना (10 अप्रैल 2003) की। मार्च 2016 तक मण्डल में 24.82 लाख निर्माण श्रमिक पंजीकृत थे तथा मण्डल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए 22 कल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। वर्ष 2011–16 के दौरान राज्य में मण्डल की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित परिलक्षित हुआ:

छ: स्थानीय नगरीय निकायों में, वर्ष 2011–16 के दौरान 2,922 भवन निर्माण अनुज्ञाएँ जारी की गई थी। इन भवन अनुज्ञाओं में से 2,881 भवन अनुज्ञाएँ संबंधित पंजीकरण अधिकारी के समक्ष स्थापना के रूप में पंजीकृत नहीं थी। वर्ष 2011–16 की अवधि में 35,679 मनरेगा योजना के निर्माण कार्यों से उपकर की राशि ₹ 1.83 करोड़ का कठौत्रा नहीं किया गया था। स्थानीय नगरीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं तथा निर्माण एजेन्सियों द्वारा संग्रहित उपकर की राशि ₹ 3.13 करोड़ मण्डल को अंतरित नहीं की गई थी।

(कंडिकाएँ 3.2.2.1, 3.2.2.2 (ब) एवं 3.2.2.3)

वर्ष 2011–16 की अवधि से संबंधित जिला श्रम कार्यालयों में उपकर के निर्धारण हेतु 1,121 प्रकरण (अंतिम छ: माह के प्रकरणों को छोड़कर) थे, तथापि, अमले की कमी के कारण मात्र 539 प्रकरणों में ही उपकर का निर्धारण किया गया।

(कंडिका 3.2.2.5 (i))

वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 के लिए मण्डल के लेखाओं के वार्षिक विवरण तैयार नहीं किए गए थे। प्रारंभ से वर्ष 2015–16 के मध्य प्राप्त उपकर की राशि ₹ 12.93 करोड़ के चैक अथवा ड्राफ्टस जारीकर्ता को वापस किये गये, जो मण्डल की अनुवीक्षण में कमी के कारण अप्राप्त रहे।

(कंडिकाएँ 3.2.3.3 एवं 3.2.3.4)

मण्डल ने न तो मैदानी कार्यालयों को स्थापित किया गया था और न ही मण्डल के कार्यों का कुशल निर्वहन के लिए स्वीकृत 310 मैदानी स्टॉफ के विरुद्ध भर्ती की।

(कांडिका 3.2.4.2)

मण्डल द्वारा 22 योजनाओं हेतु वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किये गये परंतु अवधि 2011–16 के दौरान अमले की कमी के कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में 16 से 100 प्रतिशत की कमी रही।

(कांडिका 3.2.4.3)

2.3 ‘108 एंबुलेंस सेवाओं’ की लेखापरीक्षा

आपातकालीन चिकित्सा सेवा (ई.एम.एस.) समग्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक अनिवार्य अंग है क्योंकि यह आपातकालीन देखभाल तत्काल प्रदान करके जीवन बचाता है। इस उद्देश्य हेतु राज्य में आपातकालीन प्रतिक्रिया इकाइयों को विकसित तथा परिचालित करने के लिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने ईमरजेंसी मैनेजमेंट एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट (ई.एम.आर.आई.) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) हस्ताक्षरित किया। 2007–08 से 2015–16 की अवधि को आवृत्त कर की गई ‘108 एंबुलेंस सेवाओं’ की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित परिलक्षित हुआ:

अपर्याप्त नियोजन तथा क्रय प्रक्रिया में देरी के कारण, परियोजना निर्धारित अवधि में पूरे राज्य भर में विस्तारित नहीं की जा सकी। परिणामस्वरूप, 17 प्रतिशत जनसंख्या एंबुलेंस सुविधा से अनावृत्त रही। कई जिलों में अधिक प्रतिक्रिया समय होने के बावजूद निर्धारित मानदंडों के विरुद्ध ‘108 एंबुलेंसों’ की कम संख्या तैनात की गई।

(कांडिका एं 3.3.2 एवं 3.3.4.3)

जी.व्ही.के. ईएमआरआई को निधियां वास्तविक आवश्यकता का आंकलन किए बिना तदर्थ आधार पर जारी की गई। परिचालन व्यय (ओपेक्स) के अन्तर्गत वेतन पर राशि ₹ 23.42 करोड़ की बचत अन्य गतिविधियों/घटकों जैसे – ईंधन लागत, मरम्मत एवं रखरखाव आदि पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपयोग की गई। इसके अतिरिक्त, प्रति एंबुलेंस ओपेक्स ₹ 0.98 लाख की निर्धारित सीमा से अधिक था परिणामस्वरूप संचालन एजेंसी को 2012–13 से 2014–15 के दौरान ₹ 5.02 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

(कांडिका एं 3.3.3.1 एवं 3.3.3.2)

- कई जिलों में ‘108 एंबुलेंसों’ का प्रतिक्रिया समय असंतोषजनक होना पाया गया। कई जिलों में एंबुलेंसे आपात स्थितियों को ग्रहण करने के निर्धारित मानदंड को हासिल नहीं कर सकीं। यद्यपि, इस कमी के विरुद्ध संचालन एजेंसी के भुगतान से ₹ 58.14 लाख की आनुपातिक कटौती नहीं की गई।

(कांडिका एं 3.3.5.2 एवं 3.3.5.4)

- अपेक्षित पदों की तुलना में, जुलाई 2015 की स्थिति में ई.एम.आर.आई. द्वारा तैनाती में चार से 11 प्रतिशत की तक की कमी थी। कॉल सेंटर पर आपातकालीन प्रतिक्रिया केन्द्र चिकित्सक (ई.आर.सी.पी.) – देखभाल में 50 प्रतिशत की कमी देखी गई। जिसकी वजह से, ई.आर.सी.पी. की लाईन अधिकांशतः व्यस्त पाई गई एवं हितग्राही आपातकालीन परिवहन के दौरान ई.आर.सी.पी. सलाह मिलने से वंचित रहे।

(कांडिका 3.3.5.5)

एमओयू के अनुसार ‘108 एंबुलेंस सेवाओं’ के संचालन तथा कुशल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक गतिविधियों के समन्वय के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जिला

स्तरीय समिति का गठन किया जाना था। हालांकि, जिला स्तरीय समिति किसी जिले में गठित नहीं की गई।

(कंडिका 3.3.6.2)

2.4 "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" पर निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुवर्ती लेखापरीक्षा

वर्ष 2007–12 की अवधि के लिए राज्य में योजना के क्रियान्वयन पर पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा की गयी थी तथा लेखापरीक्षा निष्कर्ष 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र (गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपकर) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 2.2. में शामिल किए गए थे। वर्तमान अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु सामान्य एवं सामाजिक (गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपकर) क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2013 का प्रतिवेदन क्रमांक 4) की कंडिका 2.2 में स्वीकार की गई अनुशंसाओं पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का आकलन किया गया। अनुवर्ती लेखापरीक्षा में निम्नलिखित परिलक्षित हुआ:

स्वीकार की गयी छ: अनुशंसाओं में से तीन अनुशंसाएं जो जॉबकार्ड जारी किए जाने, एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. निधि का अन्य योजनाओं के साथ अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु अभिसरण करने तथा शिकायत निवारण व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने से संबंधित थीं, का विभाग द्वारा मात्र आंशिक अनुपालन किया गया जबकि निम्नलिखित तीन अनुशंसाओं का विभाग द्वारा अनुपालन नहीं किया गया:

राज्य रोजगार गारंटी परिषद (एस.ई.जी.सी.) की सामान्य सभा तथा उसकी सशक्त समिति की नियमित बैठकें आयोजित किया जाना।

कार्यों की मांग हेतु हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त किए जाने तथा उन्हें दिनांकित पावती दी जाना जिससे 15 दिन के अंदर रोजगार प्राप्त न होने की स्थिति में उन्हें बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हो सके।

रोजगार सृजन तथा परिसम्पत्ति निर्माण के आवश्यक अभिलेखों का संधारण सुनिश्चित किया जाना।

(कंडिका 3.4)

लेखापरीक्षा कंडिकाएं

शासकीय मुद्रणालय के फर्जी बिल सत्यापन पत्रों, प्रमाणीकरण सील एवं हस्ताक्षर का उपयोग करके एम.वाय. अस्पताल, इन्डौर एवं जयारोग्य अस्पतालों का समूह ग्वालियर द्वारा निजी मुद्रणालयों को राशि ₹ 79.50 लाख का अनियमित भुगतान किया गया।

(कंडिका 3.8)

ग्रामीण यांत्रिकी सेवाओं के छ: संभागों द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सङ्क योजना के अन्तर्गत ग्रामीण सङ्क निर्माण कार्य में विलम्ब के लिए ठेकेदारों पर राशि ₹ 1.26 करोड़ की क्षतिपूर्ति का कम आरोपण किया गया।

(कंडिका 3.9)

जे.पी. अस्पताल, भोपाल ने संबंधित वार्डों द्वारा धुलाई के लिए जारी किए गए लिनेन कपड़ों के विवरण से वास्तविक मिलान किये बिना, लिनेन कपड़ों की धुलाई के लिए लाउण्ड्री सर्विसेस को ₹ 48.67 लाख का कपटपूर्ण अधिक भुगतान किया।

(कंडिका 3.11)

सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, बैतूल द्वारा देयकों के तैयार करने, प्राप्ति, सत्यापन एवं भंडार जारी करने के लिए संहिता प्रावधानों का अनुसरण/सुनिश्चित नहीं किया गया था जिसके कारण एल.पी.जी. सिलेण्डरों की आपूर्ति हेतु फर्जी/कपटपूर्ण तरीके से तैयार किए गए बिलों पर ₹ 7.69 लाख का भुगतान किया गया।

(कंडिका 3.12)

सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, बड़वानी एवं सागर तथा सिविल सर्जन, जय प्रकाश अस्पताल, भोपाल द्वारा निर्धारित मानदण्ड का उल्लंघन कर अधिक सफाई कर्मियों के बहिःस्त्रोतन पर राशि ₹ 1.39 करोड़ का अप्राधिकृत व्यय किया गया।

(कंडिका 3.14)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, शिवपुरी द्वारा अनुमानित लागत ₹ 2.61 करोड़ के विभागीय कार्यों को आवंटित करने हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निविदाएं प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित न्यूनतम समय-सीमा का अनुसरण नहीं किया गया जिसके कारण सहभागी ठेकेदारों को अनुचित लाभ हुआ।

(कंडिका 3.15)

जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, विदिशा द्वारा पूर्व किश्त से किए गए कार्य का मूल्यांकन सुनिश्चित किए बिना, सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों में निर्माण कार्य के लिए अनुवर्ती किश्तें जारी की गई जिसके फलस्वरूप निर्माण एजेंसियों द्वारा ₹ 1.59 करोड़ अनियमित प्रतिधारित रखे गए।

(कंडिका 3.16)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मध्य प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, भोपाल द्वारा एक ही प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को राशि ₹ 2.25 लाख का कपटपूर्ण दोहरा भुगतान किया गया।

(कंडिका 3.17)

शासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय, होशंगाबाद ने नवीन बालिका छात्रावास के निर्माण पर राशि ₹ 92.42 लाख का औचित्यरहित व्यय किया जबकि अप्रैल 2008 में राशि ₹ 91.74 लाख की लागत से निर्मित 50 सीटर बालिका छात्रावास निर्माण पूरा होने के बाद से खाली था।

(कंडिका 3.18)

मुख्य घटक के कार्यों में असामान्य निष्पादन विलम्ब के कारण, परियोजना “सागर झील के प्रदूषण के उपशमन और पर्यावरणीय सुधार” छोड़ दी गई थी और राशि ₹ 7.70 करोड़ नौ से अधिक वर्षों के लिए अवरुद्ध बनी रही।

(कंडिका 3.21)

अध्याय—I

प्रस्तावना

अध्याय—I : प्रस्तावना

1.1 बजट रूपरेखा

राज्य में सचिवालय स्तर पर 54 विभाग हैं जिनके प्रमुख अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव होते हैं, उनकी सहायता उनके अधीन आयुक्तों/संचालकों एवं अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की जाती है। इनमें से 35 सरकारी विभागों एवं इन विभागों के अधीन आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हैं। इन विभागों को लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल किया गया था एवं मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों को इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमान एवं इसके विरुद्ध वास्तविक आंकड़ों की स्थिति तालिका-1.1 में दी गई है।

तालिका-1.1: वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान राज्य सरकार के बजट एवं व्यय

विवरण	2011–12		2012–13		2013–14		2014–15		2015–16		(₹ करोड़ में)
	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	
राजस्व व्यय											
सामान्य सेवाएं	18,220.45	16,228.64	20,577.43	17,705.14	22,295.27	20,590.93	24,243.56	22,365.11	32,626.15	25,700.26	
सामाजिक सेवाएं	20,277.33	20,296.94	24,992.18	24,375.47	30,100.70	27,768.21	42,092.49	32,067.15	43,217.07	42,650.93	
आर्थिक सेवाएं	12,208.06	12,964.91	14,251.77	16,823.35	17,465.48	16,971.33	27,796.22	23,715.12	27,180.85	25,528.52	
सहायतानुदान एवं अंशदान	3,217.65	3,203.22	3,722.12	4,064.57	4527.20	4,539.29	4,881.55	4,225.44	5,810.85	5,890.99	
योग(1)	53,923.49	52,693.71	63,543.50	62,968.53	74,388.65	69,869.76	99,013.82	82,372.82	1,08,834.92	99,770.70	
पूंजीगत व्यय											
पूंजीगत परिव्यय	8,721.93	9,055.16	10,820.22	11,566.89	11,113.61	10,812.52	14,143.36	11,877.68	18,139.56	16,835.47	
संवितरित कर्ज एवं अग्रिम	3,200.21	15,760.56	5,667.26	5,378.25	6,444.60	5,077.52	3,883.82	12,534.61	4,224.58	3,157.91	
अंतर्राजीय परिशोधन	--	3.70	--	7.02	--	2.36	--	0.98	--	1.94	
लोक ऋण का पुनर्जुटान*	6,800.10	3,149.79	7,482.72	3,583.94	8,017.43	4,004.65	9,177.00	4,920.52	8,773.17	4,860.36	
आकर्षिकता निधि	100.00	100.00	200.00	--	200.00	--	200.00	301.08	500.00	-	
लोक लेखे संवितरण	1,53,133.63	73,279.04	2,24,574.20	82,735.57	31,3354.87	93,063.99	2,85,344.25	1,08,165.30	2,15,110.50	1,28,336.75	
अन्तिम रोकड़ शेष	-78.79	7,775.88	-107.22	7,074.81	-123.16	4,477.03	-76.82	5,401.96	-513.02	10,898.72	
योग (2)	1,71,877.08	1,09,124.13	2,48,637.18	1,10,346.48	339007.35	117438.07	312671.61	143202.13	2,46,234.79	1,64,091.15	
महायोग (1+2)	2,25,800.57	1,61,817.84	3,12,180.68	1,73,315.01	413396.00	187307.83	411685.43	225574.95	3,55,069.71	2,63,861.85	

* अर्थात् पाय अग्रिम एवं अधिविकर्षण के अंतर्गत निवल लेन—देनों को छोड़कर
(स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज)

1.2 राज्य शासन के संसाधनों का अनुप्रयोग

वर्ष 2014–15 के दौरान, ₹ 1,06,787 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य का कुल व्यय (राजस्व, पूंजीगत तथा कर्ज एवं अग्रिम) ₹ 1,19,766 करोड़ था। विगत वर्ष के राजस्व व्यय (₹ 82,373 करोड़) की तुलना में वर्ष के दौरान राजस्व व्यय (₹ 99,771 करोड़) में 21.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय कुल व्यय का 83.30 प्रतिशत था। वर्ष 2015–16 के दौरान पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 41.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयोजनेतर राजस्व व्यय, राजस्व व्यय का 68.48 प्रतिशत था एवं इसमें विगत वर्ष की तुलना में 22.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान राज्य के कुल व्यय में 11 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से वृद्धि हुई जबकि राजस्व प्राप्तियों में 2011–12 से 2015–16 के दौरान 14 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ोत्तरी हुई।

1.3 सतत बचतें

12 प्रकरणों में विगत पाँच वर्षों 2011–12 से 2015–16 के दौरान, प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक की सतत बचतें हुई थीं जिसे तालिका—1.2 में दर्शाया गया है।

तालिका—1.2: अनुदानों / विनियोगों जिनके अंतर्गत वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान सतत बचतें हुईं

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान/विनियोग संख्या एवं नाम	बचतों की राशि (कुल अनुदान का प्रतिशत कोष्ठकों में)				
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
राजस्व—दत्तमत						
1	16—मत्स्यपालन	13.04 (21.53)	12.25 (21.43)	17.77 (26.78)	26.88 (36.16)	19.11 (27.19)
मुख्य शीर्ष 2405—मत्स्यपालन के अंतर्गत हुई बचत						
2	31—योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी	386.39 (84.12)	211.54 (75.54)	121.62 (50.42)	195.23 (73.02)	81.14 (54.35)
मुख्य शीर्ष 3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएं एवं 3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी के अंतर्गत हुई बचतें						
3	38—आयुष	76.08 (30.99)	136.12 (39.55)	169.39 (44.55)	234.29 (50.87)	117.29 (28.63)
मुख्य शीर्ष 2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत हुई बचत						
4	40-जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय—कमांड क्षेत्र विकास	109.64 (97.52)	2.67 (51.84)	3.82 (50.73)	6.22 (51.53)	6.24 (53.70)
मुख्य शीर्ष 2705—कमांड क्षेत्र विकास के अंतर्गत हुई बचत						
5	61—बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	70.36 (47.28)	107.00 (67.10)	180.56 (90.28)	113.16 (78.82)	15.86 (27.66)
मुख्य शीर्ष 2405—मत्स्यपालन एवं 2515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत हुई बचतें						
राजस्व—प्रभारित						
6	06-वित्त	14.23 (96.28)	12.93 (52.18)	13.24 (89.64)	12.40 (83.90)	15.53 (89.87)
मुख्य शीर्ष 2071—पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्त हितलाभ के अंतर्गत हुई बचत						
पूंजीगत—दत्तमत						
7	06- वित्त	1,501.78 (92.80)	1,374.53 (95.53)	234.74 (81.98)	141.27 (30.01)	137.26 (75.81)
मुख्य शीर्ष 4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय एवं 6075—विविध सामान्य सेवाओं हेतु कर्ज के अंतर्गत हुई बचतें						
8	27-स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)	1.12 (25.00)	13.06 (49.73)	34.85 (71.41)	24.97 (21.44)	129.46 (34.92)
मुख्य शीर्ष 4202—शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर अन्य पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत हुई बचत						
9	58-प्राकृतिक आपदा एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2.50 (85.62)	2.50 (76.69)	2.50 (100)	2.50 (100)	3.00 (100)
मुख्य शीर्ष 6245—प्राकृतिक आपदा के लिए राहत हेतु कर्ज के अंतर्गत हुई बचत						
10	61—बुंदेलखण्ड पैकेज संबंधित व्यय	258.29 (41.71)	249.71 (35.44)	211.00 (51.63)	120.56 (32.65)	62.41 (22.00)
मुख्य शीर्ष 4401—फसल कृषिकर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702—निम्न सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय एवं 4705 कमांड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत हुई बचतें						

11	67-लोक निर्माण-भवन	41.39 (38.11)	45.79 (32.98)	91.29 (49.98)	75.72 (40.33)	68.62 (28.48)
मुख्य शीर्ष 4059-लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय, 4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय एवं 4853-अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत हुई बचतें						
12	लोक ऋण	3,650.31 (53.68)	3,903.17 (52.13)	4,018.05 (50.08)	4,256.48 (46.38)	3,912.80 (44.60)
मुख्य शीर्ष 6003-राज्य सरकार के आंतरिक ऋण एवं 6004- केन्द्र सरकार से कर्ज एवं अप्रिम के अंतर्गत हुई बचतें						

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

1.4 निधियों का राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे अंतरण

वर्ष 2015-16 के दौरान भारत सरकार ने विभिन्न राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे ₹ 1,239.68 करोड़ अंतरित किये। चूंकि ये निधियाँ राज्य बजट/राज्य कोषालयों से नहीं होकर गुजरती हैं अतः ये निधियाँ सरकार के लेखों में परिलक्षित नहीं होती हैं।

1.5 भारत सरकार से सहायतानुदान

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान तालिका-1.3 में दिये गये हैं।

तालिका-1.3: भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
आयोजनेत्तर अनुदान	2,114	333	3,540	4,425	3,990
राज्य आयोजना योजना के लिए अनुदान	4,215	7,099	5,536	9,011	13,371
केन्द्रीय आयोजना योजना के लिए अनुदान	364	500	153	1,263	359
केन्द्र प्रवर्तित योजना के लिए अनुदान	3,236	4,108	2,548	2,893	610
विशेष आयोजना योजना के लिए अनुदान	--	--	--	--	--
योग	9,929	12,040	11,777	17,592	18,330
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि (+)/ कमी (-) का प्रतिशत	9.39	21.26	(-) 2.18	49.38	4.19
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल अनुदान	15.86	17.10	15.55	19.85	17.37

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.6 लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, योजनाओं/परियोजनाओं इत्यादि की गतिविधियों की विवेचनात्मकता/जटिलता, सौंपी गयी वित्तीय शक्तियों के स्तर, आंतरिक नियंत्रण, हितधारकों के सरोकार एवं विगत लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विचार करते हुए जोखिम के आंकलन के साथ प्रारम्भ होती है। इस जोखिम आंकलन के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा सीमा का निर्णय किया जाता है एवं वार्षिक लेखापरीक्षा आयोजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा पूर्ण होने के पश्चात लेखापरीक्षा निष्कर्षों वाले निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रमुख को एक माह में उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किए जाते हैं। जैसे ही उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निराकरण हो जाता है अथवा अनुपालन के लिए आगे की कार्यवाही का परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में उल्लेखित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को भारत के

नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाविष्ट करने के लिए संसाधित किया जाता है जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

वर्ष 2015–16 के दौरान कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा राज्य के 1019 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों एवं 92 स्वायत्त निकायों (स्थानीय निकायों को छोड़कर) की अनुपालन लेखापरीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, तीन निष्पादन लेखापरीक्षा, तीन अनुपालन लेखापरीक्षा एवं एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा भी की गई।

1.7 निरीक्षण प्रतिवेदनों पर शासन की उत्तरदायित्वता का अभाव

महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्य प्रदेश, लेन देनों की नमूना जाँच द्वारा शासकीय विभागों का आवधिक निरीक्षण एवं निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार महत्वपूर्ण लेखाकरण एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन करता है। इन निरीक्षणों के पश्चात लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए जाते हैं। जब लेखापरीक्षा निरीक्षण के दौरान पता लगी, महत्वपूर्ण अनियमितताओं का मौके पर निराकरण नहीं होता है, इन निरीक्षण प्रतिवेदनों को निरीक्षण किए गये कार्यालय के प्रमुख को, एक प्रति उससे उच्च अधिकारियों को प्रेषित करते हुए भेजी जाती है।

कार्यालय प्रमुखों एवं उससे उच्च अधिकारियों के लिए आवश्यक है कि वे निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर अपना अनुपालन महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्य प्रदेश को प्रेषित करें। कार्यालय महालेखाकार, मध्य प्रदेश द्वारा गंभीर अनियमितताओं को नियमित रूप से विभागाध्यक्ष की जानकारी में भी लाया जाता है।

हमने देखा कि 30 सितम्बर 2016 की स्थिति में मार्च 2016 तक जारी किए गए सामाजिक क्षेत्र विभागों से संबंधित 7,378 निरीक्षण प्रतिवेदन (23,555 कंडिकाएं) एवं सामान्य क्षेत्र विभागों से संबंधित 1,662 निरीक्षण प्रतिवेदन (4,619 कंडिकाएं) निराकरण हेतु लंबित थे। इन बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की वर्षवार स्थिति का विवरण **परिशिष्ट-1.1** में दिया गया है।

वर्ष 2015–16 के दौरान, विभागीय लेखापरीक्षा समिति की छ: बैठकें हुई जिनमें 140 निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं 893 कंडिकाओं का निराकरण किया गया था।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर त्वरित एवं उपयुक्त प्रतिक्रिया सुनिश्चित किये जाने हेतु ध्यान दे।

1.8 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर शासन की प्रतिक्रिया

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन में और चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता पर अनेक महत्वपूर्ण कमियों को प्रतिवेदित किया है जिनका कार्यक्रमों की सफलता और विभागों की कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं की लेखापरीक्षा एवं कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु उपयुक्त अनुशंसाएं देने तथा नागरिकों को सेवा देने में सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया था।

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा एवं लेखा पर विनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार, भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं पर विभागों को उत्तर छ: सप्ताह में भेजना आवश्यक होता है। यह उनके ध्यान में लाया गया था कि भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में, जो कि मध्य प्रदेश विधान सभा में प्रस्तुत की जाएगी, इन कंडिकाओं के सम्मिलित किए जाने

की संभावना के मद्देनजर प्रकरण में उनकी टिप्पणियों को सम्मिलित करना वांछनीय होगा। उन्हें महालेखाकार के साथ निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रारूप प्रतिवेदन पर बैठक करने की भी सलाह दी गई थी। प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित इन प्रारूप प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं को संबंधित अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों को उनके उत्तर प्राप्त करने हेतु अग्रेषित किया गया था। वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए, सात निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा/अनुवर्ती लेखापरीक्षा एवं 18 प्रारूप कंडिकाओं को संबंधित प्रशासनिक सचिवों को अग्रेषित किया गया था। सभी सात निष्पादन लेखापरीक्षाओं/अनुपालन लेखापरीक्षा/अनुवर्ती लेखापरीक्षा एवं 13 कंडिकाओं पर शासन के उत्तर प्राप्त हो चुके हैं।

1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति की आंतरिक कार्रवाई के लिए प्रक्रिया के नियमानुसार प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर स्वतः कार्रवाई प्रारंभ करनी थी चाहे इनकी लोक लेखा समिति द्वारा जाँच की गयी हो या नहीं। उन्हें राज्य विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति के तीन माह के भीतर उनके द्वारा की गई कार्रवाईयां/प्रस्तावित की गई कार्रवाई को दर्शाते हुए लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षित विस्तृत टिप्पणियां प्रस्तुत करनी थीं।

वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सामान्य एवं सामाजिक (गैर–सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) क्षेत्र से संबंधित कुल 44 कंडिकाओं में से 30 कंडिकाओं के संबंध में विभागीय उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2016) जिसका विवरण तालिका-1.4 में दिया गया है।

तालिका-1.4: सामान्य एवं सामाजिक (गैर–सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) क्षेत्र के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाओं पर प्राप्त विभागीय उत्तरों की स्थिति

वर्ष	विभाग	31 दिसम्बर 2016 की स्थिति लम्बित विभागीय उत्तर	राज्य विधानसभा में प्रस्तुति का दिनांक	विभागीय उत्तर प्राप्त होने का निर्धारित दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013-14	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	01	22-07-2015	22-10-2015
	महिला एवं बाल विकास विभाग, आदिवासी विकास एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग	01		
	महिला एवं बाल विकास विभाग	01		
	नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग	01		
2014-15	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	03	17-03-2016	17-06-2016
	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	04		
	उच्च शिक्षा विभाग	03		
	सामाजिक न्याय विभाग	01		
	अनुसूचित जाति कल्याण एवं आदिम जाति कल्याण विभाग	04		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	लोक सेवा प्रबंधन विभाग	01		
	जेल विभाग	01		
	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	01		
	स्कूल शिक्षा विभाग	03		
	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	01		
	गृह विभाग	02		
	महिला एवं बाल विकास विभाग	01		
	आयुष विभाग	01		
	योग	30		

1.10 राज्य विधान सभा में स्वायत्तशासी निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को रखे जाने की स्थिति

राज्य सरकार द्वारा कई स्वायत्तशासी निकायों की स्थापना की गई है। राज्य में सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र से संबंधित चार स्वायत्तशासी निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी है। इन निकायों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा उनके लेन देनों के सत्यापन, प्रचालन गतिविधियों एवं लेखों, नियामक अनुपालन लेखापरीक्षा, आंतरिक प्रबंधन की समीक्षा, वित्तीय नियंत्रण एवं प्रक्रिया तथा प्रणाली की समीक्षा इत्यादि के लिए की जाती है। लेखापरीक्षा सौंपे जाने की स्थिति, लेखापरीक्षा को लेखे प्रस्तुत करने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने तथा विधानसभा में उनकी प्रस्तुति तालिका—1.5 में दर्शायी गई है।

तालिका—1.5: स्वायत्त निकायों के लेखे को प्रस्तुत करने की स्थिति

संक्र.	निकाय का नाम	सौंपने अवधि की	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए थे	अवधि जब तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए थे	विधानसभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति	प्रस्तुतीकरण में विलंब ¹ / लेखों का प्रस्तुत न किया जाना (माह में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	म.प्र. मानव अधिकार आयोग, भोपाल	संसद के अधिनियम के अनुसार	2014–15	2013–14	2013–14	2014–15 (08 माह) 2015–16 (03 माह)
2	म.प्र. भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा गया	2011–12	2011–12	वर्ष 2011–12 के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए थे। राज्य विधान सभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति के बारे में जानकारी प्रतीक्षित।	2011–12 (23 माह)

1. विलंब की अवधि लेखाओं की प्राप्ति की निर्धारित दिनांक अर्थात् आगामी वित्तीय वर्ष की 30 जून से 30 जून 2016 तक ली गयी है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर	संसद के अधिनियम के अनुसार	2012–13	—	—	1997–98 (205 माह) से 2012–13 (25 माह)
4	म.प्र. आवास एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड, भोपाल	2012–13 से 2016–17 तक	2015–16	2014–15	25.07.2016	2014–15 (04 माह)

जैसा कि **तालिका- 1.5** से देखा गया, कि मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लेखे प्रस्तुत करने में 205 माह तक का अत्यधिक विलम्ब हुआ था एवं वर्ष 1997–98 से 2012–13 तक के लेखे इकाई से अगस्त 2015 में प्राप्त किये गये थे।

राज्य विधान सभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं लेखों के प्रस्तुतीकरण में अस्वाभाविक विलम्ब के परिणामस्वरूप इन निकायों जिनमें सरकारी निवेश किया गया है, की कार्यप्रणाली की जाँच में देरी हुई, इसके साथ ही स्वायत्तशासी निकायों में वित्तीय अनियमितताओं पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ करने में विलम्ब हुआ।

अध्याय—II

निष्पादन लेखापरीक्षा

- 2.1 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन**
- 2.2 मध्य प्रदेश पुलिस बल का आधुनिकीकरण**
- 2.3 एकीकृत बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत पूरक पोषण कार्यक्रम पर निष्पादन लेखापरीक्षा**

अध्याय-II : निष्पादन लेखापरीक्षा

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

2.1 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यपालन सारांश

परिचय

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) को ग्रामीण आबादी विशेषकर कमजोर वर्गों को सुलभ, सस्ती एवं गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य शिशु मृत्यु मातृ मृत्यु तथा कुल प्रजनन दर को कम करना तथा संक्रामक एवं गैर संक्रामक रोगों से होने वाली रुग्णता तथा मृत्यु को रोकना एवं कम करना था। इस प्रक्रिया में एन.आर.एच.एम. को सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (एम.डी.जी.) 2015 के अंतर्गत अपेक्षित निर्धारित लक्ष्य शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) को 27/1,000 जीवित जन्म तथा मातृ मृत्यु दर (एम.एम.आर.) को 109/1,00,000 तक कम करने में सहायक होना था।

कार्यक्रम के लिए संसाधन का विभाजन केंद्र तथा राज्य शासन के मध्य किया गया था। वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत कार्यक्रम अनुमोदित परिव्यय में प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य (आर.सी.एच.), टीकाकरण, तथा एन.आर.एच.एम. मिशन फ्लैक्सी पूल के लिए अनुमोदित परिव्यय ₹ 6,247.01 करोड़ के विरुद्ध ₹ 5,588.76 करोड़ का व्यय किया गया था। राज्य में प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए एन.आर.एच.एम. के प्रभाव के आकलन वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि की निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित दृष्टिगोचर हुआ:

जनसांख्यकीय लक्ष्यों की प्राप्ति में एन.आर.एच.एम की उपलब्धि

- राज्य आई.एम.आर., एम.एम.आर. तथा टी.एफ.आर. (कुल प्रजनन दर) के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका तथा अन्य राज्यों की उपलब्धियों से बहुत पीछे था। एम.डी.जी. के अंतर्गत शिशु मृत्यु दर 27 प्रति हजार जीवित जन्म के लक्ष्य के विरुद्ध राज्य में 51 प्रति हजार जीवित जन्म थी। आई.एम.आर. के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का स्थान 28 राज्यों में 27वें स्थान पर था। इसी प्रकार मातृ मृत्यु दर के एम.डी.जी. लक्ष्य 109 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म के विरुद्ध राज्य, 221 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म की उपलब्धि प्राप्त कर सका था। एम.एम.आर. में, 18 राज्यों में मध्य प्रदेश 13वें स्थान पर था।
- वर्ष 2012 से टी.एफ.आर. में सुधार हुआ है जैसा कि यह 2.9 (मार्च 2012) से 2.3 (मार्च 2016) कम हुआ है। हालांकि, राज्य एन.आर.एच.एम के कार्यान्वयन की रूपरेखा (2012–17) के अनुसार टी.एफ.आर. 2.1 तक करने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका था। मातृ, शिशु एवं प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की प्रदायगी में कमी के परिणामस्वरूप राज्य आई.एम.आर., एम.एम.आर. तथा टी.एफ.आर. के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं रहा।

(कंडिका 2.1.6)

मातृ, शिशु एवं प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की स्थिति

- वर्ष 2011–16 में प्रसवपूर्व जाँच (ए.एन.सी.) के लिए पंजीकृत कुल महिलाएं 93.72 लाख में से केवल 52.51 लाख (56 प्रतिशत) ही गर्भावस्था की प्रथम तिमाही में पंजीकृत हो सकी थीं तथा 19.44 लाख (21 प्रतिशत) पूरे गर्भकाल में तीन ए.एन.सी. प्राप्त नहीं कर सकी थीं। गर्भवती महिलाओं में से 47.27 लाख की एच.आई.वी. जाँच तथा 60.34 लाख की वी.डी.आर.एल जाँच नहीं की गई थी।

(कांडिका 2.1.7.1)

- राज्य में वर्ष 2011–16 की अवधि में कुल प्रसव में से 87 प्रतिशत संस्थागत प्रसव हुआ था। अधिकांश प्रसव संबंधी जटिलताएं तथा मातृ मृत्यु, प्रसव के दौरान तथा बच्चे के जन्म के प्रथम 48 घंटे के दौरान होती है, को दृष्टिगत रखते हुए संस्थागत प्रसव के प्रकरण में स्वास्थ्य केंद्रों पर 48 घंटे तक रुकने को प्रोत्साहन देना था। हालांकि, वर्ष 2011–16 की अवधि में शासकीय संस्थानों में हुए प्रसव के मामलों में 28 प्रतिशत महिलाओं को प्रसव के 48 घंटे के अंदर छुट्टी कर दी गई थी। आगे, केवल 35.21 लाख (55 प्रतिशत) महिलाएं प्रसव के 48 घंटे से 14 दिनों के अंदर सेवा प्रदाताओं (स्टॉफ नर्स, सहायक सुश्रूषा परिचारिका (ए.एन.एम.)) के उपेक्षापूर्ण व्यवहार, रेफरल परिवहन की कमी के कारण प्रसवोपरांत जाँच प्राप्त कर सकी थी।

(कांडिका 2.1.7.2)

- वर्ष 2011–16 की अवधि में कुल पंजीकृत ए.एन.सी. (93.72 लाख) तथा कुल प्रसव (69.83 लाख) में 23.89 लाख का बहुद अंतर था। लापता प्रसव के प्रकरणों का प्रभाव विषम जन्म लिंग अनुपात 52:48 पर हो सकता है।

(कांडिका 2.1.7.4)

- वर्ष 2011–16 की अवधि में बच्चों के टीकाकरण के अंतर्गत सात रोग निवारण टीकों के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका था तथा उपलब्धि में 16 से 21 प्रतिशत तक की कमी थी। इसके अलावा, 'हेपेटाइटिस-बी जीरो' खुराक नवजात को जन्म से 48 घंटे तक दी जानी थी। हालांकि, 'हेपेटाइटिस-बी जीरो' खुराक स्वास्थ्य केंद्रों पर भंडारण सुविधा की अनुपलब्धता के कारण 69.25 लाख जीवित जन्म में से, केवल 39.30 लाख (57 प्रतिशत) नवजातों को ही दी जा सकी थी, इसके अतिरिक्त गृह प्रसव के प्रकरणों में खुराक देने में असफलता रही थी।

(कांडिका 2.1.8.2)

- भारत में आठ प्रतिशत मातृ मृत्यु असुरक्षित गर्भपात के कारण होती हैं। हालांकि, 25 उप जिला अस्पताल (63 में से), 136 सी.एच.सी. (334 में से) तथा 380 पी.एच.सी. (531 24x7 पी.एच.सी. में से) में एम.टी.पी. सेवाएं प्रदाय नहीं की जा रही थीं।

(कांडिका 2.1.9.1)

- परिवार नियोजन कार्यक्रम में निम्न प्रदर्शन के कारण टी.एफ.आर. को कम नहीं किया जा सका। वर्ष 2011–16 के दौरान निर्धारित लक्ष्य 3.03 लाख के विरुद्ध केवल 0.83 लाख (27 प्रतिशत) पुरुष नसबंदी ही हो सकी थी। महिला नसबंदी के अंतर्गत मिनीलैप तथा प्रसवोपरांत नसबंदी के लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धि क्रमशः 43 एवं 22 प्रतिशत थी। गर्भनिरोधक गोली तथा कंडोम वितरण में क्रमशः 42 प्रतिशत एवं 49 प्रतिशत की कमी थी।

(कांडिका 2.1.9.2)

आयोजना एवं वित्तीय प्रबंधन

- जिला स्वास्थ्य कार्य योजना (डी.एच.ए.पी.) ब्लॉक स्वास्थ्य कार्य योजना (बी.एच.ए.पी.) को सम्मिलित कर तैयार नहीं की गई थीं। वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पी.आई.पी.) एवं डी.एच.ए.पी. में अन्य विभागों के साथ अंतर क्षेत्रीय अभिसरण को शामिल नहीं किया गया। आगे, वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान राज्य पी.आई.पी. भारत सरकार को 69 से 196 दिनों के विलंब से प्रस्तुत की गई थी। फलस्वरूप, भारत सरकार से पी.आई.पी. का अनुमोदन 72 से 233 दिनों के विलंब से प्राप्त हुआ।

(कंडिका^ए 2.1.10.1, 2.1.10.2 एवं 2.1.10.3)

- वर्ष 2011–16 के दौरान, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पी.आई.पी. ₹ 6,247.01 करोड़ के विरुद्ध राज्य को एन.आर.एच.एम. के कार्यान्वयन के लिए केवल ₹ 5,269.70 करोड़ उपलब्ध कराया गया था। अतः राज्य के स्वास्थ्य संकेतकों में निराशाजनक प्रदर्शनों के बावजूद योजना के कार्यान्वयन के लिए शासन ने पर्याप्त निधि सुनिश्चित नहीं की।

(कंडिका 2.1.10.4)

ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों की कमी

- राज्य पर्याप्त ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को बनाने में पूरी तरह असफल था। एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत जनसंख्या मानदंड के विरुद्ध 2,588 उप स्वास्थ्य केंद्र (22 प्रतिशत), 828 पी.एच.सी. (41 प्रतिशत) तथा 153 सी.एच.सी. (31 प्रतिशत) की कमी थी। राज्य के कुल 9,192 में से 241 एस.सी. ही प्रसव सुविधा प्रदाय कर रहे थे। पी.एच.सी. को 24x7 में उन्नयित करना, एन.आर.एच.एम. के उद्देश्यों में से एक था। हालांकि, 1,172 में से 638 पी.एच.सी. ही 24x7 के रूप में क्रियाशील थे। राज्य में 334 सी.एच.सी. में से केवल 30 सी.एच.सी. ही प्रथम रेफरल इकाई (एफ.आर.यू.) के रूप में सेवा प्रदाय कर रहे थे। लेखापरीक्षा ने अधोसंरचना के संदर्भ में वार्ड, लेबर रूम, ऑपरेशन थियेटर, बिजली आपूर्ति तथा शौचालयों इत्यादि की कमियों को पाया।

(कंडिका 2.1.11)

स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की कमी

- अप्रैल 2016 की स्थिति में राज्य में कुल 1,172 पी.एच.सी. में से, 503 पी.एच.सी. बिना चिकित्सकों के क्रियाशील थी। आगे, प्रयोगशाला तकनीशियन तथा फार्मासिस्ट क्रमशः 525 एवं 312 पी.एच.सी. पर पदस्थ नहीं थे। चयनित जिलों की 96 सी.एच.सी. में स्वीकृत 346 विशेषज्ञों में से केवल 13 विशेषज्ञ ही उपलब्ध थे। आगे, राज्य में अप्रैल 2016 की स्थिति में आवश्यक 62,206 अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) के विरुद्ध 58,730 आशा ही नियुक्त थीं।

(कंडिका 2.1.12)

आवश्यक औषधि एवं प्रयोगशाला सेवाओं की उपलब्धता

- मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सेवा गारंटी योजना के अंतर्गत शासन सभी प्रकार के स्वास्थ्य केंद्रों पर न्यूनतम आवश्यक औषधि तथा जाँच सेवाएं प्रदाय करने के लिए संकल्पित था। हालांकि, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सेवा गारंटी योजना में सूचीबद्ध सभी औषधियां एवं वर्गीकृत सभी जाँच सेवाएं नमूना परीक्षित किसी भी स्वास्थ्य केंद्रों में नहीं थीं।

(कंडिका^ए 2.1.13 एवं 2.1.15)

गुणवत्ता आश्वासन

- राज्य गुणवत्ता आश्वासन समिति तथा जिला गुणवत्ता आश्वासन समिति की बैठकें निर्धारित अंतराल पर नहीं की गई। नमूना परीक्षित 13 जिला अस्पतालों (डी.एच.) में से 10 में रोगी संतुष्टि सर्वेक्षण नहीं कराया गया था। गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम सी.एच.सी. तथा पी.एच.सी. स्तर पर कार्यान्वित नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.1.18)

आंकड़ों का संग्रहण, प्रबंधन एवं प्रतिवेदन

- निजी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रदाय की गई ए.एन.सी., शिशु देखभाल तथा टीकाकरण सेवाओं संबंधी आंकड़ों के संग्रहण में कमी थी। आगे, निजी स्वास्थ्य संस्थानों में तथा घर पर कराए गए प्रसवों के संपूर्ण आंकड़े स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एच.एम.आई.एस.) में दर्शित नहीं होते थे।

(कंडिका 2.1.20)

2.1.1 प्रस्तावना

2.1.1.1 पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) ग्रामीण आबादी को सुलभ, सस्ती एवं गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश सहित 18 राज्यों जहां लोक स्वास्थ्य संकेतक तथा/या अधोसंरचना कमजोर थी पर विशेष ध्यान केंद्रित था। इसका उद्देश्य शिशु मृत्यु, मातृ मृत्यु तथा कुल प्रजनन दर¹ (टी.एफ.आर.) को कम कर जनसंख्या के स्थिरीकरण एवं संक्रामक तथा गैर संक्रामक रोगों से होनी वाली रुग्णता तथा मृत्यु को रोकना एवं कम करना था। एन.आर.एच.एम. के कार्यान्वयन के अपेक्षित परिणाम परिशिष्ट-2.1.1 में दर्शाए गए हैं। इस प्रक्रिया में एन.आर.एच.एम. को सहस्राब्दि विकास लक्ष्य 2015 के अंतर्गत अपेक्षित निर्धारित लक्ष्य शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) को 27 / 1,000 जीवित जन्म तक तथा मातृ मृत्यु दर (एम.एम.आर.) को 109 / 1,00,000 जीवित जन्म तक कम करने में सहायक होना था।

2.1.1.2 संगठनात्मक संरचना


राज्य स्तर पर एन.आर.एच.एम. राज्य स्वास्थ्य मिशन (एस.एच.एम.) के समग्र मार्गदर्शन में कार्य करता है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। एन.आर.एच.एम. एक मिशन प्रणाली कार्यक्रम है जो राज्य स्वास्थ्य समिति (एस.एच.एस.) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जिला स्वास्थ्य समिति (डी.एच.एस.) होती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सी.एम.एच.ओ.) डी.एच.एस. के सचिव के रूप में कार्य करता है। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी (बी.एम.ओ.) ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा सुविधा, जिला अस्पतालों (डी.एच.), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सी.एच.सी.), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पी.एच.सी.) तथा उप स्वास्थ्य केंद्रों (एस.सी.) द्वारा स्थापित तंत्र के माध्यम से प्रदाय की जाती है। संबंधित विभिन्न एजेंसियों का विवरण चार्ट-2.1.1 में दिया गया है:

¹ किसी महिला के प्रजनन जीवन काल में होने वाले बच्चों की औसत संख्या को टी.एफ.आर के रूप में परिभाषित किया गया है।

चार्ट-2.1.1

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली विभिन्न एजेंसियां




* सहायक सुश्रूषा परिचारिका (ए.एन.एम.) उप स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है।

2.1.1.3 निधि का आवंटन तथा व्यय

एन.आर.एच.एम. विभिन्न कार्यक्रम की भिन्न-भिन्न बजटीय आवश्यकता के साथ एक वृक्षदार कार्यक्रम है। प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य (आर.सी.एच.), टीकाकरण कार्यक्रम तथा एन.आर.एच.एम. मिशन फ्लैक्सी पूल² जो मुख्यतः स्वास्थ्य संकेतक आई.एम.आर., एम.एम.आर तथा टी.एफ.आर से संबद्ध है, के विभिन्न घटकों के अनुमोदित परिव्यय एवं व्यय को चार्ट-2.1.2 में इंगित किया गया है। वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पी.आई.पी.) में आर.सी.एच., टीकाकरण, तथा एन.आर.एच.एम. मिशन फ्लैक्सी पूल के लिए अनुमोदित परिव्यय ₹ 6,247.01 करोड़ के विरुद्ध ₹ 5,588.76 करोड़ का व्यय किया गया था।

चार्ट-2.1.2

वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत आर.सी.एच., टीकाकरण, तथा एन.आर.एच.एम. मिशन फ्लैक्सी पूल के लिए अनुमोदित परिव्यय एवं व्यय



(स्रोत: राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रदायित जानकारी)

² कोई अतिरिक्त गतिविधियां, जो स्वास्थ्य प्रणाली के सुधार के लिए आवश्यक हैं पर किसी भी अन्य कार्यक्रम द्वारा वित्तपोषित नहीं हैं उसे इस पूल से वित्तपोषित किया जाता है।

2.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा उद्देश्य थे:

- एन.आर.एच.एम. का राज्य में प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार हेतु प्रभाव का निम्न के नमूना जाँच द्वारा आकलन करना:
 - भौतिक अधोसंरचना की उपलब्धता की स्थिति;
 - स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की उपलब्धता की स्थिति; एवं,
 - प्रदत्त स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता
- आंकड़ों का संग्रहण, प्रबंधन तथा प्रतिवेदन तंत्र का आकलन जो कि उपलब्धि के संकेतकों की प्रणाली के रूप में है।

2.1.3 निष्पादन लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र तथा कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा मार्च 2016 से जुलाई 2016 के मध्य की गई थी, जिसमें वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक की अवधि को समाविष्ट किया गया था। हालांकि एन.आर.एच.एम. व्यापक रूप से ग्रामीण उन्मुखी कार्यक्रम है। अतः राज्य के कुल 51 जिलों में से 43 जिलों (ग्रामीण आबादी के आधिक्य वाले) को स्वास्थ्य सूचकांक³ में क्रम के आधार पर निम्न, मध्य तथा उच्च प्रदर्शन के रूप में तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है। चार निम्न प्रदर्शन वाले जिले (अनूपपुर, धार, डिंडोरी तथा टीकमगढ़), पांच मध्य प्रदर्शन वाले जिले (बैतूल, खंडवा, मंडला, पन्ना तथा रतलाम) तथा चार उच्च प्रदर्शन वाले जिले (खरगौन, नीमच, रायसेन तथा राजगढ़) को बिना बदले सामान्य यादृच्छिक नमूना पद्धति से (एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया था।

इन चयनित 13 जिलों के अंतर्गत 27 सी.एच.सी., 52 पी.एच.सी. तथा 149 एस.सी. (**परिशिष्ट-2.1.2**) का चयन एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर. पद्धति से किया गया था। राज्य स्वास्थ्य समिति तथा चयनित जिलों के जिला स्वास्थ्य समितियों, जिला अस्पतालों तथा चयनित सी.एच.सी./पी.एच.सी./एस.सी. के अभिलेखों की संवीक्षा की गई थी। चयनित एस.सी. के 1,386 जननी सुरक्षा योजना के हितग्राहियों तथा 416 अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता⁴ (आशा) से पूछे गए प्रश्नावली के उत्तर भी एकत्रित किए गए थे।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली पर चर्चा हेतु 11 मार्च 2016 को स्वास्थ्य आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ प्रारंभिक सम्मेलन आयोजित किया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा का प्रारूप प्रतिवेदन अगस्त 2016 में राज्य शासन को जारी किया गया था। राज्य शासन का उत्तर अक्टूबर 2016 में प्राप्त हुआ था। प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ 14 अक्टूबर 2016 में आयोजित निर्गम सम्मेलन में लेखापरीक्षा परिणामों पर चर्चा की गई थी। राज्य शासन के उत्तर तथा निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत अभिमत को प्रतिवेदन में उपयुक्त स्थान पर सम्मिलित किया गया है।

³ श्रेणियों का विभाजन चार स्वास्थ्य संकेतक के आधार पर किया गया था— अधोसंरचना, स्वास्थ्य अमला, स्वास्थ्य सेवाएं तथा डेटा रिपोर्टिंग।

⁴ आशा ग्रामीण स्तरों पर स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के लिए समुदाय तथा लोक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच कड़ी है, जो प्रोत्साहन राशि के आधार पर कार्य करती है।

2.1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड के निम्नलिखित स्रोत थे:

- एन.आर.एच.एम. के कार्यान्वयन की रूपरेखा (2005–12 एवं 2012–17);
- वित्तीय प्रबंधन हेतु एन.आर.एच.एम. परिचालन के दिशानिर्देश;
- भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक (आई.पी.एच.एस.) दिशानिर्देश (संशोधित 2012);
- लोक स्वास्थ्य केंद्रों में गुणवत्ता आश्वासन हेतु परिचालन मार्गदर्शिका 2013

2.1.5 योजना के कार्यान्वयन पर पूर्व लेखापरीक्षा निष्कर्ष

पूर्व में एन.आर.एच.एम. की निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2005–06 से 2008–09 की अवधि के लिए अप्रैल से नवम्बर 2009 के मध्य की गई थी तथा लेखापरीक्षा निष्कर्ष को 31 मार्च 2009 में समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) द्वारा राज्य विधान सभा को प्रतिवेदित (जुलाई 2010) किया गया था। मुख्य कमियों तथा लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) को शासन द्वारा प्रस्तुत उत्तरों को नीचे तालिका—2.1.1 में दर्शाया गया है:

तालिका—2.1.1: पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शित मुख्य कमियां तथा पी.ए.सी. को शासन द्वारा प्रस्तुत उत्तर

क्र. सं.	पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेखित कमियां	पी.ए.सी. को प्रस्तुत शासन का उत्तर
1.	ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों की कमियां	वित्तीय संसाधन की सीमितता के कारण आवश्यक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित नहीं हो पाए थे। हालांकि, स्थिति में सुधार हुआ है तथा शासन नए स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने लिए प्रतिबद्ध था।
2.	सी.एच.सी./पी.एच.सी./एस.सी. भवनों के निर्माण में विलंब	अपूर्ण निर्माणकार्य पूर्ण हो चुके थे तथा पूर्ण भवनों को अधिगृहित कर लिया गया था।
3.	24x7 तथा एफ.आर.यू. के रूप में घोषित क्रमशः पी.एच.सी. तथा सी.एच.सी. कार्यशील नहीं थे	एफ.आर.यू. एवं 24x7 स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति में सुधार हुआ था।
4.	नमूना परीक्षित सी.एच.सी. एवं पी.एच.सी. में मूलभूत अधोसंरचना एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी	चिकित्सा अधिकारियों एवं स्टॉफ नर्स की कमी के कारण अपेक्षित सेवाएं प्रदाय नहीं की जा सकी थी, हालांकि, सभी सी.एच.सी. में जाँच एवं ऑपरेशन थियेटर सेवाएं स्थापित कर दी गई थी तथा 53 सी.एच.सी. में रक्त संग्रहण इकाई भी स्थापित की गई थी।
5.	चिकित्सा एवं परा चिकित्सा स्टॉफ की व्यापक कमी	विशेषज्ञों तथा चिकित्सा अधिकारियों के पदों को भरने के लिए निरंतर प्रयास करने के बावजूद आवश्यक मानव संसाधन की पूर्ति नहीं की जा सकी। हालांकि पिछले पांच से छह वर्षों में मानव संसाधन की उपलब्धता में वृद्धि हुई है।
6.	चेतावनीपूर्ण उच्च प्रसवोपरांत मृत्यु	एम.एम.आर. के कारणों को चिह्नांकित किया गया था तथा राज्य एवं जिला स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे थे।
7.	आई.एम.आर. तथा टीकाकरण के अंतर्गत वैक्सीन रोकथाम रोगों के लक्ष्य प्राप्त करने में असफलता	सम्मिलित प्रयास एवं सघन निगरानी द्वारा राज्य से पोलियो का उन्मूलन कर दिया गया है। आगे, राज्य में स्वास्थ्य गारंटी योजना में शिशु के संपूर्ण टीकाकरण को शामिल किया गया है।
8.	निगरानी समितियां कार्यरत नहीं थीं	जिला तथा ब्लॉक स्तर पर गुणवत्ता आश्वासन समितियां गठित कर दी गई हैं।

एन.आर.एच.एम. के निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2011–12 से 2015–16 से परिलक्षित हुआ कि नियन्त्रक—महालेखापरीक्षक के पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाई गई अधिकांश कमियां यथावत थी, जिसकी चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.6 जनसांख्यिकीय लक्ष्यों की प्राप्ति

योजना के कार्यान्वयन में कमजोरियों के कारण राज्य आई.एम.आर., एम.एम.आर. तथा टी.एफ.आर. के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका।

मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य में सुधार तथा उनकी उत्तरजीविता के लक्ष्यों को प्राप्त करना राष्ट्रीय स्वास्थ्य उद्देश्यों का केंद्र बिंदु है। खराब मातृत्व स्वास्थ्य के परिणाम स्वरूप समय से पूर्व तथा कम वजन वाले शिशु का जन्म होता है। एन.आर.एच.एम का लक्ष्य शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.), मातृ मृत्यु दर (एम.एम.आर.), तथा कुल प्रजनन दर (टी.एफ.आर.) को कम करना था। इस प्रक्रिया में, एन.आर.एच.एम. सहसाब्दि विकास लक्ष्य (एम.डी.जी.) 2015 से संबंधित लक्ष्य की अपेक्षित प्राप्ति में सहायक था। इन कार्य संकेतकों के प्राप्ति की स्थिति तालिका—2.1.2 में दर्शाई गई है।

तालिका—2.1.2: आई.एम.आर., एम.एम.आर. तथा टी.एफ.आर. के लक्ष्य एवं प्राप्ति की स्थिति

कार्य संकेतक	एन.आर.एच.एम कार्यान्वयन की रूपरेखा (2005-12)		एन.आर.एच.एम. कार्यान्वयन की रूपरेखा (2012-17)		सहसाब्दि विकास लक्ष्य (2015)	
	लक्ष्य	2012 तक प्राप्ति	लक्ष्य	मार्च 2016 की समाप्ति तक स्थिति	लक्ष्य	मार्च 2016 की समाप्ति तक की प्राप्ति
आई.एम.आर. (शिशु मृत्यु दर)	30 प्रति 1,000 जीवित जन्म	56	25 प्रति 1,000 जीवित जन्म	51	27 प्रति 1,000 जीवित जन्म	51
एम.एम.आर. (मातृ मृत्यु दर)	100 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म	230	100 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म	221	109 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म	221
टी.एफ.आर. (कुल प्रजनन दर)	2.1 तक कम करना	2.9	2.1 तक कम करना	2.3	एम.डी.जी. के अंतर्गत टी.एफ.आर. के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।	

(स्रोत: राज्य स्वास्थ्य समिति)

वर्ष 2012 से आई.एम.आर., एम.एम.आर. तथा टी.एफ.आर. की स्थिति में सुधार हुआ था। हालांकि, एन.आर.एच.एम. के कार्यान्वयन की रूपरेखा तथा एम.डी.जी. के निर्धारित लक्ष्यों से राज्य की उपलब्धि अभी भी निकट नहीं थी। आगे, राज्य के औसत आई.एम.आर (51) तथा टी.एफ.आर. (2.3) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च आई.एम.आर (54) तथा टी.एफ.आर (2.5) था।

वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2012–13 के अनुसार, आई.एम.आर. की स्थिति इंदौर (37), ग्वालियर तथा भोपाल (48) में अच्छी थी जबकि

अन्य राज्यों के संदर्भ में मध्य प्रदेश में आई.एम.आर. तथा एम.एम.आर की स्थिति नीचे तालिका में इंगित की गई है।

तालिका 2.1.3: आई.एम.आर. तथा एम.एम.आर औसत का अन्य राज्यों तथा राष्ट्रीय स्तर से तुलनात्मक विवरण

आंकड़ों की तुलना	आई.एम.आर.	एम.एम.आर.
झारखण्ड	37	219
बिहार	42	219
पश्चिम बंगाल	31	117
महाराष्ट्र	24	87
कर्नाटक	12	66
मध्य प्रदेश	51	221
भारत	40	178


(स्रोत: nrhm.gov.in)

पन्ना (85), सतना (83), तथा गुना (75) में खराब थी। एम.एम.आर. इंदौर, धार एवं बड़वानी (164) में अच्छा था तथा उमरिया, शहडोल तथा डिंडोरी में (361) खराब था। टी.एफ.आर. की स्थिति भोपाल (2.0), ग्वालियर (2.1) तथा इंदौर (2.2) में अच्छी थी एवं पन्ना (4.1), शिवपुरी (4.0) तथा बड़वानी (3.9) में खराब थी।

वेब पोर्टल nrhm.gov.in पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश आई.एम.आर. में कुल 28 राज्यों में से 27वें स्थान पर, एम.एम.आर. में 18 राज्यों में से 13वें स्थान पर तथा टी.एफ.आर. में 19 राज्यों में से 17वें स्थान पर था। इस प्रकार, मध्य प्रदेश को आई.एम.आर., एम.एम.आर. एवं टी.एफ.आर. में सुधार हेतु लंबा रास्ता तय करना शेष है, यद्यपि पिछले वर्षों में इन संकेतकों में कुछ सुधार हुआ है।


राज्य में वर्ष 2011–16 के दौरान मातृ तथा नवजात/शिशु मृत्यु की स्थिति नीचे चार्ट-2.1.3 एवं 2.1.4 में दर्शायी गई है—

चार्ट 2.1.3: राज्य में मातृ मृत्यु



(स्रोत: राज्य स्वास्थ्य समिति, एच.एम.आई.एस⁵)

चार्ट 2.1.4: राज्य में नवजात एवं शिशु मृत्यु



इस प्रकार, वर्ष 2012–13 से 2015–16 के दौरान मातृ मृत्यु में वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई थी एवं वर्ष 2011–12 में प्रतिवेदित 815 मातृ मृत्यु की तुलना में वर्ष 2015–16 में 1,580 मृत्यु प्रतिवेदित की गई थी। इसी प्रकार, नवजात/शिशु मृत्यु में बढ़ती हुई प्रवृत्ति वर्ष 2013–14 से 2015–16 के दौरान प्रदर्शित हुई।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में प्रमुख सचिव ने बताया कि एम.एम.आर. में कमी लाना, राज्य शासन की प्राथमिकताओं में से एक है। मध्य प्रदेश में एम.एम.आर. में निरंतर कमी आ रही है जैसा कि विभिन्न सर्वेक्षण के आंकड़े से परिलक्षित हुआ है। राज्य में एम.एम.आर वर्ष 2010–12 में 230 था, जो कि अब 221 है।

यद्यपि, स्वास्थ्य संकेतकों (आई.एम.आर., एम.एम.आर. तथा टी.एफ.आर.) में वर्ष 2011–16 की अवधि में सुधार हुआ है, परंतु राज्य योजना के जनसांख्यिकीय लक्ष्यों से अभी बहुत पीछे था। राज्य में वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में मातृ, शिशु एवं नवजात मृत्यु में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। प्रतिवेदन की आगामी कंडिकाओं में लेखापरीक्षा में पाई गई ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण कमियों पर प्रकाश डाला गया है। जिन्हें एन.आर.एच.एम. के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विनिर्दिष्ट किया जाना आवश्यक है।

⁵ स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एच.एम.आई.एस.) एक वेब आधारित सभी स्तरों के स्वास्थ्य केंद्रों के लिए आंकड़ा प्रविष्टि प्रणाली है।

2.1.7 मातृ स्वास्थ्य सेवा

मातृ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने हेतु प्रसवपूर्व देखभाल, प्रसव देखभाल तथा प्रसवोपरांत देखभाल महत्वपूर्ण सेवाओं के रूप में सम्मिलित थी। मातृ रुग्णता को कम करने के लिए मातृ स्वास्थ्य सेवा पैकेज एन.आर.एच.एम. का महत्वपूर्ण घटक था तथा इसका उद्देश्य वर्ष 2017 तक मातृ मृत्यु दर को 100 / 1,00,000 जीवित जन्म तक कम करना है।

2.1.7.1 प्रसवपूर्व देखभाल (ए.एन.सी.)

आर.एम.एन.सी.एच.+ए⁶ के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रसवपूर्व देखभाल में महिला को औपचारिक स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़कर माता के बेहतर स्वास्थ्य तथा भ्रूण वृद्धि के विकास की निगरानी सुनिश्चित करता है। महिलाएं जो कि विलंब से प्रथम बार स्वास्थ्य सेवा केंद्र पर पहुंचती हैं, उनमें प्रसव के दौरान जटिलता की संभावना अधिक होती है। ए.एन.सी. पैकेज में दो खुराक टेटनस टॉक्साईड (टी.टी.) टीका एवं पर्याप्त मात्रा में आयरन फोलिक एसिड (आई.एफ.ए.) गोली या सिरप सम्मिलित है। वर्ष 2011–16 के दौरान ए.एन.सी. पंजीकरण एवं प्रदत्त सेवाओं की स्थिति तालिका—2.1.4 में दर्शाई गई है—

तालिका—2.1.4: ए.एन.सी. सेवाओं की स्थिति

वर्ष	ए.एन.सी. के लिए कुल पंजीकृत गर्भवती महिला (शासकीय एवं निजी संस्था)	प्रथम तिमाही में पंजीकृत (12 सप्ताह)	गर्भावस्था के दौरान प्राप्त तीन ए.एन.सी. देखभाल	वर्तमान गर्भावस्था के दौरान दी गई टी.टी.—1	वर्तमान गर्भावस्था के दौरान दी गई टी.टी.—2 या बूस्टर	गर्भवती महिला को दी गई 100 आई.एफ.ए. गोली
2011-12	1944683	960572	1488982	1448312	1621404	1656340
2012-13	1788353	931286	1410767	1362982	1483072	1655601
2013-14	1885518	1009274	1449706	1383017	1469956	1882222
2014-15	1900801	1166827	1533235	1459858	1510765	1926551
2015-16	1853051	1183408	1545268	1412285	1504292	1875522
योग	9372406	5251367 (56%)	7427958 (79%)	7066454 (75%)	7589489 (81%)	8996236 (96%)

(स्रोत: राज्य स्वास्थ्य समिति, एच.एम.आई.एस.)

गर्भवती महिलाओं को ए.एन.सी. एवं अन्य संबंधी सेवाएं प्रदाय करने में राज्य शासन असफल रहा

इस प्रकार, कुल 93.72 लाख गर्भवती पंजीकृत महिलाओं में से केवल 56 प्रतिशत ही गर्भावस्था की प्रथम तिमाही में पंजीकृत हो सकी थीं। आगे, 19.44 लाख (21 प्रतिशत) पूर्ण गर्भकाल में तीनों ए.एन.सी. जाँचें प्राप्त नहीं कर सकी। टी.टी. टीकाकरण में 17.83 लाख (19 प्रतिशत) की कमी थी। इसी प्रकार की प्रवृत्ति नमूना परीक्षित 13 जिलों में भी देखी गई थीं जिसे परिशिष्ट 2.1.3 में दर्शाया गया है।

गर्भावस्था के दौरान प्रथम तिमाही में कम पंजीयन तथा तीन ए.एन.सी. जाँच में कमी के संबंध में एस.एच.एस. ने सूचित किया (अप्रैल 2016) कि ग्रामीण स्तर पर ए.एन.सी. सेवाएं दूरस्थ गांवों में तथा शहरी झुगियों में आशा एवं ए.एन.एम. की क्षमता एवं जवाबदेही में कमी के कारण प्रदाय नहीं की जा सकी।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में गर्भावस्था के दौरान प्रथम तिमाही में पंजीयन तथा तीन ए.एन.सी. देखभाल चिंता का विषय था। हालांकि, माता एवं शिशु ट्रैकिंग प्रणाली (एम.सी.टी.एस.) के माध्यम से गर्भवती की खोज को प्राथमिकता देते हुए सेवा प्रदायकर्ता के कौशल में वृद्धि हेतु प्रयास किया जा रहा था।


- गर्भवती महिलाओं की एच.आई.वी. तथा एस.टी.आई. संक्रमण की जाँच

⁶ प्रजनन, मातृ नवजात, शिशु तथा किशोर स्वास्थ्य।

बच्चों में एच.आई.वी. संक्रमण का प्रमुख माध्यम माता से एच.आई.वी. का संचरण होना है। आर.एम.एन.सी.एच.+ए. के दिशानिर्देश के अनुसार सार्वभौमिक गोपनीय एच.आई.वी. जाँच प्रसवपूर्व देखभाल का अभिन्न अंग होना चाहिए था। यौन संचारित संक्रमण (एस.टी.आई.) तथा प्रजनन पथ संक्रमण (आर.टी.आई.) वृहद रूप से विपरीत गर्भावस्था परिणामों सहित गर्भपात, मृत जन्म, समय पूर्व प्रसव, जन्म के समय कम वजन, प्रसवोपरांत रक्तविषणता तथा जन्मजात संक्रमण के प्रमुख कारण होते हैं। एस.टी.आई./आर.टी.आई. प्रबंधन को प्रसव देखभाल से आवश्यक रूप से जोड़ा जाना चाहिए। ये सेवाएं सभी सी.एच.सी., प्रथम रेफरल यूनिट (एफ.आर.यू) तथा 24x7 पी.एच.सी. पर प्रदाय की जाती है।

वर्ष 2011–16 की अवधि में ए.एन.सी. हेतु पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की एच.आई.वी. तथा वी.डी.आर.एल.⁷ संक्रमण के जाँच की स्थिति को चार्ट-2.1.5 में इंगित किया गया है—

चार्ट-2.1.5: ए.एन.सी. पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की एच.आई.वी./वी.डी.आर.एल. जाँच की स्थिति



(स्रोत: राज्य स्वास्थ्य समिति, एच.एम.आई.एस.)

ए.एन.सी. के लिए पंजीकृत महिलाओं में से एच.आई.वी. एवं वी.डी.आर.एल. की क्रमशः 64 एवं 81 प्रतिशत प्रकरणों में जाँच नहीं हुई।

इस प्रकार, कुल 74.28 लाख तीनों ए.एन.सी. जाँच प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं में से 47.27 लाख (64 प्रतिशत) की एच.आई.वी. जाँच तथा 60.34 लाख (81 प्रतिशत) की वी.डी.आर.एल जाँच, संक्रमित माताओं के प्रकरणों में गर्भावस्था के दौरान होने वाले प्रतिकूल प्रभावों के प्रबंधन हेतु नहीं की गई है।

आगे, एच.आई.वी. से संबंधित कराई गई जाँच के आंकड़ों में भिन्नता थी। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एन.ए.सी.पी.) के अंतर्गत डी.एच. एवं सी.एच.सी. स्तर पर स्थापित एकीकृत परामर्श एवं जाँच केंद्र (आई.सी.टी.सी) पर एच.आई.वी. की जाँच उपलब्ध कराई जाती है। जैसा कि मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति (एम.पी.एस.ए.सी.एस) द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वर्ष 2011–12 से 2014–15 की अवधि में 16.69 लाख गर्भवती महिलाओं की एच.आई.वी. जाँच की गई थी। हालांकि, एस.एच.एस. द्वारा प्रस्तुत

⁷ यौन रोग शोध प्रयोगशाला।

एच.आई.एम.एस. के प्रतिवेदन में उक्त अवधि में 18.43 लाख गर्भवती महिलाओं की एच.आई.वी. जाँच प्रतिवेदित की गई थी। इस प्रकार, एच.एम.आई.एस. के प्रतिवेदन में एच.आई.वी. जाँचों की उपलब्धि अधिक प्रतिवेदत की गई थी।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव ने बताया कि ए.एन.सी. में एच.आई.वी./उपदंश जाँच में तेजी से वृद्धि हुई थी, फिर भी, अंतर बहुत अधिक था। अंतर को समाप्त करने के लिए 'प्वाइंट ऑफ केयर रैपिड टेस्टिंग किट' के लिए निविदा की प्रक्रिया प्रगति में थी। जिससे कि उन स्वास्थ्य संस्थाओं में जहां प्रयोगशाला तकनीशन उपलब्ध नहीं थे, वहां भी जाँच सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

अतः एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत प्रथम तिमाही में कम पंजीयन तथा गर्भकाल के दौरान प्रदाय की जा रही तीन ए.एन.सी. तथा टी.टी. टीकाकरण में व्यापक कमी तथा महत्वपूर्ण रूप से कम गर्भवती महिलाओं की एच.आई.वी. तथा एस.टी.आई. जाँच होने के कारण प्रसव के दौरान जटिलता के जोखिम को नकारा नहीं जा सकता।

2.1.7.2 प्रसव सेवा

एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत सुरक्षित मातृत्व के लिए जननी सुरक्षा योजना (जे.एस.वाई.) एक केंद्र प्रवर्तित योजना है। यह योजना अप्रैल 2005 में गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु को कम करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में संस्थागत एवं गृह प्रसव की स्थिति **परिशिष्ट-2.1.4** में दर्शाई गई है, जिससे निम्नलिखित परिलक्षित हुआ है:

- **संस्थागत प्रसव में कमी:** राज्य में वर्ष 2011–16 की अवधि में कुल 69.83 लाख प्रसवों में से 60.87 लाख (87 प्रतिशत) संस्थागत प्रसव हुए थे। जिसमें 55.38 लाख प्रसव शासकीय संस्थानों में तथा 5.49 लाख प्रसव निजी संस्थानों में हुए थे। राज्य में वर्ष 2011–12 में हुए 2.07 लाख गृह प्रसव की तुलना में वर्ष 2015–16 में गृह प्रसव कम होकर 1.43 लाख हुए। हालांकि, रेफरल परिवहन के समय पर अनुपलब्धता तथा स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा एवं ए.एन.एम.) द्वारा गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव हेतु प्रेरित करने में असफल रहने के कारण संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने का उद्देश्य प्रभावित हुआ।
- **जे.एस.वाई. प्रोत्साहन प्रदाय में कमी:** जे.एस.वाई. के अंतर्गत शासकीय संस्थानों में जन्म देने पर गर्भवती महिलाएं को नकद सहायता (ग्रामीण क्षेत्रों में ₹ 1,400 तथा शहरी क्षेत्रों में ₹ 1,000) ई-ट्रांसफर के माध्यम से उनके बैंक खाते में प्रदाय किया जाता है। हालांकि, राज्य में शासकीय संस्थानों में हुए कुल 55.38 लाख प्रसवों में से केवल 49.72 लाख प्रसव के प्रकरणों में हितग्राहियों को ही जे.एस.वाई. प्रोत्साहन का भुगतान किया गया था। हितग्राहियों के बैंक खाते की अनुपलब्धता तथा निधियों की कमी, जे.एस.वाई. प्रोत्साहन राशि कम प्रदाय करने के कारण थे।
- **प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा गृह आधारित प्रसव परिचारित न करना:** मातृ एवं नवजात मृत्यु कम करने के उद्देश्य से ऐसे प्रकरणों में, जिसमें महिला दूरस्थ क्षेत्रों में रहती है या स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रसव कराने की इच्छुक नहीं है, को कुशल जन्म परिचारक (एस.बी.ए.) प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों (ए.एन.एम./नर्स) की देखरेख में स्वास्थ्यजन्य परिस्थिति में घर पर प्रसव कराया जाना था। हालांकि, राज्य में वर्ष 2011–16 की अवधि में कुल 8.96 लाख गृह प्रसवों में से 6.65 लाख (74 प्रतिशत) एस.बी.ए. प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा परिचारित नहीं हुए तथा 3.16 लाख (35 प्रतिशत) नवजातों को प्रसव के 24 घंटे के भीतर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा जाँचा नहीं गया। इस प्रकार सुरक्षित एवं स्वास्थ्यजन्य परिस्थिति में गृह प्रसव सुनिश्चित नहीं किया गया था।

कुल गृह प्रसवों में से 74 प्रतिशत की देखरेख एस.बी.ए. प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा नहीं की गई।

- प्रसवोपरांत देखभाल में कमी: अधिकांश प्रसव संबंधी जटिलताएं एवं मातृ मृत्यु प्रसव के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 48 घंटे के अंदर होती है। अतः संस्थागत प्रसव के प्रकरण में स्वास्थ्य केंद्रों पर 48 घंटे तक रुकने को प्रोत्साहित किया जाना था। हालांकि वर्ष 2011–16 की अवधि में शासकीय संस्थानों में हुए 55.38 लाख प्रसवों में से 15.26 लाख (28 प्रतिशत) प्रसव के प्रकरणों में 48 घंटे के अंदर छुट्टी कर दी गई थी। आगे, प्रसव का स्थान जो भी हो स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा प्रसवोपरांत देखरेख किया जाना था। हालांकि, 48 घंटों से 14 दिनों के अंदर होने वाली प्रसवोपरांत जाँच केवल 35.21 लाख (55 प्रतिशत) माताओं को प्राप्त हुई थी।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव ने बताया कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने तथा घर पर सुरक्षित प्रसव के लिए जननी सहयोगी योजना तथा जननी एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम (जे.एस.एस.के.) कार्यान्वित किया गया था। ऐसे जिले, जहां गृह प्रसव अधिक होता है, को चिह्नित किया गया था तथा ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र, जहां अधिक गृह प्रसव होता है, को प्रसव केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा था। प्रसवोपरांत अस्पताल में 48 घंटे रुकना सुनिश्चित करने हेतु साफ–सफाई तथा सुरक्षा के साथ–साथ जे.एस.एस.के. के अंतर्गत निःशुल्क दर्वाई, भोजन, जाँच तथा परिवहन की सुविधा सुनिश्चित की जा रही थी।

प्रमुख सचिव ने आगे बताया कि रेफरल परिवहन की कमी, संपर्क सड़कों की खराब स्थिति, सेवा प्रदायकर्ता (स्टॉफ नर्स, ए.एन.एम. इत्यादि) का उदासीन रूप सेवा प्रदायकर्ता द्वारा सेवा केंद्रों पर न रुकना इत्यादि प्रसवोपरांत सेवा न देने के मुख्य कारण थे। हालांकि, जे.एस.एस.के. कार्यान्वयन के माध्यम से घरेलू खर्चों में से स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय को कम करने, सेवा प्रदायकर्ता का व्यवहार परिवर्तन करने हेतु प्रेरित करने तथा निःशुल्क परिवहन सेवाएं प्रदाय करने का प्रयास किया जा रहा था।

यह तथ्य फिर भी शेष रहा कि चिकित्सक/स्वास्थ्य कर्मी, माताओं तथा उनके परिवार के सदस्यों को प्रसवोपरांत जाँच के लाभों के विषय में अवगत नहीं करा सके। आगे, अस्पताल में अधिक अवधि तक रुकने के लिए प्रोत्साहन के लिए जे.एस.वाई. के लाभों को 48 घंटे तक ठहरने के साथ जोड़ना चाहिए था।

2.1.7.3 रेफरल सेवाएं

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जे.एस.एस.के.) के अंतर्गत घर से स्वास्थ्य केंद्र, रेफरल प्रकरण में स्थानांतरण करने तथा वापिस छोड़ने हेतु निःशुल्क परिवहन (एंबुलेंस सेवा) की पात्रता थी। जननी एक्सप्रेस (जे.ई.) एंबुलेंस सेवाएं निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा राज्य के सभी जिलों में उपलब्ध कराई जा रही थी। गर्भवती महिला तथा नवजात को एंबुलेंस सेवा प्रदाय के लिए जिला अस्पतालों में कॉल सेंटर स्थापित किए गए थे। आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा जारी (जून 2012) निर्देश के अनुसार जे.ई. सेवा द्वारा कुल संस्थागत प्रसव का 90 प्रतिशत पिकअप तथा 70 प्रतिशत ड्रापबैक सुनिश्चित किया जाना चाहिए था।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में चयनित 13 जिलों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि इन जिलों में हुए कुल 8.53 लाख संस्थागत प्रसव में पिकअप सेवा 4.91 लाख (57 प्रतिशत) तथा ड्रापबैक सेवा 4.09 लाख (48 प्रतिशत) महिलाओं को ही प्रदाय की जा सकी थी। जे.ई. सेवाएं, 13,684 प्रकरणों में एंबुलेंस की अनुपलब्धता, अन्य प्रकरणों में व्यस्त होने के कारण नहीं दी गई थी।

पारगमन में आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए जटिल प्रसव की स्थिति में उन्नत जीवन रक्षक प्रणाली से सुसज्जित वाहन तथा गैर जटिल प्रसव की स्थिति में बुनियादी जीवन रक्षक प्रणाली से सुसज्जित वाहन उपलब्ध कराया जाना था। लेखापरीक्षा दल द्वारा 13 चयनित जिलों में से 10 जिलों में 48 जे.ई. एंबुलेंसों के

भौतिक सत्यापन में परिलक्षित हुआ कि 39 एंबुलेंसों में आक्सीजन सिलेंडर नहीं लगा था तथा 36 एंबुलेंसों में प्राथमिक चिकित्सा किट उपलब्ध नहीं था। भौतिक सत्यापन किए गए जे.ई. वाहनों के छायाचित्र नीचे दिए गए:

	
पन्ना जिला में ऑक्सीजन सिलेंडर, प्राथमिक सहायता पेटी तथा गर्भवती महिला की निजता बनाए रखने के लिए परदे के बिना जननी एक्सप्रेस वाहन	टीकमगढ़ जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर, परदे, प्राथमिक सहायता पेटी इत्यादि से सुसज्जित जननी एक्सप्रेस वाहन

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव ने बताया कि हितग्राहियों में जागरुकता की कमी के कारण ड्रापबैक कम हुए हैं। कुछ हितग्राही ड्रापबैक के लिए एंबुलेंस की प्रतीक्षा नहीं करते तथा अस्पताल से बिना सूचना दिए चले गए थे। पिकअप में कमी के संबंध में प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रसव संबंधी प्रकरण में परिवहन हेतु 108 एंबुलेंस का भी उपयोग किया गया था तथा विभाग द्वारा दोनों एंबुलेंस सेवाओं (108 तथा जे.ई.) के अधिकतम एवं प्रभावकारी उपयोग के साथ केंद्रीकृत कॉल सेंटर की निगरानी में आधुनिक तकनीक एवं कुशल मानवशक्ति की सहायता से एकीकृत करने का निर्णय लिया जा चुका है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जैसा कि 108 एंबुलेंस पर की गई लेखापरीक्षा के अंतर्गत इस प्रतिवेदन के कंडिका 3.3.5.3 में उल्लेख किया गया है कि एंबुलेंस सेवाओं के अंतर्गत रोगियों द्वारा की गई मांगों में से मात्र 31 से 46 प्रतिशत तक की मांगों में एंबुलेंस सेवाएं प्रदाय की जा सकी। आगे, यह तथ्य शेष रहा कि ग्रामीण स्वास्थ्य संरचना के अंतर्गत हितग्राहियों के बीच पिकअप तथा ड्रापबैक सेवाओं का समुचित प्रसार नहीं किया गया था।

2.1.7.4 गर्भावस्था के परिणाम तथा जन्मजात लैंगिक असमानताएं

जनगणना 2011 के अनुसार, राष्ट्रीय लिंगानुपात 914 के विरुद्ध राज्य में 912 महिला प्रति 1,000 पुरुष थे। लिंग चयनात्मक गर्भपात के कारण जन्म के समय लिंग अनुपात में गिरावट तथा बालिकाओं के प्रति सतत उदासीनता एवं स्वास्थ्य सेवा की कमी, लिंग अनुपात में विषमता के कारण थे। एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत इस चुनौती से निपटने के लिए गर्भाधान पूर्व तथा प्रसवपूर्व लिंग परीक्षण तकनीक (पी.सी.पी.एन.डी.टी.) विनियमन के द्वारा लिंग चयन के दुरुपयोग को रोकना था।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में गर्भावस्था के परिणाम के अंतर्गत राज्य में जीवित जन्म हुए बालक एवं बालिका के आंकड़े तालिका—2.1.5 में नीचे दिए गए हैं:

तालिका—2.1.5: गर्भवस्था के परिणाम तथा देखभाल की स्थिति

वर्ष	ए.एन.सी. के लिए पंजीकृत कुल गर्भवती महिला	कुल प्रसव	कुल जन्म	कुल मृत जन्म की संख्या	कुल जीवित जन्मों की संख्या	बालक जीवित जन्म की संख्या	बालिका जीवित जन्म की संख्या	जन्म के समय लिंग अनुपात
2011-12	1944683	1490844	1496274	25311	1470963	759932	711031	52:48
2012-13	1788353	1367001	1374710	24447	1350263	698755	651508	52:48
2013-14	1885518	1358054	1390644	23699	1366945	710287	656658	52:48
2014-15	1900801	1369475	1379946	23591	1356355	704251	652104	52:48
2015-16	1853051	1397663	1405312	24787	1380525	715674	664851	52:48
योग	9372406	6983037	7046886	121835	6925051	3588899	3336152	

(स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, एच.एम.आई.एस.)

वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि में कुल पंजीकृत ए.एन.सी. एवं हुए प्रसव में व्यापक अंतर था।

इस प्रकार, वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान 35.89 लाख बालक जन्म की तुलना में 33.36 लाख बालिका जन्म प्रतिवेदित हुआ। जन्म पर निरंतर विषम लिंग अनुपात की समीक्षा, वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान कुल ए.एन.सी. पंजीयन (93.72 लाख) तथा कुल प्रसव (69.83 लाख) में वृहद अंतर 23.89 लाख के संदर्भ में अपेक्षित थी।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि राज्य तथा जिलों में लिंग अनुपात में पी.सी.पी.एन.डी.टी. एकट के प्रभावी कार्यान्वयन तथा निरंतर प्रयासों के कारण ध्यान योग्य सुधार हुआ है। प्रमुख सचिव ने आगे बताया कि आर.सी.एच. पोर्टल के माध्यम से गृह प्रसव तथा निजी चिकित्सालयों के प्रतिवेदनों को सूचना तंत्र को सुदृढ़ कर, लापता प्रसव प्रकरण पर ध्यान दिया जा रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान लिंग अनुपात में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ था। ए.एन.सी. पंजीयन तथा कुल प्रसव में व्यापक अंतर दर्शाता है कि जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं एवं अन्य निगरानी प्राधिकारियों के स्तर पर पंजीकृत ए.एन.सी. की खोजबीन तथा निगरानी में कमी की गई।

2.1.8 शिशु स्वास्थ्य

2.1.8.1 नवजातों का प्रबंधन

आर.एम.एन.सी.एच.+ए. कार्यक्रम अंतर्गत जन्म के समय नवजात के वजन को उत्तरजीविता के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम के कारण के रूप में चिह्नित किया गया है, क्योंकि जन्म के समय कम वजन वाले (एल.बी.डब्ल्यू.) शिशु में अपर्याप्त विकास, उच्च मृत्यु दर तथा दीर्घकालिक वयस्क बीमारियों के होने की सम्भावना अधिक रहती है। नमूना परीक्षित 149 उप स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी, की संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि कुल 1,499 जन्मे नवजातों में से 177 की मृत्यु, समय से पूर्व जन्म एवं कम वजन होने के कारण हुई थी।

राज्य में वर्ष 2011-16 की अवधि में कुल जीवित जन्म के विरुद्ध, जन्म के समय नवजातों का वजन तौलने तथा जन्म के एक घंटे के भीतर नवजात को स्तनपान कराने की स्थिति तालिका—2.1.6 में दर्शाया गया है—

तालिका—2.1.6: नवजातों के वजन तथा स्तनपान की स्थिति

वर्ष	कुल जीवित जन्म	जन्म के समय तौले गए नवजातों की संख्या	एल.बी.डब्ल्यू. वाले नवजातों की संख्या (2.5 कि.ग्रा. से कम वजन वाले)	जन्म के एक घंटे के अंदर स्तनपान करने वाले नवजातों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011-12	1470963	1337058	245081	1281888
2012-13	1350263	1210018	249501	1165829

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013-14	1366945	1270278	189357	1261516
2014-15	1356355	1313407	185941	1285630
2015-16	1380525	1345076	190635	1302059
योग	6925051	6475837	1060515	6296922

(स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, एच.एम.आई.एस.)

- तालिका 2.1.6 से स्पष्ट है कि 10.61 लाख कम वजन वाले शिशु थे, जो जन्म के समय वजन लिए गए, कुल नवजातों का 16 प्रतिशत था। हालांकि, वर्ष 2011-16 के दौरान कुल 69.25 लाख जीवित जन्म में से 4.49 लाख नवजातों का वजन जन्म के समय नहीं तौला गया था। जन्म के समय नवजातों का वजन तौलने में विफलता के कारण कम वजन वाले शिशुओं के प्रकरणों में उनकी आगामी चिकित्सकीय आवश्यकताओं की पूर्ति जोखिमपूर्ण हो गई।

एस.एच.एस. ने उत्तर दिया (मई 2016) कि नवजातों का वजन एस.बी.ए. प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा लिया जाना था। हालांकि, एस.बी.ए. द्वारा कराए गए गृह प्रसव की संख्या बहुत कम है, जो कि जीवित जन्म के विरुद्ध नवजात के वजन की संख्या के अंतर को प्रदर्शित करता था। आगे, उत्तर में बताया कि लेबर रूम पंजी में नवजात के वजन के आंकड़े दर्ज होते हैं, लेकिन ये आंकड़े एच.एम.आई.एस. साफ्टवेयर में स्थानांतरित नहीं हो रहे थे।

अतः एस.एच.एस. द्वारा एस.बी.ए. के माध्यम से गृह प्रसवों का कार्यान्वयन सुनिश्चित न किए जाने से नवजातों का प्रबंधन प्रभावित हुआ। आगे, इस बात का निष्कर्ष निकालने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं था कि नवजात के वजन के आंकड़े वास्तव में लेबर रूम पंजी में दर्ज हुए, लेकिन एच.एम.आई.एस. साफ्टवेयर में स्थानांतरित नहीं हुए।

- नवजात जन्म के एक घंटे के अंदर स्तनपान को बढ़ावा देना नवजात तथा शिशु स्तनपान आचरण (आई.वाई.सी.एफ.) का मुख्य उद्देश्य था, जिससे कि नवजात शिशु में, नवजात बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता के साथ उनका पूर्ण विकास हो सके। हालांकि, कुल 69.25 लाख जीवित जन्म में से, केवल 62.97 लाख (91 प्रतिशत) नवजातों को ही प्रसव के एक घंटे के अंदर स्तनपान कराया गया था।

एस.एच.एस. ने उत्तर दिया (अप्रैल 2016) कि स्तनपान में कमी, रात्रिकाल में चिकित्सक तथा स्टॉफ नर्स की अनुपस्थिति में हुए प्रसव, सीजेरियन प्रसव, जिसमें माता अक्सर एक घंटे के अंदर स्तनपान नहीं करा सकती तथा जनसमुदाय में शुरुआती स्तनपान कराने के महत्व की जागरूकता के अभाव होने के कारणों से रही थी।

एस.एच.एस. का उत्तर स्वास्थ्य अधोसंरचना में कमियों को रेखांकित करता है जिससे रात्रि में होने वाली प्रसूतियों की देखभाल तथा नवजातों को शुरुआती स्तनपान कराने के महत्व के बारे में माताओं को परामर्श देने के लिए स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध नहीं थे।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव ने प्रारम्भिक स्तनपान में अंतर के संबंध में सहमति जताई तथा बताया कि जन्म के समय प्रारम्भिक स्तनपान शुरू करने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे थे।

2.1.8.2 शिशु टीकाकरण

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआई.पी.) में सात रोगों (क्षय, पोलियो, डिझीरिया, काली खांसी, टिटेनस, खसरा, हेपेटाइटिस-बी) से बचाव के लिए टीके सम्मिलित किए गए हैं। राज्य में शिशु टीकाकरण के लक्ष्य का निर्धारण, जनगणनीय जनसंख्या में बर्हिवेशन द्वारा प्रत्येक जिले की दशकीय वृद्धि दर के आधार पर एवं प्रत्येक जिले की जन्म दर तथा आई.एम.आर. को सम्मिलित कर किया गया था। वर्ष 2011-16 के

दौरान सात रोग के निवारण हेतु टीकों के निर्धारित लक्ष्य एवं उनकी उपलब्धि को **परिशिष्ट 2.1.5** में दर्शाया गया है, जिससे निम्नलिखित परिलक्षित हुआ:

बच्चों में वैक्सीन निरोधी बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हुई।

- राज्य में वर्ष 2011–16 की अवधि में बच्चों में सात रोग रोधी वैक्सीनों के टीकाकरण हेतु निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो सकी तथा कमियों की परिसीमा 16 से 21 प्रतिशत तक रही। लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2011–16 की अवधि में अलीराजपुर (94 से 114 प्रतिशत), भोपाल (92 से 105 प्रतिशत) तथा ग्वालियर (91 से 104 प्रतिशत) अच्छे प्रदर्शन वाले जिले थे, जबकि सिवनी (63 से 67 प्रतिशत), कटनी (63 से 68 प्रतिशत) तथा मंडला (64 से 68 प्रतिशत) खराब प्रदर्शन वाले जिले थे।
- बच्चों के टीकाकरण हेतु आयुवार लक्ष्य भी निर्धारित किए गए थे, जिसमें विभिन्न आयु-श्रेणी के बच्चों यथा एक वर्ष की आयु तक, डेढ़ वर्ष की आयु तक तथा पांच वर्ष से ऊपर की आयु तक के बच्चों के टीकाकरण हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। हालांकि, बच्चों के आयुवार टीकाकरण हेतु निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी की परिसीमा 17 से 50 प्रतिशत तक रही, जैसा कि **परिशिष्ट-2.1.6** में दर्शाया गया है।
- यू.आई.पी. के अंतर्गत, हेपेटाइटिस-बी जीरो की खुराक नवजात को 48 घंटे के अंदर दिया जाना था। इस संबंध में पाया गया कि 69.25 लाख जीवित जन्मों के विरुद्ध केवल 39.30 लाख (57 प्रतिशत) नवजातों को हेपेटाइटिस-बी जीरो खुराक दी जा सकी थी।
- वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में डिप्थीरिया के 618 प्रकरण, काली खांसी के 90 प्रकरण, टिटेनस के 1,009⁸ प्रकरण तथा खसरे के 14,777 प्रकरण प्रतिवेदित किए गए थे। वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान टीकाकरण पश्चात प्रतिकूल घटना (ए.ई.एफ.आई.) के अंतर्गत, 33 मृत्यु प्रकरण, 5,972 संक्रमण के प्रकरण तथा 22,281 जटिलताओं के प्रकरण प्रतिवेदित किए गए थे।
- टीकाकरण, प्रसवपूर्व देखभाल, प्रसवोपरांत देखभाल, परिवार नियोजन इत्यादि जैसी चिह्नित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक माह में आंगनवाड़ी केंद्रों (ए.डब्ल्यू.सी.) पर ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषणाहार दिवस (वी.एच.एन.डी.) आयोजित किया जाना था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि कुल नियोजित 40.05 लाख वी.एच.एन.डी. सत्र के विरुद्ध 39.07 लाख सत्र ही आयोजित किया जा सके। हालांकि, वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान आयोजित वी.एच.एन.डी. में आशा 7.71 लाख सत्र में उपस्थित नहीं थी, यद्यपि आशा ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों को नजदीक के ए.डब्ल्यू.सी. पर एकत्रित करने के लिए उत्तरदायी थी।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव ने बताया कि वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के दौरान टीकाकरण के अंतर को समाप्त करने के लिए उच्च एवं मध्यम प्राथमिकता वाले जिलों में 'मिशन इंद्रधनुष' आयोजित किया गया था। हेपेटाइटिस-बी जीरो खुराक के अंतर्गत कम टीकाकरण के संदर्भ में कहा कि यह खुराक जन्म के 24 घंटे के अंदर दी जानी थी, जो कि केवल डी.एच., सी.एच., सी.एच.सी. तथा पी.एच.सी. में हुए संस्थागत प्रसव के प्रकरणों में दी गई, जहां पर टीका के भंडारण की सुविधा है, जबकि एस.सी. में टीका भंडारण की सुविधा नहीं होती है। निजी संस्थानों में जन्म हुए नवजातों को दिए गए टीकाकरण को एच.एम.आई.एस. प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया था।

उत्तर तथ्य की पुष्टि करता है, कि एस.सी. या घर पर जन्म हुए नवजात हेपेटाइटिस-बी जीरो की खुराक से वंचित थे। आगे, एच.एम.आई.एस. प्रतिवेदन में, निजी क्षेत्र के टीकाकरण के आंकड़े शामिल न करने, यू.आई.पी. निगरानी तंत्र में कमी को इंगित करता है।

⁸ टिटेनस न्योनेटरम तथा न्योनेटरम के अतिरिक्त।

2.1.9 प्रजनन स्वास्थ्य सेवा

2.1.9.1 समग्र गर्भपात सेवा

आर.एम.एन.सी.एच.+ए., के दिशानिर्देश के अनुसार आठ प्रतिशत मातृ मृत्यु भारत में असुरक्षित गर्भपात के कारण होती है। इसके अलावा, महिलाएं असुरक्षित गर्भपात के बाद भी स्वास्थ्य जटिलताओं से दीर्घकाल तक ग्रसित रहती हैं। अतः सुरक्षित तथा समग्र गर्भपात सेवा, प्रसव की संपूर्ण सेवा का एक आवश्यक घटक है।

एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत 24x7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकीय पद्धति एवं मैनुअल वैक्यूम ऐस्पिरेशन (एम.वी.ए.) सुविधा गर्भपात के लिए उपलब्ध कराई जानी थी, जबकि प्रसव केंद्र जैसे सी.एच.सी. को प्राथमिकता देते हुए समग्र गर्भपात पद्धति (एम.टी.पी.) सेवाएं समस्त जिला अस्पतालों तथा उप जिला स्तरीय अस्पतालों में उपलब्ध कराई जानी थी। एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत समस्त सी.एच.सी. का उन्नयन प्रथम रेफरल यूनिट के रूप में किया जाना था, जिसमें एम.टी.पी. की सुविधा भी समाहित रहती है।

हालांकि, एस.एच.एस. द्वारा प्रस्तुत जानकारी की लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि राज्य में 25 उप जिला अस्पताल (63 में से), 136 सी.एच.सी. (334 में से) में एम.टी.पी. सुविधाएं प्रदाय नहीं की जा रही थीं। एम.वी.ए. सुविधाएं 380 पी.एच.सी. (531 24x7 पी.एच.सी. में से) में उपलब्ध नहीं थीं। इस प्रकार, सुरक्षित गर्भपात द्वारा मातृ मृत्यु को कम करने का उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई थी।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव ने बताया कि कुशल मानव शक्ति की तैनाती, चिकित्सा अधिकारियों के क्षमता निर्माण, एम.वी.ए. किट के भंडारण एवं आई.ई.सी. गतिविधियों को मजबूत कर गुणवत्तापूर्ण गर्भपात सेवा प्रदाय करने के प्रयास किये जा रहे थे।

2.1.9.2 परिवार नियोजन कार्यक्रम

कुल प्रजनन दर (टी.एफ.आर.), समुदाय के अच्छे प्रजनन स्वास्थ्य के संबंध में एक मुख्य संकेतक है। टी.एफ.आर. को एक महिला के कुल प्रजनन जीवन काल में होने वाले औसत बच्चों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। टी.एफ.आर. कम होने से मातृ मृत्यु दर भी कम होती है। आगे, निम्न टी.एफ.आर. एक के बाद एक होने वाले गर्भधारण में अधिकतम अंतर लाकर शिशु की उत्तरजीविता में वृद्धि करता है। एन.आर.एच.एम. संरचना में टी.एफ.आर. को 2.1 तक कम करने का लक्ष्य रखा है।

- प्रतिबंधक प्रणाली:** परिवार नियोजन के लिए प्रतिबंधक प्रणाली में महिलाओं के लिए ट्यूबेकटॉमी तथा पुरुष के लिए वेसेकटॉमी शामिल है। वर्ष 2011–16 के दौरान पुरुष तथा महिला की नसबंदी हेतु राज्य में कुल लक्ष्य 30.25 लाख के विरुद्ध 22.11 लाख की उपलब्धि थी, जैसा कि परिशिष्ट-2.1.7 में दर्शाया गया है। वर्ष 2011–16 के दौरान निर्धारित पुरुष नसबंदी के लिए लक्ष्य 3.03 लाख के विरुद्ध उपलब्धि केवल 0.83 लाख (27 प्रतिशत) ही हो सकी। महिला नसबंदी के लिए मिनीलैप तथा प्रसवोपरांत नसबंदी के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि क्रमशः 43 एवं 22 प्रतिशत थी। हालांकि, वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में 15.89 लाख लेप्रोस्कोपिक महिला नसबंदी की गई थी, जो कि लक्ष्य का 105 प्रतिशत थी।

ट्यूबेकटॉमी (महिला नसबंदी) के प्रकरणों में, वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में 69 मृत्यु प्रकरण तथा 8,860 असफल प्रकरण प्रतिवेदित किए गए थे तथा वर्ष 2014–15 में ₹ 2.09 करोड़ एवं वर्ष 2015–16 में ₹ 2.87 करोड़ की क्षतिपूर्ति दी गई थी।

नसबंदी एवं अंतराल विधि के लिए नियोजित सेवा में कमी पाई गई थी।

- गर्भनिरोधक तथा अंतराल विधि:** एस.एच.एस. द्वारा वर्ष 2011–16 की अवधि में 25 लाख आई.यू.सी.डी.⁹ तथा आठ लाख पी.पी.आई.यू.सी.डी.¹⁰ निवेशन तथा गर्भनिरोधक गोली वितरण हेतु 43 लाख तथा कंडोम वितरण हेतु 74 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। हालांकि, आई.यू.सी.डी. में 36 प्रतिशत, पी.पी.आई.यू.सी.डी. में 56 प्रतिशत तथा गर्भनिरोधक गोली में 42 प्रतिशत तथा कंडोम में 49 प्रतिशत की कम उपलब्धि थी जैसा कि **परिशिष्ट-2.1.8** में दर्शित है।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव ने बताया कि कम उपलब्धि के दो प्रमुख कारण थे: (i) परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रबंधन अन्य विभाग के समन्वय से प्रभावी ढंग से नहीं हुआ था (ii) बहुआयामी जनसंख्या कार्यक्रम, जो महिलाओं की साक्षरता स्तर, सशक्तिकरण तथा विवाह की उम्र इत्यादि अनेक पहलुओं को प्रभावित करते हैं, का प्रभावी कार्यान्वयन एवं निगरानी अंतर-विभागीय समन्वयन की कमी के कारण नहीं हो पाया। प्रमुख सचिव ने आगे बताया कि टी.एफ.आर. 2.1 तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था।

तथ्य यह है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम में निम्न प्रदर्शन के कारण टी.एफ.आर. का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

2.1.10 आयोजना एवं वित्तीय प्रबंधन

एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन के वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण एवं उनके लिए बजट की आवश्यकता हेतु एक विस्तृत योजना तथा बजटीय कवायद प्रत्येक वर्ष किया जाना था। प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसी को एन.आर.एच.एम द्वारा अनुमोदित सहायता पैटर्न के अनुसार भौतिक लक्ष्य तथा बजटीय अनुमान को इंगित करते हुए वार्षिक कार्ययोजना तैयार करनी थी।

2.1.10.1 राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना की तैयारी

एन.आर.एच.एम. की वित्तीय प्रबंधन के परिचालन हेतु मार्गदर्शिका के अनुसार आयोजना एवं वित्तीय प्रबंधन के लिए नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण का अनुसरण किया जाना था। ब्लॉक स्तर पर कार्यान्वयन इकाईयों (सी.एच.सी., पी.एच.सी. एवं एस.सी.) से प्राप्त सूचना/विचार-विमर्श के आधार पर ब्लॉक स्वास्थ्य कार्य योजना (बी.एच.ए.पी.) तैयार करने से प्रक्रिया शुरू करने की परिकल्पना की गई थी। सभी बी.एच.ए.पी. का एकीकरण कर जिला स्वास्थ्य कार्य योजना (डी.एच.ए.पी.) तैयार किया जाएगा, जिसे एस.एच.एस. को अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा। तत्पश्चात्, समस्त डी.एच.ए.पी. का एकीकरण कर राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एस.पी.आई.पी.) तैयार किया जाना था।

एस.एच.एस. ने सूचित किया (मई 2016) कि जिला स्तर पर डी.एच.ए.पी. तैयार करते समय नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण जिला स्तर पर अपनाया गया था। हालांकि, नमूना परीक्षित 13 डी.एच.एस. में से सात डी.एच.एस.¹¹ ने सूचित किया कि उन्होंने नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण नहीं अपनाए था। यद्यपि, छह अन्य डी.एच.एस ने सूचित किया कि योजना प्रक्रिया में उन्होंने नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण अपनाया था, किंतु, लेखापरीक्षा के दौरान कोई समर्थित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव ने बताया कि जिलों में डी.एच.ए.पी., सभी ब्लॉकों से प्राप्त बी.एच.ए.पी. को एकीकरण कर बनाया गया था। हालांकि, ब्लॉक योजना का

⁹ अंतर गर्भाशय गर्भनिरोधक उपकरण।

¹⁰ प्रसवोपरांत अंतर गर्भाशय गर्भनिरोधक उपकरण।

¹¹ अनूपपुर, बैतूल, मंडला, नीमच, पन्ना, राजगढ़ तथा रतलाम।

प्रलेखन निम्न स्तर का है। जिलों को ब्लॉक तथा ग्राम योजना का उचित प्रलेखन हेतु निर्देश (सितम्बर 2016) जारी किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सात डी.एच.एस. ने नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण का अनुपालन न करना स्वीकार किया था।

2.1.10.2 पी.आई.पी. तैयार करने में विलंब

एन.आर.एच.एम. की वित्तीय प्रबंधन के परिचालन हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य को पी.आई.पी. भारत सरकार को 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत करना होता है जिसका अनुमोदन 28 फरवरी तक करना होगा। इसी प्रकार, समस्त डी.एच.ए.पी., एस.एच.एस. को 31 अक्टूबर से पहले तक प्रस्तुत करना होगा, जिसका अनुमोदन एस.एच.एस. द्वारा प्रत्येक वर्ष 15 मार्च से पहले कर दिया जाएगा।

पी.आई.पी. के अंतिम रूप देने में विलंब के कारण सभी स्तरों पर निधियों के जारी करने में विलंब हुआ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान राज्य पी.आई.पी. भारत सरकार को 69 से 196 दिनों के विलंब से प्रस्तुत किया गया था। फलस्वरूप, भारत सरकार से पी.आई.पी. का अनुमोदन प्राप्त करने में 72 से 223 दिनों का विलंब हुआ (**परिशिष्ट-2.1.9**)। इसी प्रकार, नमूना परीक्षित 13 डी.एच.एस. द्वारा डी.एच.ए.पी., एस.एच.एस. को दो से सात महीनों के विलंब से प्रस्तुत किए गए थे (**परिशिष्ट-2.1.10**)।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव ने बताया कि राज्य पी.आई.पी. के प्रस्तुति एवं अनुमोदन में कुछ विलंब हुआ था। भारत सरकार ने योजना प्रक्रिया के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है, राज्य जिसका उपयोग योजना प्रक्रिया में गति लाने के लिए कर रहा था।

इस प्रकार, योजना प्रक्रिया में सभी स्तरों पर विलंब होने के परिणामस्वरूप जिलों को विलंब से राशियां जारी हुई, वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की अधिकता थी तथा विभिन्न कार्यक्रमों/ गतिविधियों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी रही है।

2.1.10.3 अंतरक्षेत्रीय अभिसरण

राज्य पी.आई.पी. एवं डी.एच.ए.पी. की तैयारी के दिशानिर्देश में अन्य मुख्य विभागों के साथ अंतरक्षेत्रीय अभिसरण का उल्लेख है। हालांकि, अभिलेखों की संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि राज्य के पी.आई.पी. एवं डी.एच.ए.पी., अन्य मुख्य विभागों से अंतरक्षेत्रीय अभिसरण की गतिविधियों को सम्मिलित किए बिना बनाए गए थे। आगे, नमूना परीक्षित 13 जिलों में से केवल आठ जिलों ने सूचित किया कि डी.एच.ए.पी. की योजना प्रक्रिया में अन्य मुख्य विभागों ने भागीदारी की थी। अंतरक्षेत्रीय अभिसरण हेतु योजना के अभाव में कार्यक्रम कार्यान्वयन में इसकी उपलब्धि सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव ने बताया कि डी.एच.ए.पी. को अंतिम रूप देने से पहले जिला स्तर पर अन्य मुख्य विभागों के साथ अंतर क्षेत्रीय अभिसरण आयोजित किया गया था, हालांकि, योजना कार्यशाला में अन्य विभागों को आमंत्रित करने हेतु जिलों को निर्देश (सितम्बर 2016) जारी किए गए हैं। राज्य स्तर पर, राज्य पी.आई.पी. को भारत सरकार को भेजने से पहले एस.एच.एस. द्वारा अनुमोदन किया जाना था तथा इस उद्देश्य हेतु आयोजित शासी निकाय की बैठक में संबंधित मुख्य विभागों के प्रमुख सचिव उपस्थित होते थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि राज्य स्तर के साथ नमूना परीक्षित जिला स्तर पर एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत अंतरक्षेत्रीय अभिसरण योजना के प्रलेखन का अभाव था। आगे नमूना परीक्षित पांच जिलों ने सूचित किया कि योजना प्रक्रिया में मुख्य विभागों के कर्मियों ने भाग नहीं लिया था।

2.1.10.4 वित्तीय संसाधन का प्रबंधन

एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत किसी राज्य को एक वित्तीय वर्ष हेतु आवंटित कुल संसाधनों में (क) अव्ययित शेष, (ख) भारत सरकार से अनुमोदित राशि तथा (ग) वर्ष के दौरान देय राज्य अंश समिलित होता है। एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत भारत सरकार और राज्य शासन के मध्य लागत हिस्सेदारी वर्ष 2011–12 में 85:15, वर्ष 2012–13 से 2014–15 में 75:25 तथा वर्ष 2015–16 में 60:40 के अनुपात में थी। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011–14 के दौरान अनुदान सीधे एस.एच.एस. को तथा वर्ष 2014–15 एवं उसके आगे के वर्षों में राज्य कोषालय पद्धति के द्वारा जारी किया गया था। एस.एच.एस. द्वारा डी.एच.एस. को जिले स्तर पर डी.एच., ब्लॉक स्तर पर सी.एच.सी. तथा ग्राम स्तर पर पी.एच.सी. एवं एस.सी. को आगामी पारेषण हेतु, निधि वितरित की जाती है।

एन.आर.एच.एम. एक वृहद स्वास्थ्य सेवा योजना है जिसमें भारत सरकार के अनेक कार्यक्रम शामिल हैं। हालांकि, जैसा कि आर.सी.एच. से संबंधित संकेतकों (आई.एम.आर, एम.एम.आर. एवं टी.एफ.आर.) का चयन प्रतिवेदन में विश्लेषण हेतु किया गया था, अतः वित्तीय प्रबंधन में आर.सी.एच., एन.आर.एच.एम. मिशन फ्लैक्सी पूल तथा टीकाकरण कार्यक्रम जो कि प्रमुखतः इन तीन स्वास्थ्य संकेतकों से संबंधित है, को ही केवल निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल किया गया है। वर्ष 2011–16 के दौरान प्राप्त अनुदान तथा एस.एच.एस. द्वारा किए गए व्यय की स्थिति को **तालिका-2.1.7** में दर्शाया गया है—

तालिका-2.1.7: कुल आवंटन, व्यय एवं अव्ययित शेष

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त निधि		बैंक ब्याज	कुल उपलब्ध निधि (2+3+4+5)	वर्ष के दौरान किए गए व्यय	अंतिम शेष (6-7)	अव्ययित शेष का प्रतिशत
		केंद्रांश	राज्यांश					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2011-12	156.96	625.42	232.11	7.64	1022.13	745.94	276.19	27%
2012-13	276.19	500.84	422.32	12.02	1211.37	813.09	398.28	33%
2013-14	398.28	600.16	286.43	20.08	1304.95	1158.78	146.17	11%
2014-15	146.17	726.47	324.82	6.80	1204.26	1273.26	-69.00	-
2015-16	-69.00	801.90	749.23	7.11	1489.24	1597.69	-108.45	
योग		3254.79	2014.91	53.65	5480.31 ¹²	5,588.76		

(स्रोत: राज्य स्वास्थ्य समिति)

एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत आवंटित निधि तथा व्यय की लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्नलिखित परिलक्षित हुआ:

- **अनुमोदित पी.आई.पी. के विरुद्ध कम निधि जारी होना:** वर्ष 2011–16 के दौरान, भारत सरकार द्वारा पी.आई.पी. हेतु अनुमोदित ₹ 6,247.01 करोड़ के विरुद्ध राज्य को एन.आर.एच.एम. के कार्यान्वयन के लिए ₹ 5,269.70 करोड़ ही उपलब्ध कराए गए थे। इस प्रकार, ए.पी.आई.पी. के कार्यान्वयन हेतु राशि ₹ 977.31 करोड़ की कमी थी। अतः इस तथ्य के बावजूद कि राज्य का स्वास्थ्य संकेतकों के लक्ष्यों की प्राप्ति में निराशपूर्ण प्रदर्शन रहा है, अनुमोदित पी.आई.पी. की तुलना में कम निधि जारी होने से, ग्रामीण आबादी को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं बदतर हुईं।

वर्ष 2011–16 की अवधि में भारत सरकार तथा राज्य शासन द्वारा जारी निधि, **तालिका-2.1.8** में दर्शाया गया है।

¹² ₹ 5,480.31 (₹ 156.96 + ₹ 3,254.79 + ₹ 2,014.91 + ₹ 53.65)

तालिका—2.1.8: अनुमोदित पी.आई.पी. के विरुद्ध भारत सरकार तथा राज्य शासन से प्राप्त अंश की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पी.आई.पी.			जारी निधि		
	कुल पी.आई.पी.	केंद्रांश का अनुपात	राज्यांश का अनुपात	कुल प्राप्त निधि	केंद्रांश	राज्यांश
2011-12	680.69	578.59	102.10	857.53	625.42	232.11
2012-13	1059.46	794.59	264.87	923.16	500.84	422.32
2013-14	1435.72	1076.79	358.93	886.59	600.16	286.43
2014-15	1410.90	1058.18	352.72	1051.29	726.47	324.82
2015-16	1660.24	996.14	664.10	1551.13	801.90	749.23
योग	6247.01	4504.29	1742.72	5269.70	3254.79	2014.91

(स्रोत: राज्य स्वास्थ्य समिति)

इस प्रकार, वर्ष 2011-16 की अवधि में भारत सरकार द्वारा ₹ 1,249.50 करोड़ की निधि कम जारी की गई थी। हालांकि, वर्ष 2011-14 के दौरान पर्याप्त निधि की उपलब्धता के बावजूद निधि के कम उपयोग का प्रतिशत, 11 से 33 प्रतिशत के बीच देखा गया।

यू.सी. विलंब से प्रस्तुत करने के कारण निधि जारी करने में विलंब हुआ तथा वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय का आधिक्य हुआ।

- दिशानिर्देशों में परिकल्पित है कि भारत सरकार द्वारा राज्य को दो चरणों (अप्रैल/मई तथा सितंबर/अक्टूबर) में निधियां प्रदाय कराई जाएगी। लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान भारत सरकार द्वारा निधियां दो चरणों के बजाय पांच से नौ चरणों में जारी की गई थीं। यह राज्य एवं जिलों से पी.आई.पी. के प्रस्तुति एवं अनुमोदन में विलंब के साथ-साथ एस.एच.एस. द्वारा भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र विलंब (एक से पांच महीने) से प्रस्तुतीकरण के कारण हुआ। आगे, वर्ष 2012-13 की अंतिम तिमाही में भारत सरकार द्वारा कुल निधि का 54 प्रतिशत जारी किया गया था। वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान वर्ष की अंतिम तिमाही में एस.एच.एस./डी.एच.एस. द्वारा व्यय के आधिक्य की परिसीमा 36 से 56 प्रतिशत तक देखी गई।

- वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की अवधि में उपलब्ध निधि से ₹ 177.45 करोड़ के व्यय का आधिक्य राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के संसाधनों का व्यपवर्तन कर किया गया था।

- एन.आर.एच.एम. की रूपरेखा में परिकल्पना की गई है कि एन.आर.एच.एम. निधि का 10 प्रतिशत राज्य स्तर पर, 20 प्रतिशत जिले स्तर पर तथा कम से कम 70 प्रतिशत ब्लॉक तथा उसके निचले स्तर पर उपयोग किया जाना था। हालांकि, एस.एच.एस. स्तर पर, जिले तथा ब्लॉक स्तर पर हुए व्यय का अनुपात सुनिश्चित करने हेतु कोई तंत्र उपलब्ध नहीं था, जो योजना में संरचनात्मक कमी थी। इस आंकड़े के अभाव में यह पूर्णतः संभव था कि एन.आर.एच.एम. निधियों के उपयोग में असंतुलन हुआ तथा इसका इष्टतम उपयोग प्राप्त नहीं हो सका।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव ने बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया व्यय, अनुमोदित पी.आई.पी. के अनुरूप था। हालांकि, भारत सरकार से अनुमोदित पी.आई.पी. से वास्तव में कम बजट प्राप्त हुआ था। एफ.एम.आई.एस.¹³ सॉफ्टवेयर में सभी स्तरों पर निधियों के उपयोग की निगरानी की सुविधा है। डी.एच.एस. को विलंब से निधियां जारी करने का कारण, भारत सरकार से विलंब से निधियां प्राप्त होना था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2011-16 के दौरान अनुमोदित पी.आई.पी. की तुलना में कार्यक्रम पर ₹ 658.25 करोड़ कम व्यय हुआ था। आगे, एफ.एम.आई.एस. में इस

¹³ वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली।

प्रकार का कोई तंत्र नहीं है जो जिला एवं निचले स्तर पर निर्धारित अनुपात अनुसार निधि के उपयोग को सुनिश्चित करता हो। निधियां विलंब से/कम जारी होने के साथ-साथ कम उपयोग किए जाने के परिणामस्वरूप निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी हुई।

2.1.11 ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों की उपलब्धता

ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय एवं गुणवतायुक्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए एन.आर.एच.एम. एक कार्यक्रम है। एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा अधोसंरचना त्रि-स्तरीय प्रणाली के रूप में विकसित की गई थी, जैसा कि तालिका-2.1.9 में इंगित है:

तालिका-2.1.9: स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना के लिए मानदंड

केंद्र का नाम	जनसंख्या मानदंड	
	मैदानी क्षेत्र	पहाड़ी/आदिवासी/दुर्गम क्षेत्र
उप स्वास्थ्य केंद्र	5000	3000
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	30000	20000
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	120000	80000

(स्रोत: एन.आर.एच.एम. कार्यान्वयन की रूपरेखा)

लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि 31 मार्च 2016 की स्थिति में राज्य में ग्रामीण स्वास्थ्य अधोसंरचना की उपलब्धता में बहुत कमी थी। एन.आर.एच.एम. कार्यान्वयन की रूपरेखा के अनुसार राज्य में आवश्यक अधोसंरचना तथा उपलब्ध उप स्वास्थ्य केंद्र/पी.एच.सी./सी.एच.सी. की तुलना तालिका-2.1.10 में दर्शाई गई है:

तालिका-2.1.10: राज्य में 31 मार्च 2016 को ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति

केंद्र का नाम	जनसंख्या मानदंड (जनगणना 2011) के अनुसार आवश्यक स्वास्थ्य केंद्र	उपलब्ध स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या	कमी
उप स्वास्थ्य केंद्र	11780	9192	2588 (22%)
पी.एच.सी.	2000	1172	828 (41%)
सी.एच.सी.	487	334	153 (31%)

(स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति)

इस प्रकार, जनसंख्या मानदंड के अनुसार आवश्यक ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों के विरुद्ध 2,588 एस.सी. (22 प्रतिशत), 828 पी.एच.सी. (41 प्रतिशत) तथा 153 सी.एच.सी. (31 प्रतिशत) कम थे। जबकि, पड़ोसी राज्यों जैसे गुजरात तथा राजस्थान में जनसंख्या मानदंड के अनुसार ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र पर्याप्त संख्या में है। जनसंख्या मानदंड के अनुसार एस.सी., पी.एच.सी. तथा सी.एच.सी. की उपलब्धता राजस्थान में अधिक थी। गुजरात में पी.एच.सी. एवं सी.एच.सी. की कमी क्रमशः तीन प्रतिशत एवं एक प्रतिशत थी जबकि एस.सी. की उपलब्धता पर्याप्त थी। आगे, राज्य, स्वास्थ्य अधोसंरचना की उपलब्धता के राष्ट्रीय औसत से भी बहुत पीछे था जैसा कि राष्ट्रीय स्तर पर एस.सी. एवं पी.एच.सी. की कमी 14 प्रतिशत तथा सी.एच.सी. के प्रकरण में 26 प्रतिशत तक कमी थी।

जिलेवार ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों की उपलब्धता की संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि रायसेन, हरदा तथा नरसिंहपुर जिलों में पर्याप्त संख्या में सी.एच.सी. की उपलब्धता थीं। राजगढ़, झाबुआ तथा श्योपुर जिलों में 50 से 55 प्रतिशत तक कमी थी। मंदसौर एवं छिंदवाड़ा जिलों में पी.एच.सी. पर्याप्त थे। जबकि, वहीं शिवपुरी, आगर मालवा एवं मुरैना जिलों में पी.एच.सी. की कमी 65 से 73 प्रतिशत तक थी। आगे, केवल रायसेन जिले में एस.सी. पर्याप्त संख्या में थे जबकि खरगौन, गुना एवं राजगढ़ जिलों में 35 से 40 प्रतिशत तक एस.सी. की कमी देखी गई।

ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में बहुत अधिक अंतर होने के बावजूद स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना के लिए पर्याप्त निधियां आवंटित नहीं की गई थीं।

अधिकांश जिलों में एस.सी./पी.एच.सी./सी.एच.सी. की बहुत कमी के बावजूद एस.एच.एस. द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के लिए पर्याप्त निधि आवंटित नहीं की गई। एन.आर.एच.एम. रूपरेखा (2012–17), कुल संसाधन¹⁴ का 33 प्रतिशत उपयोग स्वास्थ्य केंद्रों के नए भवनों एवं उन्नयन पर किए जाने की अनुमति देती है। हालांकि, वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान निर्माण/उन्नयन कार्य हेतु आवंटित निधि ₹ 397.98 करोड़ थी, जो इस अवधि के कुल संसाधन ₹ 7604.98 करोड़ का पांच प्रतिशत थी। अवधि 2011–16 में एस.एच.एस. ने निर्माण/उन्नयन कार्य पर ₹ 364.88 करोड़ का उपयोग किया।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव ने बताया कि यद्यपि कुल संसाधन में से 33 प्रतिशत निधियां नियोजित करने का प्रावधान था, परंतु मानव संसाधन की व्यापक कमी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य केंद्रों की कार्यशीलता के हिसाब से अधोसंरचना का विकास किया गया। वर्ष 2015–16 में 2,000 नए एस.सी. बनाने की योजना बनाई गई है तथा सी.एच.सी. एवं पी.एच.सी. के अंतर को कम करने के लिए आगामी वर्षों में चरणबद्ध तरीके से काम किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि राज्य शासन ने ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र की उपलब्धता में कमी को भरने के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की थी। आगे, एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत मध्य प्रदेश विशेष ध्यान वाले राज्य में होने के बावजूद, राज्य शासन ने स्वास्थ्य क्षेत्र को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी, जैसा कि वर्ष 2011–15 के दौरान मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य क्षेत्र पर औसत व्यय, सामान्य वर्ग के राज्यों की तुलना में कम था। जिसे नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के राज्य वित्त के प्रतिवेदन समाप्ति वर्ष मार्च 2014 एवं मार्च 2015 के अंतर्गत कंडिका 1.7.1 में प्रतिवेदित किया गया था।

2.1.11.1 स्वास्थ्य अधोसंरचना का निर्माण

आर.एम.एन.सी.एच.+ए. के दिशानिर्देशों में परिकल्पना की गई है कि सी.एच.सी. स्तर तक के नए निर्माण कार्य अधिकतम दो वर्ष में तथा जिला अस्पताल स्तर तक के निर्माण कार्य अधिकतम तीन वर्ष में पूर्ण किया जाना चाहिए। किसी भी स्वास्थ्य केंद्र के लिए प्रांभ किए गए जीर्णोद्धार/मरम्मत कार्यों को एक वर्ष के अंदर पूरा किया जाना चाहिए।

राज्य में, राज्य स्वास्थ्य समिति निर्माण कार्य एस.एच.एस. तथा डी.एच.एस. स्तर पर अपने सिविल विंग के माध्यम से करवाता है। बड़े कार्यों को लोक निर्माण विभाग को निक्षेप कार्य के माध्यम से करवाने के लिए सौंपा गया था। वर्ष 2011–16 की अवधि में एस.एच.एस. ने निर्माण गतिविधियों पर ₹ 242.58 करोड़ व्यय किया था। वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में प्रस्तावित निर्माण कार्य की स्थिति तालिका—2.1.11 में दर्शाई गई है।

तालिका—2.1.11: 31 मार्च 2016 को निर्माण कार्य स्थिति

एजेंसी का नाम	कुल प्रस्तावित एवं कार्यान्वित कार्य	प्रशासकीय स्वीकृति के अनुसार कुल लागत (₹ करोड़ में)	कार्यों की स्थिति			
			निरस्त	अप्रारंभ	निर्माणाधीन	पूर्ण
एस.एच.एस. का सिविल विंग	1098	409.61	22	13	549	513
राज्य लो.नि.वि.	17	116.05	0	3	10	4
योग	1115	525.66	22	16	559	517

(स्रोत: राज्य स्वास्थ्य समिति)

¹⁴ किसी राज्य को वित्तीय वर्ष में आवंटित कुल संसाधनों में ऐसे अव्ययित व्यय, जिनके साथ पूर्व वर्ष की कोई प्रतिबद्धता नहीं है, वर्ष में भारत सरकार से प्रस्तावित जारी होने वाली निधियां तथा उस वर्ष के लिए राज्य अंशदान समाहित होता है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्नलिखित परिलक्षित हुआ:

- **निरस्त कार्य:** वर्ष 2011–16 की अवधि में एस.एच.एस. ने 16 जिलों में 22 कार्य निरस्त किए थे। ये कार्य नवीन एस.सी. के निर्माण, एस.सी. तथा पी.एच.सी. के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन, ए.एन.एम. प्रशिक्षण स्कूल एवं छात्रावास के निर्माण से संबंधित थे, जैसा कि **परिशिष्ट 2.1.11** में दर्शित है। इन कार्यों को निर्माण स्थल के नजदीक अन्य स्वारथ्य सुविधाओं की उपलब्धता, भूमि की अनुपलब्धता, निर्माण के स्थल में परिवर्तन के कारण निरस्त किया गया था। इस प्रकार, स्वारथ्य सुविधाओं की आवश्यकता तथा भूमि की उपलब्धता का उचित आकलन, निर्माण के कार्य प्रस्ताव से पूर्व नहीं किया गया था।

आगे, नमूना परीक्षित 13 में से तीन जिलों¹⁵ में चार निर्माण कार्यों को निरस्त किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट-2.1.12** में दर्शित है। इनमें से स्थान का गलत चयन होने के कारण दो कार्यों (एस.सी. नीमपानी का निर्माण एवं खैरी में लॉण्ड्री का निर्माण) पर ₹ 24.05 लाख का निष्फल व्यय हुआ था।

- **निर्माण कार्य प्रारंभ न होना:** राज्य स्तर पर लागत ₹ 46.93 करोड़ के 16 स्वीकृत कार्य, गलत स्थल चयन, भूमि की अनुपलब्धता, राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण इत्यादि होने के कारण प्रारंभ नहीं किया जा सके, जैसा कि **परिशिष्ट-2.1.13** में दर्शित है। इसी प्रकार, नमूना परीक्षित 13 में से आठ जिलों में, वर्ष 2013–16 की अवधि में डी.एच.एस. द्वारा स्वीकृत 16 कार्य ठेकेदार को कार्य आदेश दिए जाने के बावजूद प्रारंभ नहीं किये जा सके जैसा कि **परिशिष्ट-2.1.14** में दर्शाया है।

- **अपूर्ण निर्माण कार्य:** राज्य स्तर पर कुल 559 अपूर्ण निर्माण कार्यों में से 434 कार्य, जिस पर 31 मार्च 2016 तक ₹ 231.46 करोड़ व्यय हो चुका था, निर्धारित समयावधि समाप्त होने के बावजूद पूर्ण नहीं किए जा सके। विलंब का मुख्य कारण नक्शा/लेआउट को अंतिम रूप देने में विलंब, भूमि की अनुपलब्धता, विवादित भूमि तथा निर्माण स्थल का वन क्षेत्र में स्थित होना था।

इसी प्रकार, नमूना परीक्षित 13 में से 10 जिलों में यह पाया गया कि डी.एच. में निर्माण/उन्नयन के 17 कार्य, सी.एच.सी. में 13 कार्य, पी.एच.सी. में 23 कार्य तथा एस.सी. में 125 कार्य निर्धारित समयावधि से दो से 110 माह अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी अपूर्ण थे। इन कार्यों पर ₹ 25.41 करोड़ व्यय किया गया था जैसा **परिशिष्ट-2.1.15** में दर्शाया गया है।

- **पूर्ण भवनों के अधिगृहण में विलंब:** पूर्ण निर्माण कार्यों को तत्काल अधिगृहित किया जाना चाहिए, जिससे कि उसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जा सके, जिसके लिए निर्माण हुआ था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि लागत राशि ₹ 3.36 करोड़ से पूर्ण हुए 33 निर्माण/उन्नयन कार्य, जो कि डी.एच., सी.एच.सी., पी.एच.सी., तथा एस.सी. से संबंधित थे, को संबंधित स्वारथ्य संस्थान द्वारा पूर्णता से 12 से 16 महीने का समय व्यतीत होने के बाद भी अधिगृहित नहीं किया गया था जैसा **परिशिष्ट-2.1.16** में दर्शाया गया है। लागत ₹ 0.48 करोड़ से पूर्ण किए गए दो निर्माण कार्य, एस.सी. गोपालपुर जिला डिंडोरी तथा लाण्ड्री भवन जिला राजगढ़ अधिगृहित होने के बाद भी अनुपयोगी पड़े थे।

एस.एच.एस. ने उत्तर दिया (मई 2016) कि मानव संसाधन की सीमित उपलब्धता तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मानव संसाधन की वृद्धि के रणनीतिक परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा स्वारथ्य संस्थानों की कमियों की पूर्ति हेतु ठोस कदम उठाए जा रहे थे। हालांकि, कोई समय सीमा या ठोस कार्य योजना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई।

¹⁵ बैतूल, मंडला एवं रतलाम।

2.1.11.2 स्वास्थ्य अधोसंरचना का उन्नयन

एन.आर.एच.एम. में परिकल्पना की गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों के वर्तमान स्तर को 'भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक' (आई.पी.एच.एस.) के अनुरूप उन्नयित किया जाना था। आई.पी.एच.एस. सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों के विभिन्न घटकों से अपेक्षित गुणवत्ता के लिए एक मानदंड था तथा इसका उपयोग स्वास्थ्य वितरण प्रणाली की कार्यक्षमता के आकलन हेतु किया जा सकता था।

एस.एच.एस. ने सूचित (जुलाई 2016) किया कि राज्य द्वारा आई.पी.एच.एस. मानदंड के अनुसार स्वास्थ्य केंद्रों पर मानव संसाधन तथा अधोसंरचना उपलब्ध नहीं कराया गया। आगे, बताया कि भारत सरकार द्वारा आई.पी.एच.एस. मानदंड के अनुसार बजट भी उपलब्ध नहीं कराया गया था। राज्य द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानदंड (एन.क्यू.ए.एस.) का कार्यान्वयन 2014 से किया गया था तथा स्वास्थ्य केंद्र एन.क्यू.ए.एस. के अनुरूप उन्नयित किए जा रहे थे।

2.1.11.3 उप स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य अधोसंरचना की गुणवत्ता

उप स्वास्थ्य केंद्र महत्वपूर्ण प्रारंभिक संस्थान है तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली एवं समुदाय के मध्य पहला संपर्क बिंदु है। उप स्वास्थ्य केंद्र दो वर्गों में वर्गीकृत थे। टाईप-ए एस.सी. प्रसव सुविधा को छोड़कर सभी निर्धारित सेवाएं प्रदान करता है। टाईप-बी उप स्वास्थ्य केंद्र को प्रसव केंद्र के रूप में घोषित किया गया है।

राज्य में कुल 9,192 एस.सी. में से 337 (चार प्रतिशत) को प्रसव केंद्र (टाईप-बी) के रूप में घोषित किया गया था। अतः प्रसव सेवा प्रदाय करने वाले एस.सी. का अनुपात नगण्य था। इसके अतिरिक्त, टाईप-बी घोषित 337 एस.सी. में से केवल 241 वास्तव में प्रसव सुविधा प्रदाय कर रहे थे। शेष 96 एस.सी. को मानव संसाधन तथा आवश्यक अधोसंरचना की कमी के कारण उन्नयित नहीं किया जा सका था।

149 एस.सी. (चार टाईप-बी तथा 145 टाईप-ए) के निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि 49 एस.सी. 5,500 से अधिक जनसंख्या को कवर कर रहे थे तथा 33 एस.सी. पर चिकित्सक द्वारा माह में एक बार भी भ्रमण नहीं किया जा रहा था। आगे, 13 एस.सी. या तो पी.एच.सी. भवन में या पी.एच.सी. से जुड़े हुए भवन में कार्यशील थी, जो कि इसकी उपयोगिता की अनावश्यकता को दर्शाता है। अधोसंरचना में अन्य मुख्य कमियों का सारांश तालिका—2.1.12 में दर्शाया गया है।

तालिका—2.1.12: उप स्वास्थ्य केंद्रों पर अधोसंरचना की मुख्य कमियाँ

संक्र.	कमियाँ	उप स्वास्थ्य केंद्र की संख्या	प्रतिशत
1	बिना एस.बी.ए. प्रशिक्षित ए.एन.एम के कार्यशील	92	69
2	बिना बिजली सप्लाई के कार्यशील	60	44
3	बिना प्रसव कक्ष के कार्यशील	125	93
4	बिना परीक्षण टेबल के कार्यशील	44	33
5	बिना शौचालय के कार्यशील	55	43
6	बिना प्रसव टेबल के कार्यशील	105	77
7	बिना चारदीवारी के कार्यशील	108	91
8	ऐसे एस.सी. जिनके पास कचरा संग्रहित था	96	80
9	ऐसे एस.सी. जिनमें ए.एन.एम. क्वार्टर उपलब्ध नहीं था।	75	56

	
खराब साफ सफाई— एस.सी. भवन भोपालपुरा के पास गोबर का जमाव (जिला टीकमगढ़)	एस.सी. भवन हिम्मतगढ़ (जिला धार), अनुपयोगी पड़ा है, जबकि यह अन्य भवन में कार्यशील है।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि 2007 के बाद से राज्य में बने सभी टाईप-ए एस.सी. भवन में अधोसंरचना के मानदंड जैसे कि सभी एस.सी. में एक लेबर रूम के साथ एक ए.एन.एम. के रहने के स्थान को पूरा किया गया है। आगे, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार टाईप-बी एस.सी. के साथ दो ए.एन.एम. के रहने का स्थान बनाया जा रहा था तथा चिह्नित प्रसव केंद्रों पर प्राथमिकता के अधार पर ए.एन.एम. की तैनाती की जा रही थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि केवल चार प्रतिशत एस.सी. को ही प्रसव केंद्र के रूप में घोषित किया जा सका था तथा नमूना परीक्षित एस.सी. भवनों में, अधोसंरचना तथा सुविधाओं का अभाव था।

2.1.11.4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य अधोसंरचना की गुणवत्ता

प्रथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पी.एच.सी.) शासकीय क्षेत्र में ग्रामीण जनों को अर्हताप्राप्त चिकित्सक से मिलने का प्रथम स्थान है। पी.एच.सी. का उन्नयन 24x7 पी.एच.सी. के रूप में करना, एन.आर.एच.एम. के उद्देश्यों में से एक था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि राज्य के कुल 1,172 पी.एच.सी. में से 745 पी.एच.सी. पर 24x7 सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य था, जबकि केवल 638 पी.एच.सी. ही 24x7 के रूप में कार्यशील थी। आगे, 461 पी.एच.सी. को बीमांक¹⁶ सेवाओं हेतु चिह्नित किया गया था, जबकि केवल 405 पी.एच.सी. ही इन सेवाओं को प्रदाय कर रही थी। पी.एच.सी. में 24x7 एवं बीमांक सेवाओं में कमी, आवश्यक अधोसंरचना तथा मानव संसाधन अभाव के कारण थी।

नमूना परीक्षित 13 जिलों के 51 पी.एच.सी. के निरीक्षण के दौरान, अधोसंरचना एवं सुविधाओं में पाई गई कमियों का सारांश तालिका—2.1.13 में दर्शाया गया है।

तालिका— 2.1.13: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अधोसंरचना में कमियां

स.क्र.	अधोसंरचना / सुविधाएं	पी.एच.सी. की संख्या	प्रतिशत
1	ए.एन.सी. सुविधा उपलब्ध नहीं थी	08	16
2	प्रसव सेवा उपलब्ध नहीं थी	12	24
3	प्रसवोपरांत देखभाल उपलब्ध नहीं थी	07	14
4	एम.टी.पी. सेवा उपलब्ध नहीं थी	44	86

¹⁶ बुनियादी आकस्मिक प्रसूति रोग तथा नवजात देखभाल।

संक्र.	अधोसंरचना / सुविधाएं	पी.एच.सी. की संख्या	प्रतिशत
5	टीकाकरण सहित शिशु देखभाल उपलब्ध नहीं थी	07	14
6	परिवार नियोजन तथा गर्भनिरोधक सेवाएं उपलब्ध नहीं थी	9	18
7	जाँच सेवाएं उपलब्ध नहीं थी	26	51
8	आपातकालीन कक्ष उपलब्ध नहीं थी	34	67
9	अलग—अलग महिला एवं पुरुष वार्ड उपलब्ध नहीं थे	38	75



पी.एच.सी. सतीपुरा भवन (जिला धार) विगत पांच वर्षों से परित्यक्त था। लेखापरीक्षा दल के निरीक्षण के दौरान प्याज रखा हुए पाया गया।

पी.एच.सी. सकरावद (जिला रतलाम) का भवन एवं अधोसंरचना अच्छी थी, परंतु चिकित्सक की तैनानी नहीं थी। रोगियों की देखरेख हेतु केवल एक फर्मासिस्ट की तैनाती थी।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव ने बताया कि मुददा मानव संसाधन की कमी से संबंधित है, जिसे उसकी उपलब्धता के अनुसार दूर किया जाएगा।

एक नजर में पी.एच.सी. बरखेड (मुल्टई ब्लॉक) जिला बैतूल

पी.एच.सी. बरखेड से चार उप स्वास्थ्य केंद्र जुड़े थे, जिसमें 25,000 जनसंख्या समाविष्ट थी। वर्ष 2014–16 के दौरान पी.एच.सी. पर 8,301 मरीजों ने ओ.पी.डी. की सेवाएं प्राप्त की थी। चिकित्सक, प्रयोगशाला तकनीशियन, कम्पाउण्डर, ड्रेसर तथा वार्ड बॉय के पद पी.एच.सी. हेतु स्वीकृत किए गए थे। पी.एच.सी. के निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि पी.एच.सी. आवश्यक भवन, स्टॉफ क्वार्टर, अधोसंरचना, औषधि तथा उपकरण से सुसज्जित थी, जैसा कि नीचे छायाचित्रों में देखा जा सकता है:



	
	
<p>हालांकि, पी.एच.सी. पर केवल एक वार्ड बॉय की तैनाती थी तथा चिकित्सक या अन्य परा चिकित्सा स्टॉफ की तैनाती नहीं थी। परिणामस्वरूप बार्ड बॉय द्वारा अपने आकलन के आधार पर ओ.पी.डी. मरीजों को एंटीबायटिक्स सहित औषधियां वितरित की जा रही थी। इस प्रकार, चिकित्सकीय उपेक्षा एवं गलत औषधियां दिए जाने की सम्भावना के कारण अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बाबत् ग्रामीण जन जोखिमपूर्ण स्थिति में थे। क्योंकि वार्डबॉय चिकित्सा या परा चिकित्सा कार्य करने के लिए प्रशिक्षित नहीं होता है। यह पी.एच.सी. के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया को दर्शाता है।</p> <p>लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर सी.एम.एच.ओ. बैतूल ने बताया (दिसम्बर 2016) कि चिकित्सा तथा परा चिकित्सा स्टॉफ के रिक्त पदों के विरुद्ध तैनाती राज्य स्तर से किया जाना था। तदापि, अब संविदा आधार पर एक फार्मासिस्ट की तैनाती पी.एच.सी. बरखेड़ में हो चुकी है।</p> <p>तथ्य यथावत है कि पी.एच.सी. में शासकीय राशि के निवेश का उपयोग अपेक्षित, निवारक, प्रोत्साहक तथा उपचारात्मक सेवाएं पर नहीं हो पाया था।</p>	

2.1.11.5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य अधोसंरचना की गुणवत्ता

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सी.एच.सी.) स्वास्थ्य देखभाल का द्वितीय स्तर का केंद्र है, जिसे ग्रामीण आबादी को रेफरल सुविधा के साथ-साथ विशेषज्ञ स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए बनाया गया है। एन.आर.एच.एम. के अनुसार, सी.एच.सी. को प्रथम रेफरल यूनिट (एफ.आर.यू.) के रूप में सभी प्रसूतियों का विस्तृत आपातकालीन प्रबंधन, सीजेरियन सेवा तथा अन्य शाल्यक्रिया सेवा, रक्त बैंक/संग्रहण केंद्र तथा सभी बीमार नवजात के प्रबंधन हेतु उन्नत किया जाना था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि सी.एच.सी. का उन्नयन आई.पी.एच.एस. मानकों के समतुल्य नहीं किया जा सका। तदापि, एस.एच.एस. ने राज्य में कुल 334 सी.एच.सी. में से 63 को एफ.आर.यू. के लिए लक्षित किया गया था। जिसमें से केवल 30 सी.एच.सी. का उन्नयन एफ.आर.यू. के रूप में हो सका, शेष मानव संसाधन तथा अधोसंरचना की कमी के कारण उन्नयित नहीं किए जा सके। परिणामस्वरूप, वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान शासकीय संस्थानों में हुए कुल 2.87 लाख सीजेरियन प्रसव में से, केवल 9,046 (तीन प्रतिशत) ही सी.एच.सी. में हुए जैसा कि चार्ट-2.1.6 में इंगित है।

कुल 334 सी.एच.सी. में से 30 सी.एच.सी. को एफ.आर.यू. के रूप में उन्नत हो पाए थे। इन उन्नत एफ.आर.यू. में से नमूना परीक्षित चार प्रकरणों में एफ.आर.यू. वास्तव में क्रियाशील नहीं थी।

चार्ट-2.1.6: सीजेरियन प्रसव की स्थिति



(स्रोत: राज्य स्वास्थ्य समिति, एच.एम.आई.एस.)

सी.एच.सी. को आई.पी.एच.एस. के समतुल्य नहीं बना सके।

आगे, नमूना परीक्षित जिले की संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि धार जिले के तीन¹⁷ सी.एच.सी. तथा मंडला जिले के एक¹⁸ सी.एच.सी., एफ.आर.यू. के रूप में क्रियाशील नहीं थे, यद्यपि एस.एच.एस. द्वारा इन्हें एफ.आर.यू. घोषित किया गया था। ये सी.एच.सी. सीजेरियन प्रसव नहीं करा रहे थे, जो कि एफ.आर.यू. द्वारा आवश्यक रूप से किया जाना था।

नमूना परीक्षित 13 जिलों के 27 सी.एच.सी. के निरीक्षण के दौरान आई.पी.एच.एस. मानकों के अनुसार आवश्यक अधोसंरचना एवं सुविधाओं का अभाव था, जिसका सारांश तालिका-2.1.14 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.1.14: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अधोसंरचना की कमी

क्र.सं.	अधोसंरचना / सुविधा	सी.एच.सी. की संख्या	प्रतिशत
1	शल्यक्रिया की सुविधा उपलब्ध नहीं थी	24	89
2	प्रसूति एवं स्त्रीरोग सुविधा उपलब्ध नहीं थी	23	85
3	आपातकालीन सुविधा उपलब्ध नहीं थी	20	74
4	सुरक्षित गर्भापात सुविधा उपलब्ध नहीं थी	14	52
5	शौचालय क्रियाशील नहीं थे	10	37
6	अलग—अलग वार्ड नहीं थे	08	30
7	ऑपरेशन थियेटर नहीं थे	03	11
8	नवजात स्टेबिलाइजेशन यूनिट नहीं थी	17	63
9	अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा उपलब्ध नहीं थी	26	96
10	रक्त संग्रहण सुविधा उपलब्ध नहीं थी	25	93

¹⁷ सी.एच.सी. बदनावर, कुक्षी तथा मनावर।

¹⁸ सी.एच.सी. नैनपुर।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव ने बताया कि निजी क्षेत्र से स्त्रीरोग विशेषज्ञ तथा निश्चेतना विशेषज्ञ की सेवाएं पारिश्रमिक पर लेकर सी.एच.सी. को एफ.आर.यू. के रूप में उन्नत करने का प्रयास किया जा रहा था।

2.1.11.6 जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य अधोसंरचना की गुणवत्ता

स्वास्थ्य देखभाल के लिए जिला अस्पताल (डी.एच.) एक द्वितीयक रेफरल स्तर का स्वास्थ्य केंद्र है। राज्य के सभी 51 डी.एच., एफ.आर.यू. के रूप में, सभी स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए कार्यशील थे। हालांकि, नमूना परीक्षित 13 जिलों के 13 जिला अस्पतालों के निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा ने ऑपरेशन थियेटर (चार डी.एच.), ए.एन.सी. वार्ड (एक डी.एच.) तथा अन्य अधोसंरचना का अभाव देखा जैसा कि परिशिष्ट—2.1.17 में दर्शाया गया तथा नीचे छायाचित्र में है।

	
जिला अस्पताल पन्ना के परिसर में आवारा पशु, जल जमाव तथा कचरे का ढेर लगा हुआ था।	जिला अस्पताल पन्ना के परिसर में कूड़ा बीनने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के ढेर से कूड़ा एकत्र कर रहे थे।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव ने बताया कि डी.एच. का सुदृढ़ीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना था तथा अस्पताल अधोसंरचना में आधुनिक तकनीकें जैसे माड्यूलर ओ.टी., लिफ्ट, सी.टी. स्कैन मशीन इत्यादि को अपनाने का प्रयास किया जा रहा था।

2.1.11.7 स्टॉफ क्वार्टर की उपलब्धता

सभी स्वास्थ्य केंद्रों को पूरी तरह कार्यशील करने के लिए स्वास्थ्य केंद्र के पास आवासीय क्वार्टर की उपलब्धता महत्वपूर्ण थी। आई.पी.एच.एस. के मानदंड के विरुद्ध चयनित 13 जिले के नमूना परीक्षित 11 डी.एच., 27 सी.एच.सी. तथा 52 पी.एच.सी. में स्टॉफ क्वार्टर की उपलब्धता की स्थिति तालिका—2.1.15 में इंगित है।

तालिका—2.1.15: नमूना परीक्षित डी.एच./सी.एच.सी./पी.एच.सी. में चिकित्सा एवं परा चिकित्सा स्टॉफ के लिए स्टॉफ क्वार्टर की स्थिति

स्वास्थ्य केंद्र का नाम	चिकित्सकीय			स्टॉफ नर्स/ए.एन.एम./परा चिकित्सा		
	आवश्यक	उपलब्ध	कमी	आवश्यक	उपलब्ध	कमी
डी.एच.	374	73	301	1452	133	1319
सी.एच.सी.	282	158	124	168	71	97
पी.एच.सी.	52	30	22	260	46	214
योग	708	261	447	1880	250	1630

(स्रोत: लेखापरीक्षा के दौरान स्वास्थ्य केंद्रों से इकत्रित जानकारी)

सभी स्तरों के स्वास्थ्य केंद्रों पर स्टॉफ क्वार्टर की कमी पाई गई।

इस प्रकार, 447 (63 प्रतिशत) स्टॉफ क्वार्टर चिकित्सा अधिकारियों के लिए तथा 1,630 (87 प्रतिशत) स्टॉफ क्वार्टर परा चिकित्सा कर्मचारियों के लिए कम थे। आगे, नमूना जाँच हेतु चयनित जिलों में यह परिलक्षित हुआ कि डी.एच. मंडला में 166 स्टॉफ क्वार्टर्स की आवश्यकता के विरुद्ध केवल दो स्टॉफ क्वार्टर उपलब्ध थे। हालांकि, सी. एच.सी. कोतमा (अनूपपुर) में चिकित्सकों के आठ स्टॉफ क्वार्टर तथा परा चिकित्सा के पांच क्वार्टर खाली थे। इसी प्रकार, पी.एच.सी. बराछ एवं ककरहटी (पन्ना) में चिकित्सक स्टॉफ क्वार्टर में नहीं रह रहे थे। पी.एच.सी. सिमरा (टीकमगढ़) में उपलब्ध सभी चार स्टॉफ क्वार्टर, पी.एच.सी. अलग—थलग जगह पर अवस्थित होने के कारण रिक्त थे।

ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, सी.एच.सी. कोतमा ने बताया (अप्रैल 2016) कि शहर से दूर होने के कारण स्टॉफ क्वार्टर खाली पड़े थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं ने निर्देशित (जून 2013) किया था कि सभी सी.एम.एच.ओ यह सुनिश्चित करें कि चिकित्सक एवं अन्य स्टॉफ अपने नियुक्ति मुख्यालय पर निवास कर रहे हैं।



पी.एच.सी. भराबी (बैतूल) में स्टॉफ क्वार्टर जीर्ण शीर्ण अवस्था में

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव ने बताया कि वर्तमान में कार्यशील प्रसव केंद्रों की स्थिति को प्राथमिकता देते हुए स्टॉफ क्वार्टर की कमी को दूर करने पर ध्यान दिया जा रहा था। वित्तीय अनुमानों को शीघ्र ही राज्य शासन को प्रस्तुत किया जाएगा।

2.1.12 स्वास्थ्य सेवा कार्मिकों की उपलब्धता

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिणामों में सुधार का सीधा संबंध प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता से है। मिशन का उद्देश्य सभी स्तर पर प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता में वृद्धि करना है। एस.एच.एस. द्वारा मानव संसाधन की विद्यमानता में व्याप्त कमियों को चिह्नांकित करने हेतु स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध मानव संसाधन का एक डाटा संधारित करने की आवश्यकता थी। राज्य शासन ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी था। एन.आर.एच.एम. अल्पकाल के अंतर को भरने के लिए संविदा नियुक्ति की सुविधा प्रदान करता था।

अभिलेखों की संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि एस.एच.एस. के पास राज्य के केवल ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों के कुल मानव संसाधन के अंकड़े थे। प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर नियमित एवं संविदा दोनों की स्थिति में उपलब्ध मानव संसाधन की जानकारी नहीं थी। परिणामस्वरूप किसी एस.एच.एस. स्वास्थ्य केंद्र विशेष पर विद्यमान अंतर की पहचान करने की स्थिति में नहीं थी।

2.1.12.1 उप स्वास्थ्य केंद्र

आई.पी.एच.एस. तथा राज्य शासन के मानदंड के अनुसार प्रत्येक एस.सी. पर एक ए.एन.एम. तथा एक एम.पी.डब्ल्यू. (पुरुष) का प्रावधान था। इसके विरुद्ध, राज्य के सभी 9,192 उप स्वास्थ्य केंद्रों पर ए.एन.एम. की तैनाती की गई थी। हालांकि राज्य में केवल 5,302 एम.पी.डब्ल्यू. (पुरुष) तैनाती की गई थी, इस प्रकार, 3,890 एम.पी.डब्ल्यू. (पुरुष) की कमी थी। नमूना परीक्षित 13 जिलों में 2,571 एस.सी. पर ए.एन.एम. एवं एम.पी.डब्ल्यू. (पुरुष) की तैनाती की स्थिति तालिका—2.1.16 में दर्शित थी।

तालिका—2.1.16: 31 मार्च 2016 की स्थिति में चयनित जिलों के एस.सी. पर मानव संसाधन की स्थिति

पद का नाम	राज्य एवं आई.पी.एच.एस. के मानदंड के अनुसार आवश्यकता	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	स्वीकृत संख्या के आधार पर रिक्तियां	मानदंड के अनुसार कमी
ए.एन.एम. एवं एम.पी.डब्ल्यू. (पुरुष)	5142	4360	3593	767	1549

(स्रोत: जिला स्वास्थ्य समितियां)

इस प्रकार, नमूना परीक्षित 13 चयनित जिलों के 2,571 एस.सी. पर ए.एन.एम. एवं एम.पी.डब्ल्यू. (पुरुष) की स्वीकृत पद संख्या आई.पी.एच.एस. द्वारा इन व्यक्तियों की तैनाती के मानदंड से 15 प्रतिशत कम थी। आगे, स्वीकृत पद के विरुद्ध 767 (18 प्रतिशत) ए.एन.एम. एवं एम.पी.डब्ल्यू. (पुरुष) के पद रिक्त थे। यह कमी ग्रामीण जनसंख्या को प्रदाय की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को बुरी तरह प्रभावित करती थी क्योंकि ए.एन.एम. एवं एम.पी.डब्ल्यू. (पुरुष) जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण सेवा प्रदायकर्ता थे।

2.1.12.2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

आई.पी.एच.एस. तथा राज्य शासन के मानदंड के अनुसार पी.एच.सी. पर एक चिकित्सक की नियुक्ति की जानी थी। एस.एच.एस. द्वारा प्रदाय की गई जानकारी के अनुसार अप्रैल 2016 की स्थिति में राज्य के कुल 1,172 पी.एच.सी. में से 503 पी.एच.सी. बिना चिकित्सक के क्रियाशील थी। आगे, प्रयोगशाला तकनीशियन तथा फार्मासिस्ट क्रमशः 525 एवं 312 पी.एच.सी. में नियुक्त नहीं थे।

चयनित 13 जिलों के 359 पी.एच.सी. में चिकित्सा अधिकारियों तथा परा चिकित्सा स्टॉफ की तैनाती की स्थिति तालिका—2.1.17 में दर्शाई गई है:

तालिका—2.1.17: चयनित जिले के पी.एच.सी. पर मानव संसाधन की स्थिति

पद का नाम	आई.पी.एच.एस. मानदंड के अनुसार आवश्यक	स्वीकृत संख्या	कार्यरत	स्वीकृत पद के अनुसार रिक्ती	आई.पी.एच.एस. मानदंड के अनुसार कमी
चिकित्सा अधिकारी	359	472	215	257	144
परा चिकित्सा	2872	1504	975	529	1897
कुल योग	3231	1976	1190	786	2041

(स्रोत: जिला स्वास्थ्य समितियां)

इस प्रकार, कुल 359 पी.एच.सी. में स्वीकृत संख्या के विरुद्ध 257 चिकित्सकों की कमी थी। आगे, कुल 359 में से 168 पी.एच.सी., बिना चिकित्सक के क्रियाशील थी, यद्यपि तैनाती मानदंड के अनुसार प्रत्येक पी.एच.सी. पर एक चिकित्सक की तैनाती की जानी थी। तीन¹⁹ पी.एच.सी. जो कि आधारभूत आकस्मिक प्रसव एवं नवजात देखभाल (बीमांक) केंद्र के रूप में घोषित थे, बिना चिकित्सक के क्रियाशील थे।

¹⁹ पी.एच.सी. काकमोहनिया (डिंडोरी), कंडिया तथा रिंगनोड (रतलाम)।

2.1.12.3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

चयनित 13 जिलों के 96 सी.एच.सी. में विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारी तथा परा चिकित्सा स्टॉफ की उपलब्धता की स्थिति तालिका—2.1.18 के अनुसार थी।

तालिका—2.1.18: चयनित जिलों में सी.एच.सी. पर मानव संसाधन की स्थिति

पद का नाम	आई.पी.एच.एस. मानदंड के अनुसार आवश्यक	राज्य शासन के मानदंड के अनुसार स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत पद के अनुसार रिक्ती	आई.पी.एच.एस. मानदंड के अनुसार कमी
विशेषज्ञ	480	346	13	333	467
चिकित्सा अधिकारी	384	254	215	39	169
परा चिकित्सा	2016	1639	1229	410	787
योग	2880	2239	1457	782	1423

(स्रोत: जिला स्वास्थ्य समितियां)

इस प्रकार, आई.पी.एच.एस. मानदंड तथा स्वीकृत पद संख्या के विरुद्ध समस्त सी.एच.सी. पर विशेषज्ञों, चिकित्सा अधिकारियों तथा परा चिकित्सा स्टॉफ की कमी थी। सात²⁰ सी.एच.सी. को छोड़कर शेष 89 सी.एच.सी. में कोई विशेषज्ञ (शल्य क्रिया, स्त्रीरोग, शिशुरोग तथा निश्चेतना) की नियुक्ति नहीं थी। आगे, आई.पी.एच.एस. मानदंड की तुलना में कम चिकित्सा अधिकारी तथा परा चिकित्सा स्टॉफ की स्वीकृति राज्य शासन द्वारा दी गई थी।

2.1.12.4 जिला अस्पताल

नमूना परीक्षित 13 जिला अस्पतालों में विशेषज्ञों, चिकित्सा अधिकारी तथा परा चिकित्सा स्टॉफ की स्थिति तालिका—2.1.19 के अनुसार थी।

तालिका—2.1.19: नमूना परीक्षित डी.एच. में मानव संसाधन की स्थिति

पद का नाम	आई.पी.एच.एस. मानदंड के अनुसार आवश्यक	राज्य शासन के मानदंड के अनुसार स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत पद के अनुसार रिक्ती	आई.पी.एच.एस. मानदंड के अनुसार कमी
विशेषज्ञ	330	375	145	230	185
चिकित्सा अधिकारी	240	288	258	30	-18
परा चिकित्सा	2271	1684	1273	411	998
योग	2841	2347	1676	671	1165

(स्रोत: जिला स्वास्थ्य समिति)

इस प्रकार, डी.एच. में विशेषज्ञ तथा परा चिकित्सा स्टॉफ की उपलब्धता, आई.पी.एच.एस. तथा राज्य शासन के मानदंड के अनुसार सुनिश्चित नहीं की गई थी। आगे, तीन डी.एच. (अनूपपुर, धार, खंडवा) में शल्य क्रिया विशेषज्ञ के पद रिक्त थे तथा दो डी.एच. (धार तथा टीकमगढ़) में प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ के पद रिक्त थे। डी.एच. डिंडोरी तथा राजगढ़ में शिशु रोग विशेषज्ञ नियुक्त नहीं थे तथा बैतूल एवं धार में निश्चेतना विशेषज्ञ के पद रिक्त थे।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव ने बताया कि रिक्त पद को भरने के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से चिकित्सा अधिकारी के लिए विज्ञापन जारी किया गया था तथा संविदा चिकित्सकों के काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रचलन में थी।

²⁰ सी.एच.सी. धामनोद में एक शल्यक्रिया विशेषज्ञ, सी.एच.सी. कुक्षी (धार), सी.एच.सी. महेश्वर (खरगौन) तथा मंडीदीप (रायसेन) प्रत्येक में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, सी.एच.सी. बाजना (रतलाम) में एक निश्चेतना विशेषज्ञ, सी.एच.सी. कुक्षी (धार), सी.एच.सी. खालवा (खंडवा), सी.एच.सी. बाजना (रतलाम) तथा सी.एच.सी. निवाड़ी (टीकमगढ़) प्रत्येक में एक शिशु रोग विशेषज्ञ।

2.1.12.5 अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा)

आशा स्वास्थ्य सेवा को गृह स्तर पर बढ़ावा देने के लिए समुदाय तथा लोक स्वास्थ्य प्रणाली को जोड़ने की एक कड़ी के रूप में कार्य करती है। आशा समुदाय को सार्वभौमिक टीकाकरण, सुरक्षित प्रसव, नवजात देखभाल तथा जलजनित एवं अन्य संक्रामक बीमारियों को रोकने बाबत प्रेरित करेगी। आशा ग्रामीण आबादी को आवश्यक स्वास्थ्य आपूर्ति जैसे ओरल रिहाईड्रेशन सोल्यूशन (ओ.आर.एस.), गर्भनिरोधक, ग्रामीणों के लिए मूलभूत दस औषधियों का एक सेट को तुरंत एवं आसान पहुंच के साथ प्रदाय करेगी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि राज्य में अप्रैल 2016 की स्थिति में कुल 62,206 आशा के विरुद्ध 58,730 आशा ही कार्यरत थी। इस प्रकार 3,476 आशा की कमी थी।

एस.एच.एस. द्वारा प्रदाय की गई जानकारी के अनुसार ड्रग किट सभी 58,730 आशा को वितरित किया गया था। हालांकि, चयनित 13 जिले में 129 आशा की ड्रग किट के भौतिक सत्यापन में परिलक्षित हुआ कि आवश्यक 16 औषधि/सामग्री से, केवल छह आशा की किट ही पूर्णतः लैस थी तथा शेष 123 आशा की किट में औषधि/सामग्री की उपलब्धता सात से 15 तक थी। महत्वपूर्ण सामग्री/औषधि जो किट में नहीं थी उनमें थर्मामीटर, गर्भनिरोधक गोली, डिस्पोजेबल डिलीवरी किट इत्यादि थी। 416 आशा के सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण परिणामों से निम्नानुसार परिलक्षित हुआ:

- **प्रशिक्षण:** जे.एस.वाई. के अंतर्गत आशा को आकस्मिक परिस्थितियों में सामान्य प्रसव के लिए प्रशिक्षित करना था। हालांकि, सर्वेक्षित 304 आशा इस आपातकालीन परिस्थिति के लिए प्रशिक्षित नहीं थी तथा उनके पास सामान्य प्रसव के लिए आवश्यक उपकरण नहीं थे। यह स्थिति उन्हें प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाय करने में बाधक थी।
- **किट का उपयोग:** 365 आशा के पास डिस्पोजेबल प्रसव किट नहीं था। आशा किट रखने वाली कुल 41 आशा में से आठ उसका उपयोग करना नहीं जानती थी। आगे, 268 आशा के पास ब्लड प्रेशर मॉनिटर था, उनमें से 96 उसका उपयोग करना नहीं जानती थी। इसी तरह, 21, 7, तथा 30 आशा के पास क्रमशः पैरासिटामोल गोली, आयरन गोली तथा कृमिनाशक गोली नहीं थीं। यह आशा की प्रभावकारिता को, अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रदाय करने में कम करता है।
- **प्रोत्साहन राशि की प्राप्ति:** जे.एस.वाई. के अंतर्गत, आशा को प्रत्येक क्रियाकलाप जैसे ए.एन.सी., संस्थागत प्रसव, पी.एन.सी. इत्यादि के लिए प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाना चाहिए था। लेखापरीक्षा सर्वेक्षण से परिलक्षित हुआ कि 113 आशा को समय पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान हुआ, 135 आशा को लगभग प्रोत्साहन राशि समय पर मिला, 97 आशा को यदाकदा प्रोत्साहन राशि मिला, पांच आशा को शायद ही भुगतान मिला तथा चार आशा को कभी भी प्रोत्साहन राशि नहीं मिला। 62 आशा ने इस संबंध में कोई विशेष कारण नहीं बताया। यह आशा को परिश्रमपूर्वक कार्य करने के विषय में हतोत्साहित कर सकता है।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव ने बताया कि आशा का चयन एवं प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया थी। आशा की चयन एवं अनुशंसा की प्रक्रिया ग्राम पंचायत स्तर से शुरू होती है, जिनकी वर्ष में केवल चार बार ही बैठक होती है, इस प्रकार, आवश्यक आशाओं का चयन नहीं किया जा सका।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऐसी आशाएं भी थीं, जो थर्मामीटर, ब्लड प्रेशर मॉनीटर की रीडिंग लेने तथा आपातकालीन प्रकरण में सामान्य प्रसव कराने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं थीं।

2.1.13 स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक औषधियों की उपलब्धता

शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों में औषधि की उपलब्धता में सुधार की आवश्यकता को महसूस करते हुए राज्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना (सभी के लिए निःशुल्क औषधि योजना) नवम्बर 2012 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य, राज्य के सभी रोगियों के लिए सभी शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क न्यूनतम आवश्यक औषधियों की उपलब्धता की गारंटी देना था। 'सभी के लिए निःशुल्क औषधि वितरण योजना' प्रारंभ होने के बाद वर्ष 2013–14 से 2015–16 की अवधि में एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत राशि ₹ 280.92 करोड़ का आवंटन औषधि क्रय करने हेतु किया गया, जिसमें से ₹ 244.28 करोड़ का उपयोग किया गया था।

आई.पी.एच.एस. के अंतर्गत प्रत्येक स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों के लिए आवश्यक औषधियों की सूची निर्धारित की गई है। राज्य शासन ने भी मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सेवा गारंटी योजना के अंतर्गत एस.सी., पी.एच.सी., सी.एच.सी. तथा डी.एच. के लिए अपनी आवश्यक औषधियों की सूची जारी की है। चयनित 13 जिलों के नमूना परीक्षित 25 सी.एच.सी., 51 पी.एच.सी., 134 एस.सी. तथा 13 डी.एच. में औषधियों की उपलब्धता की स्थिति तालिका—2.1.20 में सारांशीकृत रूप में दर्शाई गई है।

तालिका—2.1.20: आई.पी.एच.एस. तथा राज्य शासन के मानदंड के अनुसार औषधियों की उपलब्धता की स्थिति

स्वास्थ्य सुविधा केंद्र का नाम	आई.पी.एच.एस. के अनुसार आवश्यक औषधि			राज्य शासन के मानदंड के अनुसार आवश्यक औषधि		
	आवश्यक	उपलब्ध (न्यूनतम/अधिकतम)	उपलब्ध नहीं (न्यूनतम/अधिकतम)	आवश्यक	उपलब्ध (न्यूनतम/अधिकतम)	उपलब्ध नहीं (न्यूनतम/अधिकतम)
एस.सी.	43	11/39	04/32	24	02/20	04/22
पी.एच.सी.	148	24/128	20/124	71	15/70	01/56
सी.एच.सी.	176	54/162	14/122	107	42/104	3/65
डी.एच.	493	160/351	142/333	147	82/135	12/65

(स्रोत: चयनित नमूना परीक्षित स्वास्थ्य केंद्र)

निर्धारित मानदंड के अनुसार आवश्यक औषधियों की उपलब्धता नहीं थी।

आवश्यक औषधियां निर्धारित मानदंड के अनुसार उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार, नमूना परीक्षित स्वास्थ्य केंद्रों में सभी आवश्यक औषधियां उपलब्ध नहीं थीं। आई.पी.एच.एस. एवं राज्य शासन के मानदंड के अनुसार इंजेक्शन—एड्रिनेलाइन, एम्पीसिलीन, टैबलेट—अमिनोफीलाईन, सिट्राजिन, कैल्सियम इत्यादि आवश्यक औषधियां नमूना परीक्षित स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध नहीं थीं।

स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण के दौरान औषधियों का अनुचित निस्तारण भी देखा गया जैसा कि नीचे के छायाचित्रों में प्रदर्शित है:

	
पी.एच.सी. खेडीकोट (बैतूल) में गड्ढे में ऐसी औषधियां डाली जा रही थीं, जिनकी अवसान तिथि शेष थी	एस.सी. मंगरोल (रतलाम) के पास अप्रयुक्त औषधियां फेंक दी गई

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि सभी जिलों को निर्देशित किया गया है कि औषधियां खरीद कर न्यूनतम औषधि सूची के अनुसार सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर औषधियों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करें। हालांकि, पूर्व में कुछ अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता स्टॉक की छदम कमी, कुछ स्टॉक के पाइप लाइन में रहने, आपूर्ति में देरी, वैकल्पिक औषधियों की उपलब्धता इत्यादि के कारण से कुछ अंतर विद्यमान था।

तथ्य यथावत है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन, स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में असफल रहे।

2.1.14 स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक उपकरण की उपलब्धता

आई.पी.एच.एस. एवं राज्य शासन ने प्रत्येक स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों के लिए आवश्यक उपकरण की सूची निर्धारित की थी। राज्य शासन ने वर्ष 2013–14 से 2015–16 में उपकरणों के क्रय के लिए राशि ₹ 57.85 करोड़ आवंटित किया, जिसमें से ₹ 33.76 करोड़ का उपयोग हुआ।

इस संबंध में, नमूना परीक्षित आठ सी.एच.सी., 14 पी.एच.सी., 41 एस.सी. तथा 12 डी.एच. में आवश्यक उपकरण की उपलब्धता की स्थिति को तालिका-2.1.21 में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका-2.1.21: आई.पी.एच.एस. एवं राज्य शासन के मानदंड के अनुसार उपकरण की उपलब्धता की स्थिति

स्वास्थ्य सुविधा केंद्र का नाम	आई.पी.एच.एस. के मानदंड अनुसार आवश्यक उपकरण			राज्य शासन के मानदंड के अनुसार आवश्यक उपकरण		
	आवश्यक	उपलब्ध (न्यूनतम/अधिकतम)	उपलब्ध नहीं (न्यूनतम/अधिकतम)	आवश्यक	उपलब्ध (न्यूनतम/अधिकतम)	उपलब्ध नहीं (न्यूनतम/अधिकतम)
एस.सी.	67	11/63	04/56	मानदंड निर्धारित नहीं		
पी.एच.सी.	92	03/78	14/89	52	03/46	06/49
सी.एच.सी.	265	44/207	58/221	85	34/85	0/51
डी.एच.	288	52/145	143/236	169	98/159	10/71

(स्रोत: चयनित नमूना परीक्षित स्वास्थ्य केंद्र)

इस प्रकार, आई.पी.एच.एस. या राज्य शासन के मानदंड के अनुसार सभी उपकरण किसी भी नमूना परीक्षित स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में उपलब्ध नहीं थे। इन केंद्रों में कुछ आवश्यक उपकरण जो उपलब्ध नहीं थे, वे ई.सी.जी. मशीन, नियोनेटल लैरिंगोस्कोप, इंक्यूबेटर, कोलोरीमीटर, फोटोथेरैपी यूनिट इत्यादि थे।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव ने बताया कि राज्य शासन ने अति आवश्यक, आवश्यक एवं वांछनीय उपकरण की सूची तैयार की है तथा सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर सभी अति आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे थे।

हालांकि, राज्य शासन द्वारा स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों को आवश्यक तथा अति आवश्यक उपकरणों को प्रदान करने की निर्धारित समय—सीमा निश्चित नहीं की गई।

2.1.15 स्वास्थ्य केंद्रों पर जाँच सेवाओं की उपलब्धता

आई.पी.एच.एस. ने प्रत्येक स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों के लिए जाँच सेवाएं निर्धारित की है। आगे, राज्य शासन ने भी मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सेवा गारंटी योजना के अंतर्गत एस.सी., पी.एच.सी., सी.एच.सी. एवं डी.एच. पर जाँच सेवाओं की उपलब्धता के लिए अपनी सूची जारी की है। ये सेवाएं इन सभी केंद्रों पर हर समय उपलब्ध रहनी थी।

नमूना परीक्षित 13 डी.एच., 24 सी.एच.सी., 52 पी.एच.सी. तथा 149 एस.सी. के स्वास्थ्य केंद्रों में जाँच सेवाओं की स्थिति तालिका—2.1.22 के अनुसार है।

तालिका—2.1.22: आई.पी.एच.एस. तथा राज्य शासन के मानदंड के अनुसार उपलब्ध जाँच सेवाओं की स्थिति

स्वास्थ्य सुविधा केंद्र का नाम	आई.पी.एच.एस. के मानदंड अनुसार जाँच सेवाएं			राज्य शासन के मानदंड के अनुसार जाँच सेवाएं		
	आवश्यक	उपलब्ध (न्यूनतम/अधिकतम)	उपलब्ध नहीं (न्यूनतम/अधिकतम)	आवश्यक	उपलब्ध (न्यूनतम/अधिकतम)	उपलब्ध नहीं (न्यूनतम/अधिकतम)
एस.सी.	04	01/04	0/3	05	3/5	0/2
पी.एच.सी.	21	01/21	0/20	16	0/16	0/16
सी.एच.सी.	36	12/31	05/24	28	16/28	0/12
डी.एच.	97	37/66	31/60	48	31/46	2/17

(स्रोत: चयनित नमूना परीक्षित स्वास्थ्य केंद्र)

इस प्रकार, नमूना परीक्षित किसी भी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सभी जाँच सेवाएं, न तो आई.पी.एच.एस. और न ही राज्य शासन के मानदंड के अनुसार दी जा रही थी। आगे, 52 नमूना परीक्षित पी.एच.सी. की संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि आठ²¹ पी.एच.सी. कोई भी जाँच सेवाएं प्रदान नहीं कर रहे थे।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव ने बताया कि सभी केंद्रों पर जाँच सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे थे। जिलों में निदानिक जाँचों की सतत सक्रिय निगरानी की जा रही थी।

2.1.16 मोबाइल मेडिकल यूनिट

मोबाइल मेडिकल यूनिट (एम.एम.यू.) का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल को ग्रामीण उपेक्षित तथा कठिन दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के द्वारा तक उपलब्ध कराना था। एम.एम.यू.

²¹ पी.एच.सी. खादनबुर्जग, सतीपुरा (धार), बरुद (खंडवा), बिसलवासकला, बडोदियाकला (नीमच), बराछ (पन्ना), गोघटपुर एवं सोनवारिया (राजगढ़)।

का संचालन एस.एच.एस. द्वारा चयनित सेवा प्रदाता द्वारा आपस में तय अनुबंध एवं शर्तों के आधार पर होता है।

एम.एम.यू. की सेवाएं लक्षित स्तर तक प्रदाय नहीं की जा सकी।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में एम.एम.यू. के संचालन के लिए आवंटित निधि ₹ 103.65 करोड़ में से केवल ₹ 57.03 करोड़ का ही उपयोग किया जा सका, जिसके कारण एम.एम.यू. सेवाएं सभी चिह्नित क्षेत्रों में नहीं दी जा सकी। राज्य में एम.एम.यू. सेवाएं की उपलब्धता की स्थिति **तालिका-2.1.23** में दर्शाई गई है।

तालिका-2.1.23: एम.एम.यू. के कवरेज की स्थिति

वर्ष	कवरेज के लिए लक्ष्य		वास्तविक कवरेज	
	कवरेज के लिए लक्षित जिलों की संख्या	जिलों में कवरेज के लिए लक्षित ब्लॉकों की संख्या	वास्तविक रूप से कवर किए जिलों की संख्या	वास्तविक रूप से कवर किए गए ब्लॉकों की संख्या
2011-12	33	123	33	123
2012-13	35	131	31	109
2013-14	35	131	30	108
2014-15	35	131	27	84
2015-16	35	131	25	78

(स्रोत: राज्य स्वास्थ्य समिति)

इस प्रकार, एम.एम.यू. सेवा का कवरेज एक घटती हुई प्रवृत्ति को दर्शा रहा था तथा वर्ष 2015–16 के दौरान कुल लक्षित 35 जिलों तथा 131 ब्लॉकों के विरुद्ध 25 जिलों तथा 78 ब्लॉकों को ही कवर किया जा रहा था।

कुल चयनित 13 जिलों में से, एम.एम.यू. सेवा नौ जिले में ही संचालित की जा रही थी, जिसे बाद में छह²² जिलों में बंद कर दिया गया था तथा नई सेवा प्रदायकर्ता का चयन करने की निविदा की प्रक्रिया जारी थी। तीन जिलों के चार एम.एम.यू. की नमूना परीक्षण में एस.एच.एस. द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार औषधि, उपकरण तथा जांच की सुविधा की अपर्याप्तता परिलक्षित हुई जैसा **परिशिष्ट-2.1.18** में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव ने बताया कि विगत वर्षों में एम.एम.यू. सेवाओं को या तो कुछ सेवा प्रदाता द्वारा या परिचालन विषयों पर विवाद होने के कारण विभाग द्वारा बंद कर दी गई थी। हालांकि, अब एक एजेंसी के द्वारा संचालित केंद्रीयकृत कॉल सेंटर के अंतर्गत एम.एम.यू. सेवाओं को संजीवनी-108 तथा जननी एक्सप्रेस के साथ एकीकृत किया जा रहा था। एम.एम.यू. सेवाओं को आगामी दो से तीन महीने में परिचालित कर दिया जाएगा।

2.1.17 प्रशिक्षण

एन.आर.एच.एम. का उद्देश्य सभी स्तर पर प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता में वृद्धि करना है। जिला अस्पताल, एफ.आर.यू. तथा 24x7 पी.एच.सी. में मातृ, नवजात तथा शिशु देखभाल के लिए समस्त स्टॉफ की क्षमता में वृद्धि करना था। लेखापरीक्षा के दौरान प्रशिक्षण के संबंध में निम्नानुसार कमियां देखी गईं:

- स्वास्थ्य कर्मियों को अपर्याप्त प्रशिक्षण

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान प्रशिक्षण घटक के अंतर्गत कुल उपलब्ध निधि ₹ 99.86 करोड़ में से केवल ₹ 46.80 करोड़ (47 प्रतिशत) का उपयोग किया गया था।

²² अनूपपुर, धार, डिंडोरी, खरगौन, मंडला तथा टीकमगढ़।

उपलब्ध निधि का कम उपयोग, प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता आवर्धन के लक्ष्य की कमी को अग्रेषित करता है जैसा तालिका—2.1.24 में दर्शाया गया है:

तालिका—2.1.24: वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में विभिन्न घटकों में कराए गए प्रशिक्षण एवं कमियों की स्थिति

पर्याप्त निधि की उपलब्धता के बावजूद लक्षित प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया जा सका।

घटक का नाम	नियोजित प्रशिक्षणों / बैचों की संख्या	प्रतिभागियों / प्रशिक्षुओं की संख्या	कराए गए प्रशिक्षण / बैच की संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागियों / प्रशिक्षुओं की संख्या	कमी	
					बैच	प्रशिक्षु
मातृ स्वास्थ्य	2541	42462	1111	10837	1430	31625
शिशु स्वास्थ्य	1585	36004	832	20010	753	15994
परिवार नियोजन	1291	9846	690	5721	601	4125
टीकाकरण	1746	76643	1511	71435	235	5208
आशा	13759	528255	10666	390306	3093	137949
सामुदायिक भागीदारी	22330	630278	9634	242001	12696	388277
एच.आई.एम.एस	2676	88754	2193	80420	483	8334
योग	45928	1412242	26637	820730	19291 (42%)	591512 (42%)

(स्रोत: राज्य स्वास्थ्य समिति)

इस प्रकार, नियोजित प्रशिक्षण नहीं कराया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप नियोजित बैचों के साथ—साथ प्रतिभागी/प्रशिक्षुओं की संख्या में 42 प्रतिशत की कमी हुई। आगे संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि केवल वर्ष 2015–16 में चिकित्सा अधिकारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का आकलन चार जिलों (51 में से) के लिए किया गया था। अन्य शेष प्रकरणों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए वर्ष 2011–15 की अवधि में प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के विश्लेषण नहीं किया गया था।

प्रशिक्षण में कमी मुख्यतः इन गतिविधियों में जैसे कि मातृ स्वास्थ्य के अंतर्गत इमॉक/बीमांक/एल.एस.ए.एस.²³ में एम.ओ. का प्रशिक्षण, आई.एम.एन.सी.आई. में एम.ओ./एस.एन. का प्रशिक्षण, नवजात शिशु स्तनपान आचरण (आई.वाई.सी.एफ.), नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (एन.एस.एस.के.) में ए.एन.एम./ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू. का प्रशिक्षण, शिशु स्वास्थ्य में एम.ओ. का प्रशिक्षण, महिला/पुरुष नसबंदी में एम.ओ. का प्रशिक्षण तथा आई.यू.डी. निवेशन में एस.एन./ए.एन.एम./एल.एच.वी. का प्रशिक्षण इत्यादि।

● आशा को अपर्याप्त प्रशिक्षण

आशाओं को आवश्यक ज्ञान, कौशल तथा उसके लिए निर्धारित उत्तरदायित्वों के प्रभावी तथा आत्मविश्वासपूर्वक निर्वहन हेतु इंडक्शन तथा मॉड्यूल प्रशिक्षण का एक संयोजित प्रशिक्षण दिया जाता था। इसके अतिरिक्त, माताओं एवं शिशुओं के स्वास्थ्य देखभाल में विशेष योग्यता विकसित करने के लिए आशा को छठवीं एवं सातवीं माड्यूल का प्रशिक्षण प्रदाय किया जाना था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि कुल 58,730 आशा में से 57,730 आशा को पांचवीं तथा केवल 9,409 आशा को ही छठवीं माड्यूल में प्रशिक्षण दिया गया था। इस प्रकार, 49,321 आशा (84 प्रतिशत) को माताओं एवं शिशुओं की देखभाल हेतु विशेष

²³ ई.एम.ओ.सी.—आक्रिमिक प्रसूति देखभाल, बी.ई.एम.ओ.एन.सी.—बुनियादी आक्रिमिक प्रसूति एवं नवजात देखभाल, एल.एस.ए.एस.—जीवन रक्षक निःश्वेतना कौशल।

क्षमता विकसित करने के लिए छठवीं एवं सातवीं माड्यूल का प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव ने बताया कि ई.एम.ओ.सी. तथा एल.एस.ए.एस. प्रशिक्षण अवधि चार से छह माह की होने के कारण, इस हेतु चिकित्सकों को नामित करना कठिन था। प्रति बैच बजट वितरण के विषय में विवाद होने की कारण वर्ष 2015–16 में ए.एन.एम. के लिए रेफ्रेशर प्रशिक्षण विलंब से प्रारंभ हुआ था। आगे, प्रशिक्षण आंकड़ों के संग्रहण एवं संकलन में कठिनाई होने के कारण प्रशिक्षण प्रबंधन, सूचना प्रणाली की आवश्यकता थी।

इस प्रकार, पर्याप्त निधियों की उपलब्धता के बावजूद प्रशिक्षण एवं ओरिण्टेशन कार्यक्रमों के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर सेवा प्रदानी में वृद्धि हेतु चिकित्सा एवं परा चिकित्सा स्टॉफ का क्षमता वर्धन नहीं किया जा सका।

2.1.18 गुणवत्ता आश्वासन

एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत गुणवत्ता आश्वासन (क्यू.ए.) के मानदंड सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर गुणवत्ता आश्वासन के परिचालन दिशानिर्देश 2013 में निर्धारित किये गये हैं। मार्गदर्शिका के अनुसार गुणवत्ता आश्वासन के सुदृढ़ीकरण हेतु संबंधित स्तरों पर राज्य गुणवत्ता आश्वासन समिति (एस.क्यू.ए.सी.), जिला गुणवत्ता आश्वासन समिति (डी.क्यू.ए.सी.) तथा जिला गुणवत्ता दल (डी.क्यू.टी.) के माध्यम से निर्धारित कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों सहित संगठनात्मक व्यवस्था सुनिश्चित की जानी थी।

राज्य स्वास्थ्य समिति ने सूचित किया कि भारत सरकार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से सितम्बर 2014 में प्राप्त गुणवत्ता आश्वासन के दिशानिर्देश के अनुपालन में एस.क्यू.ए.सी., डी.क्यू.ए.सी. तथा डी.क्यू.टी. को सितम्बर 2014 में पुर्नगठित किया गया था। वर्ष 2013–14 से 2015–16 के दौरान गुणवत्ता आश्वासन गतिविधियों के लिए आवंटित निधि ₹ 6.85 करोड़ में से केवल ₹ 0.60 करोड़ (नौ प्रतिशत) का उपयोग हुआ था। लेखापरीक्षा ने देखा कि निधियों के कम उपयोग के परिणाम स्वरूप क्यू.ए. गतिविधियों का कार्यान्वयन में कमियां थीं, जैसा कि नीचे चर्चा की गई:

- दिशानिर्देश के अनुसार एस.क्यू.ए.सी. तथा डी.क्यू.ए.सी. की बैठक क्रमशः छह महीने एवं तीन महीने में कम से कम एक बार होनी थी। वर्ष 2014–15 के दौरान केवल एक तथा वर्ष 2015–16 में दो, एस.क्यू.ए.सी. बैठक ही हुई थी। आगे, चयनित 13 जिलों में प्रत्येक वर्ष के लिए आवश्यक 52 डी.क्यू.ए.सी. बैठक के विरुद्ध केवल 26, 40 तथा 48 बैठकें क्रमशः वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में आयोजित होना प्रतिवेदित किया गया था। हालांकि, इन बैठकों के कार्यवृत्त की प्रतियां लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी।
- एस.क्यू.ए.सी. द्वारा जमीनी स्तर पर गुणवत्ता आश्वासन को सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्रीय दौरों के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं था, हालांकि, वर्ष 2015–16 में 41 क्षेत्रीय दौरे किए गए थे। इसी प्रकार, वर्ष 2013–16 में डी.क्यू.ए.सी. द्वारा नियमित क्षेत्रीय दौरा केवल आठ जिलों में किए गए थे।

चयनित 13 जिलों में वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में टीकमगढ़ तथा रायसेन को छोड़कर किसी भी जिले में ओरिण्टेशन/प्रशिक्षण कार्यक्रम, न तो बनाया गया, न ही आयोजित किया गया। आगे, वर्ष 2015–16 में यह केवल अनूपपुर, रायसेन, राजगढ़, रतलाम एवं टीकमगढ़ जिले में आयोजित किए गए थे।

राज्य में गुणवत्ता आश्वासन निर्धारित दिशानिर्देश के अनुसार कार्यान्वयन में किया जा सके।

- मार्गदर्शिका में स्वास्थ्य केंद्रों के विभिन्न विभागों द्वारा निष्पादित गुणवत्ता देखभाल के संपूर्ण आकलन हेतु मुख्य कार्यान्वयन संकेतकों²⁴ (के.पी.आई.) की रिपोर्टिंग एवं समीक्षा निर्धारित की गई थी। हालांकि, केवल आठ डी.एच. ने वर्ष 2014–15 में एवं 26 डी.एच. ने 2015–16 में मुख्य कार्यान्वयन संकेतकों के आंकड़े प्रतिवेदित किए थे। के.पी.आई. के नगण्य प्रतिवेदन इंगित करता है कि गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रमों का सभी स्तरों पर कार्यान्वयन नहीं हुआ है।

एस.एच.एस. ने सूचित किया कि गुणवत्ता आश्वासन के संदर्भ में, राज्य में कोई भी स्वास्थ्य सेवा केंद्र राज्य एवं राष्ट्र स्तरीय प्रमाणीकरण के लिए अर्हता प्राप्त नहीं था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2015–16 के दौरान डी.एच. खंडवा को साफ–सफाई, स्वच्छता एवं संक्रमण नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए राज्य (कायाकल्प) तथा राष्ट्रीय स्तर के प्रमाणीकरण के लिए सम्मानित किया गया था।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव ने बताया कि एस.क्यू.ए.सी. एवं डी.क्यू.ए.सी. को सितम्बर 2014 में पुनर्गठित किया गया था, इसलिए कम संख्या में बैठकें हुई थीं। आगे, अस्पतालों के स्टॉफ को के.पी.आई. के रिपोर्टिंग हेतु प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।

2.1.18.1 जिला अस्पताल में गुणवत्ता आश्वासन

गुणवत्ता आश्वासन द्वारा ध्यान देने योग्य आठ मुख्य क्षेत्रों को 70 मानकों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे सेवा प्रावधान, रोगी अधिकार, आगत, सहायक सेवाएं, चिकित्सकीय देखभाल, संक्रमण नियंत्रण, गुणवत्ता प्रबंधन तथा परिणाम। 13 डी.एच. की लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्नलिखित कमियां परिलक्षित हुई हैं:

- आंतरिक गुणवत्ता टीम (आई.क्यू.टी.) दिसम्बर 2015 से जुलाई 2016 के दौरान धार को छोड़कर सभी शेष 12 डी.एच. में गठित की गई थी। हालांकि, मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) तथा क्यू.ए. के दिशानिर्देश डी.एच. अनूपपुर, धार, नीमच तथा खरगौन में उपलब्ध नहीं थे। गुणवत्ता मानक/एस.ओ.पी. के लिए स्टॉफ का ओरिएंटेशन/प्रशिक्षण डी.एच. अनूपपुर, धार, खरगौन तथा टीकमगढ़ में नहीं किया गया था।
- जिला गुणवत्ता टीम (डी.क्यू.टी.) की बैठक प्रत्येक माह होनी चाहिए थी। हालांकि, वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में डी.एच. रत्लाम को छोड़कर कोई बैठक नहीं हुई थी। आगे, वर्ष 2015–16 में नमूना परीक्षित 13 डी.एच. में आवश्यक 156 डी.क्यू.टी. बैठक के विरुद्ध केवल 27 बैठक ही हुई थी।
- वर्ष 2013–14 में डी.एच. के आंतरिक आकलन नहीं हुए थे। वर्ष 2014–15 में केवल दो आंतरिक आकलन, एक डी.एच. राजगढ़ में तथा एक डी.एच. रत्लाम में किए गए। वर्ष 2015–16 में, डी.एच. धार, पन्ना एवं टीकमगढ़ ने कोई आंतरिक आकलन नहीं कराया। शेष 10 डी.एच. ने 24 आंतरिक आकलन किए जिसमें से केवल 20 के प्रतिवेदन उपलब्ध थे।
- नमूना परीक्षित किसी भी डी.एच. में वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में रोगी संतुष्टि सर्वेक्षण नहीं कराया गया था। वर्ष 2015–16 में रोगी संतुष्टि सर्वेक्षण केवल डी.एच. अनूपपुर, डिंडोरी तथा नीमच में किया गया था।
- मुख्य कार्यान्वयन संकेतक (के.पी.आई.) डी.एच. अनूपपुर, धार एवं डिंडोरी में तैयार नहीं किए थे। शेष 10 डी.एच. में के.पी.आई की तैयारी एवं एस.क्यू.ए.सी./डी.क्यू.

²⁴ स्वास्थ्य केंद्रों में सभी विभागों के कार्यान्वयन संकेतकों के आकलन एवं निगरानी के महत्वपूर्ण आंकड़े

ए.सी. को प्रतिवेदित करना, दिसम्बर 2015 से अप्रैल 2016 के मध्य शुरू किया गया था।

- नमूना परीक्षित सभी 13 डी.एच में वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में डी.क्यू.ए.सी. एवं एस.क्यू.ए.सी. द्वारा डी.एच. का आवधिक मूल्यांकन नहीं किया गया था। वर्ष 2015–16 में डी.क्यू.ए.सी. द्वारा पांच²⁵ डी.एच. का मूल्यांकन तथा एस.क्यू.ए.सी. द्वारा पांच²⁶ डी.एच. का मूल्यांकन किया गया था।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि डी.क्यू.टी. के गठन के लिए सभी जिलों को निर्देश जारी किए गए थे। एस.ओ.पी. जिलों को प्रेषित किए गए हैं एवं एस.ओ.पी. को लागू करने के लिए प्रशिक्षण कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

2.1.18.2 सी.एच.सी. में गुणवत्ता आश्वासन

लेखापरीक्षा में नमूना परीक्षित 27 सी.एच.सी. में गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के कार्यान्वयन में निम्न कमियां पाई गईः

- आंतरिक गुणवत्ता टीम 27 में से 19 सी.एच.सी. में नहीं बनाई गई थी। वर्ष 2013–16 के दौरान आई.क्यू.टी. की बैठक केवल पांच²⁷ सी.एच.सी. में आयोजित की गई थी तथा केवल दो²⁸ सी.एच.सी. में बैठक के कार्यवृत्त अभिलेखित किए गए थे। आगे, एस.ओ.पी. 14 सी.एच.सी. में उपलब्ध नहीं थे तथा क्यू.ए. के दिशानिर्देश 17 सी.एच.सी. में उपलब्ध नहीं थे। गुणवत्ता मानदंड के लिए स्टॉफ का ओरिएंटेशन 18 सी.एच.सी. में नहीं कराया गया था।
- आवधिक आंतरिक मूल्यांकन केवल नौ²⁹ सी.एच.सी. में कराए गए थे, हालांकि वे उत्तर के समर्थन में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं करा पाए। आगे, रोगी संतुष्टि सर्वेक्षण केवल दो³⁰ सी.एच.सी. में ही कराए गए थे।
- मुख्य कार्यान्वयन संकेतकों की माप एवं निगरानी 27 सी.एच.सी. में से 15 सी.एच.सी. में नहीं की गई थी। आगे, 10 सी.एच.सी. में केवल आठ सी.एच.सी. के द्वारा के.पी.आई. की रिपोर्टिंग डी.क्यू.ए.सी. एवं एस.क्यू.ए.सी. को की गई थी।
- वर्ष 2013–16 की अवधि में 27 सी.एच.सी. में से छह³¹ सी.एच.सी. का मूल्यांकन डी.क्यू.ए.यू. द्वारा किया गया था तथा तीन³² सी.एच.सी. का मूल्यांकन एस.क्यू.ए.यू. द्वारा किया गया था।

स्वास्थ्य केंद्रों पर सी.एच.सी. स्तर पर गुणवत्ता के परिप्रेक्ष्य में अपनाए गए दृष्टिकोण के दो छायाचित्र नीचे दिए गए हैं:

²⁵ खंडवा, नीमच, पन्ना, राजगढ़ एवं रत्लाम।

²⁶ खंडवा, पन्ना, राजगढ़, रत्लाम एवं ठीकमगढ़।

²⁷ सी.एच.सी.–अजयगढ़, बम्हनी बंजर, जैतहरी, पृथ्वीपुर तथा जीरापुर।

²⁸ सी.एच.सी.–अजयगढ़ तथा जीरापुर।

²⁹ सी.एच.सी.–अजयगढ़, बम्हनी बंजर, गोगावा, जैतहरी, खालवा, खिलचीपुर, नारायणगंज, पृथ्वीपुर एवं सेहरा।

³⁰ सी.एच.सी.–अजयगढ़ तथा छैगांव माखन।

³¹ सी.एच.सी.– बजाग, बम्हनी बंजर, गोगावा, जैतहरी, करंजिया तथा कसरावद।

³² सी.एच.सी.– बजाग, बम्हनी बंजर तथा करंजिया।

 14/06/2016	 14/06/2016
रतलाम जिले के सी.एच.सी. सैलाना में उपयोग किए गए ग्लोब्स को पुनर्उपयोग हेतु रखा गया था	रतलाम जिले के सी.एच.सी. सैलाना में मैले चादर को रोगियों के बिस्तर पर उपयोग किया जा रहा था

2.1.18.3 पी.एच.सी. में गुणवत्ता आश्वासन

- नमूना परीक्षित 52 पी.एच.सी. में से केवल पांच³³ पी.एच.सी. में आई.क्यू.टी. गठित की गई थी। वर्ष 2013–16 के दौरान केवल दो³⁴ पी.एच.सी. में आई.क्यू.टी. की बैठकें आयोजित हुई थीं। आगे, क्यू.ए. के दिशानिर्देश केवल तीन³⁵ पी.एच.सी. में उपलब्ध थे तथा एस.ओ.पी. सात³⁶ पी.एच.सी. में उपलब्ध थे।
- आवधिक आंतरिक मूल्यांकन दो³⁷ पी.एच.सी. में कराया जाना प्रतिवेदित किया गया था। हालांकि, इसके समर्थन में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं था। आगे, रोगी संतुष्टि सर्वेक्षण नमूना परीक्षित 52 पी.एच.सी. में से किसी में भी नहीं कराया गया था।
- मुख्य कार्यान्वयन संकेतकों का मापन नमूना परीक्षित 52 पी.एच.सी. में से केवल तीन³⁸ पी.एच.सी. में किया गया था तथा केवल एक पी.एच.सी. सेंधवाल द्वारा प्रतिवेदित किया गया था। हालांकि, इस संबंध में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव ने बताया कि भारत सरकार द्वारा डी.एच. एवं सी.एच. सी./पी.एच.सी. के लिए गुणवत्ता आश्वासन की पुस्तिका क्रमशः वर्ष 2014 एवं 2015 में जारी की गई थी। राज्य के क्यू.ए. प्रकोष्ठ ने जिलों को आवधिक मूल्यांकन करने के लिए निर्देशित किया था। सी.एच.सी. तथा पी.एच.सी. स्तर पर क्यू.ए. कार्यक्रम का कार्यान्वयन वर्ष 2017–18 में किया जाएगा। के.पी.आई. की रिपोर्टिंग, क्यू.ए. कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा है। इसलिए, संबंधित सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण दिए जाने के बाद सी.एच.सी. तथा पी.एच.सी. से के.पी.आई. संग्रहीत की जाएगी।

³³ पी.एच.सी.—बबलिया बजार, चौड़ी पौड़ी, गोरखपुर, मोहनिया पटपरा तथा सिंधौरा।

³⁴ पी.एच.सी.— मोहनिया पटपरा तथा सिंधौरा।

³⁵ पी.एच.सी. लापता, गाडासरई तथा बबलिया बजार।

³⁶ पी.एच.सी. बबलिया बजार, धनगांव, गाडासरई, गोरखपुर, हृदय नगर, लापता तथा सिंधौरा।

³⁷ पी.एच.सी. चांडा तथा सिंधौरा।

³⁸ पी.एच.सी. चांडा, कुकडेश्वर तथा सेंधवाल।

2.1.19 हितग्राही सर्वेक्षण

नमूना परीक्षित 13 जिले के 1,386 हितग्राही सर्वेक्षण में लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- **गर्भवती का पंजीयन:** कुल हितग्राही सर्वेक्षण 1,386 में से 1,314 (95 प्रतिशत) हितग्राही समय पर पंजीकृत हुई थीं, 51 (चार प्रतिशत) हितग्राही गर्भवती होने के चार से छह महीने के मध्य तथा 14 (एक प्रतिशत) हितग्राही छह से नौ महीने के बीच पंजीकृत हुई थी एवं सात हितग्राही अपने गर्भवती पंजीयन के बारे में नहीं जानती थी।
- **प्रसव नियत तिथि के बारे में जानकारी:** 1,271 हितग्राहियों को उनके प्रसव की नियत तिथि की जानकारी थी, जबकि 115 (आठ प्रतिशत) हितग्राहियों को अपने प्रसव की नियत तिथि के बारे में जानकारी नहीं थी।
- **प्रसव पूर्व सेवा (ए.एन.सी.):** गर्भवती महिलाएं को प्रसवपूर्व सेवा हेतु स्वास्थ्य केंद्र पर कम से कम चार बार जाना आवश्यक है। हितग्राही सर्वेक्षण के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि सात हितग्राही स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में केवल एक बार गई, 73 (पांच प्रतिशत) हितग्राही स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में दो बार तथा 345 (25 प्रतिशत) हितग्राही स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में तीन बार तथा 956 हितग्राही स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में चार या अधिक बार गई थी। पांच हितग्राही किसी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में एक बार भी नहीं गई थी।
- **योजना के दिशानिर्देशों के अंतर्गत आशा को गर्भकाल के दौरान हितग्राही के घर पर कम से कम तीन बार जाना चाहिए।** चयनित हितग्राहियों में से आशा को घर पर आने के बारे में तीन गर्भवती महिलाओं ने गर्भकाल में एक बार, 48 गर्भवती महिलाओं (तीन प्रतिशत) ने दो बार, 132 (10 प्रतिशत) गर्भवती महिलाओं ने तीन बार तथा 1,163 (84 प्रतिशत) गर्भवती महिलाओं ने चार या अधिक बार बताया। 40 हितग्राहियों को आशा के घर पर आने के बार में जानकारी नहीं थी। इस प्रकार, आवश्यक आशा भ्रमण सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
- **एन.आर.एच.एम. का कार्यान्वयन गरीब गर्भवती महिलाओं के मध्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं नवजात मृत्यु को कम करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।** 1,259 (91 प्रतिशत) हितग्राहियों का प्रसव स्वास्थ्य केंद्रों पर हुआ (डी.एच.-444 हितग्राही, सी.एच.सी.-309 हितग्राही, पी.एच.सी.-479 हितग्राही, एस.सी.-27 हितग्राही), 47 हितग्राहियों का प्रसव निजी अस्पताल में हुआ, 77 हितग्राहियों का प्रसव घर पर तथा तीन का प्रसव रास्ते में हुआ। वे हितग्राही जिनका संस्थागत प्रसव नहीं हुआ था, उन्होंने बताया कि परिवार वालों ने अनुमति नहीं दी तथा कुछ ने बताया कि वे संस्थागत प्रसव के लिए इच्छुक नहीं थीं/संस्थागत प्रसव की आवश्यकता नहीं समझती थीं। इस प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव के लाभ के बारे में बताने में ए.एन.एम. /आशा सफल नहीं रहीं।
- **ऐम्बुलेंस की उपलब्धता:** जननी एक्सप्रेस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला को रेफरल वाहन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी। यह देखा गया कि कुल 1,386 हितग्राहियों में से, 1,065 (77 प्रतिशत) हितग्राहियों ने ऐम्बुलेंस बुलाया था, जबकि 321 (23 प्रतिशत) हितग्राहियों ने ऐम्बुलेंस नहीं बुलाया था। आगे, 1,026 (96 प्रतिशत) प्रकरणों में ऐम्बुलेंस समय पर आई तथा 39 (चार प्रतिशत) प्रकरणों में समय पर नहीं आई।
- **स्वास्थ्य केंद्र पर रुकना:** जननी सुरक्षा योजना के अनुसार, प्रसव के बाद कम से कम 48 घंटे तक हितग्राहियों को स्वास्थ्य केंद्र पर रुकना है। लेखापरीक्षा सर्वेक्षण में परिलक्षित हुआ कि 1,386 हितग्राहियों में से 1,309 संस्थागत प्रसव थे,

जिनमें 43 (तीन प्रतिशत) हितग्राही स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसवोपरांत 12 घंटे तक रुकी, 246 (19 प्रतिशत) हितग्राही स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसवोपरांत 12 से 24 घंटे तक रुकी, 194 (15 प्रतिशत) हितग्राही स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसवोपरांत 24–48 घंटे तक रुकी तथा 820 (63 प्रतिशत) हितग्राही प्रसव के बाद 48 घंटे से अधिक रुकी थी। छह हितग्राहियों को याद नहीं था कि वे कितने समय तक स्वास्थ्य केंद्र पर रुकी थी। इस प्रकार दिशानिर्देश के प्रावधान का पालन 483 प्रकरणों (37 प्रतिशत) में नहीं हुआ।

- 1,112 हितग्राहियों को स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क भोजन प्रदाय किया गया था, जबकि, नौ हितग्राहियों को खाने के लिए भुगतान करना पड़ा था तथा 59 हितग्राहियों (चार प्रतिशत) को भोजन नहीं दिया गया। 21 हितग्राहियों को यह याद नहीं था कि उन्हें भोजन निःशुल्क प्राप्त हुआ था अथवा उन्होंने इसके लिए भुगतान किया था। 108 हितग्राहियों ने इस संबंध में कोई विशेष प्रत्युत्तर नहीं दिया।
- **जे.एस.वाई. नकद प्रोत्साहन:** जे.एस.वाई. के अंतर्गत संस्थागत प्रसव के तुरंत बाद, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक महिला को ₹ 1,400 तथा शहरी क्षेत्र में ₹ 1,000 नकद प्रोत्साहन की पात्रता है। लेखापरीक्षा सर्वेक्षण में परिलक्षित हुआ कि जे.एस.वाई. के अंतर्गत प्रोत्साहन का भुगतान 1,017 हितग्राहियों को किया गया, जबकि 369 हितग्राहियों को नहीं किया गया। कुल 1,017 हितग्राहियों में से 748 महिलाओं को एक से तीन दिन के विलंब से, 269 महिलाओं को 30 से 90 दिन के विलंब से जे.एस.वाई का भुगतान प्राप्त हुआ।
- **प्रसवोपरांत सेवा (पी.एन.सी.):** दिशानिर्देश के अंतर्गत माताओं को प्रसव के 42 दिनों के अंदर पी.एन.सी. के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर कम से कम चार बार जाना आवश्यक है। लेखापरीक्षा सर्वेक्षण से परिलक्षित हुआ कि 88 हितग्राही स्वास्थ्य केंद्रों पर पी.एन.सी. के लिए एक बार गई, 246 हितग्राही दो बार गई, 527 हितग्राही तीन बार गई तथा 501 हितग्राही चार या अधिक बार स्वास्थ्य केंद्रों पर गई। 24 हितग्राही पी.एन.सी. के लिए एक बार भी स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं गई। इस प्रकार, चिकित्सा अधिकारी, ए.एन.एम. तथा आशा प्रसवोपरांत सेवा के लाभ के बारे में हितग्राहियों को समझाने एवं प्रोत्साहित करने में सफल नहीं हुए।
- दिशानिर्देशों के अंतर्गत, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रसव दिनांक से सात दिनों के अंदर हितग्राहियों के घर पर दो बार भ्रमण करना है। 1,233 प्रकरणों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने हितग्राहियों के घर पर दो से सात दिनों के अंदर भ्रमण किया, 144 प्रकरणों (10 प्रतिशत) में स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने सात दिनों के अंदर हितग्राहियों के घर पर माता एवं शिशु के देखभाल के लिए दौरा नहीं किया। नौ प्रकरणों में हितग्राहियों को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के भ्रमण की आवश्यकता के बारे में जानकारी नहीं थी।
- 1,362 हितग्राहियों ने विटामिन-ए खुराक प्राप्त किया, 16 हितग्राहियों ने विटामिन-ए खुराक प्राप्त नहीं किया तथा आठ हितग्राही इस सुविधा के बारे में जागरूक नहीं थे।
- लिंग संतुलन, मिशन के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य था। हालांकि, लिंग असमानता देखी गई थी, जहां प्रसव परिणाम के परिप्रेक्ष्य में 771 बालक शिशु के विरुद्ध 595 बालिका शिशु का जन्म होना सर्वेक्षित हितग्राहियों में देखा गया।
- यद्यपि टी.एफ.आर. को 2.1 तक कम करने का लक्ष्य था, हालांकि हितग्राहियों के सर्वेक्षण में यह देखा गया कि 332 महिलाओं के तीन या अधिक बच्चे थे तथा 37 महिलाओं के पांच से अधिक बच्चे थे।
- 378 महिलाओं ने उनके निवास स्थान के पास उपलब्ध पी.एच.सी./सी.एच.सी. की अनदेखी कर डी.एच. में सामान्य प्रसव कराए। जिससे स्पष्ट होता है कि पी.एच.सी.

एवं सी.एच.सी. गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने बाबत हितग्राहियों में विश्वास पैदा नहीं कर सके।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि ग्रामीण स्वास्थ्य संरथाओं की तुलना में डी.एच. में प्रसव ज्यादा हुआ था, क्योंकि डी.एच. पर प्रसूति एवं नवजात देखभाल की संपूर्ण सुविधा उपलब्ध थी। उप जिला स्तर के प्रसव केंद्रों पर प्रसव की सूक्ष्म निगरानी की जा रही थी तथा मानव संसाधन, सिविल वर्क, उपकरण तथा औजार के संदर्भ में कमियां दूर कर क्षमता निर्माण सुनिश्चित किया जा रहा था।

2.1.20 आंकड़ा संग्रहण, प्रबंधन एवं प्रतिवेदन

2.1.20.1 स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली

एच.एम.आई.एस. आंकड़ों के संकलन हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बनाई गई एक वेब आधारित आंकड़ा प्रविष्टि प्रणाली है जोकि संग्रहण, एकीकरण, विश्लेषण करने में सहायक होती है तथा इस सूचना का उपयोग स्वास्थ्य प्रणाली के सभी स्तरों पर कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए किया जाता है।

एच.एम.आई.एस. की परिचालन पुस्तिका के अनुसार उप स्वास्थ्य केंद्र, पी.एच.सी. तथा सी.एच.सी. को निर्धारित प्रपत्र में मासिक आधार पर अपने केंद्र के बीते माह के आंकड़ों को आगामी माह की 5 तारीख तक ब्लॉक को भेजना होगा, आगे ब्लॉक इन आंकड़ों को “ब्लॉक समेकित प्रतिवेदन” के रूप में तैयार करेगा तथा इसे जिला को प्रस्तुत करेगा।

स्वास्थ्य केंद्रों के द्वारा दो प्रति में डेटा सेट तैयार किया जाएगा, संबंधित प्राधिकारी के हस्ताक्षर के बाद एक प्रति भेजी जाएगी तथा एक प्रति संबंधित केंद्र के अभिलेख में रखी जाएगी। ब्लॉक तथा जिला स्तर पर, जहां पर स्वास्थ्य केंद्रों का डाटा सेट प्राप्त होता है, वहां आंकड़ों की प्रविष्टि से पूर्व यह यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये हस्ताक्षरित एवं सत्यापित हैं। जिला स्तर पर तैयार प्रतिवेदन की एक पेपर प्रति सत्यापित (हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित) कर संधारित की जानी चाहिए तथा दूसरी प्रति राज्य को भेजी जानी चाहिए।

एस.एच.एस. ने सूचित किया (जुलाई 2016) कि प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर एच.एम.आई.एस. दो प्रति में निर्धारित प्रारूप में तैयार किया जाता है तथा समय पर प्रतिवेदित किया जाता है, एक प्रति ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (बी.पी.एम.यू.) को भेजी जाती थी तथा एक प्रति स्वास्थ्य केंद्र के अभिलेख में रखी गई थी। हालांकि, नमूना परीक्षित स्वास्थ्य केंद्रों में यह तथ्य सही नहीं पाया गया जैसा कि तालिका-2.1.25 में दर्शाया गया है:

तालिका-2.1.25: स्वास्थ्य केंद्रों पर डेटा रिपोर्टिंग की स्थिति

स्वास्थ्य केंद्र का नाम	नमूना परीक्षित स्वास्थ्य केंद्र की संख्या	द्वितीय प्रमाणिक प्रतिलिपि रखी गई		प्रतिवेदित आंकड़े मूल अभिलेख से मिलता है		आंकड़े प्रतिवेदित करने की तिथि की आवृत्ति
		हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	
एस.सी.	83	28	55	14	14	प्रत्येक महीने की 15वीं से 14वीं, 16वीं से 14वीं, 26वीं से 25वीं, पहली से 26वीं, 21वीं से 20वीं, 22वीं से 21वीं
पी.एच.सी.	30	01	29	00	01	उपलब्ध नहीं
सी.एच.सी.	15	01	14	01	00	मासिक

(स्रोत : नमूना परीक्षित स्वास्थ्य केंद्रों से संकलित आंकड़े)

- नमूना परीक्षित 83 एस.सी. में से, 55 एस.सी. में प्रतिवेदित आंकड़े की द्वितीय प्रतिलिपि नहीं पाई गई। इस प्रकार इन एस.सी. द्वारा प्रतिवेदित आंकड़ों की सत्यता लेखापरीक्षा द्वारा सुनिश्चित नहीं की जा सकी। आगे, शेष नमूना परीक्षित 28 एस.सी. द्वारा प्रतिवेदित आंकड़ों में, 14 एस.सी. में उपलब्ध आंकड़ों एवं प्रतिवेदित आंकड़ों में भिन्नता देखी गई। आगे, यह भी देखा गया कि 16 एस.सी. में प्रतिवेदन की आवृत्ति अवधि में एकरूपता नहीं थी।
- नमूना परीक्षित 30 पी.एच.सी. एवं 15 सी.एच.सी. में से 29 पी.एच.सी. तथा 14 सी.एच.सी. में प्रतिवेदित आंकड़ों की प्रतिलिपि नहीं रखी गई थी। दूसरी प्रति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि उच्च प्राधिकारियों को प्रतिवेदित आंकड़े साफ्ट कॉफी में भेजी थी तथा हार्ड कॉफी उपलब्ध नहीं थी।

आगे, एस.एच.एस. द्वारा वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में भारत सरकार को प्रतिवेदित एच.एम.आई.एस. डाटा की संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि प्रतिवेदित आंकड़ों की शुद्धता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित नहीं गई थी, जैसा कि वर्ष 2011–12 में 979 एफ.आर.यू. से 2015–16 में 3,082 एफ.आर.यू. प्रतिवेदित किए गए थे, जबकि 2015–16 में केवल 148 एफ.आर.यू. ही कार्यशील थे, आगे, एच.एम.आई.एस. में वर्ष 2011–12 में तीन स्टॉफ नर्स के साथ कार्यशील 4,628 24x7 पी.एच.सी. से वर्ष 2015–16 में 4,778 तीन स्टॉफ नर्स के साथ 24x7 पी.एच.सी. ही कार्यशील थे। इस प्रकार, वर्ष 2011–12 में 1160 से वर्ष 2015–16 में 2,566 कार्यशील एस.एन.सी.यू. प्रतिवेदित किए गए थे, जबकि राज्य में वर्ष 2015–16 में केवल 54 एस.एन.सी.यू. ही कार्यशील थे।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर माहवार एच.एम.आई.एस. की प्रतिवेदित जानकारी की प्रति रखने हेतु निर्देश जारी किए गए थे। एच.एम.आई.एस. संचालन पुस्तिका के अनुसार वर्तमान प्रतिवेदन प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता थी, जिसे सुदृढ़ीकरण करने प्रयास किए जा रहे थे। आगे, यह सूचित किया (सितम्बर 2016) कि ये निर्देश पुनः जारी किए गए हैं कि वर्ष 2015–16 से राज्य, जिला तथा ब्लॉक स्तर कर्मचारी एच.एम.आई.एस. की प्रतिवेदन की गुणवत्ता के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

इस प्रकार, प्रतिवेदित आंकड़े की सत्यता सुनिश्चित नहीं की गई तथा एच.एम.आई.एस. के दिशानिर्देशों के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया था।

2.1.20.2 भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन (पी.एफ.एम.आर.)

योजना में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन में घटकवार आवंटित बजट के विरुद्ध उपयोग का प्रावधान है। इसमें लक्ष्य के विरुद्ध भौतिक प्रगति को भी सम्मिलित करने की अपेक्षा की जाती है।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के मध्य के प्रतिवेदनों की संवीक्षा में प्रतिवेदित आंकड़ों में कई विसंगतियां परिलक्षित हुईं जैसा कि तालिका—2.1.26 में दर्शाया गया है।

तालिका—2.1.26: पी.एफ.एम.आर. की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ऐसी गतिविधियां की संख्या, जहाँ शून्य भौतिक प्राप्ति है पर व्यय प्रदर्शित हुआ है		ऐसी गतिविधियां की संख्या, जहाँ भौतिक एवं बजट शून्य है, जबकि भौतिक एवं बजट की उपलब्धि रही।	
	गतिविधियों की संख्या	शामिल राशि	गतिविधियों की संख्या	शामिल राशि
2011-12	33	17.24	22	14.38
2012-13	71	30.38	04	5.91
2013-14	144	26.99	24	17.98
2014-15	50	21.82	75	134.55
2015-16	149	25.45	04	1.60

(स्रोत: राज्य स्वास्थ्य समिति)

इस प्रकार, उपर्युक्त विसंगतियों के कारण पी.एफ.एम.आर. से भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सत्य एवं साफ तस्वीर प्रदर्शित नहीं हो रही थी तथा यह प्रतिवेदन उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता जिस हेतु यह बनाया गया था।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन के अंतर्गत प्रतिवेदित आंकड़ों में अंतर है। हालांकि, राज्य स्तर पर आंकड़ों के मिलान एवं सुधार के प्रयास किए जा रहे।

2.1.21 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

राज्य आई.एम.आर., एम.एम.आर. टी.एफ.आर. के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका तथा अन्य राज्यों की उपलब्धि से बहुत पीछे था। एम.डी.जी. के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 27 प्रति हजार जीवित जन्म के विरुद्ध राज्य की आई.एम.आर. 51 प्रति हजार जीवित जन्म थी। आई.एम.आर. में मध्य प्रदेश की स्थिति 28 राज्यों में 27वें स्थान पर थी। इसी प्रकार, एम.डी.जी. के लक्ष्य 109 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म के विरुद्ध राज्य एम.एम.आर. को 221 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म तक कम कर सका है। एम.एम.आर. में राज्य 18 राज्यों में 13वें स्थान पर था।

वर्ष 2012 से टी.एफ.आर. में सुधार हुआ है जैसा कि 2.9 (मार्च 2012) से 2.3 (मार्च 2016) कम हुआ है। हालांकि राज्य, एन.आर.एच.एम के कार्यान्वयन की रूप रेखा (2012–17) के अनुसार टी.एफ.आर. को 2.1 तक करने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। मातृ, शिशु एवं प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की प्रदायगी में कमी होने के परिणामस्वरूप, राज्य आई.एम.आर., एम.एम.आर. तथा टी.एफ.आर. के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा।

राज्य में आई.एम.आर. तथा एम.एम.आर. की स्थिति में सुधार के लिए सभी प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए।

गर्भ धारण के लिए पंजीकृत कुल 93.72 लाख गर्भवती महिलाओं में से केवल 56 प्रतिशत ही प्रथम तिमाही में पंजीकृत हो सकी थीं। आगे, 19.44 लाख (21 प्रतिशत) पूरे गर्भकाल में तीन ए.एन.सी. प्राप्त नहीं कर सकी थीं। टी.टी. टीकाकरण में 17.83 लाख (19 प्रतिशत) की कमी थी।

गर्भवती महिलाओं के शीघ्र पंजीयन के लिए लक्ष्य दंपतियों की खोज की जाए तथा संपूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की निरंतर निगरानी की जाए। शासन ने लेखापरीक्षा अनुशंसा को स्वीकार किया।

कुल 74.28 लाख तीनों ए.एन.सी. जाँच प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं में से 47.27 लाख (64 प्रतिशत) की एच.आई.वी. जाँच तथा 60.34 लाख (81 प्रतिशत) की

वी.डी.आर.एल. जाँच, संक्रमित माताओं के प्रकरणों में गर्भावस्था के दौरान होने वाले प्रतिकूल प्रभावों के प्रबंधन हेतु नहीं की गई थी।

स्वास्थ्य सेवा केंद्रों पर गर्भवती महिला में एच.आई.वी. एवं वी.डी.आर.एल. का पता लगाने के लिए होने वाली जाँचों की संख्या को बढ़ाया जाए। शासन ने लेखापरीक्षा की अनुशंसा को स्वीकार किया है।

राज्य में, वर्ष 2011–16 की अवधि में संस्थागत प्रसव, कुल प्रसव का 87 प्रतिशत था। हालांकि, शासकीय संस्थानों में हुए संस्थागत प्रसव 55.38 लाख में से केवल 49.72 लाख हितग्राहियों को ही जे.एस.वाई. प्रोत्साहन का भुगतान हुआ था। आगे, राज्य में वर्ष 2011–16 की अवधि में हुए कुल 8.96 लाख गृह प्रसव में से 6.65 लाख (74 प्रतिशत) को एस.बी.ए. प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा देखभाल नहीं की गई। वर्ष 2011–16 के दौरान शासकीय संस्थाओं में हुए कुल प्रसव 55.38 लाख में से 15.26 लाख (28 प्रतिशत) की छुट्टी प्रसव के 48 घंटे के अंदर कर दी गई तथा केवल 35.21 लाख (55 प्रतिशत) माताओं ने प्रसव के 48 घंटे से 14 दिनों के अंदर प्रसवोपरांत जाँच सुविधा प्राप्त की थी।

ऐसे जिलों तथा ब्लॉकों को, जहां अधिक गृह प्रसव तथा कम संस्थागत प्रसव होता है वहां जागरूकता कार्यक्रम, सामाजिक प्रेरणा तथा रेफरल परिवहन सेवाएं सुनिश्चित कर संस्थागत प्रसव को बढ़ावा हेतु चिह्नित किया जाए।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में नमूना परीक्षित 13 जिलों में यह देखा गया कि इन जिलों में हुए कुल 8.53 लाख संस्थागत प्रसव में से, पिकअप सेवा 4.91 लाख (57 प्रतिशत) को तथा ड्रापबैक सेवा 4.09 लाख (48 प्रतिशत) महिलाओं को प्रदाय की जा सकी।

निःशुल्क पिकअप एवं ड्रापबैक के प्रस्ताव का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए ताकि ग्रामीण जनसंख्या द्वारा इन सुविधाओं का उपयोग किया जाए।

जन्म पर बालिका लिंग अनुपात में अभी भी सुधार की आवश्कता है, जहां वर्ष 2011–16 की अवधि में 35.89 लाख बालक जन्म की तुलना में 33.36 लाख बालिका जन्म प्रतिवेदित हुआ था। इसके अतिरिक्त, लापता प्रसव प्रकरण का अनुपात अधिक था जिसमें कुल 93.72 लाख ए.एन.सी. पंजीयन के विरुद्ध 69.83 लाख कुल प्रसव ही प्रतिवेदित हुए।

दोनों शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य संस्थानों में हुए ए.एन.सी. पंजीयन की खोजबीन तथा अनुसरण की पद्धति को सुदृढ़ किया जाए। शासन ने लेखापरीक्षा अनुशंसा को स्वीकार किया है।

राज्य में हुए कुल 69.25 लाख जीवित जन्म में से, 10.61 लाख कम वजन वाले शिशु प्रतिवेदित हुए। हालांकि, वर्ष 2011–16 के दौरान 4.49 लाख नवजात को जन्म के समय वजन को नहीं तौला गया था। आगे, केवल 62.97 लाख नवजात को जन्म के एक घंटे के अंदर स्तनपान कराया गया था।

सभी जीवित जन्मों नवजातों को जन्म के बाद तौला जाए ताकि एल.बी.डब्ल्यू. प्रकरण में स्वास्थ्य आवश्कताओं के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कदम उठाया जा सके। शासन ने लेखापरीक्षा अनुशंसा को स्वीकार किया।

राज्य में वर्ष 2011–16 की अवधि में बच्चों में सात रोग रोधी वैक्सीनों के टीकाकरण हेतु निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो सकी तथा उपलब्धियों में कमियों की परिसीमा 16 से 21 प्रतिशत तक रही। इसके अलावा, हेपेटाइटिस–बी जीरो खुराक नवजात को 48

घंटे की आयु तक दी जानी थी। हालांकि, 69.25 लाख जीवित जन्म में से केवल 39.30 लाख (57 प्रतिशत) नवजातों को ही हेपेटाइटिस-बी जीरो खुराक दी जा सकी थी।

टीकाकरण करने में होने वाले अवरोधों की पहचान की जाए तथा सभी नवजातों तथा बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए।

समग्र गर्भपात सेवाओं के अंतर्गत एम.टी.पी. सेवाएं, 25 उप जिला स्तर के अस्पताल (63 में से) तथा 136 सी.एच.सी. (334 में से) में प्रदाय नहीं की जा रही थीं। एम.वी.ए. सुविधाएं 380 पी.एच.सी. (531 24x7 पी.एच.सी. में से) में उपलब्ध नहीं थीं। वर्ष 2011–16 के दौरान निर्धारित पुरुष नसबंदी लक्ष्य 3.03 लाख के विरुद्ध 0.83 लाख (27 प्रतिशत) ही पुरुष नसबंदी कराई जा सकी थी। आगे, महिला नसबंदी के मिनी लैप तथा प्रसवोपरांत नसबंदी के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्ध क्रमशः 43 एवं 22 प्रतिशत थी।

पी.एच.सी. तथा सी.एच.सी. को समग्र गर्भपात देखभाल प्रदाय करने हेतु सुदृढ़ किया जाए तथा पुरुष नसबंदी के अनुपात को जागरूकता कार्यक्रम तथा सामाजिक प्रेरणा से बढ़ाया जाए। शासन ने लेखापरीक्षा अनुशंसा को स्वीकार किया।

वर्ष 2011–16 की अवधि में, डी.एच.ए.पी. को तैयार करने में नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण को नहीं अपनाया गया था। राज्य पी.आई.पी. तथा डी.एच.ए.पी. मुख्य विभागों के साथ अंतर क्षेत्रीय अभिसरण की गतिविधियों को सम्मिलित किए बिना तैयार किए गए थे। राज्य पी.आई.पी. भारत सरकार को तथा एस.एच.एस. को डी.एच.ए.पी., न तो निर्धारित समय में प्रस्तुति प्रस्तुत की गई और न ही निर्धारित समयावधि में अनुमोदन हुआ।

पी.आई.पी. तथा डी.एच.ए.पी. में अंतर क्षेत्रीय गतिविधियों को शामिल करते हुए समय से प्रस्तुति तथा अनुमोदन सुनिश्चित किया जाए। शासन ने लेखापरीक्षा की अनुशंसा को स्वीकार किया।

जिला स्वास्थ्य कार्य योजना (डी.एच.ए.पी.), ब्लॉक स्वास्थ्य कार्य योजना (बी.एच.ए.पी.) को एकीकृत कर तैयार किया गया था। वार्षिक कार्यक्रम कार्य योजना (पी.आई.पी.) में मुख्य विभागों के साथ अंतर क्षेत्रीय अभिसरण को शामिल नहीं किया गया था। आगे, वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान राज्य पी.आई.पी. भारत सरकार को 69 से 196 दिनों के विलंब से प्रस्तुत किया गया था। फलस्वरूप, भारत सरकार से पी.आई.पी. का अनुमोदन 72 से 223 दिनों के विलंब से प्राप्त हुआ था।

वर्ष 2011–16 के दौरान, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पी.आई.पी. ₹ 6,247.01 करोड़ के विरुद्ध एन.आर.एच.एम. के कार्यान्वयन के लिए राज्य को मात्र ₹ 5,269.70 करोड़ उपलब्ध कराया गया था। इस प्रकार, स्वास्थ्य संकेतकों में राज्य के निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद योजना के कार्यान्वयन के लिए शासन पर्याप्त निधि सुनिश्चित नहीं कर सका।

भारत सरकार से अनुमोदित पी.आई.पी. की संपूर्ण राशि प्राप्त करने के प्रयास किए जाएं तथा निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए तथा निधियों को समय से जारी किया जाए ताकि पी.आई.पी. में नियोजित सभी गतिविधियों को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जा सके। शासन ने लेखापरीक्षा अनुशंसा को स्वीकार किया।

राज्य पर्याप्त ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को बनाने में पूरी तरह असफल था। एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत जनसंख्या मानदंड के अनुसार 2,588 उप स्वास्थ्य केंद्र (22 प्रतिशत), 828 पी.एच.सी. (41 प्रतिशत) तथा 153 सी.एच.सी. (31 प्रतिशत) की कमी थी। राज्य के कुल 9,192 में से 241 एस.सी. ही प्रसव सुविधा प्रदाय कर रहे थे। पी.एच.सी. को 24x7 में उन्नयन करना, एन.आर.एच.एम. के उद्देश्यों में से एक था। हालांकि, 1,172

में से 638 पी.एच.सी. ही 24x7 के रूप में क्रियाशील थे। राज्य में 334 सी.एच.सी. में से केवल 30 सी.एच.सी. ही प्रथम रेफरल इकाई (एफ.आर.यू.) सेवा प्रदाय कर रही थी। लेखापरीक्षा ने अधोसंरचना के संदर्भ में वार्ड, लेबर रूम, ऑपरेशन थियेटर, बिजली आपूर्ति तथा शौचालयों इत्यादि की कमियों को पाया।

सी.एच.सी. को एफ.आर.यू. के रूप में उन्नत करने के लिए सम्मिलित प्रयास किया जाए तथा जनसंख्या के मानदंड के अनुसार स्वास्थ्य केंद्रों पर अधोसंरचना की उपलब्धता के अंतर को मानव संसाधन की उपलब्धता के साथ जोड़कर चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। शासन ने लेखापरीक्षा अनुशंसा को स्वीकार किया।

अप्रैल 2016 की स्थिति में राज्य में, कुल 1,172 पी.एच.सी. में से 503 पी.एच.सी. बिना चिकित्सक के क्रियाशील थी। आगे, प्रयोगशाला तकनीशियन तथा फार्मासिस्ट क्रमशः 525 एवं 312 पी.एच.सी. पर तैनात नहीं थे। नमूना परीक्षित जिलों में 96 सी.एच.सी. में स्वीकृत 346 विशेषज्ञों में से केवल 13 विशेषज्ञ ही उपलब्ध थे। आगे, राज्य में अप्रैल 2016 की स्थिति में आवश्यक 62,206 अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) के विरुद्ध 58,730 आशा ही संलग्न थी।

स्वास्थ्य कर्मियों की पदस्थापना में प्राथमिकता सुनिश्चित की जाए, ताकि सभी स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों पर मानव संसाधन उपलब्ध हो सके। शासन ने लेखापरीक्षा अनुशंसा को स्वीकार किया।

मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सेवा गारंटी योजना के अंतर्गत शासन सभी प्रकार के स्वास्थ्य केंद्रों पर न्यूनतम आवश्यक औषधि तथा जाँच सेवाएं प्रदाय करने के लिए संकल्पित थी। हालांकि, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सेवा गारंटी योजना में सूचीबद्ध सभी औषधियां एवं वर्गीकृत सभी जाँच सेवाएं नमूना परीक्षित किसी भी स्वास्थ्य केंद्रों में नहीं थी।

न्यूनतम आवश्यक औषधि एवं सभी निर्धारित जाँच सेवाएं सभी प्रकार के स्वास्थ्य केंद्रों पर सुनिश्चित की जाए।

मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवाओं के कवरेज में घटती हुई प्रवृत्ति देखी गई तथा वर्ष 2015–16 के दौरान कुल 35 लक्षित जिलों एवं 131 ब्लॉकों के विरुद्ध केवल 25 जिलों एवं 78 ब्लॉकों को ही कवर किया जा रहा था।

उपलब्ध निधि का उपयोग करते हुए सभी लक्षित जिलों में एम.एम.यू. को आवश्यकतानुसार पूरी तरह क्रियाशील किया जाए।

एन.आर.एच.एम. का उद्देश्य सभी स्तर पर प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता में वृद्धि करना है। हालांकि, वर्ष 2011–16 की अवधि में, नियोजित प्रशिक्षण आयोजित नहीं किए गए, परिणामस्वरूप बैचों की संख्या के साथ-साथ प्रशिक्षुओं की संख्या में 42 प्रतिशत की कमी हुई। आगे, 58,730 आशा में से 57,730 आशा को ही पांचवीं माड्यूल प्रशिक्षित किया गया था तथा 9,409 आशा ही छठवीं माड्यूल प्रशिक्षित थी। इस प्रकार, 49,321 (84 प्रतिशत) आशा, माता एवं शिशु के स्वास्थ्य सेवा की विशेष क्षमता विकसित करने के लिए छठवीं तथा सातवीं माड्यूल तक प्रशिक्षित नहीं की गई थी।

स्वास्थ्य कर्मियों को सभी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदाय करने में सक्षम बनाने हेतु पी.आई.पी. में नियोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कराया जाए।

गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम संतोषजनक स्तर तक क्रियान्वित नहीं किया जा सका। राज्य गुणवत्ता आश्वासन समिति तथा जिला गुणवत्ता आश्वासन समिति ने निर्धारित अंतराल पर बैठकें नहीं की है। नमूना परीक्षित 13 जिला अस्पतालों (डी.एच.) में से 10

डी.एच. में रोगी संतुष्टि सर्वेक्षण नहीं कराया गया था। गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम सी.एच.सी. तथा पी.एच.सी. स्तर पर कार्यान्वित नहीं किए गए थे।

गुणवत्ता आश्वासन गतिविधियां सभी स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्यान्वित की जाए।

निजी संस्थानों में प्रदत्त ए.एन.सी., शिशु देखभाल तथा टीकाकरण सेवाओं संबंधी आंकड़ों के संग्रहण में कमियां थीं। आगे, निजी स्वास्थ्य संस्थानों में तथा घर पर कराए गए प्रसवों के संपूर्ण आंकड़े भी एच.एम.आई.एस. में दर्शित नहीं थे।

राज्य में सभी स्तरों पर दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के आंकड़े को संकलित करने लिए एच.एम.आई.एस. को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

गृह विभाग

2.2 मध्य प्रदेश पुलिस बल का आधुनिकीकरण

कार्यपालन सारांश

'पुलिस' राज्य का विषय है और पुलिस बल को आधुनिक बनाना और पर्याप्त रूप से सज्जित करना मुख्यतः राज्य शासन की जिम्मेदारी है। गृह मामलों के मंत्रालय, (एम.एच.ए.), भारत सरकार द्वारा आंतरिक सुरक्षा के लिए उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समना करने हेतु पुलिस बल को सक्षम करने के लिए 1969 में पुलिस बल का आधुनिकीकरण (एम.पी.एफ.) योजना प्रारंभ की गई। योजना 2000–01 में संशोधित की गई और 2012–13 से पांच वर्ष के लिए बढ़ाई गई। मुख्य घटक जो योजना में सम्मिलित थे: पुलिस भवन और आवास, गतिशीलता, शस्त्र, फॉरेंसिक विज्ञान, दूरसंचार और अन्य अधोसंरचना हैं।

अवधि 2011–12 से 2015–16 के लिए 'मध्य प्रदेश पुलिस बल के आधुनिकीकरण' पर निष्पादन लेखा परीक्षा में निम्नलिखित परिलक्षित हुआ:

योजना

योजना के दिशानिर्देशों में राज्य के लिए संसाधन आवृत्त की पहचान करने और प्रयासों के दोहराव से बचने के लिए संयुक्त संसाधन आयोजना शामिल करना प्रावधानित था। 2011–16 के दौरान अन्य केंद्रीय और राज्य योजनाओं ने राज्य पुलिस के अधोसंरचना विकास के लिए ₹ 999.93 करोड़ का योगदान दिया। तथापि, राज्य की वार्षिक कार्य योजना (ए.ए.पी.) में निधियों के उपयोग करने के लिए संयुक्त संसाधन आयोजना को शामिल नहीं किया गया। आगे, अवधि 2011–16 में गृह मंत्रालय को ए.ए.पी. प्रस्तुत करने में 55 से 102 दिनों तक का असाधारण विलम्ब था, जिसके परिणामस्वरूप ए.ए.पी. के अनुमोदन में अहम विलंब हुआ। इस प्रकार, योजना अनुसार, योजना का क्रियान्वयन करने और उसी वर्ष में निधियों का उपयोग करने हेतु कम समय बचा।

(कंडिका 2.2.7)

वित्तीय प्रबंधन

2011–16 के दौरान, राज्य में एम.पी.एफ. हेतु कुल उपलब्ध निधियाँ ₹ 349.53 करोड़ के विरुद्ध व्यय ₹ 316.47 करोड़ था। तथापि, उपलब्ध निधियों के विरुद्ध व्यय की प्रगति धीमी थी और 2015–16 के दौरान काफी सुधार हुआ, जिसमें ₹ 163.65 करोड़ (₹ 316.47 करोड़ का 52 प्रतिशत) का व्यय हुआ। व्यय की धीमी प्रगति, राज्य में एम.पी.एफ. के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रांश के ₹ 92.79 करोड़ कम विमुक्ति की ओर ले गई। अवधि 2015–16 के लिए गृह मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश शासन को प्रदाय केन्द्रांश ₹ 23.42 करोड़ और साथ ही राज्यांश ₹ 17.87 करोड़ मार्च 2016 के अंत तक विभाग को विमुक्त नहीं किया गया।

(कंडिका 2.2.8)

चिन्हित किए गए अंतरों को भरने में योजना का प्रभाव

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी.पी.आर.डी.) की मार्च 2000 में प्रकाशित 'पुलिस ढांचे का आधुनिकीकरण और उन्नयन : पांच वर्षीय प्रक्षेप' पर अध्ययन प्रतिवेदन में प्रत्येक राज्य में पुलिस के विभिन्न बुनियादी ढांचे में अन्तरों को रेखांकित किया गया और पांच वर्ष हेतु मदवार आवश्यक राशि का अनुमान किया। मध्य प्रदेश में आवश्यक और उपलब्ध पुलिस बुनियादी ढांचे की वर्तमान स्थिति की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि पुलिस भवनों, महिला पुलिस हेतु आराम कक्षों/प्रसाधनों, आवासों, वाहनों और शस्त्रों में अभी भी सारभूत कमी थी।

(कंडिका 2.2.9)

पुलिस भवन एवं आवास

समुचित रूप से सुरक्षित पुलिस स्टेशन भवन और पुलिस कर्मियों के लिए पुलिस स्टेशन के निकट आवास का निर्माण, योजना का एक मुख्य क्षेत्र है। इस घटक के अंतर्गत 2011–16 के दौरान विमुक्त ₹ 160.10 करोड़ के विरुद्ध ₹ 75.85 करोड़ व्यय किया गया। निर्माण में विलंब के कारण पुलिस भवन और आवासों की उपलब्धता वास्तविक आवश्यकता से बहुत पीछे चल रही थी।

दो तिहाई से अधिक अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को शासकीय आवास उपलब्ध नहीं कराया जा सका क्योंकि पुलिस कर्मियों के लिए 69,978 आवासों की कमी थी। चयनित 13 जिलों में 683 कंडम और 582 जर्जर भवनों में पुलिस कर्मी अधिवासित थे। इसी प्रकार पुलिस थानों, चौकियों, जिला पुलिस कार्यालय, जिला पुलिस लाईन, नियंत्रण कक्ष सहित 718 भवनों की कमी थी। पुलिस थानों एवं चौकियों में महिला कर्मियों के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे पृथक प्रसाधन और आराम कक्षों की कमी थी। साक्षात्कार के दौरान, 150 पुलिसकर्मियों में से 122, जो जर्जर भवनों में कार्य कर रहे थे, ने पानी के रिसाव, जगह की कमी, असुविधा और व्यक्तियों के जीवन पर खतरे जैसी समस्याएं उद्धृत कीं। इस प्रकार, पुलिस बल की खुद की सुरक्षा खतरे में थी।

(कंडिका 2.2.10)

गतिशीलता

विभाग में वाहनों विशेष रूप से मोटर साईकिल की काफी कमी थी। चयनित 39 पुलिस थानों (पी.एस.) और चौकियों (ओ.पी.) में से 7: पी.एस. और दो ओ.पी. में कोई मोटरसाईकिल नहीं थी। आगे, ₹ 5.88 करोड़ मूल्य की 102 कारें क्रय की गई जो एम.पी.एफ. के अंतर्गत क्रय हेतु निषिद्ध था।

(कंडिका 2.2.11)

शस्त्र

योजना, पुरानी और अनुप्रयोज्य शस्त्रों को परिष्कृत शस्त्रों से प्रतिस्थापित करना प्रस्तावित करती है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि दिसम्बर 2016 तक 23,955 आधुनिक शस्त्रों की कमी थी। इस प्रकार, विभाग पुलिस बल की मारक क्षमता को प्रभावित करते हुए पुराने शस्त्रों पर निर्भर था।

(कंडिका 2.2.12)

उपकरणों का क्रय

फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफ.एस.एल.), दूरसंचार, गुप्तवार्ता और सी.आई.डी. से संबंधित शाखाओं में उपकरणों की अधिप्राप्ति में असाधारण विलंब पाया गया, जिसने पुलिस बल के आधुनिकीकरण कार्यक्रम को प्रभावित किया।

(कंडिका एं 2.2.13, 2.2.14, 2.2.15 एवं 2.2.16)

मानव संसाधन प्रबंधन

जून 2016 की स्थिति में पुलिस बल में समग्र रिक्तियां 16,751 कर्मियों की थी। एफ.एस.एल. में वैज्ञानिक अधिकारी और प्रयोगशाला तकनीशियन के पद रिक्त थे, परिणामस्वरूप फॉरेंसिक परीक्षणों के बहुत अधिक मामले लंबित हुए। प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी के कारण पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण प्रभावित हुए। चयनित जिलों में 150 पुलिस कर्मियों के साक्षात्कार में केवल 26 प्रतिशत उपलब्ध संसाधनों से संतुष्ट थे और 45 प्रतिशत नौकरी में उन्नति से संतुष्ट थे।

(कंडिका एं 2.2.13.1 एवं 2.2.17)

अपराध परिदृश्य

2011–15 के दौरान राज्य में भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों की संख्या उत्तरोत्तर 2.17 लाख से 2.69 लाख तक बढ़ी और जाँच में लंबित मामले भी 12,582 से 23,380 तक बढ़े। इसलिए पर्याप्त मानवशक्ति, कर्मियों के जीवन स्तर में सुधार, बढ़ी हुई गतिशीलता, शस्त्र और अन्य संबंधित अधोसंरचना से पुलिस बल की मजबूती के लिए प्रभावी कदमों की आवश्यकता थी।

(कंडिका 2.2.19)

2.2.1 प्रस्तावना

'पुलिस' और 'कानून और व्यवस्था' राज्य का विषय है तथा 'कानून और व्यवस्था' और 'आंतरिक सुरक्षा' की चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिस बल को आधुनिक बनाना एवं पर्याप्त रूप से सज्जित करना मुख्यतः राज्य शासन की जिम्मेदारी है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आंतरिक सुरक्षा के लिए उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने हेतु देश के पुलिस बल को सक्षम करने के लिए 1969 में पुलिस बल का आधुनिकीकरण (एम.पी.एफ.) योजना शुरू की गई। आधारभूत पुलिस अधोसंरचना में कमियाँ जैसा कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी.पी.आर.डी.) द्वारा पहचान की गई थी, को ठीक करने के लिए योजना वर्ष 2000–01 में संशोधित कर 10 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाई गई। मुख्य घटक जो योजना में सम्मिलित थे: पुलिस भवन और आवास, गतिशीलता, शस्त्र, फॉरेंसिक विज्ञान, दूरसंचार, और अन्य अधोसंरचना हैं। योजना पहले दो वर्षों 2010–11 से 2011–12 तक और फिर 2012–13 से पाँच वर्षों हेतु बढ़ाई गई।

2.2.2 संगठनात्मक संरचना

अपर मुख्य सचिव (गृह) (ए.सी.एस.) शासन स्तर पर विभाग के प्रमुख हैं, सचिव (गृह) सहायक हैं। पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.) पुलिस बल के प्रमुख हैं। मुख्य सचिव के नेतृत्व में और चार अन्य सदस्यों अर्थात्, ए.सी.एस. (गृह), पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.), सचिव (वित्त) और अतिरिक्त सचिव (गृह) को शामिल कर बनी एक राज्य स्तरीय साधिकार समिति, (एस.एल.ई.सी.) योजना के कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च निकाय है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रबन्ध) योजना के क्रियान्वयन के लिये नोडल अधिकारी हैं जिन्हें पुलिस महानिरीक्षक (प्रबन्ध) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। योजना, जिलों के पुलिस अधीक्षकों (एस.पी.) के साथ परामर्श से पुलिस मुख्यालय (पी.एच.क्यू.) द्वारा कार्यान्वयन की जाती है। आवासीय गतिविधियाँ मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन (म.प्र.पु.हा.का.) के माध्यम से कार्यान्वयन की गई थी। राज्य में 11 पुलिस जोन, 15 रेंज, 51 जिला पुलिस अधीक्षक, 1,061 पुलिस थाने और 576 पुलिस चौकियाँ हैं।

मध्य प्रदेश पुलिस जोन, रेज और जिलों को दर्शाने वाला नक्शा



नाम	सूचक	संख्या
जोन आई. जी.		11
रेज डी.आई.जी.		15
जिला पुलिस अधीक्षक		51

2.2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी कि:

- योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये उचित और पर्याप्त दीर्घकालिक और अल्पकालिक योजनाएं तैयार थीं;
- वित्तीय प्रबंधन कुशल और प्रभावी था;
- योजना के विभिन्न घटकों को मितव्ययता और कुशलता से लागू किया गया है और प्रत्येक घटक के लिये लक्ष्य प्राप्त किए गए;
- मानव संसाधन प्रबंधन और दक्षता निर्माण पर्याप्त था; और,
- योजना के क्रियान्वयन के अनुश्रवण और मूल्यांकन की प्रणाली उचित और प्रभावी थी।

2.2.4 लेखापरीक्षा मानदंड

राज्य में योजना के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिये निम्नलिखित मानदंडों का उपयोग किया गया:

- योजना के दिशा-निर्देश, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश और परिपत्र;
- वार्षिक कार्य योजनाएं, पी.एच.क्यू. के आवंटन आदेश;
- मानव शक्ति और वाहनों के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड और पैमाने।

2.2.5 कार्यक्षेत्र और पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा, अवधि 2011–16 को सम्मिलित कर मार्च 2016 से जुलाई 2016 के दौरान संचालित की गई। लेखापरीक्षा में पी.एच.क्यू., 10³⁹ राज्य स्तर के कार्यालय और राज्य के 51 में से 13⁴⁰ जिले (25 प्रतिशत) शामिल थे। जिलों का चयन, बिना प्रतिस्थापन सरल यादृच्छिक चयन विधि और प्रवेश सम्मेलन के दौरान विभाग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर किया गया था। 30 पुलिस थानों (पी.एस.) और नौ चौकियों (ओ.पी.) का चयन (प्रत्येक जिलों में तीन पुलिस थाना/चौकी) यादृच्छिक आधार पर किया गया। केंद्रीय शस्त्र मरम्मत कार्यशाला, भोपाल के आधुनिकीकरण की स्थिति के बारे में जानकारी अ.पु.म. (प्रबंध) के माध्यम से एकत्र की गई थी। अभिलेखों की नमूना जाँच, प्रश्नावलियों के माध्यम से सूचनाओं का संग्रह, पुलिस कर्मियों से साक्षात्कार, विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन और परिसंपत्तियों के छायाचित्र अपनाए गए लेखापरीक्षा पद्धति थे।

प्रवेश सम्मेलन, 15 फरवरी 2016 को ए.सी.एस. (गृह) और डी.जी.पी. के साथ लेखापरीक्षा पद्धति, कार्य क्षेत्र, उद्देश्य और मानदंड पर चर्चा करने हेतु आयोजित किया गया। निर्गम सम्मेलन, 8 नवंबर 2016 को ए.सी.एस. और डी.जी.पी. के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने हेतु आयोजित किया गया। विभाग के उत्तरों को उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

2.2.6 सीख लेना और कर्मियों के संकेतों के प्रति संवेदनशीलता

पूर्व में राज्य में पुलिस बल का आधुनिकीकरण योजना के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि 2000–01 से 2005–06 के लिए की गई थी और लेखापरीक्षा निष्कर्ष नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2005–06 (सिविल) की कंडिका 3.5 में प्रतिवेदित किए गए थे। गृह विभाग ने अक्टूबर 2010 में कंडिकावार उत्तर लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) को प्रस्तुत किए। पी.ए.सी. द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर जुलाई 2011 में चर्चा की गई। पी.ए.सी. की अनुशंसाएं प्रतीक्षित थी (नवम्बर 2016)।

अवधि वर्ष 2011–12 से 2015–16 के लिये मध्य प्रदेश पुलिस बल के आधुनिकीकरण की वर्तमान निष्पादन लेखा परीक्षा में प्रकट हुआ कि कर्मियाँ जैसे निधियों का कम उपयोग, भवनों के निर्माण में विलंब, चालकों की अपर्याप्त संख्या, विलंबित प्रतिक्रिया समय और फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं में नमूनों का विश्लेषण लंबित रहना, जो कि सी.ए.जी. के पूर्व के प्रतिवेदन में इंगित किए गए थे अभी भी बने हुए थे, जैसा कि उत्तरवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.2.7 योजना

2.2.7.1 रणनीतिक योजना बनाना

एम.पी.एफ. दिशानिर्देश, राज्य की आवश्यकताओं तक पहुंचने के लिए बी.पी.आर.डी. मापदण्ड के संयोजन से एम.पी.एफ. के विभिन्न घटकों में अंतर की पहचान और विश्लेषण कर पांच वर्षीय उपकरण अर्जन दृष्टिकोण योजना शामिल करते हुए

³⁹ अ.पु.म. (योजना), अ.पु.म. (प्रबंध), विशेष पुलिस महानिदेशक (गुप्तवार्ता), अ.पु.म. (अपराध अनुसंधान विभाग), अ.पु.म. (राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो), अ.पु.म. (दूरसंचार), विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला सागर, महानिदेशक (नगर सेना) और मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन।

⁴⁰ बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, डिण्डौरी, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, खरगोन, पन्ना, रीवा और सागर।

रणनीतिक योजना बनाकर भारत सरकार को प्रस्तुत करने का उल्लेख करता है। गृह मंत्रालय ने अवधि 2011–16 के लिये रणनीतिक योजना 27 दिसम्बर, 2010 तक प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया (दिसंबर, 2010)।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि अवधि 2011–16 के लिये रणनीतिक योजना गृह विभाग को 18 जुलाई, 2011 को प्रस्तुत की गई थी। तथापि, रणनीतिक योजना निर्धारित ढाँचे में नहीं बनाई गई और इसमें एस.डब्ल्यूओ.टी.⁴¹ विश्लेषण, परिस्थिति विश्लेषण, रणनीतियाँ, गतिविधियाँ और मूल्यांकन शामिल नहीं थे।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में ए.सी.एस. ने बताया कि रणनीतिक योजना को उचित रूप से बनाना संभव नहीं था, क्योंकि विभाग योजना वर्ष में आवंटित निधियों से सुपरिचित नहीं था और योजनाएं प्राथमिकता की मदों के अंतर को पूर्ण करने के लिये बनाई गई। तथापि, अब भविष्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत एक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की जा रही थी।

2.2.7.2 वार्षिक कार्य योजनाएं बनाना

एम.पी.एफ. दिशानिर्देशों के अनुसार, वार्षिक कार्य योजना (ए.ए.पी.) को रणनीतिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यक्रम, कार्यों या गतिविधियों और लक्ष्यों एवं गतिविधियों द्वारा लाए गए अंतर में सफलता का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन के मापदण्ड का विवरण प्रदान करना था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्नांकित प्रकट हुआ:

- अवधि 2011–16 के ए.ए.पी. कार्यक्रम, लक्ष्यों और उद्देश्यों के पूर्व–दस्तावेजों के बिना बनाए गए जैसा कि रणनीतिक योजना 2011–16 में इनकी पहचान नहीं की गई। विभिन्न पुलिस उपकरणों, जैसे कि गुप्तवार्ता, प्रशिक्षण, दूरसंचार, रेलवे, अपराध अनुसंधान विभाग और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के लिये अन्तर विश्लेषण किया जाना नहीं पाया गया, इसलिए वार्षिक कार्य योजनाएं इस सीमा तक क्रय के लिये मदों की एक इच्छा सूची थी।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में ए.सी.एस. ने बताया कि विभाग अपनी आवश्यकताओं से अवगत था, राज्य के बदलते सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्य, कानून व्यवस्था और अपराध के स्वरूप के अनुरूप तत्काल प्राथमिकता की मदों को ए.ए.पी. में प्रस्तावित किया गया।

तथ्य यह है कि विभाग ने विभिन्न पुलिस उपकरणों के क्रय के लिए अंतर विश्लेषण नहीं किया।

- इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियाँ, पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्य के संसाधनों के अनुपूरण हेतु आशयित थे। इसलिए, एक निर्धारित प्रारूप में घटकवार निधियों की आवश्यकता और आवश्यक निधियों की स्रोतवार उपलब्धता सूचित करते हुए संयुक्त संसाधन आयोजना ए.ए.पी. में शामिल होना था। अवधि 2011–16 के दौरान अन्य केंद्रीय और राज्य योजनाओं ने भी प्रशिक्षण, आवास, फॉरेंसिक विज्ञान, वाहनों, उपकरणों तथा शस्त्रों के लिए ₹ 999.93 करोड़ (**परिशिष्ट-2.2.1**) का योगदान दिया जबकि व्यय ₹ 712.48 करोड़ (71 प्रतिशत) का किया गया था। तथापि, एम.पी.एफ. के ए.ए.पी. में उपलब्ध आवृत⁴² संसाधन का अनुकूलन करने के लिए संयुक्त संसाधन आयोजना को शामिल नहीं किया गया।

⁴¹ शिक्षियाँ, कमजोरियाँ, अवसर और आशंकाएं।

⁴² पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए राज्य में विभिन्न स्रोतों से राज्य में उपलब्ध निधियाँ।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में ए.सी.एस. ने बताया कि जैसा कि उपलब्धता और आवश्यकता के मध्य अंतर अधिक था, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त निधियों को अन्तरों को भरने में उपयोग किया गया और संतुष्टि स्तर में और सुधार की आवश्यकता थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था जैसा कि एम.पी.एफ. के दिशानिर्देशों में राज्य के लिए आवृत संसाधन के पहचान करने और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और प्रयासों के दोहराव से बचने के लिए संयुक्त संसाधन आयोजना शामिल करना प्रावधानित था।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा ए.पी.ए के प्रस्तुतीकरण में 102 दिनों तक का विलंब था जिसके परिणामतः गृह मंत्रालय द्वारा निधियों के विमुक्ति में विलंब हुआ।

- गृह मंत्रालय को ए.ए.पी. प्रस्तुत करने में निर्धारित तिथियों के विरुद्ध 55 से 102 दिनों तक का असाधारण विलम्ब था (**परिशिष्ट-2.2.2**), जिसके परिणामस्वरूप गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदन और क्रियान्वयन अभिकरणों को निधियों के विमुक्ति में विलंब हुआ। इस प्रकार, योजना अनुसार योजना का क्रियान्वयन करने और उसी वर्ष में निधियों का उपयोग करने हेतु कम समय बचा।


निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में ए.सी.एस. ने बताया कि राज्य स्तरीय साधिकार समिति के सदस्यों की व्यस्तता के कारण बैठक करने में विलम्ब ए.ए.पी. का गृह मंत्रालय को विलम्ब से प्रस्तुतिकरण का कारण था। भविष्य में ए.ए.पी. यथाशीघ्र प्रस्तुत करने के प्रयास किए जाएंगे।

2.2.8 वित्तीय प्रबंधन


एम.पी.एफ. के अंतर्गत केंद्र और राज्य के मध्य निधियों का बटवारा वर्ष 2011–12 में 75:25 था जिसे वर्ष 2012–16 में संशोधित कर 60:40 किया गया। राज्य की वार्षिक कार्य योजनाओं के अनुमोदन के पश्चात, गृह मंत्रालय ने केंद्रांश की राशि स्वीकृत की और राज्य शासन के साथ–साथ शस्त्रों की आपूर्ति हेतु सीधे आयुध निर्माण बोर्ड (ओ.एफ.बी.) को विमुक्त की। मध्य प्रदेश शासन ने राज्यांश ओ.एफ.बी. को शस्त्रों की आपूर्ति हेतु प्रदान किया जबकि डी.जी.पी. को अन्य घटकों के लिए निधियाँ बजटीय तंत्र के माध्यम से विमुक्त की गयी।

मार्च 2000 में प्रकाशित बी.पी.आर.डी. अध्ययन प्रतिवेदन ‘पुलिस ढाँचे का आधुनिकीकरण और उन्नयन: पांच वर्षीय प्रक्षेप’ ने विभिन्न घटकों भवन, आवास, वाहन, शस्त्र, मानव शक्ति और प्रशिक्षण के अंतर्गत मध्य प्रदेश हेतु राशि ₹ 1,824.14 करोड़ की आवश्यकता का अनुमान किया। इसके विरुद्ध 2000–16 के दौरान योजना के क्रियान्वयन में केवल ₹ 1,103.47 करोड़ व्यय हुआ। अवधि 2000–16 के दौरान एम.पी.एफ. के अंतर्गत कुल स्वीकृत केंद्रांश ₹ 879.22 करोड़ था, जिसमें से राज्य शासन को ₹ 745.96 करोड़ विमुक्त किए गए और ₹ 713.17 करोड़ व्यय किए गए। 2000–05, 2005–10 और 2010–15 के दौरान स्वीकृत और विमुक्त केंद्रांश के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि स्वीकृत राशि ₹ 249.13 करोड़ (2000–05) से ₹ 338.97 करोड़ (2010–15) तक उत्तरोत्तर बढ़ी। तथापि, विमुक्त राशि ₹ 249.13 करोड़ (2000–05) से ₹ 242.67 करोड़ (2010–15) तक कम हुई जैसा कि चार्ट–2.2.1 एवं चार्ट–2.2.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट–2.2.1



चार्ट-2.2.2



(स्रोत: नोडल अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

अवधि 2011–16 के अभिलेखों की ओर आगे संवीक्षा से निम्नांकित परिलक्षित हुआ:

2.2.8.1 निधियों की उपलब्धता और उपयोग

गृह मंत्रालय ने समय–समय पर अव्ययित शेषों की स्थिति को चिन्हांकित किया और कहा कि स्वीकृति के विरुद्ध विमुक्ति अव्ययित शेषों पर निर्भर करेगी और शेष राशि को भविष्य की विमुक्ति से कम कर लिया जाएगा।

अवधि 2011–16 के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्रों (यू.सी.) के अनुसार अव्ययित शेषों, केंद्रांश और राज्यांश के अंतर्गत विमुक्ति और व्यय की स्थिति तालिका-2.2.1 के विवरण के अनुसार है—

तालिका-2.2.1: एम.पी.एफ. के अंतर्गत केंद्रांश और राज्यांश की विमुक्ति और व्यय

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	वर्ष	केंद्रांश					राज्यांश				
		पूर्व शेष	विमुक्त राशि	योग	व्यय	अंत शेष	पूर्व शेष	विमुक्त राशि	योग	व्यय	अंत शेष
1	2011–12	56.62	37.54	94.16	56.80	37.36	24.94	12.31	37.25	9.71	27.54
2	2012–13	37.36	13.78	51.14	28.72	22.42	27.54	9.19	36.73	23.17	13.56
3	2013–14	22.42	61.37	83.79	13.04	70.75	13.56	38.26	51.82	7.44	44.38
4	2014–15	70.75	57.57	128.32	7.28	121.04	44.38	11.15	55.53	6.66	48.87
5	2015–16	121.04	26.80	147.84	117.54	30.30	48.87	0.00	48.87	46.11	2.76
योग			197.06		223.38			70.91		93.09	

(स्रोत: गृह मंत्रालय एवं मध्य प्रदेश शासन की स्वीकृतियां और विभाग द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्र)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2011–16 के दौरान कुल उपलब्ध निधियां ₹ 349.53⁴³ करोड़ के विरुद्ध व्यय ₹ 316.47⁴⁴ करोड़ था। उपलब्ध निधियों के विरुद्ध व्यय की प्रगति धीमी थी और मुख्य रूप से 2015–16 के दौरान सुधार हुआ जिसमें ₹ 163.65 करोड़ (₹ 316.47 करोड़ का 52 प्रतिशत) का व्यय हुआ। आगे, मार्च 2016 की स्थिति में ₹ 33.06 करोड़ (केंद्रांश और राज्यांश) अभी भी अप्रयुक्त था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अप्रयुक्त निधि 2010–11 से भी संबंधित थी। निधियों को छ: वर्ष पश्चात् भी व्यय न कर पाने की विफलता ने कमजोर वित्तीय और क्रय प्रबंधन की ओर संकेत किया और परिणामतः गृह मंत्रालय द्वारा केंद्रांश की विमुक्ति में कमी हुई। स्वीकृत केंद्रीय सहायता ₹ 289.85 करोड़ के विरुद्ध ₹ 197.06 करोड़ विमुक्त किया गया। इस प्रकार, पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजना को ₹ 92.79 करोड़ निधि और अनुपातिक राज्यांश से वंचित रहना पड़ा।

⁴³ पूर्व शेष (₹ 56.62 करोड़ + ₹ 24.94 करोड़) और विमुक्ति (₹ 197.06 करोड़ + ₹ 70.91 करोड़)।⁴⁴ केंद्रांश से व्यय ₹ 223.38 करोड़ + राज्यांश से व्यय ₹ 93.09 करोड़।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में ए.सी.एस. ने बताया कि निधियों का कम उपयोग, निधियों की विमुक्ति, निविदा एवं क्रय प्रक्रिया में विलंब के कारण हुआ। भविष्य में इसे ध्यान में रख कर कार्रवाई की जावेगी।

2.2.8.2 मध्य प्रदेश शासन द्वारा राशि विमुक्त करने में विलंब और कमी

मध्यप्रदेश शासन ने ₹ 23.42 करोड़ केंद्रांश और ₹ 47.75 करोड़ राज्यांश गृह विभाग को विमुक्त नहीं किया।

मांग, स्वीकृत केंद्रांश, और गृह मंत्रालय और मध्य प्रदेश शासन द्वारा उत्तरवर्ती विमुक्ति की स्थिति **परिशिष्ट-2.2.3** में दर्शाए गए हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2011–15 के दौरान मध्य प्रदेश शासन ने गृह मंत्रालय द्वारा विमुक्ति के दिनांक से एक से 27 माह तक विलंब से राज्यांश विमुक्त किया। आगे, 2011–15 के दौरान ₹ 29.88 करोड़ राज्यांश विमुक्त नहीं किए गए। अवधि 2015–16 के लिए, गृह मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश शासन को विमुक्त ₹ 23.42 करोड़ केंद्रांश और साथ–साथ ₹ 17.87 करोड़ राज्यांश विभाग को विमुक्त नहीं किया गया (मार्च 2016)।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में, ए.सी.एस. ने बताया कि भविष्य में इसे ध्यान में रखकर कार्रवाई की जावेगी।

2.2.8.3 त्रुटिपूर्ण उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुति के कारण गलत वित्तीय प्रतिवेदन

लेखापरीक्षा ने यू.सी. (मार्च 2016 तक) से देखा कि विभाग ने 2011–16 के दौरान ₹ 244.56 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध ₹ 228.83 करोड़ का उपयोग गृह मंत्रालय को प्रतिवेदित किया। तथापि, अभिलेखों के परीक्षण से प्रकट हुआ कि केवल ₹ 144.00 करोड़ व्यय किया गया। इस प्रकार, नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत यू.सी. ₹ 84.83 करोड़ बढ़े हुए थे।

आगे संवीक्षा में प्रकट हुआ कि म.प्र.पु.हा.का. के पास ₹ 160.10 करोड़ विमुक्ति के विरुद्ध ₹ 84.25 करोड़ अव्ययित (मार्च 2016) थे। 2011–16 के दौरान, म.प्र.पु.हा.का. ने नोडल अधिकारी को यू.सी. प्रस्तुत नहीं किया और विभाग ने म.प्र.पु.हा.का. को विमुक्त/भुगतान राशि के आधार पर गृह मंत्रालय को यू.सी. प्रस्तुत किया। विभाग स्तर पर उपयोग की गई राशि की यह त्रुटिपूर्ण प्रग्रहण कमज़ोर लेखांकन नियंत्रण का परिचायक थी।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में ए.सी.एस. ने बताया कि विभाग द्वारा पूर्व से अपनायी गई प्रक्रिया अनुसार ओ.एफ.बी./म.प्र.पु.हा.का. को अग्रिम में दी गई राशि को उपयोग के रूप में दिखाया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा टिप्पणी को भविष्य में ध्यान में रखा जाएगा।

2.2.8.4 एम.पी.एफ. निधियों के बैंक खातों से अर्जित ब्याज का उपयोग

एम.पी.एफ. दिशा निर्देशों की कांडिका 7.11 के अनुसार, म.प्र.पु.हा.का. को विमुक्त राशियों को विशिष्ट बचत खातों में रखा जाएगा और उपार्जित ब्याज का उपयोग एस.एल.ई.सी. के द्वारा अनुमोदन के बाद योजना के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2011–16 के दौरान म.प्र.पु.हा.का. को छ: प्रकरणों में ₹ 160.10 करोड़ का भुगतान किया गया। गृह मंत्रालय द्वारा 2011–12 से 2013–14 के दौरान जारी किए गए ₹ 19.39 करोड़, ₹ 6.48 करोड़, और ₹ 6.40 करोड़ के लिए म.प्र.पु.हा.का. द्वारा विशिष्ट बचत खाते खोले गए और शेष ₹ 127.83 करोड़ अन्य प्रचलित खातों में जमा कर दिए गए। तथापि, अन्य योजनाओं/स्रोतों से प्राप्त राशियां भी एम.पी.एफ. के विशिष्ट बैंक खातों में जमा कर दी गई। परिणामतः, एम.पी.एफ. के विशिष्ट बैंक खातों में अर्जित/उपार्जित ब्याज की सही गणना नहीं की जा सकी।

म.प्र.पु.हा.का. के पास बकाया निधियों पर अर्जित ₹ 1.10 करोड़ ब्याज का उपयोग योजना के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया गया।

उत्तर में म.प्र.पु.हा.का. ने मार्च 2016 में बकाया शेष के आधार पर ₹ 1.10 करोड़ ब्याज सूचित किया। तथापि, समय समय पर अर्जित ब्याज न तो गृह मंत्रालय/नोडल अधिकारी को सूचित किया गया न ही इसका उपयोग योजना के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में, ए.सी.एस. ने बताया कि म.प्र.पु.हा.का. विवरण, गृह मंत्रालय के दल जो अर्द्धवार्षिक आधार पर लेखापरीक्षा के लिए आते हैं, के साथ साथ पी.एच.क्यू के योजना शाखा को प्रस्तुत कर रहा था। 2008–09 तक अर्जित/उपार्जित ब्याज पहले ही सूचित कर दिया गया था। योजनावार ब्याज की गणना की जा रही थी और लेखापरीक्षा अवधि के दौरान अर्जित/उपार्जित ब्याज का उपयोग एस.एल.ई.सी के अनुमोदन से किया जाएगा। भविष्य में योजनावार पृथक खाते संधारित किए जाएंगे।

2.2.9 बी.पी.आर.डी. के अध्ययन प्रतिवेदन में रेखांकित अन्तरों को भरने में उपलब्धि

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी.पी.आर.डी.) की मार्च 2000 में प्रकाशित 'पुलिस ढाँचे का आधुनिकीकरण और उन्नयन: पांच वर्षीय प्रक्षेप' पर अध्ययन प्रतिवेदन में प्रत्येक राज्य में पुलिस के विभिन्न बुनियादी ढाँचे में अन्तरों को रेखांकित किया और पाँच वर्ष हेतु मदवार आवश्यक राशि का अनुमान किया। आवश्यक और उपलब्ध पुलिस बुनियादी ढाँचे की वर्तमान स्थिति की संवीक्षा ने दर्शाया कि पी.एस./ओ.पी., भवनों, महिला पुलिस हेतु आराम कक्षों/प्रसाधनों, आवासों, वाहनों और शस्त्रों में अभी भी सारभूत कमी थी। एम.पी.एफ. के मुख्य घटकों के क्रियान्वयन में पाई गई कर्मियों की उत्तरवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.2.10 पुलिस भवन और आवास

समुचित रूप से सुरक्षित पुलिस थाना भवन और पुलिस कर्मियों के लिए पुलिस स्टेशन के निकट आवास का निर्माण, योजना का एक मुख्य क्षेत्र है। लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना के इस घटक के लिए 2011–16 के दौरान 50 प्रतिशत से अधिक आवंटन था। मध्य प्रदेश शासन की एक लिमिटेड कंपनी म.प्र.पु.हा.का., एम.पी.एफ. के अंतर्गत आवासीय और प्रशासकीय भवनों के निर्माण के लिए क्रियान्वयन अभिकरण थी। 2011–16 के दौरान, म.प्र.पु.हा.का. ने उसे गृह मंत्रालय और मध्य प्रदेश शासन द्वारा विमुक्त ₹ 160.10 करोड़ के विरुद्ध ₹ 75.85 करोड़ व्यय किया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि आवास और प्रशासकीय भवनों की उपलब्धता वास्तविक आवश्यकता से बहुत पीछे चल रही थी। आवास और प्रशासकीय भवनों के अंतर्गत अंतर तालिका-2.2.2 में उल्लेखानुसार था।

तालिका-2.2.2: आवास और भवनों की आवश्यकता की तुलनात्मक स्थिति

मद	जनवरी 1998 की स्थिति में अंतर (आवश्यक इकाई)	दिसम्बर 2016 की स्थिति में पी.एच.क्यू द्वारा प्रतिवेदित अंतर (आवश्यक इकाई)
पुलिस थाना भवन	121	254
पुलिस चौकी भवन	124	199
पुराने पुलिस थानों का विस्तार	644	805
जिला पुलिस लाईन	16	19
नियंत्रण कक्ष	43	17
कार्यालयीन भवन: एस.पी. कार्यालय	16	26

कार्यालयीन भवन: रेंज डी.आई.जी.	0	3
कार्यालयीन भवन: जोनल आई.जी.	1	3
कार्यालयीन भवन: एस.डी.ओ.पी. कार्यालय	118	61
महिला पुलिस के लिए आराम कक्ष / प्रसाधन	1457	805
आवास: निचले अधीनस्थ	44243	55455
आवास: उच्च अधीनस्थ	7496	14523

(स्रोत: बी.पी.आर.डी. अध्ययन प्रतिवेदन, 2000 और अ.पु.म.(योजना))

इस प्रकार, विगत 16 वर्षों से एम.पी.एफ. के क्रियान्वयन के बाद भी आवास और प्रशासकीय भवनों की आवश्यकता और उपलब्धता में सारभूत अंतर था।

2.2.10.1 कर्मचारी आवासों की कमी

राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने सभी पुलिस कर्मियों के लिए 100 प्रतिशत आवास की अनुशंसा की थी। गृह विभाग निचले अधीनस्थों (आरक्षक और प्रधान आरक्षक) और उच्च अधीनस्थ (निरीक्षक, उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक) को आवास उपलब्ध कराता है।

उपलब्ध आवास अच्छे⁴⁵, जर्जर और कंडम में वर्गीकृत किए गए थे। अवधि 2011–16 के दौरान आवासों की उपलब्धता **तालिका–2.2.3** में दिखाई गई है।

तालिका–2.2.3: आवासों की उपलब्धता और कमी

सं. क्र.	वर्ष	आवश्यकता	उपलब्ध भवन		कमी	मकान प्रति 100 कर्मी
			अच्छी अवस्था	कंडम		
1.	2011–12	85473	28968	3828	56505	34
2.	2012–13	93897	34209	6275	59688	36
3.	2013–14	99642	36723	6331	62919	37
4.	2014–15	99642	29880	7936	69762	30
5	2015–16	102772	32794	8076	69978	32

(स्रोत: अ.पु.म. (योजना) द्वारा प्रस्तुत सूचना)

दो तिहाई से अधिक अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को शासकीय आवास उपलब्ध नहीं कराया जा सका। अच्छे आवास की उपलब्धता 28,968 (2011–12) से 32,794 (2015–16) तक बढ़ी थी। तथापि, यह वृद्धि आवश्यकता में वृद्धि के अनुरूप नहीं थी। परिणामतः प्रति 100 कर्मी आवासों की उपलब्धता 34 से 32 तक घटी।

अ.पु.म. (योजना) के द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, स्टॉक में कोई जर्जर भवन नहीं था। तथापि, चयनित जिलों में लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 683 कंडम आवासों और 582 जर्जर आवासों में पुलिस कर्मी अधिवासित थे। चयनित 39 पी.एस./ओ.पी. में आवश्यक 1,616 आवासों के विरुद्ध केवल 403 अच्छे आवास थे और 1,213 (75 प्रतिशत) अच्छे आवासों की कमी थी। संयुक्त निरीक्षण के दौरान लिए गए कुछ छायाचित्र बैतूल और सागर जिलों में आवासीय मकानों की खराब स्थिति दर्शाते हैं:

⁴⁵ मकान जो निवास के उद्देश्य के लिए उपयुक्त समझे गए थे।

	
कोतवाली पुलिस थाना बैतूल में जर्जर मकान	पुलिस लाईन, सागर में जर्जर मकान

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में ए.सी.एस. अवासों के अभाव से सहमत हुए और बताया कि एम.पी.एफ. योजना के क्रियान्यवन से पहले, निर्माण कार्यों के लिए बजट बहुत कम था और अनेक आवास अनुप्रयोज्य घोषित हुए हैं। तथापि, हुड़को ऋण योजना के अंतर्गत 10,500 आवासों का निर्माण प्रगति पर था और 25,000 आवासों के निर्माण का प्रस्ताव शासन के पास अनुमोदन हेतु लंबित था।

2.2.10.2 प्रशासकीय भवनों की कमी

भवन अर्थात्, पुलिस थाने, चौकियां, जिला पुलिस कार्यालय, जिला पुलिस लाईन, नियंत्रण कक्ष आदि, पुलिस की सबसे महत्वपूर्ण अधोसंरचना हैं और उचित कार्यस्थल एवं पुलिस कर्मियों, गिरफ्तार व्यक्ति, शस्त्र और अन्य पुलिस अधोसंरचना को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अवधि 2011–16 के लिए भवनों की उपलब्धता की स्थिति तालिका-2.2.4 में दी गई है।

तालिका-2.2.4: भवनों की उपलब्धता और कमी

संक्र.	वर्ष	आवश्यक	उपलब्ध भवन			कमी	अच्छे भवनों का प्रतिशत
			अच्छी अवस्था	जर्जर	कंडम		
1.	2011–12	1806	1318	48	53	488	73
2.	2012–13	1852	1334	50	40	518	72
3.	2013–14	2002	1305	55	59	697	65
4.	2014–15	2052	1287	53	59	765	63
5.	2015–16	2049	1331	152	18	718	65

(स्रोत: अ.पु.म. (योजना) द्वारा प्रस्तुत संसूचना)

इस प्रकार, 2011–16 के दौरान अच्छे भवनों की उपलब्धता में 1,318 से 1,331 तक की मामूली वृद्धि हुई, जबकि आवश्यकता 1,806 से 2,049 तक बढ़ी। परिणामतः, अच्छे भवनों की उपलब्धता 73 से 65 प्रतिशत तक घटी। चयनित 13 जिलों के एस.पी. ने बताया कि जर्जर/कंडम भवनों के कारण असुरक्षित अभिलेख/कार्यालय उपकरण और व्यक्ति, जगह की कमी, असुविधा और पानी के रिसाव की समस्याएं हुईं।

साक्षात्कार के दौरान, 150 पुलिसकर्मियों में से 122, जो जर्जर भवनों में कार्य कर रहे थे, ने पानी के रिसाव, जगह की कमी, असुविधा और व्यक्तियों के जीवन पर खतरे जैसी समस्याएं उद्धृत कीं। इस प्रकार, पुलिस बल की खुद की सुरक्षा खतरे में थी। संयुक्त निरीक्षण के दौरान लिए गए छायाचित्र भोपाल और ग्वालियर में प्रशासकीय भवनों की खराब स्थिति को दर्शाते हैं:

अच्छे भवनों की उपलब्धता 73 से 65 प्रतिशत तक घटी।

	
एम.एल.ए. आराम गृह चौकी, भोपाल का कंडम भवन	पुलिस लाईन, ग्वालियर में बैरक के बड़े कमरे की खराब स्थिति
	
पुलिस लाईन, ग्वालियर में बैरक की खराब स्थिति	पुलिस लाईन, ग्वालियर में शौचालय की खराब स्थिति

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में ए.सी.एस. ने बताया कि योजना भविष्य की मांग और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। तथापि, तथ्य यह है कि विभाग में लगभग एक तिहाई प्रशासकीय भवनों की कमी थी जिससे कार्य का वातावरण और सुरक्षा प्रभावित हुई।

2.2.10.3 महिला पुलिस कर्मियों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी

गृह मंत्रालय ने निर्देशित किया (मई 2014) कि पुलिस थानों, चौकियों और बैरकों में महिला पुलिस कर्मियों के लिए प्रसाधन की उपयुक्त सुविधा और साथ ही प्रत्येक पुलिस थानों में आराम कक्ष हेतु प्रावधान किया जावे। लेखापरीक्षा ने शहरी, अद्वे शहरी और देहाती पुलिस थानों के आदर्श बनावट, जैसा डी.जी.पी. द्वारा अनुमोदित था, में देखा कि महिला पुलिस कर्मियों के लिए पृथक प्रसाधन का प्रावधान किया था। तथापि, महिला आराम कक्ष हेतु प्रावधान केवल शहरी पुलिस थानों में वर्ष 2014–15 से किया गया।

चयनित जिलों के 365 पी.एस. और 189 ओ.पी. में से 162 पी.एस. में महिला पुलिस कर्मियों के लिए पृथक आराम कक्ष उपलब्ध था जबकि पृथक प्रसाधन 170 पी.एस./ओ.पी. में उपलब्ध था। साक्षात्कार के दौरान 50 महिला पुलिस कर्मियों में से 48 ने पृथक प्रसाधन और/या पृथक आराम कक्ष की अनुपलब्धता के कारण असुविधा, कार्य पर विपरीत प्रभाव और असुरक्षा की समस्या उद्घृत की। इस प्रकार, विभाग महिला पुलिस कर्मियों को बुनियादी सुविधा प्रदान करने में विफल रहा।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में ए.सी.एस. ने बताया कि भवनों में पृथक प्रसाधन हेतु प्रावधान 2011–16 के दौरान किया गया था। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश (सितम्बर 2016) के परिपालन में महिला परिवादियों हेतु पृथक कक्ष के लिए एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा था और इन कक्षों का उपयोग महिला पुलिस द्वारा भी किया जाएगा। भविष्य में सभी नए पी.एस. में पृथक कक्ष और प्रसाधन का प्रावधान किया जाएगा।

पी.एस. और ओ.पी. में महिला कर्मियों के लिए बुनियादी सुविधाएं यथा प्रसाधन और आराम कक्ष की कमी थी।

2.2.10.4 नए भवनों का निर्माण

मार्च 2016 की स्थिति में 2011–16 के दौरान स्वीकृत, प्रारंभ, पूर्ण और म.प्र.पु.हा.का. द्वारा राज्य पुलिस को हस्तांतरित कार्यों की स्थिति **तालिका-2.2.5** में दी गई है।

तालिका-2.2.5: कार्यों की प्रगति और आवासों एवं भवनों का हस्तांतरण

वर्ष	आवास/भवन	कुल स्वीकृत	अप्रारंभ	प्रगतिरत	पूर्ण	हस्तांतरित
2011–12	भवन	36	0	0	36	36
	आवास	116	0	0	116	116
2013–14	भवन	154	59	28	67	45
2014–15	भवन	81	43	38	0	0
योग		387	102	66	219	197

(स्रोत: म.प्र.पु.हा.का.)

2013–15 के दौरान स्वीकृत 235 में से 102 भवन कार्य प्रारंभ नहीं हुए।

एम.पी.एफ. के अंतर्गत 2012–13 और 2015–16 के दौरान इस घटक के लिए निधि स्वीकृत नहीं की गई थी। 2013–14 और 2014–15 में स्वीकृत 235 भवनों में से 102 भवन (43 प्रतिशत) मार्च 2016 तक प्रारंभ नहीं हुए थे। म.प्र.पु.हा.का. ने कार्यों के प्रारंभ में विलंब के लिए (i) वर्ष 2013–14 के चार प्रकरणों में भूमि उपलब्ध नहीं होना, (ii) पी.एच.क्यू. से 14 प्रकरणों में कार्यों की सूची विलंब से प्राप्त होना (iii) भूमि/अधिकार से संबंधित अभिलेखों की प्राप्ति में विलंब और 2014–15 में स्वीकृत चार प्रकरणों में भूमि उपलब्ध न कराने को जिम्मेदार बताया। इससे प्रकट हुआ कि विभाग का कार्यक्रम प्रबंधन कमज़ोर था जिसके कारण 2011–16 में स्वीकृत आवास/भवनों में से केवल 57 प्रतिशत पूर्ण हो सके।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में ए.सी.एस. ने कार्य प्रारंभ होने में विलंब के लिए विवादित भूमि, भूमि की अनुपलब्धता और राजस्व विभाग द्वारा आवंटन प्रक्रिया में विलंब को जिम्मेदार बताया। आगे यह सूचित किया गया कि अप्रारंभ कार्यों की संख्या 26 तक कम हो गई थी। तथापि, भविष्य में म.प्र.पु.हा.का. द्वारा राज्य पुलिस के साथ प्रभावी समन्वय और बेहतर कार्यक्रम प्रबंधन अपनाया जाएगा।

● पूर्ण भवनों के हस्तांतरण में विलंब

पूर्ण भवनों/आवासों के हस्तांतरण में असाधारण विलंब ने क्षति दायित्व अवधि को कम किया।

मानक अनुबंध के परिच्छेद के अनुसार क्षति दायित्व अवधि (ठेकेदार की लागत पर मरम्मत) कार्य की समाप्ति के दिनांक से दो वर्ष थी। 219 पूर्ण आवास/भवनों में से 197 आवास/भवनों के हस्तांतरण के दिनांक लेखापरीक्षा को प्रदान किए गए। इन 197 प्रकरणों में से भवनों/आवासों के पूर्ण होने के बाद हस्तांतरण में लिया गया समय, 91 प्रकरणों में एक और दो माह से अधिक, 52 प्रकरणों में तीन से चार माह से अधिक और पांच प्रकरणों में पांच माह से अधिक था। भवनों/आवासों के हस्तांतरण में विलंब के परिणामस्वरूप प्रभावी रूप से क्षति दायित्व अवधि में उस सीमा तक कमी हुई।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में ए.सी.एस. ने कार्यों के हस्तांतरण में विलंब के लिए कर्मचारियों के कानून एवं व्यवस्था, चुनाव और अन्य अत्यावश्यक कार्यों में पूर्व व्यस्तता को जिम्मेदार बताया। आगे, यह बताया गया कि भविष्य में पूर्ण कार्यों के हस्तांतरण में विलंब से बचने के लिए एक समयबद्ध सुपरिभाषित प्रणाली निर्धारित की जा रही थी।

● निर्माण परियोजनाओं में गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली में कमियाँ

गुणवत्ता नियंत्रण सभी संरचनाओं की सुरक्षा, विश्वसनीयता एवं स्थायित्व तथा भवन और दुर्लभ सामग्रियों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए भी आवश्यक है। लेखापरीक्षा में पाया कि विभिन्न परीक्षण, जैसे कंक्रीट घन, टी.एम.टी. स्टील छड़, धातु, रेत, सीमेंट आदि प्रमाणित जाँच प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए थे, लेकिन 15 नमूना जाँच किए गए प्रकरणों में से आठ में प्रतिदर्शों के स्रोत अभिलिखित नहीं थे। आगे, विभिन्न जाँच

प्रयोगशालाओं के द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदनों से प्रकट हुआ कि 15 नमूना जाँच प्रकरणों में से 13 में गुणवत्ता का निर्णय करने के लिए उपयोग में लाई गई विधियों के विवरण का उल्लेख नहीं था। सीमेंट कंक्रीट घन के ग्रेड डेजिनेशन, जो 28 दिनों में 150 मि.मि. आकार के घन के निर्दिष्ट संदाबी शक्ति को दर्शाता है और कंक्रीट के समूह (साधारण, सामान्य और उच्च शक्ति) का निर्धारण करता है, का उल्लेख भी नमूना जाँच किए गए 7: प्रयोगशाला जाँच प्रतिवेदनों में से चार में नहीं था। इस प्रकार, म.प्र.पु.हा.का. के निर्माण परियोजनाओं में गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली दोषपूर्ण थी।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में ए.सी.एस. ने बताया कि ₹ 50 लाख से अधिक लागत के कार्यों हेतु मानक निविदा आमंत्रण सूचना में कम से कम 50 प्रतिशत जाँच एन.ए.बी.एल.⁴⁶ अधिकृत प्रयोगशालाओं से कराने के लिए एक प्रावधान शामिल (अगस्त 2016) किया गया था और एक पृथक गुणवत्ता नियंत्रण चलित इकाई शीघ्र ही स्थापित की जायेगी।

2.2.11 गतिशीलता

पुलिस बलों की गतिशीलता परिचालनात्मक दक्षता में वृद्धि करने, कानून व्यवस्था की स्थितियों से निपटने, अपराधों की रोकथाम एवं पता लगाने तथा सुरक्षा एवं निगरानी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। एक सुसज्जित पुलिस बल में गतिशीलता में कमी शून्य होती है। गतिशीलता में वृद्धि से प्रतिक्रिया समय में कमी आती है तथा पुलिस बलों की परिचालनात्मक दक्षता में वृद्धि होती है।

बी.पी.आर.डी. के अध्ययन प्रतिवेदन 2000 के अनुसार गतिशीलता एवं दिसम्बर 2016 की स्थिति में अंतर तालिका—2.2.6 के विवरण के अनुसार था।

तालिका—2.2.6 : वाहनों की आवश्यकता की तुलनात्मक स्थिति

मद	जनवरी 1998 की स्थिति में कमी (वांछित इकाई)	पी.एच.क्यू. द्वारा दिसम्बर 2016 में प्रतिवेदित कमी (वांछित इकाई)
भारी वाहन	820	720
मध्यम वाहन	0	636
हल्के वाहन	2180	826
मोटर साईकिल	4564	14107

(स्रोत: बी.पी.आर.डी. अध्ययन प्रतिवेदन 2000 एवं अ.पु.म. (प्रबंध) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

इस प्रकार मध्यम वाहन एवं मोटर साईकिलों में अंतर और बढ़ गया है। तथापि, वाहनों की आवश्यकता के सम्बन्ध में पी.एच.क्यू. द्वारा किया गया कमी का विश्लेषण अस्थिर था तथा वाहनों की आवश्यकता हेतु प्रदाय की गई वर्षवार स्थिति (मई 2016) के अनुसार नहीं था; जैसा कि तालिका—2.2.7 में दिया गया है।

तालिका—2.2.7: विभाग में वाहनों की आवश्यकता, उपलब्धता एवं कमी की स्थिति

सं. क्र.	वर्ष	आवश्यकता		उपलब्धता		कमी	
		चार पहिया	मोटर साईकिल	चार पहिया	मोटर साईकिल	चार पहिया	मोटर साईकिल
1.	2011–12	5749	5730	4681	2682	1068 (19%)	3048 (53%)
2.	2012–13	5904	9291	4836	2928	1068 (18%)	6363 (68%)
3.	2013–14	6439	10490	4855	2954	1584 (25%)	7536 (72%)
4.	2014–15	6442	10595	4994	2915	1448 (22%)	7680 (72%)
5.	2015–16	6442	10595	5060	3062	1382 (21%)	7533 (71%)

(स्रोत: अ.पु.म (प्रबंध))

⁴⁶ नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड केलिब्रेशन लेबोरेटरीज।

मोटर साईकिलों में अत्यधिक कमी से पुलिस कर्मियों की गतिशीलता प्रभावित हुई।

जैसा कि **तालिका-2.2.6** एवं **तालिका-2.2.7** से स्पष्ट है, मोटर साईकिलों की अत्यधिक कमी थी क्योंकि आवश्यकता में वृद्धि के अनुपात में उपलब्धता बढ़ाई नहीं गई। मोटर साईकिलों का उपयोग निरीक्षक एवं उससे नीचे के संवर्ग के पुलिसकर्मियों, जो पुलिस कानून व्यवस्था नियंत्रण एवं जॉच प्रणाली की अग्रिम पंक्ति में सम्मिलित होते हैं, द्वारा बीट ड्यूटी, रात्रि गश्ती, यातायात नियंत्रण एवं डाक कार्यों आदि के लिए किया जाता था। इनके अभाव में ऐसे कर्मियों की गतिशीलता प्रभावित हुई थी।

बी.पी.आर.डी. के मानकों में पुलिस थानों के लिए दो हल्के मोटर वाहनों एवं तीन मोटर साईकिलों, पुलिस चौकी के लिए दो मोटर साईकिलों तथा जिला पुलिस लाईन के लिए सात भारी, 17 मध्यम, 14 हल्के वाहन एवं सात मोटर साईकिलों का प्रावधान था। तथापि, 13 चयनित जिलों में बी.पी.आर.डी. द्वारा निर्धारित मानकों के विरुद्ध जिलों के पुलिस थानों, चौकियों एवं पुलिस लाईन के मध्य वाहनों के वितरण में विसंगति थी जैसा कि **तालिका-2.2.8** में दर्शाया गया है।

तालिका-2.2.8: चयनित जिलों में वाहनों की उपलब्धता एवं वितरण की स्थिति

इकाई का नाम	संख्या	मानकों के अनुसार आवश्यकता				वास्तविक उपलब्ध				कमी (+) / आधिक्य (-)			
		भारी	मध्यम	हल्के	मोटर साईकिल	भारी	मध्यम	हल्के	मोटर साईकिल	भारी	मध्यम	हल्के	मोटर साईकिल
पुलिस थाना	365	0	0	730	1095	2	24	377	650	-2	-24	353	445
चौकी	189	0	0	0	378	0	7	22	129	0	-7	-22	249
पुलिस लाईन	13	91	221	182	91	107	156	484	509	-16	65	-302	-418

(स्रोत:- अ.पु.म. (प्रबंध))

इस प्रकार, 13 जिलों के 365 पुलिस स्टेशनों में 445 मोटर साईकिलों एवं 353 हल्के वाहनों की कमी थी, जबकि 13 पुलिस लाईनों में 418 मोटर साईकिलों एवं 302 हल्के वाहनों की अधिकता थी।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में, ए.सी.एस. ने बताया कि कमी होने के कारण, जिलों को वाहन कमी के अनुपात में आवंटित किए गए थे। पुलिस अधीक्षकों ने जिलों की कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए वाहन पुलिस थाना/चौकी/पुलिस लाईनों में आवंटित किए गए थे। तथापि, वाहनों में आवंटन में विसंगति के संबंध में समीक्षा कर इसे दूर किया जाएगा।

2.2.11.1 वाहनों की अधिप्राप्ति

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2011–16 के दौरान एम.पी.एफ. के गतिशीलता घटक के अंतर्गत ₹ 26.22 करोड़ आवंटन के विरुद्ध राशि ₹ 26.08 करोड़ का उपयोग किया गया। वर्ष 2013–14 तथा 2015–16 के दौरान एम.पी.एफ. के अंतर्गत इस घटक के लिए राशि विमुक्त नहीं की गई। आवंटन के विरुद्ध वाहनों के क्रय का विवरण **तालिका-2.2.9** में दिया गया है।

तालिका- 2.2.9: एम.पी.एफ. के अंतर्गत आवंटन के विरुद्ध वाहनों का क्रय

सं. क्र.	वाहन	2011–12		2012–13		2014–15	
		अनुमोदित	उपार्जित	अनुमोदित	उपार्जित	अनुमोदित	उपार्जित
1.	हल्के वाहन	149	167	80	80	129	137
2.	मोटर साईकिल	215	258	120	148	221	98
3.	32/52 सीटर बस	2	2	0	0	6	0
4.	ट्रूप कैरियर	2	2	0	0	0	0
स्रोग		368	429	200	228	356	235

(स्रोत: अ.पु.म. (प्रबंध) के अभिलेख)

इस प्रकार, आवंटन आदेशों में अनुमोदित 924 वाहनों के विरुद्ध 892 वाहन क्रय किए गए थे। तथापि, 52 मोटर साईकिल कम क्रय की गई जबकि 26 हल्के वाहन ज्यादा क्रय किए गए। चयनित 39 पुलिस थानों/पुलिस चौकियों में से 7: पुलिस थानों (मतगुवां, बिजावर, गढ़ी मलहरा, करंजिया, देवेन्द्र नगर एवं महिला पुलिस स्टेशन, रीवा) एवं दो चौकियों (सिहोरा एवं आनंद नगर) में कोई मोटर साईकिल नहीं थी। यदि वाहनों को तर्कसंगत ढंग से क्रय किया गया होता तो इन्हें जरूरत के स्थानों पर वितरित किया जा सकता था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में ए.सी.एस. ने बताया कि वाहनों के मूल्य में वृद्धि होने के कारण वर्ष 2014–15 के दौरान मोटर साईकिलें कम क्रय की गई थीं। तथापि, हल्के वाहनों को अधिक संख्या में क्रय किए जाने के सम्बंध में कोई कारण नहीं बताया गया।

● एम.पी.एफ. के अंतर्गत कारों का अनियमित क्रय

एम.पी.एफ. योजना के अंतर्गत केवल परिचालनात्मक वाहनों जैसे जीप, मोटर साईकिल, मध्यम/भारी वाहनों के क्रय की अनुमति थी। इसके अंतर्गत कार जैसे वाहनों का क्रय प्रतिबंधित था।

अ.पु.म. (प्रबंध) के अभिलेखों से लेखा परीक्षा में देखा गया कि 2011–16 के दौरान, क्रय किए गए कुल 384 हल्के वाहनों में से ₹ 5.88 करोड़ मूल्य की 102 सीडान एवं हैचबैक कारें थीं जो एम.पी.एफ के दिशा निर्देशों के प्रावधानों जिसके अनुसार जीप जैसे वाहनों का क्रय किया जाना था के अनुरूप नहीं था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में ए.सी.एस. ने बताया की विभिन्न स्तर के अधिकारियों को विविध विभागीय गतिविधियों हेतु त्वरित गतिशीलता के लिए वाहन उपलब्ध कराये गए थे। तथापि, वाहनों के क्रय से सम्बद्धित दिशा निर्देशों के प्रावधानों का भविष्य में पालन किया जायेगा।

2.2.11.2 चालकों की कमी

चयनित जिलों में उपलब्ध 1,302 चालकों की कमी थी। इससे इंगित होता है कि ए.ए.पी. तर्कसंगत ढंग से तैयार नहीं किया गया था एवं चालकों की उपलब्धता के बिना भविष्य में और वाहन क्रय किए जाने की स्थिति में वाहन निष्क्रिय रहेंगे। यह इष्टतम गतिशीलता की प्राप्ति में बड़ी बाधा रही।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में, ए.सी.एस. तथ्यों से सहमत हुए तथा बताया कि चालकों की कमी को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे तथा भविष्य में चालकों की कमी को दूर करने के लिए पुलिस प्रशिक्षण स्कूलों में नये आरक्षकों को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। विभाग ने आगे बताया (जनवरी 2017) कि वर्ष 2011 से 2013 के मध्य 1,371 चालकों की भर्ती की गई तथा 992 चालकों की भर्ती प्रगतिरत थी।

2.2.11.3 प्रतिक्रिया समय

अपराध तथा कानून और व्यवस्था के लिए त्वरित प्रतिक्रिया समय न केवल लोगों का जीवन बचाने में मदद करता है बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि दोषियों पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाए। पी.एच.क्यू. ने (जुलाई 2009, अक्टूबर 2009 तथा जनवरी 2013) निर्देशित किया कि शहरी एवं ग्रामीण पुलिस स्टेशनों में पुलिस/वाहन के पहुंचने के प्रतिक्रिया समय निगरानी की एक पंजी के माध्यम से की जाए। प्रत्येक माह क्षेत्रीय महानिरीक्षक प्रतिक्रिया समय की समीक्षा करेगा तथा क्षेत्र के औसत प्रतिक्रिया

₹ 5.88 करोड़ मूल्य की 102 सीडान और हैचबैक कारें योजना के दिशा निर्देशों के उल्लंघन कर क्रय की गई।

चयनित जिलों में 1,302 वाहनों के विरुद्ध 626 चालकों की कमी थी।

प्रतिक्रिया समय की निगरानी पर्याप्त रूप से नहीं की गई।

समय तथा अधिकतम एवं न्यूनतम औसत प्रतिक्रिया समय वाले पुलिस स्टेशनों के नाम पी.एच.क्यू. को सूचित करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि औसत प्रतिक्रिया समय की पी.एच.क्यू. द्वारा निगरानी नहीं की गई। पी.एच.क्यू. को प्रतिक्रिया समय संबंधी आंकड़े प्रेषित न किए जाने के कारण राज्य स्तर पर अच्छे एवं खराब कार्य निष्पादन का विश्लेषण नहीं किया जा सका। नमूना जाँच किए गए जिलों में प्रतिक्रिया समय की समीक्षा में पता चला कि पुलिस अधीक्षक रीवा, बैतूल एवं छिन्दवाड़ा ने पुलिस स्टेशनों के प्रतिक्रिया समय की निगरानी नहीं की। पुलिस अधीक्षक, रीवा एवं बैतूल ने बताया कि पी.एच.क्यू. से अनुदेश प्राप्त नहीं हुए थे जबकि पुलिस अधीक्षक, छिन्दवाड़ा ने बताया कि पुलिस स्टेशनों से जानकारी प्राप्त की जाएगी। पुलिस अधीक्षक, डिंडोरी मात्र वर्ष 2015–16 के आंकड़े ही उपलब्ध करा सके।

चयनित जिलों (**परिशिष्ट-2.2.4**) में वर्ष 2011–16 के दौरान प्रतिक्रिया समय की आगामी समीक्षा में पता चला कि पांच जिलों⁴⁷ में प्रतिक्रिया समय कम हुआ, बालाघाट में बढ़ा, एवं दो जिलों⁴⁸ में अपरिवर्तित रहा था। ग्वालियर जिले में ग्रामीण पुलिस थानों में इसमें कमी आई एवं शहरी पुलिस थानों में वृद्धि हुई थी। 13 जिलों के चयनित 30 पुलिस थानों में से छः⁴⁹ जिलों के मात्र 10 पुलिस थानों में प्रतिक्रिया समय हेतु पंजी संधारित की गई थी।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में, ए.सी.एस. ने बताया कि राज्य में वाहनों की संख्या को देखते हुए, पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्रीय महानिरीक्षक प्रतिक्रिया समय की निगरानी कर रहे थे। ‘डायल 100’ की महत्वपूर्ण योजना के कारण राज्य में पुलिस के प्रतिक्रिया समय में सुधार हुआ है।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि पुलिस थानों पर प्रतिक्रिया समय का अभिलेख संधारण एवं जिला स्तर पर अपर्याप्त निगरानी उत्तर की पुष्टि नहीं करते।

2.2.12 शस्त्र

उच्च तकनीक एवं आधुनिकतम शस्त्रों से सज्जित आतंकवादियों की चुनौतियों का सामना करने के लिए शस्त्रों का उन्नयन पुलिस बल के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। 2011–16 के दौरान ₹ 26.76 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध, ₹ 23.38 करोड़ उपयोग किए गए (मार्च 2016)। 2011–15 के दौरान राज्य पुलिस ने ओ.एफ.बी. से 3,631 रायफलें एवं 1,150 पिस्टलें प्राप्त कीं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 385 रायफलें तथा 386 पिस्टलें जिनकी आपूर्ति ओ.एफ.बी. द्वारा वर्ष 2015–16 (अगस्त 2015 तथा मार्च 2016) में ₹ 3.38 करोड़ के विरुद्ध की जानी थी, जून 2016 तक पुलिस विभाग द्वारा प्राप्त नहीं की गई थीं। निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में, ए.सी.एस. ने बताया कि वर्ष 2015–16 में केन्द्र द्वारा जारी राशि के विरुद्ध रायफलें पूर्ण संख्या में संग्रहित कर ली गई थीं जबकि पिस्टलें शीघ्र ही संग्रहीत किए जाने वाली थीं।

2.2.12.1 राज्य पुलिस के पास शस्त्रों की उपलब्धता

शस्त्रों का निर्धारण मसकेटरी विनियम, 1957 में उल्लिखित प्राधिकार के अनुसार किया गया था जिसे संगठनात्मक संरचना में परिवर्तनों एवं आधुनिक शस्त्र के उपयोग में आने

⁴⁷ छतरपुर, इन्दौर (दो वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के आंकड़े प्रस्तुत किए गए), जबलपुर, खरगोन एवं सागर।

⁴⁸ भोपाल (2014–15 तक) तथा पन्ना।

⁴⁹ भोपाल, पन्ना, खरगोन, ग्वालियर, बालाघाट एवं इन्दौर।

के बाद भी संशोधित नहीं किया गया था। बी.पी.आर.डी. प्रतिवेदन (जनवरी 1998) में 34,838 शस्त्रों की कमी प्रतिवेदित की गई।

विभाग ने पुराने शस्त्रों जैसे प्वाइंट 410 मस्केट, प्वाइंट 303 तथा 7.62 एम.एम.बी.ए. रायफलों सहित प्वाइंट 38 एवं प्वाइंट 455 रिवाल्वरों को चरणबद्ध ढंग से उपयोग से बाहर कर आधुनिक शस्त्रों जैसे 7.62 एस.एल.आर., 7.62 एल.एम.जी., ए.के. 47, 5.56 इन्सास रायफल, ग्लॉक पिस्टल तथा 9 मि.मि. पिस्टल आदि को उपयोग में लाने पर विचार किया। पुराने शस्त्र कम प्रभावशाली, भारी एवं कम मैगजीन क्षमता वाले हैं एवं उनके मिसफायर होने की संभावना अधिक है जबकि आधुनिक शस्त्र हल्के, सुविधाजनक एवं बेहतर मारक क्षमता से युक्त हैं।

विभाग के पास 53,084 पुराने शस्त्र थे। इनमें से 8,233 प्वाइंट 410 मस्केट रायफलें तथा 581 प्वाइंट 455 रिवाल्वरें अनुपयोगी हो चुकी थीं क्योंकि आर्डनेन्स फैक्ट्रियों ने उनके कल पुर्जे तथा गोलाबारूद बनाना बंद कर दिया था जबकि शेष 44,268 उपयोग में थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दिसम्बर 2016 में 23,955 आधुनिक शस्त्रों की कमी थी। 2011–16 के दौरान पुलिस बल में प्राधिकृत आधुनिक शस्त्रों की उपलब्धता एवं कमी का विवरण तालिका—2.2.10 में दर्शाया गया है।

तालिका—2.2.10: आधुनिक शस्त्रों की उपलब्धता और कमी की स्थिति

सं. क्र.	वर्ष	प्राधिकृत	उपलब्ध	कमी	कमी का प्रतिशत
1.	2011–12	66826	38465	28361	42
2.	2012–13	66826	40557	26269	39
3.	2013–14	81314	55977	25337	31
4.	2014–15	92818	71401	21417	23
5.	2015–16	99396	74166	25230	25

(स्रोत: अ.पु.म. (प्रबंध))

25 प्रतिशत आधुनिक शस्त्रों की कमी थी जिसके परिणाम स्वरूप पुराने शस्त्रों पर निर्भरता बनी रही।

2011–16 के दौरान, पुलिस बल का आधुनिकीकरण तथा राज्य योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त राशि के कारण आधुनिक शस्त्रों की उपलब्धता में 35,701 (93 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। आधुनिक शस्त्रों की आवश्यकता में 32,570 की वृद्धि होने के कारण आधुनिक शस्त्रों की कमी 17 प्रतिशत कम हुई। इसलिए वर्ष 2015–16 में 25 प्रतिशत की कमी बनी रही।

आधुनिक शस्त्रों की कमी से इंगित हुआ कि विभाग ने पर्याप्त संख्या में आधुनिक शस्त्र क्रय नहीं किए थे और विभाग पुराने शस्त्रों पर भी निर्भर था जिसके कारण पुलिस बल की मारक क्षमता प्रभावित हो रही थी।

चयनित 39 पुलिस स्टेशनों/चौकियों में शस्त्रों की प्राधिकार संख्या 1,531 से बढ़कर 1,616 हो गई तथा उपलब्धता 1,035 से बढ़कर 1,103 हो गई। इसलिए शस्त्रों की कमी लगभग उसी स्तर पर (496 तथा 513) बनी रही, जबकि पुराने शस्त्रों का प्रतिशत 49 प्रतिशत था। आगे, यह भी देखा गया कि महिला पुलिस थाना, रीवा में शस्त्र उपलब्ध नहीं कराये गए थे।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में, ए.सी.एस. ने बताया कि शस्त्रों की उपलब्धता में सुधार हुआ है लेकिन मानवशक्ति में वृद्धि के कारण संतुष्टि स्तर कम हुआ है। महिला पुलिस थाने के शस्त्रों के संबंध में यह बताया गया कि अधिकांश महिला पुलिस थाने शहर के अन्य पुलिस थानों के समीप स्थित हैं, इन पुलिस थानों से इन्हे शस्त्रों सहित अन्य सहायता प्रदान करायी जाती थी।

तथ्य यह है कि पुलिस बल की तैयारी एवं मारक क्षमता में सुधार लाने के लिए आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित करने के एम.पी.एफ. योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक को बहुत हद तक प्राप्त नहीं किया जा सका।

2.2.12.2 शस्त्रों की मरम्मत

शस्त्र कार्यशाला में शस्त्रों की मरम्मत के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीने पुरानी थीं तथा आधुनिक शस्त्रों की मरम्मत के लिए उपयुक्त नहीं थीं।

शस्त्रों की पर्याप्त एवं समय पर मरम्मत एवं रखरखाव उनकी उपलब्धता के समान ही महत्वपूर्ण है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि शस्त्र कार्यशाला, भोपाल में प्रयोग की जाने वाली मशीनें जैसे वैल्डिंग ट्रांसफार्मर, पावर हैमर, लेथ, शार्पर, ड्रिल इत्यादि वर्ष 1965 तथा 1987 के मध्य क्रय की गई थीं। अ.पु.म. (प्रबंध) ने सूचित किया (अप्रैल 2016) कि इन मशीनों की गुणवत्ता एवं सटीकता समाप्त हो चुकी थी तथा आधुनिक शस्त्रों की मरम्मत के लिए उपयुक्त नहीं थीं।

लेखापरीक्षा ने 12 चयनित जिलों में पाया कि 2011–16 के दौरान 1,457 शस्त्र मरम्मत के लिए आम्र वर्कशॉप, भोपाल भेजे गए थे। इन्हें एक से 15 माह तक की अवधि के पश्चात् वापस किया गया था। विलम्ब से यह इंगित हुआ कि शस्त्र मरम्मत प्रबंधन पर्याप्त नहीं था तथा कार्यशाला में उन्नयन अपेक्षित था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में, ए.सी.एस. ने बताया कि विद्यमान मशीनों से शस्त्रों की मरम्मत की जा रही थी, सुधारात्मक कार्रवाई के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा।

2.2.13 फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला

धन राशि की
उपलब्धता के
बावजूद, एफ.एस.एल
द्वारा उपकरण क्रय
नहीं किए जा सके।

राज्य में फॉरेंसिक विश्लेषण के लिए एक राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफ.एस.एल.), चार क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (आर.एफ.एस.एल.) तथा 50 डिस्ट्रिक्ट सीन ऑफ क्राइम इकाईयां (मार्च 2016) कार्यरत थीं।

2011–16 के दौरान एम.पी.एफ. के अंतर्गत फॉरेंसिक विज्ञान घटक के लिए आवंटन का विवरण एवं व्यय की स्थिति का विवरण तालिका—2.2.11 में दिया गया है। वर्ष 2013–14 तथा 2015–16 के दौरान एम.पी.एफ. के अंतर्गत इस घटक हेतु कोई राशि विमुक्त नहीं की गई थी।

तालिका—2.2.11: फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत आवंटन एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आवंटन		व्यय	
	उपकरणों की संख्या	राशि	उपकरणों की संख्या	राशि
2011–12	4	0.55	5	0.55
2012–13	11	1.16	5	0.30
2014–15	28	3.69	0	0
योग	43	5.40	10	0.85

(स्रोत: निदेशक (एफ.एस.एल.))

इस प्रकार विभाग आवंटित राशि ₹ 5.40 करोड़ में से मात्र ₹ 85 लाख (16 प्रतिशत) व्यय कर सका, परिणामस्वरूप मात्र 23 प्रतिशत भौतिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सके। विभाग इनसिनिरेटर के क्रय हेतु कानूनी ओपचारिकतायें पूर्ण नहीं कर सका, जिसे ए.ए.पी. 2012–13 के अंतर्गत क्रय हेतु अनुमोदित किया गया था। आगे, विभाग ने ए.ए.पी. 2012–13 के अंतर्गत माइक्रोवेब डाइजेस्टर के क्रय हेतु तदर्थ अनुमोदन लिया। माइक्रोवेब डाइजेस्टर के लिए आवश्यकता विश्लेषण ए.ए.पी. में इसके अनुमोदन के बाद किया गया और उपकरण को क्रय न करने का निर्णय लिया गया। आगे, ए.ए.पी. 2014–15 के अंतर्गत क्रय हेतु अ.पु.म. (सी.आई.डी.) से अनुमोदन प्रतीक्षित था (अप्रैल 2016)।

एफ.एस.एल. ने 2012–13 के लिए आवंटन में से ₹ 16.17 लाख में बाइनाकूलर रिसर्च माइकोस्कोप (बी.आर.एम.) का क्रय किया। तथापि, बी.आर.एम., ए.ए.पी. में अनुमोदित मद नहीं थी और बी.आर.एम. का एस.एल.ई.सी. से क्रय के लिए अनुमोदन प्रतीक्षित था (अप्रैल 2016)।

क्रय में विलम्ब एवं आवंटित राशि में से मात्र 16 प्रतिशत का उपयोग किया जाना कमजोर क्रय प्रबंधन इंगित करता था जिससे एफ.एस.एल. के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रभावित हुई।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में ए.सी.एस. लेखापरीक्षा निष्कर्ष से सहमत हुए और बताया कि विशिष्टियों का निर्णय करने तथा निविदा प्रक्रिया आदि में समय लगने के कारण विलम्ब हुए। क्रय प्रक्रिया प्रगति पर थी और समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

2.2.13.1 एफ.एस.एल. में मानवशक्ति की कमी

वार्षिक कार्य योजना 2011–12 में एफ.एस.एल. में रिक्त पदों का भरा जाना सम्मिलित था। यद्यपि, एफ.एस.एल. में मानवशक्ति की निरंतर कमी थी। मार्च 2016 को विभिन्न पदों में मानवशक्ति की स्थिति तालिका—2.2.12 में दी गई है।

तालिका—2.2.12: मार्च 2016 में एफ.एस.एल. में मानवशक्ति की स्थिति

संक्र.	पद	स्वीकृत मानवशक्ति	कार्यरत मानवशक्ति	सिक्तियां
1	निदेशक	1	0	1
2	वरिष्ठ संयुक्त निदेशक	1	0	1
3	संयुक्त निदेशक	13	6	7
4	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	84	45	39
5	वैज्ञानिक अधिकारी	167	111	56
6	लैब टैक्नीशियन	52	27	25
7	लैब असिस्टेन्ट	76	25	51
8	लैब अटैन्डेन्ट	54	21	33

(स्रोत: निदेशक (एफ.एस.एल.))

एफ.एस.एल. में वैज्ञानिक अधिकारियों तथा लैब टैक्नीशियन के पद रिक्त रहने के कारण फोरेंसिक परीक्षणों के प्रकरण लम्बित थे।

इस प्रकार निदेशक एवं वरिष्ठ संयुक्त निदेशक के पद रिक्त थे। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों के 46 प्रतिशत, वैज्ञानिक अधिकारियों के 34 प्रतिशत, लैब टैक्नीशियन के 48 प्रतिशत, लैब असिस्टेन्ट के 67 प्रतिशत तथा लैब अटैन्डेन्ट के 61 प्रतिशत पद रिक्त थे। आर.एफ.एस.एल., जबलपुर में सभी स्वीकृत पद रिक्त थे (मार्च 2016)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मानवशक्ति की कमी से एफ.एस.एल. का कार्य निष्पादन प्रभावित हुआ था। 2011–2016 के दौरान परीक्षण हेतु प्राप्त प्रकरणों की संख्या 19,235 से 24,155 तक बढ़ गयी, परंतु निपटान 26,656 से घटकर 23,780 रह गया (**परिशिष्ट—2.2.5**)। मार्च 2016 की स्थिति में 4,806 प्रकरण लम्बित थे जिसमें से 1,372 प्रकरण दो माह से अधिक समय 1,056 प्रकरण तीन माह से अधिक समय से 302 प्रकरण छः माह से अधिक समय से तथा 267 प्रकरण 12 माह से अधिक समय से लम्बित थे।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में ए.सी.एस. ने बताया कि कार्यरत मानवशक्ति में कमी एवं प्राप्त प्रकरणों की संख्या में वृद्धि होने के कारण प्रकरण लम्बित थे। उच्च

अधिकारियों ने लम्बित प्रकरणों की संख्या में कमी करने के लिए एफ.एस.एल. को समय समय पर निर्देशित किया तथा स्थिति का पर्यवेक्षण किया था। जून 2015 से भर्ती एवं पदोन्नति प्रगति पर थी और वर्ष 2015–16 में 91 वैज्ञानिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई तथा लम्बित प्रकरणों का शीघ्र ही निराकरण किया जाएगा।

2.2.14 दूरसंचार

2011–13 के दौरान एम.पी.एफ. के अंतर्गत दूरसंचार शाखा को आवंटित राशि तथा व्यय की स्थिति का विवरण **तालिका–2.2.13** में दिया गया है। 2013–16 के दौरान एम.पी.एफ. के अंतर्गत इस घटक हेतु राशि जारी नहीं की गई थी।

तालिका–2.2.13: एम.पी.एफ. के अंतर्गत आवंटन एवं व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आवंटन		व्यय	
	मद	राशि	मद	राशि
2011–12	सोलर पावर यू.पी.एस. 2.5 किलोवाट (65)	3.19	कोई व्यय नहीं किया गया	0.00
2012–13	उच्च आवृत्ति डिजिटल सेट (50) ई.पी.ए.बी.एक्स सिस्टम (1)	2.00	रेडियो सेट/हैण्ड फ्री किट (1985) ई.पी.ए.बी.एक्स सिस्टम (1)	2.00
योग		5.19		2.00

(स्रोत: अ.पु.म. (दूरसंचार))

वर्ष 2011–12 के ए.ए.पी. में अनुमोदित सोलर पावर यू.पी.एस., जनवरी 2012 तथा जनवरी 2013 के मध्य चार बार निविदायें आमंत्रित किए जाने के बावजूद बोलीकर्ताओं की अपर्याप्त भागीदारी एवं आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्राधिकृत परीक्षण प्रयोगशाला से प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण क्रय नहीं किए जा सके। बाद में, विभिन्न पुलिस स्टेशनों में 681 दो किलोवाट यू.पी.एस. के संस्थापन हेतु ₹ 31.10 करोड़ की परियोजना को परिपूर्ण करने के लिए अक्टूबर 2013 में राशि मध्य प्रदेश उर्जा विकास निगम को अन्तरित कर दी गई।

इलेक्ट्रोनिक प्राइवेट ऑटोमैटिक ब्रान्च एक्सचेन्ज (ई.पी.ए.बी.एक्स.) सिस्टम तथा 50 हाई फ्रीक्वेन्सी डिजिटल सेट, ए.ए.पी. 2012–13 में अनुमोदित किए गए थे। यद्यपि, एक ई.पी.ए.बी.एक्स. तथा 1985 रेडियो सेट/हैण्ड फ्री किट फरवरी 2014 तथा मार्च 2015 के मध्य असाधारण विलम्ब से क्रय किए गए।

पुलिस अधीक्षक (दूरसंचार) ने उत्तर (अप्रैल 2016) में बताया कि ई.पी.ए.बी.एक्स. नवीन पी.एच.क्यू. भवन के पूर्ण होने के पश्चात् क्रय एवं संस्थापित किया गया था, जबकि रेडियो सेट/हैण्ड फ्री किट जुलाई 2014 में एस.एल.ई.सी. के अनुमोदन के पश्चात् क्रय किए गए।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में ए.सी.एस. ने बताया कि यू.पी.एस. के संस्थापन का कार्य प्रगति पर था प्रकरण न्यायाधीन था तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रतीक्षित था।

2.2.15 गुप्तवार्ता (विशेष शाखा)

2011–16 के दौरान एम.पी.एफ. के अंतर्गत विशेष शाखा को आवंटित राशि एवं व्यय की स्थिति का विवरण **तालिका–2.2.14** में दिया गया है। वर्ष 2013–14 तथा 2015–16 के दौरान एम.पी.एफ. के अंतर्गत इस घटक के लिए निधि विमुक्त नहीं की गई थी।

तालिका—2.2.14: गुप्तवार्ता घटक के अंतर्गत आवंटन एवं व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आवंटन		व्यय	
	उपकरणों की संख्या	राशि	उपकरणों की संख्या	राशि
2011–12	22	2.01	21	1.77
2012–13	32	6.33	28	6.31
2014–15 ⁵⁰	22	3.76	1	0.83
योग	76	12.10	50	8.91

(स्रोत: विशेष महानिदेशक/गुप्तवार्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

गुप्तवार्ता हेतु उपकरणों के क्रय में असाधारण विलंब देखा गया।

तालिका—2.2.14 से स्पष्ट है कि गुप्तवार्ता शाखा ने आवंटन के विरुद्ध 26 प्रतिशत राशि का उपयोग नहीं किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि ए.ए.पी. 2011–12 के अंतर्गत मदों के क्रय हेतु विशिष्टियों का निर्णय किए जाने के दिनांक से 35 माह तक के विलम्ब से फरवरी 2012 तथा सितम्बर 2014 के मध्य निविदायें आमंत्रित की गई थीं। ए.ए.पी. 2012–13 के अंतर्गत मदों के क्रय हेतु तकनीकी समिति जुलाई 2012 में गठित की गई थी जिसने 11 माह के पश्चात् विशिष्टियों को निर्धारित किया। निविदायें जारी करने में 14 माह तक विलम्ब हुआ था जिसके परिणामस्वरूप क्रय में विलम्ब हुआ। ए.ए.पी. 2014–15 के विरुद्ध केवल 'थर्मल इमेजिंग' क्रय किया गया तथा वर्ष हेतु आवंटन का लगभग 78 प्रतिशत उपयोग नहीं किया जा सका।

विशेष महानिदेशक (गुप्तवार्ता) ने विशिष्टियों का निर्णय किए जाने में विलम्ब का कारण समिति के सदस्यों का अन्य कार्यों जैसे कानून व्यवस्था एवं व्ही.आई.पी. कर्तव्यों में संलिप्त होना बताया। उपकरणों के क्रय में विलम्ब अकुशल क्रय प्रबंधन को इंगित करता था तथा इससे पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में ए.सी.एस. ने बताया कि गुप्तवार्ता हेतु कुल व्यय ₹ 9.05 करोड़ है तथा शेष मदों के क्रय की प्रक्रिया प्रगति पर थी। आगे, 2011–12 योजना के दो उपकरण तथा 2012–13 योजना के चार उपकरण, वर्तमान परिदृश्य तथा बदलती प्रौद्योगिकी तकनीकी में उपयोगी न पाये जाने के कारण क्रय नहीं किए गए। वर्ष 2012–13 हेतु पांच मदों के अंतर्गत क्रय बोलीकर्ताओं के सम्मिलित न होने/उच्चतर दरों तथा क्रय आदेश के विरुद्ध सामान की आपूर्ति न किए जाने के कारण निरस्त कर दिए गए। उपकरणों का क्रय प्रगति पर था तथा उपलब्ध बजट का उपयोग शीघ्र ही कर लिया जाएगा।

उत्तर यह रेखांकित करता है कि ए.ए.पी. में क्रय प्रस्तावों को सम्मिलित करने से पूर्व पर्याप्त योजना नहीं बनाई गई थी तथा आवश्यकता का विश्लेषण नहीं किया गया था।

2.2.16 अपराध अन्वेषण विभाग

प्रकरणों की वैज्ञानिक जाँच में जाँच उपकरण मुख्य भूमिका अदा करते हैं। 2011–16 के दौरान एम.पी.एफ. योजना के अंतर्गत अपराध अनुसंधान विभाग (सी.आई.डी.) को आवंटित राशि एवं व्यय की स्थिति तालिका—2.2.15 में दी गई है।

⁵⁰ तीन रेलवे उपकरणों के लिए ₹ 19.45 करोड़ शामिल हैं।

तालिका—2.2.15: अपराध अनुसंधान विभाग को आवंटन एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

संक्र.	वर्ष	आवंटन		व्यय	
		मदों की संख्या	राशि	मदों की संख्या	राशि
1	2011–12 ⁵¹	11	0.34	11	0.33
2	2012–13 ⁵²	5	0.79	1	0.65
3	2014–15 ⁵³	11	0.99	0	0.00
योग		27	2.12	12	0.98

(स्रोत: अ.पु.म. (सी.आई.डी.))

सी.आई.डी. शाखा के आधुनिकीकरण हेतु आवंटित निधियों का मात्र 46 प्रतिशत उपयोग किया गया।

इस प्रकार, ए.ए.पी. 2011–12 से 2014–15 के अंतर्गत सी.आई.डी. शाखा को आवंटित ₹ 2.12 करोड़ में से मात्र ₹ 98.00 लाख (46 प्रतिशत) का उपयोग किया गया। पी.एच.क्यू. (मार्च 2013) ने ए.ए.पी. 2012–13 के अंतर्गत रेलवे उपकरणों के क्रय हेतु अ.पु.म./सी.आई.डी. को राशि ₹ 11.25 लाख आवंटित की। लेखापरीक्षा ने पाया कि रेलवे पुलिस शाखा ने सी.आई.डी. शाखा को उपकरणों की तकनीकी विशिष्टियां संप्रेषित (नवम्बर 2013) की थी, लेकिन क्रय अभी तक (मार्च 2016) प्रक्रियाधीन था। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि ए.ए.पी. 2014–15 के अंतर्गत ₹ 98.90 लाख की स्वीकृति के विरुद्ध सी.आई.डी. विंग द्वारा केवल तकनीकी समिति गठित की जा सकी (मार्च 2016)।

एम.पी.एफ. के अंतर्गत जाँच उपकरणों के क्रय में विलम्ब के कारण, विभाग सी.आई.डी. शाखा हेतु आधुनिक उपकरणों के लाभ से वंचित रहा।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में ए.सी.एस. ने बताया कि विशिष्टियों के निर्णय में विलम्ब समिति के सदस्यों के स्थानान्तरण होने के कारण हुआ था। सी.आई.डी.–विंग में क्रय की प्रक्रिया प्रगति पर थी एवं इसे शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा।

2.2.17 मानव संसाधन प्रबंधन

2.2.17.1 मानवशक्ति प्रबंधन में कमियाँ

पर्याप्त मानवशक्ति की उपलब्धता एवं पर्याप्त प्रशिक्षण के बिना विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सृजित अधोसंरचना सर्वोत्कृष्ट रूप से उस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं की जा सकती जिसके लिए इसे सृजित किया गया था। लेखापरीक्षा में पता चला कि गृह विभाग ने शहरी पुलिस थानों हेतु न्यूनतम मानवशक्ति मानक संख्या 75, नगर पंचायत पुलिस थानों हेतु 50, ग्रामीण पुलिस थानों हेतु 35 तथा नक्सल प्रभावित पुलिस थानों हेतु 45 निर्धारित की थी (नवम्बर 2010)। शहरी, ग्रामीण तथा नक्सल प्रभावित चौकियों के लिए भी पुलिस कर्मियों की संख्या क्रमशः 15, 11 तथा 35 निर्धारित की गई थी। यह तय किया गया था कि जनसंख्या में वृद्धि तथा अपराध दर आदि कारकों पर विचार कर पुलिस बल में वृद्धि की जायेगी। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि पुलिस बल के अन्य संघटकों जैसे जिला रिजर्व पुलिस, विशेष सशस्त्र बल तथा यातायात पुलिस के लिए मानकों का निर्धारण नहीं किया गया था।

वर्ष 2011–16 के दौरान कुल पुलिस बल की स्वीकृत मानवशक्ति 87,291 से बढ़कर 11,12,027 हो गई। तथापि, जून 2016 की स्थिति में पुलिस बल में कुल 16,751 पुलिसकर्मियों के पद रिक्त थे।

⁵¹ नौ रेलवे उपकरणों हेतु ₹ 31.50 लाख सहित।

⁵² रेलवे उपकरणों हेतु ₹ 11.25 लाख सहित।

⁵³ रेलवे उपकरणों हेतु ₹ 20.70 लाख सहित।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित जिलों में पुलिस बल की कुल स्वीकृति मानवशक्ति वर्ष 2011–16 के दौरान स्थिति 24,436 से बढ़कर 29,564 हो गई। जबकि उपलब्ध मानवशक्ति 21,602 से बढ़कर 25,004 हो गई तथा पुलिसकर्मियों की कमी भी 2,834 से बढ़कर 4,560 हो गई। मार्च 2016 की स्थिति में निरीक्षक/रक्षित निरीक्षक के 34 प्रतिशत उप निरीक्षक/सूबेदार के 27 प्रतिशत, आरक्षक के 17 प्रतिशत तथा अनुसचिवीय कर्मचारियों के 29 प्रतिशत पद रिक्त थे। चयनित जिलों के 150 पुलिस कर्मियों के साक्षात्कार में केवल पाँच प्रतिशत लोग पुलिस बल की उपलब्धता से संतुष्ट थे।

इस प्रकार पुलिस बल में मानवशक्ति की काफी कमी थी जो कि बढ़ते हुए अपराधों तथा जाँच हेतु लम्बित प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णायक थी जैसा कंडिका—2.2.19 में चर्चा की गई है।

उत्तर में अ.पु.म. (योजना) ने बताया (जून 2016) कि भर्ती एवं पदोन्नति के माध्यम से रिक्त पदों को भरे जाने की प्रक्रिया प्रगति पर थी। निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में ए.सी.एस. ने प्रेक्षणों को स्वीकार किया तथा बताया कि मानवशक्ति की स्थिति में सुधार हुआ था लेकिन और अधिक सुधार अपेक्षित था। आगे, मध्य प्रदेश शासन ने 6000 नये पदों की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की थी, आदेश शीघ्र जारी किया जाएगा।

तथ्य यह है कि चयनित जिलों में पुलिसकर्मियों के सभी संवर्गों में सारभूत कमी रही जिसमें वर्षों के दौरान वृद्धि हुई थी। इस प्रकार विभाग द्वारा योजनाबद्ध तरीके से सभी संवर्गों में रिक्त पदों का भरा जाना अपेक्षित था।

2.2.17.2 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कमियाँ

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रबंधन में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईः

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण कलेण्डर तैयार नहीं किए गए थे जो इंगित करता था कि प्रशिक्षण की चरणबद्ध योजना नहीं बनाई गई। 2011–16 के दौरान छ: पुलिस प्रशिक्षण स्कूलों⁵⁴ (पी.टी.एस.) तथा दो⁵⁵ अकादमियों में केवल आधारभूत पाठ्यक्रमों का ही प्रशिक्षण दिया गया था। इसके अतिरिक्त, पी.टी.एस. में 17,785 कर्मियों को आधारभूत पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षणार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत जो वर्ष 2011–12 में 84 प्रतिशत था, 2015–16 में घटकर 69 प्रतिशत हो गया। प्रशिक्षित अध्यापकों की कम उपलब्धता के कारण प्रशिक्षणार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत कम हो गया। मार्च 2016 में पी.टी.एस. में 495 रिक्त पद (29 प्रतिशत) थे तथा अकादमियों में 141 पद (32 प्रतिशत) रिक्त थे।
- वर्ष 2011–16 के दौरान, चयनित जिलों में, आधुनिक शस्त्रों में प्रशिक्षण केवल 136 कर्मियों, सुरक्षा उपकरणों में 248 कर्मियों, सायबर में 137 कर्मियों, डाटा बैंक के प्रयोग में 565 कर्मियों एवं फॉरेंसिक में 74 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रकार, पुलिस कर्मियों में समग्र प्रवीणता बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण की कमी थी।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में ए.सी.एस. ने बताया कि वर्ष 2010 से अधिक संख्या में पुलिसकर्मी नियुक्त किए गए थे, चूंकि प्रत्येक वर्ष पांच हजार से छ: हजार पुलिस कर्मियों के नये पद स्वीकृत किए गए थे। इस कारण, नवनियुक्तों को बुनियादी पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए सेवाकालीन पाठ्यक्रम बंद कर दिया गया ताकि क्षेत्रीय कार्य के लिए उन्हें तैनात किया जा सके। तथापि, सेवाकालीन पाठ्यक्रम रैंज पुलिस महानिरीक्षकों की देखरेख में आयोजित किया गया था। पुलिस कर्मियों को आधुनिक शस्त्रों, आंकड़ों का विश्लेषण और सायबर अपराध में प्रशिक्षण कमशः

⁵⁴ इन्दौर, सागर, पचमढ़ी, रीवा, तिघारा (ग्वालियर) तथा उमरिया।

⁵⁵ जवाहर लाल नेहरू पुलिस अकादमी, सागर तथा मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी, भौंरी।

रुस्तमजी पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, इन्दौर, विशेष इकाईयों (जैसे ए.टी.एस. और हॉक फोर्स आदि) और पुलिस रेडियो प्रशिक्षण स्कूल, इन्दौर में 35–40 पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रदान किया गया। आगे यह भी बताया गया कि प्रशिक्षण पर और ध्यान दिया जाएगा।

तथापि, विभाग ने सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले कर्मियों की संख्या प्रदान नहीं की। इसके अतिरिक्त, 2011–16 के दौरान जिलों में प्रशिक्षण में सम्मिलित हुए कर्मियों की संख्या से पता चला कि सेवाकालीन प्रशिक्षण की संख्या बहुत कम थी और विशेष रूप से एम.पी.एफ. के अंतर्गत आधुनिक शस्त्रों की खरीद को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को सारभूत रूप से बढ़ाए जाने की आवश्यकता थी।

2.2.17.3 अन्य मानव संसाधन प्रबंधन पक्ष

मानव संसाधन पक्ष जैसे कि कैरियर में की उन्नति, जीवन स्तर में सुधार, पुरस्कार प्रणाली, विशेषज्ञ शाखाओं के लिए शस्त्र प्रशिक्षण, न्यायालयिक विज्ञान, साइबर के अलावा परिष्कृत/नए प्रशिक्षण संस्थानों में दिए जाने वाले प्रशिक्षण के प्रकार, लैंगिक संवेदीकरण, हिरासत संवेदनशीलता, तनाव प्रबंधन, समूह निर्माण सहित डेटा बैंक का उपयोग आदि मुख्यतः पुलिसबल की दक्षता में सुधार करेंगे।

लेखापरीक्षा ने देखा गया कि एम.पी.एफ. के दिशानिर्देशों में इन पक्षों का प्रावधान नहीं किया गया, यद्यपि, योजना के अंतर्गत एक पांच वर्षीय नीतिगत योजना बनाने के लिए प्रावधान था जो कि पुलिसबल की दक्षता बढ़ाने के बड़े लक्ष्य हेतु ऐसे मानव संसाधन पक्षों के नीतिकरण के लिए एक अवसर था। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि नीतिगत योजना 2011–16 में उपर्युक्त मानव संसाधन पक्षों को शामिल नहीं किया गया।

चयनित जिलों में 150 पुलिस कर्मियों के साक्षात्कार में केवल 26 प्रतिशत उपलब्ध संसाधनों से संतुष्ट थे और 45 प्रतिशत नौकरी में उन्नति से संतुष्ट थे। तथापि, 85 प्रतिशत कर्मियों ने बताया कि वे विभिन्न विभागीय कार्यों की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रोत्साहित थे और 81 प्रतिशत इनाम प्रणाली से संतुष्ट थे।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में ए.सी.एस. ने बताया कि लैंगिक संवेदीकरण, तनाव प्रबंधन, शस्त्र, कानून एवं साइबर विषयों को शामिल कर प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण आधारित पाठ्यक्रम आरक्षक से उप पुलिस अधीक्षक तक के पदों के लिए तैयार किए गए थे। इसके अतिरिक्त 55 अधिकारियों को प्रशिक्षण में गुणवत्ता, 8,995 अधिकारियों को पुलिस स्टेशन प्रबंधन, 77 को सर्वोत्तम प्रथा और नवाचार तथा 53 अधिकारियों को 'नेतृत्व कार्यक्रम' में विभिन्न संस्थाओं में प्रशिक्षण दिया गया था। भविष्य में, पुलिस अधिकारियों को भी नए क्षेत्रों में उन्हें व्यावसायिक रूप से कुशल बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

तथ्य यह है कि, मानव संसाधन पक्ष के बारे में पुलिस कर्मियों की संतुष्टि का स्तर बहुत पुष्टिकारक नहीं था और इसका समाधान करने के लिए ठोस प्रयास आवश्यक थे।

2.2.18 निगरानी और आंतरिक नियंत्रण

2.2.18.1 अपर्याप्त निगरानी

भारत सरकार (फरवरी 2001), ने राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में परियोजना के क्रियान्वयन पर निगरानी करने के लिए एक राज्य स्तरीय साधिकार समिति (एस.एल.ई.सी.) का गठन करने के लिए निर्देशित किया। मध्य प्रदेश शासन ने योजना की निगरानी हेतु एस.एल.ई.सी. का गठन किया (जून 2001) जिसमें मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह, डी.जी.पी., सचिव एवं अतिरिक्त सचिव गृह शामिल थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एस.एल.ई.सी. की बैठक ए.ए.पी. के अनुमोदन हेतु आयोजित की गई थी एवं परियोजना के क्रियान्वयन की निगरानी एस.एल.ई.सी. द्वारा की गयी अथवा नहीं इसके संबंध में कोई प्रमाण नहीं थे। विभाग द्वारा 2011–16 के दौरान एस.एल.ई.सी. की आयोजित बैठकों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में, ए.सी.एस. द्वारा अवगत कराया गया कि विभागीय प्रस्ताव समिति द्वारा पूर्ण संतुष्टि के उपरांत ही अनुमोदित किया गया और धन के उपयोग के लिए समय—समय पर पी.एच.क्यू. द्वारा निगरानी की जा रही थी।

उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है, जैसा कि विभागीय एस.एल.ई.सी. को उच्च स्तर पर निगरानी करने के लिये अधिदिष्ट किया गया था, जबकि एस.एल.ई.सी. ने ए.ए.पी. के अनुमोदन के उपरांत योजना के क्रियान्वयन की निगरानी नहीं की।

2.2.18.2 योजना के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों पर अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण

एम.पी.एफ. के दिशानिर्देशों के अनुसार परिसंपत्तियों का वार्षिक सत्यापन, पुलिस संचालनालय के नामित अधिकारियों की एक टीम द्वारा किया जाएगा और इसकी प्रविष्टि परिसंपत्ति पंजियों में की जायेगी। भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया में, परिसंपत्तियों की पंजी से तैयार की गई परिसंपत्ति की सूची, स्थायी परिसंपत्तियों का उनके स्थान पर भौतिक सत्यापन, पायी गई विसंगतियों की जाँच आदि शामिल था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2011–16 के दौरान पी.एच.क्यू. द्वारा अधिकारियों को परिसंपत्तियों के वार्षिक सत्यापन हेतु नामित नहीं किया गया था। चयनित 13 जिलों में शस्त्रों एवं वाहनों के लिए परिसंपत्तियों की पंजी संधारित की गई थी। हालांकि, उपकरणों के लिए कोई भी पंजी संधारित नहीं की गई थी। आगे, दो पुलिस अधीक्षकों (सागर एवं छतरपुर) द्वारा ही आवासों एवं भवनों के लिए परिसंपत्तियों की पंजी का संधारण किया गया। यह खराब वस्तुसूची प्रबंधन एवं योजना के तहत सृजित परिसंपत्तियों पर आंतरिक नियंत्रण की कमी दर्शाता है।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में, ए.सी.एस. द्वारा अवगत कराया गया कि परिसंपत्तियों पर पर्याप्त नियंत्रण रखने के लिए कम्प्यूटराईज्ड वस्तुसूची प्रबंधन प्रणाली की पहल की जाएगी।

2.2.18.3 पुलिसबल के आधुनिकीकरण के प्रभाव का आकलन

राज्य में योजना वर्ष 2000 से क्रियान्वित की जा रही थी। पुलिसबल के आधुनिकीकरण हेतु उपयोग की गई निधियों के प्रभावों का आकलन, सफलता के आकलन और मध्यावधि सुधारों के लिए महत्वपूर्ण था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग ने गतिशीलता, शस्त्र और आवास/भवन के प्रभाव का आकलन उनकी आवश्यकता और उपलब्धता के आधार पर किया परंतु आधुनिकीकरण हेतु उपयोग की गई निधियों के व्यापक प्रभाव का आकलन विभाग द्वारा स्वयं या तीसरे पक्ष से किए जाने के साक्ष्य नहीं थे।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में ए.सी.एस. ने बताया कि तीसरे पक्ष द्वारा प्रभाव का आकलन नहीं किया गया था लेकिन योजना निधियों का उपयोग अधोसंरचना के अंतर को भरने में सहायक था, बल का मनोबल बढ़ा, विभिन्न गतिविधियों के लिए उपकरणों को उन्नत किया और परिणामस्वरूप राज्य पुलिस, पुलिस कार्यों के विभिन्न पक्षों में सफलता पाने में सक्षम हुई है। उत्तर, हालांकि किसी प्रलेखीय साक्ष्य से संपुष्ट नहीं था।

विभाग द्वारा एम.पी.एफ. योजना में सृजित परिसंपत्तियों का वार्षिक सत्यापन नहीं किया गया।

आधुनिकीकरण के लिए उपयोग की गई निधियों के व्यापक प्रभाव का आकलन नहीं किया गया।

उत्तर यद्यपि, एम.पी.एफ. के अंतर्गत विभाग द्वारा निधियों के उपयोग के व्यापक प्रभाव के आंकलन पर मौन था।

2.2.18.4 समवर्ती लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता

समवर्ती लेखापरीक्षा प्रणाली का उपयोग कार्यप्रणाली को सुधारने हेतु नहीं किया।

गृह मंत्रालय ने समवर्ती लेखापरीक्षा और कार्वाई प्रतिवेदन के माध्यम से इसकी निगरानी हेतु एक प्राणाली स्थापित की नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों में लेखापरीक्षा ने पाया कि 2011–16 के दौरान नौ समवर्ती लेखापरीक्षाएं की गई, तीन समवर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त हुए और कार्वाई प्रतिवेदन दो प्रकरणों में भेज दिए गए थे और अक्टूबर 2014 से मार्च 2015 के संबंध में कार्वाई प्रतिवेदन अभी भेजा जाना था (जून 2016)। लेखापरीक्षा ने उपलब्ध कराए गए समवर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में देखा कि निधियों के विमुक्ति में विलंब, अव्ययित शेष, कार्यों के निष्पादन में विलंब, जैसी कमियों को रेखांकित किया गया था जोकि अभी भी सतत थी। इस प्रकार, विभाग ने समवर्ती लेखापरीक्षा प्रणाली का उपयोग योजना के क्रियान्वयन की क्रियाविधि को सुधारने हेतु नहीं किया।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में ए.सी.एस. ने तथ्यों की पुष्टि की और बताया कि दो मामलों में कार्वाई प्रतिवेदन भेज दिया गया है जबकि एक मामले में भेजा जाना अभी बाकी है। उत्तर, हालांकि इस योजना के क्रियान्वयन की क्रियाविधि में सुधार करने के लिए समवर्ती लेखापरीक्षा की प्रणाली का उपयोग नहीं करने के मुद्दे पर मौन था।


2.2.19 अपराध परिदृश्य

अपराध और जाँच की स्थिति की प्रवृत्ति पुलिसबल की तैयारी और परिचालन क्षमता का सूचक है। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के द्वारा, अवधि 2011–16 में अपराध प्रकरणों और जाँच की गति के बारे में प्रस्तुत आंकड़ों की संवीक्षा में अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति और जाँच की कम गति प्रकट हुई जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है:

राज्य में अपराध प्रकरणों की संख्या और लंबित मामले बढ़े।

2011–2015 के दौरान, राज्य में भारतीय दण्ड संहिता अपराधों की संख्या धीरे-धीरे 2.17 लाख से 2.69 लाख तक (24 प्रतिशत) बढ़ी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जाँच में लंबित मामले भी 12,582 से 23,380 तक (86 प्रतिशत) बढ़े यद्यपि इसी अवधि में आरोप पत्रों की संख्या भी 2.14 लाख से 2.66 लाख तक (24 प्रतिशत) बढ़ी। इसने इंगित किया कि जाँच की गति, अपराध की वृद्धि के अनुरूप नहीं थी। विवरण चार्ट-2.2.3 में दर्शाए गए हैं।

चार्ट-2.2.3



(स्रोत: राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो)

आपराधिक प्रकरणों में वृद्धि और लंबित जाँच की संख्या से प्रकट हुआ कि संसाधनों जैसे कि वाहन, शस्त्र, और उपकरणों की उपलब्धता में वृद्धि के बावजूद राज्य पुलिसबल की दक्षता में सुधार प्रत्यक्ष नहीं थे।

चयनित जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने अपराध और जाँच में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि का कारण बढ़ती जनसंख्या, पुलिस बल की अन्य जैसे कि अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा और न्यायालय की कार्यवाही में व्यस्तता, बदलते आर्थिक एवं सामाजिक परिदृश्य, बढ़ती जन जागरूकता इत्यादि को बताया। यह भी बताया गया कि बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ते हुए अपराध की तुलना में पुलिस बल में कमी थी।

विभाग द्वारा सूचित किया गया (जनवरी 2017) कि पुलिस बल को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए गए थे जिसमें शामिल थे:

- प्रशिक्षण मॉड्यूल में व्यक्तित्व विकास के आयाम जैसे कि स्व-विकास, तनाव प्रबंधन और प्रोत्साहन तकनीकी सम्मिलित थे;
- विभिन्न योजनाएं जैसे कि आरक्षक के अच्छे काम के लिए उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्त हेतु 15 प्रतिशत आरक्षण और इनाम एवं
- कल्याणकारी गतिविधियां जैसे कि, पढ़ने वाले बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, सहकारी भंडार, नगद रहित इलाज की योजना।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) में ए.सी.एस. ने बताया कि 2011–16 के पंजीकरण के दौरान कुल बढ़े हुए 24 प्रतिशत में से लगभग 10 प्रतिशत मामलों में इसलिए वृद्धि हुई क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार (मई 2013) गायब हुए बच्चों के मामलों में प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करना अनिवार्य हो गया था। पंजीकृत अपराध की तुलना में पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। पुलिस बल की चुनावों और अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा में व्यस्तता से मामलों की जाँच प्रभावित हुई थी। यह भी बताया गया कि वर्षवार पंजीकृत और निराकृत प्रकरणों के विश्लेषण ने दर्शाया कि वर्ष 2011 से 2015 में लंबित प्रकरण 3,177 से घटकर 2,629 हो गये थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, जैसा कि 2011 से 2016 तक के दौरान जाँच के लंबित मामले बढ़े। इसलिए, पुलिस बल को मजबूत करने के लिए पर्याप्त मानवशक्ति के साथ गतिशीलता में बढ़ावा, शस्त्र, जीवन स्तर में सुधार और अन्य संबंधित अधोसंरचनाओं को मजबूत करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाए जाने की आवश्यकता थी जैसे कि निष्पादन लेखापरीक्षा की पूर्ववर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.2.20 सारांश

- रणनीतिक योजना, दूरदर्शिता, मिशन, उद्देश्यों, लक्ष्यों और मूल्यांकन योजना के बिना तैयार की गई थी। ए.ए.पी. में गुप्तवार्ता, प्रशिक्षण, दूरसंचार, रेलवे, सी.आई.डी. और एफ.एस.एल से संबंधित पुलिस उपकरणों का अंतर विश्लेषण नहीं किया गया। 2011–16 के दौरान ए.ए.पी के गृह मंत्रालय को प्रस्तुतीकरण में असाधारण विलंब था, परिणामतः ए.ए.पी. के अनुमोदन में अहम विलंब हुए। इस प्रकार, योजना को योजनानुसार लागू करने और निधियों के उपयोग करने के लिए थोड़ा समय बचा था। आगे, ए.ए.पी. राज्य में एम.पी.एफ. और अन्य संबंधित योजनाओं में उपलब्ध निधियों का अधिकतम उपयोग करने के लिए संयुक्त संसाधन आयोजना शामिल करने के बाद नहीं बनाए गए थे।
- उपलब्ध धन के विरुद्ध व्यय की प्रगति धीमी थी, जो 2015–16 के दौरान व्यापकता से सुधारी जिसमें ₹ 163.65 करोड़ (कुल ₹ 316.47 करोड़ का 52 प्रतिशत) व्यय हुए। व्यय की धीमी गति के कारण राज्य में एम.पी.एफ. के क्रियान्वयन के लिए केंद्रांश के ₹ 92.79 करोड़ की कम विमुक्ति हुई। अवधि 2015–16 के लिए गृह मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश शासन को विमुक्त ₹ 23.42 करोड़ केंद्रांश और साथ–साथ ₹ 17.87 करोड़ राज्यांश विभाग को विमुक्त नहीं किया गया। भारत सरकार को गलत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत

किए गए। म.प्र.पु.हा.का. ने योजना की बकाया निधियों हेतु ब्याज की गणना नहीं की, इसलिए योजना के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सका।

- निर्माण में देरी के कारण, पुलिस भवन और आवासों की उपलब्धता वास्तविक आवश्यकता से काफी पीछे चल रही थी। सारभूत संख्या में भवनों के निर्माण का प्रारंभ नहीं हुआ और म.प्र.पु.हा.का. द्वारा पूर्ण कार्यों को देरी के साथ विभाग को हस्तांतरित किया गया। भवन कार्य के लिए गुणवत्ता नियंत्रण मानकों के प्रयोग में विसंगति देखी गई। म.प्र.पु.हा.का. और विभाग के बीच समन्वय का अभाव था।
- भवनों की उपलब्धता के साथ साथ प्रति 100 कर्मी आवासों में भी कमी आई। दो तिहाई से अधिक पुलिस कर्मियों को सरकारी आवास नहीं दिए जा सके चूंकि पुलिस कर्मियों के लिए 69,978 आवास की कमी थी। इसी प्रकार, पुलिस स्टेशन, चौकी, जिला पुलिस कार्यालय, जिला पुलिस लाईन, कंट्रोल रूम सहित 718 भवनों की कमी थी। पुलिस स्टेशन/चौकी में बुनियादी सुविधाएं जैसे कि महिला कर्मचारियों के लिए प्रसाधन और आराम कक्षों की कमी थी। पुलिस कर्मी, कंडम और जर्जर मकानों/भवनों में आवासित थे और कार्य कर रहे थे। इस प्रकार, पुलिस बल की अपनी सुरक्षा खतरे में थी।
- प्रतिक्रिया समय की पर्याप्त निगरानी नहीं की गई। विभाग में वाहनों, विशेष रूप से मोटरसाईकिल की कमी थी। आधुनिक शस्त्रों की कमी थी और शस्त्र कार्यशाला के उन्नयन की आवश्यकता थी। क्रय प्रक्रियाओं को पूर्ण करने में विलंब थे। राज्य में भारतीय दण्ड संहिता अपराध धीरे-धीरे बढ़े और जाँच की गति और अपराध वृद्धि की गति में अनुरूपता नहीं थी।
- पुलिस बल में बहुत रिक्तयां थी। एफ.एस.एल. में वैज्ञानिक अधिकारी व तकनीकी अधिकारी के पद रिक्त थे परिणामतः परीक्षण प्रतिवेदन भेजने के मामले लंबित हुए। पुलिस बल को आधुनिक और जटिल शस्त्रों एवं उपकरणों के लिए प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं था।
- योजना के क्रियान्वयन की निगरानी पर्याप्त नहीं थी। योजना के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों पर आंतरिक नियंत्रण अपर्याप्त था। आधुनिकीकरण के लिए उपयोग की गई निधियों के व्यापक प्रभाव का आकलन नहीं किया गया था तथा समर्वी लेखापरीक्षा का उपयोग कार्य में सुधार के लिए नहीं किया गया।

2.2.21 अनुशंसाएं

- प्रत्येक घटक के अंतर्गत अभावों का उचित आकलन करने के उपरांत पुलिस बल की आधुनिकीकरण के लिए रणनीतिक योजना तैयार की जायें, वार्षिक कार्य योजनाओं के प्रस्तुतीकरण में दिशानिर्देशों के प्रावधानों और समय-सीमा का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- मध्य प्रदेश शासन को एम.पी.एफ. के अंतर्गत सभी देय निधियों की समयसीमा में विमुक्ति सुनिश्चित करना चाहिए और ब्याज का उपयोग एम.पी.एफ. योजना के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए।
- एम.पी.एफ. के विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन में आ रहे अवरोधों के कारणों की पहचान कर शोधित किया जाए। पुलिस बल की मानवशक्ति में वृद्धि को ध्यान रखते हुए पुलिसबल आधुनिकीकरण के लिए और वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।

- विभिन्न स्तर पर मानवशक्ति की कमी का चरणबद्ध तरीके से समाधान किया जाये और व्यापक कौशल विकास, आधुनिक और परिष्कृत शस्त्रों एवं उपकरणों के प्रशिक्षण को उच्च प्राथमिकता प्रदान किया जाना चाहिए।
- कार्यक्रमों के सामयिक क्रियान्वयन और मध्यावधि सुधारों हेतु आवर्ती और नियमित निगरानी और प्रभावी आंकलन क्रियाविधि शासन स्तर पर विकसित की जानी चाहिए।

विभाग ने अनुशंसाओं को स्वीकार किया।

महिला एवं बाल विकास विभाग

2.3 एकीकृत बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत पूरक पोषण कार्यक्रम पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यपालन सारांश

एकीकृत बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.), छोटे बच्चों में कुपोषण, अल्प विकास, रुग्णता तथा मृत्यु दर के दुश्चक्र को तोड़ने की चुनौती के प्रति भारत के प्रत्युत्तर/प्रतिक्रिया है। आई.सी.डी.एस. अंतर्गत पूरक पोषण कार्यक्रम (पू.पो.का.) मुख्य रूप से, अनुशंसित आहार भत्ता (आर.डी.ए.) और औसत दैनिक खपत (ए.डी.आई.) के मध्य अंतर को पाटने के लिये तैयार किया गया है। पूरक पोषण कार्यक्रम (पू.पो.का.) के अंतर्गत प्रत्येक हितग्राही को वर्ष में 300 दिनों का पूरक पोषण प्रदाय किया जाता है, जो आंगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा पके हुए भोजन तथा टेक होम राशन (टी.एच.आर.) के रूप में प्रदाय किया जाता है।

2011–12 से 2015–16 के दौरान, मध्य प्रदेश में पूरक पोषण आहार योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹ 5012.17 करोड़ व्यय किये। मध्य प्रदेश में आई.सी.डी.एस. (पूरक पोषण कार्यक्रम) के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि 2011–16 के दौरान निम्नानुसार परिलक्षित हुआ:

वित्तीय प्रबंधन

- राज्य सरकार ने पू.पो.का. के अंतर्गत जारी खाद्यान्न को मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (एम.पी.एस.सी.एस.सी.) के माध्यम से जिला कार्यक्रम अधिकारी (जि.का.अ.) को आवंटन हेतु उपलब्ध कराया। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि गेहूं एवं चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य (के.नि.मू.) का जिला कार्यक्रम अधिकारियों ने पालन नहीं किया तथा एम.पी.एस.सी.एस.सी. को उच्च दरों पर भुगतान किया। जिसके परिणामस्वरूप 2012–13 से 2014–15 के दौरान एम.पी.एस.सी.एस.सी. को ₹ 40.87 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ। जि.का.अ. द्वारा खाद्यान्न के कम उठाव के कारण एम.पी.एस.सी.एस.सी. के पास ₹ 13.81 करोड़ का असमायोजित अग्रिम पड़ा था।

(कंडिका 2.3.6.1 एवं 2.3.6.3)

- मध्य प्रदेश राज्य एग्रो औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (एम.पी.एग्रो), जो टी.एच.आर. पैकेट प्रदाय हेतु एजेंसी है, द्वारा वास्तविक टी.एच.आर. पैकेट प्रदाय के लिए आवश्यक मात्रा की तुलना में गेहूं तथा चावल अधिक उपयोग किया गया। विभाग ने खाद्यान्न के अधिक उपयोग के कारणों का विश्लेषण नहीं किया, जिस कारण एम.पी.एग्रो को ₹ 15.57 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ।

(कंडिका 2.3.6.2)

हितग्राहियों का कम आच्छादन

- आई.सी.डी.एस. को छ: वर्ष तक के सभी बच्चों तथा सभी गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए विस्तारित किया जाना था। आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत वर्ष 2011–16 के दौरान, दर्ज छ: माह से तीन वर्ष की आयु समूह के 20.94 लाख बच्चे, तीन वर्ष से छ: वर्ष की आयु समूह के 57.02 लाख बच्चे तथा 7.99 लाख गर्भवती एवं धात्री माताओं को पूरक पोषण आहार नहीं प्रदान किया गया। आंगनवाड़ी केन्द्रों के खराब बुनियादी ढांचे, पूरक पोषाहार की कम मात्रा तैयार करना या आंगनवाड़ी केन्द्र पर पूरक पोषाहार का प्रदाय नहीं होना तथा केन्द्रों का अधिक दूर स्थित होना, हितग्राहियों की आंगनवाड़ी केन्द्रों पर उपस्थिति को निरुत्साहित किया।

(कंडिका 2.3.7.2)

सेवाओं के वितरण में व्यवधान

- नमूना जाँच किये गये 14 परियोजना कार्यालयों में, 2011–12 से 2015–16 के दौरान 983 आंगनवाड़ी केन्द्रों में 37,079 दर्ज हितग्राहियों को विभिन्न माहों में (एक दिन से लेकर 120 दिन तक) पूरक पोषाहार प्रदाय नहीं किया गया।

(कंडिका 2.3.9.1)

पके हुए भोजन का वितरण

- वर्ष 2011–16 के दौरान पके भोजन तैयार करने में संलग्न स्व-सहायता समूहों को 24432.05 मीट्रिक टन गेहूं और 3592.06 मीट्रिक टन चावल के वितरण में कमी थी, जिसने हितग्राहियों को पके हुए भोजन के वितरण को प्रभावित किया।

(कंडिका 2.3.9.2)

राज्य में आंगनवाड़ी केन्द्रों की कमी

- भारत सरकार के द्वारा निर्धारित जनसंख्या मानदण्ड के अनुसार मार्च 2016 की स्थिति में राज्य में 18,604 आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा 3,400 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों की कमी थी। राज्य में कुल 61,755 ग्रामों/वार्डों में से 53.84 लाख की जनसंख्या वाले 11,156 ग्राम/वार्ड आंगनवाड़ी केन्द्र विहीन थे। भारत सरकार ने 4,305 आंगनवाड़ी केन्द्र (नवम्बर 2014) स्वीकृत किये, हालांकि ये आंगनवाड़ी केन्द्र खोले नहीं गये।

(कंडिका 2.3.10)

बच्चों की वृद्धि की निगरानी एवं पोषण स्थिति

- नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (2015–16) के अनुसार राज्य में 9.2 प्रतिशत बच्चे अति कुपोषित पाए गये। अतः राज्य अति कुपोषित बच्चों को 12.6 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कमी लाने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। इस प्रकार राज्य कम वजन वाले बच्चे के प्रतिशत तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाने के निर्धारित लक्ष्य से बहुत पीछे था।

(कंडिका 2.3.11)

योजना के अनुश्रवण

- राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं समीक्षा समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई। जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर उचित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु अनुश्रवण एवं समीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया।

(कंडिका 2.3.12.3 एवं 2.3.12.4)

2.3.1 प्रस्तावना

भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.) योजना अक्टूबर 1975 में प्रारंभ की गई। योजना का उद्देश्य शून्य से छ: वर्ष आयु समूह के बच्चों, गर्भवती तथा धात्री माताओं का समग्र विकास करना है। आई.सी.डी.एस. योजना छ: सेवाओं का एक पैकेज है यथा; पूरक पोषण कार्यक्रम, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच, रेफरल सेवाएं, शाला पूर्व शिक्षा (शा.पू.शि.) तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा।

पूरक पोषण कार्यक्रम (पू.पो.का.) मुख्य रूप से अनुशंसित आहार भत्ता (आर.डी.ए.) और औसत दैनिक खपत (ए.डी.आई.) के मध्य अंतर को पाठने के लिये तैयार किया गया।

पू.पो.का. के अंतर्गत प्रत्येक हितग्राही को वर्ष में 300 दिनों का पूरक पोषण प्रदाय किया जाना है, जो ग्राम स्तर पर आंगनवाड़ी केन्द्रों के द्वारा प्रदाय किया जाता है। मध्य प्रदेश में प्रदायित पूरक पोषाहार के प्रकार को **तालिका-2.3.1** में दर्शाया गया है।

तालिका-2.3.1: आई.सी.डी.एस. अंतर्गत पूरक पोषण के प्रकार

लक्षित समूह	पूरक पोषण आहार के प्रकार	मैन्यू	वर्ष में भोजन प्रदाय दिवस	आवृत्ति
छ: माह से तीन वर्ष के बच्चे	टेक होम राशन (टी.एच.आर)	हलवा, बाल आहार एवं खिचड़ी	पांच दिवस टी.एच.आर. प्रति सप्ताह एवं मंगलवार को पकाया हुआ भोजन।	सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को
धात्री एवं गर्भवती महिलाएं	ऐक किया हुआ खाद्य पदार्थ	सोया बर्फी, आटा बेसन लड्डू एवं खिचड़ी		
तीन वर्ष से छ: वर्ष के बच्चे	पकाया हुआ भोजन	राज्य शासन द्वारा निर्धारित दिन प्रतिदिन के मैन्यू अनुसार	300 दिवस (प्रति सप्ताह छह दिवस)	सभी बच्चों को दिन में दो बार और कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त तृतीय भोजन

2.3.2 संगठनात्मक संरचना

राज्य में आई.सी.डी.एस. के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न स्तर पर क्रियाकलाप एवं दायित्वों के साथ संगठनात्मक संरचना **चार्ट-2.3.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.3.1: संगठनात्मक संरचना

राज्य शासन (महिला एवं बाल विकास विभाग)

प्रमुख सचिव

(शासन स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख)

योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करना, राज्य में योजना के निष्पादन का पर्यवेक्षण

नीति निरूपण और सभी प्रकार के प्रशासनिक अनुयोदन एवं भारत सरकार के साथ इंटरफ़ेस

आयुक्त, आई.सी.डी.एस.

(विभाग स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख)

समय पर निधि की स्वीकृति और जारी सुनिश्चित करना, सभी जिलों और अधीनस्थ कार्यालयों का प्रशासनिक नियंत्रण, टी.एच.आर की उपायन एवं आपूर्ति सहित जिलों में योजना के कार्यान्वयन का निरूपण, जिलों में योजना के निष्पादन का पर्यवेक्षण एवं मंत्रालय को प्रतिवेदन एवं विवरण प्रस्तुत करना

संभागीय संयुक्त संचालक (10)

अपने क्षेत्राधिकार में योजना के कार्यान्वयन निरूपण का समस्त उत्तरदायित्व, संबंधित जिलों का प्रशासनिक नियंत्रण, संबंधित जिलों में योजना के निष्पादन का पर्यवेक्षण एवं उच्च कार्यालयों को रिपोर्टिंग करना

जिला कार्यक्रम अधिकारी (51)

वार्षिक कार्यक्रम कियान्वयन योजना (ए.पी.आई.पी.) तैयार करना एवं संचालनालय को प्रस्तुत करना, सी.डी.पी.ओ. से मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त करना एवं संयुक्त संचालक को प्रस्तुत करना एवं जिले में योजना के कार्यान्वयन की प्रगति निरूपण का समस्त उत्तरदायित्व

बाल विकास परियोजना अधिकारी (453)

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं / आंगनवाड़ी सहायिकाओं का चयन एवं संलग्नीकरण, योजना के कार्यान्वयन की समस्त उत्तरदायित्व, पर्यवेक्षकों पर नियंत्रण, पर्यवेक्षकों के माध्यम से आंगनवाड़ी केन्द्रों / मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के कार्यकर्ताओं का पर्यवेक्षण तथा प्रतिवेदन एवं विवरण जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत करना

आंगनवाड़ी केन्द्र (80160) / मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र (12070)

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के द्वारा संचालित, हितग्राहियों का चयन एवं घर-घर सर्वेक्षण योजना अंतर्गत हितग्राहियों को पोषाहार, पकाया हुआ भोजन एवं टी.एच.आर, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा उपलब्ध करान एवं हितग्राहियों का वजन करना।

2.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य आकलन करना था कि क्या:

- आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत पूरक पोषाहार हेतु केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों का कुशलतापूर्वक और मितव्ययी रूप से उपयोग किया गया;
- आई.सी.डी.एस. (पू.पो.का.) की सेवाओं को प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन किया जा रहा था ताकि हितग्राहियों के पोषण स्तर में सुधार के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके;
- आंगनवाड़ी केन्द्रों में आई.सी.डी.एस. (पू.पो.का.) के प्रभावी और निरन्तर संचालन हेतु आवश्यक बुनियादी सुविधायें पर्याप्त थी; और
- आई.सी.डी.एस. (पू.पो.का.) के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु अनुश्रवण तंत्र पर्याप्त था।

2.3.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्न से लिये गये:

- भारत सरकार और राज्य शासन की आई.सी.डी.एस.(पू.पो.का.) योजना के दिशानिर्देश।
- भारत सरकार और राज्य शासन द्वारा जारी किये गये निर्देश।
- निर्धारित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तंत्र।

2.3.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत पूरक पोषण कार्यक्रम के कार्यान्वयन अवधि 2011–12 से 2015–16 की अवधि को शामिल किया गया है। निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु 14 जिलों⁵⁶ एवं प्रत्येक चयनित जिले से तीन परियोजना कार्यालयों का चयन प्रतिस्थापन पद्धति के बिना सरल यादृच्छिक प्रतिचयन (एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर) के आधार पर किया गया है। चयनित प्रत्येक परियोजना कार्यालय से 10 आंगनवाड़ी केन्द्रों का चयन यादृच्छिक आधार पर किया गया।

आई.सी.डी.एस. (पूरक पोषण कार्यक्रम) के कार्यान्वयन की समीक्षा राज्य स्तर पर आयुक्त, आई.सी.डी.एस., 14 चयनित जिला स्तरीय कार्यालय के जिला कार्यक्रम अधिकारियों (जि.का.अ.), 42 चयनित खण्ड स्तरीय कार्यालयों के बाल विकास परियोजना अधिकारियों (बा.वि.प.अ.) और 420 चयनित आंगनवाड़ी केन्द्रों के अभिलेखों के माध्यम से की गई। टी.एच.आर. के अंतर्गत से संबंधित मध्य प्रदेश राज्य एग्रो उद्योग विकास निगम लिमिटेड (एम.पी.एग्रो.) के अभिलेखों तथा आई.सी.डी.एस. हेतु खाद्यान्नों की आपूर्ति से संबंधित मध्य प्रदेश राज्य सिविल सप्लाई निगम (एम.पी.एस. सी.एस.सी.) के अभिलेखों की भी जाँच की गई।

210 आंगनवाड़ी केन्द्रों, 57 स्व-सहायता समूहों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण तथा छ: माह से छ: वर्ष के बच्चों के अभिभावकों (माता या पिता) के साथ गर्भवती एवं धात्री माताओं को शामिल करते हुये 2080 हितग्राहियों का संयुक्त हितग्राही सर्वेक्षण विभागीय अधिकारियों के साथ किया गया।

⁵⁶ अलीराजपुर, बालाघाट, भोपाल, छिंदवाड़ा, धार, इन्दौर, खंडवा, खरगोन, पन्ना, राजगढ़, रतलाम, सतना, सिवनी तथा विदिशा

11 मार्च 2016 को प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग (म.एवं बा.वि.) के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों एवं मापदण्डों पर चर्चा की गई। प्रारूप प्रतिवेदन अगस्त 2016 में महिला एवं बाल विकास विभाग को जारी किया गया। 14 अक्टूबर 2016 को आयोजित निर्गम सम्मेलन में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास की ओर से आयुक्त के साथ चर्चा भी की गई निर्गम सम्मेलन के दौरान व्यक्त विचारों एवं सरकार के उत्तरों को समीक्षा में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.3.6 वित्तीय प्रबंधन

आई.सी.डी.एस. भारत सरकार एवं राज्य शासन के बीच लागत की साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित केन्द्र प्रवर्ती योजना है। योजना के क्रियान्वयन हेतु निधिया दो मदों में प्रदाय की जाती है:

- आई.सी.डी.एस. (सामान्य) परिचालन लागत को वहन करने हेतु जिसके अंतर्गत भारत सरकार एवं राज्य शासन के बीच लागत की साझेदारी 90:10 का है एवं,
- पूरक पोषाहार (पू.पो.) जिसके अंतर्गत भारत सरकार एवं राज्य शासन के बीच लागत की साझेदारी 50:50 का है।

2011–12 से 2015–16 के दौरान, विभाग ने पूरक पोषाहार योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹ 5012.17 करोड़ व्यय किये। 2011–12 से 2015–16 के दौरान वास्तविक प्राप्त राशि और पू.पो.का. पर किये गये व्यय का विवरण **तालिका-2.3.2** में दिया गया है:

**तालिका-2.3.2 : पूरक पोषण कार्यक्रम की प्राप्त राशि और किया गया व्यय
(₹ करोड़ में)**

वर्ष	केन्द्रांश			राज्यांश		
	वास्तविक प्राप्ति	व्यय	आधिक्य(+) / कमी(-) प्राप्ति	वास्तविक प्राप्ति	व्यय	आधिक्य(+) / कमी(-) प्राप्ति
2011–12	523.23	446.83	76.40	451.00	446.83	4.17
2012–13	575.74	521.13	54.61	523.68	521.13	2.55
2013–14	423.86	447.40	(-)23.54	489.73	494.57	(-)4.84
2014–15	484.62	485.63	(-)1.01	574.99	485.63	89.36
2015–16	423.82	581.51	(-)157.69	600.78	581.51	19.27
योग	2431.27	2482.50	(-) 51.23	2640.18	2529.67	110.51

(स्रोत: संचालनालय द्वारा प्रदाय आंकड़े)

अतः वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान, ₹ 51.23 करोड़ की केन्द्रांश निधि कम प्राप्त हुई। आगे, लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2014–15 के व्यय की तुलना में वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 191.76 करोड़ (19.75 प्रतिशत) अधिक व्यय किया गया जबकि पूर्ववर्ती वर्ष 2014–15 से 9.34 प्रतिशत लाभान्वित हितग्राहियों में वृद्धि हुई।

इंगित किये जाने पर आयुक्त ने उत्तर दिया कि पूरक पोषाहार के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) के माध्यम से दी गई है जो कि शत प्रतिशत सटीक नहीं थी। पूरक पोषाहार के अंतर्गत व्यय आंकड़े वास्तविक व्यय के आधार पर लिये गये। आगे, वित्त विभाग द्वारा वित्त वर्ष के अंत में देयकों के आहरण पर प्रतिबंध लगाने के कारण, स्व-सहायता समूहों के देयक समय पर प्राप्त न होने से वार्षिक व्यय भिन्न था।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में, आयुक्त ने उत्तर दिया कि केन्द्रांश से कम प्राप्ति की स्थिति में, व्यय केन्द्रांश की प्रत्याशा में राज्यांश से पूरा किया गया।

विभिन्न योजनाओं यथा 13वें वित्त आयोग, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण हेतु पृथक से निधि भी प्रदाय की गयी। योजनावार विवरण **पुरिशिष्ट-2.3.1** में दिया गया है। 2011–12 से 2015–16 के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण पर बजट आवंटन और किये गये व्यय का विवरण **तालिका-2.3.3** में दिया गया है:

तालिका-2.3.3: आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण पर बजट आवंटन एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मूल बजट	अनुपूरक बजट	पुनर्विनियोजन / समर्पण	कुल उपलब्ध बजट	किया गया व्यय	अव्ययित राशि
2011–12	100.01	0	0	100.01	100.01	0
2012–13	100.00	50.00	0	150.00	0	150.00
2013–14	108.38	103.00	(–) 4.13	207.25	104.17	103.08
2014–15	185.25	64.75	0	250.00	87.44	162.56
2015–16	11.00	83.16	(–) 2.00	92.16	57.01	35.15
योग	504.64	300.91	(–) 6.13	799.42	348.63	450.79

(स्रोत: संचालनालय द्वारा प्रदाय आंकड़े)

आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु उपलब्ध ₹ 799.42 करोड़ में से ₹ 450.79 करोड़ (56 प्रतिशत) अव्ययित रही।

इस प्रकार, आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए कुल बजट ₹ 799.42 करोड़ में से ₹ 450.79 करोड़ (56 प्रतिशत) अव्ययित रहे। निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में, आयुक्त ने उत्तर दिया कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण जिले स्तर पर चयनित विभिन्न कार्यकारी संस्थाओं द्वारा किया गया। निर्माण कार्य की प्रगति विवादित भूमि, क्षेत्र चयन और कार्यकारी संस्था द्वारा निर्माण में देरी के कारण धीमी थी।

2.3.6.1 एम.पी.एस.सी.एस.सी. को खाद्यान्न का अधिक भुगतान

भारत सरकार द्वारा गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम (गे.आ.पो.का.) के अंतर्गत एस.एन.पी. में उपयोग हेतु गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) की दरों पर खाद्यान्न राज्यों को वार्षिक आधार पर जारी किया गया। इसका उद्देश्य एस.एन. की खरीद लागत कम करना तथा हितग्राहियों को पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना था। वर्ष 2011–16 के दौरान बी.पी.एल. हेतु गेहूं ₹ 415 प्रति किंविटल एवं बी.पी.एल. हेतु चावल ₹ 565 प्रति किंविटल केन्द्रीय निर्गम मूल्य (के.नि.मू.) था जो कि राज्य द्वारा भारतीय खाद्य निगम को भुगतान योग्य था।

भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश शासन को अपने आवंटन को विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली के अंतर्गत विकेन्द्रीकृत खरीद (डी.सी.पी.) स्टॉक से निकालने हेतु सहमति दी गयी। तदनुसार राज्य शासन द्वारा आवंटित खाद्यान्न को एम.पी.एस.सी.एस.सी. के माध्यम से जिले को प्रदाय किया गया तथा उसे एस.एन.पी. के अंतर्गत जारी करने हेतु वहां से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान तक भेजा गया। एम.पी.एस.सी.एस.सी. को खाद्यान्न का भुगतान जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जाना था।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि एम.पी.एस.सी.एस.सी. को भुगतान जारी करते समय बी.पी.एल. हेतु गेहूं एवं चावल के के.नि.मू. का जि.का.अ. द्वारा पालन नहीं किया गया। एम.पी.एस.सी.एस.सी. को उच्च दरों पर भुगतान किया गया, जैसा कि **तालिका-2.3.4** में वर्णित है, जिसके परिणामस्वरूप एम.पी.एस.सी.एस.सी. को ₹ 40.87 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

एम.पी.एस.सी.एस.सी. को ₹ 40.87 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

तालिका—2.3.4: 2012–15 के दौरान राज्य में खाद्यान्न का उठाव तथा भुगतान की गयी राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उठाव किया गया खाद्यान्न (मीट्रिक टन में)		एम.पी.एस.सी. एस.सी. को भुगतान की गई वास्तविक राशि		बी.पी.एल. को गेहूं तथा चावल, केन्द्रीय निर्गम मूल्य के आधार राशि जो एम.पी.एस.सी.एस.सी. को भुगतान की जानी थी		एम.पी.एस.सी.एस.सी. को किया गया अधिक भुगतान
	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	
2012–13	137117.431	55804.900	65.69	38.94	56.90	31.53	16.20
2013–14	139947.571	56325.439	63.79	38.99	58.08	31.82	12.88
2014–15	125277.050	50305.873	55.74	36.46	51.99	28.42	11.79
योग							40.87

(स्रोत: एम.पी.एस.सी.एस.सी. द्वारा प्रदाय आंकड़े)

निर्गम सम्मलेन (अक्टूबर 2016) में आयुक्त ने उत्तर दिया कि स्व–सहायता समूहों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु गेहूं ₹ 415 प्रति विवंटल एवं चावल ₹ 565 प्रति विवंटल की बुनियादी दर के अतिरिक्त परिवहन/भंडारण शुल्क हेतु एम.पी.एस.सी.एस.सी. को भुगतान किया गया। अतः एम.पी.एस.सी.एस.सी. को उच्च दरों पर भुगतान नहीं किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि भारत सरकार द्वारा निर्धारित बी.पी.एल. गेहूं तथा चावल के केन्द्रीय आधार पर एम.पी.एस.सी.एस.सी. को भुगतान किया जाना था। आगे, संचालनालय ने जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश (अक्टूबर 2013) जारी किये कि गै.आ.पो.का. के अंतर्गत केन्द्रीय दरों पर एम.पी.एस.सी.एस.सी. को बी.पी.एल. खाद्यान्न का भुगतान करना चाहिए। पू.पो.का. के अंतर्गत गेहूं (₹ 415 प्रति विवंटल) और चावल (₹ 565 प्रति विवंटल) के केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर भुगतान करने हेतु एम.पी.एस.सी.एस.सी. लिमिटेड भोपाल द्वारा अपने जिला प्रबंधक, एम.पी.एस.सी.एस.सी. को भी निर्देश जारी (मई 2012) किये गये थे। अतः एम.पी.एस.सी.एस.सी. से ₹ 40.87 करोड़ के अधिक भुगतान की वसूली किये जाने की आवश्यकता थी।

2.3.6.2 टी.एच.आर. हेतु खाद्यान्न का अधिक उपयोग

टी.एच.आर. में पैक की हुई खाद्य सामग्री जैसे हलवा, बाल आहार, सोया बर्फी, आटा बेसन लड्डू और खिचड़ी सम्मिलित रहती है। टी.एच.आर. को तैयार तथा प्रदाय करने हेतु विभाग ने मध्य प्रदेश एग्रो उद्योग विकास निगम लिमिटेड (एम.पी.एग्रो) के साथ (जून 2008 तथा दिसम्बर 2011) अनुबंध किया। अनुबंध के अनुसार विभाग एफ.सी.आई से बी.पी.एल. गेहूं/चावल एम.पी.एग्रो को उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी था। विभाग के पास खाद्यान्न के टी.एच.आर. हेतु उपयोग संबंधी निर्देश भी थे, इन मानदण्डों के अनुसार गेहूं तथा चावल की आवश्यकता का विवरण तालिका—2.3.5 में दिये गये।

तालिका—2.3.5 : टी.एच.आर. तैयार करने हेतु गेहूं तथा चावल के उपयोग के मानदण्ड

स. क्र.	टी.एच.आर. का नाम	पैकेट की मात्रा (ग्राम में)	खाद्यान्नों का नाम	खाद्यान्न की प्रतिशतता
1	हलवा	600	गेहूं	42
			चावल	03
2	बाल आहार	600	गेहूं	56

3	खिचड़ी (बच्चों के लिए)	625	चावल	58
4	सोया बर्फी	750	गेहूं	40
5	आटा बेसन लड्डू	750	गेहूं	47.50
6	खिचड़ी (गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए)	750	चावल	58

(स्रोत: संचालनालय द्वारा प्रदाय आकड़े)

विभाग से प्राप्त आपूर्ति आदेश के आधार पर, अंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से हितग्राहियों को वितरित किये जाने हेतु एम.पी. एग्रो द्वारा टी.एच.आर. की आपूर्ति परियोजना स्तर के गोदाम तक की गयी। एम.पी. एग्रो से प्राप्त जानकारी की जाँच में पाया गया कि 2011–12 से 2015–16 के दौरान एम.पी. एग्रो द्वारा आपूर्ति किये गये टी.एच.आर. को तैयार करने में आवश्यक मात्रा की तुलना में गेहूं/चावल का अधिक उपयोग किया गया। विवरण तालिका—2.3.6 में दिया गया है:

तालिका—2.3.6: एम.पी. एग्रो द्वारा टी.एच.आर. तैयार करने हेतु गेहूं/चावल की उपयोगिता और आवश्यकता का विवरण

(मात्रा मी. टन में)

वर्ष	आपूर्ति किये गये टी.एच.आर. के विरुद्ध मानदंड अनुसार आवश्यक खाद्यान्न		टी.एच.आर. तैयार करने हेतु एम.पी.एग्रो द्वारा उपयोगित खाद्यान्न		आधिक्य उपयोग	
	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
2011–12	55005.594	25749.360	60511.321	27269.159	5505.727	1519.799
2012–13	56321.870	26409.451	61821.370	27908.011	5499.500	1498.560
2013–14	52399.018	24571.122	57478.843	25948.397	5079.825	1377.275
2014–15	50602.384	23724.835	55495.629	25049.419	4893.245	1324.584
2015–16	54163.473	26965.262	60640.076	28639.830	6476.603	1674.568
	योग				27454.900	7394.786

(स्रोत: एम.पी.एग्रो द्वारा प्रदाय आंकड़े)

विभाग ने एमपी एग्रो को ₹ 15.57 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ दिया।

केन्द्रीय निर्गम मूल्य के अंतर्गत बी.पी.एल. हेतु गेहूं ₹ 415 प्रति किंवंटल एवं चावल का मूल्य ₹ 565 प्रति किंवंटल के अधिक उपयोग किये गये गेहूं तथा चावल का मूल्य क्रमशः ₹ 11.39 करोड़ तथा ₹ 4.18 करोड़ था। फिर भी, विभाग द्वारा वर्ष 2011–16 के दौरान टी.एच.आर. पैकेट तैयार करने में खाद्यान्न के अधिक उपयोग के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप एम.पी. एग्रो को ₹ 15.57 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में आयुक्त ने उत्तर दिया कि एम.पी. एग्रो द्वारा एम.पी. एस.सी.एस.सी. से पूरे आवंटित खाद्यान्न का उठाव किया गया। एम.पी. एग्रो को खाद्यान्न का अधिक आवंटन नहीं किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि एम.पी. एग्रो को खाद्यान्न का आवंटन तथा, एम.पी. एग्रो द्वारा प्रदाय टी.एच.आर. पैकेट में उपयोग की गई मात्रा, एम.पी. एग्रो को वास्तविक प्रदाय की गयी मात्रा से अधिक थी जैसा तालिका—2.3.6 में दिखाया गया। टी.एच.आर. पैकेट तैयार करने के संदर्भ में खाद्यान्न के अधिक उपयोग का मिलान में विभाग द्वारा न किये जाने के कारण एम.पी. एग्रो द्वारा ₹ 15.57 करोड़ के खाद्यान्न का अधिक उठाव किया गया, जो वसूली योग्य था।

2.3.6.3 खाद्यान्न हेतु असमायोजित अग्रिम एम.पी.एस.सी.एस.सी. के पास शेष रहना

आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषण आहार प्रदाय हेतु विभाग के आदेश (अक्टूबर 2009 तथा फरवरी 2014) के अनुसार एम.पी.एस.सी.एस.सी. को त्रैमासिक खाद्यान्न आवंटन के लिए अग्रिम भुगतान जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जाना था। स्व-सहायता समूहों द्वारा वास्तविक उठाव की स्थिति, जो कि एम.पी.एस.सी.एस.सी. के द्वारा संकलित किया जाना था, प्राप्त होने पर अग्रिम भुगतान का समायोजन किया जाना था। राज्य एवं जिला स्तर पर आवंटन तथा वास्तविक उठाव की स्थिति का मिलान विभाग द्वारा किया जाना था।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि जाँच किये गये सात जि.का.अ. ने वास्तविक उठाव की स्थिति का मिलान खाद्यान्न के आवंटन के साथ नहीं किया। आगे जाँच में पाया गया कि इन जिलों में खाद्यान्न के कम उठाव के कारण, जिसके लिए एम.पी.एस.सी.एस.सी. को अग्रिम भुगतान जारी किया गया, एम.पी.एस.सी.एस.सी. के पास असमायोजित अग्रिम राशि ₹ 3.90 करोड़ थी। खाद्यान्न के कम उठाव की स्थिति जो एम.पी.एस.सी.एस.सी. के पास पड़ा था, का विवरण तालिका-2.3.7 में दिखाया गया।

तालिका-2.3.7: एम.पी.एस.सी.एस.सी. के पास शेष खाद्यान्न का विवरण

(₹ करोड़ में)

संक्र.	स्तर	आवंटित खाद्यान्न (मी. टन में)		उठाव किये गये खाद्यान्न (मी. टन में)		एम.पी.एस.सी.एस.सी. के पास शेष खाद्यान्न (मी. टन में)			
		गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	राशि	चावल	राशि
1	राज्य	473790.00	163751.47	386871.34	139305.70	86918.66	36.07	24445.77	13.81
2	सात जिले ⁵⁷	48594.43	17576.13	42229.94	15343.15	6364.49	2.64	2232.98	1.26

(चोत: संचालनालय और जिलों द्वारा प्रदाय आंकड़े)

86,918 मी. टन गेहूं (₹ 36.07 करोड़) और 24,445 मी. टन चावल (₹ 13.81 करोड़) का जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कम उठाव किया गया जिसका अग्रिम भुगतान एम.पी.एस.सी.एस.सी. को किया गया। सात चयनित जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों ने उत्तर दिया कि खाद्यान्न के समाशोधन के पश्चात एम.पी.एस.सी.एस.सी. से समायोजन किया जावेगा।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में आयुक्त ने उत्तर दिया कि एम.पी.एस.सी.एस.सी. के गोदामों और उचित मूल्य दुकानों से आवश्यकतानुसार एम.पी.एग्रो और स्व-सहायता समूहों द्वारा विभिन्न जिलों में खाद्यान्न का उठाव किया गया और उसी का भुगतान किया गया। एम.पी.एग्रो और स्व-सहायता समूहों द्वारा उस खाद्यान्न का भुगतान किया गया जिसका उठाव किया गया तथा स्व-सहायता समूहों द्वारा उठाव किये गये खाद्यान्न का समाशोधन जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सतत किया गया। भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न के अनुसार, जिस मात्रा का एम.पी.एस.सी.एस.सी. से उठाव नहीं किया गया, व्यपगत मान लिया गया। एम.पी.एस.सी.एस.सी. के पास खाद्यान्न शेष नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, आवंटन के आधार पर खाद्यान्न की राशि का भुगतान एम.पी.एस.सी.एस.सी. को अग्रिम रूप में किया गया। नमूना जाँच किये गये जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों ने स्वीकार किया था कि समाशोधन किया जाना शेष था।

⁵⁷ अलीराजपुर (गेहूं 26.12 मी. टन और चावल 7.83 मी. टन, ₹ 1.53 लाख), धार (गेहूं 171.47 मी. टन और चावल 94.67 मी. टन, ₹ 12.46 लाख) इंदौर (गेहूं 26.00 मी. टन और चावल 10 मी. टन, ₹ 1.64 लाख), पन्ना (गेहूं 1211.209 मी. टन और चावल 619.296 मी. टन, ₹ 85.26 लाख), राजगढ़ (गेहूं 1983.71 मी. टन और चावल 316.48 मी. टन, ₹ 1.00 करोड़), रतलाम (गेहूं 384.18 मी. टन और चावल 97.90 मी. टन, ₹ 21.47 लाख) तथा सतना (गेहूं 2561.80 मी. टन और चावल 1086.80 मी. टन, ₹ 1.68 करोड़)।

2.3.7 कार्यक्रम क्रियान्वयन

2.3.7.1 हितग्राहियों का सर्वेक्षण

जैसा कि आई.सी.डी.एस. के उपयोगकर्ता नियमावली में उल्लिखित है, परिवारों का विवरण, सभी जन्म और मृत्यु, परिवार का पलायन परिवार विवरण पंजी में आंगनवाड़ी स्तर पर समाविष्ट किया जाना था। यह पंजी घटनाओं के मासिक सारांश बनाने हेतु प्रयोग किया जायेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा प्रत्येक माह आंगनवाड़ी केन्द्र का मासिक प्रगति प्रतिवेदन (एम.पी.आर) बनाना था तथा एम.आई.एस. पर अपलोड किया जाना था जिसे राज्य स्तर पर संकलित किया गया।

आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, शामिल करने हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा सभी परिवारों का घर-घर सर्वेक्षण किया जाना था। सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष अप्रैल में किया जाना था।

42 नमूना जाँच की गयी परियोजनाओं में से 41 परियोजनाओं ने प्रत्येक वर्ष परिवारों का घर-घर सर्वेक्षण किया। यद्यपि 27 परियोजनाओं ने परिवार पंजी का मासिक अद्यतन नहीं किया। चूंकि परिवार पंजी अद्यतन नहीं थी तथा एम.आई.एस. पर संचालित सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के एम.पी.आर. को अपलोड नहीं किया गया था, राज्य स्तर पर एम.आई.एस. में आंकड़े वास्तविक नहीं थे।


लेखापरीक्षा ने पाया कि आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत राज्य स्तर पर हितग्राहियों की संख्या वर्ष 2011–12 में 97.50 लाख से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 105.00 लाख हो गयी। परन्तु वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक हितग्राहियों की संख्या 97.68 लाख पर रिस्थिर थी। यह प्रदर्शित करता है कि हितग्राहियों की संख्या वास्तविक सर्वेक्षण तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों से अद्यतन जानकारी के आधार पर नहीं थी।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में, आयुक्त ने उत्तर दिया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में सर्वेक्षण किया गया जिसे सर्वेक्षण पंजी में दर्ज किया गया। इसके आधार पर एम.पी.आर तैयार किये गये। प्रशासनिक प्रतिवेदन में दी गई संख्या अनुमानित संख्या थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, नमूना जाँच की गयी परियोजनायें परिवार पंजी को मासिक आधार पर अद्यतन नहीं कर रहे थे एवं एम.आई.एस. पर अद्यतन जानकारी को अपलोड नहीं किया गया।

2.3.7.2 हितग्राहियों का कम आच्छादन

आई.सी.डी.एस. को छ: वर्ष तक के सभी बच्चे तथा सभी गर्भवती एवं धात्री माताओं तक विस्तारित किया जाना था। तथापि काफी संख्या में हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार योजना के दायरे में नहीं लाया गया। राज्य स्तर पर 2011–16 के दौरान पंजीकृत हितग्राही और जो लाभांवित हुये, की श्रेणीवार स्थिति चार्ट 2.3.2 में सूचीबद्ध है:



(स्रोत: संचालनालय द्वारा प्रदाय आंकड़े)

इस प्रकार, आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत वर्ष 2011–16 के दौरान दर्ज छ: माह से तीन वर्ष के आयु समूह के 20.94 लाख बच्चे, तीन वर्ष से छ: वर्ष के आयु समूह के 57.02 लाख बच्चे तथा 7.99 लाख गर्भवती एवं धात्री मातायें पूरक पोषण आहार के परिकल्पित लाभ से वंचित रहे।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान वर्षवार नमूना जॉच किये गये जिलों तथा परियोजनाओं में दर्ज हितग्राहियों को लाभ में कमी के आंकड़े क्रमशः **परिशिष्ट-2.3.2** तथा **परिशिष्ट-2.3.3** में दिये गये हैं, जिसका संक्षेप तालिका-2.3.8 में दिया गया है।

तालिका-2.3.8: 2011–12 से 2015–16 के दौरान पू.पो.का. अंतर्गत चयनित जिलों, परियोजनाओं और आंगनवाड़ी केन्द्रों में हितग्राहियों की कमी का विवरण

स.क.	हितग्राहियों के प्रकार	जिला स्तर पर कमी	परियोजना स्तर पर कमी	आंगनवाड़ी केन्द्र स्तर पर कमी
1.	छ: माह से तीन वर्ष आयु समूह के बच्चे	974245 (15.52 प्रतिशत)	219893 (12.79 प्रतिशत)	15577 (12.13 प्रतिशत)
2.	तीन वर्ष से छ: वर्ष आयु समूह के बच्चे	1749187 (26.46 प्रतिशत)	436447 (24.16 प्रतिशत)	34189 (26.85 प्रतिशत)
3	गर्भवती और धात्री मातायें	271718 (10.92 प्रतिशत)	74972 (10.90 प्रतिशत)	5005 (9.47 प्रतिशत)

(स्रोत: जिलों, परियोजनाओं एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा प्रदाय आंकड़े)

आंगनवाड़ी केन्द्रों के खराब बुनियादी ढांचे, पोषाहार प्रदाय न किया जाना तथा पोषाहार के कम मात्रा तैयार करने के कारण हितग्राहियों के आच्छादन में काफी कमी थी।

आंगनवाड़ी केन्द्रों के खराब बुनियादी ढांचे, आंगनवाड़ी केन्द्रों पर मेन्यू के अनुसार पूरक पोषाहार वितरण में विफलता, पूरक पोषाहार का कम मात्रा में तैयार करना या आंगनबाड़ी केन्द्र पर पूरक पोषाहार का आपूर्ति न होना तथा केन्द्रों की लम्बी दूरी पर स्थित होना जैसा कि आगे के पैरा में चर्चा की गयी है, कमी के कारण थे। इन कमियों से दर्ज हितग्राहियों के आंगनवाड़ी केन्द्रों पर उपस्थिति निरुत्साहित किया।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में आयुक्त ने उत्तर दिया कि कमी के विरुद्ध लगातार प्रयास किये जा रहे थे। नियमित उपस्थिति बढ़ाने हेतु आंगनवाड़ी चलो अभियान और

मासिक समीक्षा के माध्यम से शत प्रतिशत लाभ दिये जाने को सुनिश्चित करने एवं छूटे हुये बच्चों को नामांकित किये जाने हेतु निर्देश दिये जा चुके थे। तीन से छः वर्ष के आयु में प्रथम पंजीकरण/नामांकन स्कूल में होने के कारण शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके। आगे, माता-पिता/अभिभावकों के अन्य स्थानों पर पलायन और तीन से छः वर्ष आयु के बच्चों का स्कूल में भर्ती के कारण कम संख्या में हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार प्राप्त हुआ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत सभी हितग्राहियों को शामिल करना चाहिए। दर्ज हितग्राहियों की कमी के संदर्भ में टिप्पणी की गयी है तथा पलायन किये गये माता-पिता/पालक नामांकित हितग्राहियों में शामिल होना नहीं पाये गये। आगे, राज्य शासन नामांकित हितग्राहियों को आधार से लिंक कर सकता था ताकि नजर रखी जा सके कि क्या वे वास्तव में राज्य में पलायन किये, और यह भी देखा जा सके कि क्या दूसरे जगह पर वे लोग लाभ उठा रहे थे,

आगे के उत्तर (दिसम्बर 2016) में, आयुक्त ने सूचित किया कि सभी हितग्राहियों के आधार के अंतर्गत पंजीकरण हेतु कार्यवाही की जा रही थी।

2.3.8 टेक होम राशन

छः माह से तीन वर्ष के बच्चों के लिए हलवा, बाल आहार और खिचड़ी तथा गर्भवती/धात्री माताओं के लिए सोया बर्फी, आटा बेसन लड्डू तथा खिचड़ी ये छः प्रकार का पैक किया हुआ खाद्य पदार्थ टेक होम राशन (टी.एच.आर.) के अंतर्गत प्रदाय किया जाता है। प्रति हितग्राही एक पैकेट टी.एच.आर. मंगलवार को आगामी पांच दिन हेतु आंगनवाड़ी केन्द्रों पर वितरण किया जाता है। जैसा कि एम.पी. एग्रो से साथ अनुबंध किया गया, टी.एच.आर. का आपूर्ति आदेश संचालनालय द्वारा एम.पी. एग्रो को दिया जाता है। आपूर्ति आदेश के आधार पर, हितग्राहियों को आंगनवाड़ी केन्द्रों से वितरण हेतु परियोजना स्तर के गोदाम तक टी.एच.आर. का एम.पी. एग्रो द्वारा आपूर्ति की जानी थी।

- टेक होम राशन की अधिक/कम आपूर्ति**

हितग्राहियों की संख्या के संदर्भ में टी.एच.आर. प्रदाय की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान राज्य, चयनित जिलों तथा चयनित परियोजनाओं स्तर पर टी.एच.आर. का आपूर्ति अधिक के साथ-साथ कम पाया गया जैसा कि तालिका-2.3.9 में दिया गया है।

तालिका-2.3.9: राज्य, चयनित जिला तथा चयनित परियोजना स्तर पर टी.एच.आर.का अधिक/कम आपूर्ति का विवरण।

(मात्रा मी. टन में)

संक्र.	स्तर	हितग्राही की श्रेणी	जिलों/परियोजनाओं की संख्या	अधिक आपूर्ति	जिलों/परियोजनाओं की संख्या	कम आपूर्ति
1	राज्य	छः माह से तीन वर्ष		—		13850.63
		गर्भवती एवं धात्री माता		8709.65		—
2	चयनित जिले में	छः माह से तीन वर्ष	4	2437.62	9	6038.33
		गर्भवती एवं धात्री माता	7	4281.90	6	1029.99
3	चयनित परियोजना में	छः माह से तीन वर्ष	13	1413.51	28	2798.89
		गर्भवती एवं धात्री माता	23	1511.51	18	732.13

(स्रोत: एम.पी. एग्रो द्वारा प्रदाय आंकड़े)

इस प्रकार से दर्ज हितग्राहियों के आधार पर वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान टी.एच.आर. परियोजनाओं को प्रदाय नहीं किया गया, जिससे बच्चों तथा धात्री माताओं को पूरक पोषण आहार के प्रदाय पर प्रभाव पड़ा।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में आयुक्त ने उत्तर दिया कि आंगनवाड़ी केन्द्रों के एम.पी.आर. में दर्शित हितग्राहियों के आधार पर टी.एच.आर. की आवश्यकता निर्धारित की गई तथा तदनुसार एम.पी. एग्रो को मासिक आपूर्ति आदेश दिये गये। बचत की स्थिति में टी.एच.आर. का आगामी माह में उपयोग किया गया। जो सतत जारी प्रक्रिया थी। एम.पी.आर. में दर्शित हितग्राहियों की संख्या नियत नहीं थी। टी.एच.आर. की अधिक / कम आपूर्ति नहीं की गई थी।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि जिला कार्यक्रम अधिकारियों तथा परियोजना अधिकारियों ने सूचित किया कि उन्हे एम.पी.आर में मांगे गये टी.एच.आर. से अधिक या कम मात्रा में टी.एच.आर. प्राप्त हुआ था।

- **परियोजना स्तरीय गोदाम तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों पर अप्रचलित टी.एच.आर. पाया जाना**

संचालनालय द्वारा जारी निर्देश (मई 2014) के अनुसार, टी.एच.आर. को प्रथम आना प्रथम जाना (फिफो) के आधार पर वितरित किया जाना चाहिए। टी.एच.आर. गोदाम/आंगनवाड़ी केन्द्रों का भौतिक निरीक्षण मासिक रूप से परियोजना अधिकारी/क्षेत्र पर्यवेक्षक द्वारा किया जाना था। अवसान तिथि के टी.एच.आर. का वितरण कदापि नहीं किया जाना चाहिए था। उत्पादन दिनांक से तीन माह के अंदर टी.एच.आर. का उपयोग अवश्य किया जाना था।

रतलाम जिले की जावरा शहरी परियोजना के टी.एच.आर. गोदाम का दिनांक 31.03.2016 को संयुक्त निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि टी.एच.आर. के 2240 पैकेट (उत्पादन तिथि 31.12.2015, बैच क्रमांक एनके 188) अप्रचलित पाये गये, जो कि परियोजना अधिकारी द्वारा दिनांक 01.01.2016 को प्राप्त किये गये थे। इंगित किये जाने पर बा.वि.प.अ. ने उत्तर दिया (अप्रैल 2016) कि टी.एच.आर. 01.04.2016 को वितरित किये जा चुके थे, आगे, मार्च 2016 से जुलाई 2016 के दौरान संयुक्त निरीक्षण में 250 पैकेट अप्रचलित टी.एच.आर. आठ अंगनवाड़ी केन्द्रों⁵⁸ पर पाये गये।



जावरा शहरी परियोजना जिला रतलाम के गोदाम में अप्रचलित टी.एच.आर. पाया गया
(निरीक्षण दिनांक 31.03.2016)

⁵⁸ अलीराजपुर (कठीवाड़ा-3, 11 पैकेट, मोरधा 15 पैकेट), धार (नालछा परियोजना के कुंजदा खोदराह, 62 पैकेट) पन्ना (लमतारा 20 पैकेट), रतलाम (आं.बा.के. बार्ड क. 13ए, परमीलागंज, आलोट 4 पैकेट), जावरा शहरी परियोजना के मीनीपुरा 81 पैकेट), सतना (मैहर 01 परियोजना के सोनवारी 10 में 17 पैकेट), एवं विदिशा (ग्यारसपुर परियोजना के अटारीखेड़ा-3 में 40 पैकेट)।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में आयुक्त ने उत्तर दिया कि परियोजना कार्यालय जावरा जिला रतलाम में पाये गये टी.एच.आर. अवसान तिथि के पूर्व वितरित किये गये थे। विलम्ब से वितरण के कारण भंडार प्रभारी एवं पर्यवेक्षक को चेतावनी पत्र जारी किये गये थे। आंगनवाड़ी केन्द्रों पर प्राप्त गतावधिक टी.एच.आर. के संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को नोटिस जारी किया गया था तथा अवसान तिथि के टी.एच.आर. की राशि की वसूली की कार्यवाही जा रही थी।

2.3.9 गरम पकाया हुआ भोजन

राज्य शासन द्वारा प्रतिदिन हेतु निर्धारित मेन्यू अनुसार आंगनवाड़ी केन्द्र पर तीन वर्ष से छः वर्ष आयु समूह के बच्चों को स्व-सहायता समूहों द्वारा गर्म पकाया हुआ भोजन तैयार और प्रदाय किया जाता है।

2.3.9.1 सेवाओं के वितरण में व्यवधान

स्व-सहायता समूहों और परियोजना अधिकारियों के मध्य अनुबंध अनुसार आंगनवाड़ी केन्द्र पर पकाये हुये भोजन की आपूर्ति में व्यवधान के प्रकरण में परियोजना अधिकारी को निर्धारित दर से शास्ति अधिरोपित करने के अधिकार दिये गये तथा वे समझौते को रद्द और अन्य स्व-सहायता समूहों को सामग्री की आपूर्ति हेतु सौंप सकते थे। पूरक पोषाहार के कार्यान्वयन के अनुश्रवण हेतु आंगनवाड़ी केन्द्र, खण्ड तथा जिला स्तर पर अनुश्रवण कमेटी का गठन किया जाना था।

सात चयनित जिलों⁵⁹ की 14 परियोजनाओं के 983 आंगनवाड़ी केन्द्रों के अभिलेखों की जाँच में परिलक्षित हुआ कि वर्ष 2011–12 से 2015–16 में विभिन्न माहों के दौरान नियमित रूप से इन आंगनवाड़ी केन्द्रों के 37079 हितग्राहियों को 606 स्व-सहायता समूहों द्वारा पूरक पोषाहार की आपूर्ति नहीं की गई, जैसा विवरण परिशिष्ट-2.3.4 में दिया गया है। पूरक पोषाहार में व्यवधान एक दिवस से 120 दिवस तक था।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में आयुक्त ने उत्तर दिया कि आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण समय समय पर विभागीय अधिकारियों द्वारा किये जा रहे थे ताकि पूरक पोषाहार में व्यवधान नहीं हो।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि संबंधित बा.वि.प.अ. ने पका हुआ भोजन के वितरण में व्यवधान को स्वीकार किया था। इस प्रकार से हितग्राही पूरक पोषण कार्यक्रम से वंचित थे और आई.सी.डी.एस. का वांछित उद्देश्य विफल रहा। निम्नलिखित प्रकरण अध्ययन पोषण व्यवधान के प्रकरण प्रस्तुत करते हैं।

सात चयनित जिलों के 14 परियोजनाओं में 983 आंगनवाड़ी केन्द्रों में पाया गया कि पोषाहार स्व-सहायता समूहों द्वारा प्रियतरित नहीं किया गया। एक दिवस से लेकर 120 दिवस तक पूरक पोषाहार व्यवधान रहा।

⁵⁹ भोपाल, छिन्दवाड़ा, धार, खरगोन, पन्ना, राजगढ़ और सिवनी।

प्रकरण अध्ययन 1: आंगनवाड़ी केन्द्रों पर दो वर्षों से पूरक पोषाहार प्रदाय नहीं किया गया।

विदिशा जिले के लटेरी परियोजना के नवेली आंगनवाड़ी केन्द्र के निरीक्षण (मार्च 2016) के दौरान पाया गया कि 127 हितग्राहियों को पिछले दो वर्षों से पकाया हुआ भोजन प्रदाय नहीं किया गया था। धार जिले के सरदारपुर 1 परियोजना के उन्हेली आंगनवाड़ी केन्द्र पर 2013–14 से 2015–16 तक 96 हितग्राहियों को नाश्ता प्रदाय नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जिला स्तरीय अनुश्रवण और समीक्षा समिति और खण्ड स्तरीय अनुश्रवण समिति उनकी परियोजनाओं सहित दोनों जिलों में कार्यशील नहीं थी।

इंगित किये जाने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी सरदारपुर 1 ने उत्तर दिया (अप्रैल 2016) कि आंगनवाड़ी केन्द्र पर पाई गई विसंगतियों को दूर करने हेतु कार्यवाही की जायेगी। निर्गम बैठक में आयुक्त ने उत्तर दिया कि प्रकरण में कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण अध्ययन 2: ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सांझा चूल्हा⁶⁰ द्वारा सतना जिले में पूरक पोषाहार वितरित नहीं किया गया।

सतना जिले की चयनित परियोजना मैहर 01 के ग्रीष्मकालीन अवकाश के माहों (2013, 2014 और 2015 के मई) में स्व-सहायता समूह के पूरक पोषाहार के अभिलेखों/देयकों की लेखापरीक्षा की जाँच में पाया गया कि मई 2013, मई 2014 एवं मई 2015 के दौरान सांझा चूल्हा के अंतर्गत स्व-सहायता समूह द्वारा 623 ग्रामीण आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 269 आंगनवाड़ी केन्द्रों (43 प्रतिशत) में पूरक पोषाहार की आपूर्ति नहीं की गई।

जिला कार्यक्रम अधिकारी ने उत्तर दिया (मई 2016) कि स्व-सहायता समूहों को आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार का वितरण सुनिश्चित करने हेतु सूचना जारी की जा रही थी तथा हितग्राहियों को टी.एच.आर. पैकेट वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में वितरित किये गये।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में आयुक्त ने उत्तर दिया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सांझा चूल्हा के अंतर्गत पूरक पोषाहार के नियमित वितरण हेतु कलेक्टर सतना ने पत्र जारी किया था (जून 2013)। स्व-सहायता समूहों को, जिन्होंने आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार की आपूर्ति नहीं की थी, कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्र पर पकाया हुआ भोजन उपलब्ध कराने हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई थी।

2.3.9.2 स्व-सहायता समूह को खाद्यान्न का कम आवंटन

भारत सरकार से आवंटन प्राप्त होने के पश्चात संचालनालय द्वारा पू.पो.का. के अंतर्गत खाद्यान्न का जिलावार आवंटन दिया गया था। आगे, जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारियों को परियोजनावार खाद्यान्न का पुर्णआवंटन किया गया। परियोजना अधिकारियों द्वारा स्व सहायता समूह के लिए उचित मूल्य की दुकान

⁶⁰ हितग्राहियों को मध्याह्न भोजन तथा पूरक पोषण आहार योजनांतर्गत स्व-सहायता समूहों द्वारा गर्म पका भोजन प्रदाय करने हेतु सांझा चूल्हा एक योजना है।

से खाद्यान्न उठाने का प्रदायगी आदेश जारी किया गया। स्व-सहायता समूहों द्वारा आंगनवाड़ी स्तर पर निर्धारित मेन्यू के अनुसार तीन वर्ष से छः वर्ष आयु समूह के हितग्राही बच्चों को पका हुआ भोजन तैयार कर प्रदान किया गया।

वर्ष 2011–12 और 2015–16 के दौरान स्व-सहायता समूह द्वारा उठाव किये गये खाद्यान्न और पूपो.का. के अंतर्गत औसत हितग्राहियों की संख्या के आधार पर वास्तविक लाभान्वित हितग्राहियों के लिए हितग्राही आवश्यक खाद्यान्न मात्रा
तालिका-2.3.10 में दी गई है:

तालिका-2.3.10: राज्य स्तर पर स्व-सहायता समूह को अपेक्षित एवं वितरित खाद्यान्न को दर्शाने वाला विवरण

(मात्रा मी. टन में)

वर्ष	अपेक्षित खाद्यान्न		स्व-सहायता समूह को आवंटित एवं वितरित खाद्यान्न		स्व-सहायता समूह को वितरित आधिक्य(+) / कमी(-)	
	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
2011–12*	77,840.54	26,719.88	78,269.30	26,124.00	428.76	−595.88
2012–13	96,561.53	33,179.76	80,340.03	30,692.90	−16,221.50	−2,486.86
2013–14	77,225.94	26,489.99	81,697.57	30,025.44	4,471.63	3,535.45
2014–15	75,711.76	25,954.96	71,517.05	26,000.87	−4,194.71	45.91
2015–16	83,359.98	28,585.00	74,443.75	24,485.32	−8,916.23	−4,090.68
योग					−24,432.05	−35,92.06

(स्रोत: एम.पी.एस.सी.एस.सी. द्वारा प्रदाय आंकड़े, *संचालनालय द्वारा प्रदाय किये गये आंकड़े)

वर्ष 2011–16 के दौरान सभी जिलों में स्व-सहायता समूहों को 24432.05 मी.टन गेहूं तथा 3592.06 मी.टन चावल के वितरण में कमी थी।

इस प्रकार वर्ष 2011–16 के दौरान सभी जिलों में स्व-सहायता समूह के वितरण में 24432.05 मीट्रिक टन गेहूं और 3592.06 मीट्रिक टन चावल की कमी थी। खाद्यान्न की कमी के कारण स्व-सहायता समूह द्वारा निर्धारित मेन्यू एवं मात्रा अनुसार हितग्राहियों को पूपो. का वितरण सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में आयुक्त ने उत्तर दिया कि पूपो. हेतु आवश्यक गेहूं एवं चावल के आधार पर प्रदायगी आदेश (आर.ओ.) स्व-सहायता समूहों को जारी किया गया। एम.पी.एस.सी.एस.सी. के गोदाम एवं उचित मूल्य की दुकान से प्रदायगी आदेश अनुसार स्व-सहायता समूहों द्वारा खाद्यान्नों का उठाव किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि स्व-सहायता समूहों के रसोईघर के भौतिक निरीक्षण में पाया गया कि हितग्राहियों हेतु पूरक पोषाहार की मात्रा आवश्यकता से कम तैयार की गई, जैसा कि कंडिका 2.3.9.5 में वर्णित है।

2.3.9.3 रसोइयों का संलग्नीकरण

आंगनवाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने के संबंध में मध्य प्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी (फरवरी 2014) दिशा निर्देशों की कंडिका 5.3 के अनुसार, जहां तक संभव हो प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र हेतु एक रसोइया पृथक से स्व-सहायता समूह द्वारा नियोजित किया जायेगा, जिसे प्रति माह ₹ 500 का भुगतान किया जायेगा। जहां यह संभव नहीं था, मध्यान्ह भोजन योजना (एम.डी.एम.) के रसोइयों को नियोजित किया जा सकेगा। निर्धारित मात्रा और गुणवत्ता के अनुसार नियमित रूप से भोजन उपलब्ध कराना रसोइये का उत्तरदायित्व होगा।

● रसोइयों की कमी

तीन जिलों (छिन्दवाड़ा, धार और राजगढ़) के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि एक से अधिक आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत नाश्ता और मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने हेतु स्व-सहायता समूह द्वारा केवल एक ही रसोइया नियोजित किया गया और कई आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु प्रत्येक माह प्रत्येक आंगनवाड़ी ₹ 500 की दर से पारिश्रमिक का भुगतान किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप रसोइयों के संलग्नीकरण पर ₹ 13.09 लाख का अनियमित भुगतान हुआ, जैसा कि तालिका—2.3.11 में वर्णित है।

तालिका—2.3.11: स्व-सहायता समूह द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु संलग्न रसोइयों का विवरण

क्र. स.	जिले का नाम	परियोजना का नाम	आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	संलग्न स्व-सहायता समूह की संख्या	संलग्न रसोइयों की संख्या	अवधि	रसोइयों को किया गया भुगतान
1	छिन्दवाड़ा	जामई, पांडुना मोहखेड, धंसोर	2 से 10	1	1	जून 2014 से अक्टूबर 2015	₹ 5.83 लाख
2	धार	सरदारपुर 01	25	1	1	सितम्बर 2014 से मई 2015	₹ 1.12 लाख
3	राजगढ़	खिलचीपुर, जीरापुर, सांरगपुर, सुथानिया	2 से 7	1	1	नवम्बर 2014 से अक्टूबर 2015	₹ 6.14 लाख

(स्रोत: जिलों द्वारा प्रदाय किये गये आंकड़े)

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में आयुक्त ने उत्तर दिया कि एक से अधिक आंगनवाड़ी केन्द्र पर एक स्व-सहायता समूह द्वारा पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा था। अतः रसोइये को अनियमित भुगतान नहीं किया गया।

आयुक्त का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र हेतु स्व-सहायता समूह द्वारा पृथक रसोइये को नियोजित करना था।

● स्वसहायता समूह को अनुचित लाभ दिया जाना

योजनांतर्गत रसोइयों का मानदेय उनके बैंक खातों में सीधे जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जमा किया जायेगा। सतना जिले के पूरक पोषाहार के भुगतान प्रमाणकों की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा में पाया कि जून 2014 से मार्च 2016 के दौरान रसोइयों को ₹ 1.67 करोड़ के मानदेय का भुगतान 588 स्व-सहायता समूहों को किया गया।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में आयुक्त ने उत्तर दिया कि स्व-सहायता समूह द्वारा बार-बार रसोइयों को बदले जाने के कारण और इस तथ्य के कारण कि रसोइयों के बैंक खाते नहीं थे, मानदेय राशि स्व-सहायता समूह के बैंक खातों में जमा की गई और स्व-सहायता समूहों द्वारा रसोइयों को भुगतान किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि स्व-सहायता समूह को रसोइयों के मानदेय का भुगतान योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था। आगे, स्व-सहायता समूहों द्वारा रसोइयों को मानदेय भुगतान संबंधी साक्ष्य जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये किये गये। तथ्य यह है कि रसोइयों के लाभों को उनके बैंक खातों में सीधे हस्तान्तरण न करने से हेराफेरी और दुर्विनियोजन के आरोपों से इंकार नहीं किया जा सकता।

जून 2014 से मार्च 2016 के दौरान रसोइयों का मानदेय सीधे उनके बैंक खाते में जमा करने के बजाय राशि ₹ 1.67 करोड़ भुगतान 588 स्व-सहायता समूहों को किया गया।

2.3.9.4 आंगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा पूरक पोषाहार प्रदाय में कमियां

आंगनवाड़ी केन्द्रों
पर पूरक पोषण
आहार प्रदाय में
कमी।

मध्य प्रदेश शासन ने पूरक पोषाहार योजनांतर्गत नाश्ते एवं मध्यान्ह भोजन प्रदाय हेतु मेन्यू निर्धारित (अक्टूबर 2009 तथा फरवरी 2014) किया। लोगों की जागरूकता के लिए नाश्ता एवं मध्यान्ह भोजन का यह मेन्यू आंगनवाड़ी केन्द्रों के सूचना पट पर प्रदर्शित किया जाना था। आंगनवाड़ी केन्द्रों को पूरक पोषाहार तैयार एवं वितरण करने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त आहार दिये जाने हेतु बच्चों के वजन अभिलेखित करने के लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों पर वजन तौलने की मशीन की भी आवश्यकता थी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश (जुलाई 2015) के अनुसार पूरक पोषाहार वितरण हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आंगनवाड़ी सहायिका, एक अभिभावक, आशा कार्यकर्ता, स्व-सहायता समूह के प्रतिनिधि, पोषण मित्र, पोषण सहयोगिनी और पंच/सरपंच द्वारा हस्ताक्षरित पूरक पोषाहार की मात्रा, का वितरण दिनांक सहित पंचनामा तैयार किया जाना था।

420 चयनित आंगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा प्रदाय जानकारी की जाँच में लेखापरीक्षा में पाया गया कि 314 आंगनवाड़ी केन्द्रों में पंचनामा, 15 आंगनवाड़ी केन्द्रों में सर्व पंजी, 47 आंगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण आहार भण्डार पंजी, 19 आंगनवाड़ी केन्द्रों में मासिक एवं वार्षिक गोसवारा, 63 आंगनवाड़ी केन्द्रों में ग्रोथ चार्ट, 38 में निरीक्षण पंजी और 302 आंगनवाड़ी केन्द्रों में भोजन पत्रक तैयार नहीं किए गए।

420 आंगनवाड़ी केन्द्रों नमूना जाँच में से 210 आंगनवाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियां पायी गयी :

- निरीक्षण दिवस को 85 आंगनवाड़ी केन्द्रों में भरी हुई उपस्थिति पंजी नहीं पाई गई। अतः निरीक्षण दिवस को आंगनवाड़ी केन्द्र पर उपस्थित होने वाले हितग्राहियों तथा कुल दर्ज संख्या को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
- निरीक्षण दिनांक को 155 आंगनवाड़ी केन्द्रों में मेन्यू के अनुसार पूरक पोषाहार प्रदाय नहीं किया गया था। निरीक्षण दिनांक को 11 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार प्रदाय नहीं किया गया।
- 41 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पके हुए भोजन के वितरण हेतु बर्तन नहीं पाये गये।
- 10 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर वजन तौलने की मशीन नहीं पाई गई। अतः नवजात/बच्चों के शारीरिक विकास/कुपोषण को मापा तथा अभिलेखित नहीं किया जा सका।
- 95 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर मेन्यू के सूचना पट्ट उपलब्ध नहीं थे।
- निरीक्षण के दौरान दो आंगनवाड़ी केन्द्र (मियांपुर, नालछा परियोजना, जिला धार तथा उनिदा, बैरसिया 01 परियोजना, जिला भोपाल) बंद पाये गये।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में आयुक्त ने उत्तर दिया कि संबंधित अधिकारियों को सेवाओं को निर्धारित पंजी में संधारण सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किये गये थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि परियोजना अधिकारियों को समय-समय पर विभागीय निर्देश के बावजूद पूर्व उल्लेखित कमियां पायी गयी। इस प्रकार से राज्य शासन हितग्राहियों को पोषण आहार प्रदाय हेतु स्वयं के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहा।

प्रकरण अध्ययन 3: आंगनवाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण दिवस पर वास्तविक हितग्राहियों में अत्यधिक कमी

210 आंगनवाड़ी केन्द्रों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान हितग्राहियों की उपस्थिति में 60 प्रतिशत की कमी पायी गयी।

सभी निरीक्षित आंगनवाड़ी केन्द्रों पर बच्चों की उपस्थिति दर्ज संख्या से कम पाई गई। 210 आंगनवाड़ी केन्द्रों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा में निरीक्षण के दिन तीन वर्ष से छ: वर्ष आयु समूह के दर्ज 8940 बच्चों में से 3536 हितग्राही (40 प्रतिशत) उपस्थित पाये गये। जैसा कि आंगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा सूचित किया गया, कम उपस्थिति का मुख्य कारण अभिभावकों का पलायन, स्कूलों में बच्चों का दाखिला, पूरक पोषाहार की खराब और कम मात्रा, आंगनवाड़ी केन्द्रों में अपर्याप्त बैठने का स्थान, आंगनवाड़ी केन्द्रों का दूर संचालित होना और गर्म मौसम था।

निरीक्षित आंगनवाड़ी केन्द्रों में हितग्राहियों की कमी विभाग, जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा परियोजना कार्यालयों से उपलब्ध कमी के आंकड़ों की तुलना में काफी ज्यादा थी, जो 2011–16 के दौरान तीन से छ: वर्ष आयु समूह के हितग्राहियों में राज्य स्तर पर 27.35 प्रतिशत, जिला स्तर पर 26.46 प्रतिशत और परियोजना स्तर पर 24.16 प्रतिशत था।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में आयुक्त ने उत्तर दिया कि राज्य की जनसंख्या के आधार पर कमियां नगण्य थीं फिर भी कमी को दूर करने हेतु प्रयास किये जायेंगे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस प्रकार पूरक पोषण कार्यक्रम के वास्तविक हितग्राहियों की संख्या के संकलित आंकड़े जाँच किये गये प्रकरणों में अधिक थे जो गलत प्रस्तुतीकरण की संभावना प्रदर्शित करते हैं और अनुपस्थित बच्चे भी पूरक पोषाहार प्राप्त प्रदर्शित किये जा रहे थे।

2.3.9.5 स्व-सहायता समूहों का संयुक्त निरीक्षण

मध्य प्रदेश शासन के दिशानिर्देश (फरवरी 2014) के अनुसार प्रत्येक स्व-सहायता समूह को मासिक भोजन पत्रक दिया जायेगा जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा प्रत्येक भोजन प्राप्त करने के समय, भोजन की मात्रा और गुणवत्ता का उल्लेख करते हुये दिनांक के साथ अपने हस्ताक्षर करेगी। मध्य प्रदेश शासन के दिशानिर्देश (अक्टूबर 2009) की कंडिका 8 के अनुसार बी.पी.एल. गेहूं/चावल/कच्ची सामग्री की स्कंध पंजी, रोकड़ बही/देयक प्रमाणक स्व-सहायता समूह द्वारा संधारित किया जाना था। पूरक पोषाहार रसोईघर में तैयार किया जाना था।

57 स्व-सहायता समूहों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित कमियां पाई गईः

- आठ स्व-सहायता समूहों द्वारा खुले स्थान में भोजन तैयार किया गया क्योंकि आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पृथक रसोईघर उपलब्ध नहीं थे।
- जलाऊ लकड़ी सुलभ उपलब्ध होने के कारण 50 स्व-सहायता समूहों द्वारा भोजन तैयार करने हेतु एल.पी.जी. के बजाय लकड़ी का प्रयोग किया जा रहा था।
- किसी भी स्व-सहायता समूह द्वारा निर्धारित मेन्यू के अनुसार पूरक पोषाहार भोजन तैयार नहीं किया जा रहा था।
- 54 स्व-सहायता समूह द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों को वितरित भोजन की प्रविष्टि हेतु भोजन पत्रक प्रस्तुत नहीं किये। आगे, लेखापरीक्षा की जाँच में पाया गया

कि स्व-सहायता समूहों के देयक भरे हुये भोजन पत्रक लगाये बिना ही स्वीकार तथा भुगतान किये गये।

- खाद्यान्न की स्कंध पंजी, रोकड़ बही, देयक व्हाउचर क्रमशः 52, 45 और 49 स्व-सहायता समूहों द्वारा संधारित नहीं किये गये।

परियोजना अधिकारी ने बताया कि स्व-सहायता समूह का रख-रखाव ग्रामीण महिलाओं द्वारा संचालित एक छोटी इकाई थी अतः उपरोक्त कमियां पाई गईं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि संयुक्त निरीक्षण के दौरान पायी गयी कमियां योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन थी अतएव, ध्यान किये जाने की आवश्यकता है।

	
जिला पन्ना के शाहनगर सेक्टर 1 में सरस्वती स्व-सहायता समूह, नूनागर द्वारा अस्वास्थ्यकर क्षेत्र टायलेट कक्ष के सामने भोजन तैयार किया जाना	जिला धार में बदनावर 1 परियोजना में गणेश स्व-सहायता समूह द्वारा अस्थायी खुले शेड में पूरक पोषाहार तैयार किया गया
	
जिला धार में बदनावर 1 परियोजना में गणेश स्व-सहायता समूह द्वारा लगभग 300 हितग्राहियों के लिए कम पूरक पोषाहार तैयार किया गया	जिला खंडवा, परियोजना खंडवा ग्रामीण में जय मां वैष्णव देवी स्व-सहायता समूह जसवाड़ी का अस्थायी खुला किचन शेड

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में आयुक्त ने उत्तर दिया कि जिला अधिकारियों और स्व-सहायता समूहों को इस संबंध में निर्देश जारी किये गये थे। हालांकि कमी को दूर करने हेतु प्रयास किये जायेंगे।

2.3.9.6 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अंतर्गत स्व-सहायता समूह का पंजीकरण

जैसा कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 31(2) के अंतर्गत परिकल्पित और मध्य प्रदेश खाद्य और औषधि प्रशासन के आदेश (जनवरी 2014) के परिपत्र के अनुसार खाद्य प्रदाय करने वाली संस्था को खाद्य विभाग से पंजीकरण प्राप्त करना था। इस संबंध में आयुक्त आई.सी.डी.एस. ने भी मध्य प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों को दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु निर्देश जारी किये हैं।

39 नमूना जाँच की गई परियोजनाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों की जाँच में पाया गया कि 4633 स्व-सहायता समूहों में से 2319 (51 प्रतिशत) स्व-सहायता समूह

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से पंजीकृत नहीं थे। इस प्रकार से परियोजना कार्यालय यह सुनिश्चित करने में विफल रहे कि आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार प्रदाय हेतु शामिल स्व-सहायता समूहों का खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंजीकरण आवश्यक था।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में आयुक्त ने उत्तर दिया कि स्व-सहायता समूहों के पंजीकरण हेतु सभी जिलों द्वारा कार्यवाही पूर्ण की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी, रीवा (नवम्बर 2016) के उत्तर की जाँच में परिलक्षित हुआ कि 3343 स्व-सहायता समूहों में से केवल 10 स्व-सहायता समूह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंजीकृत थे।

2.3.9.7 गुणवत्ता आश्वासन

आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी (दिसम्बर 2013) खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता हेतु खाद्य रखरखाव और गर्म पकाये हुये भोजन हेतु सुरक्षा मानकों के लिये परिचालन दिशानिर्देशों के अध्याय 2 की कंडिका 11 के अनुसार नियमित अंतराल पर भोजन का नमूना प्रयोगशाला में जाँच के लिये भेजा जाना चाहिए। खाना पकाने/पेयजल के लिए उपयोगित पानी की नियमित जाँच पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा निर्धारित पेयजल गुणवत्ता मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु की जानी चाहिए।

खाना पकाने/पेयजल हेतु उपयोगित पानी की नियमित रूप से पेयजल गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने हेतु जाँच नहीं की गई तथा भोजन की नियमित जाँच नहीं की गयी।

42 नमूना जाँच किये गये परियोजनाओं के अभिलेखों और 210 आंगनवाड़ी केन्द्रों की भौतिक जाँच में परिलक्षित हुआ कि खाना पकाने/पेयजल हेतु उपयोगित पानी की नियमित रूप से पेयजल गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने हेतु जाँच नहीं की गयी थी। नमूना जाँच किये गये 210 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 201 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर भोजन की नियमित जाँच किया जाना नहीं पाया गया एवं 140 आंगनवाड़ी केन्द्रों में नाश्ते एवं माध्यन्ह भोजन के नमूने संधारित नहीं किये गये थे।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में आयुक्त ने उत्तर दिया कि भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्धारित मापदंडों के अनुसार पकाये हुये भोजन की गुणवत्ता की प्रयोगशाला से जाँच आवश्यक नहीं थी। सांझा चूल्हा के अंतर्गत पकाये हुये भोजन की मात्रा और गुणवत्ता की जाँच हेतु स्थानीय स्तर पर गठित ग्राम सभा तदर्थ समिति के सदस्यों द्वारा जाँच का प्रावधान था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आई.सी.डी.एस. के दिशा निर्देश मूलतः पकाये हुये भोजन का नमूना गुणवत्ता की जाँच हेतु प्रयोगशाला में नियमित अंतराल में कराना था। सांझा चूल्हा प्रावधान के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर गठित ग्राम सभा तदर्थ समिति के सदस्यों द्वारा पकाये हुये भोजन की मात्रा और गुणवत्ता की जाँच अनुपालन भी नहीं किया गया।

2.3.10 परियोजना संचालन हेतु बुनियादी ढांचे

2.3.10.1 राज्य स्तर पर अपर्याप्त मानव शक्ति

योजना को प्रभावपूर्ण संचालित करने के लिए पर्याप्त मानव शक्ति आवश्यक थी।

राज्य स्तर पर स्वीकृत एवं कार्यरत व्यक्तियों की स्थिति **तालिका-2.3.12** में दी गयी है।

तालिका—2.3.12: मार्च 2016 की स्थिति में राज्य स्तर पर स्वीकृत एवं कार्यरत व्यक्तियों की स्थिति

संक्र.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	जिला कार्यक्रम अधिकारी	51	39	12
2	बाल विकास परियोजना अधिकारी	453	334	119
3	पर्यवेक्षक	3213	3125	88
4	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	92230	91279	951
5	आंगनवाड़ी सहायिका	80160	79021	1139

(स्रोत: संचालनालय द्वारा प्रदाय आंकड़े)

इस प्रकार पर्यवेक्षी कर्मचारियों के साथ-साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आंगनवाड़ी सहायिका संवर्ग में भी काफी कमी थी, जिसने पूरक पोषण आहार योजना के उचित कार्यान्वयन को प्रभावित किया।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में आयुक्त ने उत्तर दिया कि जि.का.अ./बा.वि.प.अ. तथा पर्यवेक्षक के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रस्ताव क्रमशः लोक सेवा आयोग एवं व्यापम को भेजा गया। राज्य शासन द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं की पदपूर्ति छः माह से पहले करने हेतु प्रावधान किया गया था।

2.3.10.2 अपर्याप्त परियोजना कार्यालयों की स्थापना

भारत सरकार के दिशानिर्देश (दिसम्बर 2008) के अनुसार, दो लाख से अधिक जनसंख्या के विकासखण्ड के लिए राज्य एक से अधिक परियोजना का विकल्प चुन सकता है (एक लाख जनसंख्या पर एक की दर से) या केवल एक परियोजना का विकल्प चुन सकता है। बाद वाले प्रकरण में, जनसंख्या या विकासखण्ड में आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या के आधार पर अमले को यथोचित मजबूत करना था। उसी तरह से, एक लाख से कम जनसंख्या वाले विकासखण्ड या उसके जैसे बा.वि.प.अ. का स्टॉफ पैटर्न सामान्य विकासखण्ड से कम होगा।

संचालनालय ने सूचित किया कि मार्च 2016 की स्थिति में राज्य स्तर पर 701 परियोजनाओं की आवश्यकता के स्थान पर 453 परियोजनाएं संचालित थीं। यद्यपि, पांच चयनित परियोजनाओं⁶¹ की जनसंख्या दो लाख से अधिक थी, इसलिए प्रत्येक ब्लॉक में एक अतिरिक्त परियोजना की स्थापना किया जाना था।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में आयुक्त ने उत्तर दिया कि नये परियोजनाओं की स्वीकृति का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका था।

2.3.10.3 जनसंख्या के आधार पर आंगनवाड़ी केन्द्रों की कमी

आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित संशोधित जनसंख्या मापदंड (दिसम्बर 2008) के अनुसार, 400–800 ग्रामीण/शहरी जनसंख्या के लिए एक आंगनवाड़ी केन्द्र खोला जाना था, उसके बाद प्रति 800 की गुणांक की जनसंख्या के लिए एक आंगनवाड़ी केन्द्र खोला जाना था।

जनसंख्या मापदण्डों के अनुसार मार्च 2016 की स्थिति में आंगनवाड़ी एवं मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों की आवश्यकताओं का विवरण तालिका—2.3.13 में दिया गया है:

⁶¹ आलोट (रत्लाम) 2.36 लाख, गुन्नौर (पन्ना) 2.34 लाख, मैहर 01 (सतना) 2.07 लाख, नालछा (धार) 2.56 लाख तथा पंधाना (खंडवा) 2.60 लाख।

तालिका—2.3.13: राज्य स्तर पर आंगनवाड़ी एवं मिनी—आंगनवाड़ी केन्द्रों की आवश्यकता एवं कमी का विवरण।

स.क्र.	क्षेत्र	आंगनवाड़ी केन्द्र			मिनी—आंगनवाड़ी केन्द्र		
		आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी
1	शहरी	13067	8278	4789	422	205	217
2	ग्रामीण	56056	49098	6958	10580	7950	2630
3	आदिवासी	29641	22784	6857	4468	3915	553
		98764	80160	18604	15470	12070	3400

(स्रोत: संचालनालय द्वारा प्रदाय आंकड़े)

आंगनवाड़ी / मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों में कमी थी।

इस प्रकार से, मार्च 2016 की स्थिति में राज्य स्तर पर 18604 आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा 3400 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों की कमी थी। आंगनवाड़ी केन्द्रों में कमी बढ़ती हुई प्रवृत्ति की थी, जो 13226 (मार्च 2012), 13764 (मार्च 2013), 16130 (मार्च 2014), तथा 17957 (मार्च 2015) थी। आंगनवाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों की कमी के कारण, पोषाहार के लाभ को लक्षित हितग्राहियों को पर्याप्त रूप से प्रदाय नहीं किया जा सका।

लेखापरीखा में पाया गया कि राज्य शासन द्वारा 2010–11 में 1332 तथा 2012–13 में 8589 आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये। उन प्रस्तावों में से 4,305 आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति (नवम्बर 2014) प्राप्त हुई। लेकिन मंत्रीपरिषद से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण 4,305 आंगनवाड़ी केन्द्र खोले नहीं गये थे।

संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े (जनवरी 2017), के अनुसार राज्य में कुल 61,755 ग्रामों/वार्डों में से 53.84 लाख की जनसंख्या वाले 11156 ग्राम/वार्ड आंगनवाड़ी केन्द्र विहीन थे। आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत हितग्राहियों को अधिकांश क्षेत्रों में एक किलोमीटर तक जाना पड़ता था लेकिन विरल जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केन्द्रों की यह दूरी 1.5 से 3 किलोमीटर तक थी। 2011–12 से 2013–14 के दौरान राज्य में ग्राम/वार्डों की स्थिति विभाग के पास उपलब्ध नहीं थी। इसलिए, आंगनवाड़ी केन्द्रों के पहुँच में सुधार लेखापरीखा में सुनिश्चित नहीं किया जा सके।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में आयुक्त ने उत्तर दिया कि 4,305 आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा 600 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति प्रदान की गयी थी तथा राज्य शासन द्वारा उक्त स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी थी। आयुक्त ने आगे कहा (जनवरी 2017) कि दूरी के आधार पर आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने के मापदंड नहीं थे।

2.3.10.4 आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण में धीमी प्रगति


लेखापरीखा जाँच में पाया गया कि राज्य में 22693 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवन में संचालित थे, जैसा कि तालिका—2.3.14 में वर्णित है।

तालिका—2.3.14: आंगनवाड़ी संचालित भवन की स्थिति

स.क्र.	स्तर	विभागीय भवन	किराये के भवन	अन्य शासकीय भवन
1	राज्य	56146	22693	1321
2	चयनित जिले	11467	9673	9221
3	चयनित परियोजनाएं	3519	3062	2587

(स्रोत: संचालनालय, जिला तथा परियोजना द्वारा प्रदाय आंकड़े)

संचालनालय द्वारा प्रदाय जानकारी के अनुसार, राज्य स्तर पर वर्ष 2011–12 के पूर्व में 11187 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये थे, इन में से मार्च 2016 के स्थिति में 720 आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण अपूर्ण था, जबकि 489 आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण अभी प्रारंभ किया जाना था। योजनावार तथा वर्षवार विवरण **परिशिष्ट-2.3.5** में दिया गया है। हालांकि, 7286 आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए ₹ 450.79 करोड़ का निर्माण कार्य निष्पादित नहीं किया गया। निधि जमा होने तथा निधि निर्माण एजेंसी के पास पड़ी होने के बावजूद एक से पांच वर्ष व्यतीत होने के बाद भी निर्माण पूर्ण नहीं हुये थे। राज्य स्तर पर 2011–16 के दौरान स्वीकृत आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की स्थिति **चार्ट-2.3.3** में दी गयी है।



(स्रोत: संचालनालय द्वारा प्रदाय आंकड़े)

आगे, दो जिलों⁶² में 2011–12 से पहले 1608 आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण हेतु स्वीकृत हुये, जिसमें से 59 आंगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण अपूर्ण था। सात जिलों⁶³ में 1578 आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए ₹ 56.73 करोड़ राशि स्वीकृत की गयी थी, जिसमें से 198 आंगनवाड़ी अपूर्ण तथा 29 आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण अप्रारंभ था। राशि ₹ 15.08 करोड़ अव्ययित पड़ा था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2011–16 के दौरान स्वीकृत 1291 आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण कार्य अपूर्ण थे तथा 101 आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण शुरू किये जाने थे। ₹ 116.91 करोड़ की राशि एजेंसी के पास अव्ययित थी। निधि जमा होने के बावजूद एक से पांच वर्ष पूर्ण होने के बाद भी निर्माण पूर्ण नहीं हुये थे। विवरण **परिशिष्ट-2.3.6** में दिया गया है।

⁶² बालाघाट (स्वीकृत 963, अपूर्ण 16) तथा छिंदवाड़ा (स्वीकृत 645, अपूर्ण 43)।

⁶³ भोपाल, धार, इन्दौर, खंडवा, खरगोन, रतलाम तथा राजगढ़।

निम्न छायाचित्र चयनित आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवनों की स्थिति दर्शाते हैं।

	
ग्यारसपुर परियोजना, जिला विदिशा में मनौरा-3 आंगनवाड़ी केन्द्र का कच्चा भवन	मैहर 1 परियोजना जिला सतना के आंगनवाड़ी केन्द्र वार्ड 7/2 की क्षतिग्रस्त छत
	
मैहर 1 परियोजना जिला सतना के आंगनवाड़ी केन्द्र वार्ड 6/2 के आसपास गंदगी	आंगनवाड़ी केन्द्र मोरधा, कट्ठीवाड़ा परियोजना जिला अलीराजपुर में पका भोजन का खुले स्थान में वितरण

2011–16 के दौरान
स्वीकृत 8620
आंगनवाड़ी भवनों के
निर्माण में 5102
अपूर्ण तथा 975
अप्रारंभ थे।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में आयुक्त ने उत्तर दिया कि आंगनवाड़ी केन्द्रों में सुविधाओं की कमी दूर करने का प्रयास किये जायेंगे। आगे उत्तर दिया कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण जिले स्तर पर चयनित विभिन्न निर्माण एजेंसियों द्वारा किया गया था। विवादित भूमि, स्थल चयन तथा निर्माण एजेंसी द्वारा देर से कार्य करने के कारण निर्माण कार्य धीमे थे। राज्य स्तर पर वर्ष 2011–12 के पूर्व 11187 आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन स्वीकृत किये गये थे, जिसमें से 10111 आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण पूर्ण थे, 913 आंगनवाड़ी केन्द्र अपूर्ण थे तथा 163 आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण शुरू किया जाना था। जिला स्तर पर, 2011–12 के पूर्व 1608 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये जिसमें से जिला छिंदवाड़ा तथा बालाघाट में 39 आंगनवाड़ी केन्द्र अपूर्ण थे। वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान 8477 आंगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण स्वीकृत किया गया, जिसमें से 4509 आंगनवाड़ी केन्द्र अपूर्ण थे तथा 471 आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण शुरू किया जाना था।

2.3.10.5 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर आधारिक संरचनात्मक सुविधाओं की कमी

भारत सरकार के निर्धारित मापदण्ड (मार्च 2011) के अनुसार, आंगनवाड़ी केन्द्र में मूलभूत सुविधायें यथा; बैठने के लिए कमरा, किचन के लिए पृथक कमरा, खाद्यान्न रखने के लिए भंडार, कक्ष, बच्चों के अनुकूल शौचालय, बच्चों को बाहर तथा भीतर खेलने के लिए पृथक रूप से स्थान तथा सुरक्षित पेयजल सुविधायें प्रदान किया जाना था। यह भी निर्धारित किया गया कि एक आंगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण 600 वर्गफीट के घिरे क्षेत्र से कम में न किया जाए।

नमूना जाँच किये गये 42 बा.वि.प.अ. के द्वारा 9192 आंगनवाड़ी केन्द्रों से संबंधित प्रदाय जानकारी से परिलक्षित हुआ कि आंगनवाड़ी केन्द्र बहुत छोटे स्थान में स्थित थे, जहां 693 आंगनवाड़ी केन्द्रों में पेयजल की सुविधा नहीं थी, 2734 आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों के लिए शौचालय नहीं थे, 1457 आंगनवाड़ी केन्द्रों में भीतर खेलने की जगह नहीं थी,

770 आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों एवं महिलाओं को बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी तथा 4447 आंगनवाड़ी केन्द्रों में पृथक रसोईघर नहीं थे।



आगे, 14 चयनित जिलों की 42 परियोजनाओं के 210 आंगनवाड़ी केन्द्रों के संयुक्त भौतिक सत्यापन (मार्च 2016 से जुलाई 2016) में पाया गया कि:

- 75 आंगनवाड़ी केन्द्रों में खेलने हेतु पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं थी।
- 141 आंगनवाड़ी केन्द्रों में रसोईघर नहीं पाये गये।
- 66 आंगनवाड़ी केन्द्रों में खाद्य पदार्थ रखने के लिए भंडार कक्ष नहीं पाये गये।
- 88 आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय नहीं पाये गये।
- 70 आंगनवाड़ी केन्द्रों में सुरक्षित पेयजल सुविधा नहीं पाई गई।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में आयुक्त ने उत्तर दिया कि आंगनवाड़ी केन्द्रों में मूलभूल सुविधायें प्रदाय करने के लिए विभिन्न विभागों से समन्वय बनाया जा रहा था।

2.3.11 बच्चों के वृद्धि निगरानी एवं पोषण स्थिति

मृत्यु दर और कुपोषण की घटनाओं को कम करने के उद्देश्य के साथ ही पांच वर्ष से कम के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति सुधार करने के लिए राज्य शासन द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन (ए.बी.एम.) योजना चलाई गई। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-3) (2005–06) और (एनएफएचएस-4) (2015–16) के द्वारा ए.बी.एम. की उपलब्धि को तालिका-2.3.15 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.3.15: ए.बी.एम. का लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण

संकेतक	वर्ष 2015 तक ए.बी.एम. द्वारा निर्धारित लक्ष्य	एनएफएचएस-3 प्रतिवेदन (2005–06) के अनुसार उपलब्धि	एनएफएचएस-4 प्रतिवेदन (2015–16) के अनुसार उपलब्धि
1	5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर	94.2 से 60 मृत्यु प्रति 1000 जीवित जन्म	93 मृत्यु प्रति 1000 जीवित जन्म
2	कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत	60 प्रतिशत से 40 प्रतिशत	60 प्रतिशत
3	गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे	12.6 प्रतिशत से 5 प्रतिशत	12.6 प्रतिशत

(स्रोत: ए.बी.एम. दिशानिर्देश तथा एनएफएचएस-4 प्रतिवेदन)

अतः कम वजन वाले बच्चों को थर्ड मील के वितरण के बावजूद राज्य अति कुपोषित बच्चों को 12.6 प्रतिशत से 5 प्रतिशत घटाने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

कम वजन वाले बच्चों को थर्ड मील के वितरण के बावजूद राज्य द्वारा अति कुपोषित बच्चों को 12.6 प्रतिशत से 5 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

प्रकार से राज्य कम वजन वाले बच्चे के प्रतिशतता तथा 5 वर्ष से कम आयु (वर्ग) में मृत्यु दर में कमी लाने के निर्धारित लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर सका। पोषाहार प्रदाय में कमी तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों के टालने वाले दृष्टिकोण जैसे कि बच्चों की वृद्धि की निगरानी न करना, के कारण उपलब्धि में कमी हो सकती है। जैसा कि कंडिका 2.3.9.4 में वर्णित है।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में आयुक्त ने उत्तर दिया कि कुपोषण की स्थिति ए.बी.एम. के माध्यम से सुधार हो रहा था और निरंतर प्रयास भी किया जा रहा था।

2.3.12 आंतरिक नियंत्रण तंत्र

2.3.12.1 एकीकृत बाल विकास योजना मिशन

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आई.सी.डी.एस. मिशन बाल विकास और पोषण प्रणाली, बच्चों के विकास और पोषण से संबंधित मामलों पर विचार करने की देखरेख के लिए जिम्मेदार होगा। राज्य आई.सी.डी.एस. मिशन की प्रत्येक छ: माह में कम से कम एक बार बैठक होगी। प्रत्येक जिले में एक जिला आई.सी.डी.एस. मिशन संबंधित जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता में होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आई.सी.डी.एस. मिशन राज्य स्तर के साथ जिला स्तर पर भी गठित नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में आयुक्त ने उत्तर दिया कि राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, आई.सी.डी.एस. मिशन अंतर्गत समिति के गठन के स्थान पर अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के अंतर्गत पूर्व से गठित समिति को पुर्नगठन किया जाये। आगे की कार्यवाही प्रचलन में थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के समुचित क्रियान्वयन के लिए आई.सी.डी.एस. मिशन का गठन किया जाना था।

2.3.12.2 सामाजिक अंकेक्षण

महिला एवं बाल विकास, मध्य प्रदेश शासन के दिशानिर्देश (अक्टूबर 2009) में दिये गये प्रावधान के अनुसार, पूरक पोषाहार प्रदाय करने के लिए स्व-सहायता समूह के कार्य का सामाजिक अंकेक्षण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मध्यान्ह भोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाये।

लेखापरीक्षा में पाया कि 14 चयनित जिलों के 42 परियोजनाओं में वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान पूरक पोषाहार कार्यक्रम के लिए स्व-सहायता समूह का कोई समाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में आयुक्त ने उत्तर दिया कि सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जानी थी। स्व-सहायता समूहों द्वारा पूरक पोषाहार के वितरण के दौरान पंचनामा तैयार करने का प्रावधान किया गया था।

आयुक्त के उत्तर से निष्कर्ष निकला कि सामाजिक अंकेक्षण के अभाव में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकी। 420 आंगनवाड़ी केन्द्रों के नमूना जाँच में से 314 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पंचनामा तैयार नहीं किया गया।

आई.सी.डी.एस.
मिशन का गठन
नहीं किया गया।

वर्ष 2011–16 के
दौरान समाजिक
अंकेक्षण नहीं किया
गया।

2.3.12.3 निगरानी और पर्यवेक्षण

आई.सी.डी.एस. में सेवाओं के प्रतिपादन में प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के परिपत्र (अक्टूबर 2010) के अनुसार निगरानी और पर्यवेक्षण अनुसूची तालिका—2.3.16 में प्रस्तुत की गई है:

तालिका—2.3.16: प्रस्तुत एवं पर्यवेक्षण की अनुसूची का विवरण

स.क्र.	अधिकारियों की श्रेणी	अनुसूची प्रस्तावित आवश्यकता
1	जिला कार्यक्रम अधिकारी	प्रत्येक तिमाही सभी ब्लॉक शामिल किये जाने थे। पूरे वर्ष में समान रूप से 10 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्रों की कवरेज सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक के दौरे में कम—से—कम तीन आंगनवाड़ी केन्द्रों का दौरा किया जाना था।
2	बाल विकास परियोजना अधिकारी	प्रत्येक माह रोटेशन के आधार पर कम से कम 20 आंगनवाड़ी केन्द्र तथा वर्ष में 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करना
3	पर्यवेक्षक	प्रत्येक माह में पर्यवेक्षक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत न्यूनतम 50 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्र

चयनित जिलों एवं 40 परियोजनाओं में, कार्यों की निगरानी के लिए जि.का.आ. द्वारा परियोजनाओं एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों के तथा बा.वि.प.अ. एवं पर्यवेक्षकों द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में आंगनवाड़ी केन्द्रों के भ्रमण का विवरण तालिका—2.3.17 में दिया गया है। हालांकि (विदिशा जिले के दो परियोजना कार्यालयों लटेरी एवं ग्यारसपुर) ने अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत नहीं की।

तालिका—2.3.17: जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी/पर्यवेक्षकों के भ्रमण का विवरण

स.क्र.	आई.सी.डी.एस. अधिकारी	परियोजनाओं के भ्रमण की संख्या			आंगनवाड़ी केन्द्रों के भ्रमण की संख्या		
		लक्ष्य ⁶⁴	उपलब्ध*	कमी	लक्ष्य	उपलब्ध*	कमी
1	जिला कार्यक्रम अधिकारी	2724	736	1988 (72.98 प्रतिशत)	13342	5504	7838 (58.75 प्रतिशत)
2	बाल विकास परियोजना अधिकारी	43437	19351	24086 (55.45 प्रतिशत)
3	पर्यवेक्षक	256476	130818	125658 (48.99 प्रतिशत)

(स्रोत: *जिलों/परियोजनाओं द्वारा प्रदाय आंकड़े)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिला कार्यक्रम अधिकारियों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों द्वारा अपने लक्ष्य के अनुसार पूरक पोषण कार्यक्रम का पर्यवेक्षण नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में आयुक्त ने उत्तर दिया कि विभाग के संभाग, जिला, परियोजना एवं सेक्टर के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरंतर निरीक्षण किया जाता था, इस हेतु विभाग की निगरानी ऑनलाईन मैनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम के माध्यम से की जाती थी। आगे कहा कि कार्य की अधिकता के कारण निरीक्षण में कमी हुई थी। समस्त सक्षम अधिकारियों द्वारा रोस्टर के अनुसार आंगनवाड़ी

⁶⁴ लक्ष्य (जिला कार्यक्रम अधिकारी —प्रत्येक तिमाही में सभी विकासखण्ड शामिल किये जाने थे प्रत्येक ब्लॉक के दौरे में कम—से—कम तीन आंगनवाड़ी केन्द्र वर्ष में 10 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्र कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, बाल विकास परियोजना अधिकारी — वर्ष में शत प्रतिशत, पर्यवेक्षक — प्रत्येक माह में पर्यवेक्षक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत न्यूनतम 50 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्र)।

केन्द्रों/परियोजनाओं का निरीक्षण किया गया तथा कमियों के लिए मौखिक निर्देश स्थल पर जारी किये गये थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जिला कार्यक्रम अधिकारियों/बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार पर्यवेक्षण में 49 प्रतिशत से लेकर 73 प्रतिशत तक की कमी दर्शाता है।

2.3.12.4 विभिन्न स्तरों पर निगरानी एवं समीक्षा समिति

भारत सरकार के परिपत्र (मार्च 2011) के अनुसार, सेवाओं के वितरण में गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के साथ आई.सी.डी.एस. के सार्वभौमीकरण के संदर्भ में विभिन्न स्तरों पर निगरानी एवं समीक्षा समितियों (तालिका—2.3.18 के अनुसार) का गठन किया जाना था। समिति राज्य में समग्र प्रगति तथा आई.सी.डी.एस. का सार्वभौमीकरण, अन्य विभागों के साथ अभिसरण, आंगनवाड़ी केन्द्रों के बुनियादी ढांचे में सुधार, सूचना, शिक्षा एवं प्रसार (आई.ई.सी.) की निगरानी करेगा।

तालिका—2.3.18: निगरानी एवं समीक्षा समिति के विवरण

संक्र.	स्तर	समिति का नाम	अध्यक्ष	बैठक आयोजित किया जाना
1	राज्य	राज्य स्तरीय निगरानी एवं समीक्षा समिति (एस.एल.एम.आर.सी.)	मुख्य सचिव	छ: माह में एक बार
2	जिला	जिला स्तरीय निगरानी एवं समीक्षा समिति (डी.एल.एम.आर.सी.)	जिला दंडाधिकारी /कलेक्टर	तीन माह में एक बार
3	विकासखण्ड	खण्ड स्तरीय निगरानी समिति (बी.एल.एम.सी.)	उप-संभागीय दंडाधिकारी	तीन माह में एक बार

(स्रोत: भारत सरकार के दिशानिर्देश मार्च 2011)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य शासन ने एस.एल.एम.आर.सी. का गठन किया था। हालांकि, एस.एल.एम.आर.सी. की बैठक वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान नहीं की गई थी। आगे, 14 चयनित जिलों में से केवल एक जिला (बालाघाट) में डी.एल.एम.आर.सी. का गठन किया गया था, जहां वर्ष 2015–16 के दौरान केवल दो बैठक आयोजित की गयी। यद्यपि, जिला अलीराजपुर ने जानकारी प्रदाय नहीं की।

चयनित 14 जिलों के 42 परियोजनाओं में से केवल पांच जिलों की नौ परियोजनाओं⁶⁵ में बी.एल.एम.सी. का गठन किया गया था। हालांकि, फंदा (भोपाल) के अलावा बी.एल.एम.सी. की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। 33 परियोजनाओं में बी.एल.एम.सी. का गठन नहीं किया गया और बैठक आयोजित नहीं हुई।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में आयुक्त ने उत्तर दिया कि एस.एल.एम.आर.सी. की बैठक नहीं हुई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर गठित अन्य समितियों के माध्यम से विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई थी। राज्य के सभी जिलों में जिला, खण्ड तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों के स्तर पर निगरानी एवं समीक्षा समितियों का गठन किया गया तथा बैठक निरंतर आयोजित हुई। जहां बैठक नहीं हो रही थी, संबंधित जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किये गये थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि नमूना जाँच किये गये जिलों एवं परियोजनाओं में डी.एल.एम.आर.सी. तथा बी.एल.एम.सी. का गठन नहीं किया गया तथा बैठक नियमित आयोजित नहीं की गई।

⁶⁵ भोपाल (फंदा 2012–13 में), छिंदवाड़ा (जमई–2 2015–16 में, पंधाना 2015–16 में, छिंदवाड़ा ग्रामीण 2014–15 में), धार (बदनावर–1 2012–13 में और नालछा 2015–16 में), इन्दौर (इन्दौर ग्रामीण 01 तथा शहरी–07 2012–13 में) तथा खरगोन (सनावद 2015–16 में)।

2.3.13 निष्कर्ष

- पू.पो.का. का विस्तार छः वर्ष तक के सभी बच्चे तथा सभी गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए किया जाना था। वर्ष 2011–16 के दौरान दर्ज छः माह से तीन वर्ष आयु समूह के 20.94 लाख बच्चे, तीन वर्ष से छः वर्ष आयु समूह के 57.02 लाख बच्चे तथा 7.99 लाख गर्भवती एवं धात्री माताओं को पूरक पोषण आहार नहीं दिया गया। आंगनवाड़ी केन्द्रों के खराब बुनियादी ढांचे, पूरक पोषाहार की कम मात्रा तैयार करना या समय पर पोषाहार का प्रदाय नहीं होना तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों का लम्बी दूरी पर होना, कमी के कारण थे, जिसने दर्ज हितग्राहियों के आंगनवाड़ी केन्द्रों पर उपस्थिति को निरुत्साहित किया।
- भारत सरकार द्वारा निर्धारित जनसंख्या मापदण्ड के अनुसार मार्च 2016 की स्थिति में राज्य में 18,604 आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा 3,400 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों की कमी थी। राज्य में कुल 61,755 ग्रामों/वार्डों में से 53.84 लाख की जनसंख्या वाले 11,156 ग्राम/वार्ड आंगनवाड़ी केन्द्र विहीन थे। राज्य शासन ने 4,305 आंगनवाड़ी केन्द्र नहीं खोले थे, जबकि भारत सरकार द्वारा ये आंगनवाड़ी केन्द्र नवम्बर 2014 में स्वीकृत किये गये थे।
- जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा गेहूं एवं चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य (के.नि.मू.) का पालन नहीं किया गया तथा एम.पी.एस.सी.एस.सी. को उच्च दरों पर भुगतान किया। जिसके परिणामस्वरूप 2012–13 से 2014–15 के दौरान एम.पी.एस.सी.एस.सी. को ₹ 40.87 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया। आगे, जि.का.अ. के द्वारा खाद्यान्न के कम उठाव के कारण असमायोजित अग्रिम ₹ 13.81 करोड़ एम.पी.एस.सी.एस.सी. के पास पड़ा था। विभाग ने एम.पी. एग्रो द्वारा खाद्यान्न के अधिक उपयोग के कारणों का मिलान नहीं किया जिसके फलस्वरूप एम.पी. एग्रो को ₹ 15.57 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ दिया गया। जि.का.अ. ने रसोइयों के खाते में सीधे भुगतान करने के बजाय रसोइयों के मानदेय ₹ 1.67 करोड़ का स्व-सहायता समूहों को अनियमित भुगतान किया। रसोइयों के लाभों को उनके बैंक खातों में सीधे हस्तान्तरण न करने से हेराफेरी के आरोप से इंकार नहीं किया जा सकता।
- 14 नमूना जाँच किये गये परियोजना कार्यालयों में, 2011–12 से 2015–16 के दौरान 983 आंगनवाड़ी केन्द्रों में 37,079 हितग्राहियों को विभिन्न माहों में (एक दिन से लेकर 120 दिन तक) पूरक पोषाहार प्रदाय नहीं किया गया। वर्ष 2011–16 में पके भोजन तैयार करने में संलग्न स्व-सहायता समूह को 24432.05 मीट्रिक टन गेहूं और 3592.06 मीट्रिक टन चावल के वितरण में कमी थी, जिसने हितग्राहियों को पकाया हुआ भोजन के वितरण को प्रभावित किया।
- नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (2015–16) के अनुसार राज्य में 9.2 प्रतिशत गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे थे। इस प्रकार से राज्य अति कुपोषित बच्चों को 12.6 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक कम करने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। उसी प्रकार से राज्य कम वजन वाले बच्चों तथा पॉच वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर की प्रतिशतता में कमी लाने के निर्धारित लक्ष्य में भी पीछे था।
- राज्य स्तरीय निगरानी एवं समीक्षा समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई। जिला एवं खण्ड स्तर पर उचित निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु निगरानी एवं समीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया।

2.3.14 अनुशंसाएँ

- खाद्यान्न का आवंटन एवं उठाव तथा उसके भुगतान का समय—समय पर समाशोधन किया जाना चाहिए।
 - पूपों का के अंतर्गत सभी हितग्राहियों को शामिल किये जाने का प्रयास किये जाने चाहिए। हितग्राहियों को आधार कार्ड से जोड़ा जाना चाहिए जिससे उनका पता लगाया जा सके।
 - शासन को आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की ध्यान से निगरानी करनी चाहिए ताकि आंगनवाड़ी भवनों की अच्छी गुणवत्ता, निर्धारित बुनियादी ढांचे निर्धारित मानकों की पूर्ति सुनिश्चित हो सके तथा हितग्राहियों को अच्छे वातावरण सुनिश्चित करने हेतु सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में मूलभूत सुविधायें जैसे, सुरक्षित पेयजल, शौचालय इत्यादि प्रदाय करने के प्रयास किये जाने चाहिए।
 - योजना के समुचित तथा सुचारू ढंग से चलाने के लिए आई.सी.डी.एस. मिशन गठित किया जाना चाहिए।
 - योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारियों/बाल विकास परियोजना अधिकारियों तथा पर्यवेक्षकों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- शासन ने कहा कि इन अनुसंशाओं को कार्यान्वित करने हेतु प्रयास किये जायेंगे।

अध्याय—III

अनुपालन लेखापरीक्षा

- “मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल की स्थापना एवं इसके कामकाज की निगरानी” पर लेखापरीक्षा
- “मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल” की लेखापरीक्षा
- “108—एम्बुलेंस से वाओ” की लेखापरीक्षा
- “महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना” पर निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुवर्ती लेखापरीक्षा
- लेखापरीक्षा कंडिकाएं

अध्याय–III: अनुपालन लेखापरीक्षा

शासकीय विभागों, उनकी क्षेत्रीय संरचनाओं के साथ ही स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा में संसाधनों के प्रबंधन में कमी तथा नियमितता, औचित्य एवं मितव्ययिता के मानकों के पालन में विफलता के अनेक उदाहरण सामने आए हैं। इन्हें आगामी कंडिकाओं में प्रस्तुत किया गया है।

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

3.1 ‘मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की स्थापना एवं इसके कार्यों की निगरानी’ की लेखापरीक्षा

3.1.1 प्रस्तावना

भारत में उच्च सेवाओं पर रॉयल कमीशन, 1924 (ली कमीशन), जिसने भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी, ने उल्लेख किया था कि ‘जहाँ कहीं भी लोकतांत्रिक संस्थाए मौजूद हैं, अनुभव ने सिखाया है कि उनसे कुशल सिविल सेवाएं प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि जहाँ तक सम्भव हो इन्हें राजनीतिक अथवा व्यक्तिगत प्रभाव से बचाया जाए तथा इन्हें स्थिरता एवं सुरक्षा की स्थिति प्रदान की जाए जो कि राजनीतिक जटिलताओं के होते हुए भी शासन की नीतियों को परिणाम देने के लिए निष्पक्ष एवं कुशल कार्यप्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है।’

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.एन.भगवती ने एक न्यायिक निर्णय में उल्लेख किया कि ‘लोक सेवा आयोग राज्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसके प्रशासनिक तंत्र की सत्यनिष्ठा और दक्षता विशेष रूप से लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए चयन की गुणवत्ता पर निर्भर करती है,’ आगे कहा गया था कि ‘यह तभी प्राप्त किया जा सकता है जब कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य उच्च स्तर की योग्यता, क्षमता एवं सत्यनिष्ठता के प्रत्यात व्यक्ति हों जो लोगों के मन में उनके द्वारा किए गए चयन की वस्तुनिष्ठता एवं निष्पक्षता के बारे में विश्वास पैदा करें। हम, इसलिए, प्रत्येक राज्य सरकार से प्रभावी रूप से कहना चाहेंगे कि वे यह देखें कि उनके लोक सेवा आयोग में उत्कृष्ट योग्यता एवं उच्च प्रतिष्ठा के सक्षम, ईमानदार एवं स्वतंत्र व्यक्ति हों, जो लोगों के विश्वास को पूरा करें और जो सख्ती से योग्यता के आधार पर चयन करने के कर्तव्य का पालन करते हुए अपने आप को किसी भी प्रकार के अतिरिक्त प्रलोभन से विचिलित न होने दें।’

भारत का संविधान बनाते समय, संविधान सभा में बहस के दौरान श्री लक्ष्मी नारायण साहू के मतानुसार ‘.....इसके आगे, मैं यह भी कहना चाहूँगा कि अधीनस्थ सेवाओं के सदस्य भी लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित किये जाने चाहिए। यदि अधीनस्थ सेवाओं के सदस्य लोक सेवा आयोग द्वारा लिये जाएंगे, तो कोई भी भाई-भतीजेवाद की शिकायत नहीं कर सकेगा। परन्तु, यदि अधीनस्थ सेवाओं में नियुक्तियाँ लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर रखी जाती हैं, तो वहाँ हमेशा एकया अन्य मंत्री के विरुद्ध उनके द्वारा की गई नियुक्तियों में भाई-भतीजेवाद के आरोप की शिकायत रहेगी। इस तरह की आलोचनाओं से बचने के लिए मैं चाहता हूँ कि अधीनस्थ सेवाओं में भी लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किया जाए।’

सरकारी सेवाओं में व्यक्तियों की भर्ती के लिए परीक्षाओं के आयोजन एवं निर्धारण के अन्य तरीकों हेतु लोक सेवा आयोग का गठन संविधान और तत्संबंधी परिनियमों के अंतर्गत किया गया था। इसी प्रकार, तकनीकी बोर्ड, जैसे कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा

बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) का गठन विभिन्न व्यावसायिक निकायों द्वारा परीक्षाओं का आयोजन करने के लिए तथा परीक्षार्थियों की विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में भर्ती हेतु किया गया था। इन आयोगों एवं मण्डल या अन्य निकायों के बनाने का उद्देश्य इन महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना और अनुशासन से सामाजिक समानता तथा योग्यता के सिद्धांत को सुनिश्चित करना है। इस पृष्ठभूमि के अंतर्गत हमने इस क्षेत्र की प्रक्रिया का मूल्यांकन मध्य प्रदेश राज्य में अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु परीक्षा आयोजित करने के लिए उन उच्च आदर्शों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए किया, जो एम.पी.पी.ई.बी. का कार्य क्षेत्र था जिसे व्यापम के नाम से भी जाना जाता है।

मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 1970 में चिकित्सा महाविद्यालयों में भर्ती हेतु प्रवेश परीक्षा कराने के लिए प्री-मेडीकल टेस्ट बोर्ड की स्थापना की थी। तत्पश्चात वर्ष 1981 में अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में भर्ती हेतु प्रवेश परीक्षा कराने के लिए एक प्री-इंजीनियरिंग बोर्ड की स्थापना की थी। इन मण्डलों को मिलाकर वर्ष 1982 में मध्य प्रदेश व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा मण्डल का गठन चिकित्सा, अभियांत्रिकी, कृषि एवं पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में भर्ती हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए किया गया था। इस मण्डल का पुनर्गठन कर (जुलाई 1997) ‘प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड’ (व्यावसायिक परीक्षा मण्डल) के रूप में नाम रखा गया जो सामान्यतः ‘व्यापम’ के नाम से जाना जाता है। अप्रैल 2003 में मण्डल को ऐसे राज्य स्तरीय पदों (पुलिस एवं विधिक विभागों के अलावा) जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं भरे जाते हैं, की भर्ती का दायित्व सौंपा गया था।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों में परीक्षाएं आयोजित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश विधान— मण्डल द्वारा मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल अधिनियम, 2007 (एम.पी.पी.ई.बी. अधिनियम 2007) अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम एक मण्डल स्थापित करने के बारे में, जो मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (एम.पी.पी.ई.बी./म.प्र.व्यापम) के नाम से एक निगमित निकाय होगा, इसका शाश्वत उत्तराधिकार तथा एक सामान्य मुद्रा होगी और इसे संपत्ति धारण करने तथा अर्जित करने की शक्ति प्राप्त होगी। राज्य शासन ने मार्च 2016 में एम.पी.पी.ई.बी. अधिनियम के तहत मण्डल के गठन को अधिसूचित किया था।

3.1.1.1 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

यह लेखापरीक्षा, यह परीक्षण करने के लिए कि, मण्डल बनाते समय मध्य प्रदेश शासन (शासन) के क्या उद्देश्य थे एवं मण्डल के साथ शासन के संबंधों के साथ इसकी गतिविधियों पर निगरानी विशेषकर जो विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में थी, के लिए की गई थी। प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के साथ एक प्रवेश सम्मेलन अगस्त 2015 में लेखापरीक्षा उद्देश्य, मापदण्ड एवं लेखापरीक्षा क्षेत्र पर चर्चा हेतु आयोजित किया गया था। शासन द्वारा विशेष रूप से अधिनियम 2007 में निहित कमजोरी और उनके सुधार के लिए उपाय सुझाने का अनुरोध किया गया। राज्य शासन को प्रारूप प्रतिवेदन दिनांक 30 दिसम्बर 2016 को जारी किया गया था। निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर भी चर्चा की गई थी जो प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के साथ दिनांक 14 फरवरी 2017 को आयोजित किया गया था।

3.1.1.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र

‘एम.पी.पी.ई.बी. की स्थापना एवं इसके कार्यों की निगरानी’ की लेखापरीक्षा (अप्रैल 2016 से अगस्त 2016 तक) तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन में की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्ष मण्डल से संबंधित अभिलेखों की

जांच एवं लेखापरीक्षा प्रश्नों एवं अभ्युक्तियों के संदर्भ में विभाग से प्राप्त उत्तरों पर आधारित है।

3.1.1.3 लेखापरीक्षा की बाध्यताएँ

यह प्रतिवेदन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग में अभिलेखों की जांच पर आधारित है, जिसने मण्डल से संबंधित सत्रह नस्तियाँ लेखापरीक्षा जाँच हेतु प्रदाय की थी। हालांकि, लेखापरीक्षा में एम.पी.पी.ई.बी. के अभिलेखों की नमूना जांच नहीं की जा सकी एवं विभाग ने भी लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान मण्डल से संबंधित जानकारी प्रदाय नहीं की थी।

3.1.1.4 आभार अभिव्यक्ति

लेखापरीक्षा मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन के विस्तारित सहयोग के लिए आभार अभिव्यक्त करता है जिनकी पहल से लेखापरीक्षा कार्य दिनांक 30 अप्रैल 2016 से (प्रवेश सम्मेलन के आठ माह बाद) प्रारंभ हो सका।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.1.2 मण्डल की स्थिति पर शासन के दृष्टिकोण में दोहरापन

मध्य प्रदेश शासन ने चिकित्सा, अभियांत्रिकी, कृषि एवं पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में भर्ती हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा मण्डल (व्यापम) के गठन को अधिसूचित किया था (अप्रैल 1982)। इस अधिसूचना के साथ तात्कालिक प्री-मेडीकल टेस्ट बोर्ड एवं प्री-इंजीनियरिंग बोर्ड अस्तित्व में नहीं रह गए एवं उनकी शक्तियों एवं कर्तव्यों को मण्डल में निहित किया गया था, जिसकी वाद प्रस्तुत करने या उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किए जाने की क्षमता के साथ एक स्वतंत्र इकाई के रूप में परिकल्पना की गई थी। मण्डल को चल और अचल संपत्ति अर्जित करने और रखने के अधिकार से दिया गया था।

3.1.2.1 मण्डल की स्थिति

प्रारंभ में मण्डल के शासकीय विभाग होने अथवा न होने के बारे में भ्रम था, यह 1982 की अधिसूचना से दर्शित हुआ था जिसमें राज्य शासन ने घोषित किया कि वह व्यापम द्वारा किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। हालांकि, मण्डल के एक शासकीय विभाग होने की स्थिति को विभिन्न अनुवर्ती अंतर्विभागीय विवेचनाओं में स्वीकार किया गया था, जिसकी न्यायिक निर्णयों में भी पुष्टि की गई थी, जैसा कि उत्तरवर्ती कंडिकाओं में वर्णित किया गया है।

अप्रैल 1982 की अधिसूचना के अंतर्गत, मण्डल को जनशक्ति नियोजन विभाग (अब, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग) के अंतर्गत कार्य करने हेतु परिकल्पित किया गया था। राज्य शासन के पास मण्डल को उसके कार्य पद्धति हेतु समय समय पर निर्देश देने की शक्ति थी। हालांकि, अधिसूचना की धारा 6 के अंतर्गत राज्य शासन ने स्पष्ट किया था कि वह मण्डल द्वारा किए गए अथवा करने से छोड़े गए कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। राज्य शासन द्वारा मण्डल के संबंध में निर्देश देने की शक्ति होने के बावजूद उत्तरदायित्व को छोड़ने के इस कार्य से इसके शासकीय विभाग होने की स्थिति के बारे में भ्रम रहा।

प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, जनशक्ति नियोजन विभाग ने मुख्य मंत्री को प्रस्तुत (जून 1983) एक टीप में लिखा कि मण्डल अर्द्ध-स्वायत्त संस्था थी एवं इसकी वार्षिक

लेखापरीक्षा स्थानीय निधि के लेखा परीक्षक कार्यालय से कराने का प्रस्ताव किया था। प्रस्ताव मुख्य मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया था।

व्यापम के अध्यक्ष ने मण्डल की स्थिति पर लगातार रहे भ्रम के बारे में प्रमुख सचिव, जनशक्ति नियोजन विभाग को सूचित किया (अगस्त 1994)। अध्यक्ष ने शासन से इस विषय पर निर्णय लेने हेतु निवेदन किया क्योंकि यह न तो पंजीकृत संस्था थी और इसे न ही शासन के विभाग के रूप में माना जाता था। यह किसी अधिनियम के द्वारा भी स्थापित नहीं किया गया था।

जनशक्ति नियोजन विभाग से प्राप्त संदर्भ पर, विधि विभाग ने राय दी कि (अक्टूबर 1994) कि मण्डल की स्थिति मध्य प्रदेश शासन के एक भाग की थी और यह एक स्वतंत्र इकाई नहीं था। इससे संबंधित वरिष्ठ सचिव स्तर की समिति की बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, मण्डल को स्वतंत्र स्थिति प्रदान करने के लिए बुलाई गई थी (फरवरी 1997)। जनशक्ति नियोजन विभाग ने समिति को सूचित किया कि मण्डल की स्थिति शासन के विभाग के जैसी थी। तथापि समिति ने निर्णय लिया था कि मण्डल की मौजूदा व्यवस्था को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

3.1.2.2 राज्य शासन का नियंत्रण

राज्य शासन ने व्यापम में अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए व्यावसायिक परीक्षा मण्डल सेवा भर्ती नियम, 1999 को अनुमोदित किया (सितम्बर 2000)। हालांकि व्यापम के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए राज्य शासन द्वारा नियम अभी तक नहीं बनाए गए थे। इसके अनुसार मण्डल में विभिन्न संवर्ग के 126 पद थे और उन्हें राज्य शासन के पदों के वर्ग I, वर्ग II, वर्ग III एवं वर्ग IV में वर्गीकृत किया था (**परिशिष्ट-3.1.1**)। इस नियम के अन्तर्गत, मण्डल में अध्यक्ष, संचालक और नियंत्रक की नियुक्ति राज्य शासन के अधिकारियों के स्थानान्तरण से की जानी थी। हालांकि, यह स्पष्टीकरण कभी नहीं दिया गया था कि यह एक संवर्ग बाह्य पद में स्थानान्तरण था या प्रतिनियुक्ति था। अधिकारियों को शासकीय विभाग के नियमित संवर्ग पर दिखाया जाना जारी रहा, परंतु उन्हें राज्य की संचित निधि से भुगतान नहीं किया गया था।

अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए अपनायी गई प्रक्रिया, लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख/जानकारी से अभिनिश्चित नहीं की जा सकी। नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं एवं शासकीय आदेशों, जिनके तहत मण्डल के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी, के बारे में पूछे जाने पर (मई 2016) विभाग ने केवल सितम्बर 2007 से मार्च 2016 के दौरान अध्यक्षों की सूची प्रस्तुत (अगस्त 2016) की और आगे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया। आगे की जांच से पता चला कि मण्डल में संचालक और नियंत्रक के पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति, ऐसी तैनाती को उस समय संवर्ग बाह्य पद के साथ बाह्य सेवा मानते हुए की गई थी। इस प्रकार, मण्डल के पद राज्य शासन के अधिकारियों के द्वारा धारित किए गए थे एवं राज्य शासन के द्वारा नियंत्रित थे।

मण्डल की स्थिति अंततः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, मण्डल द्वारा उसके ऊपर भोपाल नगर निगम द्वारा अधिरोपित संपत्ति कर को चुनौती देने वाली दायर एक सिविल याचिका¹ में, शासकीय विभाग के रूप में निर्धारित की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर ने कहा (जुलाई 2003) कि व्यापम शासन का एक विभाग है।

उपरोक्त सभी तर्कों के आधार पर, यह निष्कर्ष निकला कि स्पष्ट रूप से मण्डल एक शासकीय विभाग था और इसकी गतिविधियाँ उसी प्रकार की निगरानी के अधीन थीं

¹ 2002 की संख्या 1232।

जिस रूप में एक शासकीय विभाग पर लागू होती थीं। तथापि, राज्य शासन ने अपने दृष्टिकोण में मण्डल की स्थिति पर इसके प्रारंभ से दोहरापन अपनाया और इसे पर्याप्त नियंत्रण, जैसे कि प्रशासनिक विभाग द्वारा इसके कार्यों की संवीक्षा, सतर्कता प्राधिकारियों द्वारा संवीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा संवीक्षा के बिना इसे कार्य को करने की अनुमति प्रदान की। मण्डल के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के चयन और नियुक्ति के लिए कोई प्रक्रिया की पहचान नहीं की गई जिससे यह सुनिश्चित होता कि उक्त पदों हेतु प्रतिष्ठित एवं योग्य व्यक्ति और जो स्वतंत्र रूप में कार्य कर सकें, का चयन किया गया था। जैसा कि अन्य राज्यों के विभिन्न कर्मचारी चयन आयोगों में चयन प्रक्रियाएं थीं।

1982 के कार्यकारी आदेश की धारा 4 के अंतर्गत मण्डल के कार्यों के बारे में नियमों आदि को बनाए जाने के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि मण्डल के विभिन्न पदों पर, इसके अध्यक्ष सहित, भर्ती के लिए सितम्बर 2000 से व्यावसायिक परीक्षा मण्डल सेवा भर्ती नियम, 1999 लागू था। हालांकि, विभाग ने मण्डल के कार्य संचालन, वित्तीय नियमों, परीक्षा आयोजन एवं शुल्क संग्रहण इत्यादि से संबंधित नियमों के लिए कोई अन्य नियमों/विनियमों को नहीं बनाया था। शासन द्वारा महत्वपूर्ण विनियमों, जैसे प्रश्न पत्रों एवं उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा एवं बचाव सुनिश्चित कर परीक्षाएं आयोजित करना, उचित मूल्यांकन, गोपनीय प्रक्रियाओं तथा परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधन उपयोग करने पर शास्त्र आरोपित करने, को अंतिम रूप दिये बिना मण्डल द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जा रहीं थीं। इस प्रकार, राज्य शासन ने मण्डल की गतिविधियों की आवश्यक निगरानी नहीं की थी।

3.1.2.3 दृष्टिकोण का विभाजन

उपरोक्तानुसार इसके राज्य शासन का एक हिस्सा होने के बावजूद, मण्डल की प्राप्तियों और व्यय को शासकीय लेखों में शामिल नहीं किया गया था और लेन-देन राज्य की संचित निधि से बाहर थे। इस प्रकार एक शासकीय विभाग से भिन्न, मण्डल के वित्त राज्य विधानमण्डल के बजटीय नियंत्रण के अधीन नहीं थे। यह इस तथ्य के बावजूद था कि महाधिवक्ता ने प्रशासनिक विभाग से एक संदर्भ पर स्पष्टीकरण दिया (मई 2006) था कि व्यापम की प्राप्तियां और उसके आहरण और संवितरण की प्रक्रिया इस प्रकार होनी चाहिए जैसा कि शासकीय विभागों के मामले में होती है।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय जिसमें आयोग के कर्मचारियों या सदस्यों के संबंध में वेतन, भत्ते एवं देय पेंशन सहित भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि, जैसा उपयुक्त हो, को भारित होते हैं। इसके अतिरिक्त आयोगों की प्राप्तियाँ संचित निधि में जमा की जाती हैं। इसी प्रकार कर्मचारी चयन आयोग (एस.एस.सी.) जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार का एक संबद्ध कार्यालय है, की प्राप्तियां भारत सरकार की संचित निधि में प्रेषित की जाती हैं एवं कर्मचारी चयन आयोग के कार्यों के लिए बजटीय सहायता भारत सरकार द्वारा दी जाती है।

इसकी तरह के सरकारी संगठनों में लागू प्रावधानों के विपरीत मण्डल को इसकी प्राप्तियों और व्यय को राज्य शासन के खातों के बाहर रखने की अनुमति दी गई थी। जिसके कारण मण्डल की वित्तीय जबाबदेही कमज़ोर पड़ी, जिसकी चर्चा कंडिका 3.1.6 में की गई।

शासकीय विभाग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 के अधीन लेखापरीक्षा के अंतर्गत हैं।

माननीय उच्च न्यायालय के जुलाई 2003 के न्यायिक निर्णय, कि मण्डल एक शासकीय विभाग था, के बाद भी लेखापरीक्षा के लिए प्रावधानों की समीक्षा नहीं की गई थी। इस

प्रकार, किसी अन्य शासकीय विभाग के विपरीत, मण्डल की गतिविधियों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया था।

हमनें आगे पाया कि राज्य शासन ने मण्डल पर स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन पालन हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं किया एवं जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया कि लेखापरीक्षित लेखों, तुलन पत्रों और स्थानीय निधि लेखापरीक्षा से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों पर जानकारियाँ मंडल द्वारा मध्य प्रदेश शासन को उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। इसलिए लेखापरीक्षा की गुणवत्ता हमारे द्वारा सत्यापित नहीं की जा सकी।

इस प्रकार, राज्य शासन ने मण्डल की स्थिति पर दोहरा दृष्टिकोण अपनाया था एवं व्यापम संस्थान को अनिश्चित वातावरण में बिना विनियामक नियंत्रण, जांच या जिम्मेवारी के कार्य करने की अनुमति दी, जो एक कमज़ोर प्रशासन दर्शाता है। तथ्य यह है कि अध्यक्ष, संचालक एवं नियंत्रक के पदों को राज्य शासन के अधिकारियों द्वारा धारित किया गया था जिससे, यह पुष्टि हुई कि मण्डल राज्य शासन के नियंत्रण में था। आगे, शासकीय स्तर पर विभिन्न अन्तर्विभागीय विवेचनाओं से पता चला कि राज्य शासन इसके शासकीय विभाग होने को लेकर पूर्णतः अवगत था। इसके बावजूद, राज्य शासन ने मण्डल के कार्यों की अपेक्षित निगरानी नहीं की, इसकी स्थिति पर भ्रम को जारी रखा गया एवं राज्य शासन तथा मण्डल के बीच की व्यवस्था लचीली बनी रही। मण्डल द्वारा किए गए अथवा करने से छोड़ दिए गए कार्य पर निर्देशन देने के बजाय, राज्य शासन ने 1982 की अधिसूचना के माध्यम से मण्डल की गतिविधियों से स्पष्ट रूप से स्वयं को दूर रखा जबकि शीर्ष प्रबंधन पर अब भी प्रशासनिक नियंत्रण बना हुआ था। व्यापम के कार्यों के आकलन एवं सत्यापन के लिए उपायों के बिना यह अप्रत्यक्ष नियंत्रण बिना जिम्मेदारी धारण किए शक्तियों के प्रयोग करने का प्रकरण था। इससे अंततः एक ऐसी स्थिति बनी जहां मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं की विश्वसनीयता में गंभीर कमी आई।

3.1.3 व्यावसायिक परीक्षा मण्डल अधिनियम 2007 का क्रियान्वयन

मण्डल का प्राथमिक उद्देश्य उच्च व्यावसायिक अध्ययनों के पाठ्यक्रमों में प्रवेश या जन रोजगार के प्रयोजन के लिए परीक्षाएं और जाँच आयोजित करना था। मण्डल को सांविधिक मान्यता प्रदाय करने के लिए विधि विभाग द्वारा 1983 में एक विधेयक तैयार किया गया था। तथापि, राज्य शासन ने विधेयक राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत नहीं किया था।

मण्डल को संस्था पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकरण के संबंध में, जनशक्ति नियोजन विभाग के संदर्भ पर, विधि विभाग ने राय दी (मार्च 1996) कि संस्था जिसे ऐसे महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, को उचित, निष्पक्ष एवं युक्तियुक्त तरीके से कार्य करना होगा एवं बेहतर स्थिति के लिए इसका निर्माण पंजीकृत संस्था के रूप पर अधिनियम द्वारा किया जाना चाहिए ताकि इसकी स्थिति बेहतर रहे। इसमें आगे कहा गया कि 1983 में तैयार किए गए विधेयक के मसौदे में उचित संशोधन कर विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के ‘राज्य’ के तात्पर्य के अंतर्गत कार्य कर सके।

मण्डल के लिए उच्चतर प्राधिकार और अधिक विश्वसनीयता की आवश्यकता पर विधि विभाग की स्पष्ट राय के बावजूद, राज्य शासन ने विधेयक राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत नहीं किया। अभिलेखों की जांच में पता चला कि राज्य शासन ने मण्डल के एक सांविधिक संस्थान के रूप में गठन का निर्णय (अगस्त 2006) में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत व्यापम को गठित करने की

राज्य शासन की शक्ति को चुनौती देने वाली रिट याचिका² (जुलाई 2005) के दायर होने के बाद लिया था। इस प्रकार राज्य शासन ने मण्डल को सांविधिक मान्यता प्रदान करने के लिए, मण्डल को वैधानिक मान्यता देने के लिए तैयार किए गए प्रथम प्रारूप के पश्चात, प्रक्रिया प्रारंभ करने में 23 वर्ष का समय लिया।

3.1.3.1 मण्डल की स्थापना

मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल अधिनियम, 2007 (अधिनियम) को राज्य विधानमंडल द्वारा अगस्त 2007 में पारित किया गया था जो 15 अक्टूबर 2007 को आस्तित्व में आया। तथापि हमने पाया कि राज्य शासन ने अधिनियम लागू होने बाद भी सांविधिक मण्डल की स्थापना में विलंब किया।

अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार, राज्य सरकार को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दिनांक से मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की स्थापना करने की आवश्यकता थी। अधिनियम की धारा 25 के अनुसार आगे दर्शाया गया था कि धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन मण्डल की स्थापना के लिये विनिर्दिष्ट दिनांक से ठीक पूर्व विद्यमान व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल में विलय हो जायेगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सरकार द्वारा 14 मार्च 2016 को ऐसी तिथि के रूप में विनिर्दिष्ट किया, जब एम.पी.पी.ई.बी. अधिनियम की धारा 3 (1) के अनुसार स्थापित किया जायेगा। इस प्रकार मार्च 2016 में ही सांविधिक मण्डल (एम.पी.पी.ई.बी.) की स्थापना हो सकी जबकि राज्य विधान मंडल द्वारा इसकी स्थापना हेतु अधिनियम अगस्त 2007 में पारित कर दिया गया था। राज्य शासन ने किस कारण से एम.पी.पी.ई.बी. को एक सांविधिक मण्डल के रूप में स्थापित करने हेतु आठ वर्ष लिए, अभिलेखों से पता नहीं लगाया जा सका।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तत्कालीन व्यापम द्वारा, मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई कुछ शक्तियों जैसे विनियम बनाने की शक्ति का उपयोग प्रारम्भ कर दिया गया था। तथापि विभाग के अभिलेखों से स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस प्राधिकार के अन्तर्गत व्यापम द्वारा अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग किया गया। परिणामस्वरूप अगस्त 2007 में अधिनियम लागू होने के बाद भी लगातार स्थिति को लेकर दोहरापन जारी रहा।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि अधिनियम के अनुसार मण्डल के कार्यों के संचालन हेतु अभी भी (अगस्त 2016) मण्डल के पास आवश्यक पूर्ण मानव बल नहीं था जैसे कि नामित सदस्यों की नियुक्ति राज्य शासन द्वारा किया जाना शेष था।

अधिनियम के प्रावधानों की सूक्ष्मता से जांच करने पर अधिनियम के क्रियान्वयन में निम्न कमियाँ प्रकट हुईः—

3.1.3.2 मण्डल की स्वतंत्रता

अधिनियम के अनुसार मण्डल में अध्यक्ष, 14 पदेन सदस्यों के अलावा राज्य शासन द्वारा नामित 11 सदस्य होंगे। मुख्य सचिव पद श्रेणी का एक अधिकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जाना था, जिसकी सेवा शर्तें विनियमों द्वारा निर्धारित की जानी थीं। अध्यक्ष की पदावधि एवं सेवा शर्तें ऐसी होनी थीं जैसा कि विनियमों द्वारा विहित की जाए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि अध्यक्ष की पदावधि व सेवा शर्तें के लिये कोई भी विनियम तैयार नहीं किया गया था। राज्य शासन ने अध्यक्ष की नियुक्ति, उसकी पदावधि व सेवा शर्तें की प्रक्रिया हेतु विनियम तैयार करने की कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं

² मै. स्टडी सर्कल सोसाइटी, भोपाल बनाम सचिव, शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग एवं व्यापम.

की थी। आगे लेखापरीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों से मण्डल के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिये पालन की गई प्रक्रिया को अभिनिश्चित नहीं किया जा सका (**परिशिष्ट-3.1.2**)।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि मण्डल के अध्यक्ष की नियुक्ति निरन्तर व्यावसायिक परीक्षा मण्डल सेवा भर्ती नियम, 1999 के अंतर्गत की गई जिसके अनुसार अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख सचिव पद श्रेणी व उसके उच्च श्रेणी के सदस्य के स्थानान्तरण से की जा सकती है। इस प्रकार, राज्य शासन द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु अधिनियम के प्रावधान की उपयुक्तता के अनुसार भर्ती नियम में परिवर्तन नहीं किये गए। इसके फलस्वरूप मण्डल में मुख्य सचिव से कम पद श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में की गई (**परिशिष्ट-3.1.2**) जो मण्डल की स्वतंत्रता हेतु बनाए गए अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था। इसके अलावा, अध्यक्ष की निर्धारित पदावधि, निर्धारित वेतन एवं भत्ते, पदावधि की सुरक्षा एवं सेवानिवृत्ति के पश्चात रोजगार पर रोक से संबंधित प्रावधानों को नहीं बनाया गया जिससे अध्यक्ष की स्वतंत्रता के साथ मण्डल की स्वतंत्रता भी क्षीण हुई। इसके अलावा, पिछले एक वर्ष से अध्यक्ष के पद पर राज्य शासन के अपर मुख्य सचिव को अतिरिक्त प्रभार दिये जाने से मण्डल की स्वतंत्रता क्षीण हुई।

इस ओर इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया (अगस्त 2016) कि एम.पी.पी.ई.बी. को अध्यक्ष की पदावधि एवं सेवा शर्तों के संबंध में विनियमों को तैयार करने हेतु निर्देशित किया जा चुका था।

अधिनियम में अध्यक्ष के चयन की प्रणाली, पदावधि की सुरक्षा, सेवा शर्तों इत्यादि के संबंध में विशिष्ट शर्तों का अभाव जिन्हें पुनः विनियमों के अन्तर्गत तैयार किया जाना था और यहाँ तक कि अन्य किसी स्थापित सांविधिक प्राधिकरणों से समतुल्यता निर्धारित नहीं की गई। यह अधिनियम में एक गंभीर कमी थी।

3.1.3.3 मण्डल की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु विनियम

अधिनियम की धारा 24 के अनुसार, मण्डल अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिये ऐसे विनियम बना सकेगा जो अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से असंगत न हों। मण्डल द्वारा विनियमों का प्रथम प्रारूप राज्य शासन को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, राज्य सरकार ऐसे प्रारूप के प्रस्तुत किये जाने की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर, मण्डल को या तो प्रारूप के अनुमोदन कर लिए जाने या अस्वीकार कर दिए जाने के संबंध में सूचित करेगी या उसमें ऐसे उपान्तरण का सुझाव देगी जैसा कि प्रारूप में आवश्यक समझे जाएं तथा यदि उपर्युक्त कालावधि के भीतर राज्य शासन कोई कार्रवाई करने में असफल रहती है तो मण्डल द्वारा प्रस्तुत किया गया अंतिम प्रारूप राज्य शासन द्वारा अनुमोदित समझा जाएगा और तदनुसार राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

अधिनियम की धारा 24 में आगे ऐसे विनियमों की सूची दी गई थी जो मण्डल द्वारा परीक्षाओं के आयोजन करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित थे जैसे कि प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित विनियम, मण्डल की परीक्षा में प्रवेश शुल्क, मण्डल द्वारा संचालित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अनुचित साधनों को अपनाने या परीक्षाओं में बाधा डालने पर शास्ति अधिरोपित करना, परीक्षाओं तथा अन्य संबंधित क्रियाकलापों के बारे में मानकों और व्यय का निर्धारण करना और नियंत्रण, मण्डल द्वारा संचालित परीक्षाओं के संबंध में आंकड़े (डाटाबेस) तैयार करना थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मण्डल द्वारा जून 2009 में विभाग को 14 विनियमों को प्रेषित किया गया था। मार्च 2011 में तीन और विनियमों को प्रेषित किया गया था। हालांकि इन विनियमों को मण्डल स्तर पर ही संशोधन की कार्रवाई अभी की जा रही थी। हम

अभिलेखों से यह पता नहीं लगा सके कि क्या इन विनियमों को मण्डल को वापिस किया गया था अथवा उसके द्वारा स्वयं ही वापिस ले लिए गए थे।

इन मसौदा विनियमों में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जो परीक्षाओं के बेहतर आयोजन में सहायता कर सकते थे निम्नानुसार थे:

मसौदा विनियम 1 (मध्य प्रदेश व्यापम—परीक्षा आयोजन हेतु विनियम, 2011) के प्रावधानों के अन्तर्गत, गोपनीय अनुभाग व स्ट्रांग कक्ष अनुभाग की स्थापना की जानी थी। गोपनीय कक्ष की जिम्मेदारी प्रश्नपत्रों को तैयार करना व उनको मुद्रित कराना थी। परीक्षा की विभिन्न गोपनीय गतिविधियों जैसे कि प्राप्ति, भण्डारण, पैकिंग व जांच, प्रेषण, परीक्षा समाप्ति के बाद गोपनीय सामग्री की प्राप्ति को स्ट्रांग कक्ष में आयोजित की जानी थी। स्ट्रांग कक्ष में प्रवेश प्रतिबंधित किया जाना था और नियंत्रक द्वारा नामित अधिकारी की अनुमति के बाद ही प्रवेश किया जा सकता था।

मसौदा विनियम 3 (मध्य प्रदेश व्यापम—मण्डल द्वारा आयोजित की गई परीक्षाओं के परिणाम के प्रकाशन हेतु विनियम, 2011) के प्रावधानों के अन्तर्गत विहित था कि ओ. एम.आर. उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग व डाटाबेस से संबंधित अन्य गतिविधियों हेतु पर्यवेक्षक को कम्प्यूटर कक्ष/स्ट्रांग कक्ष में नियुक्त करना था।

मसौदा विनियम 2 (मध्य प्रदेश व्यापम—मण्डल की परीक्षा में प्रवेश हेतु शुल्क के लिये विनियम, 2011) के प्रावधानों के अन्तर्गत, मण्डल द्वारा आयोजित की गई विभिन्न परीक्षाओं के लिये शुल्क का निर्धारण करने के लिए अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में शुल्क निर्धारण समिति का गठन किया जाना था।

मसौदा विनियम 5 (मध्य प्रदेश व्यापम—मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुचित साधनों को अपनाने या परीक्षा में बाधा डालने वाले उम्मीदवारों पर शास्ति अधिरोपित करने हेतु विनियम, 2011) अनुचित साधन समिति में संचालक, नियंत्रक व संयुक्त नियंत्रक (परीक्षा) का उल्लेख था, जो अपना प्रतिवेदन मण्डल के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे। इसमें अनुचित साधनों को अपनाने पर उम्मीदवारों पर शास्ति अधिरोपित करने का भी प्रावधान था।

मसौदा विनियम 17 (मध्य प्रदेश व्यापम—मण्डल की स्थायी समिति के गठन हेतु विनियम, 2011) के अनुसार परीक्षा समिति को परीक्षा प्रक्रिया के दौरान कदाचार व परीक्षा केन्द्रों पर बड़े पैमाने पर नकल, उत्तर पुस्तिकाओं की गुमशुदगी, पुनः परीक्षा, परीक्षा की गोपनीयता के विरुद्ध शिकायत इत्यादि में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई के लिये अध्यक्ष को अनुशंसा करने हेतु प्रावधान था।

स्पष्ट रूप से इन विनियमों को परीक्षाओं के निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संचालन सुनिश्चित करने हेतु राज्य शासन द्वारा अनुमोदन के पश्चात अधिसूचित किया जाना आवश्यक था। तथापि मण्डल द्वारा अधिनियम लागू होने के बाद भी इन विनियमों के अनुमोदन के बिना ही परीक्षाओं का संचालन निरन्तर जारी रखा गया जो मण्डल की विश्वसनीयता को क्षीण करता है। अतः मण्डल द्वारा बिना सुरक्षित प्रणाली के कार्य करना जारी रखा गया जिसकी व्याख्या अनियमित कार्यप्रणाली के रूप में की जा सकती है।

इस ओर इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया (अगस्त 2016) कि एम.पी.पी.ई.बी. को विनियमों को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था जिसे बाद में अनुमोदन के पश्चात प्रकाशित किया जाएगा।

3.1.3.4 राज्य शासन द्वारा नियम नहीं बनाना

अधिनियम की धारा 23 के अनुसार, राज्य शासन, इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं भी प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी जिनको विधान—सभा के

पटल पर रखा जाएगा। तथापि राज्य शासन द्वारा इस तरह के कोई नियम नहीं बनाए गए और मण्डल राज्य शासन के निर्देशों के बिना निरन्तर कार्य करता रहा।

इस ओर इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया (अगस्त 2016) कि नियम बनाये जाएंगे। आगे बताया गया कि मण्डल द्वारा नियमों को अंतिम रूप देने के लिये प्रस्तुत नहीं किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन नियमों को बनाकर विधान मण्डल को प्रेषित करने के लिये राज्य शासन जिम्मेदार था न कि मण्डल। इस मामले में शासन द्वारा निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहा गया।

इस प्रकार अधिनियम के अंतर्गत मण्डल की स्थापना में विलंब के कारण मध्य प्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को अधिक प्राधिकार एवं अधिक विश्वसनीयता प्रदान करने के उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद भी, मण्डल के संघटन, कार्यप्रणाली एवं पर्यवेक्षण को परिभाषित एवं मार्गदर्शित करने वाले नियमों एवं विनियमों के अभाव के कारण मण्डल को नुकसान रहा। जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम के लागू होने के बाद भी मण्डल की स्थिति में दोहरापन बना रहा और मण्डल के अनिश्चित स्वरूप को संहिताबद्ध अथवा निराकरण नहीं किया गया।

3.1.4 मण्डल को भर्ती कार्य सौंपना

राज्य शासन द्वारा मण्डल का गठन अप्रैल 1982 में चिकित्सा, अभियांत्रिकी, कृषि एवं पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन हेतु किया गया था। तथापि सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा सभी नियुक्ति प्राधिकारियों (विधिक विभाग एवं पुलिस के पदों को छोड़कर) को निर्देशित³ (अप्रैल 2003) किया गया कि उन राज्य स्तरीय पदों को मण्डल द्वारा भरा जाएगा जिनको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं भरा जाता। यह भी कहा गया था कि यह निर्णय राज्य शासन पर भर्ती परीक्षाओं के कारण पड़ने वाले वित्तीय भार को कम करने के लिए लिया गया था।

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से यह प्रकट नहीं हो सका कि राज्य शासन द्वारा किन कारणों से भर्ती परीक्षाओं के आयोजन हेतु मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को नहीं चुना अथवा इस कार्य हेतु क्यों अधीनस्थ सेवा चयन मण्डल का गठन नहीं किया अथवा व्यापम को भर्ती परीक्षाएं सौंपने में क्या लाभ देखा गया। चिकित्सा, अभियांत्रिकी महाविद्यालयों इत्यादि की परीक्षाओं को आयोजित करने से संबंधित प्रक्रियाएं व्यावसायिक अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों को ग्रेडिंग देने के समतुल्य हैं और किसी भी प्रकार से शासकीय पदों पर भर्ती के लिए बनाई गई एक गतिविधि के समान नहीं है। नौकरी में भर्ती हेतु न केवल कौशल व ज्ञान का आकलन शामिल होता है बल्कि क्षमता व शारीरिक स्वस्थता भी शामिल होता है। आरक्षण एवं कोटे जैसे मामलों को भी ध्यान में रखा जाता है। भर्ती प्रक्रियाओं में विभिन्न पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों की परीक्षा (न केवल चिकित्सा व अभियांत्रिकी) शामिल होती है। इसमें विशेष संख्या में व्यक्तियों को पृथक करना व चयन शामिल रहता है। वहीं दूसरी ओर, महाविद्यालयों में प्रवेश की परीक्षाओं में आजीविका प्रदाय करने का उद्देश्य शामिल नहीं रहता और केवल व्यक्ति की सामूहिक परीक्षा में प्रदर्शन के अनुसार उम्मीदवारों को ग्रेड देना है। इसका उद्देश्य अलग शिक्षा प्रणाली से आने वाले व्यक्तियों जो राज्य में व्यावसायिक ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हो के कौशल स्तर का मानकीकरण करना है, जिससे कि राज्य में प्रस्तावित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये एक साझा मंच पर तुलना किया जाना संभव हो। इसमें निष्कासन नहीं है, इसलिए प्रतियोगिता भी कम

³ सामान्य प्रशासनिक विभाग आदेश क्रमांक सी-3-11/2003/3-1 भोपाल दिनांक 23.04.2003

है। अतः दो तरह की गतिविधियों अर्थात् प्रवेश परीक्षाएं एवं भर्ती कार्य पद्धति की आवश्यकताएं काफी अलग हैं। मूल्यांकन किये जाने वाले कौशल भिन्न थे और, इसलिए, यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि एक ही संस्था दो तरह की परीक्षाओं का आयोजन कैसे कर सकती है। एम.पी.पी.ई.बी. अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों से इन कठिनाइयों का समाधान नहीं होता है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि 20 राज्यों⁴ में से छत्तीसगढ़ (जिसका गठन मध्य प्रदेश से पृथक करके किया गया था) के अलावा कोई भी राज्य, एक ही प्राधिकारी के अन्तर्गत महाविद्यालयों में चलाये जा रहे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित गतिविधियों के साथ साथ शासकीय पदों के लिये भर्ती से संबंधित गतिविधियों का आयोजन नहीं करता है और न ही इस तरह की गतिविधि भारत सरकार करती है।

मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के अलावा भर्ती संबंधी गतिविधियाँ या तो विभागीय अथवा अधीनस्थ सेवा चयन निकायों के गठन जैसे कि कर्मचारी चयन आयोग, जो कि शासकीय निकाय थे के माध्यम से शासन के पास बरकरार रहीं। इसी तरह प्रवेश हेतु व्यावसायिक प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन शासन के पर्यवेक्षण में अकादमिक या विनियामक निकायों जैसे कि अभियांत्रिकी/चिकित्सा परीक्षाओं हेतु सी.बी.एस.ई./एम.सी.आई. द्वारा किया जाता था। इसलिए, इस तरह की कोई मिसाल उपलब्ध नहीं है, जिसमें कि भर्ती की गतिविधियों एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रवेश हेतु श्रेणीकरण को विलय किया गया हो एवं इसको ऐसे निकाय को सौंपा गया हो जिस पर शासन का कोई नियंत्रण न हो (जैसा कि अप्रैल 1982 की अधिसूचना में बताया गया था)।

3.1.4.1 भर्ती परीक्षा से संबंधित आंकड़े

मण्डल द्वारा राज्य स्तरीय पदों के लिये आयोजित की गई भर्ती परीक्षाओं के संबंध में पूछे जाने पर विभाग द्वारा जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई और कहा कि यह व्यापम से संबंधित है। तथापि मण्डल की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2005–15 के दौरान मण्डल द्वारा 90 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया गया जिसमें 86.23 लाख अभ्यर्थी सम्मिलित हुए (**परिशिष्ट-3.1.3**)। यह शासन द्वारा अपने मुख्य कार्य, अर्थात्, अपने कर्मचारियों की भर्ती, के प्रति उपेक्षा दर्शाता है, कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा अपनी सेवाओं में शामिल करने हेतु आयोजित परीक्षाओं की संख्या से संबंधित आंकड़े भी संधारित नहीं किये गए। यह भर्ती गतिविधि में पूर्ण अपारदर्शिता को प्रदर्शित करता है जो कि अवांछनीय भी है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि भर्ती कार्य सौंपने के बावजूद मण्डल को पर्याप्त रूप से सुनूँदर नहीं बनाया गया था जैसा नीचे चर्चा की गई है :

3.1.4.2 भर्ती परीक्षा के आयोजन हेतु चयन प्रक्रिया का विकास

मण्डल राज्य शासन के भर्ती अभिकरण के रूप में नियुक्त होने के पूर्व चिकित्सा, अभियांत्रिकी, कृषि एवं पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन कर रहा था। इस प्रकार, मण्डल के पास भर्ती परीक्षाओं के आयोजन की विशेषज्ञता नहीं थी और इन भर्ती परीक्षाओं में निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता एवं उपयुक्तता प्राप्त करने हेतु निष्पक्ष, सही चयन प्रक्रिया एवं पाठ्यक्रम को विकसित करने की आवश्यकता थी।

4

आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, त्रिपुरा, मेघालय, गुजरात, केरल, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल।

आदर्श रूप से मण्डल द्वारा परीक्षाओं की चयन प्रणाली को विकसित करने के लिये राज्य शासन के निर्देशन में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एम.पी.पी.एस.सी) अथवा किसी अन्य भर्ती एजेंसी से परामर्श लेना चाहिए था। एक लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में, एम.पी.पी.एस.सी ने बताया (अगस्त 2016) कि चयन प्रणाली के विकास हेतु सामान्य प्रशासन विभाग/मण्डल द्वारा उनसे परामर्श नहीं लिया गया।

हमने विभाग से जानकारी प्रदान करने हेतु अनुरोध किया (मई 2016) कि क्या कोई विनियम/चयन प्रणाली मण्डल द्वारा तैयार की गई/ राज्य शासन द्वारा पुनरीक्षण किया गया था। हालांकि, विभाग द्वारा जानकारी प्रदान नहीं की गई और बताया (अगस्त 2016) कि जानकारी एम.पी.पी.ई.बी. से संबंधित है।

क्या राज्य शासन द्वारा अभ्यर्थियों की भर्ती हेतु कोई नियम तैयार किये गये है, इस लेखापरीक्षा प्रश्न के संदर्भ में विभाग द्वारा बताया गया (अगस्त 2016) कि चयन प्रक्रिया एम.पी.पी.ई.बी. अधिनियम 2007 एवं मध्य प्रदेश अधीनस्थ सेवाएँ (संयुक्त पात्रता) परीक्षा नियम, 2013 द्वारा शासित थी। निःसंदेह, राज्य शासन द्वारा भर्ती प्रक्रिया के लिये 2013 के पूर्व कोई नियम नहीं बनाये थे, जबकि मण्डल द्वारा भर्ती परीक्षाओं का आयोजन 2004 से किया जा रहा था।

इस प्रकार, अपनी सेवाओं हेतु भर्ती को स्वच्छ एवं निष्पक्ष बनाने के शासन के प्राथमिक कार्य जिसको अभी तक लोक सेवा आयोग/शासन के विभागों द्वारा किया जा रहा था को एक ऐसी संस्था को सौंप दिया गया जो न तो सांविधिक थी, न ही स्वतंत्र थी और न ही अच्छी तरह से बनाए गए विनियमों के अंतर्गत कार्य कर रही थी।

3.1.4.3 अपर्याप्त जनशक्ति

राज्य शासन ने मण्डल के कार्य के सम्पादन हेतु (मई 1982) में 105 पदों की स्वीकृति प्रदान की थी (**परिशिष्ट-3.1.4**)। जिसे व्यावसायिक परीक्षा मण्डल सेवा भर्ती नियम, 1999 के अनुमोदन के पश्चात बढ़ाकर 126 पद कर दिया गया (**परिशिष्ट-3.1.1**)। हालांकि राज्य शासन द्वारा मण्डल को अप्रैल 2003 में राज्य स्तरीय पदों की भर्ती हेतु जिम्मेदारी प्रदान करने के पश्चात, जिसमें नौकरी के उम्मीदवारों के बहुत सारे आवेदन पत्रों का प्रबन्धन शामिल था, मण्डल में अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता का आकलन नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि मण्डल ने राज्य शासन को वर्तमान पदों पर रिक्तता के अलावा संयुक्त नियंत्रकों, उप नियंत्रकों एवं सहायक नियंत्रकों के स्तर पर अपर्याप्त जनशक्ति तथा परीक्षाएं कराने में इसके विपरीत प्रभाव के बारे में सूचित किया था (जनवरी 2010, फरवरी 2014 एवं मार्च 2014)। हालांकि राज्य शासन ने मण्डल में सितम्बर 2014 में, अर्थात मण्डल को भर्ती परीक्षाओं के लिए जिम्मेवार बनाने के 11 वर्षों के पश्चात केवल 44 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति प्रदान की।

उत्तर में, विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) कि नवीन प्रस्तावित ढाँचे के अनुसार व्यापम में 44 पदों के लिये स्वीकृति प्रदान की गई थी। व्यापम ने 2008 से नियमित रूप से परीक्षाओं का आयोजन प्रारम्भ कर दिया था। व्यापम में पदों को स्वीकृत करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ था। जहाँ तक संभव हुआ व्यापम में समय समय पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, व्यापम 2004 से भर्ती परीक्षाओं का आयोजन कर रहा था और व्यापम को भर्ती का कार्य सौंपने के 11 वर्ष पश्चात जनशक्ति को सुदृढ़ किया गया था। इसके अतिरिक्त राज्य शासन अथवा मण्डल द्वारा कभी भी शिक्षाविदों/वेश्याचन सेटर/साक्षात्कार कर्ताओं इत्यादि के तकनीकी विशेषज्ञों के पैनल के संदर्भ में मण्डल को सुदृढ़ करने के लिये विचार किया हो, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था।

इस प्रकार, शासन ने मण्डल को उसकी जनशक्ति की गुणवत्ता एवं मात्रा में परस्पर वृद्धि किए बिना ही भर्ती कार्य सौंप दिया था।

3.1.4.4 पुलिस विभाग हेतु भर्ती परीक्षा

सामान्य प्रशासन विभाग (जी.ए.डी.) के आदेश (अप्रैल 2003) के अनुसार मण्डल द्वारा पुलिस एवं विधि विभाग के पदों हेतु परीक्षाएं आयोजित नहीं की जानी थी। मध्य प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त पात्रता) परीक्षा नियम 2013, जिसमें मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं की सूची थी उसमें भी पुलिस एवं विधि विभाग के पदों को सम्मिलित नहीं किया गया था।

जबकि तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा मण्डल के माध्यम से राज्य स्तरीय पदों के लिये आयोजित की गई भर्ती परीक्षाओं का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। मण्डल की वेबसाइट (www.vyapam.nic.in) पर उपलब्ध जानकारी से ज्ञात हुआ कि मण्डल द्वारा वर्ष 2005–15 तक पुलिस विभाग के लिये 11 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया गया जिसमें 12.01 लाख रोजगार आकांक्षी सम्मिलित हुए (**परिशिष्ट—3.1.5**), जो सामान्य प्रशासनिक विभाग के आदेशों का उल्लंघन था। कितने रिक्त पदों के विरुद्ध ये परीक्षाएं आयोजित की गई थीं यह वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं था।

लेखापरीक्षा को सभी आवश्यक अभिलेख उपलब्ध न कराए जाने के कारण यह अभिनिश्चित नहीं किया जा सका कि सामान्य प्रशासनिक विभाग के आदेशों के विपरीत भी किन कारणों से व किसके प्राधिकार से मण्डल को पुलिस विभाग के लिये भर्ती परीक्षा सौंपी गई थी।

इस ओर इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा उत्तर नहीं दिया गया एवं बताया कि मामला व्यापम से संबंधित है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मण्डल को संबंधित विभागों से मांग के बिना परीक्षाओं का आयोजन नहीं करना चाहिये था और यदि शासकीय आदेश में निहित निर्धारित प्रक्रियाओं को खारिज करना था तो उसे शासन के सक्षम प्राधिकारी के निर्णय द्वारा लाभ अथवा हानि के पर्याप्त विचार एवं विवेचना के पश्चात किया जा सकता था। व्यापम को पुलिस में भर्ती के लिए परीक्षाएं सौंपने से पूर्व इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होना प्रतीत हुई थी।

3.1.5 मण्डल में राज्य शासन द्वारा की गई नियुक्तियाँ

3.1.5.1 भर्ती नियमों का उल्लंघन करते हुये व्यापम के संचालक की नियुक्ति

व्यावसायिक परीक्षा मण्डल सेवा भर्ती नियम, 1999 के अन्तर्गत नियम 5 के अनुसूची 2 के अनुसार मण्डल के संचालक का पद इंजीनियरिंग महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राचार्य या अन्य विभाग के इसके समकक्ष स्तर के अधिकारियों के स्थानांतरण से, जिन्हें परीक्षा कार्य का पर्याप्त अनुभव हो से भरा जाएगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि तत्कालीन मंत्री, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन, मध्य प्रदेश शासन, श्री राजा पटेरिया द्वारा अपनी टीप दिनांक 25.10.2002 के माध्यम से डॉ. योगेश उपरीत को व्यापम के संचालक पद पर प्रतिनियुक्ति का आदेश दिया गया। हालांकि उपसचिव, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग ने दिनांक 20.11.2002 को टीप किया गया कि डॉ. योगेश उपरीत की नियुक्ति व्यापम में संचालक के पद पर सही नहीं थी क्योंकि वह एक सेवानिवृत्त अधिकारी थे जो संविदा के आधार पर महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, सतना में कार्यरत थे।

डॉ. योगेश उपरीत की अपात्रता से संबंधित मामला तत्कालीन मंत्री, मध्य प्रदेश शासन के ध्यान में लाया गया था और उन्हें डॉ. उपरीत को संविदा आधार पर नियुक्ति देने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। मंत्री के अनुमोदन के पश्चात प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के पास अनुमोदन के लिये भेजा गया था। हालांकि मुख्यमंत्री को प्रेषित प्रस्ताव में डॉ. योगेश उपरीत की व्यापम के संचालक के पद पर अपात्रता का उल्लेख नहीं किया गया था। मुख्यमंत्री द्वारा डॉ. योगेश उपरीत को व्यापम के संचालक के पद पर संविदा आधार पर नियुक्ति के प्रस्ताव पर अनुमोदन दे दिया गया था और उनकी नियुक्ति संविदा आधार पर व्यापम के संचालक के रूप में दिनांक 14.02.2003 को की गई थी।

स्पष्ट रूप से डॉ. योगेश उपरीत की संचालक पद पर नियुक्ति अनियमित थी क्योंकि इस पद को इंजीनियरिंग महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राचार्य अथवा अन्य विभाग के समकक्ष स्तर के अधिकारी द्वारा भरा जाना आवश्यक था जबकि डॉ. उपरीत न तो अन्य विभाग में किसी समकक्ष पदश्रेणी में कार्यरत सेवक थे और न ही इंजीनियरिंग महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राचार्य थे। बाद में डॉ. उपरीत का वित्तीय एवं परीक्षा संबंधी अनियमितताओं में भी सम्मिलित होने का संदेह था जैसा की कंडिका 3.1.7.1 में विवरण दिया गया है।

इस ओर इंगित किये जाने पर विभाग ने डॉ. उपरीत की अनियमित नियुक्ति पर अपनी टिप्पणी नहीं की (अक्टूबर 2016)। हालांकि यह सूचित किया गया कि परीक्षा संबंधी अनियमिताओं के ध्यान में आने पर डॉ. उपरीत को सेवा से हटा दिया गया था।

3.1.5.2 निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना नियंत्रकों की नियुक्ति

मण्डल के भर्ती नियमों के अनुसार, नियंत्रक का पद इंजीनियरिंग महाविद्यालय के प्राध्यापक या पॉलिटेक्निक के प्राचार्यों या अन्य विभाग के समकक्ष स्तर के अधिकारियों के स्थानांतरण से जिन्हें परीक्षा कार्य का पर्याप्त अनुभव हो, से भरा जाना था। हमने पाया कि मण्डल में नियंत्रक के पदों पर नियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना की थी। जैसा कि अनुगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई।

श्री पंकज त्रिवेदी की नियंत्रक, व्यापम के रूप में नियुक्ति

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग ने तत्कालीन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री, श्री लक्ष्मीकांत शर्मा को नियंत्रक, व्यापम के पद हेतु एक पैनल जिसमें तीन अधिकारियों का नाम सम्मिलित था, प्रस्तुत किया था (अप्रैल 2011)। तथापि मंत्री ने डॉ. पंकज त्रिवेदी को परीक्षा नियंत्रक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करने के निर्देश दिये थे जबकि डॉ. त्रिवेदी का नाम प्रस्तावित पैनल में नहीं था। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग ने डॉ. पंकज त्रिवेदी की नियुक्ति नियंत्रक पद पर कार्यग्रहण दिनांक से 2 वर्ष के लिये करने के लिए आदेश जारी किए थे (अप्रैल 2011) और उनके द्वारा मई 2011 में कार्यग्रहण किया गया।

डॉ. पंकज त्रिवेदी की नियंत्रक के पद पर नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों (फरवरी 2008) जिसके अनुसार प्रतिनियुक्ति हेतु अधिकारियों के चयन हेतु न्यूनतम तीन अधिकारियों का पैनल आवश्यक है, की अवहेलना थी। हमने आगे पाया कि डॉ. पंकज त्रिवेदी के पास नियंत्रक पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हता नहीं थी इसके साथ-साथ उनके पास परीक्षा संबंधी कार्य का अनुभव नहीं था।

आगे संवीक्षा में पाया गया कि डॉ. पंकज त्रिवेदी ने अवधि 21.06.2011 से 27.07.2012 तक मण्डल के संचालक के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला। आगे उन्हें राज्य शासन के आदेश दिनांक 28.07.2012 से संचालक के रूप में यह आदेश करते हुए नियुक्त किया गया कि "राज्य शासन द्वारा नियंत्रक पद पर यथावत पदस्थ रखते हुए श्री पंकज त्रिवेदी को निदेशक, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के पद पर पदस्थ किया जाता

है"। डॉ. त्रिवेदी एम.पी.पी.ई.बी. में दिनांक 28.07.2012 से 30.07.2013 तक दोनों पदों अर्थात् नियंत्रक के साथ साथ संचालक पद पर पदस्थ बने रहे।

इस ओर इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) कि डॉ. पंकज त्रिवेदी का नाम पैनल में अप्रेषित नहीं किया गया था। विभाग ने पुनः सूचित किया कि उस समय उनकी योग्यता एवं अनुभव से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं थे और शासन स्तर पर उनकी जांच भी नहीं की गई थी। एम.पी.पी.ई.बी. में संचालक के रूप में उनकी नियुक्ति के संदर्भ में विभाग ने उत्तर दिया कि संचालक पद की रिक्तता के विरुद्ध डॉ. त्रिवेदी को संचालक का प्रभार सौंपा गया था।

इस प्रकार, डॉ. पंकज त्रिवेदी की नियंत्रक, व्यापम के रूप में नियुक्ति अनियमित थी और उनके द्वारा धारण की गई आवश्यक योग्यता को शासन द्वारा कभी भी प्रमाणित नहीं किया गया।

श्री सुधीर सिंह भदौरिया की नियंत्रक, व्यापम के रूप में नियुक्ति

अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि तत्कालीन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), तकनीकी शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन श्री तुकोजीराव पवार ने मण्डल में नियंत्रक के रूप में श्री सुधीर सिंह भदौरिया को इस आधार पर कि वह नियंत्रक पद के लिये आवश्यक योग्यता व परीक्षा संबंधी अनुभव को पूरा करते थे व उनका गोपनीय प्रतिवेदन भी उत्कृष्ट/बहुत अच्छा था, मण्डल के नियंत्रक के रूप में नियुक्त करने के आदेश दिए थे (जुलाई 2007)। हमने पाया कि नियंत्रक, व्यापम के रिक्त पद जिसके विरुद्ध श्री भदौरिया की नियुक्ति हुई, को भरने के लिये कोई पैनल तैयार नहीं किया गया था।

इस ओर इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) कि अन्य विभागों से आवेदन प्राप्त करने हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था।

इस प्रकार, डॉ. पंकज त्रिवेदी व श्री सुधीर सिंह भदौरिया की नियंत्रक, व्यापम के पद पर प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति तत्कालीन मंत्रियों द्वारा प्रतिनियुक्ति की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना ही कर दी गई। यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि डॉ. पंकज त्रिवेदी के 2012 एवं 2013 में आयोजित प्रवेश/भर्ती परीक्षाओं में तथा-कथित अनियमितताओं में सम्मिलित होने का संदेह था (**परिशिष्ट-3.1.6**)। इन अनियमितताओं के बावजूद भी, राज्य शासन द्वारा उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि को मार्च 2013 में दो वर्ष के लिये बढ़ाया गया था।

3.1.5.3 वेतनमानों का स्वतः उन्नयन से अनुचित लाभ

व्यावसायिक परीक्षा मण्डल सेवा भर्ती नियम, 1999 के नियम-5 के अन्तर्गत अनुसूची-एक (के) के अनुसार सीनियर सिस्टम एनालिस्ट व सिस्टम एनालिस्ट के पद प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी संवर्ग के थे। जिनका वेतनमान क्रमशः ₹ 10,000–15,200 व ₹ 8,000–13,500 था।

अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि अध्यक्ष व्यापम के अनुमोदन से सीनियर सिस्टम एनालिस्ट व सिस्टम एनालिस्ट के मौजूदा वेतनमान ₹ 10,000–15,200 व ₹ 8,000–275–13,500 को वेतनमान ₹ 12,000–375–16,500 व ₹ 10,000–325–15,200 पर उन्नयन कर दिया गया था (अक्टूबर 2003)। आगे संवीक्षा में पता चला कि इन पदों पर श्री नितिन मोहिन्दा, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट व श्री अजय कुमार, सिस्टम एनालिस्ट पदधारण किये हुये थे जो प्रवेश/भर्ती परीक्षाओं में तथाकथित अनियमितताओं में संदेहास्पद रूप से सम्मिलित थे जैसा कि कंडिका-3.1.7 में चर्चा की गई।

इसके अतिरिक्त संवीक्षा में पाया गया कि वेतनमानों का उन्नयन करने के लिये राज्य शासन का अनुमोदन नहीं लिया गया था जो आवश्यक था क्योंकि इन पदों के वेतनमान व्यावसायिक परीक्षा मण्डल सेवा भर्ती नियम, 1999 के अन्तर्गत राज्य शासन

द्वारा अनुमोदित किए गए थे। सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित प्रतिवेदन (दिनांक 25.08.2004) में भी सिस्टम एनालिस्ट व सीनियर सिस्टम एनालिस्ट के वेतनमानों के उन्नयन में अनियमितताओं की पुष्टि हुई थी, जिसमें इस हेतु डॉ. ए. कै. श्रीवास्तव, व्यापम के नियंत्रक व डॉ. योगेश उपरीत, व्यापम के संचालक को जिम्मेदार ठहराया गया था और अनियमितताओं में अध्यक्ष, व्यापम की भूमिका पृथक से अभिनिश्चित किया जाना प्रतिवेदित किया गया था।

इस ओर इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) कि सिस्टम एनालिस्ट व सीनियर सिस्टम एनालिस्ट के वेतनमान व्यावसायिक परीक्षा मण्डल सेवा भर्ती नियम, 1999 की अधिसूचना के बाद संशोधित नहीं हुए थे। यह पुनः सूचित किया गया था कि आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा इस प्रकरण को दर्ज करने की कार्यवाई की गई थी।

3.1.6 मण्डल की वित्तीय जवाबदेही

3.1.6.1 मण्डल की निधि का शासन के खाते से बाहर रखी गयी

लेखापरीक्षा के दौरान जांच हेतु मण्डल के खाते उपलब्ध नहीं थे। तथापि हमने मण्डल द्वारा विभाग को प्रेषित किए गए बजट आकलन एवं मण्डल की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी से देखा कि 2007–08 से 2013–14 तक इसकी आय ₹ 478.80 करोड़ थी (**परिशिष्ट-3.1.7**), जिसमें आवेदन पत्रों की बिक्री से आय, परीक्षा शुल्क, बैंक जमा पर ब्याज एवं अन्य विविध प्राप्तियां व वसूलियां शामिल थीं। विभाग द्वारा 2014–15 एवं 2015–16 से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसके विरुद्ध, मण्डल का कुल व्यय ₹ 389.34 करोड़ था, जिसमें सुरक्षित कोषों में अंतरण भी शामिल था जिसके फलस्वरूप अवधि 2007–14 के दौरान ₹ 89.46 करोड़ अधिशेष था।

चूंकि मार्च 2016 में सांविधिक व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की अधिसूचना जारी होने तक मण्डल शासन का एक विभाग था, समस्त प्राप्ति एवं व्यय शासन के खाते का हिस्सा था। तथापि, मण्डल की निधि को शासन के खाते से बाहर रखा गया। इसके अलावा, मण्डल की प्राप्तियां व व्यय विधायी नियंत्रण के बाहर रहे।

3.1.6.2 मण्डल की निधियों पर नियंत्रण

माननीय उच्च न्यायालय की जबलपुर खंडपीठ में दाखिल एक रिट याचिका (मैसर्स स्टडी सर्किल सोसाइटी बनाम शासन के सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग एवं व्यापम) की पृष्ठभूमि में राज्य शासन ने व्यापम को सांविधिक दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया। याचिकाकर्ता के तर्क का सार था कि राज्य शासन द्वारा अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत शक्तियों का उपयोग कर व्यापम का निर्माण अनुचित था और व्यापम को संविधान के अनुच्छेद 266 के दायरे में लाना चाहिए। इस संदर्भ में, महाधिवक्ता ने विभाग को सलाह दी (मई 2006) कि व्यापम को संविधान के अनुच्छेद 266 के अधीन लाया जाना चाहिए। इसके उत्तर में राज्य शासन ने व्यापम को सांविधिक दर्जा प्रदान करने हेतु एक अधिनियम का मसौदा तैयार करने का निर्णय लिया। जो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल अधिनियम (म.प्र.म.शि.म. अधिनियम) 1965 के समान होना था।

अधिनियम के प्रावधानुसार मण्डल की निधि का गठन ऐसा होगा जिसमें उसके द्वारा प्राप्त किया गया अथवा मण्डल की ओर से प्राप्त किया समस्त धन जमा किया जाना था। एम.पी.पी.ई.बी. अधिनियम व म.प्र.म.शि.म. अधिनियम, 1965 के अंतर्गत मण्डल की निधि के लिए संहितागत प्रावधान निम्नानुसार थे:

मण्डल निधि में जमा किया जाने वाला समस्त धन शासकीय कोषालय अथवा किसी बैंक में रखा जाएगा जैसा कि मण्डल शासन के अनुमोदन से अवधारित करें। परन्तु यह नहीं समझा जाएगा कि वह मण्डल को ऐसे धनों का, जो तत्काल व्यय के लिये अपेक्षित नहीं है, किन्तु भी शासकीय प्रतिभूतियों में विनिधान करने से प्रविरत करती है।' (म.प्र.म.शि.म. अधिनियम, 1965 की धारा 11)

मण्डल निधि में जमा समस्त धन ऐसे बैंक में, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा अवधारित किया जाय, निश्चिप्त किया जायेगा। परन्तु यह नहीं समझा जायेगा कि वह मण्डल को ऐसे धनों का, जो तत्काल व्यय के लिये अपेक्षित नहीं है, किन्तु भी शासकीय प्रतिभूतियों में विनिधान करने से प्रविरत करती है।' (एम.पी.पी.ई.बी. अधिनियम, 2007 की धारा 13)

स्पष्ट रूप से, शासन ने एम.पी.पी.ई.बी. के प्रकरण में मण्डल की निधि के संचालन पर अपने नियंत्रण को छोड़ दिया था। ऐसा मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल के मामले में नहीं था।

इसके अतिरिक्त मण्डल निधि को शासन के खाते के बाहर संधारित करना, सांविधानिक व स्वतंत्र प्राधिकरणों जैसे न्यायपालिका, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक व चुनाव आयोग के लेखों के शासन के खाते के एक भाग के रूप में लेखे रखने की प्रथा के विपरीत था।

3.1.6.3 मण्डल की निधि का गलत उपयोग

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि मण्डल ने उसके उद्देश्यों जिसके लिये उसका गठन हुआ था के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों हेतु अन्य संस्थाओं को ₹ 13.75 करोड़ प्रदान किए थे, जैसा कि तालिका-3.1.1 में विवरण दिया गया है।

तालिका-3.1.1 मण्डल द्वारा अन्य संस्थाओं को धनराशि का अंतरण

(₹ करोड़ में)

संक्र.	उस संस्थान का नाम जिसको राशि प्रदान की गई	राशि प्रदान करने का कारण	तिथि जिसको राशि प्रदान की गई	राशि
1	नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल	परियोजना में प्रस्तावित कार्य— मण्डल ने अपनी 52 वीं बैठक में राशि के अंतरण की स्वीकृति दी थी (13.12.1999)	विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई	1.60
2	इन्स्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजूकेशन, भोपाल	भवन निर्माण— मण्डल ने अपनी 54 वीं बैठक में राशि के अंतरण की स्वीकृति दी थी	30.03.2002 एवं 04.09.2000	1.15
3	सेंटर फॉर रिसर्च एण्ड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉरमेंस, भोपाल (क्रिस्प)	भोपाल में सूचना प्रौद्योगिकी से समर्थ प्रशिक्षण केन्द्र के प्रारंभ हेतु— मण्डल ने अपनी 55 वीं बैठक में राशि के अंतरण की स्वीकृति दी थी	02.01.2001, 12.04.2001 एवं 02.05.2001	1.00
4	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल	शहडोल में नवीन इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना हेतु— तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा निधि के अंतरण की स्वीकृति (मार्च 2015) दी थी।	12.05.2015	10.00
कुल				13.75

(स्रोत: विभाग द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई गई)

हमने आगे पाया कि मण्डल द्वारा राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल को अंतरित की गई राशि की चर्चा दिनांक 26.12.2014 को सचिव स्तरीय बैठक में हुई थी जिसमें मण्डल के अध्यक्ष, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के सचिव, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव व विधि विभाग के अपर सचिव उपस्थित थे। समिति की राय थी कि इंजीनियरिंग महाविद्यालय के निर्माण हेतु मण्डल द्वारा अनुदान का प्रावधान एम.पी.पी.ई.बी. अधिनियम के उद्देश्यों के अन्तर्गत शामिल नहीं था और यदि राज्य शासन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के आयोजन के अतिरिक्त गतिविधियों पर मण्डल की निधि को अंतरित करने की इच्छुक है तो उसे वर्तमान अधिनियम में संशोधन की आवश्कता होगी। तथापि, समिति की अभ्युक्तियों के बावजूद, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग ने मण्डल द्वारा ₹ 41.00 करोड़ राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल को अंतरण करने की स्वीकृति दी (मार्च 2015), जिसमें से मण्डल ने मई 2015 में ₹ 10.00 करोड़ राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल को अंतरित किए थे।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि मण्डल निधि से ₹ 13.75 करोड़ विभाग के आदेश के साथ साथ मण्डल के ही स्तर से अन्य संगठनों को अंतरित किए गए थे। जिस उद्देश्य के लिए इस निधि को अंतरित किया गया था वह न तो मण्डल बनाने के 1982 के कार्यकारी आदेश के तहत और न ही एम.पी.पी.ई.बी. अधिनियम, 2007 के तहत शामिल था।

इस ओर इंगित करने पर विभाग ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2016) कि मण्डल अपनी संचित निधि का उपयोग करने में सक्षम था। इसके आगे सूचित किया कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल को ₹ 41 करोड़ कैबिनेट से अनुमोदन के आधार पर अंतरित किए गए थे।

तथ्य यह है कि मण्डल की निधि ₹ 13.75 करोड़, जिस उद्देश्य के लिए मण्डल बनाया गया था उससे इतर अन्य संगठनों को अंतरित किया गया था। इस प्रकार, मण्डल के साथ साथ विभाग ने अपनी सुविधा के अनुसार मण्डल की संचित निधि का गलत उपयोग किया। इसके अलावा, यह दर्शित हुआ कि व्यापम की प्राप्तियों एवं उसके आवंटन, अंतरण पर शासन का स्पष्ट नियंत्रण था। राज्य शासन ने यह कहते हुए कि वह मण्डल की कार्यप्रणाली के लिए जिम्मेदार नहीं था, स्वयं को मण्डल से दूर रखा।

3.1.6.4 परीक्षा शुल्क

मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल अधिनियम, 2007 की धारा 24(2)(ख) के अनुसार, मण्डल, मण्डल की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए शुल्क का विनियमन बना सकेगा। हालांकि मण्डल द्वारा ऐसे किसी भी विनियमन को अंतिम रूप नहीं दिया गया था एवं राज्य शासन द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था।

हमने देखा कि विभिन्न भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क मण्डल द्वारा शासन से परामर्श कर निर्धारित नहीं किए गए थे। इस संदर्भ में, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि इसी तरह का संगठन जैसे कर्मचारी चयन आयोग केन्द्र सरकार के परामर्श से परीक्षा शुल्क की संरचना निर्धारित करता है।

लेखापरीक्षा में इंगित करने पर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) कि शुल्क का निर्धारण मण्डल द्वारा किया जा रहा था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिनियम की धारा 24(2)(ख) सहपठित धारा 24(4) के अनुसार मण्डल की परीक्षाओं में प्रवेश के लिये शुल्क के विनियमन को राज्य शासन द्वारा अनुमोदित किया जाना था।

3.1.7 राज्य शासन द्वारा मण्डल की निगरानी

3.1.7.1 वित्तीय अनियमितताओं में लिप्त पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध राज्य शासन द्वारा की गई कार्रवाई

सामान्य प्रशासन विभाग के सामान्य आदेश क्रमांक—एफ / 12 / 2 / 85 / प्र.स.को./एक भोपाल, दिनांक 15.10.1985 के अनुसार मध्य प्रदेश लोक आयुक्त संगठन अथवा राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो म.प्र. द्वारा भ्रष्ट आचरण के संबंध में शासकीय/ अर्द्धशासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन के लिये न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित शासकीय/ अर्द्धशासकीय कर्मचारियों को बिना किसी अपवाद के तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा।

उपरोक्त सामान्य आदेश के संदर्भ में सभी विभागों को सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग, म.प्र. शासन के सामान्य आदेश (क्रमांक—एफ/13/3/88/49-10/एक भोपाल, दिनांक 07.11.1988) द्वारा निर्देशित किया कि, ‘यह बात ध्यान में लाई गई है कि उपरोक्त निर्देशों के अनुसार एक निलंबित शासकीय अधिकारी को जिसके विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण चल रहा था, विभाग द्वारा उसको निलंबन से बहाल कर एक संवेदनशील पद पर पदस्थि किया गया। शासन इस संबंध में निर्देशित करता है कि शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार अथवा अनैतिक विषयक ऐसे गंभीर मामलों में, विशेषतः जब वे न्यायालय में चल रहे हों, नियमों एवं विनियमों में शिथिलता उचित नहीं समझी जानी चाहिए, तथा संवेदनशील पदों पर शंकास्पद पृष्ठभूमि के अधिकारियों की पदस्थापना नहीं की जानी चाहिए। अतः निवेदन है कि कृपया इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे और किसी भी प्रकार का शिथिलीकरण न दिया जाए।’

मण्डल में हुई वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित शिकायत, जनशक्ति नियोजन विभाग भोपाल को आर्थिक अपराध अन्वेषण राज्य ब्यूरो भोपाल से प्राप्त हुई थी (मार्च 2004)। उप महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग भोपाल को बताया (सितम्बर 2004), कि प्रथमदृष्ट्या अनियमितताएं पाई गई व मण्डल के निम्न अधिकारियों/ कर्मचारियों के खिलाफ जांच हेतु प्रकरण दर्ज किया गया:—

- 1— श्री अरुण गुप्ता, तत्कालीन अध्यक्ष, व्यापम
- 2— श्री योगेश उपरीत, तत्कालीन संचालक, व्यापम
- 3— श्री ए.के. श्रीवास्तव, नियंत्रक, व्यापम
4. डॉ. पी प्रकाश राव, संयुक्त नियंत्रक, व्यापम
- 5— श्री ए. के. कालिया, संयुक्त नियंत्रक, व्यापम
- 6— श्री नितिन मोहिन्द्रा, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, व्यापम
- 7— श्री अजय कुमार, सिस्टम एनालिस्ट, व्यापम
- 8— श्री अशोक मिश्रा, वित्त अधिकारी, व्यापम
- 9— श्री ओ.पी. टिकरिया, संयुक्त नियंत्रक, व्यापम
- 10— श्री रमेश दुबे, कनिष्ठ लेखा अधिकारी, व्यापम
- 11— श्रीमती राधा बेलानी, वित्त सलाहकार, व्यापम
- 12— व्यापम के अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी

अपर सचिव, मध्य प्रदेश शासन (विधि विभाग) ने दोषी व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालय में कानूनी कार्रवाई के लिये अनुमोदन दे दिया था। (अक्टूबर 2009)

अभिलेखों की जांच में आगे पता चला कि सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासनिक विभाग को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के माध्यम से मार्च 2004 में प्राप्त शिकायत पर एक प्रतिवेदन प्रेषित किया था (दिनांक 25.08.2004)। प्रतिवेदन से पता चला कि मण्डल के निम्न अधिकारी/कर्मचारी अनियमितताओं में शामिल थे:—

तालिका – 3.1.2 विभिन्न अनियमितताओं में शामिल अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

सं. क्र.	अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण	अनियमितताओं के लिए प्रथमदृष्ट्या जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची
1	हाई स्पीड स्केनर, साफ्टवेयर एवं प्रिंटर का क्रय ($\text{₹} 23.12$ लाख)	श्री अजय कुमार, सिस्टम एनालिस्ट, श्री नितिन मोहिन्द्रा, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट एवं डॉ. योगेश उपरीत, संचालक एवं डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, नियंत्रक
2	कम्प्यूटर एवं सर्वर का क्रय ($\text{₹} 21.46$ लाख)	श्री अजय कुमार, सिस्टम एनालिस्ट, डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, नियंत्रक, डॉ. योगेश उपरीत, संचालक
3	सॉफ्टवेयर का क्रय ($\text{₹} 14.35$ लाख)	श्री नितिन मोहिन्द्रा, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, नियंत्रक, डॉ. योगेश उपरीत, संचालक एवं श्री अजय कुमार, सिस्टम एनालिस्ट
4	पॉलीटेक्निक और आई.टी.आई को कम्प्यूटरों एवं सहायक उपकरणों का प्रदान ($\text{₹} 60.18$ लाख)	श्री अजय कुमार, सिस्टम एनालिस्ट, श्री नितिन मोहिन्द्रा, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, श्री अशोक मिश्रा, वित्त अधिकारी, श्री ओ.पी. टिकरिया, संयुक्त नियंत्रक, श्री ए.के. कालिया, संयुक्त नियंत्रक, श्री पी. प्रकाश राव, संयुक्त नियंत्रक, डॉ. योगेश उपरीत, संचालक एवं डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, नियंत्रक
5	आई.टी.आई, इंदौर के लिए चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराना ($\text{₹} 19.97$ लाख)	श्री अजय कुमार, सिस्टम एनालिस्ट, श्री नितिन मोहिन्द्रा, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, नियंत्रक, एवं डॉ. योगेश उपरीत, संचालक
6	कम्प्यूटरीकृत ओएमआर आवेदन प्रपत्र एवं उत्तरपुस्तिका का क्रय ($\text{₹} 15.00$ लाख)	श्री अजय कुमार, सिस्टम एनालिस्ट, श्री पी. प्रकाश राव, संयुक्त नियंत्रक, श्री ए.के. कालिया, संयुक्त नियंत्रक, डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, नियंत्रक एवं डॉ. योगेश उपरीत, संचालक
7	$\text{₹} 70000$ का संदिग्ध आहरण	डॉ. योगेश उपरीत, संचालक
8	आई.टी.आई प्रवेश परीक्षा में 7 अपात्र अभ्यर्थियों का समावेश	डॉ. योगेश उपरीत, संचालक
9	प्री. बी.एड परीक्षा, 2004 के लिए फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि समाप्ति के बाद 7 आवेदन पत्रों को स्वीकार करना।	डॉ. योगेश उपरीत, संचालक

(स्रोत:— विभाग के अभिलेखों से एकत्रित जानकारी)

हमने आगे देखा कि तत्कालीन मंत्री (तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, मध्य प्रदेश) ने अनियमितताओं में शामिल सभी व्यक्तियों के निलंबन के निर्देश जांच की समाप्ति तक के लिए दिए थे (नवम्बर 2004) जिसे 60 दिवस के भीतर समाप्त किया जाना

चाहिए था और उन्हें महत्वपूर्ण पदों को धारण नहीं करना था। तथापि, मंत्री के आदेश का पालन नहीं किया गया एवं अधिकारियों को निरंतर कार्य करने की अनुमति दी गई थी।

इसके अतिरिक्त मण्डल की वेबसाइट (www.vyapam.nic.in) पर उपलब्ध जानकारी की संवीक्षा से पता चला कि मण्डल द्वारा जनवरी 2012 से जून 2013 के दौरान आयोजित प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं में विभिन्न कदाचारों को प्रतिवेदित किया गया (परिशिष्ट-3.1.6)। इन प्रकरणों में, श्री नितिन मोहिन्द्रा, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, श्री अजय कुमार कुमार, सिस्टम एनालिस्ट और अन्य को भी शामिल होना प्रतिवेदित किया गया था।

इस प्रकार, न तो राज्य सरकार ने श्री नितिन मोहिन्द्रा, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट और श्री अजय कुमार, सिस्टम एनालिस्ट को महत्वपूर्ण पदों से हटाया और न ही मण्डल को ऐसा करने हेतु निर्देशित किया जो कि राज्य सरकार के निर्देशों (अक्टूबर 1985 और नवम्बर 1988) एवं तत्कालीन मंत्री के आदेशों का उल्लंघन था।

इस ओर इंगित किए जाने पर, विभाग ने जानकारी दी (अक्टूबर 2016) कि आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने प्रकरण की जाँच की थी। चूँकि प्रकरण आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा दर्ज किया गया था और जाँच प्रक्रिया के अधीन था, राज्य शासन द्वारा अन्य कोई कार्रवाई नहीं की गई। आगे पुनः सूचित किया गया कि राज्य शासन द्वारा राज्य शासन के आरोपी अधिकारियों पर अभियोग चलाने की स्वीकृति दी गई थी। मण्डल ने श्री अशोक मिश्रा, श्री नितिन मोहिन्द्रा और श्री अजय कुमार जो व्यापम के अधिकारी थे पर अभियोग चलाने की स्वीकृति दी थी।

तथ्य यह है कि न तो मण्डल ने और न ही विभाग ने तत्कालीन मंत्री के आदेश, जिसके तहत आरोपी अधिकारियों को निलंबित किया जाना था और उन्हें महत्वपूर्ण पदों को धारण करने से दूर रखना था, का पालन किया। यह उस समय नजर में आए खतरे की स्पष्ट उपेक्षा थी जिसके कारण एम.पी.पी.ई.बी. में आगे भी अनियमितताओं के खतरे बढ़ गए और मण्डल द्वारा अवधि जनवरी 2012 से जून 2013 तक के दौरान आयोजित प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं में बाद में भी इन्हीं व्यक्तियों के शामिल होने का संदेह था। अतः यह मण्डल के ऊपर शासन की निगरानी और नियंत्रण की एक गंभीर छूट थी।

3.1.7.2 मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कदाचार

विभाग के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन अवधि वर्ष 2011–12 की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में 163 उम्मीदवारों को अनुचित साधन और परस्परधारण में लिप्त होना प्रतिवेदित किया गया जैसा की तालिका-3.1.3 में विवरण दिया गया।

तालिका-3.1.3 मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुचित साधनों में लिप्त प्रतिवेदित उम्मीदवारों की संख्या

सरल क्रमांक	वर्ष	अनुचित साधनों एवं परस्परधारण के प्रकरणों की संख्या	एफ.आई.आर की संख्या	विवेचना	न्यायालय में प्रस्तुत किए गए	न्यायालयीन निर्णय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2000	01	01	--	01	--
2	2002	01	--	--	--	--
3	2003	01	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	2004	26	23	--	23	--
5	2005	04	01	--	--	--
6	2006	18	18	07	11	--
7	2007	01	01	--	--	01
8	2008	28	23	08	15	--
9	2009	52	51	13	33	--
10	2010	20	20	20	--	--
11	2011	11	06	01	--	--
योग		163	144	49	83	01

(स्रोतः— मण्डल का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन)

आगे जांच में पाया गया कि राज्य शासन ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेशित संदिग्ध उम्मीदवारों के प्रवेश से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक समिति 'छानबीन समिति' के नाम से गठित (दिसम्बर 2009) की। तथापि, लेखापरीक्षा को 'छानबीन समिति' का प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया।

मण्डल की वेबसाइट (www.vyapam.nic.in) पर उपलब्ध जानकारी की संवीक्षा से आगे पता चला कि अवधि जून 2008 से जुलाई 2013 तक के दौरान आयोजित प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं में विभिन्न विसंगतियां हुई थी। मण्डल ने भी अनुचित साधनों के उपयोग में शामिल पाए गए विद्यार्थियों की उम्मीदवारी/आवेदनों को निरस्त कर दिया था। मण्डल द्वारा राज्य सरकार को इस संबंध में सूचित किया गया था (परिशिष्ट 3.1.8 एवं 3.1.9)।

इस ओर इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) कि शासन ने मण्डल से संबंधित विभिन्न अनियमितताओं के संबंध में समय—समय पर एम.पी.पी.ई.बी. अधिनियम 2007 की धारा 11 में दी गई शक्तियों का उपयोग कर एसटीएफ, एसआईटी एवं शासन की अन्य एंजेसियों के माध्यम से आवश्यक कार्यवाई की थी।

मण्डल से जानकारी प्राप्त होने के बाद, राज्य शासन द्वारा परीक्षाओं में अनियमितताओं को रोकने हेतु की गई कार्यवाई के संबंध में पूछने पर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) कि परीक्षाओं के पारदर्शी तरीके से आयोजन की जिम्मेदारी मण्डल की थी व उसके द्वारा ही आवश्यक कार्रवाई की थी।

इस तरह से, मण्डल द्वारा संज्ञान में लाने के बावजूद भी राज्य शासन ने अनियमितताओं को रोकने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अतिरिक्त मण्डल द्वारा की जा रही प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं में उक्त कदाचरणों के रोकथाम हेतु राज्य शासन ने नियम नहीं बनाये व मण्डल द्वारा विनियम तैयार नहीं किए गए। हाल ही में एक निर्णय में (13.02.2017), माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनुचित साधनों के उपयोग करने के कारण 634 चिकित्सा छात्रों के प्रवेश को रद्द कर दिया था। इस प्रकार, व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए पर्याप्त विनियामक ढाँचे को स्थापित करने में राज्य सरकार की निष्क्रियता से प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों का भविष्य खतरे में पड़ चुका था।

3.1.7.3 अभ्यर्थियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र



मण्डल की वेबसाइट (www.vyapam.nic.in) पर उपलब्ध जानकारी से, लेखापरीक्षा ने देखा कि मण्डल द्वारा 2005–15 के दौरान आयोजित 128 प्रवेश परीक्षाओं में कुल 33.68 लाख छात्र सम्मिलित हुए थे एवं 90 भर्ती परीक्षाओं में 86.23 लाख नौकरी उम्मीदवार सम्मिलित हुए थे (परिशिष्ट-3.1.3)। अभ्यर्थियों की संख्या एवं परीक्षाओं की प्रकृति को देखते हुए, परीक्षा आयोजन एजेंसी के विरुद्ध स्वाभाविक रूप से शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिये। तथापि, लेखापरीक्षा को शासकीय विभाग द्वारा इस तरह की शिकायतों के समाधान हेतु कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं मिली।

इस ओर इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया (सितम्बर 2016) कि संबंधित प्रभागों (जैसे आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, स्पेशल टास्क फोर्स आदि) द्वारा कार्रवाई की जा रही थी।

3.1.7.4 आईटी आधारित प्रणाली का आकलन

सम्पूर्ण परीक्षा प्रक्रिया में, आईटी आधारित प्रणाली की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसका उपयोग विभिन्न स्तरों जैसे रोल नम्बरों का यादृच्छिक आवंटन, ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन इत्यादि में किया गया। लेखापरीक्षा के संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि राज्य शासन ने मण्डल द्वारा आयोजित की गई परीक्षाओं में उपयोग की गई आईटी आधारित प्रणाली की समग्रता सुनिश्चित की थी।

इस ओर इंगित करने पर, विभाग ने बताया (सितम्बर 2016) कि मण्डल द्वारा कार्रवाई की जा रही थी।

3.1.8 मण्डल का स्वतंत्र मूल्यांकन

मण्डल को शासकीय सेवाओं में भर्ती एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिये प्रवेश का एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है, जिसका उद्देश्य व्यापक रूप से विद्यार्थियों के लिए रोजगार अवसरों व राज्य के युवाओं के मनोबल को बढ़ाना है।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, जनशक्ति नियोजन विभाग ने मण्डल की वार्षिक लेखापरीक्षा के संबंध में मुख्यमंत्री को एक टीप (जून 1983) प्रस्तुत किया, “..... यह आवश्यक है कि मण्डल की आय एवं व्यय के संबंध में गतिविधियों की वार्षिक लेखापरीक्षा की जाना चाहिए। चूंकि महालेखाकार का कार्यालय सामान्यतः बहुत व्यस्त रहता है एवं मध्य प्रदेश में ख्याति प्राप्त सनदी लेखाकारों की फर्म उपलब्ध नहीं है, यह प्रस्तावित किया जाता है कि, कम से कम प्रारम्भ करने के लिए, वार्षिक लेखापरीक्षा कार्य स्थानीय निधि लेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा किया जाना चाहिए।” प्रस्ताव को मुख्यमंत्री द्वारा 25.06.1983 को अनुमोदित किया गया था।

इस प्रकार, महालेखाकार कार्यालय की व्यस्तता को एवं राज्य में ख्याति प्राप्त सनदी लेखाकारों के अभाव को मानते हुए मण्डल की लेखापरीक्षा का कार्य 1983 में स्थानीय निधि लेखापरीक्षा (एल.एफ.ए.) को सौंप दिया गया था। हालांकि अभिलेखों में ऐसा कुछ नहीं था जिससे कहा जा सके कि 1982–83 में मण्डल की लेखापरीक्षा हेतु महालेखाकार से परामर्श लिया गया था व उसके बाद महालेखाकार ने उनके कार्यालय के व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देते हुए जिम्मेदारियों से इंकार किया हो।

जब 2006–07 के दौरान नए अधिनियम को तैयार किया जा रहा था, मण्डल के कार्यप्रणाली के स्वतंत्र मूल्यांकन की व्यवस्था हेतु ध्यान नहीं दिया गया और लेखापरीक्षक नियुक्त करने का कार्य शासन पर छोड़ दिया गया। अधिनियम की धारा 15 में निहित है कि मण्डल के लेखों की लेखापरीक्षा कार्य प्रतिवर्ष ऐसे अभिकरण द्वारा किया जाए जिसको राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया हो।

शासन ने इस उद्देश्य के लिए स्थानीय निधि लेखापरीक्षा को नियुक्त किया (जून 2009)। तथापि, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षित प्रतिवेदन मण्डल द्वारा, विभाग को प्रेषित नहीं किये जा रहे थे। इस प्रकार, विभाग ने स्थानीय निधि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई अनियमितताओं पर निगरानी नहीं रखी।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के संबंध में, राज्य शासन ने सूचित किया (जनवरी 2015) कि एम.पी.पी.ई.बी. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 13 से 15 के अन्तर्गत नहीं आता है। आगे यह कहा गया था कि राज्य शासन के पास संस्था के रूप में एम.पी.पी.ई.बी. की ओर से वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में ऐसी कोई जानकारी एवं निष्कर्ष नहीं आया जो सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा को न्यायसंगत ठहराए। आगे पुनः बताया गया कि एम.पी.पी.ई.बी. को शासन से धन प्राप्त नहीं होता और इसलिए राज्य स्थानीय निधि लेखापरीक्षा दल के माध्यम से लेखा परीक्षा आयोजित करने की वर्तमान प्रणाली पर्याप्त प्रतीत होती है।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि 2004 में ही एम.पी.पी.ई.बी में बड़ी वित्तीय अनियमितताएं थीं जिसको तत्कालीन लेखापरीक्षा व्यवस्था, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के द्वारा भी पता नहीं किया जा सका। एक शिकायत के प्राप्त होने के पश्चात ही अनियमितताएं सुर्खियों में आईं। भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कुछ अन्य कदाचारों को भी देखा गया, जो हालांकि वित्तीय अनियमितताओं की प्रकृति के नहीं थे, जिसमें मण्डल की प्रणालीगत कमजोरी की ओर इशारा किया था, जिसको मण्डल की कार्यप्रणाली के आवधिक स्वतंत्र मूल्यांकन द्वारा रोका जा सकता था।

3.1.9 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

निष्कर्षों का सार

मण्डल का गठन शासन के विभाग के रूप में इसकी स्थिति के बारे में भ्रम के साथ अप्रैल 1982 में किया गया था, जो अब तक लगातार जारी है। राज्य सरकार ने

विभिन्न अंतर-विभागीय विचार विमर्शों के दौरान मण्डल को अपने विभाग के रूप में स्वीकार किया था, जिसकी पुष्टि उनके विधि विभाग की कानूनी राय एवं बहुत सी न्यायिक घोषणाओं द्वारा भी की गई थी। राज्य शासन का मण्डल में हुई नियुक्तियों पर भी पूर्ण नियंत्रण था क्योंकि मण्डल के अध्यक्ष, संचालक और नियंत्रक के पदों को राज्य शासन के अधिकारियों के स्थानांतरण द्वारा भरा गया था। हालांकि, राज्य शासन ने 1982 की अधिसूचना के माध्यम से मण्डल की गतिविधियों से स्वयं को दूर रखा जिसके तहत इसने मण्डल के कार्यों की किसी भी जिम्मेदारी को अस्वीकार किया।

यह दूरी एक विस्तृत विनियामक ढाँचे के तैयार किये बिना ही बनाई गई जो न केवल मण्डल की स्वाधीनता सुनिश्चित करती अपितु इसे बहुस्तरीय जबाबदेही एवं जाँच के विषयान्तर्गत करती। यह भर्ती एवं परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया को पारदर्शी, नैतिक एवं सुदृढ़ बनाती।

इस विनियामक ढाँचे के बिना, मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं की विश्वसनीयता में गम्भीर संदेह थे, जिससे बड़े पैमाने पर जन असंतोष पैदा हुआ जैसा कि मीडिया द्वारा प्रतिवेदित किया गया और विभाग द्वारा भी व्यापम के कार्यों की जांच करने वाले संस्थानों प्रवर्तन निदेशालय/सीबीआई/आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के माध्यम से स्वीकार किया गया।

अनेक अवसरों पर न्यायालयों ने घोषणा की थी कि '.....व्यापम शासन का एक विभाग है' (माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर 2002 की एक सिविल याचिका 1232 में); '....हम राज्य शासन को एम.पी.पी.ई.बी. अधिनियम 2007 के प्रावधानों के संदर्भ में मण्डल की स्थापना के लिए शीघ्र कदम उठाने के लिए कह सकते हैं' (अप्रैल 2014 में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर); '....इसका शासन से अलग कोई अस्तित्व नहीं है' (माननीय उच्चतम न्यायालय में 2016 की सिविल याचिका 1727)।

इसलिए यह तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि व्यापम की कोई भी गतिविधि 'मध्य प्रदेश राज्य की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग' के अनुरूप आयोजित की जानी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि यह उसी प्रकार की जांच, नियंत्रण और विनियमन के विषयान्तर्गत है जो कि शासन के किसी भी कार्यकारी प्रक्रिया पर लागू होती है जैसे कि बजटीय नियंत्रण, शुल्क का विनियमन, राज्य के कोषालय में राजस्व का जमा, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद व्यय, सक्षम प्राधिकारी द्वारा परीक्षाओं, भर्ती आदि के संचालन जैसी सभी गतिविधियों की समीक्षा। मण्डल के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। मण्डल की सभी गतिविधियों के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए थी। तथापि, इनमें से कोई भी प्रक्रियाएं व्यापम मामलों के कार्यकलाप पर लागू नहीं थी और इसे कई प्रकरणों में शासन से स्वतंत्र कार्य की अनुमति दी गई थी।

राज्य शासन की सबसे बड़ी चूक मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल अधिनियम, 2007 के क्रियान्वयन में विलंब था, जिसने मण्डल को सांविधिक मान्यता प्रदान की थी और यदि यह अधीनस्थ विधान के साथ पूर्णरूपेण लागू हो गया होता तो इससे उपरोक्त वर्णित दृष्टिकोण में दोहरापन समाप्त हो गया होता। तथापि, शासन ने इस अधिनियम के अंतर्गत मण्डल का गठन केवल मार्च 2016 में किया, अर्थात् आठ साल से अधिक विलंब के बाद। हालांकि, अधिनियम कई मुद्दों पर मौन था जिससे एम.पी.पी.ई.बी. की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्यप्रणाली सुनिश्चित होती। अधिनियम के अंतर्गत परिकल्पित विनियमन से, जो मण्डल, इसके अध्यक्ष और अधिकारियों की स्वतंत्रता, परीक्षाओं के उचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत तरीके से संचालन एवं एम.पी.पी.ई.बी. की निगरानी के बारे में इन कमियों को संबोधित कर सकते थे, को अभी तक तैयार नहीं किया गया था।

प्रारंभ में मण्डल की स्थापना चिकित्सा, अभियांत्रिकी, कृषि एवं पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन के लिये राज्य शासन द्वारा की गई थी। राज्य स्तरीय पदों पर भर्ती परीक्षाएं मण्डल को अप्रैल 2003 में सौंपी गई थी। इस नई गतिविधि के संहिताकरण एवं विकास के कार्य के लिए मानव संसाधन के घटक में सुधार किए बिना यह किया गया था। भर्ती परीक्षाओं के लिए चयन प्रक्रिया, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता और पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार का चयन, सांविधिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, नहीं की गई थी। मण्डल की निगरानी, लेखापरीक्षा एवं गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए व्यवस्थाओं को यथा स्थापित नहीं किया गया था जैसा कि कर्मचारी चयन आयोग या समतुल्य संगठनों पर लागू होता है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं था कि राज्य शासन ने मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में उपयोग की गई आईटी आधारित प्रणाली की समग्रता को सुनिश्चित किया हो।

कर्मचारी चयन आयोग/शासकीय विभाग को उपेक्षा कर भर्ती प्रक्रिया व्यापम को सौंपने की आवश्यकता न केवल सार्वजनिक नियुक्तियों में सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के नियमों का उल्लंघन था बल्कि यह शासन के किसी भी घोषित लक्ष्यों/लाभों के बिना किया गया था और देश भर में सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं से अलग था। छत्तीसगढ़ (जो अक्टूबर 2000 तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था) के अलावा अन्य कोई राज्य नहीं था जहां शासकीय पदों पर भर्ती हेतु परीक्षाएं उसी निकाय द्वारा कराई जाती हों जो छात्रों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु जैसे कि चिकित्सा अथवा अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा का आयोजन करता हो।

मण्डल में संचालक और नियंत्रक की नियुक्ति नियमों की सुनियोजित तरीके से अनदेखी करते हुए की गई जिसके परिणामस्वरूप कुछ अधिकारियों को अनुचित लाभ दिया गया।

मण्डल की निधि को शासकीय लेखे से बाहर रखा गया था एवं यह राज्य विधानमण्डल के बजटीय नियंत्रण के अधीन नहीं था, जिससे उसकी वित्तीय जबाबदेही कमजोर हुई।

शासन एवं किसी अन्य स्वतंत्र एंजेसी द्वारा मण्डल के निरीक्षण और आवधिक स्वतंत्रता के मूल्यांकन के अभाव में एक ऐसी स्थिति निर्मित हुई थी जिसमें समानता के सिद्धांतों एवं सार्वजनिक मामलों की जांच की अनदेखी हुई थी।

राज्य सरकार ने समय समय पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मंत्री, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, मध्य प्रदेश शासन, विभाग के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन और व्यापम की वेबसाइट पर संदेहास्पद गतिविधियों का उल्लेख होने और खतरे का संकेत होने पर भी कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की थी।

अनुशंसाएं

दोनों कार्यों यथा शासकीय पदों पर भर्ती एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा, जिन्हें वर्तमान में मण्डल को सौंपा गया है, को पृथक संस्थाओं को सौंपा जाना चाहिए।

एम.पी.पी.ई.बी. को लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग के स्तर पर लाया जाना चाहिए। अध्यक्ष और उसके सदस्य के कार्यकाल की सुरक्षा होनी चाहिए ताकि वे स्वतंत्र हो सके और चयन उचित तरीके से कर सकें।

यदि राज्य शासन को यह व्यवस्था व्यापम के साथ निरन्तर बनाये रखनी है तो राज्य शासन को अधिनियम में मौजूदा अंतर को हटाने के बाद मण्डल की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए एवं निष्पक्षता, पारदर्शिता और जबाबदेही के साथ परीक्षाओं के आयोजन को, अधीनस्थ विनियमों को तैयार एवं स्वीकार कर "मध्य प्रदेश व्यावसायिक

परीक्षा मण्डल अधिनियम, 2007” को लागू करना चाहिए। अधिनियम के तहत निर्धारित अन्य सभी विनियमों में दोहरेपन और अस्पष्टता को समाप्त करने के लिए जल्द से जल्द सहिताबद्ध किया जा सकता है।

मण्डल पर निगरानी तंत्र को मजबूत और विनियमों में पर्याप्त रूप से शामिल किया जा सकता है। इन विनियमों में मण्डल की गतिविधियों का आवधिक स्वतंत्र मूल्यांकन भी रखा जा सकता है। शासन को अन्य सरकारी विभाग/सांविधिक प्राधिकरण की तरह एम.पी.पी.ई.बी. की लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिये।

व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भर्ती नियम, 1999 की समीक्षा कर मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल अधिनियम, 2007 के प्रावधानों की तर्ज पर उपयुक्त संशोधन किए जा सकते हैं।

मण्डल में अधिकारियों की नियुक्ति में अनियमितताओं एवं अधिकारियों के वेतनमानों में उन्नयन, जैसा कि इस प्रतिवेदन द्वारा ध्यान में लाया गया, के प्रकरणों की जाँच की जा सकती है एवं अनियमितताओं की जिम्मेदारियाँ तय की जा सकती हैं।

मण्डल द्वारा आयोजित प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं हेतु शुल्क का निर्धारण राज्य सरकार के परामर्श से किया जा सकता है।

एम.पी.पी.ई.बी. लोक पदों के लिए भर्ती परीक्षाओं और शासकीय व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश, दोनों हेतु शुल्क इत्यादि एकत्रित करता है। प्राप्तियों को राज्य की संचित निधि में जमा किया जाना चाहिए एवं व्यय भी उसी से किया जाना चाहिए।

निष्कर्षों से हम अनुशंसा करते हैं कि एम.पी.पी.ई.बी. की स्थिति के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर ध्यान देकर शासन बेहतर कर सकता है और मण्डल की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इसका (एम.पी.पी.ई.बी.) शासन से अलग कोई अस्तित्व नहीं है।

श्रम विभाग

3.2 “मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल” की लेखापरीक्षा

3.2.1 प्रस्तावना

भारत सरकार द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों की मजदूरी, सेवा शर्तें, सुरक्षा और स्वास्थ्य, कल्याणकारी उपायों इत्यादि को विनियमन करने की दृष्टि से भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम) तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 का अधिनियमन (अगस्त 1996) किया गया। इन अधिनियमों के अंतर्गत, राज्य शासन द्वारा राज्य कल्याणकारी मण्डल की स्थापना तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाना है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 (नियम, 2002) अधिसूचित किया गया (1 जनवरी 2003)।

राज्य शासन द्वारा बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 18 के अनुसरण में मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल (मण्डल) की स्थापना (10 अप्रैल 2003) की गई। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के

अंतर्गत नियोक्ता के निर्माण लागत पर एक प्रतिशत की दर से वसूला गया उपकर मण्डल की निधि का मुख्य स्रोत है। वर्तमान में, मण्डल द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए 22 योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

मण्डल में श्रम मंत्री, पदेन अध्यक्ष, केन्द्र शासन द्वारा सदस्य के रूप में मनोनीत कल्याण आयुक्त, जबलपुर राज्य शासन द्वारा भवन कर्मकारों एवं नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व (प्रत्येक पाँच) करने वाले राज्य शासन द्वारा मनोनीत दस सदस्य मण्डल के सदस्य हैं। प्रमुख सचिव, श्रम विभाग और वित्त विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी अथवा प्रमुख सचिव द्वारा नामित उप सचिव मण्डल के पदेन चार सदस्य हैं।

श्रम आयुक्त, भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों के निरीक्षण के लिए मुख्य निरीक्षक है। उप श्रम आयुक्त मण्डल के सचिव हैं। जिला स्तर पर, स्थापनाओं के पंजीकरण के लिए सहायक श्रम आयुक्तों (ए.एल.सी.) एवं जिला श्रम अधिकारियों (डी.एल.ओ.) को पंजीकरण अधिकारियों (आर.ओ.) के रूप में नामित किया गया है। श्रम विभाग (एल.डी.), नगरीय स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) एवं पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) के अधिकारियों को उपकर के संग्रहण के लिए उपकर संग्राहक तथा उपकर के निर्धारण के लिए निर्धारण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। संग्रहित उपकर को जिला श्रम कार्यालयों के माध्यम से मण्डल को प्रेषित किया जाता है। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों के पंजीकरण के लिए क्रमशः नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों को मण्डल द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की स्वीकृति एवं लाभ प्रदान करने की शक्तियां पंचायती राज संस्थाओं, नगरीय स्थानीय निकायों, स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को प्रत्यायोजित की गई हैं।

मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की लेखापरीक्षा के आयोजन के माध्यम से यह सुनिश्चित करना था कि क्या उपकर का निर्धारण, अधिरोपण एवं संग्रहण दक्षता से किया गया था, मण्डल का वित्तीय प्रबंधन दक्ष एवं मितव्ययी था, कल्याणकारी मापदण्ड नियोजित थे तथा प्रभावी रूप से क्रियान्वित किए गए थे और उपकर संग्रहण एवं कल्याणकारी योजनाओं पर हुए व्यय के लिए नियंत्रण तंत्र विद्यमान था।

लेखापरीक्षा में वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक पाँच वर्ष की अवधि को समिलित किया गया। 51 जिलों में से छः जिलों⁵ (दस प्रतिशत) का चयन सरल यादृच्छिक परिचयन बिना प्रतिस्थापन पद्धति (एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) के आधार पर लेखापरीक्षा के लिए किया गया। मण्डल कार्यालय, भोपाल एवं प्रत्येक चयनित जिले के श्रम कार्यालय (एल.ओ.), एक नगरीय स्थानीय निकाय (यू.एल.बी.)⁶, एक पंचायती राज संस्था (पी.आर.आई)⁷, दो निर्माण एजेन्सियां (ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवाएँ एवं लोक निर्माण विभाग) में बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम की गतिविधियों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच की गई। प्रत्येक जिले में दो निर्माण स्थलों, इस प्रकार कुल 12 निर्माण स्थलों पर भवन संनिर्माण कर्मकार हितग्राहियों के सर्वेक्षण के लिए दौरा किया गया।

प्रमुख सचिव, श्रम विभाग के साथ 15 फरवरी 2016 को प्रवेश सम्मेलन में लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, क्षेत्र एवं पद्धति पर चर्चा की गई। दिनांक 27 अक्टूबर 2016 को प्रमुख

⁵ अनूपपुर, बैतूल, बुरहानपुर, देवास, ग्वालियर एवं उज्जैन।

⁶ नगर पालिका परिषद, अनूपपुर, नगर पालिका परिषद, बैतूल, नगर पालिका निगम, बुरहानपुर, नगर पालिका निगम, देवास, नगर पालिका निगम, ग्वालियर एवं नगर पालिका निगम, उज्जैन।

⁷ जनपद पंचायत, जैतहरी (अनूपपुर), शाहपुर (बैतूल), बुरहानपुर, सोनकच्छ (देवास), मुरार (ग्वालियर) एवं उज्जैन।

सचिव के साथ आयोजित निर्गम सम्मेलन में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। विभाग के उत्तरों को उपयुक्त स्थानों पर सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.2.2 उपकर का निर्धारण, अधिरोपण एवं संग्रहण

3.2.2.1 स्थापना एवं निर्माण श्रमिकों का पंजीयन

बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम किसी भी स्थापना जो या किसी निगमित निकाय अथवा फर्म, किसी व्यक्ति या समूह या व्यक्ति के किसी अन्य निकाय से संबंधित, अथवा उसके नियंत्रण में है एवं जो कर्मकारों को, भी भवन या अन्य संनिर्माण कार्य में नियोजित करता है जिसमें ठेकेदार से संबंधित स्थापना भी सम्मिलित है, पर लागू है। इस अधिनियम में ऐसे किसी व्यक्ति को सम्मिलित नहीं किया जाता है जहाँ स्वयं के आवास की कुल निर्माण लागत ₹ 10 लाख से अधिक नहीं है एवं निर्माण कार्य या भवन में ऐसे कर्मकार नियोजित हैं। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 के नियम 4(4) में प्रावधानित है कि स्थानीय प्राधिकरण से प्रत्येक निर्माण कार्य का अनुमोदन के साथ-साथ मण्डल के पक्ष में रेखांकित डिमाण्ड ड्राफ्ट प्राप्त किया जाए।

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम), की धारा 3, सहपठित केन्द्र शासन की सितम्बर 1996 अधिसूचना, के अनुसार नियोक्ता द्वारा किये गये निर्माण लागत के एक प्रतिशत की दर से श्रम कल्याण उपकर का अधिरोपण एवं संग्रहण किया जाए। किसी भी नियोक्ता द्वारा निर्माण परियोजना के पूर्ण होने के 30 दिवस के अंदर अधिरोपित उपकर का भुगतान किया जाना था।

बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 12 के अनुसार प्रत्येक भवन निर्माण श्रमिक जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, किन्तु 60 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं हुई हो और पिछले 12 माह की अवधि के दौरान कम से कम 90 दिवस भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य में नियोजित रहा हो, हितग्राही के रूप में पंजीयन के लिए पात्र होगा।

- भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों का पंजीयन नहीं किया जाना

बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम, 1996 की धारा 7 के अनुसार स्थापना से संबंधित प्रत्येक नियोक्ता जिस पर यह अधिनियम उसके प्रारंभ होने पर लागू होता है, संबंधित पंजीयन अधिकारी (आर.ओ.) के समक्ष स्थापना का पंजीयन करायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम, 1996 की धारा 42 (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों के निरीक्षण के लिए श्रम विभाग के अधिकारियों को निरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित छ: नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा वर्ष 2011–16 की अवधि के दौरान 2,922 भवन निर्माण अनुज्ञाएँ जारी की गई थीं। इनमें से, केवल 41 भवन अनुज्ञाएँ संबंधित पंजीकरण अधिकारी के समक्ष स्थापना के रूप में पंजीकृत थीं। इस प्रकार, शेष 2,881 भवन अनुज्ञाएँ तालिका-3.2.1 में दर्शाये विवरण अनुसार संबंधित पंजीयन अधिकारी के समक्ष पंजीकृत नहीं थीं।

स्थापनाओं का पंजीयन नहीं किया गया था।

तालिका—3.2.1: संबंधित पंजीकरण अधिकारियों के द्वारा पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या, चयनित नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा प्रकरणों की संख्या एवं स्थापना के रूप में पंजीकृत भवन अनुज्ञाओं की संख्या की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

संक्र.	जिला का नाम	चयनित नगरीय स्थानीय निकाय का नाम	चयनित नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा प्रकरणों की संख्या	संबंधित पंजीकरण अधिकारियों द्वारा पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या	स्थापना के रूप में पंजीकृत भवन अनुज्ञाओं की संख्या
1.	अनूपपुर	नगर पालिका परिषद, अनूपपुर	101	161	41
2.	बैतूल	नगर पालिका परिषद, बैतूल	258	101	00
3.	बुरहानपुर	नगर पालिका निगम, बुरहानपुर	265	250	00
4.	देवास	नगर पालिका निगम, देवास	354	30	00
5.	ग्वालियर	नगर पालिका निगम, ग्वालियर	1781	53	00
6.	उज्जैन	नगर पालिका निगम, उज्जैन	163	25	00
योग			2922	620	41

(झोत्र: चयनित नगरीय स्थानीय निकायों एवं जिला श्रम कार्यालयों द्वारा प्रदाय किये गये आँकड़े)

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में शासन ने उत्तर दिया कि जिला श्रम कार्यालयों को जिले के अंतर्गत समस्त स्थापनाओं को पंजीकृत करने संबंधी अनुदेश जारी कर दिये गये थे।

● संयुक्त भौतिक निरीक्षण एवं निर्माण स्थलों पर हितग्राहियों का सर्वेक्षण

चयनित जिलों में 12 निर्माण स्थलों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि निरीक्षण की गई 12 स्थापनाओं में से नौ स्थापनाएं पंजीकृत नहीं थीं तथा इन अपंजीकृत स्थापनाओं के नियोक्ताओं द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों के प्रारंभ होने की जानकारी श्रम अधिकारी को प्रेषित नहीं की गई थी।

इन निर्माण स्थलों पर हितग्राहियों के सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि नियोक्ताओं द्वारा इन निर्माण स्थलों पर 156 निर्माण श्रमिक नियोजित किए गए थे। यद्यपि, केवल 25 निर्माण श्रमिक ही बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत थे। शेष 131 निर्माण श्रमिक पंजीकृत होना नहीं पाए गए। इन्हे मण्डल द्वारा क्रियान्वित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में जानकारी नहीं थी। इस प्रकार, संबंधित श्रम निरीक्षक बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये इन निर्माण स्थलों का निरीक्षण करने में असफल रहे।

संबंधित पंचायती राज संस्थाओं/नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा इन निर्माण श्रमिकों का पंजीयन करने में असफल रहने के कारण, विभिन्न योजनाओं यथा, शिक्षा हेतु प्रोत्साहन, प्रसूति सहायता तथा मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह भुगतान के अंतर्गत संभावित लाभ इन निर्माण श्रमिकों को प्रदान नहीं किए गए।

साक्षात्कार के दौरान जिला श्रम अधिकारियों ने बताया कि निर्माण श्रमिकों के अन्य राज्यों से संबंधित होने, निर्माण श्रमिकों की निरक्षरता एवं नियोक्ताओं द्वारा रुचि नहीं लेने के कारण सभी निर्माण श्रमिकों का पंजीयन नहीं किया जा सका।

इससे यह परिलक्षित हुआ कि मण्डल ने स्थापनाओं एवं निर्माण श्रमिकों का पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए उचित जागरूकता अभियान हेतु प्रभावी प्रक्रिया स्थापित नहीं की।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में शासन ने बताया कि सभी जिला श्रम अधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली स्थापनाओं में नियोजित निर्माण श्रमिकों की जानकारी प्राप्त कर उन्हें पंजीकृत करने हेतु निर्देशित किया जाएगा।

3.2.2.2 उपकर का कटौत्रा नहीं किया जाना

3.2.2.2 (अ) भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों से उपकर का कटौत्रा नहीं किया जाना

उपकर अधिनियम की धारा 3 के अनुसार भवन या अन्य संनिर्माण कार्य चाहे वे शासकीय हों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से संबंधित हों अथवा जहाँ ऐसे भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य हेतु स्थानीय प्राधिकरण का अनुमोदन आवश्यक था तथा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उपकर अग्रिम रूप से संग्रहित किया हो, इन निर्माण कार्यों से संबंधित प्रत्येक नियोक्ता के स्त्रोत से कटौत्रा कर उपकर संग्रहित किया जाना चाहिए। श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश शासन द्वारा ₹ 10 लाख से अधिक निर्माण लागत के निजी आवास भवनों पर से उपकर संग्रहित किये जाने के निर्देश मई 2004 में जारी किये गये।

1,190 भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों से उपकर राशि ₹ 27.21 लाख का कटौत्रा नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा ने जनपद पंचायत, जैतहरी (अनूपपुर), बुरहानपुर, मुरार (ग्वालियर), उज्जैन एवं नगर पालिक निगम, देवास में पाया कि वर्ष 2011–16 के दौरान 1,190 भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों से उपकर की राशि ₹ 27.21 लाख का कटौत्रा नहीं किया गया। इन निर्माण कार्यों में से, केवल 43 निर्माण कार्य व्यक्तिगत कार्यों से संबंधित थे जिनकी निर्माण लागत ₹ 10 लाख से अधिक थी। शेष 1,147 निर्माण कार्य शासकीय थे। विवरण **परिशिष्ट-3.2.1** में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में शासन ने बताया कि प्रत्येक निर्माण कार्य से उपकर की वसूली के लिए संबंधित संस्थाओं को निर्देश जारी किए गए थे।

3.2.2.2 (ब) मनरेगा योजना के कार्यों से उपकर का कटौत्रा नहीं किया जाना

चयनित पी.आर.आई. की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011–16 की अवधि से संबंधित कुल 35,679 मनरेगा योजना के कार्यों से उपकर की राशि ₹ 1.83 करोड़ का कटौत्रा नहीं किया गया था। इन कार्यों की कुल निर्माण लागत ₹ 183.28 करोड़ थी। विवरण **परिशिष्ट-3.2.2** में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में शासन लेखापरीक्षा प्रेक्षण से सहमत हुआ एवं आश्वासन दिया गया कि संबंधित संस्थाओं से आवश्यक पत्राचार किया जायेगा।

3.2.2.3 संग्रहित उपकर मण्डल को अंतरित नहीं किया जाना

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 (उपकर नियम) के नियम 5(3) के अनुसार संग्रहित उपकर की राशि संग्रहण के 30 दिवस के अंदर मण्डल को अंतरित की जानी चाहिए।

चयनित जिलों में अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2011–16 के दौरान नगरीय स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं एवं निर्माण एजेन्सियों द्वारा संग्रहित उपकर की राशि को जमा करने की निर्धारित 30 दिवस की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी उपकर की राशि ₹ 3.13 करोड़ मण्डल को अंतरित (मार्च 2016 तक) नहीं की गई। विवरण **परिशिष्ट-3.2.3** में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में शासन ने सूचित किया कि बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम के प्रावधान के अनुसार समय से मण्डल को उपकर की राशि अंतरित करने

संग्रहित उपकर की राशि ₹ 3.13 करोड़ मण्डल को अंतरित नहीं की गई थी।

हेतु जिलों में नगरीय स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं तथा निर्माण एजेन्सियों को आवश्यक निर्देश जारी किये गये।

उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं था क्योंकि उपकर नियमों के अनुसार संग्रहित उपकर की राशि मण्डल को अंतरित की जानी थी।

3.2.2.4 उपकर विलम्ब से जमा किया जाना

मण्डल एवं चयनित जिलों में अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि संग्रहित उपकर की राशि जमा करने की निर्धारित अवधि 30 दिवस के बाद, उपकर संग्राहकों ने उपकर की राशि ₹ 23.31 करोड़, 30 दिवस से 96 माह के विलम्ब से मण्डल में जमा की। विवरण परिशिष्ट—3.2.4 में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में शासन ने उत्तर दिया कि मण्डल द्वारा संबंधित संस्थाओं को अनेकों बार समय से उपकर को जमा करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये। शासन ने बताया कि मण्डल को देय उपकर को समय से जमा करने हेतु सभी संबंधित संस्थाओं को पुनः निर्देश जारी किये गये।

लेखापरीक्षा को मण्डल का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 को नियम 264 (ई) प्रावधानित करता है कि मण्डल को देय राशियों की नियमित एवं समय से वसूली के लिए मण्डल जिम्मेदार होगा।

3.2.2.5 उपकर का निर्धारण नहीं किया जाना

(i) उपकर नियम के नियम 6 के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता, अपने कार्य प्रारंभ होने अथवा उपकर के भुगतान के 30 दिवस के अंदर, जैसा भी स्थिति हो, प्रारूप-1 में निर्धारण अधिकारी (एओ.) को जानकारी प्रस्तुत करेगा। उपरोक्त वर्णित नियमों के नियम 7 में प्रावधान है कि एओ. नियोक्ता से प्रारूप-1 में प्राप्त जानकारी होने पर उसकी संवीक्षा करने के उपरांत यदि वह ऐसे प्रस्तुत की गई जानकारी की सत्यता से संतुष्ट होने पर नियोक्ता द्वारा भुगतान योग्य उपकर की राशि को दर्शाते हुए, प्रारूप-1 में जानकारी के प्राप्त होने के दिनांक से अधिकतम छः माह की अवधि में एक निर्धारण आदेश जारी करेगा। श्रम विभाग के अधिकारियों, नगरीय स्थानीय निकायों के आयुक्तों एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (सी.एम.ओ) तथा पंचायती राज संस्थाओं के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्धारण अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया था।

चयनित जिला श्रम कार्यालयों (डी.एल.ओ.) में लेखापरीक्षा ने पाया कि इन कार्यालयों में वर्ष 2011–16 की अवधि से संबंधित उपकर के निर्धारण के 1,121 प्रकरण (विगत छह माह की अवधि के प्रकरणों को छोड़कर) थे, यद्यपि मात्र 539 प्रकरणों में उपकर का निर्धारण किया गया था। विवरण तालिका—3.2.2 में दर्शाया गया है:

तालिका—3.2.2: वर्ष 2011–16 के दौरान उपकर के निर्धारण हेतु लंबित प्रकरण

सं. क्र.	जिला का नाम	उपकर के निर्धारण हेतु प्रकरणों की संख्या (विगत छह माह के प्रकरणों को छोड़कर)	प्रकरणों की संख्या जिनमें उपकर का निर्धारण किया गया	उपकर के निर्धारण के लिए लंबित प्रकरणों की संख्या
1.	अनूपपुर	31	31	00
2.	बैतूल	175	28	147
3.	बुरहानपुर	273	200	73
4.	देवास	205	61	144
5.	ग्वालियर	314	123	191
6.	उज्जैन	123	96	27
योग		1121	539	582

(स्रोत: चयनित जिला श्रम कार्यालयों द्वारा प्रदाय किये गये ऑकड़े)

इस प्रकार, 582 प्रकरण छः माह की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी उपकर निर्धारण हेतु लंबित थे। अतः मण्डल को देय वास्तविक उपकर की राशि अभिनिश्चित नहीं की जा सकी।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में शासन ने सूचित किया कि जिला कार्यालयों को उपकर के निर्धारण के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने हेतु निर्देश जारी किए जा रहे थे।

भवन अनुज्ञा के 2,922 प्रकरणों में उपकर का निर्धारण अग्रिम में उपकर प्राप्त होने के बावजूद भी निर्धारण अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया था।

(ii) लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011–16 के दौरान चयनित नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा 2,922 भवन निर्माण अनुज्ञाएँ जारी की गईं। यद्यपि इन भवन अनुज्ञा प्रकरणों में निर्धारण अधिकारियों द्वारा उपकर का निर्धारण नहीं किया गया, जबकि वर्ष 2011–16 के दौरान कुल उपकर की राशि ₹ 12.51 करोड़ अग्रिम के रूप में प्राप्त हुई थी। वर्ष 2011–12 से सितम्बर 2015 तक भवन अनुज्ञाओं की संख्या जिनमें उपकर का निर्धारण नहीं किया गया तथा अग्रिम में प्राप्त उपकर की राशि का विवरण तालिका—3.2.3 में दिया गया है:

तालिका—3.2.3: वर्ष 2011–16 की अवधि के दौरान भवन अनुज्ञायें जिनमें उपकर का निर्धारण नहीं हुआ एवं अग्रिम में प्राप्त उपकर की राशि का व्यौरा दर्शानेवाला विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

संक्र.	जिला का नाम	स्थानीय नगरीय निकाय का नाम	निर्धारण नहीं की गई भवन अनुज्ञा के प्रकरणों की संख्या	अग्रिम में प्राप्त उपकर की राशि
1.	अनूपपुर	नगर पालिका परिषद, अनूपपुर	101	0.18
2.	बैतूल	नगर पालिका परिषद, बैतूल	258	0.93
3.	बुरहानपुर	नगर पालिका निगम, बुरहानपुर	265	0.67
4.	देवास	नगर पालिका निगम, देवास	354	1.69
5.	ग्वालियर	नगर पालिका निगम, ग्वालियर	1781	8.62
6.	उज्जैन	नगर पालिका निगम, उज्जैन	163	0.42
योग			2922	12.51

(स्रोत: चयनित नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा प्रदाय किये गये आँकड़े)

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में शासन ने बताया कि भवन अनुज्ञा प्रकरणों में उपकर का निर्धारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित नगर नियमों/नगरीय परिषदों को निर्देश जारी किए गये थे।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारण अधिकारी को प्रारूप—1 में जानकारी प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम छः माह के भीतर निर्धारण अधिकारी को निर्धारण आदेश जारी करना होता है और यदि नियोक्ता प्रारूप—1 में जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध अभिलेखों एवं अन्य प्रासंगिक जानकारी के आधार पर निर्धारण आदेश तैयार करने की कार्यवाही करनी चाहिए।

3.2.2.6 राजस्व वसूली प्रमाण पत्र के जारी होने में विलम्ब होना

उपकर अधिनियम की धारा 8 तथा 10 में प्रावधान है कि दोषी नियोक्ता के पास बकाया देय राशि (ब्याज या शास्ति सहित) दो प्रतिशत की दर से ब्याज सहित वसूल की जाये। उपकर नियमों के नियम 13 के अनुसार, भुगतान न की गई उपकर राशि, लंबित राशि पर ब्याज अथवा इन नियमों के अंतर्गत अधिरोपित शास्ति की वसूली के प्रयोजन के लिए निर्धारण अधिकारी अपने हस्ताक्षर से कुल अदेय राशि को निर्दिष्ट करते हुए प्रमाण पत्र तैयार करेगा तथा इसे संबंधित जिले के कलेक्टर को भेजेगा जो

उल्लिखित नियोक्ता से निर्दिष्ट राशि की वसूली की कार्यवाही उसी प्रकार करेगा जैसे कि भू-राजस्व के बकाया की वसूली की जाती है।

उपकर अधिनियम के अंतर्गत बकाया राशि की वसूली के लिए राज्य शासन द्वारा (जनवरी 2012) में सहायक श्रम आयुक्त एवं श्रम अधिकारियों को तहसीलदार की शक्तियों प्रत्यायोजित की गई थीं। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147 के प्रावधानों के अनुसार, शासन को देय बकाया भू-राजस्व की वसूली दोषी नियोक्ता की चल और अचल सम्पत्ति की बिक्री तथा जब्ती से की जाएगी।

दोषी निजी नियोक्ताओं से कुल बकाया उपकर एवं ब्याज की राशि ₹ 101.19 लाख की वसूली नहीं हुई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त (ए.एल.सी.), गवालियर तथा उज्जैन द्वारा दोषी निजी नियोक्ताओं के विरुद्ध क्रमशः 19 एवं 12 प्रकरणों में राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (आर.आर.सी) पॉच से 40 माह विलम्ब से जारी किए गए इसके अतिरिक्त, सहायक श्रम आयुक्त, गवालियर ने दोषी निजी नियोक्ताओं के विरुद्ध आर.आर.सी जारी होने के नौ से 27 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की। परिणामस्वरूप, लंबित उपकर राशि ₹ 67.74 लाख एवं विलम्ब अवधि हेतु गणना की गई ब्याज की राशि ₹ 33.45 लाख वसूली हेतु लंबित रही। विवरण **परिशिष्ट-3.2.5** में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में शासन ने उत्तर दिया कि दोषी निजी नियोक्ताओं के विरुद्ध शीघ्र ही प्रभावी कार्यवाही करने हेतु संबंधित सहायक श्रम आयुक्तों को निर्देश जारी किये गए थे।

3.2.3 वित्तीय प्रबंधन

3.2.3.1 वित्तीय ढांचा एवं व्यय

बी.ओ.सी.डब्ल्यू अधिनियम की धारा 24(1) एवं 24(2) में प्रावधान है कि मण्डल की निधि हितग्राहियों द्वारा दिए गए अंशदान तथा मण्डल को प्राप्त उपकर की राशि से निर्मित होगी इस प्रकार निर्मित निधि का उपयोग मण्डल द्वारा अपने कार्यों के संपादन हेतु व्यय यथा निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपाय तथा मण्डल के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों, सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य पारिश्रमिक के लिए किया जाना था। मण्डल सेमीनार, कार्यशाला, निर्माण श्रमिक मेला, श्रमिक सम्मेलन के आयोजन, पैम्फलेट के वितरण, दीवारों तथा होर्डिंग्स पर स्लोगन इत्यादि के माध्यम से प्रचार कर निर्माण श्रमिकों को निधि तथा कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करता है। नियम, 2002 के नियम 264 (सी) में प्रावधान है कि मण्डल लेखाओं के उचित तरीके से संधारण तथा उनकी वार्षिक लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वर्ष 2011–16 के दौरान मण्डल की आय एवं व्यय का विवरण **तालिका-3.2.4** में दिया गया है:

तालिका-3.2.4: मण्डल की आय एवं व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक


(₹ करोड़ में)

वर्ष	मण्डल को प्रेषित की गई उपकर की राशि	पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से प्राप्त अंशदान की राशि	मण्डल को प्राप्त कुल राशि	कुल व्यय की गई राशि	बचत	बचत प्रतिशत में
31 मार्च 2011 तक	508.45	0.57	509.02	96.69	412.33	81
2011–12	136.39	0.05	136.44	84.21	52.23	38
2012–13	225.76	0.05	225.81	119.00	106.81	47
2013–14	264.49	0.01	264.50	110.07	154.43	58
2014–15	303.58	0.01	303.59	63.00	240.59	79
2015–16	286.44	0.00	286.44	120.19	166.25	58
योग	1725.11	0.69	1725.80	593.16	1132.64	66

(स्रोत: मण्डल द्वारा प्रदाय किये गये ऑकड़े)

2011–16 की अवधि के दौरान 38 से 79 प्रतिशत तक की सतत बचतें रहीं।

उपरोक्त तालिका एवं नीचे दर्शाए गए चार्ट से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2011–16 के दौरान 38 से 79 प्रतिशत की सतत बचतें रहीं। पर्याप्त निधि की उपलब्धता के बावजूद, सामान्य कल्याणकारी गतिविधियों का क्रियान्वयन अत्यंत सोचनीय था। जैसा कि कंडिका-3.2.4.3 में दर्शाया गया है।



- मण्डल द्वारा प्रदाय की गई जानकारी के अनुसार, लेखापरीक्षा ने पाया कि मण्डल द्वारा अत्याधिक यथा 23 बैंक खाते खोले गए एवं 31 मार्च 2016 को राशि ₹ 1,358.78 करोड़ सावधि जमा तथा बहु-विकल्पीय जमा (एम.ओ.डी.) सह बचत खातों में जमा थी। मण्डल द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार बैंक में कुल बचत (₹ 1,358.78 करोड़) तथा मण्डल की प्रारंभ से प्राप्तियों एवं व्यय का अंतर (उपरोक्त तालिका में दर्शाई गई राशि ₹ 1,132.64 करोड़) राशि ₹ 226.14 करोड़ का अंतर था। मण्डल द्वारा लेखा पुस्तकों यथा बैंक विवरण पत्रक, रोकड़ बही, लेजर एवं वार्षिक लेखों का उवित संधारण नहीं किया गया, जिससे बैंकों में रखी हुई जमा राशि की सत्यता की पुष्टि मण्डल के अभिलेखों से नहीं हो सकी। इस प्रकार, मण्डल की वास्तविक वित्तीय स्थिति मण्डल द्वारा संधारित लेखों से प्रतिबिंबित नहीं हुई।

- मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 269 के फार्म 27 में मण्डल के बजट का प्रारूप निर्धारित किया गया है। अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि मण्डल द्वारा वर्ष 2011–16 के दौरान सावधि जमा (एफ.डी.आर.) तथा बचत सह एम.ओ.डी. खाते पर प्राप्त ब्याज की राशि का लेखांकन नहीं किया तथा वार्षिक बजट के प्रारूप से शीर्षक 'ब्याज' को छोड़ दिया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2011–16 के दौरान वार्षिक बैंक समाधान पत्रक भी तैयार नहीं किये गये। वर्ष 2011–16 की अवधि के बैंक स्टेटमेंट भी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में शासन ने बताया कि कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक व्यय किये जाने के प्रयास किए जाएंगे ₹ 226.14 करोड़ के अंतर का कारण मण्डल द्वारा प्रारंभ से ब्याज का लेखांकन नहीं किया जाना था। वर्ष 2011–12 एवं इसके पश्चात के वार्षिक लेखे सनदी लेखाकारों से शीघ्र ही तैयार कराए जाएंगे तथा उसके पश्चात बैंक समाधान पत्रक तैयार किया जायेगा। सुलभ संव्यवहार हेतु 23 बैंक खाते खोले गए थे तथा ब्याज आगामी वार्षिक बजट के प्रारूप में दर्शाया जाएगा।

ब्याज का लेखांकन नहीं किया गया तथा बैंक समाधान पत्रक तैयार नहीं किए गए थे।

23 बैंक खातों के संदर्भ में शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मण्डल के पास सभी बैंकों के बैंक खातों के विवरण पत्रक नहीं थे और न ही बैंक समाधान पत्रक तैयार किया गया था।

3.2.3.2 अवास्तविक बजट अनुमान

बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 25 तथा मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 269 प्रावधानित करता है कि मण्डल आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट प्रत्येक वर्ष 10 मार्च से पहले तैयार एवं अनुमोदित करेगा। राज्य तथा केन्द्र शासन को इस प्रकार प्रेषित करेगा जिससे यह 20 मार्च तक उनके पास पहुँच जाए। वर्ष 2011–16 के दौरान वर्षवार बजट अनुमान एवं वार्षिक प्राप्तियां और व्यय तालिका—3.2.5 में दर्शाया गया:

तालिका—3.2.5: प्राक्कलित एवं वास्तविक प्राप्तियां एवं व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राप्तियां			व्यय		
	प्राक्कलित	वास्तविक	आधिक्य (+)/कमी (-)	प्राक्कलित	वास्तविक	आधिक्य (+)/कमी (-)
2011–12	175.05	136.44	(-) 38.61	110.83	84.21	(-) 26.62
2012–13	175.05	225.81	(+) 50.76	108.81	119.00	(+) 10.19
2013–14	230.04	264.50	(+) 34.46	207.78	110.07	(-) 97.71
2014–15	300.02	303.59	(+) 3.57	231.03	63.00	(-) 168.03
2015–16	320.00	286.44	(-) 33.56	391.12	120.19	(-) 270.93

(स्रोत: मण्डल द्वारा प्रदाय किये गये ऑकड़े)

बजट प्राक्कलन पूर्णतः अवास्तविक थे तथा केन्द्र एवं राज्य शासन को प्रेषित नहीं किए गए थे।

उपरोक्त तालिका में प्राक्कलित प्राप्तियों एवं व्यय में अत्यधिक कमी/आधिक्य से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि के लिये मण्डल द्वारा अनुमोदित बजट अवास्तविक थे। इसके अतिरिक्त वर्ष 2011–16 की अवधि के लिए बजट केन्द्र तथा राज्य शासन को प्रेषित नहीं किये गये।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में शासन ने बताया कि भविष्य में बजट प्राक्कलन वास्तविक एवं सही तथ्यों के आधार पर तैयार किए जाएंगे। वर्ष 2011–16 की अवधि के लिए बजट केन्द्र तथा राज्य शासन को प्रेषित नहीं किए जाने के संदर्भ में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

3.2.3.3 वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए जाना

बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम, 1996 की धारा 27 (1) में प्रावधान है कि मण्डल लेखाओं एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का उचित संधारण करेगा तथा ऐसे प्रारूप में जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से निर्धारित किए गए प्रपत्र में लेखाओं का वार्षिक विवरण पत्रक बनाएगा। नियम, 2002 के नियम 264 (बी) में प्रावधान है कि मण्डल शासन को वार्षिक बजट, वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा तथा नियम 264 (सी) में प्रावधान है कि मण्डल लेखाओं के उचित संधारण और अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों के अनुसार उनकी वार्षिक लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मण्डल द्वारा अपनाए गए प्रारूप में तुलन पत्रक तथा आय एवं व्यय लेखे के प्रारूप मण्डल द्वारा अनुमोदित थे परंतु वित्त विभाग एवं श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से उनका अनुमोदन नहीं कराया गया था। वर्ष 2011–12 के लिए मण्डल के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने जून, 2015 में जारी

किए थे। वर्ष 2011–12 की अवधि के लिए सनदी लेखाकारों के प्रतिवेदन के साथ लेखाओं के वार्षिक विवरण की लेखापरीक्षित प्रति राज्य विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत नहीं की गई थी। वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2015–16 के लिए वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए गए थे। वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा भी नहीं की गई।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में, शासन ने बताया कि वर्ष 2011–12 के लिए लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जाना प्रक्रियाधीन था तथा वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक के वार्षिक लेखें तैयार किये जा रहे थे।

3.2.3.4 उपकर की प्राप्ति नहीं होना

मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 264 (ई) में प्रावधान है कि मण्डल को देय राशियों की उचित एवं समय से वसूली के लिए मण्डल उत्तरदायी होगा।

नियोक्ताओं से उपकर की राशि ₹ 12.93 करोड़ प्राप्त नहीं हुई थी।

मण्डल के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि प्रारंभ से वर्ष 2015–16 तक उपकर के मण्डल में प्राप्त चेक अथवा डाफ्ट राशि ₹ 12.93 करोड़⁸ (₹ 0.42 करोड़ मूल रिटर्न⁹ एवं ₹ 12.51 करोड़ बैंक रिटर्न¹⁰) भुगतान न होने के कारण जारी कर्त्ताओं को वापिस किए गए थे, जारी कर्त्ताओं से इन वापिस किए गए चैक अथवा ड्राफ्ट्स के विरुद्ध कोई नवीन चैक अथवा ड्राफ्ट्स मार्च 2016 तक प्राप्त नहीं हुए थे। परिणामस्वरूप मण्डल की अनुवीक्षण में कमी से उपकर की हानि हुई। विवरण **परिशिष्ट-3.2.6** में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में शासन ने सूचित किया कि संबंधित कार्यालयों से पत्राचार किया जाएगा तथा ऐसे प्रकरणों में जिनमें उपकर जमा नहीं किया गया है, आर.आर.सी. जारी करने की कार्यवाही की जाएगी।

3.2.3.5 असंगत व्यय

बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 24 (2) में प्रावधान है कि मण्डल द्वारा संग्रहित निधि का उपयोग मण्डल के व्यय तथा अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2012–13 से 2014–15 के दौरान मण्डल ने श्रम आयुक्त, इंदौर कार्यालय को नवीनीकरण, विद्युतीकरण तथा सिविल निर्माण कार्यों के लिए राशि ₹ 1.58 करोड़ जारी की जो अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्यों के अंतर्गत अनुमत्य नहीं थी। इस प्रकार, श्रम आयुक्त कार्यालय को जारी की गई राशि असंगत थी।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में, शासन ने उत्तर दिया कि निधि श्रम आयुक्त कार्यालय की मांग पर एवं मण्डल की बैठक के अनुसोदन उपरांत ही जारी की गई थी, तथापि, वर्ष 2014–15 के पश्चात कोई निधि जारी नहीं की गई। इसके अतिरिक्त मण्डल ने बताया (जनवरी 2016) कि राज्य शासन द्वारा बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम की

⁸ ₹ 12.33 करोड (1164 चैक/ड्राफ्ट्स) शासकीय विभागों के तथा ₹ 0.60 करोड (58 चैक/ड्राफ्ट्स) निजी नियोक्ताओं के।

⁹ जहाँ मण्डल द्वारा चैक/ड्राफ्ट्स के त्रुटिपूर्ण होने की पहचान की गई।

¹⁰ जहाँ बैंक द्वारा चैक/ड्राफ्ट्स के त्रुटिपूर्ण होने की पहचान कर उन्हें मंडल को। तत्पश्चात मण्डल द्वारा जारी कर्त्ताओं को वापिस किया गया।

धारा 42 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रम आयुक्त को मुख्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है तथा बी.ओ.सी.डब्ल्यू अधिनियम के अंतर्गत उल्लिखित गतिविधियाँ यथा उपकर का निर्धारण एवं संग्रहण तथा निरीक्षण श्रम आयुक्त के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में किया जाना है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह बी.ओ.सी.डब्ल्यू अधिनियम में निहित मापदण्डों के विरुद्ध था। इसके अतिरिक्त, निचले स्तर पर, बी.ओ.सी.डब्ल्यू अधिनियम के अधीन उल्लिखित गतिविधियाँ जिला श्रम कार्यालयों, नगरीय स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं एवं निर्माण एजेन्सियों द्वारा भी नहीं की गई थी, यद्यपि मण्डल ने ऐसे उद्देश्यों के लिए अन्य एजेन्सियों को निधि जारी नहीं की थी।

3.2.3.6 प्रशासनिक व्यय का अधिक होना

बी.ओ.सी.डब्ल्यू अधिनियम की धारा 24(3) में प्रावधान है कि मण्डल एक वित्तीय वर्ष में अपने कुल व्यय के पाँच प्रतिशत से अधिक प्रशासनिक व्यय नहीं कर सकेगा।

लेखापरीक्षा में मण्डल के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया कि वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के दौरान मण्डल ने प्रशासनिक व्यय पर अनुमत्य व्यय क्रमशः ₹ 3.15 करोड़ तथा ₹ 6.01 करोड़ के विरुद्ध ₹ 4.41 करोड़ (सात प्रतिशत) तथा ₹ 7.04 करोड़ (5.86 प्रतिशत) व्यय किया। मण्डल द्वारा मैदानी कार्यालयों की स्थापना नहीं किए जाने, जैसा कि कंडिका–3.2.4.2 में उल्लेख किया गया है, के बावजूद ₹ 2.29 करोड़ का अधिक प्रशासनिक व्यय किया गया।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में शासन ने बताया कि वर्ष 2014–15 तथा 2015–16 में योजनाओं के अंतर्गत कम व्यय होने के कारण प्रशासनिक व्यय अधिक हुआ। इसके अतिरिक्त, शासन ने यह भी आश्वासन दिया कि प्रशासनिक व्यय को अनुमत्य सीमा में रखा जाएगा।

3.2.4 कल्याणकारी उपाय


बी.ओ.सी.डब्ल्यू अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत मण्डल ने प्रारंभ से मार्च 2016 तक 25 कल्याणकारी योजनाएँ प्रारंभ की थीं, उनमें से एक योजना बीमा सहायता (समूह बीमा योजना) वर्ष 2004–05 में प्रारंभ की जाकर वर्ष 2007–08 में बंद कर दी गई थी तथा दो योजनाएँ भी गृह ऋण सहायता योजना एवं पेंशन सहायता योजना वर्ष 2013–14 में बंद कर दी गई थीं। वर्तमान में, मण्डल द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को हितलाभ प्रदान करने के उद्देश्य से 22 कल्याणकारी योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मण्डल श्रम कार्यालयों (एल.ओ.) को निधि प्रदान करता है तत्पश्चात जिला श्रम कार्यालयों द्वारा संबंधित क्रियान्वयन कार्यालयों को निधि प्रदान की जाती है।

बी.ओ.सी.डब्ल्यू अधिनियम की धारा 11 एवं 12 प्रावधानित करती है कि प्रत्येक भवन निर्माण श्रमिक जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, किन्तु 60 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो, हितग्राही के रूप में पंजीकृत होगा तथा मण्डल की निधि से हितलाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

पंचायती राज संस्थाओं, नगरीय स्थानीय निकायों, स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों को मण्डल की अनेक कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत हितलाभ स्वीकृत करने एवं प्रदाय करने की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई थीं।

मण्डल ने मार्च 2016 तक 24.82 लाख भवन निर्माण श्रमिक पंजीकृत किए थे। पंजीकृत श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हेतु, मण्डल द्वारा सभी जिला अधिकारियों को समय–समय

पर विशेष अभियान के आयोजन तथा कार्यशाला एवं श्रम सम्मेलन इत्यादि के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने संबंधी निर्देश जारी किए गए थे। मण्डल द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों की पहचान के लिए कोई सर्वे नहीं किया गया तथा इस प्रकार मण्डल को राज्य में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों की वास्तविक संख्या की जानकारी नहीं थी। वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान हितग्राहियों की कुल संख्या तथा लाभान्वित हुए हितग्राहियों की संख्या को नीचे उल्लेखित चार्ट में दर्शाया गया हैः—



कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पाई गई कमियों के बारे में उत्तरवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई हैः

3.2.4.1 अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन में विलम्ब होना

नियम, 2002 की अधिसूचना तथा मण्डल का गठन में क्रमशः छह एवं सात वर्ष के विलम्ब से हुआ था।

राज्य शासन द्वारा बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम, 1996 के छह वर्ष पश्चात मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 अधिसूचित (1 जनवरी 2003) किया गया तथा अधिनियम, 1996 सात वर्ष के व्यतीत होने के उपरांत अर्थात अप्रैल 2003 में मण्डल का गठन किया। इसके अतिरिक्त, मण्डल के सभी सदस्यों की नियुक्तियाँ/नामांकन जनवरी 2014 में रद्द कर दी गई और जून 2016 तक पुनर्नियुक्ति/पुनर्नामांकन नहीं किए गए थे। तथापि, मण्डल के पदेन अध्यक्ष के रूप में श्रम मंत्री द्वारा संव्यवहारों तथा योजनाओं के क्रियान्वयन का अनुमोदन किया गया था। इस प्रकार, निर्माण श्रमिकों एवं नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में, निर्माण श्रमिकों के लिए बनाए गए कल्याणकारी उपायों का अनुवीक्षण नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में, शासन ने सूचित किया कि मण्डल का गठन/पुनर्गठन मध्य प्रदेश शासन स्तर पर किया गया और वर्तमान में, मण्डल के पुनर्गठन की प्रक्रिया शासन स्तर पर विचाराधीन है।

3.2.4.2 मण्डल द्वारा मैदानी कार्यालयों को स्थापित नहीं किया जाना

नियम, 2002 के नियम 263 के प्रावधान के अनुसार मण्डल अपने कृत्यों एवं कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु मैदानी कार्यालयों की स्थापना कर सकेगा। मध्य प्रदेश शासन

द्वारा मण्डल के मैदानी कार्यालयों हेतु 310 पदों¹¹ की स्वीकृति (जनवरी 2011) प्रदान की गई थी।

मण्डल ने न तो मैदानी कार्यालयों की स्थापना की और न ही मैदानी अमले की नियुक्तियाँ की।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मण्डल के कार्यों का दक्षता पूर्वक निर्वहन करने हेतु नियम, 2002 के नियम 263 के अनुसार न तो मैदानी कार्यालय स्थापित किए गए थे और न ही स्वीकृत 310 मैदानी अमलों के पदों पर नियुक्तियाँ की गई, जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं का क्रियान्वयन अत्यन्त सोचनीय रहा जिसका ब्यौरा कंडिका 3.2.4.3 में दिया गया है।

साक्षात्कार के दौरान, जिला श्रम अधिकारियों ने बताया कि कार्यालय में अमले की कमी है। मण्डल द्वारा संचालित की गई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अधिक स्टॉफ की आवश्यकता है।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में शासन ने बताया कि मैदानी कार्यालयों को प्रारंभ करने की कार्यवाही शीघ्र की जाएगी।

3.2.4.3 कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में 16 से 100 प्रतिशत के मध्य कमी पाई गई।

योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी अभिलेखों की जाँच में लेखापरीक्षा ने पाया कि मण्डल ने 22 योजनाओं के लिए वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए थे और वर्ष 2011–16 के दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन में 16 से 100 प्रतिशत तक की कमी पाई गई। तथापि, पाँच योजनाओं¹² में, वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 6 से 254 प्रतिशत के मध्य अधिक व्यय हुआ था। वर्ष 2011–16 के दौरान कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय लक्ष्य राशि ₹ 812.30 करोड़ के विरुद्ध केवल राशि ₹ 462.90 करोड़ ही व्यय किया जा सका था। यद्यपि, मण्डल द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्रदान करने हेतु भौतिक लक्ष्यों को निर्धारित नहीं किया गया था। विवरण परिषिष्ट-3.2.7 में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में शासन ने सूचित किया कि अमले की कमी के कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में कमी हुई। बजट प्राक्कलन को पूरा करने के लिए योजना अंतर्गत व्यय में वृद्धि की जाएगी।

3.2.4.4 एंबुलेंस का दुरुपयोग

एक भी निर्माण श्रमिक एंबुलेंस सेवा से लाभान्वित नहीं हुआ था।

असंगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवारों को तत्काल चिकित्सीय सेवाएँ प्रदान करने हेतु, वर्ष 2005 से 2007 के दौरान मण्डल द्वारा राशि ₹ 1.13 करोड़ की लागत से 48 एंबुलेंसों (मारुति ओमनी) का क्रय किया गया था। इन एंबुलेंसों को 48 जिला श्रम कार्यालयों को वितरित किया गया। लेखापरीक्षा ने चयनित जिलों में पाया कि वर्ष 2011–16 के दौरान राशि ₹ 33.37 लाख¹³ का व्यय चालक के वेतन, रखरखाव, पेट्रोल, तेल एवं स्नेहक (पी.ओ.एल.) पर किया गया तथापि, एक भी निर्माण श्रमिक अथवा उसके परिवार के सदस्यों को चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए एंबुलेंस सेवाओं का उपयोग नहीं किया गया था।

¹¹ 160 पदों को श्रम विभाग से प्रतिनियुक्ति पर भरा जाना था, 50 पदों को श्रम विभाग से प्रतिनियुक्ति पर/संविदा आधार पर पर भरा जाना था एवं 100 पदों को संविदा आधार पर भरा जाना था।

¹² चिकित्सा सहायता योजना, 2004 (वर्ष 2013–14 :18 प्रतिशत), मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह भुगतान योजना, 2004 (वर्ष 2012–13 एवं 2015–16 :6 से 9 प्रतिशत), शिक्षा हेतु प्रोत्साहन योजना, 2004 (वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 :77 से 147 प्रतिशत), प्रसूति सहायता योजना, 2004 (वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 :178 से 254 प्रतिशत) एवं विवाह सहायता योजना, 2004 (वर्ष 2013–14 :55 प्रतिशत)।

¹³ अनुपपूर (₹ 5.72 लाख), बैतूल (₹ 5.45 लाख), बुरहानपुर (₹ 5.08 लाख), देवास (₹ 5.88 लाख), ग्वालियर (₹ 4.96 लाख) एवं उज्जैन (₹ 6.27 लाख)।



निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को तत्काल चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के जिला श्रम अधिकारी, अनूपपुर को प्रदान की गई एंबुलेंस के चित्र

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में शासन ने उत्तर दिया कि एंबुलेंसों का उपयोग प्रचार-प्रसार एवं कार्यालयीन कार्यों हेतु किया गया एवं एम्बुलेंसों को स्वास्थ्य विभाग को स्थानान्तरित किया जाना विचाराधीन है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रचार-प्रसार न होने के कारण एम्बुलेंस उपयोग की सुविधा के बारे में श्रमिकों को जानकारी नहीं थी। अतः जिस उद्देश्य के लिए एंबुलेंस क्रय की गई थीं, उसकी पूर्ति नहीं हो सकी। अतः यह सुझाव है कि निर्माण श्रमिकों को एंबुलेंस की सेवा प्राप्त करने के लिए टोल फी नम्बर प्रदाय किया जाए।

3.2.4.5 मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण योजनान्तर्गत प्रशिक्षण नहीं दिया जाना

मण्डल ने (अक्टूबर 2012) मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को कौशल प्रशिक्षण प्रदाय कर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कौशल प्रशिक्षण योजना, 2012 प्रारंभ की। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के माध्यम से तकनीकी एवं वित्तीय निविदा के आधार पर चयनित अधिकृत प्रशिक्षण प्रदाताओं (ए.टी.पी.) द्वारा प्रशिक्षण प्रदाय किया जाना था। योजना का मुख्य उद्देश्य हितग्राहियों को विभिन्न प्रकार की सेवाओं, व्यवसायिक एवं विनिर्माण गतिविधियों के साथ-साथ स्थानीय कौशल एवं स्थानीय शिल्प यथा कम्प्यूटर संबंधी मौलिक जानकारी, विक्रय संबंधी (खुदरा) एवं सेलुलर फोन की मरम्मत तथा रखरखाव इत्यादि में प्रशिक्षण दिया जाना था जिससे कि वे स्वरोजगार उपक्रम स्थापित कर सके अथवा पारिश्रमिक में वृद्धि के साथ वेतनभोगी रोजगार सुरक्षित कर सके। योजना में मुख्य हितधारक मण्डल एवं श्रम विभाग थे। संभावित प्रशिक्षुओं की पहचान एवं उनकी अभिमुखता, प्रशिक्षण के प्रगति की निगरानी तथा निरीक्षण इत्यादि गतिविधियों का क्रियान्वयन मण्डल की सहायता से शासकीय विभाग और उनकी एजेन्सियों तथा अन्य चयनित प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा किया जाना था। श्रम विभाग प्रशिक्षण कार्यक्रमों इत्यादि की निगरानी के लिए उत्तरदायी था। प्रशिक्षण प्रदाताओं से विभिन्न कार्यों यथा बाजार का सर्वेक्षण एवं आँकड़न, प्रशिक्षुओं का चयन एवं प्रशिक्षण इत्यादि को क्रियान्वित किया जाना अपेक्षित था। योजना के दिशानिर्देशों एवं प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ सम्पादित अनुबंध के अनुसार, मण्डल, श्रम विभाग के स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से प्रशिक्षण एवं अन्य विहित योग्य शुल्क का तीन चरणों में यथा हितग्राही के प्रवेश लेने के एक माह उपरांत कुल भुगतान योग्य शुल्क का 30 प्रतिशत, हितग्राही के सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण कर लेने के उपरांत कुल भुगतान योग्य शुल्क का 30 प्रतिशत तथा शेष 40 प्रतिशत राशि का भुगतान कुल प्रशिक्षित हितग्राहियों में से कम से कम 70 प्रतिशत हितग्राहियों के तीन लगातार माह तक नियोजन के उपरांत किया जाना था।

8,745 प्रशिक्षणार्थियों
को व्यवसायिक
प्रशिक्षण नहीं दिया
गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि योजनान्तर्गत हितग्राहियों को प्रशिक्षण प्रदाय करने के लिए मण्डल ने अधिकृत प्रशिक्षण प्रदाता यथा ऑल इंडिया सोसायटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर टेक्नालॉजी (आईसैक्ट), स्किल वैचर्स प्राईवेट लिमिटेड इत्यादि से अनुबंध किया था। वर्ष 2013–16 के दौरान चयनित जिलों में मण्डल ने प्रशिक्षण प्रदाताओं को 10,200 प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण प्रदाय करने का लक्ष्य निर्धारित कर कार्य आदेश जारी किया था। तथापि, इस अवधि के अंतर्गत केवल 1,455 प्रशिक्षणार्थी को ही प्रशिक्षण दिया गया और संबंधित जिला श्रम कार्यालयों ने ₹ 21.82 लाख¹⁴ की धनराशि (कुल भुगतान योग्य शुल्क एवं प्रमाणीकरण शुल्क का 60 प्रतिशत) प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक समापन होने पर प्रदाय की थी। इसके अतिरिक्त कुल भुगतान योग्य शुल्क के शेष 40 प्रतिशत का भुगतान अधिकृत प्रशिक्षण प्रदाताओं को नहीं किया गया क्योंकि अधिकृत प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा तीन माह की निरंतर अवधि हेतु कुल प्रशिक्षित हितग्राहियों के कम से कम 70 प्रतिशत हितग्राहियों को नियोजित किया जाना नहीं पाया गया। इस प्रकार, हितग्राहियों को नियोजित न किए जाने से सम्पूर्ण भुगतान की गई धनराशि निष्फल रही। इसके अतिरिक्त, अधिकृत प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न सौंपे गये कार्य न करने से 8,745 हितग्राहियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाय नहीं किया गया था। विवरण परिशिष्ट—3.2.8 में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में शासन ने उत्तर दिया कि मुख्य संचालक, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के संस्थाओं द्वारा ट्रेड्स में परिवर्तन किए जाने के कारण तकनीकी शिक्षा एवं कौशल उन्नयन विभाग द्वारा संस्थाओं की मान्यता रद्द कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त, शासन द्वारा सूचित किया गया कि संबंधित अधिकारियों को इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह मण्डल की जानकारी में था कि संस्थाओं की मान्यता रद्द कर दी गई थी तथा प्रशिक्षित प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त ट्रेड्स में रोजगार प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि मण्डल ने शेष हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिए जाने एवं प्रशिक्षित हितग्राहियों को रोजगार/स्वरोजगार प्रदाय करने के संबंध में प्रभावी उपाय नहीं किए थे।

3.2.4.6 शिक्षा हेतु प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अधिक भुगतान

शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना, 2004, दिसम्बर 2004 में अधिसूचित की गई, तत्पश्चात् राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (जुलाई 2008) के अनुसार योजना के नाम में संशोधन कर इसका नाम ‘शिक्षा हेतु प्रोत्साहन योजना’ किया गया था। योजनान्तर्गत पंजीकृत भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार की संतान अथवा पत्नी, एक समय पर अधिकतम दो, जब विद्यार्थी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आता है तब वह विद्यालय/कालेज के प्राचार्य को प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन करेगा, प्राचार्य प्रचलित दरों¹⁵ पर भुगतान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि को अभिनिश्चित कर आवेदन को अनुमोदित करने के उपरांत पात्र विद्यार्थियों की सूची तैयार कर संबंधित नगरीय स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं के नामित अधिकारियों को प्रेषित करते हैं।

¹⁴ अनूपपुर (₹ 8.23 लाख), बैतूल (₹ 2.35 लाख), बुरहानपुर (₹ 2.48 लाख), देवास (₹ 1.77 लाख), ग्वालियर (₹ 2.32 लाख) एवं उज्जैन (₹ 4.67 लाख).

¹⁵ कक्षा1 से 5 (बालक: ₹ 500, बालिका: ₹ 750), कक्षा 6 से 8 (बालक: ₹ 750, बालिका: ₹ 1000), कक्षा 9 से 12 (बालक: ₹ 1000, बालिका: ₹ 1500), स्नातक (बालक: ₹ 1500, बालिका: ₹ 2000), स्नातकोत्तर (बालक: ₹ 2500, बालिका: ₹ 3000), स्नातक स्तरीय व्यवसायिक पाठ्यक्रम (बालक: ₹ 3000, बालिका: ₹ 4000) स्नातकोत्तर स्तरीय व्यवसायिक पाठ्यक्रम तथा स्नातकोत्तर उपरांत पी.एच.डी. अथवा अनुसंधान कार्य (बालक: ₹ 4000, बालिका: ₹ 5000) 11.08.2006 से प्रभावशील, तथापि, प्रोत्साहन दरें राजपत्र अधिसूचना दिनांक 13.09.2013 एवं 01.08.2014 द्वारा पुनरीक्षित हुई थी।

तत्पश्चात् नगरीय स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं के नामित अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव की पुनः जाँच कर प्राचार्यों को विद्यार्थियों के लिए राशि वितरित करने हेतु चैक जारी करेंगे।

शिक्षा हेतु प्रोत्साहन योजना से संबंधित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि योजनान्तर्गत अधिसूचित की गई प्रचलित दरों की तुलना में 2,090 विद्यार्थियों को ₹ 8.49 लाख की राशि अधिक भुगतान की गई। इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि विद्यार्थियों को वर्तमान में अध्ययनरत कक्षा की प्रचलित दर से भुगतान किए जाने के कारण प्रोत्साहन राशि का अधिक भुगतान हुआ था, तथापि, यह भुगतान अंतिम उत्तीर्ण की गई कक्षा के लिए लागू दरों पर किया जाना था।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में शासन ने स्वीकार किया कि दरों के संबंध में स्पष्ट निर्देशों के अभाव में विद्यार्थियों को अधिक राशि का भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त, शासन ने उत्तर दिया कि जिला श्रम अधिकारियों को भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों/प्राचार्यों को निर्देश जारी करने हेतु निर्देशित किया जायेगा।

3.2.4.7 मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना, 2004 अंतर्गत हितलाभों की अनुचित स्वीकृति

मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह भुगतान योजना, 2004 पंजीकृत मृतक भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार के उत्तराधिकारी को अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता प्रदान करने की दृष्टि से अधिसूचित की गई थी (दिसम्बर 2004)। इस योजना के अंतर्गत मृतक श्रमिक को अंत्येष्टि सहायता के रूप में ₹ 3,000 की राशि (जुलाई 2014 से प्रभावशील)¹⁶ तथा अनुग्रह राशि का भुगतान आयु के आधार पर यथा 45 वर्ष की आयु तक ₹ 75,000 एवं 45 वर्ष से 60 वर्ष की आयु तक ₹ 25,000 किया जाना था।

चयनित जिलों में योजना के अभिलेखों की जाँच में परिलक्षित हुआ कि वर्ष 2011–16 के दौरान चयनित कार्यालयों ने 1,201 दावा प्रकरणों में ₹ 3.57 करोड़ की राशि का वितरण किया था। लेखापरीक्षा में राशि ₹ 1.15 करोड़ के 354 दावा प्रकरणों की नमूना जाँच की गई, जिसमें राशि ₹ 26.10 लाख के 61 दावा प्रकरणों में अनियमितताएँ पाई गई थीं। अनियमितताओं का विवरण नीचे दर्शाया गया है:—

- नगर पालिका परिषद सारणी (बैतूल), श्रम कार्यालय बुरहानपुर तथा नगर पालिक निगम उज्जैन के 16 दावा प्रकरणों में, राशि ₹ 5.86 लाख वितरित की गई थी, जिसमें आवेदन पत्र के साथ संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र को जारीकर्ता प्राधिकरण जैसे नगर पालिका परिषद सारणी (बैतूल), नगर पालिक निगम बुरहानपुर एवं नगर पालिक निगम उज्जैन से सत्यापित किए जाने पर जाली पाए गए। विवरण परिशिष्ट-3.2.9 में दिया गया है।
- नगर पालिक निगम उज्जैन के 12 दावा प्रकरणों में, पंजीकरण संबंधी अभिलेखों में कूटरचना कर हितग्राहियों को राशि ₹ 4.86 लाख अनियमित रूप से वितरित की गई थी।
- नगर पालिक निगम उज्जैन के पाँच दावा प्रकरणों में, राशि ₹ 3.90 लाख का दोहरा भुगतान किया गया।
- नगर पालिक निगम उज्जैन तथा जनपद पंचायत बुरहानपुर के 10 दावा प्रकरणों में, राशि ₹ 4.49 लाख¹⁷ मृतकों के लिए वितरित की गई थी जो मण्डल में

¹⁶ अंत्येष्टि सहायता - ₹ 2,000 एवं अनुग्रह राशि- ₹ 25,000 (18 से 60 वर्ष) जुलाई, 2008 से प्रभावशील।

¹⁷ जनपद पंचायत, बुरहानपुर (5 प्रकरण- ₹ 2.09 लाख) तथा नगर पालिक निगम उज्जैन (5 प्रकरण - ₹ 2.40 लाख)

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार के रूप में पंजीकृत नहीं थे एवं इस प्रकार मण्डल की कल्याण निधि से हितलाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं थे।

- नगर पालिक निगम देवास, जनपद पंचायत सोनकच्छ (देवास) तथा नगर पालिक निगम, ग्वालियर के छह दावा प्रकरणों में, राशि ₹ 3.00 लाख¹⁸ अधिक वितरित की गई क्योंकि इन दावा प्रकरणों में, मृतक ₹ 25,000 प्राप्त करने का पात्र था जबकि राशि ₹ 75,000 का भुगतान किया गया।
- श्रम कार्यालय, बुराहानपुर तथा नगर पालिक निगम, ग्वालियर के दो दावा प्रकरणों में, राशि ₹ 0.53 लाख वितरित की गई थी, यद्यपि इन दावा प्रकरणों में, मृतक की आयु 60 वर्ष से अधिक होने के कारण हितलाभ हेतु पात्र नहीं थे।
- जनपद पंचायत जैतहरी के तीन दावा प्रकरणों में, राशि ₹ 0.84 लाख वितरित की गई थी, इन प्रकरणों में, योजना में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार हितग्राहियों के उत्तराधिकारियों ने मृत्यु के उपरांत तीन माह की निर्धारित अवधि के अंदर दावा के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया था।
- जनपद पंचायत शाहपुर (बैतूल), श्रम कार्यालय, देवास तथा सहायक श्रम आयुक्त, ग्वालियर के सात दावा प्रकरणों में, राशि ₹ 2.62 लाख¹⁹ वितरित की गई थी, इन प्रकरणों में आवेदकों ने उचित दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किया था।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में शासन ने उत्तर दिया कि सभी जिला श्रम अधिकारियों को भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति नहीं करने के लिए निर्देशित किया जाएगा एवं नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जाँच संबंधित प्राधिकारियों द्वारा हितलाभ स्वीकृत करने के पूर्व की जानी थी।

3.2.4.8 मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार चिकित्सा सहायता योजना अंतर्गत अग्रिमों का समायोजन न होना

मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार चिकित्सा सहायता योजना, 2004 पंजीकृत भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों के पति/पत्नी एवं छोटे बच्चों की गंभीर/असाध्य बीमारियों के अंतः उपचार के लिए चिकित्सा अनुदान प्रदान करने हेतु सितम्बर 2005 में अधिसूचित की गई थी। चिकित्सालयों से प्राक्कलित चिकित्सा व्यय प्राप्त करने के उपरांत, चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत करने के लिए पदाभिहित अधिकारी अपनी वित्तीय सीमा²⁰ में चिकित्सा अग्रिम संबंधित चिकित्सालय को एकाउण्ट पेरी चैक जारी करेंगे एवं इसकी सूचना पंजीकृत श्रमिक को भी प्रदाय करेगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अनूपपुर एवं सहायक श्रम आयुक्त, ग्वालियर के अभिलेखों की जाँच में परिलक्षित हुआ कि 41 प्रकरणों में ₹ 32.59 लाख की चिकित्सा अग्रिम राशि निर्धारित प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत की जाकर संबंधित चिकित्सालयों को जारी की गई थी। तथापि 35 प्रकरणों²¹ में अग्रिम राशि ₹ 27.69 लाख तीन से 56 माह की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी समायोजित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त इन कार्यालयों द्वारा जारी अग्रिमों के विरुद्ध व्यय के प्रमाणक भी प्राप्त नहीं किए गए जिससे प्रदाय अग्रिम राशि के निर्धारित उद्देश्यों पर उपयोगिता सुनिश्चित नहीं की जा

35 प्रकरणों में चिकित्सा अग्रिम की राशि ₹ 27.69 लाख तीन से 56 माह की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी समायोजित नहीं की गई थी।

¹⁸ नगर पालिक निगम, देवास (1 प्रकरण- ₹ 0.50 लाख), जनपद पंचायत, सोनकच्छ, देवास (3 प्रकरण- ₹ 1.50 लाख) तथा नगर पालिक निगम, ग्वालियर (2 प्रकरण - ₹ 1.00 लाख)।

¹⁹ जनपद पंचायत, शाहपुर, बैतूल (3 प्रकरण- ₹ 0.57 लाख), श्रम कार्यालय, देवास, (2 प्रकरण- ₹ 1.03 लाख) तथा श्रम कार्यालय, ग्वालियर (2 प्रकरण- ₹ 1.02 लाख)।

²⁰ सहायक श्रम आयुक्त/जिला श्रम अधिकारी ₹ 30,000 तक, जिला कलैक्टर ₹ 1.00 लाख तक, संभागीय आयुक्त ₹ 2.00 लाख तक तथा मंडल के सचिव ₹ 3.00 लाख तक।

²¹ सी.एम.ए.ओ. अनूपपुर-29 प्रकरण (₹ 24.04 लाख), श्रम कार्यालय, ग्वालियर-6 प्रकरण (₹ 3.65 लाख)।

सकी, जो स्वीकृतकर्ता प्राधिकारियों की चूक/असावधानी को प्रकट करता है। विवरण **परिशिष्ट-3.2.10** में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में शासन ने उत्तर दिया कि योजनान्तर्गत असमायोजित अग्रिम के समायोजन/वसूली हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा।

3.2.4.9 विवाह सहायता की अनुचित स्वीकृति

मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (हितग्राही की पुत्री के विवाह/महिला हितग्राही के स्वयं के विवाह हेतु सहायता) योजना, 2004 हितग्राही की दो पुत्रियों जिन्होंने विवाह के समय 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा महिला हितग्राही के स्वयं के विवाह/पुनर्विवाह हेतु विवाह सहायता²² प्रदान करने के उद्देश्य से अधिसूचित (सितम्बर 2005) की गई थी। इसके अतिरिक्त, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 2 (ए) प्रावधानित करता है कि 'बाल' का अर्थ एक व्यक्ति जो, यदि पुरुष अथवा महिला हैं तथा उसने क्रमशः 21 अथवा 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हैं।

योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रकरणों के आवेदन पत्रों एवं वर तथा वधू के जन्मतिथि दर्शने वाले, आवेदन के साथ संलग्न, अभिलेखों की जाँच के दौरान परिलक्षित हुआ कि 12 प्रकरणों, जिनमें वर अथवा वधू की आयु क्रमशः 21 अथवा 18 वर्ष से कम थी में विवाह सहायता स्वीकृत की गई थी। इस प्रकार, बाल विवाह के लिए **परिशिष्ट-3.2.11** में दर्शाये अनुसार विवाह सहायता की राशि ₹ 1.95 लाख का अनियमित भुगतान किया गया।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में शासन ने सूचित किया कि सभी पदाभिहित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाएगा कि विवाह के समय वर एवं वधू की आयु क्रमशः 21 एवं 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो।

3.2.4.10 बिना मानकीकरण के ऑनलाइन पोर्टल का संचालन किया जाना

भारत सरकार की वेबसाईटों हेतु जारी दिशानिर्देशों की कंडिका 1.5 के अनुसार सभी शासकीय वेबसाईटों को उपयोग योग्य, उपयोगकर्ता केन्द्रित और सर्वत्र सुलभ वेबसाईटों के अनुरूप होने के लिए वेबसाईट गुणवत्ता प्रमाणन से मानकीकरण परीक्षण गुणवत्ता प्रमाणन²³ (एस.टी.क्यू.सी.) प्राप्त किया जाना चाहिए। मण्डल ने समस्त पदाभिहित अधिकारियों को निर्देश (सितम्बर 2013) जारी किए थे कि आवश्यक रूप से हितलाभ का वितरण मण्डल के पोर्टल के माध्यम से किया जाये।

अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान, यह देखा गया कि संचालनों में पारदर्शिता का आश्वासन प्राप्त किए बिना ही पोर्टल का संचालन सितम्बर 2013 में किया गया। निम्न वर्णित अनियमिततायें यह दर्शाती हैं कि मण्डल द्वारा आनेलाइन पोर्टल का प्रारंभ योजना/नियमों के प्रावधानों का प्रवर्तन एवं धोखाधड़ी को नियंत्रित करने वाले जाँच बिन्दुओं के अभाव में किया गया। पाई गई अनियमितताओं को नीचे दर्शाया गया है:-

- पोर्टल द्वारा जारी की गई स्वीकृतियों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना, 2004 अंतर्गत तीन प्रकरणों में, पोर्टल ने अंत्येष्टि सहायता योजना के अंतर्गत भुगतान योग्य राशि ₹ 3,000 के स्थान पर ₹ 5,000 की स्वीकृति जारी की तथा एक प्रकरण में पोर्टल ने अनुग्रह भुगतान हेतु ₹ 75,000 की स्वीकृति जारी की थी, जबकि योजना के प्रावधानों के अनुसार, मृतक की उम्र 45 वर्ष से अधिक होने से वह राशि ₹ 25,000 प्राप्त करने

²² ₹ 10,000 (मई 2011 से प्रभावशील), ₹ 15,000 (जून 2012 से प्रभावशील) तथा ₹ 25,000 (जुलाई 2014 से प्रभावशील)।

²³ भारत सरकार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, का एक संगठन।

विवाह सहायता योजनान्तर्गत बाल विवाह स्वीकृत किए गए थे।

मण्डल ने आवश्यक पुष्टिकरण के बिना कल्याणकारी योजनाओं के संचालन के लिए पोर्टल प्रणाली आरंभ की।

का पात्र था। इस प्रकार, पोर्टल हितग्राही को पात्रतानुसार प्रदाय की जाने वाली राशि का मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं था।

- नगर पालिक निगम, ग्वालियर के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विवाह सहायता योजना अंतर्गत पोर्टल ने राशि ₹ 23,000 की स्वीकृति दर्शायी थी जबकि हितग्राही को राशि ₹ 25,000 का भुगतान किया जाना था।
- माह मार्च 2016 के प्रगति प्रतिवेदन में, पंजीकृत हितग्राहियों की संख्या 24,81,926 प्रतिवेदित की गई थी। मण्डल ने सभी हितग्राहियों का ऑनलाइन डाटाबेस तैयार नहीं किये जाने के कारण पोर्टल पर वैध हितग्राहियों की संख्या 3,62,197 (15 प्रतिशत) थी। इस प्रकार शेष हितग्राहियों को पोर्टल में पंजीकृत नहीं किया गया था।
- जनपद पंचायत, बुरहानपुर में ऑनलाइन स्वीकृति की जाँच के दौरान पाया गया कि विवाह सहायता के भुगतान के लिए ऑनलाइन स्वीकृति 17 वर्ष की आयु की वधू हेतु जारी की गई थी, यह पोर्टल में वर एवं वधू की विवाह योग्य आयु की पुष्टिकरण की अनुपलब्धता को इंगित करता है।
- पोर्टल से स्वीकृति आदेश जारी नहीं होने के कारण नगर पालिक निगम, देवास में विवाह सहायता के 13 प्रकरणों में भुगतान तीन से 14 माह तक लंबित था।
- पोर्टल में आयु वैधता संबंधी जाँच बिन्दू के अभाव में जनपद पंचायत, उज्जैन में, 63 वर्ष के व्यक्ति का पंजीयन पोर्टल से जारी किया गया था जबकि अधिनियम, 1996 की धारा 14 के अनुसार, 18–60 वर्ष की आयु के मध्य कर्मकार का पंजीयन किया जाना था। इसी प्रकार, नगर पालिक निगम, ग्वालियर में पंजीकृत श्रमिक के नवीनीकरण के एक प्रकरण में, 60 वर्ष से अधिक आयु के कर्मकार का नवीनीकरण किया गया।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में शासन ने सूचित किया कि एस.टी.क्यू.सी. से पोर्टल के ऑनलाइन संचालन के लिए प्रमाण पत्र शीघ्र ही प्राप्त किए जाएँगे तथा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को पोर्टल में पाई गई कमियों के निराकरण करने हेतु सूचित किया जाएगा और उनमें सुधार किया जाएगा।

3.2.4.11 दावों के निराकरण में विलम्ब होना

मध्य प्रदेश शासन राजपत्र अधिसूचना (अप्रैल 2013) में उल्लेख है कि मण्डल द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं यथा विवाह सहायता, मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह भुगतान एवं शिक्षा हेतु प्रोत्साहन के अंतर्गत हित लाभ आवेदन की तिथि से 30 दिवस के अंदर प्रदान किया जाना था।

नगर पालिक निगम, उज्जैन की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के दौरान विवाह सहायता योजना, मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह भुगतान योजना, शिक्षा हेतु प्रोत्साहन योजना तथा मेधावी छात्रों को नगद पुरुस्कार योजना अंतर्गत लाभ प्रदान करने के लिए 4,064 आवेदन दो से 16 माह के व्यतीत हो जाने के बाद भी लंबित थे। विवरण तालिका—3.2.6 में नीचे दर्शाया गया है:

तालिका—3.2.6: विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लंबित प्रकरणों का व्यौरा दर्शाने वाला विवरण पत्रक

सं. क्र.	योजना का नाम	अवधि	लंबित प्रकरणों की संख्या	विलम्ब माह में (जून 2016 कि स्थिति में)
1	शिक्षा हेतु प्रोत्साहन योजना तथा मेधावी छात्रों को नगद पुरुस्कार	2014–15	16 विद्यालय के 3657 प्रकरण	7 से 15
2	विवाह सहायता	2014–15, 2015–16	376	2 से 16
3	अंत्येष्टि सहायता	2015–16	31	9 से 12
योग			4064	2 से 16

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में शासन ने बताया कि नगर पालिक निगम, उज्जैन को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सभी प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।

3.2.5 अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन

राज्य शासन ने बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम, 1996 की धारा 42(3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों के निरीक्षण हेतु श्रम विभाग के अधिकारियों को निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया था। बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 46 के अनुसार नियोक्ता, किसी भी भवन एवं अन्य संनिर्माण के प्रारंभ होने के कम से कम 30 दिवस पूर्व क्षेत्र के निरीक्षक को लिखित में सूचना भेजेगा। बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 48 के अनुसार जहाँ नियोक्ता भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य के प्रारंभ होने की सूचना देने में विफल रहता है, ऐसी स्थिति में नियोक्ता पर शास्ति का अधिरोपित किया जाना है। जाँच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईं—

- वर्ष 2011–12, 2013–14 एवं 2014–15 के दौरान राज्य स्तर पर निरीक्षणों में 59 से 94 प्रतिशत तथा चयनित जिलों पर निरीक्षणों में 52 से 97 प्रतिशत की कमी पाई गई।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में शासन ने सूचित किया कि अमले की भारी कमी के कारण निरीक्षण में कमी हुई थी। जिलेवार निरीक्षण रोस्टर के बनने के उपरांत निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

- श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश शासन ने जिलों में नगरीय स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, अर्द्ध शासकीय संस्थाओं, शासकीय विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा कराए गए भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों के विरुद्ध जमा की गई उपकर राशि की मासिक आधार पर जानकारी संग्रहित करने हेतु निर्देश (अगस्त 2013) जारी किये गये। तथापि, यह पाया गया कि निर्माण कार्यों की जानकारी संग्रहित नहीं की गई थी एवं मण्डल ने भी श्रमायुक्त के निर्देशों के तारतम्य में निर्माण कार्यों का डाटाबेस तैयार करने संबंधी अनुवीक्षण का कार्य नहीं किया था। इस प्रकार, मण्डल को निर्माण कार्यों की वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी नहीं थी।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में शासन ने सूचित किया कि निर्माण कार्यों का डाटाबेस शीघ्र ही तैयार किया जाएगा।

- मण्डल को प्राप्त होने वाली उपकर की राशि विभिन्न विभागों यथा श्रम विभाग, नगरीय स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं एवं निर्माण एजेन्सियों के उपकर संग्रहकों एवं निर्धारण अधिकारियों द्वारा संग्रहित एवं निर्धारित कर मण्डल को प्रेषित की गई थी। इसी प्रकार, निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन श्रम विभाग, नगरीय स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया गया था। यह पाया गया कि मण्डल का इन विभागों पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप उपकर की कम प्राप्ति/वसूली तथा कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कमी अथवा गिरावट रही।

मण्डल के सचिव ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2016) कि मण्डल के पास मैदानी कार्यालय नहीं थे, इसलिए उपकर का संग्रहण/योजनाओं का क्रियान्वयन विभिन्न विभागों के कार्यालयों द्वारा किया गया था। मण्डल का इन कार्यालयों पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था।

- मण्डल द्वारा नियोक्ताओं/उपकर संग्राहकों को उपकर के सभी चैक्स/ड्राफ्ट्स जिला श्रम कार्यालयों में जमा करने के निर्देश जारी किए गए थे। तथापि, यह देखा गया कि उपकर के चैक्स/ड्राफ्ट्स मण्डल एवं जिला श्रम कार्यालयों दोनों स्थानों पर प्राप्त किए जा रहे थे, जो भुगतान योग्य उपकर की राशि एवं नियोक्ताओं से जमा हुई राशि के लिए मण्डल की नियोक्ताओं पर अनुवीक्षण में कमी को दर्शाता है।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में शासन ने सूचित किया कि उपकर के चैक्स/ड्राफ्ट्स की प्राप्ति के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित की जाएगी।

- मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 20 एवं 256 के अनुसार मण्डल की बैठक तीन माह में एक बार आयोजित होनी चाहिए। इसी प्रकार, राज्य सलाहकार कमेटी (एस.ए.सी.) की बैठक छह माह में कम से कम एक बार आयोजित होनी चाहिए। तथापि, वर्ष 2011–16 के दौरान मण्डल की अपेक्षित 20 बैठकों के विरुद्ध केवल 10 बैठकें तथा राज्य सलाहकार कमेटी की अपेक्षित 10 बैठकों के विरुद्ध एक बैठक ही आयोजित होने से बैठकों के आयोजन में कमी हुई रहीं।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में शासन ने सूचित किया कि शासन ने निर्वाचन के समय सभी मण्डलों को भंग कर दिया था। मण्डल एवं राज्य सलाहकार कमेटी का उसके पश्चात अभी तक कोई पुर्नांग नहीं किया गया था। बैठकें शीघ्र ही आयोजित की जाएगी।

- आंतरिक लेखापरीक्षा व्यय की जाँच करने में प्रभावी साधन का कार्य करती है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कोई गतिविधियों पर जाँच करने में सहायक होती है। इस प्रकार, ये संगठन की सुगमतापूर्वक कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण तंत्र है। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि मण्डल ने वित्तीय तथा कल्याणकारी गतिविधियों अर्थात् उपकर के संग्रहण तथा कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय के लिए नामित अधिकारियों द्वारा की जाने वाली वित्तीय जाँच एवं अनुवीक्षण सुनिश्चित करने हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा एवं आंतरिक नियंत्रण तंत्र स्थापित नहीं था।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में शासन ने सूचित किया कि अमले की कमी के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा विंग स्थापित नहीं की जा सकी। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की स्थापना हेतु शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों का निरीक्षण अत्यंत अनिवार्य कार्य है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, शासन को शीघ्र ही पर्याप्त अमले की भर्ती करनी चाहिए।

3.2.6 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएः

- मण्डल ने निर्माण श्रमिकों एवं स्थापनाओं का पंजीयन सुनिश्चित करने हेतु कोई तंत्र स्थापित नहीं किया।

मण्डल को स्थानीय नगरीय निकायों एवं संबंधित जिला श्रम कार्यालयों के मध्य भवन निर्माण अनुज्ञा के डाटाबेस को सुगमतापूर्वक उपयोग हेतु स्थापनाओं के यांत्रिक पंजीकरण के लिए समन्वय स्थापित करना चाहिए। मण्डल द्वारा सभी निर्माण एजेन्सियों को जिला श्रम कार्यालयों में स्थापनाओं का पंजीयन करने तथा निर्माण स्थलों पर नियोजित श्रमिकों का पंजीयन कराने हेतु सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रभावी तंत्र बनाया जाना चाहिए।

- मण्डल को उपकर राशि प्राप्त नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, संग्रहित उपकर की राशि मण्डल को विलम्ब से अंतरित हुई।

मण्डल को उपकर के उचित एवं समय पर संग्रहण की निगरानी के लिए सभी निर्माण कार्यों का डाटाबेस संधारित करना चाहिए। उपकर संग्राहकों को उपकर की राशि मण्डल को समय से जमा कराने के लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।

- नियोक्ताओं से चैक्स/ड्राफ्ट्स के रूप में प्राप्त उपकर कालातीत हो जाने तथा बैंक द्वारा वापिस किए जाने के कारण उनसे उपकर की राशि प्राप्त नहीं हुई।

उपकर के उचित एवं समय पर संग्रहण के लिए मण्डल को इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली (ई.सी.एस.) को अपनाना चाहिए।

- मण्डल द्वारा अत्यधिक यथा 23 बैंक खाते संचालित किए जा रहे थे एवं इन बैंक खातों से संब्यवहार के विवरण पत्रक का संधारण नहीं किया जा रहा था। लेखा पुस्तकों एवं समाधान पत्रक का भी संधारण नहीं किया गया था।

मण्डल को न्यूनतम संख्या में बैंक खातों का संधारण करना चाहिए और उनके उचित लेखाकरण तथा नियमित अभिलेखीकरण अपनाने हेतु प्रभावी प्रणाली विकसित करना चाहिए जिससे यह अभिनिश्चित हो सके कि लेखा पुस्तकों का नियमित अंतराल में पुनर्मिलान किया गया है।

- मण्डल ने न तो मैदानी कार्यालयों की स्थापना की और न ही मैदानी अमले की भर्ती की, जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं का क्रियान्वयन सोचनीय था।

मण्डल को मैदानी कार्यालयों की स्थापना और मैदानी अमले की भर्ती करनी चाहिए।

- मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह भुगतान योजना में हितलाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्रों के साथ संलग्न जाली दस्तावेजों के आधार पर भुगतान किया गया था।

आवेदन पत्रों एवं संलग्न दस्तावेजों का सत्यापन मूलभूत अभिलेखों एवं जारीकर्ता प्राधिकारियों से सत्यापित कराया जाना चाहिए।

- सभी नियोक्ताओं से उपकर की राशि का संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए मण्डल ने आंतरिक लेखापरीक्षा विंग अथवा तंत्र की स्थापना नहीं की।

मण्डल को संब्यवहारों के अनुवीक्षण हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा विंग की स्थापना करनी चाहिए तथा सभी नियोक्ताओं से उपकर के संग्रहण को सुनिश्चित करने हेतु उपकर संग्राहकों के लिए विवरणी निर्धारित करनी चाहिए।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.3 ‘108 एंबुलेंस सेवाओं’ की लेखापरीक्षा

3.3.1 प्रस्तावना

आपातकालीन चिकित्सा सेवा (ई.एम.एस.) समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का एक अनिवार्य अंग है क्योंकि यह आपातकालीन देखभाल तुरंत प्रदान करके जीवन बचाता है। राज्य में व्यापक आपातकालीन सेवाओं को विकसित तथा परिचालित करने के लिए जून 2007 में ‘एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट’ आमंत्रित किया गया था। समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के विरुद्ध, मात्र ईमरजेंसी मैनेजमेंट एण्ड रिसर्च



इंस्टीट्यूट (ई.एम.आर.आई.), सिकंदराबाद, ने राज्य में ‘आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली’ स्थापित करने के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह प्रस्ताव मंत्रिमण्डल द्वारा स्वीकृत किया गया तथा नवम्बर 2007 में राज्य शासन तथा ई.एम.आर.आई.²⁴ के मध्य ‘108 एंबुलेंस सेवाओं’ के लिए एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) हस्ताक्षरित किया गया, 10 वर्ष के लिए वैध था। इस ‘पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप’ (पी.पी.पी.) परियोजना के उद्देश्य थे:

(i) राज्य में समयबद्ध, विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण तथा व्यापक आपातकालीन प्रबंधन सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य में सभी प्रकार की आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक एकीकृत आपातकालीन प्रबंधन व्यवस्था विकसित करना तथा कई संस्थाओं जैसे पुलिस, फायर एवं चिकित्सा के साथ प्रतिक्रियाओं को समन्वयित करना; तथा

(ii) इन आपातकालीन प्रबंधन सेवा पहल को समर्थन देने के लिए उचित संस्थागत तथा अधोसंरचना व्यवस्था विकसित करना तथा/या सेवाओं के प्रदाय को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा व्यवस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करना।

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या विभाग द्वारा तैयार की गई परियोजना की योजना उचित प्रकार से क्रियान्वित की गई, निधि वितरण तथा निधियों का उपयोग पर्याप्त तथा प्रभावी थे, परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित एम.ओ.यू./दिशानिर्देशों के अनुसार तथा एक प्रभावी ढंग से किया गया, एंबुलेंसों के प्रबंधन की प्रक्रिया तथा निष्पादन प्रभावी रही तथा आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त था तथा प्रभावी तरीके से कार्य कर रहा था।

‘108 एंबुलेंस सेवाओं’ की लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र के लिए आठ जिले²⁵ (राज्य के कुल 51 जिलों का 15 प्रतिशत) आकार के अनुपात में प्रायिकता बिना प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके चयनित किए गए थे। मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) तथा चयनित आठ जिलों के ‘108 एंबुलेंसों’ के अभिलेखों की जाँच की गई तथा ‘108 एंबुलेंसों’ (एडवांस लाइफ सपोर्ट) से जानकारी एकत्रित की गई थी। एम.ओ.यू. में उल्लेखित मानदंडों के विरुद्ध निष्पादन मानकों की उपलब्धि की परिमाण का आकलन करने के लिए जी.वी.के. ई.एम.आर.आई. से प्राप्त ‘रियल टाइम डाटा’²⁶, का विश्लेषण किया गया। परियोजना के आरंभ से 2015–16 की अवधि को आवृत्त कर लेखापरीक्षा की गई।

प्रवेश सम्मेलन आयुक्त, स्वास्थ्य (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) के साथ 11 मार्च 2016 को आयोजित किया गया था। निर्गम सम्मेलन प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ 14 अक्टूबर 2016 को आयोजित किया गया था। विभाग के उत्तरों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

एम.ओ.यू. के अन्तर्गत राज्य शासन के दायित्व थे:

- आपसी सहमति के अनुसार विधिवत बीमित तथा सुसज्जित एंबुलेंसें प्रदान करना;
- पूँजीगत व्यय (कैपेक्स) तथा परिचालन व्यय (ओपेक्स) के लिए अग्रिम रूप से निधियां प्रदान करना; एवं,

²⁴ मई 2009 में ई.एम.आर.आई. का नाम बदल कर जी.वी.के. ई.एम.आर.आई. में किया गया था।

²⁵ अशोक नगर, बुरहानपुर, धार, जबलपुर, मुरैना, रीवा, सिहोर एवं सिंगरारौली।

²⁶ ऑन-रोड/ऑफ-रोड वाहनों की संख्या, ग्रहण की गई/चिकित्सालयों को परिवहित की गई आपात स्थितियों की संख्या आदि को दर्शाने वाला रियल टाइम डाटा जी.वी.के.ई.एम.आर.आई. द्वारा संधारित किया जाना था।

- आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा केन्द्र की स्थापना के लिए भूमि आवंटित करना आदि।

जबकि जी.वी.के.ई.एम.आर.आई. के दायित्व थे:

- आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं (ई.आर.एस.) का परिचालन करना तथा प्रतिदिन 24 घंटे तथा एक वर्ष में 365 दिन के आधार पर आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा प्रदान करना;
- ई.आर.एस. के अन्तर्गत इसके द्वारा राज्य शासन से प्राप्त निधियों के लिए सभी लेखा बहियों तथा अभिलेखों का संधारण करना;
- चिकित्सालय पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मान्य सेवा मानकों का पालन करना; एवं,
- ई.आर.एस. को सहयोग देने तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक मानव संसाधन की भर्ती, पदस्थापना तथा प्रशिक्षित करना आदि।

मध्य प्रदेश शासन मिशन संचालक, एन.एच.एम. के द्वारा ‘108 एंबुलेंस’ परियोजना का प्रशासन एवं निगरानी करता है। ‘108 एंबुलेंस सेवाओं’ के निगरानी के लिए एक विशेष अधिकारी भी नियुक्त किया गया है जो मिशन संचालक, एन.एच.एम. के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करता है। ‘108 एंबुलेंस सेवाओं’ के निषादान/क्रियान्वयन प्रतिवेदनों की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद तथा ‘108 एंबुलेंस सेवाओं’ के सभी पहलुओं के नियंत्रण हेतु प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति गठित की गई है। जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा तथा जिला चिकित्सालय पर सिविल सर्जन (सी.एस.) सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित की जाती हैं।

जी.वी.के.ई.एम.आर.आई. राज्य के लिए नियुक्त संचालन प्रमुख के माध्यम से कार्यक्रम की निगरानी करता है। राज्य में जी.वी.के.ई.एम.आर.आई. के सभी कार्यात्मक प्रमुख उसे रिपोर्ट करते हैं तथा उसके समग्र पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं। ‘108 एंबुलेंस सेवाओं’ का समग्र नियंत्रण भोपाल में स्थापित कॉल सेंटर के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है जोकि जी.वी.के.ई.एम.आर.आई. के द्वारा प्रबंधित होता है। परियोजना के अंतर्गत दो प्रकार की एंबुलेंसें ‘एडवांस लाइफ सपोर्ट (ए.एल.एस.) एंबुलेंसें’ तथा ‘बेसिक लाइफ सपोर्ट (बी.एल.एस.) एंबुलेंसें’ तैनात की गई थीं। ए.एल.एस. एंबुलेंसे जिला मुख्यालय पर तैनात की गई थीं तथा चिकित्सा उपकरणों जैसे – वेंटीलेटर, मल्टीपैरा मॉनिटर, लेरिंगोस्कोप आदि से सुसज्जित थीं।

3.3.2 परियोजना नियोजन

परियोजना की एम.ओ.यू. के अंतर्गत, राज्य शासन राज्य भर में आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं को प्रदान करने तथा इसे पूरे राज्य भर में तीन वर्ष की अवधि में विस्तारित करने के लिए ई.एम.आर.आई. को राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी के रूप में पहचान देने के लिए सहमत हुआ। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ‘108 एंबुलेंस सेवाएँ’ जुलाई 2009 में 36 एंबुलेंसों के साथ प्रारंभ हुई। मार्च 2010 के अंत तक नियोजित 700 एंबुलेंसों के विरुद्ध चार जिलों²⁷ में मात्र 55 एंबुलेंसों को परिचालित किया जा सका।

²⁷ भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं जबलपुर।

परियोजना निर्धारित अवधि में पूरे राज्य भर में विस्तारित नहीं की जा सकी।

परियोजना के विस्तार के लिए निर्धारित समय सीमा के पालन में विफलता तथा उपार्जन प्रक्रिया में विलंब के कारण परियोजना पूरे राज्य भर में निर्धारित अवधि में अर्थात् वर्ष 2010 तक विस्तारित नहीं की जा सकी। ‘108 एंबुलेंस सेवाएं’ पूरे राज्य को मात्र 2013–14 तक आवृत्त कर सकी। हालांकि, नियोजित 700 एंबुलेंसों के विरुद्ध राज्य के 51 जिलों में मात्र 606 एंबुलेंसों का एक बेड़ा चल रहा था।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में तथ्यों को स्वीकार करते हुए विभाग ने कहा कि एंबुलेंसों के उपार्जन के लिए निविदा में देरी के कारण प्रक्रिया में देरी हुई।

3.3.2.1 एम.ओ.यू. में कमियाँ

परियोजना कैबिनेट द्वारा स्वीकृत की गई तथा नवम्बर 2007 में राज्य शासन तथा ई.एम.आर.आई. के मध्य एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए गए। एम.ओ.यू. दिसम्बर 2012 में पुनरीक्षित किया गया। एम.ओ.यू. में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईः

- एम.ओ.यू. में सेवा प्रदायकर्ता से ‘बयाना जमा’ तथा ‘निष्पादन सुरक्षा’ प्राप्त करने हेतु प्रावधान नहीं था जोकि सामान्य वित्तीय नियमों के मानदंडों का उल्लंघन था। इसके अतिरिक्त, परिचालन/निष्पादन मानकों की उपलब्धि में विफलता हेतु शास्ति खण्ड शामिल नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, निष्पादन संकेतकों की उपलब्धि में कमी के प्रकरणों में ओपेक्स से कटौती नहीं की गयी थी जैसा कि कंडिका 3.3.5.3 एवं 3.3.5.4 में उल्लेख किया गया है।
- विभाग द्वारा जारी किए गए आमंत्रण पत्र के अनुसार, प्रस्ताव एम.ओ.यू. हस्ताक्षर किए जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होना था। हालांकि, एम.ओ.यू. 10 वर्ष के लिए हस्ताक्षरित किया गया।
- राज्य शासन ने आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं की स्थापना के लिए 15–20 एकड़ भूमि आवंटित नहीं की जैसा एम.ओ.यू. के अंतर्गत आवश्यक था। अतः, आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाएं (कॉल सेंटर) किराए के भवन से प्रदान की जा रही थीं जिसने ‘इन आपातकालीन प्रबंधन सेवाओं के समर्थन के लिए उचित संस्थागत तथा अधोसंरचना ढांचा विकसित करने’ के अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति न किया जाना परिणामित किया।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि एम.ओ.यू. में निष्पादन मानकों की गैर उपलब्धि हेतु शास्ति खण्ड शामिल नहीं किया गया था। हालांकि, आगामी अवधि के लिए विभाग ने एक नवीन निविदा जारी करने का निर्णय लिया है जिसमें निष्पादन मानकों की गैर उपलब्धि हेतु कई शास्ति प्रावधान जोड़े गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एम.ओ.यू. में बयाना जमा, निष्पादन सुरक्षा तथा शास्ति खण्ड के प्रावधानों को शामिल करने में विभाग की विफलता वित्तीय नियमों का उल्लंघन था।

3.3.3 निधिकरण का तरीका तथा वित्तीय प्रबंधन

3.3.3.1 निधि का निर्गमन तथा व्यय

एम.ओ.यू. के अनुसार, परिचालन से संबंधित सभी सीधे पहचान योग्य कैपेक्स का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। कैपेक्स मुख्य रूप से एंबुलेंस के उपार्जन, फैब्रिकेशन, चिकित्सा उपकरण, कम्यूटर हार्डवेयर, लाइसेंस, प्रशिक्षण उपकरण तथा एंबुलेंस संबंधित व्ययों के उद्देश्य के लिए होगा। राज्य शासन ओपेक्स के भुगतान के लिए भी सहमत हुआ जो वेतन, ईधन, मरम्मत एवं रखरखाव, वाहन नवीनीकरण, चिकित्सा उपभोग्य, संचार, प्रशासनिक व्यय, प्रशिक्षण व्यय आदि को सम्मिलित करता है। राज्य

शासन द्वारा जारी ओपेक्स उद्देश्य के लिए विशेष रूप से संधारित बैंक खाते में जमा किया जाना था तथा वहां से व्यय किया जाना था। इसके अतिरिक्त, एम.ओ.यू. में था कि जी.वी.के. ई.एम.आर.आई. को राज्य शासन से आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं (ई.आर.एस.) के अन्तर्गत प्राप्त निधियों के लिए सभी लेखा बहियों तथा अभिलेखों का संधारण किया जाना था तथा जी.वी.के. ई.एम.आर.आई. द्वारा मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक प्राप्ति तथा व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.) भी प्रस्तुत किए जाने थे।

लेखापरीक्षा जांच ने उद्घाटित किया कि यूसी तथा व्यय विवरणी समय से प्रस्तुत नहीं किए गए तथा निधियाँ वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना तदर्थ आधार पर जारी की गई। विभाग ने वर्ष 2007–08 से 2015–16 के दौरान निधियों की उपलब्धता²⁸ के बावजूद प्रत्येक वर्ष के अंत में संचालन एजेन्सी को और निधियाँ जारी कीं। वर्षवार निधि वितरण, व्यय तथा अव्ययित शेष का विवरण **परिशिष्ट-3.3.1** में दिया गया है।

एक बैंक खाते (एक्सिस बैंक में) की उपलब्धता के बावजूद, जी.वी.के. ई.एम.आर.आई. ने 2009–10 में दूसरा बैंक खाता (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) खोला। दूसरे बैंक खाते का खोला जाना एम.ओ.यू. के प्रावधान का उल्लंघन था। आगे जांच ने उद्घाटित किया कि मार्च 2016 के अंत में इन बैंक खातों में राशि ₹ 16.85 लाख (एक्सिस बैंक - ₹ 13.81 लाख तथा एस.बी.आई. बैंक - ₹ 3.04 लाख) अव्ययित शेष थी।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि निधियाँ हमेशा वास्तविक आवश्यकता के आकलन के पश्चात जारी की गई थीं। विभाग ने आगे कहा कि मात्र कुछ अवधियों में अनुपयोगित अनुदान थे। इसके अतिरिक्त, पूर्व अवधि के अनुपयोगित अनुदान को आगे बढ़ाया गया था तथा आगामी अवधि में समायोजित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ई.एम.आर.आई. को निर्गमन त्रैमासिक यूसी पर आधारित नहीं था तथा संचालन एजेंसी के पास ₹ 3.58 करोड़ तक का महत्वपूर्ण शेष उपलब्ध था।

3.3.3.2 पूंजीगत तथा परिचालन निधियों के उपयोग में अनियमितताएं

एम.ओ.यू. के अनुसार, ओपेक्स से संबंधित निधियाँ अग्रिम में त्रैमासिक रूप से जारी की जाएंगी। आगामी त्रैमास के लिए निधियों के निर्गमन की मात्रा वर्तमान त्रैमास से पूर्व में किए गए व्यय पर एवं अगले त्रैमास के लिए प्राक्कलन (निर्गम वास्तविक व्यय पर तथा एम.ओ.यू. में उल्लेखित सीमा की शर्त पर निर्भर रहेगा) तथा व्यय विवरणी (एस.ओ.ई.) एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतियों को प्रस्तुत करने पर निर्भर करेगी।

अभिलेखों की जांच ने उद्घाटित किया कि 2007–09 के दौरान कुल ₹ 16.60 करोड़ (₹ 6.32 करोड़ कैपेक्स को शामिल कर) जारी किया गया जिसमें से ई.एम.आर.आई. द्वारा ₹ 11.32 करोड़ का व्यय किया गया। ‘108 एंबुलेंस सेवाएं’ जुलाई 2009 से प्रारंभ की गई। एंबुलेंस सेवाओं के प्रारंभ में विलंब के कारण, जारी की गई परिचालन लागत का उपयोग पूंजीगत गतिविधियों जैसे—कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्नीचर, फिक्सचर, कार्यालय उपकरणों, चिकित्सा उपकरणों, विद्युत तथा इलेक्ट्रानिक परिस्थितियों आदि पर किया गया।

प्रथम एम.ओ.यू. (2007) में प्रति एंबुलेंस प्रति माह परिचालन व्यय के लिए कोई मानदंड तय नहीं किए गए थे जिसने वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में क्रमशः ₹ 1.32 लाख एवं ₹ 1.23 लाख के उच्चतर औसत मासिक प्रति एंबुलेंस परिचालन व्यय परिणामित हुए।

²⁸ 2007–08 ₹ 52.47 लाख, 2008–09 ₹ 1.50 लाख, 2009–10 ₹ 2.32 करोड़, 2010–11 ₹ 74.15 लाख, 2011–12 ₹ 95.48 लाख, 2012–13 ₹ 2.02 करोड़, 2013–14 ₹ 3.58 करोड़ तथा 2014–15 ₹ 1.51 करोड़।

2012–15 के दौरान संचालन एजेन्सी को परिचालन व्यय के रूप में ₹ 5.02 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

पुनरीक्षित/संशोधित एम.ओ.यू. (2012) में प्रति एंबुलेंस प्रति माह अधिकतम परिचालन व्यय ₹ 0.98 लाख तय किया गया था। ₹ 0.98 लाख की निर्धारित सीमा के विरुद्ध 2012–13 (जनवरी से मार्च) से 2014–15 के दौरान ₹ 0.06 लाख से ₹ 0.18 लाख (मासिक) तक का अधिक व्यय किया गया। अतः, 2012–13 से 2014–15 के दौरान संचालन एजेन्सी को परिचालन व्यय के रूप में ₹ 5.02 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया। अभिलेखों में इस अधिक भुगतान की स्वीकृति कार्यकारी समिति से ली जाना नहीं पाई गई। विवरण **परिशिष्ट-3.3.2** में दर्शाया गया है। पूँजीगत तथा परिचालन निधियों के उपयोग में पाई गई कमियों पर नीचे चर्चा की गई है:

- अभिलेखों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि ₹ 16.60 करोड़ (2007–08 में ₹ 4.00 करोड़ तथा 2008–09 में ₹ 12.60 करोड़) के कुल निर्गम के विरुद्ध, 2007–09 (जून 2009) के दौरान ₹ 4.65 करोड़²⁹ का परिचालन व्यय किया गया जबकि फर्म ने 36 एंबुलेंसों के साथ अपनी सेवाएं मात्र जुलाई 2009 से प्रारंभ की थीं।

यह उल्लेख किये जाने पर जी.वी.के. ई.एम.आर.आई. ने उत्तर दिया (अप्रैल 2015) कि एंबुलेंसों के क्रय हेतु निविदा प्रक्रिया सितम्बर 2008 में पूर्ण हो चुकी थी तथा इसके पश्चात एंबुलेंस अमले की भर्ती तथा 52 दिनों का प्रशिक्षण दिया गया। एजेन्सी 6 जनवरी 2009 को लोकार्पण के लिए तैयार थी तथा लोकार्पण की अनुमति प्राप्त करने के लिए शासन को पत्र भेजा गया था। हालांकि, शासन द्वारा अंतिम रूप से 16 जुलाई 2009 की तिथि निर्णित की गई।

लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए अभिलेखों में यह उपलब्ध नहीं पाया गया कि किस कारण से शासन ने एंबुलेंस सेवाओं के लोकार्पण की तिथि निर्णित करने में छः माह का समय लिया। अतः लोकार्पण अवधि के पूर्व (जनवरी 2009 से जून 2009) के दौरान परिचालन गतिविधियों पर किया गया ₹ 1.23 करोड़ का व्यय अलाभकारी था।

- पुनरीक्षित/संशोधित एम.ओ.यू. (दिसम्बर 2012) की अनुसूची—क में प्रति एंबुलेंस प्रति माह अधिकतम परिचालन व्यय, ₹ 0.57 लाख वेतन पर (मानव संसाधन व्ययों), ₹ 0.227 लाख ईंधन लागत पर तथा ₹ 0.026 लाख एंबुलेंसों की मरम्मत एवं रखरखाव पर को सम्मिलित कर, ₹ 0.98 लाख तय किया गया था। मानव संसाधन पर व्यय को सम्मिलित कर प्रति एंबुलेंस अधिकतम परिचालन व्यय तय किए जाने का औचित्य अभिलेखों में नहीं पाया गया। लेखापरीक्षा ने देखा कि मानव संसाधन पर प्रति एंबुलेंस प्रति माह निर्धारित व्यय ₹ 0.57 लाख के विरुद्ध, 2012 से 2015 के दौरान वास्तविक व्यय ₹ 0.44 लाख से ₹ 0.54 लाख के मध्य था क्योंकि आवश्यक पदों के विरुद्ध अमले की उपलब्धता में कमी थी जैसा कंडिका 3.3.5.5 में उल्लेख किया गया है। 2013–14 से 2015–16 के दौरान वेतन पर राशि ₹ 23.42 करोड़ की बचत अन्य गतिविधियों/घटकों जैसे – ईंधन लागत, मरम्मत एवं रखरखाव आदि पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपयोग की गई। विवरण **परिशिष्ट-3.3.3** में दर्शाया गया है।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) कि 2012–13 के दौरान प्रति एंबुलेंस उच्चतर परिचालन व्यय मुख्य रूप से वर्ष के दौरान परिचालित एंबुलेंसों की कम संख्या, ईंधन की उच्चतर कीमतों आदि के कारण किया गया। 2014–15 के दौरान वास्तविक व्यय ने निर्धारित सीमा को पार किया जिसके लिए कार्यकारी समिति की अनुमति ली गई थी। विभाग ने आगे कहा कि मार्च 2009 तक कुछ अमले की भर्ती की गई थी तथा इसलिए इन दो वर्षों के दौरान वेतन एवं अन्य प्रारंभिक परिचालन व्यय किए गए। साथ ही ₹ 3.11 करोड़ की निधियां कैपेक्स पर उपयोग की गई थीं।

²⁹ 2007-08: ₹ 1.01 करोड़, 2008-09: ₹ 3.13 करोड़ तथा 2009-10: ₹ 0.51 करोड़।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अधिक व्यय की स्वीकृति कार्यकारी समिति से लिए जाने का कोई साक्ष्य नहीं था। इसके अतिरिक्त, परिचालन व्यय के लिए भुगतान एम.ओ.यू. में उल्लेखित निर्धारित सीमा तक सीमित नहीं किया गया।

3.3.4 एंबुलेंसों का उपार्जन एवं स्थापना

3.3.4.1 एंबुलेंसों का क्रय

एम.ओ.यू. (2007) के अनुसार, एंबुलेंसों का उपार्जन मध्य प्रदेश शासन (जी.ओ.एम.पी.) द्वारा ई.एम.आर.आई. के परामर्श से जी.ओ.एम.पी. की लागत पर लोक सुरक्षा, रोगी की देखभाल तथा रोगी के रिश्तेदार/परिचालक देखभाल के अनुकूल ई.एम.आर.आई. के विनिर्देशों के अनुसार किया जाना था। एंबुलेंसों में फैब्रीकेशन, उपकरण आदि भी मध्य प्रदेश शासन द्वारा ई.एम.आर.आई. के परामर्श से किया जाना था।

अभिलेखों की जाँच ने उद्घाटित किया कि विभाग ने एंबुलेंसों के उपार्जन हेतु फरवरी 2008 में निविदा जारी की। निविदा में उद्धृत एंबुलेंसों की दर अन्य राज्यों में एंबुलेंसों की दर से अधिक थी। अतः, निविदा निरस्त कर दी गई। एंबुलेंसों के क्रय की प्रक्रिया में देरी के कारण तथा निविदा में उद्धृत दर अन्य राज्यों में जी.वी.के. ई.एम.आर.आई. द्वारा क्रय की गई एंबुलेंसों की दर से अधिक होने के कारण, शासन ने निर्णय लिया कि एंबुलेंसें जी.वी.के. ई.एम.आर.आई. के माध्यम से उपार्जित की जाएंगी। प्रारंभ में जी.वी.के. ई.एम.आर.आई. द्वारा उपकरण के साथ 100 एंबुलेंसें उपार्जित (23 एंबुलेंसें ₹ 9.40 लाख की दर पर, 32 एंबुलेंसें ₹ 9.24 लाख की दर पर तथा 45 एंबुलेंसें ₹ 10.46 लाख की दर पर) की गई। एंबुलेंसें जी.वी.के. ई.एम.आर.आई. के माध्यम से एम.ओ.यू. (2007) के प्रावधानों के विरुद्ध उपार्जित की गई थीं।

- मार्च 2015 में मौजूदा पुराने एंबुलेंसों को बदलने के लिए 55 एंबुलेंसें उपार्जित की गई थीं। हालांकि, पुराने 55 एंबुलेंसों में से, 37 एंबुलेंसें जिलों में निष्क्रिय पड़ी थीं

तथा 18 एंबुलेंसें दुर्घटना या किसी वाहन की खराबी जिसके लिए अधिक मरम्मत समय आवश्यक हो, के प्रकरण में बैकअप के रूप में उपयोग की जा रही थीं। पुराने एंबुलेंसों के निपटान पर कार्यवाही प्रतीक्षित थी। आगे, सितम्बर 2015 में 38 और एंबुलेंसें उपार्जित की गई। हालांकि, इन एंबुलेंसों पर प्रवेश कर के भुगतान के कारण जैसा कहिका 3.3.4.2 में उल्लेख किया गया है, इन एंबुलेंसों का



कॉल सेंटर, भोपाल के परिसर में खड़ी एंबुलेंसें

पंजीयन विलंबित हुआ। सात माह व्यतीत होने के पश्चात भी इन एंबुलेंसों को तैनात नहीं किया गया तथा जी.वी.के. ई.एम.आर.आई. की अभिरक्षा में कॉल सेंटर के परिसर में खड़ी थीं।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) कि एंबुलेंसों के क्रय की प्रक्रिया में देरी के कारण तथा निविदा में उद्धृत दर अन्य राज्यों में जी.वी.के. ई.एम.आर.आई. द्वारा क्रय की गई एंबुलेंसों की दर से अधिक होने को ध्यान में रखते हुए शासन ने जी.वी.के. ई.एम.आर.आई. को एंबुलेंसों को उपार्जित करने के लिए अधिकृत किया।

38 एंबुलेंसें जोकि सितम्बर 2015 में क्रय की गई थी, सात माह व्यतीत होने के पश्चात भी तैनात नहीं की जा सकी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एंबुलेंसें शासन द्वारा ई.एम.आर.आई. के परामर्श से एम.ओ.यू. के मानदंडों के अनुसार उपार्जित की जानी थीं।

3.3.4.2 एंबुलेंसों पर प्रवेश कर

मोटर वाहन पर प्रवेश कर नियम 1976 की धारा 3—ए (प्रवेश कर (संशोधन) अधिनियम 1999, के द्वारा सम्मिलित धारा 3—ए 1.5.99 से प्रभावी) के अनुसार, राज्य के बाहर क्रय किया गया मोटर वाहन जोकि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य में पंजीकृत किया जा रहा था, पर प्रवेश कर देय था।

अभिलेखों की जाँच ने उद्घाटित किया कि विभाग द्वारा 2013 में टाटा मोटर्स लिमिटेड, पुणे से 150 टाटा विंगर एंबुलेंसें ₹ 9.61 करोड़ की लागत पर उपार्जित की गई। इन वाहनों पर विभाग के निर्देश पर जी.वी.के. ई.एम.आर.आई. ने जून 2013 में 10 प्रतिशत प्रवेश कर की राशि ₹ 96.47 लाख उपलब्ध धनराशि से जमा की एवं इसे पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया।

इसी तरह, वर्ष 2015–16 में 38 एंबुलेंसें महानिदेशालय आपूर्ति एवं निपटान (डी.जी.एस. एण्ड डी.) के माध्यम से टाटा मोटर्स से क्रय की गई। राज्य के बाहर से बिलिंग होने के कारण, 10 प्रतिशत प्रवेश कर लगाया गया। प्रवेश कर के भुगतान में छूट प्राप्त करने के लिए आयुक्त, वाणिज्यक कर विभाग को पत्र भेजा गया (दिसम्बर 2015)। हालांकि, वाणिज्यक कर विभाग (दिसम्बर 2015) द्वारा छूट देने से इनकार किया गया। इसके अतिरिक्त, प्रदायकर्ता एजेंसी को मध्य प्रदेश में स्थित अपने कार्यालय से बिल प्रदाय करने के लिए पत्र जारी (जनवरी 2015) किया गया था। हालांकि, एजेंसी ने अनुरोध को अस्वीकार किया। इसके पश्चात, प्रवेश कर के भुगतान के लिए अनुमोदन लिया गया एवं अंततः ₹ 28.12 लाख के प्रवेश कर का भुगतान फरवरी 2016 में किया गया।

हालांकि, इससे पूर्व मार्च 2015 में 55 एंबुलेंसें, जो कि टाटा मोटर्स, इन्दौर से उपार्जित एवं बिल की गई थीं, पर कोई प्रवेश कर नहीं लगाया गया था। इस प्रकार, एंबुलेंसों के क्रय पर ₹ 1.25 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया। यदि एंबुलेंसें मध्य प्रदेश राज्य के भीतर से उपार्जित एवं बिल की जाती तो कोई प्रवेश कर आरोप्य नहीं होता।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि मार्च 2015 में 55 टाटा विंगर एंबुलेसों के क्रय के लिए डी.जी.एस. एण्ड डी. को आदेश जारी किया गया था एवं उनको भुगतान किया गया। डी.जी.एस. एण्ड डी. ने आदेश को आगे आपूर्तिकर्ता एजेंसी को पृष्ठांकित किया एवं एजेंसी द्वारा टाटा मोटर्स के इंदौर स्थित कार्यालय से बिलिंग की गई, जबकि 38 टाटा विंगर वाहनों के क्रय के लिए विभाग द्वारा यही प्रक्रिया अपनाई गई थी लेकिन आपूर्तिकर्ता एजेंसी द्वारा बिलिंग पुणे से की गई। जिसके कारण फरवरी 2016 में ₹ 28.12 लाख के प्रवेश कर का भुगतान किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रवेश कर के भुगतान से बचने के लिए पूर्व की भांति टाटा मोटर्स की एजेंसी से मध्य प्रदेश में एंबुलेसों की आपूर्ति ली जा सकती थी।

3.3.4.3 एंबुलेंसों की तैनाती

2007 के एम.ओ.यू. के अनुसार, राज्य में चरणबद्ध तरीके से 700 एंबुलेंसों को तैनात किये जाने की योजना बनाई गई थी लेकिन एंबुलेंसों की तैनाती हेतु एम.ओ.यू. में मानदंड तय नहीं किए गए थे। हांलांकि, विभाग ने प्रति लाख जनसंख्या पर एक एंबुलेंस की तैनाती को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकता का आंकलन किया। तदनुसार, राज्य की समस्त आबादी (2011 की जनगणना के अनुसार 7.26 करोड़) को आवृत्त करने के लिए 726 एंबुलेंसें आवश्यक थीं जिसके विरुद्ध वर्ष 2014–15 तक

606 एंबुलेंसें तैनात की गई थीं। एंबुलेंसों की तैनाती हेतु जनसंख्या मानदण्ड के अनुसार राज्य की 17 प्रतिशत जनसंख्या को अब भी आवृत्त किया जाना था।

जनसंख्या मानदण्ड के विरुद्ध 16 जिलों में आवश्यकता से कम एंबुलेंसें तैनात की गई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 16 जिलों में जनसंख्या मानदण्ड के विरुद्ध आवश्यकता से कम एंबुलेंसें तैनात की गई एवं इन जिलों में अत्यधिक प्रतिक्रिया समय होने के बाबजूद अतिरिक्त एंबुलेंसें सेवा में नहीं लगाई गई। विवरण **परिशिष्ट-3.3.4** में दर्शाया गया है। हालांकि, आठ जिलों³⁰ में कार्यरत एंबुलेंसों की संख्या निर्धारित मानदण्डों से अधिक थी। जनसंख्या मानदण्डों से अधिक एंबुलेंसों की तैनाती किये जाने के बाबजूद इन आठ जिलों में से पाँच जिलों³¹ में प्रतिक्रिया समय इष्टतम से कम था। एंबुलेंसों के प्रतिक्रिया समय एवं प्रतिदिन प्रति एंबुलेस औसत आपात स्थितियों को ग्रहण किए जाने का विवरण क्रमशः कंडिकाओं 3.3.5.2 एवं 3.3.5.4 में वर्णित है।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि एंबुलेंसों की तैनाती के लिए मात्र जनसंख्या मानदण्ड सूचक नहीं था। उस विशेष क्षेत्र में लोगों द्वारा एंबुलेंसों की मांग, भौगोलिक स्थिति, एंबुलेंसों के बीच की दूरी, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता एवं अन्य रोगी परिवहन सुविधा इत्यादि भी एंबुलेंसों की तैनाती के संकेतक थे। अत्यधिक प्रतिक्रिया समय होने के बाबजूद कम एंबुलेंसों वाले जिलों के संबंध में विभाग ने कहा कि कुछ जिलों में पहाड़ी क्षेत्र, वन क्षेत्रों एवं सड़कों की स्थिति खराब थी जिससे प्रतिक्रिया समय में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, विभाग ने यह भी कहा कि इन जिलों में प्रतिक्रिया समय स्वीकार्य सीमा से मात्र थोड़ा अधिक था। अतिरिक्त एंबुलेंसें होने के बाबजूद अत्यधिक प्रतिक्रिया समय होने वाले जिलों के संबंध में विभाग ने कोई विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

उत्तर में यह निर्दिष्ट नहीं था कि प्रतिक्रिया समय विभिन्न जिलों में स्वीकार्य स्तर से कैसे नीचे लाया जा रहा है, विशेषतः उन जिलों में जिनमें जनसंख्या मानदण्डों के विरुद्ध आवश्यकता से अधिक एंबुलेंसें थीं। एंबुलेंसों के समय के भीतर नहीं पहुंचने के कारण के अन्तराल की पहचान करने हेतु कोई विश्लेषण किया जाना प्रकट नहीं होता। इसके अतिरिक्त, उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए कि एंबुलेंसों की तैनाती न केवल जनसंख्या मानदण्डों बल्कि अन्य कारकों जैसे उस विशेष क्षेत्र में लोगों द्वारा एंबुलेंसों की मांग, भौगोलिक स्थिति, एंबुलेंसों के बीच की दूरी, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता आदि को भी दृष्टिगत रखते हुए की गई।

अधिक प्रतिक्रिया समय होने के बाबजूद कम एंबुलेंसों वाले जिलों के सम्बंध में विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन जिलों में जनसंख्या मानदण्ड के अनुसार आवश्यक संख्या में एंबुलेंसों की तैनाती नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप प्रतिक्रिया समय और अधिक रहा।

3.3.5 एंबुलेंस सेवा प्रबंधन

3.3.5.1 एंबुलेंसों का प्रदर्शन

ई.एम.आर.आई. एंबुलेंसें संचालित करने एवं यह सुनिश्चित करने के लिए सहमत हुआ कि एंबुलेंस सेवाएं प्रदेश के सभी लोगों के लिए निःशुल्क आपातकालीन स्वास्थ्य परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिदिन 24 घण्टे एवं वर्ष में 365 दिनों के आधार पर उपलब्ध होगी।

³⁰ अलीराजपुर-1, अनूपपुर-3, दतिया-2, डिण्डौरी-1, हरदा-1, रीवा-9, सीहोर-2 एवं उमरिया-3।

³¹ अनूपपुर, दतिया, डिण्डौरी, रीवा एवं उमरिया।

वर्ष 2013–16 के दौरान एंबुलेंसों अधिकांशतः गर्भावस्था से सम्बंधित प्रकरणों को ग्रहण करने में तैनात की गई अर्थात् कुल चिकित्सा आपात स्थितियों के 49 प्रतिशत तक।

परियोजना लोकार्पण के पश्चात से कुल आपात स्थितियों के आंकड़ों की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि परियोजना के लोकार्पण से मार्च 2013 तक मात्र 32 प्रतिशत सेवाएँ प्रदाय की गई एवं 68 प्रतिशत एंबुलेंस सेवाएँ वर्ष 2013–14 से 2015–16 के दौरान प्रदाय की गई। प्रत्यक्षतः, परियोजना की प्रांगभिक प्रगति धीमी थी। वर्ष 2013–16 के दौरान एंबुलेंसों अधिकांशतः गर्भावस्था से सम्बंधित प्रकरणों को ग्रहण करने में तैनात की गई जोकि कुल चिकित्सा आपात स्थितियों के 49 प्रतिशत तक था। अतः, “गोल्डन ऑवर” में (चोट के पहले घंटे के भीतर) आपातकालीन सेवाएँ प्रदाय करने का ‘108 एंबुलेंस सेवाओं’ का वांछित उद्देश्य व्यपर्वर्तित हुआ। ‘108 एंबुलेंसों’ द्वारा प्रदाय की गई आपातकालीन सेवाओं का विवरण **परिशिष्ट-3.3.5** में दिया गया है।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि एम.ओ.यू. में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुपालन में गर्भावस्था से सम्बंधित मामलों में ‘108 एंबुलेंस’ सेवा प्रदाय की गई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिलों में ‘जननी एक्सप्रेस’³² वाहन गर्भवती माताओं को ले जाने के लिए तैनात की गई है तथा ‘108 एंबुलेंसों’ मुख्य रूप आपातकालीन प्रकरणों को ले जाने के लिए उपयोग किया जाना है। राज्य में प्रदाय की गई इन दोनों एंबुलेंस सेवाओं के मध्य कोई समन्वय नहीं था।

3.3.5.2 एंबुलेंसों का प्रतिक्रिया समय

एम.ओ.यू. (दिसम्बर 2012) ग्रामीण क्षेत्रों में (20–30 मिनट) एवं शहरी क्षेत्रों में (15–20 मिनट) कॉल करने के बाद घटनास्थल तक पहुँचने हेतु लिया जाने वाला औसत समय प्रदाय करता है। ‘108 एंबुलेंसों’ को कॉल का जबाब देना चाहिए तथा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक स्थान पर पहुँचना चाहिए।

प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) प्रतिवेदन की जाँच के दौरान, वास्तविक प्रतिक्रिया समय वर्षों 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में क्रमशः 33, 21 एवं 27 जिलों में निर्धारित समय से अधिक पाया गया विवरण **परिशिष्ट-3.3.6** में दिया गया है। सिंगरौली जिले में, 2013–14 एवं 2014–15 के दौरान वास्तविक प्रतिक्रिया समय 40 मिनट तक था जोकि निर्धारित समय से अधिक था जबकि अन्य जिलों जैसे अशोकनगर, डिण्डोरी, मंदसौर, रीवा, सतना, शिवपुरी एवं सीधी में प्रतिक्रिया समय नियमित रूप से अधिक था।

ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में कॉल के पश्चात घटनास्थल पर पहुँचने के लिए, लिए गए औसत समय के संबंध में क्रियान्वयन एंजेसी द्वारा मात्र जनवरी 2016 से मार्च 2016 का रियल टाइम डाटा (एंबुलेंसों का ‘कॉल प्राप्ति समय’ से ‘केन्द्र पर वापस समय’) लेखापरीक्षा को प्रदाय किया गया। इस डाटा की जाँच के दौरान, यह पाया गया कि इस अवधि के दौरान करीब 56 प्रतिशत³³ प्रकरणों में प्रतिक्रिया समय 30 मिनट से अधिक था। जनवरी, फरवरी, मार्च 2016 में औसत प्रतिक्रिया समय क्रमशः 41:08 मिनट, 42:11 मिनट एवं 47:00 मिनट था। रियल टाइम डाटा के आभाव में रोगीवार प्रतिक्रिया समय सुनिश्चित नहीं किया जा सका। नमूना परीक्षित जिलों का अत्यधिक प्रतिक्रिया समय **परिशिष्ट-3.3.7** में दर्शाया गया है।

³² राज्य के कुल 313 ब्लॉकों में 940 जननी एक्सप्रेस वाहनों का परिचालन किया जा रहा है।

³³ जनवरी 2016: कुल 83063 प्रकरणों में से 46251 प्रकरणों में प्रतिक्रिया समय 30 मिनट से अधिक था, फरवरी 2016: कुल 78968 प्रकरणों में से 44309 प्रकरणों में प्रतिक्रिया समय 30 मिनट से अधिक था, मार्च 2016: कुल 85748 प्रकरणों में से 48506 प्रकरणों में प्रतिक्रिया समय 30 मिनट से अधिक था।

अधिक प्रतिक्रिया समय के उत्तर में, चयनित जिलों में ई.ए.ई./ई.ए.टी./पायलटों ने कहा कि सड़कों की खराब स्थिति, ग्रामीण क्षेत्र होने एवं कुछ वाहनों के रेफरल प्रकरणों को ले जाने में व्यस्त होने के कारण प्रतिक्रिया समय निर्धारित मानदण्डों से अधिक था।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि औसत प्रतिक्रिया समय पूरे राज्य में परिचालित सभी एंबुलेंसों के लिए निर्धारित किया गया था तथा प्रत्येक जिले के लिए नहीं। कुछ जिलों में प्रतिक्रिया समय निर्धारित सीमा के भीतर था एवं कुछ जिलों में यह पहाड़ी क्षेत्र, वन आवरण तथा जिले में तृतीयक स्तर देखभाल की अनुपलब्धता के कारण अधिक था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग को जिलों में एंबुलेंसों के अधिक प्रतिक्रिया समय की आवधिक समीक्षा करना आवश्यक था। आगे, जिला स्तरीय समिति जो इस समस्या को संबोधित कर सकती थी, को किसी जिले में गठित नहीं किया गया था जैसा कि कड़िका 3.3.6.2 में चर्चा की गई है।

3.3.5.3 निष्पादन संकेतकों की उपलब्धि

पुनरीक्षित एम.ओ.यू. (2012) के अनुसार, निर्धारित निष्पादन संकेतकों को क्रियान्वयन एंजेसी द्वारा प्राप्त किया जाना था। लेखापरीक्षा ने आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाएँ प्रदाय करने के लिए सेवा मानकों की उपलब्धि में निम्नलिखित कमियाँ पाईः

- निष्पादन संकेतक के अनुसार, प्रतिदिन 'ऑन-रोड' वाहनों की औसत प्रतिशतता 95 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। वर्ष 2012–16 के दौरान, कुल दो से छः प्रतिशत एंबुलेंसें 'ऑफ-रोड' रहीं। आगे, लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2014–15 से 2015–16 के दौरान सात महीनों में बड़ी संख्या में एंबुलेंसें 'ऑफ-रोड' रहीं। हालांकि, वर्ष 2012–16 के दौरान '95 प्रतिशत ऑन-रोड एंबुलेंसों' के निर्धारित मानदण्डों से अधिक 'ऑफ-रोड' एंबुलेंसों के लिए जी.वी.के. ई.एम.आर.आई. द्वारा प्रस्तुत परिचालन व्यय के यू.सी. से राशि ₹ 63.42 लाख की कटौती नहीं की गई, क्योंकि निष्पादन मानकों की गैर उपलब्धि हेतु एम.ओ.यू. में कोई शास्ति खण्ड शामिल नहीं किया गया था।
- कुल आपातकालीन कॉल्स प्राप्ति, कुल प्रभावी कॉल्स, प्रकरणों की संख्या जहाँ एंबुलेंसें भेजी गई एवं ग्रहण किए गए रोगियों की संख्या की स्थिति तालिका—3.3.1 में दी गई है:

तालिका—3.3.1: प्राप्त एवं ग्रहण की गई आपातकालीन कॉल्स की स्थिति

(आंकड़े लाख में)

वर्ष	कुल प्राप्त कॉल्स	कुल प्रभावी कॉल्स (कॉलम संख्या 2 का प्रतिशत)	प्रकरणों की संख्या जहाँ एंबुलेंसें भेजी गई ¹ (कॉलम संख्या 3 का प्रतिशत)	ग्रहण किये गये रोगियों की संख्या (कॉलम संख्या 3 का प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011–12	93.31	4.42 (5)	1.48 (33)	1.41 (32)
2012–13	98.67	4.89 (5)	1.64 (34)	1.54 (31)
2013–14	93.1	16.18 (17)	7.21 (45)	7.00 (43)
2014–15	78.94	20.77 (26)	9.75 (47)	9.52 (46)
2015–16	75.48	23.57 (31)	9.98 (42)	9.72 (41)
योग	439.5	69.83	30.06	29.19

(स्रोत: मिशन संचालक, एनएचएम एवं जी.वी.के. ई.एम.आर.आई. द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

तालिका से स्पष्ट है कि कुल प्रभावी कॉल्स के विरुद्ध 33 से 47 प्रतिशत प्रकरणों में एंबुलेंसें भेजी गई एवं 31 से 46 प्रतिशत पीड़ितों को आपातकालीन सेवाओं का लाभ

वर्ष 2012–16 के दौरान अप्रभावी कॉल्स का प्रतिशत 69 से 95 प्रतिशत के मध्य था।

मिला। एम.ओ.यू. के अनुसार, अप्रभावी कॉल्स (हॉक्स) कुल कॉल्स के 15 प्रतिशत तक कम किया जाना था। हालांकि, वर्ष 2012–16 के दौरान अप्रभावी कॉल्स का प्रतिशत 69 से 95 प्रतिशत के मध्य था। हॉक्स कॉल्स को कम करने के प्रयास अभिलेख में नहीं पाए गए।

2013–14 के पूर्व, स्वचालित वाहन स्थान स्थिति ट्रेकिंग (ए.व्ही.एल.टी.) एंबुलेंसों में स्थापित नहीं किया गया था। कुल 606 एंबुलेंसों जिनमें ए.व्ही.एल.टी. 2014–15 में स्थापित किया गया था, में से यह 344 एंबुलेंसों में कार्यशील था। इसके अतिरिक्त, 107 ए.व्ही.एल.टी. भौतिक रूप से क्षतिग्रस्त थे, 148 दोषपूर्ण थे एवं सात चोरी हो गए थे। ए.व्ही.एल.टी. यंत्र के अभाव के कारण, ऐसे एंबुलेंसों की ट्रेकिंग नहीं की जा सकी। इस प्रकार, ए.व्ही.एल.टी. स्थापित करने के उद्देश्य को पूरा नहीं किया गया।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि कुछ एंबुलेंसों पाँच वर्ष से अधिक पुरानी थीं जिसके कारण वे 2014–15 से 2015–16 के दौरान सात महीनों में रखरखाब एवं मरम्मत के लिए ऑफ–रोड रहीं। विभाग ने आगे कहा कि अप्रभावी कॉल्स फोन करने वाले पर निर्भर थे। हालांकि, ‘108 एंबुलेंस’ को बुलाये जाने के लिए जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर जागरूकता लाई जा रही थी। विभाग ने आगे कहा कि प्रभावी कॉल्स में हितग्राहियों द्वारा किये गये जॉच कॉल्स, परीक्षण कॉल्स, शिकायतें एवं अनुवर्ती कॉल्स इत्यादि सम्मिलित थे, यही कारण है कि कुल प्रभावी कॉल्स की तुलना में एंबुलेंस भेजा जाना कम था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निधियाँ वाहनों के वास्तविक चलन पर जारी की जानी चाहिए। ‘ऑफ–रोड’ वाहनों के प्रकरण में, पाँच प्रतिशत से अधिक वाहन ऑफ–रोड थे तथा उन प्रकरणों में शास्ति अधिरोपित किया जाना चाहिए थी। इसके अतिरिक्त, एंबुलेंस कम भेजे जाने के संबंध में उत्तर कुल प्रभावी कॉल्स में से पूछताछ कॉल्स, परीक्षण कॉल्स, शिकायतें एवं अनुवर्ती कॉल्स के आकड़ों से समर्थित नहीं था।

3.3.5.4 क्रियान्वयन एजेंसी पर जुर्माना

पुनरीक्षित एम.ओ.यू. (2012) में प्रति एंबुलेंस प्रति माह अधिकतम परिचालन व्यय ₹ 0.98 लाख तय था जो वर्ष 2015–16 से ₹ 1.03 लाख पुनरीक्षित किया गया। परिचालन/निष्पादन मानकों की गैर उपलब्धि के प्रकरणों में एम.ओ.यू. में शास्ति खण्ड सम्मिलित नहीं किया गया था।

प्रति एंबुलेंस प्रतिदिन ग्रहण की गई आपात स्थितियों की औसत संख्या के निष्पादन मानकों की गैर उपलब्धि का विवरण **तालिका-3.3.2** में दिया गया है।

तालिका 3.3.2: प्रति एंबुलेंस प्रतिदिन ग्रहण की गई आपात स्थितियाँ

वर्ष	चलित एंबुलेंसों की औसत संख्या (प्रतिमाह)	परिचालन लागत (ई.एम.आर.आई. के अनुसार)	प्रति एंबुलेंस प्रतिदिन आपात स्थितियों को ग्रहण किये जाने की लक्षित संख्या	उपलब्धि	कमी	(शास्ति कमी के अनुपात में)
2012–13	124	17.35	4.2	3.8	0.4	1.65
2013–14	531	56.87	4.2	3.8	0.4	5.42
योग						7.07

(घोट: समझौता ज्ञापन एवं निष्पादन संकेतक)

लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान, किसी निष्पादन संकेतक का निर्णय नहीं लिया गया। पुनरीक्षित एम.ओ.यू. (2012) में, निष्पादन संकेतकों के मानक सम्मिलित किए गए। ‘प्रति एंबुलेंस प्रतिदिन ग्रहण किए जाने वाली आपात स्थितियों की औसत संख्या’ 4.2 के निर्धारित मानक के विरुद्ध उपलब्ध वर्षों के दौरान

आपात स्थितियों को ग्रहण किये जाने में कमी के विरुद्ध संचालन एजेंसी के यूर्सी से ₹ 58.14 लाख की कटौती नहीं की गई थी।

कम पाई गई। मानक की उपलब्धि में इस कमी के अनुपात में राशि ₹ 7.07 करोड़ की कटौती, संचालन एजेन्सी की यूसी से समायोजन करने के पूर्व नहीं की गयी।

आपात स्थितियों को ग्रहण किये जाने में कमी के विरुद्ध संचालन एजेन्सी के यूसी से ₹ 58.14 लाख की कटौती नहीं की गई थी।

सितम्बर से नवंबर 2015 के लाभ पहुँचाए गए प्रकरणों के आंकड़ों की नमूना जाँच में पाया गया कि 27 जिलों में एंबुलेंस प्रतिदिन प्रति एंबुलेंस 4.2 आपात स्थितियों को ग्रहण करने के निर्धारित मानदण्ड को प्राप्त नहीं कर सकीं। हालांकि, इस कमी के विरुद्ध राशि ₹ 58.14 लाख की अनुपातिक कटौती समायोजन करने से पूर्व संचालन एजेन्सी की यूसी से नहीं की गई।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि निष्पादन मानक सभी एंबुलेंसों द्वारा औसत आपातकालीन प्रकरणों को संभालने हेतु स्थापित किए गए थे तथा प्रत्येक एंबुलेंस अथवा प्रत्येक जिले के लिए नहीं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एम.ओ.यू. में ‘प्रतिदिन प्रति एंबुलेंस आपात स्थितियों की औसत संख्या’ ग्रहण करने के लिए निर्धारित मानदण्ड पूरे राज्य स्तर पर प्राप्त नहीं किया गया था।

3.3.5.5 अपर्याप्त मानवशक्ति

एम.ओ.यू. प्रदाय करता है कि संचालन एजेंसी, कर्मचारियों को प्राप्त/भर्ती कर सकती है तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाएं प्रतिक्षित कर्मियों के माध्यम से प्रदान करें प्रशिक्षित एवं यह सुनिश्चित करें कि आपातकालीन परिवहन के दौरान चिकित्सालय पूर्व सेवा प्रदान करने हेतु प्रत्येक एंबुलेंस में कम से कम एक पायलट एवं एक आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन (ई.एम.टी.) 24X7 एवं 365 दिन उपलब्ध हो।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ई.एम.टी. एवं पायलट के प्रत्येक संवर्ग में आवश्यक 1455 पदों के विरुद्ध राज्य में ‘108 एंबुलेंसों’ में 1381 ईएमटी एवं 1397 पायलट तैनात थे। आवश्यक पदों (क्षेत्र कार्य एवं सहयोगी अमले) के विरुद्ध जुलाई 2015 की स्थिति में रिक्तियाँ चार से 11 प्रतिशत के मध्य थीं। अमले की अद्यतन स्थिति प्रदाय नहीं कराई गई। कॉल सेंटर पर आपातकालीन प्रतिक्रिया केन्द्र चिकित्सक (ई.आर.सी.पी.)—सेवा में 50 प्रतिशत कमी देखी गयी। इस कारण, ई.आर.सी.पी. की लाईन अधिकांशतः व्यस्त पाई गई एवं हितग्राही आपातकालीन परिवहन के दौरान चिकित्सालय पूर्व सेवा के रूप में ई.आर.सी.पी. सलाह प्राप्त करने से वंचित रहे। लेखापरीक्षा ने ई.आर.सी.पी. लाईन में वृद्धि किये जाने के कोई दस्तावेजी प्रयासों को नहीं देखा।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि प्रत्येक एंबुलेंस के लिए उपलब्ध अमला³⁴ ई.एम.टी. के लिए 2.28 एवं पायलटों के लिए 2.30 था। विभाग ने आगे कहा कि प्रति एंबुलेंस कर्मचारी की न्यूनतम आवश्यकता ई.एम.टी. एवं पायलटों प्रत्येक के लिए दो की है। प्रत्येक एंबुलेंस के अवकाश प्रबंधन एवं साप्ताहिक अवकाश के लिए प्रति एंबुलेंस अतिरिक्त 0.3 कर्मचारी आवश्यक हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आवश्यक अमले की तैनाती नहीं की गई थी।

3.3.5.6 एंबुलेंस सेवाओं के कार्यान्वयन में विसंगतियाँ

नमूना परीक्षित जिलों में लेखापरीक्षा ने ‘108 एंबुलेंस सेवाओं’ के कार्यान्वयन में निम्नलिखित विसंगतियों पाईः

³⁴ मानवशक्ति अनुपात का अर्थ राज्य में तैनात कुल एंबुलेंस संख्या से एंबुलेंस पर पदस्थ कुल पायलट एवं ई.एम.टी. की संख्या को विभाजित करना है।

- नमूना परीक्षित एंबुलेंसों में कुछ जीवन रक्षक किट, चिकित्सा उपकरण, चिकित्सा आपूर्ति एवं उपकरण संलग्नक जैसे—मेलीयेबल स्प्लिट, ग्लूकोमीटर, डाईक्लोफेनिक सोडियम (इंजेक्शन), थर्मामीटर संलग्नक आदि उपलब्ध नहीं थे/कार्य नहीं कर रहे थे।
- रास्ते में चिकित्सालय पूर्व सेवा प्रदाय करने के लिए एंबुलेंसों में ई.एम.टी. पदस्थ किए गए थे। मशीनरी/उपकरण के बेहतर उपयोग के लिए, ई.एम.टी. को रिफ्रेशर प्रशिक्षण प्रदाय करना आवश्यक था। यह पाया गया कि नमूना परीक्षित एंबुलेंसों में अधिकांश प्रकरणों में ई.आर.सी.पी. की सलाह पर रास्ते में चिकित्सालय पूर्व सेवा प्रदाय नहीं किया गया। इस प्रकार, ई.एम.टी. मात्र लोड-एवं-गो की तरह कार्य कर रहे थे।
- एंबुलेंस द्वारा विभिन्न प्रकार के रोगियों को परिवहित किया जाता है। एंबुलेंस की साफ-सफाई के लिए केवल क्लीन एण्ड सेप्ट गोलियों का इस्तेमाल किया गया एवं रोगियों को परिवहित किया गया। तैनात कर्मचारियों ने स्वयं एंबुलेंस को साफ किया। एंबुलेंसों की साफ-सफाई के लिए न तो विभाग न ही फर्म ने उपयुक्त कदम उठाए। एंबुलेंसों के उचित एवं नियमित सफाई के लिए एंबुलेंस संचालन एजेंसी द्वारा पृथक से व्यवस्था नहीं की गई।
- मिशन संचालनालय द्वारा प्रदाय ‘108 एंबुलेंस सेवाओं’ के निष्पादन प्रतिवेदनों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि आठ नमूना परीक्षित जिला चिकित्सालयों में ‘108 एंबुलेंसों’ द्वारा माह सितम्बर 2015 में 7152 प्रकरण परिवहित किए गए। हालांकि, जिला चिकित्सालय के अभिलेखों के अनुसार, जिला चिकित्सालयों में ‘108 एंबुलेंसों’ द्वारा लाए गए रोगियों के मात्र 4643 प्रकरण (65 प्रतिशत) पंजीकृत/पाए गए। इन दोनों आंकड़ों में 12 से 70 प्रतिशत का अन्तर पाया गया जो दर्शाता है कि शासकीय चिकित्सालयों में मरीजों की पंजीकरण प्रणाली अपर्याप्त है एवं निगरानी प्रणाली में कमी को इंगित किया। जिलेवार आंकड़े **परिशिष्ट-3.3.8** में दर्शाए गए हैं।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि एंबुलेंस सेवाओं के कार्यान्वयन में विसंगतियों पर आगामी कार्यवाही एवं आवश्यक सुधारों हेतु जी.वी.के. ई.एम.आर.आई. के साथ चर्चा की गई थी। सुधारात्मक उपाय के लिये निर्देश जारी किए गए हैं।

3.3.6 निगरानी एवं मूल्यांकन

3.3.6.1 बाहरी एजेंसी द्वारा मूल्यांकन

पुनरीक्षित एम.ओ.यू. ने प्रदाय किया कि ‘108 एंबुलेंस सेवाओं’ की आवधिक निष्पादन एवं लागत लेखापरीक्षा मिशन संचालक, एन.एच.एम. द्वारा प्राधिकृत किसी विशेषज्ञ द्वारा कराया जाना था।

अभिलेखों की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि ‘108 एंबुलेंस सेवाओं’ के निष्पादन आकलन के लिए फर्म ‘डेलॉयट’ को नामांकित किया गया था। ‘डेलॉयट’ टीम ने जी.वी.के. ई.एम.आर.आई. के कार्य का आकलन किया एवं प्रतिवेदन (सितम्बर 2013) प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन ने आई.ई.सी. गतिविधियों की बढ़ोतरी, ‘108 एंबुलेंसों’ के उद्देश्यों पर स्पष्टता, ई.एम.टी. प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण, चिकित्सालयों के साथ कार्य में सुधार, भण्डार प्रबंधन में सुधार एवं ई.एम.आर.ई. द्वारा उपार्जन की निगरानी को सुदृढ़ करना आदि के लिए अनुशंसाएं दी। हालांकि, इन अनुशंसाओं का अनुपालन

‘डेलॉयट’ टीम द्वारा की गई अनुशंसाओं का अनुपालन जिसने जी.वी.के. ई.एम.आर.आई. के कार्य का आकलन किया, अभिलेखों में नहीं पाया गया।

अभिलेखों में नहीं पाया गया। इस प्रकार विभाग तीसरे पक्ष की मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के बाद भी ‘108 एंबुलेंसों’ की सेवाओं में सुधार करने में विफल रहा।

आगे, कार्यकारी समिति की बैठक (अगस्त 2015) में निर्देशित किया गया कि फर्म द्वारा प्रदाय की गई सेवाओं के आकलन हेतु आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा गुणवत्ता आकलन किया जाना चाहिए। हालांकि, वर्तमान तक गुणवत्ता आकलन नहीं किया गया था।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि ‘डेलॉयट’ प्रतिवेदन की अनुशंसाओं का पालन किए जाने हेतु विभाग से जी.वी.के. ई.एम.आर.आई. को निर्देश जारी किए गए थे। हालांकि, विभाग का उत्तर किसी संबंधित साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं था।

3.3.6.2 निगरानी प्रणाली

एम.ओ.यू. (2012) ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद जिसकी वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होगी एवं प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति गठित की जाना प्रदाय किया। कार्यकारी समिति की बैठक तिमाही में कम से कम एक बार या इससे पहले जैसा अध्यक्ष द्वारा बुलाए जाने पर आयोजित की जाना थी। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला समिति गठित की जाना थी। जिले स्तर पर जिला समिति को तिमाही में एक बार मिलना था एवं कुशल कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए आवश्यक कार्यवाहियों का समन्वय करना था। जिला समिति को भी ‘108 एंबुलेंस सेवाओं’ एवं संबंधित गतिविधियों के संचालन के लिए समीक्षा करना आवश्यक था।

‘108 एंबुलेंस सेवाओं’ के कार्य की निगरानी के लिए किसी भी जिले में जिला स्तरीय समिति गठित नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2008–09 में एक सलाहकार परिषद गठित की गई थी एवं आज दिनांक तक केवल दो बैठक आयोजित की गई थीं। इसी तरह, कार्यकारी समिति 2013–14 में गठित की गई थी एवं लेखापरीक्षा अवधि के दौरान केवल दो बैठकें आयोजित की गई थीं। जिले स्तर पर ‘108 एंबुलेंस सेवाओं’ के कार्य की निगरानी के लिए पृथक से समिति गठित की जाना नहीं पाई गई। हालांकि, जिला स्वास्थ्य समिति, एन.एच.एम. की बैठकों के दौरान ‘108 एंबुलेंस सेवाओं’ के कार्य की समीक्षा की गई थी।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2016) कि सलाहकार परिषद एवं कार्यकारी समिति की बैठकों के अतिरिक्त राज्य एवं जिले स्तर पर नियमित रूप से विभिन्न निष्पादन समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। विभाग ने आगे कहा कि राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठकों में ‘108 एंबुलेंसों’ के निष्पादन की निगरानी की जा रही थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उपरोक्त उत्तर के समर्थन में कोई प्रतिवेदन/दस्तावेज लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त, एम.ओ.यू. के मानदण्डों के अनुसार सलाहकार परिषद एवं कार्यकारी समिति की बैठकें आयोजित नहीं की गईं।

3.3.7 निष्कर्ष

- कुल प्रभावी कॉल्स के विरुद्ध, 33 से 47 प्रतिशत प्रकरणों में एंबुलेंसें भेजी गई एवं 31 से 46 प्रतिशत पीड़ितों को आपातकालीन सेवाओं का लाभ मिला।
- उपार्जन प्रक्रिया में विलम्ब के कारण, परियोजना निर्धारित अवधि में पूरे राज्य में विस्तारित नहीं की जा सकी।
- जी.वी.के. ई.एम.आर.आई. को निधियां वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना तदर्थ आधार पर जारी की गई। वेतन पर राशि ₹ 23.42 करोड़ की बचत ओपेक्स

के अन्तर्गत अन्य गतिविधियों/घटकों जैसे—ईधन लागत, मरम्मत एवं रख रखाव इत्यादि पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपयोग की गई।

- 2012–13 से 2014–15 के दौरान प्रति एंबुलेंस ओपेक्स ₹ 0.98 लाख की निर्धारित सीमा से अधिक था परिणामस्वरूप संचालन एजेंसी को ₹ 5.02 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।
- कई जिलों में महत्वपूर्ण रोगियों को ग्रहण करने में प्रतिक्रिया समय अधिक होने के बावजूद इन जिलों में निर्धारित मानदण्डों के विरुद्ध कम एंबुलेंसें तैनात की गई। यहाँ तक कि जहाँ एंबुलेंसों की संख्या निर्धारित मानदण्डों से अधिक थीं, प्रतिक्रिया समय संतोषजनक नहीं था।
- कई जिलों में एंबुलेंसों का प्रतिक्रिया समय उपेष्टतम था। कई जिलों में एंबुलेंसें प्रतिदिन आपात स्थितियों को ग्रहण करने की औसत संख्या के निर्धारित मानदण्ड को प्राप्त नहीं कर सकीं। हालांकि, इस कमी के विरुद्ध ₹ 58.14 लाख की अनुपातिक कटौती समायोजन करने से पूर्व संचालन एंजेसी की यूसी से नहीं की गयी।
- आवश्यक पदों के विरुद्ध, जुलाई 2015 की स्थिति में 4 से 11 प्रतिशत के मध्य रिक्तियाँ थीं। कॉल सेंटर पर, ई.आर.सी.पी.—देखभाल में 50 प्रतिशत की कमी देखी गई। इसके कारण, ई.आर.सी.पी. की लाईन अधिकांशतः व्यस्त पाई गई एवं हितग्राही आपातकालीन परिवहन के दौरान पूर्व चिकित्सालय देखभाल के रूप में ई.आर.सी.पी. सलाहें प्राप्त करने से वंचित रहे।
- नमूना परीक्षित एंबुलेंसों में कुछ जीवन रक्षक किट, चिकित्सा उपकरण, चिकित्सा आपूर्ति एवं उपकरण संलग्नक उपलब्ध नहीं थे/कार्य नहीं कर रहे थे। एम.आई.एस. प्रतिवेदन के अनुसार एवं जिला चिकित्सालयों में पंजीकृत की गई ‘108 एंबुलेंसों’ द्वारा परिवहित किए गए रोगियों की संख्या के आंकड़ों में अन्तर पाया गया।
- किसी भी जिले में ‘108 एंबुलेंस सेवाओं’ के काम की निगरानी के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन नहीं किया गया।

3.3.8 अनुशंसाएं

- शासन द्वारा एम.ओ.यू. में विभिन्न मदों को पृथक् दर्शाते हुए परिचालन व्यय अनुमोदित किया गया था। लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक मद से अन्य मदों में कोई भी व्यपवर्तन शासन के परामर्श से हो।
- लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि ‘108 एंबुलेंसों’ की तैनाती के मानदण्डों को पुनः देखे जाने की आवश्यकता है क्योंकि अधिक एंबुलेंसों वाले जिले भी प्रतिक्रिया समय प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे।
- निष्पादन मानकों की गैर उपलब्धि हेतु शास्ति खण्ड को समिलित करने के लिए एम.ओ.यू. को संशोधित करने की आवश्यकता है। क्योंकि जी.वी.के. ई.एम.आर.आई. एक निजी सेवा प्रदाता है, सामान्य वित्तीय नियमों के सामान्य मानदण्डों का पालन किया जाना चाहिए।
- राज्य शासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि जी.वी.के. ई.एम.आर.आई. आवश्यकता अनुसार मानवशाक्ति तैनात कर रहा है।
- जिला स्तर पर राज्य मशीनरी को ‘108 एंबुलेंसों’ द्वारा लाए गए रोगियों से सम्बधित डाटा की शीघ्र एवं सटीक स्कॉर्डिंग सुनिश्चित करना चाहिए एवं जी.वी.के.

ई.एम.आर.आई. के निष्पादन प्रतिवेदन को जिला स्तर मशीनरी द्वारा प्रदाय किए गए आंकड़ों का विपरीत सत्यापन करने हेतु राज्य स्तर पर प्रणाली तैयार की जानी चाहिए।

- जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए एवं '108 एंबुलेंसों' के निष्पादन के आकलन हेतु नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।

अनुशंसाएं शासन द्वारा स्वीकार की गईं।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

3.4 "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" पर निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुवर्ती लेखापरीक्षा

3.4.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (नरेगा) ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत प्रत्येक ऐसे परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य स्वैच्छिक रूप से अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का सवैतनिक रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करता है। अधिनियम ग्रामीण परिवारों को स्थानीय ग्राम पंचायत में स्वयं को पंजीकृत कराने एवं रोजगार की मांग करने का अधिकार प्रदान करता है। अधिनियम में योजना के आयोजना व क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक स्तर पर पंचायतों को प्रधान प्राधिकारी बनाया गया था। अक्टूबर 2009 में अधिनियम का नाम परिवर्तित कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.) कर दिया गया था।

प्रथम चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम दिनांक 2 फरवरी 2006 से मध्य प्रदेश के 18 जिलों में प्रभावी हुआ। द्वितीय चरण में दिनांक 1 अप्रैल 2007 से राज्य के 13 अन्य जिले योजना में सम्मिलित किए गए तथा तृतीय चरण में दिनांक 1 अप्रैल 2008 से शेष 19 जिले³⁵ योजना में सम्मिलित कर लिये गये।

संगठनात्मक संरचना

राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कार्यान्वयन हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद जो कि एक पंजीकृत सोसायटी है के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इस परिषद के सदस्य सचिव हैं। योजना के क्रियान्वयन, मूल्यांकन तथा निगरानी हेतु राज्य रोजगार गारंटी परिषद राज्य शासन को परामर्श देती है।

ग्राम स्तर पर योजना ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वित की जाती है। विकास खण्ड स्तर पर ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों के समन्वयन हेतु कार्यक्रम अधिकारी (पी.ओ.) उत्तरदायी है जबकि जिला स्तर पर योजना के सम्पूर्ण समन्वय एवं क्रियान्वयन हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक (डी.पी.सी.) उत्तरदायी है।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस अनुवर्ती लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह अभिनिश्चित करना था कि क्या सरकार द्वारा 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के सामान्य

³⁵ दिनांक 16 अगस्त 2013 को शाजापुर जिले से नया जिला आगर मालवा बनाया गया।

एवं सामाजिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2013 का प्रतिवेदन क्रमांक 4) में की गई अनुशंसाओं के अनुपालन हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की गई थी।

लेखापरीक्षा मानदण्ड

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के मुख्य मानदण्ड विभाग द्वारा विधान सभा को प्रस्तुत कंडिका वार उत्तर (दिसम्बर 2014); स्वीकार की गई अनुशंसाओं को लागू करने हेतु विभाग द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना; महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एवं भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, द्वारा एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. एवं उसमें किए गये संशोधनों के संबंध में जारी परिचालनात्मक दिशानिर्देश 2006, 2008 तथा 2013 एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र थे।

3.4.2 पूर्व लेखापरीक्षा निष्कर्ष

वर्ष 2007–12 की अवधि के लिए राज्य में योजना के क्रियान्वयन की पूर्व समीक्षा की गई थी एवं निष्कर्ष 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) (2013 को प्रतिवेदन क्रमांक 4) की कंडिका 2.2 में शामिल किए गए। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नानुसार थे:

- योजना के नियोजन एवं निगरानी में कमी थी क्योंकि राज्य रोजगार गारंटी परिषद (एस.ई.जी.सी.) की सामान्य सभा एवं उसकी सशक्त समिति की निर्धारित बैठकों की संख्या नियमित अंतराल में नहीं हुई थीं।
- सभी ग्रामीण परिवारों को, हितग्राहियों से बिना आवेदन प्राप्त किए ही, योजनांतर्गत पंजीकृत कर जॉबकार्ड जारी किए गए थे। आवेदकों को रोजगार आवेदन की दिनांकित पावती जारी नहीं की गई थी।
- मजदूरी का भुगतान 30 दिन से 360 दिन के विलम्ब से किया गया था।
- एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. निधियों का अन्य योजनाओं की निधियों के साथ अभिसरण द्वारा अतिरिक्त रोजगार सृजन होना सुनिश्चित नहीं किया गया था तथा अभिसरण से प्राप्त राशि का एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. में मानकों के अनुरूप उपयोग नहीं किया गया था।
- ग्राम पंचायतों द्वारा आवश्यक अभिलेख संधारित नहीं किए गए थे।
- शिकायत निराकरण व्यवस्था प्रभावी नहीं थी क्योंकि राज्य तथा जिले स्तर पर बड़ी संख्या में शिकायतें निराकरण हेतु लंबित थीं। शिकायतों के निराकरण हेतु समय सीमा का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के संदर्भ में हमने अनुशंसा की थी कि :

- एस.ई.जी.सी. की सामान्य सभा तथा सशक्त समिति की नियमित बैठकें होनी चाहिए।
- हितग्राहियों के पंजीयन तथा जॉबकार्ड जारी करने हेतु उनकी पात्रता का समुचित सत्यापन किया जाना चाहिए।
- कार्यों की मांग हेतु हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त किए जाने चाहिए तथा उन्हें दिनांकित पावती दी जानी चाहिए जिससे 15 दिन के अंदर रोजगार प्राप्त न होने की स्थिति में उन्हें बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हो सके।
- रोजगार सृजन तथा परिसम्पत्ति निर्माण के आवश्यक अभिलेखों का संधारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लाईन विभागों द्वारा किए गए कार्यों का पाक्षिक प्रतिवेदन तथा मस्टर रोल की प्रति ग्राम पंचायतों को रोजगार सृजन के आंकड़े संधारित करने हेतु भेजी जानी चाहिए।

- एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. निधियों का अन्य योजनाओं की निधियों से अभिसरण अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु तथा अन्य योजनाओं का लाभ भी एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के हितग्राहियों को देने हेतु किया जाना चाहिए।
- शिकायतों के समय पर निराकरण हेतु शिकायत निवारण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

लोक लेखा समिति में इस निष्पादन लेखापरीक्षा का चयन (जून 2014) मौखिक साक्ष्य द्वारा परीक्षण के लिए हुआ था। विभाग ने कंडिकावार उत्तर (दिसम्बर 2014) विधान सभा को प्रस्तुत किए थे तथा आश्वासन दिया था कि योजना के सुचारू कार्यान्वयन हेतु लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को क्रियान्वित करने के लिए प्रयास किए जायेंगे। निष्पादन लेखापरीक्षा पर लोक लेखा समिति में चर्चा नहीं की गई थी (जनवरी 2017)।

3.4.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि

वर्तमान अनुवर्ती लेखापरीक्षा वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक की अवधि के लिए की गई। पूर्ववर्ती निष्पादन लेखापरीक्षा राज्य रोजगार गारंटी परिषद तथा राज्य के 13 जिलों के 29 ब्लॉकों की 287 चयनित ग्राम पंचायतों में की गई थी। पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा के सैम्प्ल में से राज्य रोजगार गारंटी परिषद, 13 जिलों, 29 ब्लॉकों तथा 58 ग्राम पंचायतों (प्रत्येक चयनित ब्लॉक में दो ग्राम पंचायतों) का चयन कर अनुवर्ती लेखापरीक्षा की गई। यद्यपि अनुवर्ती लेखापरीक्षा में 57 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की नमूना जाँच की जा सकी क्योंकि जिला सीहोर के ब्लॉक सीहोर की ग्राम पंचायत शीलखेड़ा के अभिलेख जाँच हेतु जप्त होने के कारण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड एवं कार्यक्षेत्र तथा कार्यप्रणाली पर चर्चा करने के लिए दिनांक 30 मार्च 2016 को आयुक्त, राज्य रोजगार गारंटी परिषद के साथ प्रवेश सम्मेलन किया गया। दिनांक 09 नवम्बर 2016 को प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ आयोजित निर्गम सम्मेलन में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। शासन के उत्तर यथोचित रूप से प्रतिवेदन में सम्मिलित किए गए हैं।

3.4.4 योजना के क्रियान्वयन की स्थिति

एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. एक केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में अधिनियम के उपबंधों के अनुसार केन्द्र एवं राज्य के मध्य लागत के विभाजन के आधार पर क्रियान्वित की जाती है। अकुशल श्रमिकों को देय मजदूरी की संपूर्ण लागत, कुशल एवं अद्व्यकुशल श्रमिकों को देय मजदूरी एवं सामग्री की लागत का 75 प्रतिशत के साथ भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रशासनिक व्यय, भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। सामग्री की लागत तथा कुशल एवं अद्व्यकुशल श्रमिकों की मजदूरी का 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अवधि 2012–16 के दौरान राज्य को प्राप्त निधियाँ एवं किए गए व्यय की स्थिति तालिका-3.4.1 में नीचे दी गई है:

तालिका-3.4.1 : वर्ष 2012–16 के दौरान मनरेगा योजना में निधियों का आवंटन एवं व्यय

वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	कुल उपलब्ध राशि	व्यय	अंतिम शेष	(₹ करोड़ में)
2012–13	1669.03	1908.69	3577.72	3243.81	333.91	
2013–14	364.53	2330.97	2695.50	2656.73	38.77	
2014–15	38.77	2948.75	2987.52	2901.43	86.09	
2015–16	86.09	2513.51	2599.60	2496.16	103.44	
कुल			11860.34	11298.13		

(स्रोत: एस.ई.जी.सी. द्वारा प्रदाय किए गए आंकड़े)

वर्ष 2012–13 से 2015–16 के दौरान राज्य में योजना के क्रियान्वयन हेतु आवंटित राशि ₹ 11860.34 करोड़ के विरुद्ध ₹ 11298.13 करोड़ व्यय किए गए। वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में प्रारंभिक एवं अंतिम शेषों की राशि में अंतर पाया गया जिसे सफ्टवेयर में संशोधन नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि प्रारंभिक शेष एवं अंतिम शेष में अंतर का कारण अप्रैल 2013 से मनरेगा में इलेक्ट्रोनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (ई.एफ.एम.एस.) का लागू होना था तत्समय उपलब्ध आंकड़ों को प्रारम्भिक शेष के रूप में लिया गया था।

इस प्रकार विभाग द्वारा तीन वित्तीय वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी प्रारम्भिक एवं अंतिम शेषों के अंतर में सुधार नहीं किया गया।

3.4.5 अनुवर्ती लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

3.4.5.1 राज्य रोजगार गारंटी परिषद की कार्यप्रणाली

मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद नियमावली के अनुसार राज्य में एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार को सलाह देने हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की एक सामान्य सभा होगी। एस.ई.जी.सी. की सामान्य सभा की बैठकें एक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जानी थीं। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की एक सशक्त समिति भी होगी। एस.ई.जी.सी. की सशक्त समिति की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार आयोजित की जानी थी।

एस.ई.जी.सी. की सामान्य सभा तथा उसकी सशक्त समिति की बैठकें नियत अंतराल पर आयोजित नहीं की गई।

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) (वर्ष 2013 का प्रतिवेदन क्रमांक 4) की कंडिका 2.2.7.1 में 2007–12 के दौरान एस.ई.जी.सी. की सामान्य सभा तथा उसकी सशक्त समिति की कम बैठकें आयोजित किए जाने का उल्लेख किया गया था।

लेखापरीक्षा ने अनुशंसा की थी कि एस.ई.जी.सी. की सामान्य सभा तथा उसकी सशक्त समिति की नियमित बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। विभाग द्वारा लोक लेखा समिति को उत्तर (दिसम्बर 2014) दिया गया कि प्राधिकार प्राप्त समिति की दसवीं बैठक (22 जनवरी 2014) में निर्णय लिया गया कि सामान्य सभा की निर्धारित अंतराल से बैठकें नहीं हो पाने के कारण उक्त बैठक माननीय मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में कराई जाये।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा लोक लेखा समिति को आश्वासन (दिसम्बर 2014) दिए जाने के पश्चात भी एस.ई.जी.सी. की सामान्य सभा तथा सशक्त समिति की बैठकें नियत समय पर नहीं की गई। दिसम्बर 2014 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान एस.ई.जी.सी. की सामान्य सभा की निर्धारित तीन बैठकों के विरुद्ध मात्र एक बैठक दिनांक 25 मार्च 2015 को आयोजित की गई थी तथा सशक्त समिति की निर्धारित पाँच बैठकों के विरुद्ध मात्र दो बैठकें ही आयोजित की गई थीं।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान शासन ने आश्वासन दिया कि भविष्य में बैठकों का आयोजन नियमित अंतराल पर किया जाएगा।

इस प्रकार, विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अनुशंसा तथा लोक लेखा समिति को दिए गए आश्वासन का अनुपालन नहीं किया गया।

3.4.5.2 समस्त ग्रामीण परिवारों का पंजीयन एवं जॉबकार्ड जारी किया जाना

अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत अनुसूची-II के अनुसार प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य जो (i) किसी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हों, और (ii) अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हों, अपने नाम, उम्र एवं परिवार का पता संबंधित ग्राम पंचायत को पंजीयन एवं जॉबकार्ड जारी करने हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं। ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि ऐसी जाँच जो उपयुक्त समझी जाये, करने के बाद परिवार का पंजीकरण करें तथा जॉबकार्ड जारी करें।

आयुक्त, एस.ई.जी.सी. ने सभी जिलों को निर्देश (अक्टूबर 2012) जारी किये गए तथा जॉब कार्ड जारी करने हेतु परिवार के मुखिया द्वारा भरा जाने वाला प्रारूप आवेदन पत्र, ग्राम पंचायत का सत्यापन पत्र तथा आवेदन पत्र की पावती के प्रारूप निर्धारित किए गए।

योजना के परिचालन दिशानिर्देश 2013 के पैरा 3.1.3 के अनुसार, ग्राम पंचायतों द्वारा आवेदकों की पात्रता का सत्यापन निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर किया जाना था:— (i) क्या परिवार आवेदन में दिए गए विवरण के अनुसार वास्तव में एक इकाई है; (ii) क्या परिवार जिसके द्वारा आवेदन किया गया है संबंधित ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी है;— और (iii) क्या आवेदक परिवार का वयस्क सदस्य है।

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2013 का प्रतिवेदन क्रमांक 4) की कंडिका 2.2.10.1 में अवधि 2007–12 के दौरान 13.35 लाख से 19.74 लाख परिवारों के पंजीयन एवं जॉबकार्ड जारी किए जाने के संबंध में उल्लेख किया गया था जिन्होंने न तो पंजीयन हेतु आवेदन दिया था तथा न ही बी.पी.एल. परिवार के थे।

लेखापरीक्षा ने अनुशंसा की थी कि हितग्राहियों के पंजीयन तथा जॉबकार्ड जारी करने हेतु आवेदकों की पात्रता का समुचित सत्यापन किया जाना चाहिए। विभाग ने अपने उत्तर में लोक लेखा समिति को सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि इस संबंध में समस्त जिलों को निर्देश जारी किए गए थे।(फरवरी 2013)

ग्राम पंचायतों ने आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं जॉब कार्ड जारी करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि अवधि 2012–16 के दौरान विभाग द्वारा 39.39 लाख जॉबकार्ड निरस्त किए गए थे। जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2012–13 में जो जॉबकार्ड धारकों की संख्या 119.41 लाख थी वर्ष 2015–16 में घटकर 80.02 लाख रह गई। जबकि 57 ग्राम पंचायतों की अनुवर्ती लेखापरीक्षा की संवीक्षा में पाया गया कि परिवार के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं निर्धारित सत्यापन प्रारूप में उनके प्रमाणीकरण की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। इस प्रकार, नमूना जाँच की गयी ग्राम पंचायतों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना जॉबकार्ड जारी किये गये थे।

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर (नवम्बर 2016) दिया कि जॉबकार्डों के नवीनीकरण हेतु सामान्य निर्देश जिलों को जारी कर दिए गए हैं।

इस प्रकार, विभाग द्वारा इस अनुशंसा का मात्र आंशिक अनुपालन ही किया गया।

3.4.5.3 हितग्राहियों को रोजगार आवेदन की दिनांकित पावती जारी न किया जाना

योजना के दिशा निर्देश 2008 के पैरा 5.4 के अनुसार, रोजगार प्राप्त करने के लिए हितग्राहियों को एक लिखित आवेदन ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करना चाहिए। इसकी प्रविष्टि निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप तथा रोजगार पंजी में की जाएगी। कार्य हेतु आवेदन की दिनांकित पावती आवेदक को दी जानी आवश्यक है। मनरेगा के अनुसार, योजनांतर्गत रोजगार की मांग करने के आवेदन की पावती के 15 दिवस के अंदर यदि

आवेदक को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह दैनिक बेराजगारी भत्ते का हकदार होगा।

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2013 का प्रतिवेदन क्रमांक 4) की कंडिका 2.2.10.2 में उल्लेख किया गया था कि आवेदक को रोजगार आवेदनों की दिनांकित पावती नहीं दी गई थी एवं रोजगार पंजी का या तो संधारण नहीं किया गया या अपूर्ण संधारण किया गया था। दिनांकित पावतियों के अभाव एवं रोजगार पंजी की अपूर्ण जानकारी के कारण वास्तविक रूप से कितने लोगों द्वारा रोजगार की मांग की गई थी, यह सुनिश्चित करना कठिन था।

लेखापरीक्षा ने अनुशंसा की थी कि रोजगार की मांग हेतु हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त किये जाने चाहिए तथा उन्हें दिनांकित पावती दी जानी चाहिए ताकि 15 दिन के अंदर रोजगार प्राप्त न होने की स्थिति में वे बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर सकें। विभाग द्वारा लोक लेखा समिति को सूचित (दिसम्बर 2014) किया गया कि रोजगार हेतु आवेदन देने वाले हितग्राहियों को दिनांकित पावती जारी किए जाने के संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए गए थे (फरवरी 2013)।

रोजगार हेतु
हितग्राहियों से
आवेदन प्राप्त नहीं
किए गए तथा
आवेदकों को
दिनांकित पावती
जारी नहीं की गई।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान जाँच की गई 57 ग्राम पंचायतों में देखा गया कि मात्र तीन ग्राम पंचायतों³⁶ द्वारा दिनांकित पावतियां जारी की गई तथा 51 ग्राम पंचायतों में हितग्राहियों से न तो कार्य के लिए आवेदन प्राप्त किए गए तथा न ही उन्हें दिनांकित पावती दी गई। तीन ग्राम पंचायतों³⁷ द्वारा स्टॉफ की अनुपस्थिति का कारण बताते हुए लेखापरीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। इस प्रकार, दिनांकित पावती के अभाव में, 15 दिवस के अंदर रोजगार प्राप्त न होने की स्थिति में हितग्राही बेरोजगारी भत्ते का दावा प्रस्तुत कर पाने की स्थिति में नहीं थे।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि हितग्राहियों को रोजगार आवेदन की पावती दिए जाने के निर्देश (मार्च 2007) जिलों को जारी किए गए थे।

इस प्रकार, विभाग द्वारा सभी जिलों को निर्देश जारी कर अनुशंसा का अनुपालन किया गया परन्तु ग्राम पंचायत स्तर पर इसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया था।

3.4.5.4 आवश्यक अभिलेखों का संधारण

योजना के दिशानिर्देश 2008 को पैरा 9.1.1 के अनुसार अभिलेखों का भली-भांति संधारण एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के सफल क्रियान्वयन के प्रमुख घटकों में से एक है। विवेचनात्मक आगतों, प्रक्रिया पद्धति, उत्पादन तथा परिणामों की जानकारी को डी.पी.सी., पी.ओ., ग्राम पंचायतों तथा अन्य क्रियान्वयन एजेन्सियों के स्तर पर निर्धारित पंजियों में अति सावधानी पूर्वक अंकित किया जाना है। कम्प्यूटर आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) में भी यही जानकारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में सम्मिलित की जावेगी। विभिन्न स्तर पर जानकारी के एकत्रीकरण को सुगम बनाने हेतु आवश्यक अभिलेखों का संधारण किया जाना है।

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2013 का प्रतिवेदन क्रमांक 4) की कंडिका

³⁶ ग्राम पंचायत खैरलांजी-ब्लॉक खैरलांजी जिला बालाघाट, ग्राम पंचायत सिरावली एवं ग्राम पंचायत तालापार-ब्लॉक कुरबई जिला विदेश।

³⁷ ग्राम पंचायतों के सचिव अभिलेखों के साथ ग्राम पंचायत पर उपस्थित नहीं हुए; (i) सारंगपुर-ब्लॉक सोहागपुर जिला शहडोल (ii) रैकोवा-ब्लॉक बुढ़ार जिला शहडोल (iii) घुमाहडोल-ब्लॉक बुढ़ार जिला शहडोल।

2.2.15.1 में ग्राम पंचायतों द्वारा आवश्यक अभिलेखों का संधारण नहीं किए जाने / अपूर्ण संधारण किए जाने के संबंध में उल्लेख किया गया था।

लेखापरीक्षा ने अनुशंसा की थी कि रोजगार सृजन तथा परिसम्पत्ति निर्माण के आवश्यक अभिलेखों का संधारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लाईन विभागों द्वारा किए गये कार्यों का पाक्षिक प्रतिवेदन तथा मस्टर रोल की प्रति ग्राम पंचायतों को रोजगार सृजन के आंकड़े संधारित करने हेतु अग्रेषित की जानी चाहिए।

विभाग द्वारा लोक लेखा समिति को आश्वासन (दिसम्बर 2014) दिया गया कि कार्यान्वयन के समस्त स्तरों (जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत) पर अभिलेखों की समवर्ती लेखापरीक्षा वर्ष 2013–14 से सनदी लेखाकारों से कराई जा रही थी जिससे अभिलेखों का निर्धारित प्रारूप में संधारण सुनिश्चित हो सके।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान जांच की गई 57 चयनित ग्राम पंचायतों के अभिलेखों में देखा गया कि लाईन विभागों एवं ग्राम पंचायतों के मस्टर रोल आनलाइन निकाले गए थे परन्तु 54 ग्राम पंचायातों द्वारा एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के आवश्यक अभिलेखों का संधारण एवं उनको उचित रूप से अद्यतन नहीं किया गया था। विवरण **परिशिष्ट-3.4.1** में तथा सारांश तालिका-3.4.2 में दर्शाया गया है। तीन ग्राम पंचायतों³⁸ द्वारा स्टॉफ की अनुपस्थिति बताते हुए लेखापरीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।

तालिका-3.4.2 : नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों द्वारा पंजियों का संधारण / अद्यतन नहीं किए जाने का विवरण

संक्र.	पंजी का नाम	ग्राम पंचायतों जिनके द्वारा पंजियों का संधारण किया गया	ग्राम पंचायतों जिनके द्वारा पंजियों का संधारण नहीं किया गया	ग्राम पंचायतों जिनके द्वारा पंजियों को अद्यतन नहीं किया गया
1	जॉब कार्ड पंजी	निरंक	20	34
2	रोजगार पंजी	03	45	06
3	निर्माण कार्य पंजी	निरंक	37	17
4	परिसम्पत्ति पंजी	निरंक	43	11
5	निरीक्षण पंजी	निरंक	49	05

(स्रोत- नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों के आंकड़ों का संकलन)

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि भौतिक रूप से अत्यधिक संख्या में पंजियों का संधारण करना कठिन था। भारत सरकार के निर्देश (जुलाई 2016) के परिपालन में सात पंजियों³⁹ का संधारण किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन था।

इस प्रकार, विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अनुशंसा का पालन नहीं किया गया।

3.4.5.5 एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. की निधियों का अभिसरण

योजना के दिशानिर्देश 2008 के पैरा 14.1 के अनुसार, स्थाई परिसम्पत्तियों के निर्माण करने के लिये एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. निधियों को अन्य निधियों के साथ मिलाया जा

³⁸ ग्राम पंचायतों के संचित अभिलेखों के साथ ग्राम पंचायतों पर उपस्थित नहीं हुये –(i) जिला शहडोल के ब्लॉक सुहागपुर की ग्राम पंचायत सारंगपुर (ii) जिला शहडोल के ब्लॉक बुढार की ग्राम पंचायत रकोबा (iii) जिला शहडोल के ब्लॉक बुढार की ग्राम पंचायत घुमाहडोल।

³⁹ तीन पंजियों का संधारण मैन्युअली किया जाना है – (i) ग्राम सभा बैठक पंजी (ii) मजदूरी पंजी (iii) स्थाई परिसम्पत्ति पंजी तथा चार पंजियों का संधारण आंशिक मैन्युअली किया जाना है:- (i) जॉब कार्ड एवं परिवार रोजगार पंजी (ii) कार्य पंजी (iii) शिकायत पंजी एवं (iv) सामग्री पंजी।

सकता है। तथापि, अभिसरण की सभी पहल नरेगा के मापदण्ड के अनुसार होगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ठेकेदार पूर्णतः प्रतिबंधित रहें।

मनरेगा, 2013 के परिचालन दिशानिर्देशों के पैरा 15.7.2 के अनुसार अभिसरण कार्यों की डाटा एन्ड्री नये कार्य प्रारंभ करने के समय की जानी है एवं योजना के नाम के साथ अभिसरण कार्य का विवरण सॉफ्टवेयर में भरा जाना है।

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2013 का प्रतिवेदन क्रमांक 4) की कंडिका 2.2.14.1 में एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. की निधियों का मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के साथ अनियमित अभिसरण के संबंध में उल्लेख किया गया था।

लेखापरीक्षा ने अनुशंसा की थी कि एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. निधि का अन्य योजनाओं की निधियों में अभिसरण अतिरिक्त रोजगार सृजन करने तथा अन्य योजनाओं का लाभ भी एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के हितग्राहियों को दिए जाने हेतु किया जाना चाहिए। विभाग द्वारा लोक लेखा समिति को आश्वासन दिया गया कि योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु लेखापरीक्षा अनुशंसा का अनुपालन किया जाएगा।

अभिसरण द्वारा सृजित अतिरिक्त रोजगार के आंकड़े ग्राम पंचायतों द्वारा संधारित नहीं किए गए।

नमूना जाँच किए गए 13 जिलों में अनुवर्ती लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2012–16 के दौरान विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सड़क योजना के साथ अभिसरण के कोई भी नये कार्य स्वीकृत नहीं किये गये थे। नमूना जाँच की गई ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. निधि का अभिसरण अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के निर्माण कार्य में किया गया। तथापि, अभिसरण के फलस्वरूप सृजित अतिरिक्त रोजगार के विवरण ग्राम पंचायतों द्वारा पृथक से संधारित नहीं किए गए थे।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के तहत किए गए कार्यों से सृजित अतिरिक्त रोजगार की जानकारी संधारित किए जाने हेतु जिलों को निर्देश जारी किए जाएंगे।

इस प्रकार, विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अनुशंसा का मात्र आंशिक अनुपालन किया गया।

3.4.5.6 शिकायत निवारण प्रणाली

योजना के दिशानिर्देश 2008 के पैरा 11.7 के अनुसार, कार्यक्रम अधिकारी ब्लॉक स्तर पर तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारी होंगे। प्रत्येक स्तर पर शिकायतों के निराकरण के लिये अपील की प्रणाली को डिजाइन किया जाना था। इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देशों के पैरा 9.1.1 (ix) के अनुसार कार्यक्रम अधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक/ग्राम पंचायत/अन्य क्रियान्वयन एजेन्सियों द्वारा शिकायत पंजी संधारित की जायेगी।

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र (गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2013 का प्रतिवेदन क्रमांक 4) की कंडिका 2.2.16.1 में ग्राम पंचायतों में शिकायत पंजी संधारित नहीं किए जाने तथा राज्य एवं जिला स्तर पर बड़ी संख्या में शिकायतों के लंबित रहने के संबंध में उल्लेख किया गया था।

लेखापरीक्षा ने अनुशंसा की थी कि शिकायतों के समय पर निवारण हेतु शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। विभाग ने लोक लेखा समिति को सूचित (दिसम्बर 2014) किया कि शिकायतों की स्वतंत्र जाँच एवं पारदर्शिता के उद्देश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (लोकपाल नियुक्ति, शक्तियां एवं कर्तव्य) मध्य प्रदेश नियम, 2013 लागू किये गये। आगे सूचित किया गया कि सभी ग्राम पंचायतों द्वारा शिकायत पंजियाँ संधारित की गई थीं।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2012–16 के दौरान संभाग स्तर पर लोकपालों की नियुक्तियाँ कर दी गई थीं। तथापि, वर्ष 2007–08 से 2015–16 के दौरान एस.ई.जी.सी. में प्राप्त हुई 3722 मनरेगा शिकायतों में से 1385 शिकायतें अभी भी लंबित थीं, जिसका विवरण **परिशिष्ट-3.4.2** में दिया गया है।

नमूना जाँच की गयी 34 ग्राम पंचायतों में शिकायत पंजी संधारित नहीं की गई थी तथा अत्यधिक संख्या में शिकायतें निराकरण हेतु एस.ई.जी.सी. के स्तर पर लंबित थीं।

नमूना जाँच की गई 57 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जाँच में स्पष्ट हुआ कि चार ग्राम पंचायतों द्वारा शिकायत पंजी का संधारण किया गया तथा 16 ग्राम पंचायतों द्वारा शिकायत पंजी संधारित की गई किन्तु पंजी को अद्यतन नहीं किया गया जैसा कि **परिशिष्ट-3.4.3** में उल्लेख है। 34 ग्राम पंचायतों द्वारा शिकायत पंजियों का संधारण नहीं किया गया। तीन ग्राम पंचायतों द्वारा लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गये। इन नमूना जाँच की गई ग्राम पंचायतों में वर्ष 2012–13 से 2015–16 के दौरान सामाजिक अंकेक्षण का कार्य नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि 2006–07 से प्राप्त कुल पंजीकृत शिकायतों में से 64 प्रतिशत शिकायतों का निराकरण किया गया एवं एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. शिकायतों का ऑनलाइन निराकरण मुख्यमंत्री हेल्पलाईन के माध्यम से भी किया गया। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण के दौरान भी शिकायतों का निराकरण किया गया था।

सामाजिक अंकेक्षण में शिकायतों का निराकरण किए जाने संबंधी विभाग का उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं था क्योंकि नमूना जाँच की गई ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया था। वर्ष 2007–08 की शिकायतें भी लंबित होना यह दर्शाता है कि लंबित शिकायतों का निराकरण किया जाना अभी भी एक समस्या बनी हुई थी।

इस प्रकार, विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अनुशंसा का मात्र आंशिक अनुपालन किया गया।

3.4.5.7 मजदूरी का विलंब से भुगतान

योजना के दिशानिर्देश 2008 के पैरा 7.1.5 में वर्णित है कि श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर किया जाना चाहिए तथा किसी भी दशा में कार्य समाप्त होने के दिन से एक पखवाड़े में भुगतान आवश्यक है। मजदूरी भुगतान विलंब की स्थिति में, श्रमिक मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि के लिए पात्र हैं। क्षतिपूर्ति राशि राज्य शासन द्वारा वहन की जायेगी।

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2013 का प्रतिवेदन क्रमांक 4) की कंडिका 2.2.11.2 में मजदूरी के विलम्ब से भुगतान के संबंध में उल्लेख किया गया था। विभाग ने अपने उत्तर में लोक लेखा समिति को सूचित (दिसम्बर 2014) किया कि विलम्ब से मजदूरी भुगतान को रोकने के लिए राज्य में 2013–14 से इलेक्ट्रॉनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम (ई.एफ.एम.एस.) भुगतान प्रणाली शुरू की गई थी।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयुक्त, मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल द्वारा हितग्राहियों को मजदूरी के विलम्ब से भुगतान के लिए क्षतिपूर्ति भुगतान के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश (जनवरी 2015) जारी किये गये। तथापि एस.ई.जी.सी. स्तर पर एम.आई.एस. रिपोर्ट⁴⁰ के अनुसार वर्ष 2014–15 में ₹ 1455.30 करोड़ के 1.75 करोड़ विलंबित लेन–देन (कुल लेन देनों का 84 प्रतिशत) हुए तथा वर्ष 2015–16 में ₹ 785.59 करोड़ के 96.35 लाख विलम्बित लेन–देन (कुल लेन देन के 15 प्रतिशत) थे। यह भी पाया गया कि हितग्राहियों को वर्ष 2014–15 में ₹ 38.10 करोड़ तथा वर्ष 2015–16 में ₹ 21.07 करोड़ की देय क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया

हितग्राहियों को भुगतान हेतु क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं किया गया।

⁴⁰ मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गई दिनांक 4 फरवरी 2016 की एम.आई.एस. रिपोर्ट

(अगस्त 2016)। इसके अतिरिक्त, एम.आई.एस. रिपोर्ट⁴¹ के अनुसार वर्ष 2015–16 के लिए अकुशल एवं अर्द्धकुशल मजदूरी की राशि ₹ 9.18 करोड़ भुगतान हेतु लंबित थी (जनवरी 2017)।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि राज्य रोजगार गारंटी परिषद के लेखों में निधियों की कमी, एन.आई.सी., बैंक तथा पी.एफ.एम.एस.⁴² के सर्वरों के प्रभावी तरीके से कार्य न करने तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों में कोर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध न होने के कारणों से मजदूरी भुगतान में विलंब हुआ।

इस प्रकार विभाग द्वारा हितग्राहियों को मजदूरी का भुगतान समय से किया जाना सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

3.4.6 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

हमने देखा कि 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2013 का प्रतिवेदन क्रमांक 4) की कंडिका 2.2 में स्वीकार की गयी छ: अनुशंसाओं में से तीन अनुशंसाएं जो जॉबकार्ड जारी किए जाने, एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. निधि का अन्य योजनाओं के साथ अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु अभिसरण करने तथा शिकायत निवारण व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने से संबंधित थीं, का विभाग द्वारा मात्र आंशिक अनुपालन किया गया जबकि निम्नलिखित तीन अनुशंसाओं का विभाग द्वारा अनुपालन नहीं किया गया:

- एस.ई.जी.सी. की सामान्य सभा तथा उसकी सशक्त समिति की नियमित बैठकें आयोजित किया जाना।
- कार्यों की मांग हेतु हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त किए जाने चाहिए तथा उन्हें दिनांकित दी जानी चाहिए पावती ताकि 15 दिन के अंदर रोजगार प्राप्त न होने की स्थिति में उन्हें बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हो सके।
- रोजगार सृजन तथा परिसम्पत्ति निर्माण के आवश्यक अभिलेखों का संधारण सुनिश्चित किया जाना।

विभाग द्वारा एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के क्रियान्वयन में स्वीकार की गई सभी अनुशंसाओं का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

⁴¹ एम.आई.एस. रिपोर्ट दिनांक 13 फरवरी 2017।

⁴² पब्लिक फाईनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम।

लेखापरीक्षा कंडिकाएं

सामान्य क्षेत्र

गृह विभाग

3.5 पूर्व संशोधित दरों के उपयोग के कारण प्रशमन शुल्क राशि का कम आरोपण

नौ जिलों में पूर्व संशोधित दरों पर प्रशमन शुल्क के आरोपण के परिणामस्वरूप राशि ₹ 83.91 लाख के प्रशमन शुल्क की कम वसूली।

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 29 के अनुसार, कोई विशेष व्यवस्था के अधीन जो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा किसी विशेष वर्ग की प्राप्तियों के लिये प्राधिकृत की गई हो, विभागीय नियंत्रण अधिकारियों का यह देखने का कर्तव्य है कि शासन को देय समस्त धनराशि नियमित रूप से तथा तत्परता से निर्धारित कर वसूल की जा रही है तथा संचित निधि अथवा लोक लेखा में जमा की जा रही है।

मोटर वाहन अधिनियम 1988 (अधिनियम) की धारा 200 के अन्तर्गत, कोई अपराध किया गया हो जो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय हो, ऐसी राशि के लिए प्रशमन किया जा सकता है जो राज्य शासन, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। मोटर वाहन अधिनियम 1988 (1988 की संख्या 59) की धारा 200 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 22-3-2000-VIII, दिनांक 23 अगस्त 2005 के अधिक्रमण में, मध्य प्रदेश शासन द्वारा सरकारी राजपत्र क्रमांक 110, दिनांक 16 मार्च 2012 में अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए प्रशमन शुल्क की दरों को निर्धारित किया गया। प्रशमन शुल्क की दरों को सरकारी राजपत्र क्रमांक 29, दिनांक 21 जनवरी 2013 एवं क्रमांक 101, दिनांक 2 मार्च 2015 द्वारा पुनः संशोधित किया गया।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या 1 की कंडिका 3.1.12 में, क्रियान्वयन प्रकोष्ठों को इस तरह के आदेशों/अधिसूचनाओं का तत्काल संचार सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र के अभाव के कारण राजपत्र क्रमांक 110, दिनांक 16 मार्च 2012 द्वारा संशोधित प्रशमन शुल्क के कम आरोपण एवं कम वसूली पर प्रकाश डाला गया था।

तीन जिलों⁴³ के पुलिस अधीक्षकों (एस.पी.) के अभिलेखों की नमूना जाँच में लेखापरीक्षा ने राजपत्र अधिसूचना मार्च 2012 के अनुपालन में पुनः चूक देखी। इन जिलों में अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के 19,545 मामलों में प्रशमन शुल्क पूर्व संशोधित दरों पर आरोपित किये जाने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 70.68 लाख की कम वसूली हुई। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि राजपत्र अधिसूचना जनवरी 2013 के संबंध में दो⁴⁴ जिलों में 1,124 मामलों में ₹ 4.99 लाख की कम राशि आरोपित की गयी और इसी प्रकार राजपत्र अधिसूचना मार्च 2015 के संबंध में छह जिलों⁴⁵ में 5,442 मामलों में ₹ 8.24 लाख की कम राशि आरोपित की गयी। इस प्रकार, मध्य प्रदेश शासन के

⁴³ छिन्दवाडा (मई 2015), धार (जुलाई 2015) एवं पन्ना (जुलाई 2016)।

⁴⁴ देवास (अगस्त 2015) एवं श्योपुर (अक्टूबर 2015)।

⁴⁵ भोपाल (जुलाई 2015), देवास (अगस्त 2015), ग्वालियर (अप्रैल 2015), खरगोन (अगस्त 2015), श्योपुर (अक्टूबर 2015) एवं उज्जैन (मई 2015)।

आधिकारिक राजपत्र (मार्च 2012, जनवरी 2013 और मार्च 2015) द्वारा प्रशमन शुल्क की दरों में संशोधन के बावजूद, इस अधिनियम के उल्लंघन के लिए पंजीकृत 26,111 मामलों में प्रशमन शुल्क की राशि ₹ 83.91 लाख कम वसूल की गयी। अधिसूचनावार एवं जिलेवार प्रशमन शुल्क के कम आरोपण एवं कम वसूली का विवरण **परिशिष्ट-3.5.1** में दर्शाया गया है।

इस ओर इंगित किये जाने पर, एस.पी., देवास (अगस्त 2016) एवं एस.पी., भोपाल (अगस्त 2016) द्वारा अवगत कराया गया कि कम वसूल की गई प्रशमन शुल्क राशि की मांग किया जाना संभव नहीं है।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (मई 2016)। निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में विभाग ने तथ्यों और आंकड़ों को सत्यापित किया और बताया कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सरकारी राजपत्र अधिसूचना क्षेत्रीय इकाईयों द्वारा अनुपालन के लिए वेबसाईट पर उपलब्ध करा दी गई थी। राजपत्र में अधिसूचित आदेशों के संबंध में पुलिस इकाईयों द्वारा आदेशों के अनुपालन बावत अतिरिक्त निर्देश, पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किए गए थे। शासन ने स्वीकार किया कि समय-समय पर शासन/परिवहन विभाग द्वारा संशोधित प्रशमन दरों के आरोपण संबंधी आदेशों की प्राप्ति और अनुपालन में थोड़े समय का प्रक्रियात्मक विलम्ब हुआ था। यह शुल्क, एक सुधारक उपाय के रूप में और आम जनता को यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक बनाने के लिए आरोपित किया गया था। इसका उद्देश्य राजस्व अर्जित करना नहीं था, संशोधित दरों को देरी से क्रियान्वयन करने के कारण राजस्व की हानि बताना न्यायोचित नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि शासन ने राजस्व के नुकसान से बचने के लिए किसी प्रक्रियात्मक देरी के बिना संशोधित दरों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई भी उपयुक्त क्रियाविधि तैयार नहीं की गयी थी।

3.6 गृहिता संगठनों से पुलिस गार्ड की लागत वसूल नहीं किया जाना

पुलिस गार्ड की लागत और बैंक प्रत्याभूति की राशि को अग्रिम रूप से एकत्रित करने में पुलिस अधीक्षक, भोपाल एवं देवास की शिथिलता के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/उपक्रमों को प्रदाय किये गये पुलिस गार्ड की लागत राशि ₹ 1.87 करोड़ गृहिता संगठनों से वसूल नहीं जा सकी।

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 29 में प्रावधान है कि, कोई विशेष व्यवस्था के अधीन जो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा किसी विशेष वर्ग की प्राप्तियों के लिये प्राधिकृत की गई हो, विभागीय नियंत्रण अधिकारियों का यह देखने का कर्तव्य है कि शासन को देय समस्त धनराशि नियमित रूप से तथा तत्परता से निर्धारित कर वसूल की जा रही है तथा संचित निधि अथवा लोक लेखा में जमा की जा रही है।

मध्य प्रदेश पुलिस विनियमन के नियम 495 के अनुसार, सरकारी विभागों, रेलवे या व्यक्तियों को दिये गये पुलिस गार्ड की लागत पुलिस अधीक्षक द्वारा तैयार किए गये देयक पर गृहिता संगठनों से वसूल की जाएगी। मध्य प्रदेश शासन, गृह विभाग (जनवरी 2010, अगला संशोधन जून 2010 और मार्च 2011 में) द्वारा बैंकों/अन्य व्यावसायिक संगठनों एवं व्यक्तियों को स्थायी एवं अस्थायी आधार पर प्रदाय किये गये पुलिस गार्ड की दरें निर्धारित की जिसमें सभी व्यय/पुलिस गार्ड की परिलिख्याँ शामिल थीं। पुलिस गार्ड की लागत बैंक प्रत्याभूति के रूप में एक वर्ष के प्रभार के साथ छमाही आधार पर अग्रिम में एकत्रित की जानी थी। भुगतान चैक/ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त किया जाना था तथा पुलिस विभाग के प्राप्ति शीर्ष में चालान द्वारा जमा किया जाना था।

पुलिस अधीक्षक (एस.पी.), भोपाल (जुलाई 2015) एवं एस.पी., देवास (अगस्त 2015 एवं अगस्त 2016) के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि पुलिस गार्ड सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) और दूरदर्शन को उनके अनुरोध पर प्रदाय किए गए थे। शासन द्वारा इन प्रतिष्ठानों में पुलिस कर्मियों के पद उनकी तैनाती के लिए, इन प्रतिष्ठानों से उन पर होने वाले व्यय को अग्रिम में प्राप्त किए जाने के निर्देश के साथ, स्वीकृत किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संबंधित पुलिस अधीक्षकों ने पुलिस गार्ड की लागत अग्रिम में प्राप्त नहीं की थी तथा नियमित अंतराल पर वसूली के लिए अनुसरण भी नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप अवधि 2010–11 से 2015–16 के लिए राशि ₹ 1.87 करोड़ (₹ 1.27 करोड़ एस.पी., भोपाल और ₹ 0.60 करोड़ एस.पी., देवास) शुल्क का संचय हो गया जिसका विवरण **परिशिष्ट-3.6.1** में दर्शाया गया है। ₹ 1.87 करोड़ में से ₹ 1.38 करोड़ वर्ष 2011–12 से 2013–14 तक से संबंधित थे। एक वर्ष के शुल्क के बराबर बैंक प्रत्याभूति भी गृहिता संगठनों से नहीं ली गई थी।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया था (मई 2016)। निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में विभाग ने तथ्यों को सत्यापित किया और बताया कि पुलिस गार्ड की लागत राशि ₹ 1.62 करोड़ (₹ 1.02 करोड़ एस.पी., भोपाल एवं ₹ 0.60 करोड़ एस.पी., देवास) अभी भी बकाया थी। बकाया देय की वसूली के लिए कार्यवाही प्रगति पर थी और गृहिता संगठनों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी।

विभाग का उत्तर स्वीकार नहीं था क्योंकि पुलिस गार्ड की लागत अग्रिम में प्राप्त नहीं की गयी थी और सरकार के आदेशानुसार गृहिता संगठनों से बैंक प्रत्याभूति भी नहीं ली गयी थी। पुलिस गार्ड की लागत व बैंक प्रत्याभूति अग्रिम प्राप्त करने में शिथिलता का कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया था। यदि दोषी संगठनों से बैंक प्रत्याभूति ली गयी होती तो इसे पुलिस गार्ड के प्रभारों की प्राप्ति के लिए भुनाया जा सकता था।

सामाजिक क्षेत्र

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

3.7 उपभोक्ता कल्याण हेतु कॉर्पस निधि में ब्याज जमा न किया जाना

उपभोक्ता कल्याण हेतु राज्य कॉर्पस निधि में जमा सम्बन्धी नियमों के अनुपालन में विफल रहने के कारण, निधि ब्याज की राशि ₹ 1.34 करोड़ से वंचित रही।

भारत सरकार द्वारा, पंजीकृत अभिकरणों/संगठनों एवं राज्य सरकारों को उपभोक्ता कल्याण गतिविधियां प्रारम्भ करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदाय किए जाने के लिए उपभोक्ता कल्याण निधि की स्थापना की गई थी (1992)। इसी तारतम्य में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों/परियोजनाओं की स्वीकृति को विकेन्द्रीकृत किए जाने हेतु भारत सरकार, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलें के मंत्रालय ने राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि (सी.डब्ल्यू.एफ.) की स्थापना हेतु एक मुश्त अनुदान 50:50 (केन्द्र:राज्य) के अनुपात में सीड मनी के रूप में तथा उन राज्यों के लिए जहां जिलों की संख्या 25 से अधिक है, सीड मनी 50 लाख प्रदान करने का निर्णय लिया गया (जून 2004)। राज्य सी.डब्ल्यू.एफ. को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु यह निर्णय लिया (फरवरी 2010) कि जो राज्य ₹ 10 करोड़ की राशि के कार्पस निधि स्थापित करने के इच्छुक हैं, उन्हें केन्द्रीय सी.डब्ल्यू.एफ. से केन्द्रांश के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा 75 प्रतिशत राशि का अंशदान देकर सहायता की जाएगी।

कार्पस निधि को पृथक खाते में रखा जाना था जिससे ब्याज अर्जित किया जा सके, जिसका उपयोग स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को गतिविधियों जैसे उपभोक्ता साक्षरता का विस्तार करने हेतु साहित्य की रचना एवं वितरण तथा श्रव्य-दृश्य सामग्री तथा उपभोक्ता शिक्षा हेतु जागरूकता निर्माण कार्यक्रम; उपभोक्ता शिक्षा एवं सम्बन्धित मामलों हेतु प्रशिक्षण एवं शोध की सुविधाओं की स्थापना तथा जिला/उप-संभाग स्तर पर उपभोक्ता शिक्षा गतिविधियों को स्थायी आधार पर आयोजित करने हेतु आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण में आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु किया जा सके।

मध्य प्रदेश शासन (जी.ओ.एम.पी.), खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि नियम, 2009 (नियम) बनाया (अगस्त 2009), इस नियम की कण्डिका 4(1) के अनुसार, राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि, राज्य के लोक लेखे के अधीन अव्यपगत निधि के रूप में रखी जाएगी, निधि में जमा की गई राशि को शासकीय कोषालय में सब्याज व्यक्तिगत जमा खाते के रूप में रखा जाएगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्णय किया जाए।

आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण (सी.एफ.सी.एस.) के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया (अक्टूबर 2014 एवं दिसम्बर 2015) कि मध्य प्रदेश शासन ने 2005–06 में राज्य सी.डब्ल्यू.एफ. के लिए ₹ 22.50 लाख का बजट प्रावधान किया। तत्पश्चात 2006–07 में भारत सरकार से राशि ₹ 24.75 लाख प्राप्त हुई तथा कुल राशि को ब्याज रहित व्यक्तिगत खाता (खाता क्र. 41) में जमा कर दिया गया। कार्पस निधि की स्थापना हेतु भारत सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात, सी.एफ.सी.एस. द्वारा मुख्य शीर्ष ‘8448–स्थानीय निधि में जमा–120 अन्य जमा’ के अन्तर्गत एक अन्य पी.डी. खाता (खाता क्र. 50) खोला गया (सितम्बर 2010) तथा कुल राशि ₹ 10.47 करोड़⁴⁶ को इस खाते जमा किया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यह नया पी.डी. खाता जिस मुख्य शीर्ष के अंतर्गत खोला गया था वह महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची के अनुसार “के.–जमा एवं अग्रिम” के अन्तर्गत “ब्याज रहित जमा” के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इस प्रकार कोषालय ने इसके पश्चात इस खाते में ब्याज नहीं दिया, म.प्र. शासन, वित्त विभाग ने समय–समय पर राज्य शासन द्वारा अनुमत्य दर से इस खाते में जमा राशि पर ब्याज का भुगतान करने के निर्देश जारी किए (दिसम्बर 2012)। तत्पश्चात इस खाते में केवल दिनांक 01.10.2015 को दिनांक 07.12.2012 से 31.03.2015 तक की अवधि के लिए ₹ 1.70 करोड़ ब्याज जमा किया गया। जबकि खाता खोलने की दिनांक से वित्त विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान करने के आदेश जारी करने तक की अवधि (दिनांक 28.09.2010 से 6.12.2012) तक ब्याज ₹ 1.34⁴⁷ करोड़ कार्पस निधि में जमा नहीं किया गया।

आगे संवीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा 2011–14 के दौरान निधि से कोई गतिविधि नहीं की गई। ब्याज जमा होने के पश्चात ही उपभोक्ता कल्याण निधि के प्रबन्धन एवं प्रशासन के लिए दिशानिर्देश 2015 को अन्तिम रूप दिया गया। इस प्रकार राज्य कार्पस निधि की राशि को उपभोक्ता कल्याण हेतु सब्याज खाते में जमा करने के नियम का अनुपालन न होने के कारण यह निधि ब्याज राशि ₹ 1.34 करोड़ से वंचित रही जिससे उपभोक्ता कल्याण निधि से होने वाली गतिविधियों के क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ। ब्याज की राशि ₹ 1.34 करोड़ अभी भी खाते में जमा की जानी थी।

⁴⁶ केन्द्रांश ₹ 7.50 करोड़, राज्यांश ₹ 2.50 करोड़ एवं पी.डी. खाता क्र. 41 से अन्तरित राशि ₹ 47.25 लाख

⁴⁷ देय ब्याज, दिनांक 28.09.2010 से 31.03.2011 तक ₹ 10.57 लाख, दिनांक 1.04.2011 से 31.03.2012 तक ₹ 73.31 लाख, दिनांक 1.04.2012 से 06.12.2012 तक ₹ 50.08 लाख।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2016)। निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016), में शासन ने तथ्यों एवं आंकड़ों को सत्यापित किया एवं बताया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा ब्याज के भुगतान की स्वीकृति हेतु एक प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया गया था तथा स्वीकृति प्रतीक्षित थी।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

3.8 फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग कर निजी मुद्रकों को अनियमित भुगतान

शासकीय मुद्रणालय के फर्जी बिल सत्यापन पत्रों, प्रमाणीकरण सील एवं हस्ताक्षर का उपयोग करके एम.वाय. अस्पताल, इन्दौर एवं जयारोग्य अस्पतालों का समूह, ग्वालियर द्वारा निजी मुद्रणालयों को राशि ₹ 79.50 लाख का अनियमित भुगतान किया गया।

राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल ने ज्ञापन जारी किया (जून 2009) कि सभी शासकीय विभागों द्वारा सभी प्रकार के विभागीय मुद्रण कार्य शासकीय मुद्रणालय में मुद्रण हेतु भेजे जाने चाहिए। नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्य प्रदेश, भोपाल ने विभागीय मुद्रण कार्य के लिए प्रक्रिया संबंधी विस्तृत निर्देश जारी किये (अगस्त 2010) जिसके अनुसार मांगकर्ता कार्यालय द्वारा मुद्रण हेतु मांग पत्र सीधे शासकीय मुद्रणालय को स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजे जाएं। यदि, शासकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रण कार्य किसी पंजीकृत निजी मुद्रणालय को आउटसोर्स किया जाता है तब कार्य आदेश की पृष्ठांकित प्रति मांगकर्ता कार्यालय को भेजी जाएगी। पंजीकृत निजी मुद्रणालय से मुद्रित सामग्री प्राप्त होने के पश्चात मांगकर्ता अधिकारी मुद्रित सामग्री के नमूने सहित निजी मुद्रणालयों के देयकों को शासकीय मुद्रणालय को सत्यापन हेतु भेजेगा। संबंधित निजी मुद्रणालय को भुगतान करने के पूर्व मांगकर्ता शासकीय मुद्रणालय की प्रत्येक सत्यापन टीप की पुष्टि गोपनीय रूप से नियंत्रक कार्यालय से करेगा। कपटपूर्ण सत्यापन टीप के आधार पर निजी मुद्रकों को किसी भी प्रकार के फर्जी भुगतान की रोकने के लिए इन प्रक्रियाओं का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी मांगकर्ता कार्यालयों के प्रमुखों की थी।

आगे नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री (नियंत्रक), मध्य प्रदेश, भोपाल ने आदेश जारी किया था (सितम्बर 2012) कि समस्त शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालय में किसी भी प्रकार के मुद्रण कार्य के लिए मुद्रण आदेश भौगोलिक सीमा निर्धारण के आधार पर संबंधित शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय (इन्दौर, ग्वालियर, रीवा) को अथवा शासकीय मुद्रणालय, भोपाल को पर्याप्त समय पूर्व जारी किए जाने चाहिए। यह भी उल्लिखित किया गया था कि बीजकों/देयकों पर परीक्षण समिति द्वारा अंकित की जाने वाली प्रमाणन मोहर तथा देयक के आमुख पत्र को जारी करने वाले पूर्व प्रारूप को मई 2010 के आदेश द्वारा बन्द किया जा चुका है।

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय (जे.डी. एण्ड एस., एम.वाय.एच.), इन्दौर (अक्टूबर 2015) तथा संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, जयारोग्य अस्पतालों का समूह (जे.डी. एण्ड एस., जे.ए.एच.), ग्वालियर (फरवरी 2016) के अभिलेखों की नमूना जाँच में लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- एम.वाय. अस्पताल, इन्दौर ने मार्च 2014 से मार्च 2015 के दौरान विभिन्न फार्म, पुस्तिकाओं (booklets), डिस्चार्ज कार्ड्स एवं लिफाफों इत्यादि के मुद्रण के लिए निजी मुद्रकों के राशि ₹ 56.91 लाख के 195 देयकों का भुगतान किया। लेखापरीक्षा में उद्घटित हुआ कि मुद्रण सामग्री के लिये मांग पत्र जावक किए गए थे और

उसके बाद स्टेशनरी लिपिक द्वारा जावक लिपिक से वापिस ले लिए गए थे। मुद्रित सामग्री के देयकों को आवक करने के लिये आवक लिपिक को स्टेशनरी लिपिक द्वारा दिये गए थे, तत्पश्चात् वापस ले लिये गए थे। स्टेशनरी शाखा के प्रभारी मेडिकल ऑफिसर द्वारा शासकीय मुद्रणालय की फर्जी सत्यापन टीप को प्रमाणित किया गया था और निजी मुद्रकों के इन बिलों को पारित एवं भुगतान किया गया था।

- इसी प्रकार, 2014–15 के दौरान जयारोग्य अस्पताल समूह द्वारा निजी मुद्रकों के राशि ₹ 22.59 लाख के आठ देयकों का भुगतान किया गया था (विवरण परिशिष्ट—3.8.1 में दिया गया है)। लेखापरीक्षा ने पाया कि मुद्रण सामग्री के दिनांकित 24.09.2014 के मांग पत्र जावक एवं व्यय पंजी में दिनांक 17.09.2014 को जावक किया जाना दर्शाया गया था। मुद्रित सामग्री वास्तविकता में प्राप्त किए बिना ही भण्डार के प्रभारी मेडिकल ऑफिसर द्वारा शासकीय मुद्रणालय की फर्जी सत्यापन टिप्पणियां प्रमाणित की गई थीं एवं निजी मुद्रकों के बिलों को पारित एवं भुगतान किया गया था। दिनांक 24.09.2014 के 07 प्रदाय आदेशों के माध्यम से जयारोग्य अस्पताल समूह, ग्वालियर द्वारा किए गए क्रय के संबंध में भंडार पंजी उपलब्ध नहीं कराई गई थी जिसके कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि मुद्रित सामग्री वास्तव में अस्पताल में प्राप्त हुई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उपर्युक्त उल्लिखित 203 मुद्रण आदेशों के लिए मांग–पत्र सीधे नियंत्रक को जारी किया जाना दर्शाया गया था जबकि ये आदेश संबंधित शासकीय मुद्रणालय इन्दौर एवं ग्वालियर को जारी किये जाने चाहिये थे। लेखापरीक्षा के दौरान दोनों अस्पतालों द्वारा इन मांग–पत्रों को नियंत्रक को जावक करने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। पंजीकृत निजी मुद्रकों को शासकीय मुद्रणालय द्वारा जारी कार्यादेशों की पृष्ठांकन प्रतियां भी संबंधित अस्पतालों में उपलब्ध नहीं थीं। निजी मुद्रकों के 203 बिलों में से किसी में भी शासकीय मुद्रणालय द्वारा जारी आदेश का संदर्भ नहीं था। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि नियंत्रक कार्यालय के आमुख पत्र, बीजकों/देयकों पर जांच समिति की सत्यापन मोहर एवं हस्ताक्षर के आधार पर निजी मुद्रकों को भुगतान किये गये थे जबकि यह प्रक्रिया मई 2010 से ही बंद की जा चुकी थी।

ये सभी तथ्य इंगित करते हैं कि दोनों अस्पतालों द्वारा शासकीय मुद्रणालय के माध्यम से स्टेशनरी के मुद्रण के लिए निर्धारित प्रक्रिया का प्रत्यक्षः अनुपालन दिखाया गया था, किन्तु लेखापरीक्षा को प्रस्तुत संबंधित अभिलेख विरोधाभासी थे।

कार्यालय नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल से उक्त 203 देयकों से संबंधित बीजकों/देयकों, देयकों पर सत्यापन टीप एवं आमुख पत्र के प्रतिसत्यापन के दौरान उप नियंत्रक एवं नियंत्रक ने बताया (जनवरी एवं मार्च 2016) कि इन प्रकरणों के मुद्रण मांग–पत्र संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, एम.वाय. अस्पताल, इन्दौर तथा संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, जयारोग्य अस्पताल समूह, ग्वालियर से प्राप्त नहीं हुए थे। इसलिये, इनमें से किसी भी प्रकरण में निजी मुद्रकों को मुद्रण आदेश जारी करने एवं उनके देयकों के सत्यापन की प्रक्रिया के अनुसरण का प्रश्न ही नहीं उठता है। एम.वाय. अस्पताल, इन्दौर के 195 प्रकरणों के संबंध में उप नियंत्रक ने बताया कि सभी देयक सत्यापन पत्र, देयकों के पीछे शासकीय मुद्रणालय के हस्ताक्षर एवं सत्यापन मोहर पूर्णतः फर्जी थे तथा ये देयक जांच समिति के सदस्यों द्वारा प्रमाणित नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर तथा उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्य प्रदेश, भोपाल के उत्तर के अवलोकन के पश्चात संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, एम.वाय. अस्पताल, इन्दौर ने लेख किया (अक्टूबर 2015 एवं सितम्बर 2016) कि संवीक्षा पश्चात लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा। आगे, नियंत्रक, शासकीय

मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्य प्रदेश, भोपाल के उत्तर के अवलोकन के पश्चात संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, जयारोग्य अस्पताल समूह, ग्वालियर ने लेख किया (सितम्बर 2016) कि जांच पश्चात लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

इसी बीच, आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्य प्रदेश, भोपाल ने लेखापरीक्षा आपत्ति को संज्ञान में लेते हुए इस विषय की जांच हेतु एक जांच समिति गठित कर दी थी (जुलाई 2016)।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2016); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2017)।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

3.9 क्षतिपूर्ति का कम आरोपण

ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ के छ: संभागों द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सङ्करण योजना के अन्तर्गत ग्रामीण सङ्करण कार्य में विलम्ब के लिए ठेकेदारों पर राशि ₹ 1.26 करोड़ की क्षतिपूर्ति का कम आरोपण किया गया।

मध्य प्रदेश शासन द्वारा उन असंयोजित ग्रामों को जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सङ्करण योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किए गए थे, को बारहमासी सङ्करणों के साथ जोड़ने के लिए वर्ष 2010–11 में मुख्यमंत्री ग्राम सङ्करण योजना (एम.एम.जी.एस.वाई.) शुरू की गई थी। योजना के अन्तर्गत सङ्करणों के निर्माण कार्य की जिम्मेदारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (पी.आर.डी.डी.) के एक अभिकरण मध्य प्रदेश ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आर.ई.एस.) की थी।

मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग नियमावली के **परिशिष्ट 2.13** की धारा-2 और अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य करने के लिए दिए गए समय का ठेकेदार द्वारा सख्ती से पालन किया जायेगा और समय उस दिन⁴⁸ से गिना जायेगा जिस दिन ठेकेदार को कार्य शुरू करने का आदेश दिया जाता है। अनुबंध में दर्शाई गई समयसीमा में कार्य करने में ठेकेदार के विफल रहने की स्थिति में कार्यपालन यंत्री (ई.ई.) द्वारा अनुबंध में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार ठेकेदार पर क्षतिपूर्ति का आरोपण करना था। (जैसा कि **परिशिष्ट 3.9.1** में दर्शाया गया है)।

पी.आर.डी.डी. द्वारा निर्देशित किया गया (दिसंबर 2004) कि एक महीने तक समयावधि वृद्धि की स्वीकृति कार्यपालन यंत्री द्वारा दी जाएगी एवं एक महीने से अधिक की समयावधि वृद्धि स्वीकृति हेतु मुख्य अभियंता पूर्णतः सक्षम होंगे।

इसके अतिरिक्त, पी.आर.डी.डी. ने निर्देशित किया (अप्रैल 2005) कि समयावधि वृद्धि प्रकरणों में विभागीय अधिकारियों द्वारा विस्तृत सकारण आदेश (detailed speaking orders), जिसमें विलम्ब की अवधि एवं जिस अवधि के लिए ठेकेदार जिम्मेदार नहीं था का पृथक से उल्लेख करते हुए, जारी किया जाना चाहिए एवं विलम्ब की अवधि जिसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार था उसकी गणना कर अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार यथोचित क्षतिपूर्ति का आरोपण किया जाना चाहिए।

⁴⁸ जिन कार्यों की पूर्णता अवधि छ: महीने है है उनके लिए पन्द्रहवां दिन और जहाँ पूर्णता अवधि छ: महीने से अधिक है उनके लिए तीसवां दिन

आर.ई.एस. के छ: संभागों⁴⁹ में मुख्यमंत्री ग्राम सङ्क योजना (एम.एम.जी.एस.वाय.) के अन्तर्गत कार्यों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि 33 कार्यों⁵⁰ में कार्य पूर्णता समय में तीन से 28 माहों की समयवृद्धि की गई थी जिसके लिए निर्धारित दर अनुसार क्षतिपूर्ति राशि के रूप में राशि ₹ 1.32 करोड़ की शास्ति ठेकेदारों पर आरोपित की जाना चाहिए थी जबकि केवल राशि ₹ 6.46 लाख का आरोपण किया गया था। परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.26 करोड़ की शास्ति का कम आरोपण हुआ जैसा कि **परिशिष्ट-3.9.2** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संबंधित कार्यपालन यंत्री द्वारा ठेकेदारों पर कोई क्षतिपूर्ति का आरोपण किये बिना, समयावधि वृद्धि के लिए शास्ति अधिरोपण की सिफारिश के साथ; विलम्ब के कारणों सहित (केवल कुछ प्रकरणों में) समयावधि वृद्धि के लिए प्रकरणों को अधीक्षण यंत्री (एस.ई.) को अग्रेषित किया गया था। अधीक्षण यंत्री ने पाया कि ठेकेदार भी समयावधि वृद्धि के लिए जिम्मेदार थे परन्तु कार्यों के पूर्ण होने में हुए विलम्ब के लिए समयावधि वृद्धि हेतु विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार शास्ति आरोपित नहीं की गई थी। आगे, लेखापरीक्षा ने पाया कि पी.आर.डी.डी. द्वारा दिसम्बर 2004 में जारी किये गये निर्देश अनुबंध की शर्तों में शामिल नहीं किये गये थे और समयावधि वृद्धि मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकृत की जाना चाहिए सम्बंधी विभाग के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अधीक्षण यंत्री ने कार्यों के पूर्ण होने में हुए विलम्ब के लिए, क्षतिपूर्ति के रूप में, कम शास्ति आरोपित कर समयावधि वृद्धि प्रकरण स्वीकृत किए थे, हालांकि वह सक्षम नहीं थे। लेखापरीक्षा में पूछने पर अधीक्षण यंत्री उज्जैन एवं जबलपुर ने बताया (दिसम्बर 2016) कि कार्य के विलम्ब से पूर्ण होने के लिए अकेले ठेकेदार जिम्मेदार नहीं था। विभागीय विलम्ब, विलम्ब से कार्य पूर्ण होने के लिए ठेकेदार द्वारा दिए गए कारणों (**परिशिष्ट-3.9.3**) और उन पर संबंधित कार्यपालन यंत्री की सहमति के आधार पर उपयुक्त क्षतिपूर्ति का आरोपण किया गया था। परन्तु क्षतिपूर्ति आरोपित करने के लिए अधीक्षण यंत्री द्वारा जारी आदेशों में वह अवधि जिसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार नहीं था का उल्लेख किया जाना नहीं पाया गया।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में, विभाग ने बताया कि निर्माण कार्य विभाग नियमावली 1983 के **परिशिष्ट 2.13** के अन्तर्गत धारा-2 में कार्यों को विलम्ब से पूर्ण करने के लिए शास्ति लगाने की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है और इस धारा के अनुसार अधीक्षण यंत्री का निर्णय अंतिम होगा। भूमि से संबंधित कठिनाईयों, मनरेगा के अन्तर्गत अर्थवर्क पूर्ण न होना और समय पर स्थल (site) की अनुपलब्धता इत्यादि को ध्यान में रखे हुए एस.ई. ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है।

उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं था क्योंकि अधीक्षण यंत्री समयावधि वृद्धि स्वीकृति के लिए सक्षम नहीं थे। ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए, अनुबंध की शर्तों और प्रावधानों की अनदेखी करते हुए अधीक्षण यंत्रियों द्वारा कम शास्ति आरोपित की गई थी। आगे, जिस अवधि के लिए ठेकेदार जिम्मेदार नहीं थे को बताते हुए अधीक्षण यंत्रियों द्वारा सकारण आदेश जारी नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, कार्य की समयावधि वृद्धि के लिए ठेकेदार द्वारा दिये गए कारण संतोषजनक नहीं पाये गये थे क्योंकि अनुबंध की शर्तों की धारा-2 के अनुसार कार्य की प्रगति देने में ठेकेदार विफल रहे थे जो कि विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार शास्ति को आकर्षित (attracts) करता है।

⁴⁹ कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, देवास (नवम्बर 2015), हरदा (जुलाई 2015), जबलपुर का संभाग क्र. 1 (अक्टूबर 2015) एवं संभाग क्र. 2 (अक्टूबर 2015), बालाघाट संभाग क्र. 2 (फरवरी 2016), छिन्दवाड़ा (मार्च 2016)

⁵⁰ कार्यपालन यंत्री, देवास (08 कार्य), हरदा (03 कार्य), संभाग क्र. 1 जबलपुर (07 कार्य) एवं संभाग क्र. 2 जबलपुर (05 कार्य), बालाघाट (02 कार्य) एवं संभाग क्र. 2 छिन्दवाड़ा (08 कार्य)

इस प्रकार, विभाग के निर्देशों के विपरीत अधीक्षण यंत्रियों ने ठेकेदारों को अनुचित लाभ देने के लिए समयावधि वृद्धि स्वीकृति में क्षतिपूर्ति के रूप में कम शास्ति आरोपित कर अप्राधिकृत एवं मनमाने ढंग से कुछ ठेकेदारों की सहायता की। कम आरोपित राशि वसूली योग्य थी एवं अधीक्षण यंत्रियों के विरुद्ध उनकी अवैध कार्यवाही के लिए उपयुक्त कार्यवाही भी शुरू की जा सकती है।

3.10 अधिक व्यय

ठेकेदारों द्वारा छोड़े गए कार्यों के निष्पादन में अधिक व्यय राशि ₹ 82.79 लाख की वसूली कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, पन्ना एवं जबलपुर द्वारा जोखिम एवं लागत प्रक्रिया अन्तर्गत नहीं की गई थी।

लोक निर्माण विभाग नियमावली के **परिशिष्ट 2.13** धारा 3 के अनुसार ठेकेदार द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़ने, छोड़ने या अनुमत सीमा से अधिक विलम्ब करने की स्थिति में अनुबंध समाप्त करने एवं सुरक्षा जमा राजसात करने का प्रावधान है। इसी नियमावली की धारा 3 (सी) के अनुसार ‘ठेकेदार के कार्य को मापने और उससे कार्य के अनिष्पादित भाग को वापिस लेने एवं पूर्ण करने के लिए दूसरे ठेकेदार को देने का प्रावधान है। कोई व्यय जो मूल ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली राशि, यदि पूरा कार्य उसके द्वारा किया गया होता, से अधिक हो (आधिक्य राशि जिसका संभागीय अधिकारी द्वारा लिखित प्रमाण—पत्र अंतिम और निश्चयात्मक होगा) मूल ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा और उसके द्वारा भुगतान किया जाएगा और शासन द्वारा उसको अनुबंध के अंतर्गत अथवा अन्यथा देय किसी भी राशि से अथवा उसकी सुरक्षा जमा अथवा उससे संबद्ध विक्रय से प्राप्त राशि या उसके पर्याप्त अंश से काटा जायेगा। आगे, निर्माण कार्य विभाग नियमावली की धारा 2.075 (बी) में यह प्रावधान है कि “विभागीय एवं पीस वर्क के रूप में कार्य निष्पादन हेतु ₹ पाँच लाख तक के लिये अधीक्षण यंत्री तथा इससे ऊपर के लिये मुख्य अभियंता द्वारा आदेश दिये जा सकेंगे”।

मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग ने दिशा—निर्देश जारी किया (मई 2013) कि शेष कार्य के लिए आने वाली अधिक लागत का निर्धारण जोखिम एवं लागत पर आमंत्रित शेष कार्य की निविदा स्वीकृत होकर अनुबन्ध निष्पादित हो जाने पर निविदा दर के आधार पर किया जाना चाहिए और अधिक लागत की वसूली प्रथमतः, अनुबंध के प्रावधानानुसार, अपूर्ण कार्य छोड़ने वाले ठेकेदार को शासकीय देय राशि से वसूली की जाए एवं शेष राशि की वसूली के लिये राजस्व वसूली प्रमाण—पत्र (आर.आर.सी.) के माध्यम से कार्यवाही की जाए।

(अ). कार्यालय कार्यपालन यंत्री, (का.यं.), ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं (ग्रा.यां.से.), पन्ना के अभिलेखों की नमूना जाँच (दिसम्बर 2015) में पाया गया कि पैकेज क्रमांक 0902 एवं 0908 के अंतर्गत सड़क एवं पुलियों का निर्माण कार्य क्रमशः एस.ओ.आर. से 16.11 प्रतिशत कम पर निविदा लागत ₹ 189.75 लाख एवं एस.ओ.आर. से 05.11 प्रतिशत कम पर निविदा लागत ₹ 179.14 लाख में 12 माह में पूर्ण करने हेतु मैसर्स टोरस साफ्टवेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, सतना (मूल ठेकेदार) को कार्यादेश जारी किये गये थे (नवम्बर 2010)। पैकेज क्रमांक 0902 और 0908 के अन्तर्गत मूल ठेकेदार को क्रमशः ₹ 43.08 लाख और ₹ 54.07 लाख का भुगतान किया गया था। नियत दिनांक से लगभग दो वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद भी कार्य पूर्ण नहीं हुए थे और कार्य अपूर्ण छोड़ दिए गए थे। कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, पन्ना ने पैकेज क्रमांक 0902 एवं 0908 के अन्तर्गत अनुबंधों को क्रमशः फरवरी 2014 एवं दिसम्बर 2013 में अनुबंध की धारा 3 एवं उसके सह—धाराओं के तहत निरस्त कर दिए थे। शेष कार्यों को पीसवर्क पद्धति से निष्पादित करने के लिए अधीक्षण यंत्री (अ.य.) ने अनुमति दी (मई 2014), जबकि अधीक्षण यंत्री इन प्रकरणों में अनुमति देने में

सक्षम नहीं थे क्योंकि इनमें मुख्य अभियंता की अनुमति वांछित थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि इन दोनों पैकेज के शेष कार्यों को पीसवर्क पद्धति से जिले की एस.ओ.आर. पर किये जाने से, मूल ठेकेदार से अनुबंधित दरों से तुलना करने के अनुसार, अधिक लागत राशि ₹ 53.92 लाख व्यय की गई थी जैसा कि **परिशिष्ट-3.10.1** में वर्णित है, जो मूल ठेकेदार से वसूली योग्य थी।

(ब). कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, संभाग क्रमांक 02, जबलपुर के अभिलेखों की संवीक्षा (अक्टूबर 2015) एवं आगे एकत्र जानकारी (मार्च 2016) में यह उदघटित हुआ कि पैकेज क्रमांक 3302 एवं 3310 के अंतर्गत सङ्क एवं पुलियों के निर्माण कार्य क्रमशः एस.ओ.आर. से 13 प्रतिशत कम पर निविदा लागत ₹ 126.18 लाख एवं एस.ओ.आर. से 0.10 प्रतिशत कम पर निविदा लागत ₹ 113.31 लाख, 12 माह में पूर्ण करने हेतु मैसर्स आर.के. कन्स्ट्रक्शन, तहसील पनागर, जबलपुर (मूल ठेकेदार) को कार्यादेश जारी किये गये थे (दिसम्बर 2010)। मूल ठेकेदार द्वारा पैकेज क्रमांक 3302 के अंतर्गत कार्य जनवरी 2012 तक प्रारंभ नहीं किया गया था तथा जनवरी 2012 तक पैकेज क्रमांक 3310 के अंतर्गत केवल दो सङ्कों के कार्य प्रारंभ किये गये थे जबकि नौ सङ्कों पूर्ण की जानी थीं और कार्य अधूरे छोड़ दिए गए थे। कार्यपालन यंत्री, संभाग क्रमांक 02, जबलपुर ने धारा 3 (सी) के अंतर्गत ये अनुबंध निरस्त कर दिए गए थे (जनवरी 2012)। पैकेज क्रमांक 3302 के शेष कार्य एस.ओ.आर. दर से 19.26 प्रतिशत से अधिक पर मैसर्स राजेन्द्र प्रसाद, जबलपुर को आवंटित किये गये थे (अप्रैल 2012) तथा पैकेज क्रमांक 3310 के शेष कार्य एस.ओ.आर. दर से 19.50 प्रतिशत अधिक पर मैसर्स मां रेवा श्री कन्स्ट्रक्शन, जबलपुर को आवंटित किये गये थे (अप्रैल 2012)। शेष कार्यों के निष्पादन पर अधिक व्यय की गई राशि ₹ 37.03 लाख प्रथम ठेकेदार की जोखिम एवं लागत पर वसूली योग्य थी जैसा कि **परिशिष्ट-3.10.2** में वर्णित है।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2016)। निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष के तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि की और लेख किया कि ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, पन्ना ने मूल ठेकेदार द्वारा अनुबंध के समय जमा राशि ₹ 5.26 लाख राजसात कर ली गई थी तथा ठेकेदार के बिल से काटी गई सुरक्षा जमा, परफारमेंस सुरक्षा और समयवृद्धि की राशि ₹ 13.30 लाख डिपोजिट शीर्ष में अवरुद्ध रखी हुई थी तथा इस राशि की वसूली की प्रक्रिया प्रगतिशील थी। शेष राशि ₹ 35.36 लाख की वसूली आर.आर.सी. के माध्यम से की जाएगी। ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, जबलपुर में प्रथम ठेकेदार द्वारा ई.एम.डी. के रूप में जमा राशि ₹ 2.90 लाख की वसूली की जा चुकी है तथा शेष राशि ₹ 34.13 लाख की वसूली आर.आर.सी. के माध्यम से की जाएगी। यह भी लेख किया गया कि आर.आर.सी के माध्यम से वसूली में समय लग सकता है क्योंकि यह कार्यवाही कलेक्टर द्वारा की जाएगी। शेष कार्यों को पीसवर्क के माध्यम से कराने हेतु अधीक्षण यंत्री, पन्ना द्वारा दी गई अनुमति के संबंध में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

तथ्य यह है कि अधिक लागत की वसूली प्रथम ठेकेदार को देय राशि से करने की अनुबंध की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया था, जिसके कारण जोखिम एवं लागत पर राशि ₹ 82.79 लाख की वसूली मूल ठेकेदारों से नहीं की गई थी। संबंधित संभागों द्वारा कार्यों की प्रगति का अनुवीक्षण नहीं किया गया था। कार्यों के निरस्तीकरण के बाद, जमा शीर्ष में रखी सुरक्षा जमाओं, परफारमेंस सुरक्षा एवं अन्य राशियों को राजसात नहीं किया गया था तथा शेष राशि की वसूली आर.आर.सी. के माध्यम से करने हेतु समय पर एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, शेष कार्यों को पीसवर्क के रूप में कराने की अधीक्षण यंत्री, पन्ना की अनुमति नियमानुसार नहीं थी।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.11 कपटपूर्ण अधिक भुगतान

जे.पी. अस्पताल, भोपाल ने संबंधित वार्डों द्वारा धुलाई के लिए जारी किए गए लिनेन कपड़ों के विवरण से वास्तविक मिलान किये बिना, लिनेन कपड़ों की धुलाई के लिए लाउण्ड्री सर्विसेस को ₹ 48.67 लाख का कपटपूर्ण अधिक भुगतान किया।

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता (एम.पी.टी.सी.) के नियम 193 के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) स्वीकृत राशि के कोषालय से आहरण एवं संवितरण हेतु उत्तरदायी होगा। मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 198 के अनुसार किसी भी अधिभार की जिम्मेदारी प्रारंभिक तौर पर देयक को आहरण करने वाले की होगी, उसके द्वारा किसी भी प्रकार की उपेक्षा की दशा में वसूली पर विचार किया जा सकता है। आगे, मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता (एम.पी.एफ.सी.) के नियम 121 के अनुसार जब सामग्री प्राप्त हो तो, सभी प्राप्त सामग्री को, जैसा भी प्रकरण हो, जांचा, गिना, नापा अथवा तौला जाना चाहिए। भंडार प्राप्तकर्ता शासकीय सेवक को यह प्रमाण-पत्र भी देना होगा कि उसने यथार्थ में भण्डार वस्तुएं प्राप्त कर ली हैं तथा उनकी प्रविष्टि भण्डार पंजियों में कर दी गई है।

कार्यालय सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक (सी.एस.), जे.पी. अस्पताल, भोपाल में लिनेन कपड़ों की धुलाई से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच (जनवरी 2016) एवं आगे एकत्र जानकारी (मई 2016) में लेखापरीक्षा ने पाया कि धुलाई के लिए लिनेन कपड़े मैसर्स मित्तल लाउण्ड्री सर्विसेस, भोपाल (लाउण्ड्री सर्विस) को दिए गए थे। फर्म ने माह के दौरान लिनेन कपड़ों की धुलाई के वार्डवार विवरण के साथ मासिक आधार पर दी गई सेवाओं के लिए बिल प्रस्तुत किये थे। लाउण्ड्री सर्विस द्वारा लिनेन कपड़ों की धुलाई के लिए प्रस्तुत बिलों को सचिव, रोगी कल्याण समिति (आर.के.एस.) के सत्यापन पत्र के आधार पर पारित किया गया था तथा धुलाई के लिए जारी लिनेन कपड़ों की संख्या का देयकों के साथ संलग्न/दावा किए गए वार्डवार विवरण का संबंधित वार्डों से वास्तविक सत्यापन किये बगैर भुगतान किए गए थे।

धुलाई के लिए जारी किये गये लिनेन कपड़ों के वार्डवार विवरण (16 वार्डों के द्वारा उपलब्ध कराये गये) तथा लाउण्ड्री सर्विसेस के मासिक बिलों (मई 2014 से सितम्बर 2015 तक) के साथ संलग्न वार्डवार विवरणों की संवीक्षा में लेखापरीक्षा ने पाया कि विभिन्न वार्डों से धुलाई के लिए जारी वास्तविक लिनेन कपड़ों की संख्या 2,21,523 के विरुद्ध फर्म द्वारा 9,01,382 लिनेन कपड़ों की धुलाई के बढ़ाकर बिल प्रस्तुत किये गए थे। इस प्रकार, फर्म ने लिनेन कपड़ों की धुलाई के लिए 6,79,859 कल्पित तरीके से बढ़ी हुई संख्या के देयक प्रस्तुत किए थे जिसके फलस्वरूप फर्म को ₹ 48.67 लाख का कपटपूर्ण भुगतान हुआ जैसा परिशिष्ट-3.11.1 में दर्शाया गया है। संबंधित वार्डों से सत्यापन किए बगैर, रोगी कल्याण समिति के सत्यापन कथन पर डी.डी.ओ. द्वारा विश्वास किए जाने के कारण अभिलेखों में स्पष्ट नहीं थे। यह आहरण एवं संवितरण अधिकारी के स्तर पर लापरवाही को दर्शाता है और इस प्रकार नियमों में उल्लिखित नियंत्रण तंत्र का अनुपालन नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप कपटपूर्ण भुगतान हुआ।

इंगित किये जाने पर सिविल सर्जन, जे.पी. अस्पताल, भोपाल ने लेख किया (जनवरी 2016) कि जॉच पश्चात लेखापरीक्षा को अवगत कराया जावेगा। उन्होंने आगे लेख किया (अक्टूबर 2016) कि जॉच कमेटी गठित की जा चुकी है (मई 2016) तथा जॉच प्रतिवेदन अभी भी प्रतीक्षित था।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2016)। निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल ने लेख किया कि जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात, 15 दिनों के भीतर लेखापरीक्षा को उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा तथा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

इस प्रकार, सिविल सर्जन, जे.पी. अस्पताल, भोपाल आंतरिक नियंत्रण का अनुपालन करने में विफल रहे और वार्डों से धुलाई के लिए दिए गए कपड़ों का सत्यापन सुनिश्चित किए बगैर लाउण्ड्री सर्विसेस को भुगतान जारी किया जिसके फलस्वरूप ₹ 48.67 लाख का कपटपूर्ण अधिक भुगतान हुआ।

3.12 संदिग्ध गबन/कपटपूर्ण भुगतान

सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, बैतूल द्वारा देयकों के तैयार करने, प्राप्ति, सत्यापन एवं भंडार जारी करने के लिए संहिता प्रावधानों का अनुसरण/सुनिश्चित नहीं किया गया था जिसके कारण एल.पी.जी. सिलेण्डरों की आपूर्ति हेतु फर्जी/कपटपूर्ण तरीके से तैयार किए गए बिलों पर ₹ 7.69 लाख का भुगतान किया गया।

म.प्र वित्तीय संहिता (एम.पी.एफ.सी.) के नियम 121 के अनुसार जब सामग्री प्राप्त हो तो, सभी प्राप्त सामग्री को, जैसा भी प्रकरण हो, जांचा, गिना, नापा अथवा तौला जाना चाहिए और उन्हें एक जिम्मेदार शासकीय सेवक द्वारा अपने प्रभार में लेना चाहिए जो यह देखेगा कि सामग्री की मात्रा सही है एवं उत्तम प्रकार की है तथा तदनुसार इस आशय का प्रमाणपत्र भी अंकित करेगा। भण्डार प्राप्तकर्ता शासकीय सेवक को यह प्रमाण-पत्र भी देना चाहिए कि उसने यथार्थ में भण्डार वस्तुएं प्राप्त कर ली हैं तथा उनकी प्रविष्टि उपयुक्त भण्डार पंजियों में कर दी गई है। आगे, मध्य प्रदेश कोषालय संहिता (एम.पी.टी.सी.) के नियम 397 के अनुसार भंडार पंजी के पृष्ठ क्रमांक का एक सन्दर्भ जिसमें ऐसी आपूर्तियों या भण्डारों को दर्ज किया जा चुका है, आहरण अधिकारियों द्वारा आपूर्तिकर्ता के देयकों, बीजकों इत्यादि पर दिया जाना चाहिए। यह भी प्रमाणित किया जाना चाहिए कि भुगतान की गई दरें स्वीकार की गई या बाजार दरों से अधिक नहीं हैं।

म.प्र वित्तीय संहिता के नियम 10 के अनुसार प्रत्येक विभागाध्यक्ष वित्तीय नियंत्रण लागू करने के लिये तथा प्रत्येक कदम पर कठोर मितव्ययिता का पालन कराने के लिये उत्तरदायी है। वह यह देखने के लिये भी उत्तरदायी है कि उसके स्वयं के कार्यालय तथा अधीनस्थ वितरण अधिकारियों, दोनों द्वारा संबंधित समस्त वित्तीय नियमों एवं विनियमों का पालन किया जा रहा है। एम.पी.टी.सी. के नियम 306 के अनुसार संवितरण अधिकारियों को चाहिये कि वे सभी भुगतानों के लिये वैध पावतियां अवश्य प्राप्त करें।

सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, (सी.एस.) बैतूल के पास भर्ती मरीजों को पका हुआ भोजन प्रदाय करने हेतु शिवालय सोना एच.पी. गैस सर्विस (गैस एजेन्सी), बैतूल के दो घरेलू गैस कनेक्शन उपभोक्ता क्रमांक 704529 तथा 600631 थे।

कार्यालय सिविल सर्जन, बैतूल में अवधि 08/2013 से 07/2015 के प्रमाणकों की संवीक्षा (अगस्त 2015) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि सिविल सर्जन की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना टेलीफोन से एल.पी.जी. सिलेण्डरों की बुकिंग की गई थी। 624 सिलेण्डरों में से 540 एल.पी.जी. सिलेण्डर गैस एजेन्सी के हस्तालिखित बिल प्रस्तुत कर खरीदा जाना दर्शाया गया था। एल.पी.जी. सिलेण्डरों की खरीद के लिए ₹ 7.29 लाख का भुगतान तीन कर्मचारियों के बैंक खाते में किया गया था जैसा कि परिशिष्ट-3.12.1 में वर्णित है। इन आपूर्तियों का प्रति सत्यापन गैस एजेन्सी से किए

जाने पर संचालक, गैस एजेन्सी ने बताया कि (अगस्त 2015) ये हस्तालिखित बिल उनके द्वारा जारी नहीं किए गए थे तथा केवल कम्प्यूटराईज़्ज़ड बिलों से की गई आपूर्ति का भुगतान प्राप्त किया गया था। यह भी पाया गया कि हस्तालिखित बिलों से खरीद किया जाना दर्शाए गए 540 एल.पी.जी. सिलेण्डरों में से लागत ₹ 1.18 लाख के 97 सिलेण्डर भण्डार पंजी में दर्ज नहीं थे, जो यह इंगित करता है कि खरीद किया जाना दर्शाए गए सिलेण्डर वास्तव में प्राप्त नहीं हुए थे। सिलेण्डरों को जारी किये जाने की कोई प्रविष्टी भण्डार पंजी में नहीं थी। ये खरीदियां केवल कागज पर कूटरचित तरीके से दर्शाई गई थीं तथा भुगतान कर्मचारियों के बैंक खातों में किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट-3.12.2** में वर्णित है।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि उपरोक्त दोनों गैस कनैक्शनों के लिए गैस एजेंसी द्वारा अवधि 12/2012 से 07/2015 के दौरान केवल 84 एल.पी.जी. सिलेण्डर प्रदाय किए गए थे। इन 84 सिलेण्डरों के लिए गैस एजेंसी द्वारा सूचित की गई गैस सिलेण्डरों की दर की तुलना करने पर पाया गया कि सात प्रकरणों में उच्च दरों का दावा किया गया था तथा कूटरचित हस्तालिखित देयक तैयार कर आपूर्ति किए गए गैस सिलेण्डरों की संख्या में हेराफेरी की गई थी और 45 एल.पी.जी. सिलेण्डरों की खरीद के लिए कर्मचारियों को ₹ 40,369 का कपटपूर्ण अधिक भुगतान किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट-3.12.3** में वर्णित है।

इस प्रकार, भुगतान हेतु प्रस्तुत बीजकों एवं बिलों पर अंकित स्टॉक प्रविष्टि प्रमाण-पत्र का सत्यापन किये बिना हस्तालिखित बिलों के आधार पर एल.पी. सिलेण्डर खरीदे गये थे तथा भुगतान किया गया था। गैस एजेन्सी ने हस्तालिखित बिलों के माध्यम से गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति से इन्कार करने से राशि ₹ 7.69 लाख का व्यय संदिग्ध गबन की श्रेणी में आता है।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में शासन ने लेख किया कि जांच के दौरान यह पाया गया कि घरेलू गैस बिलों में छेड़-छाड़ कर उन्हें व्यावसायिक गैस बिलों में बदलकर अधिक भुगतान आहरित किया गया था। एल.पी.जी. सिलेण्डरों की खरीद के लिये अधिक आहरित राशि ₹ 40,369 चालान के माध्यम से जमा करा दी गई है। वर्तमान में सभी गैस एजेन्सियां कम्प्यूटराईज़्ज़ड बिल जारी करती हैं तथा एल.पी.जी. सिलेण्डरों के प्रदाय हेतु गैस एजेन्सी द्वारा हस्तालिखित बिल जारी करना संदेहास्पद था, इसलिये, संदेहास्पद हस्तालिखित बिलों के सत्यापन के सम्बंध में जानकारी गैस एजेन्सी से मांगी गई है तथा संबंधित गैस एजेन्सी से संदेहास्पद हस्तालिखित बिलों के सत्यापन के पश्चात कूटरचित गैस बिलों की राशि की वसूली कर्मचारियों से की जाएगी। गलती करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही थी।

आगे यह लेख किया गया था कि शासकीय अस्पतालों में गैस सिलेण्डर आपूर्ति के लिए पद्धति को सुगम बनाने तथा गैस एजेन्सी को इलेक्ट्रानिक माध्यम से भुगतान हेतु जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी को पत्र जारी किये गये हैं।

3.13 मुद्रांक शुल्क कम/नहीं आरोपित किया गया एवं पंजीयन नहीं किया गया

मुद्रांक शुल्क नहीं/कम आरोपित किए जाने एवं पट्टा विलेखों (Lease deeds) के पंजीयन में विफलता के कारण शासन को ₹ 93.76 लाख के राजस्व से वंचित रहना पड़ा।

भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की अनुसूची 1-ए धारा 33 (सी) के अनुसार समय-समय पर निर्धारित किए गए भाड़े के अतिरिक्त प्रीमियम पर प्रदान किए जाने

पर पट्टा विलेख (Lease Deed) हस्तांतरण पर आठ प्रतिशत⁵¹ की दर से मुद्रांक शुल्क आरोपण किया जाएगा। आगे, पंजीयन अधिनियम 1908 के साथ संलग्न पंजीयन तालिका के अनुच्छेद II के अनुसार मुद्रांक शुल्क का तीन चौथाई पंजीयन शुल्क प्रभारणीय है। पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 (डी) में प्रावधान है कि वर्षानुवर्ष या एक वर्ष से अधिक की किसी अवधि के लिए या वार्षिक भाड़ा को आरक्षित रखने वाले अचल संपत्ति के पट्टों के दस्तावेजों का पंजीकरण अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 33 के अनुसार लोक कार्यालय के प्रभारी प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि ऐसे प्रकरण जिन्हे सम्यक रूप से मुद्रांकित न किया गया हो को परिबद्ध करते हुए सम्यक रूप से मुद्रांकित करवाने हेतु कार्रवाई प्रारंभ करें।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन संख्या 3 की कण्डिका 3.1.3 एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन संख्या 1 की कण्डिका 3.1.6 में रोगी कल्याण समिति द्वारा पट्टा विलेखों का पंजीयन न कराए जाने एवं कम मुद्रांक शुल्क का आरोपण किए जाने को उजागर किया गया था।

संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश द्वारा सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सी.एम.एच.ओ.) एवं सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक (सी.एस.) को निर्देश जारी किए गए (अगस्त 2014) कि हानि का आकलन कर सभी संबंधितों को सूचना जारी कर शेष मुद्रांक शुल्क जमा कराएं। सी.एम.एच.ओ. एवं सी.एस. को शेष राशि जमा कराने एवं 15 दिवस के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

सी.एम.एच.ओ. अशोकनगर (जुलाई 2015), सी.एम.एच.ओ. मंदसौर (मार्च 2015 और जुलाई 2016) के अन्तर्गत सिविल अस्पताल गरोठ एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शामगढ़ में दुकानों के आवंटन से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि इन स्वास्थ्य संस्थानों की रोगी कल्याण समितियों (आर.के.एस.) ने दुकानों को निजी व्यक्तियों को उच्चतम प्रीमियम पर किराए पर दिया था। इन आर.के.एस. द्वारा कुल 109 दुकानों⁵² को 35/36 महीने के आधार पर आगे विस्तार के प्रावधान एवं हर तीन वर्ष के बाद किराये में 10 से 25 प्रतिशत पुनरीक्षण और नीलामी अनुबंध/पट्टा विलेख की शर्तों के अनुसार निष्पादित किये जाने थे। इन प्रकरणों में तीन/दस वर्ष के लिये तय किराये पर, जो कि समय समय पर संशोधित किया जाना था, के अतिरिक्त प्रीमियम/ऑफसेट मूल्य पर आवंटन किया गया था। धारा 33 (सी) में निहित प्रावधानों के अनुसार इन निष्पादित लिखितों पर प्रीमियम/ऑफसेट मूल्य के आधार पर राशि ₹ 53.61 लाख का कुल मुद्रांक शुल्क देय था जिसका विवरण परिशिष्ट-3.13.1 में दिया गया है। लेखापरीक्षा ने पाया कि सी.एम.एच.ओ. मंदसौर के अन्तर्गत सिविल अस्पताल गरोठ की 50 दुकानों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शामगढ़ की पाँच दुकानों का आर.के.एस. द्वारा अनुबंध निष्पादित नहीं किया था एवं शेष दुकानों के लिए लिखते ₹ 50 से ₹ 150 के मुद्रांक पेपर पर निष्पादित की गई थी और इन लिखितों पर राशि ₹ 5300 का मुद्रांक शुल्क आरोपित किया गया था इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 53.56 लाख का मुद्रांक शुल्क कम/नहीं आरोपित किया गया। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने पाया कि इन निष्पादन योग्य/निष्पादित लिखितों का पंजीकरण भी अपेक्षित था और राशि ₹ 40.20 लाख का पंजीकरण शुल्क का आरोपण किया जाना था जो नहीं किया जा सका था। इस प्रकार, शासन ₹ 93.76 लाख के

⁵¹ 1 जुलाई 1997 से 7.5 प्रतिशत, 1 जुलाई 2002 से 8 प्रतिशत, 1 अप्रैल 2008 से 7.5 प्रतिशत तथा 1 अप्रैल 2011 से 5.0 प्रतिशत पुनरीक्षित।

⁵² सी.एम.एच.ओ., मन्दसौर (103 दुकान) और अशोक नगर (06 दुकान)।

राजस्व से वंचित रहा। यह सी.एम.एच.ओ. और सी.एस. द्वारा संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं के निर्देशों के बावजूद भारतीय मुद्रांक अधिनियम के संबंध में अपने कर्तव्यों का निर्वहन में विफलता को दर्शाता है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा पट्टा विलेखों का पंजीकरण न कराए जाने के कारण शुल्कों का कम/नहीं आरोपण पंजीयन विभाग के ध्यान में भी नहीं आ सका था।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2016)। निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में शासन ने लेखापरीक्षा के अवलोकन के तथ्यों एवं आंकड़ों को सत्यापित कर सूचित किया कि व्यापार नियमों के अनुसार वसूलियाँ पंजीकरण विभाग को सौंप दी गई थीं एवं महानिरीक्षक पंजीकरण को तदनुसार सूचित कर दिया गया था।

इस प्रकार, भारतीय मुद्रांक अधिनियम एवं पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में सी.एम.एच.ओ. की विफलता की वजह से पट्टा विलेखों का पंजीयन न कराए जाने एवं मुद्रांक शुल्क का कम/नहीं आरोपण किए जाने के कारण शासन ₹ 93.76 लाख के राजस्व से वंचित रहा।

3.14 अप्राधिकृत व्यय

सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, बड़वानी एवं सागर तथा सिविल सर्जन, जय प्रकाश अस्पताल, भोपाल द्वारा निर्धारित मानदण्ड का उल्लंघन कर अधिक सफाई कर्मियों के बहिःस्त्रोतन पर राशि ₹ 1.39 करोड़ का अप्राधिकृत व्यय किया गया।

सभी अस्पतालों में स्वच्छता एवं सुव्यस्थित व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य के साथ राज्य शासन द्वारा कायाकल्प अभियान प्रारम्भ किया गया था। संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (डी.एच.एस.), मध्य प्रदेश भोपाल ने शासकीय अस्पतालों में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने के लिये निर्देश जारी किये (अप्रैल 2013) जिसके अनुसार राज्य के शासकीय अस्पतालों में खुली निविदाओं द्वारा बहिःस्त्रावन के माध्यम से सफाई व्यवस्था (*house keeping*) का प्रबंध किया जाएगा। अस्पताल में उपलब्ध शैय्याओं की संख्या के आधार पर सफाई कर्मियों की कुल संख्या निर्धारित की गई थी। स्वास्थ्य संस्थाओं में विभाग अथवा अन्य स्त्रोतों से जितने सफाईकर्मी पूर्व से कार्यरत थे उतनी संख्या कम करके सफाईकर्मियों की संख्या की गणना की जाना थी। निर्धारित मानदण्ड से अधिक सफाईकर्मी केवल विशिष्ट परिस्थितियों एवं अत्यावश्यकता की स्थिति होने पर ही अगले उच्च अधिकारी अर्थात् संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर ही रखे जाना थे।

कार्यालय सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक (सी.एस.), बड़वानी (जून 2015) एवं सागर (दिसम्बर 2015) तथा सिविल सर्जन, जय प्रकाश अस्पताल, भोपाल (जनवरी 2016) के अभिलेखों की नमूना जाँच में लेखापरीक्षा ने पाया कि अस्पताल में शैय्याओं की क्षमता के अनुसार निर्धारित मानदण्ड के अनुसार सफाई कर्मियों की कुल संख्या को बहिःस्त्रावन किया गया था तथा इन अस्पतालों में पूर्व से कार्यरत कर्मियों को घटाया नहीं गया था। इस प्रकार, बहिःस्त्रावित सफाई कर्मियों की संख्या निर्धारित मानदण्ड से अधिक थी जैसा कि **परिशिष्ट-3.14.1 एवं 3.14.2** में वर्णित है। इसके अतिरिक्त, अधिक सफाई कर्मियों को रखे जाने हेतु उच्च अधिकारी से स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई थी। इस प्रकार, निर्धारित मानदण्डों का उल्लंघन कर आधिक्य सफाई कर्मियों के बहिःस्त्रावन पर इन अस्पतालों ने ₹ 1.39 करोड़ का अप्राधिकृत व्यय किया।

इस ओर इंगित किये जाने पर सिविल सर्जन, बड़वानी ने लेख किया (सितम्बर 2016) कि निर्धारित संख्या से अधिक सफाई कर्मियों के बहिःस्त्रावन हेतु संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल को पत्र लिखा गया था (जनवरी 2015) किन्तु अनुमोदन अभी भी

प्रतीक्षित था। सिविल सर्जन, सागर ने लेख किया (सितम्बर 2016) कि अधिक कर्मियों को रखने की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी। सिविल सर्जन, (जय प्रकाश अस्पताल) भोपाल ने लेख किया (सितम्बर 2016) कि प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य के मौखिक निर्देशानुसार 66 के स्थान पर 90 सफाईकर्मी कार्य कर रहे थे। आगे, उन्होंने यह लेख किया कि संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल को कार्योत्तर स्वीकृति देने हेतु अनुरोध किया गया था जो अभी तक प्रतीक्षित था।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2016)। निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में शासन ने उत्तर दिया कि 400 शैय्या अस्पताल के अनुसार जिला अस्पताल, बड़वानी में ₹ 3.64 लाख अधिक व्यय के साथ तीन सफाई कर्मी अधिक पाए गए थे; 300 शैय्या अस्पताल के अनुसार जिला अस्पताल, भोपाल में ₹ 33.91 लाख अधिक व्यय के साथ 36 सफाईकर्मी अधिक पाए गए थे एवं 400 शैय्या अस्पताल के अनुसार जिला अस्पताल, सागर में ₹ 14.98 लाख अधिक व्यय के साथ 12 सफाईकर्मी अधिक पाए गए थे। अन्य आवश्यक डाटा एकत्र किया जा रहा था तथा पूर्ण उत्तर शीघ्र ही उपलब्ध कराया जाएगा। तथापि, जिला अस्पताल, बड़वानी एवं सागर में शैय्याओं की संख्या में उन्नयन के सम्बंध में कोई आदेश उपलब्ध नहीं कराया गया।

शासन का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं था क्योंकि अधिक सफाईकर्मियों के बहिःस्त्रावन के लिए उच्च प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन नहीं दिया गया था एवं जिला अस्पताल बड़वानी और सागर को 400 शैय्याओं के अस्पताल के रूप में मानकर अधिक सफाईकर्मियों को रखा जाना न्यायसंगत नहीं था।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

3.15 ठेकेदार को अनुचित लाभ

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, शिवपुरी द्वारा अनुमानित लागत ₹ 2.61 करोड़ के विभागीय कार्यों को आवंटित करने हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निविदाएं प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित न्यूनतम समय—सीमा का अनुसरण नहीं किया गया जिसके कारण सहभागी ठेकेदारों को अनुचित लाभ हुआ।

प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश भोपाल ने आदेश जारी किया था (फरवरी 1992) कि ₹ दो लाख से अधिक और ₹ 25 लाख तक की लागत के निर्माण कार्यों के लिये दो स्थानीय समाचार पत्रों (एक हिन्दी एवं एक अंग्रेजी) के अलावा प्रदेश स्तर के एक हिन्दी एवं एक अंग्रेजी समाचार पत्र में विज्ञापन देना आवश्यक था। प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पी.एच.ई.), मध्य प्रदेश, भोपाल ने शासन के निर्देशों को दोहराया (जून 2005) कि निविदा विज्ञप्ति जारी होने के तिथि से निविदा प्राप्त करने की समयावधि प्रथम निविदा आमंत्रण की स्थिति में 15 दिन तथा द्वितीय एवं उसके बाद की निविदा आमंत्रण हेतु 10 दिन होना चाहिए। यह भी निर्देशित किया गया था कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है।

मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के निर्णय (मई 2012) के अनुसार समस्त निविदायें ई-टेण्डरिंग के माध्यम से आमंत्रित की जाना चाहिए। तथापि, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने ₹ दो लाख तक के विभागीय निर्माण कार्यों (नलकूप खनन कार्य को छोड़कर) को ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया से छूट प्रदान की थी (फरवरी 2014)।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री (का.यं.), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, शिवपुरी में निविदा प्रक्रिया से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2015 एवं जून 2016) में यह देखा गया कि मई 2014 से नवम्बर 2014 के दौरान अनुमानित लागत राशि ₹ 2.61 करोड़ के 32 विभागीय निर्माण कार्यों के लिए ई-निविदायें आमंत्रित की गई थीं। ई-निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत, निविदाकारों को पोर्टल से आवश्यक दस्तावेजों/निविदा सूची को डाउनलोड कर एवं बयान जमा राशि (ई.एम.डी.) के डिमांड ड्राफ्ट की स्कैन की हुई कॉपी के साथ वांछित दस्तावेजों को तैयार कर अपनी बोली को पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर डिजीटल हस्ताक्षर करने होते हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन ई-निविदाओं को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए 28 प्रकरणों में केवल 20 मिनट से एक घण्टे का समय प्रदाय किया गया था, तीन प्रकरणों में 14 घण्टे 43 मिनट से एक दिवस तथा एक प्रकरण में 10 दिवस का समय प्रदाय किया गया था जबकि निविदाएं प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम 15 दिवस का समय दिया जाना चाहिए था (विवरण **परिशिष्ट-3.15.1** में दिया गया है)।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि अधिकांश प्रकरणों में ई-निविदा मध्य रात्रि के आसपास देर रात में संसाधित की गई थी जिससे इन कार्यों हेतु केवल एक या दो निविदाकार ही ई-निविदा में शामिल हो सके एवं प्रथम आमंत्रण में ही ठेकेदारों को कार्य आवंटित कर दिये गये थे। निविदा सूचनायें केवल स्थानीय हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थीं, राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में नहीं। इसके अतिरिक्त, ई-निविदा के माध्यम से प्रस्तुति हेतु बहुत ही अल्प अवधि उपलब्ध कराई गई (अधिकांश प्रकरणों में मध्यरात्रि में) जिसके कारण केवल सीमित निविदाकार ही भाग ले सके तथा प्रतिस्पर्धा का लाभ सुनिश्चित नहीं किया गया था। इस प्रकार, ई-निविदा प्रस्तुति हेतु निर्धारित न्यूनतम समय-सीमा का अनुपालन नहीं किया गया था, जिसके कारण सहभागी निविदाकारों को अनुचित लाभ हुआ।

इस ओर इंगित किये जाने पर कार्यपालन यंत्री, शिवपुरी ने लेख किया (मार्च 2015) कि इस प्रकार की कई निविदाएं उच्च कार्यालय को प्रस्तुत की गई थी एवं समय-सीमा से संबंधित बिना किसी आपत्ति के स्वीकृतियां प्रदान की गई थी। उन्होंने आगे लेख किया कि कार्य की अधिकता के कारण डोंगल एवं पासवर्ड निविदा प्रभारी को सौंपे गये थे। ऑन-लाइन प्रक्रिया का अनुपालन भविष्य में सुनिश्चित किया जाएगा।

विभाग ने बताया (अगस्त 2016) कि उजागर की गई अनियमितताओं की जांच दो सदस्यीय समिति द्वारा की गई और यह पाया गया कि क्रय हेतु उचित समय नहीं दिया गया था। कार्यपालन यंत्री ने अपना यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड अनौपचारिक (unofficially) रूप से तत्कालीन संभागीय लेखा अधिकारी एवं सहायक ड्राफ्टमैन को दे दिया था। ये कर्मचारी कार्यपालन यंत्री की ओर से निविदा का काम कर रहे थे। निविदाओं को संभालने (handle) के लिए सहायक यंत्री के स्थान पर संभागीय लेखा अधिकारी को प्राधिकृत करने के लिए कार्यपालन यंत्री भी दोषी था। संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध विस्तृत विभागीय जांच के लिए प्रतिवेदन शासन को सौंपा जा चुका था।

तथ्य यह है कि निविदा प्राप्ति के लिये दी जाने वाली न्यूनतम समय-सीमा और इस प्रकार व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने का पालन नहीं किया गया था, जिसके कारण प्रथम आमंत्रण में ई-निविदाओं के माध्यम से विभागीय कार्य आवंटित करने में ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुँचा।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2016), उनका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2017)।

स्कूल शिक्षा विभाग

3.16 सर्व शिक्षा अभियान निधि का अनियमित प्रतिधारण

जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, विदिशा द्वारा पूर्व किश्त से किए गए कार्य का मूल्यांकन सुनिश्चित किए बिना, सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों में निर्माण कार्य के लिए अनुवर्ती किश्तें जारी की गई जिसके फलस्वरूप निर्माण एजेंसियों द्वारा ₹ 1.59 करोड़ अनियमित प्रतिधारित रखे गए।

सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के अन्तर्गत विद्यालयों में निर्माण कार्य के लिए राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी निर्देशों (सितम्बर 2005) के अनुसार जिला शिक्षा केन्द्र सीधे निर्माण एजेंसी को निधि जारी करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी ग्रामीण स्तरीय निर्माण कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों को निर्माण एजेंसी बनाया गया था।

सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना के अनुसार, नवीन विद्यालयों के निर्माण एवं मौजूदा विद्यालयीन भवनों की अधोसंरचना में सुधार के लिए जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा प्रशासनिक स्वीकृतियां इस शर्त के साथ जारी की गई थीं कि निर्माण लागत का 50 प्रतिशत प्रथम किश्त के रूप में संबंधित ग्राम पंचायतों के सर्व शिक्षा अभियान के तहत निर्माण कार्य के लिए खोले गए बैंक खातों में उपलब्ध कराई जाएगी। प्रथम किश्त के उपयोग एवं उप यंत्री द्वारा कार्य के मूल्यांकन के पश्चात 35 प्रतिशत की दूसरी किश्त जारी की जाना थी। शेष 15 प्रतिशत की तीसरी किश्त दूसरी किश्त के उपयोग एवं उप यंत्री द्वारा मूल्यांकन के पश्चात जारी की जाना थी। कार्य प्रारंभ करने एवं उसे तीन/चार माह के निर्धारित समय में पूर्ण करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायतें जिम्मेदार थीं।

कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक (डी.पी.सी.), जिला शिक्षा केन्द्र, विदिशा में नवीन विद्यालयों के निर्माण एवं मौजूदा विद्यालयीन भवनों की अधोसंरचना में सुधार से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच (सितम्बर 2015) एवं आगे अपूर्ण कार्यों के सम्बंध में एकत्र जानकारी (दिसम्बर 2016) में लेखापरीक्षा ने पाया कि 2007–08 से 2013–14 के दौरान जिले के 07 विकासखण्डों में 151 कार्यों के लिए राशि ₹ 486.99 लाख स्वीकृत हुई थी। इन निर्माण कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों को तीन किश्तों⁵³ में कुल राशि ₹ 381.19 लाख उपलब्ध कराई गई थी। इन अपूर्ण कार्यों के लिए किए गए कार्यों की कुल मूल्यांकन राशि ₹ 196.30 लाख थी जबकि ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई गई कुल धनराशि ₹ 381.19 लाख में से संबंधित निर्माण एजेंसियों अर्थात् ग्राम पंचायतों ने उनके सम्बंधित निर्धारित बैंक खातों से राशि ₹ 355.14 लाख आहरित कर ली थी। यह इंगित करता है कि निर्मित कार्य का मूल्यांकन सुनिश्चित किए बिना निर्माण एजेंसियों को अनुवर्ती किश्तें जारी की गई थीं जिसके फलस्वरूप निर्माण एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन राशि से अधिक अनियमित आहरण किया गया जैसा कि परिशिष्ट-3.16.1 में वर्णित है। अधिक आहरित धनराशि निर्माण एजेंसियों से वसूल नहीं हुई थी। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि 151 कार्यों में से 24 कार्य प्रारंभ नहीं हुए थे, 100 कार्यों के लिए निर्माण कार्य तीन से चार वर्षों से बन्द था, 22 कार्य प्रगतिरत थे और 05 कार्य पूर्ण हो गए थे जिनके लिए मूल्यांकन राशि से अधिक आहरित राशि वसूली योग्य थी (विवरण परिशिष्ट-3.16.2 में दिया गया है)। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि विकासखण्ड लटेरी के 13 प्रकरणों में ग्राम पंचायतों के

⁵³ ₹ 250.75 लाख, ₹ 125.33 लाख एवं ₹ 5.11 लाख क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त के रूप में

तत्कालीन पदाधिकारियों से अधिक आहरित राशि की वसूली भू-राजस्व बकाया के रूप में करने के लिए न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए गए थे (जून-जुलाई 2015) परन्तु वसूली नहीं की गई थी (**परिषिष्ट-3.16.1**)। ये कार्य पिछले दो से आठ वर्षों से अपूर्ण पड़े हुए थे जबकि इन्हें उसी वर्ष के दौरान पूर्ण होना था (अपूर्ण कार्यों का वर्षवार विवरण **परिषिष्ट-3.16.3** में दिया गया है)।

इस प्रकार, राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देशों का पालन न करने एवं पर्यवेक्षण और अनुवीक्षण के अभाव में पूर्व किश्त से किए गए कार्य का मूल्यांकन सुनिश्चित किए बिना अनुवर्ती किश्तें जारी की गई जिसके कारण संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा ₹ 158.84 लाख का अनियमित अधिक आहरण किया गया। अधिक आहरित राशि की वसूली होना शेष रहने के अतिरिक्त छात्र विद्यालय भवन/अतिरिक्त कक्ष के निर्माण के बांधित उद्देश्य के लाभ से वंचित रहे थे।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में शासन ने लेखापरीक्षा के तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की और कहा कि प्रकरणों को उप संभागीय न्यायाधीश के माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर वसूली की कार्यवाही प्रगतिरत है। अपूर्ण कार्यों एवं अप्रारंभ कार्यों के लिए सहायक यंत्रियों एवं उपयंत्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है।

जिला परियोजना समन्वयक (डी.पी.सी.), जिला शिक्षा केन्द्र, विदिशा के स्तर पर शिथिलता स्पष्ट थी क्योंकि पूर्व किश्त के उपयोग के पश्चात तथा संबंधित उपयंत्री द्वारा किए गए कार्य के मूल्यांकन के पश्चात अनुवर्ती किश्त जारी की जाना चाहिए थी और कार्य तीन से चार माह की निर्धारित समयावधि में पूर्ण होना थे। यदि डी.पी.सी., जिला शिक्षा केन्द्र निधियों के उपयोग और कार्यों की प्रगति के अनुवीक्षण के प्रति जागरूक रहते तो निर्माण एजेंसियों द्वारा ₹ 158.84 लाख (आहरित राशि का 44.73 प्रतिशत) के अनियमित प्रतिधारण को टाला जा सकता था।

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

3.17 कपटपूर्ण भुगतान

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मध्य प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, भोपाल द्वारा एकही प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को राशि ₹ 2.25 लाख का दोहरा कपटपूर्ण भुगतान किया गया।

श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल्दी स्कूल छोड़ने वालों तथा मौजूदा कामगारों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल विकास पहल योजना (एस.डी.आई.एस.) शुरू की गई थी (मई 2007)। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों/संस्थाओं इत्यादि के तहत पंजीकृत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं (झी.टी.पी.) द्वारा एस.डी.आई.एस. के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण (डी.जी.ई. एण्ड टी.), श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर से प्रशिक्षण खर्च की प्रतिपूर्ति झी.टी.पी. को की गई। डी.जी.ई. एण्ड टी. द्वारा जारी एस.डी.आई.एस. की परिचालन नियमावली के पैरा 7.11 में यह प्रावधानित है कि प्रशिक्षण और मूल्यांकन के बाद, झी.टी.पी. प्रशिक्षण खर्च के भुगतान/प्रतिपूर्ति के लिए राज्य के संबंधित निदेशालय को देयक प्रस्तुत करेगा।

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 193 के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.), दावे की स्वीकार्य राशि के कोषालय से आहरण एवं उसका संवितरण करने के लिए जिम्मेदार होंगे। आगे, मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम

198 के अनुसार अधिक प्रभार के लिए जिम्मेदारी, प्रथमतः देयक के आहरणकर्ता की होगी, उसके द्वारा दोषपूर्ण उपेक्षा की स्थिति में वसूली पर विचार करना चाहिए।

कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.), मध्य प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एम.पी.सी.व्ही.ई.टी.), भोपाल में एस.डी.आई.एस. के अन्तर्गत प्रदान किए गए प्रशिक्षण से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच (दिसम्बर 2015) में लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रशिक्षण के प्रत्येक बैच के लिए एक विशिष्ट बैच संख्या (टी.बी.एन.) पोर्टल के माध्यम से ऑन लाइन जनित किया जा रहा था। हालांकि प्रशिक्षण के प्रतिभागियों के विवरण और प्रशिक्षणार्थियों के बैचवार उपस्थिति पत्रक के संबंध में कोई अभिलेख संधारित किया जाना नहीं पाया गया। व्हाउचरों की संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि एकही समयावधि एवं एकही पाठ्यक्रम के लिए, समान टी.बी.एन. वाले प्रशिक्षण के एकही बैच के लिए राशि ₹ 2.25 लाख के प्रशिक्षण खर्च की प्रतिपूर्ति के दोहरे दावों को पारित कर एम.पी.सी.व्ही.ई.टी., भोपाल के तहत पंजीकृत दो व्ही.टी.पी.⁵⁴ को भुगतान किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट-3.17.1** में वर्णित है। दोनों ही प्रकरणों में लेखापरीक्षा ने पाया कि गुडविल एडवांस एकेडमी, छिंदवाड़ा का राशि ₹ 90,000 के देयक क्रमांक 00388551 को देयक क्रमांक 00388531 बनाने के लिए कपटपूर्ण तरीके से हेराफेरी कर दहाई अंक पर उपरिलेखन (overwrite) किया गया और पारित करके भुगतान किया गया। इसी प्रकार, मौसम ग्रामीण उत्थान समाज सेवा समिति, सीहोर का राशि ₹ 1,35,000 के देयक क्रमांक 00494591 को देयक क्रमांक 00494581 बनाने के लिए कपटपूर्ण तरीके से हेराफेरी कर उसके दहाई अंक पर उपरिलेखन किया गया और पारित करके भुगतान किया गया। इस प्रकार, डी.डी.ओ. को हेराफेरी किए गए देयकों का पता नहीं चल सका और एकही प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए राशि ₹ 2,25,000 (₹ 90,000 + ₹ 1,35,000) के दोहरे देयकों को पारित कर दो व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को भुगतान किया गया जिसके फलस्वरूप राशि ₹ 2.25 लाख का कपटपूर्ण दोहरा भुगतान हुआ।

इस ओर इंगित किए जाने पर, अतिरिक्त संचालक, एम.पी.सी.व्ही.ई.टी. भोपाल ने बताया (जुलाई 2016) कि गुडविल एडवांस एकेडमी, छिंदवाड़ा ने स्वीकार कर लिया है कि उसे गलत देयक के लिए अधिक भुगतान प्राप्त हुआ है और अधिक भुगतान की राशि ₹ 90,000 वसूल की जा चुकी है। आगे, उन्होंने बताया (अक्टूबर 2016) कि मौसम ग्रामीण उत्थान समाज सेवा समिति, सीहोर को अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था परन्तु उसके द्वारा सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके कारण जांच नहीं की जा सकी। सम्बंधित व्ही.टी.पी. से अभिलेख प्राप्त होने पर जांच कार्यवाही पूर्ण की जाएगी और लेखापरीक्षा को तदनुसार सूचित किया जाएगा। शासन ने भी अतिरिक्त संचालक, एम.पी.सी.व्ही.ई.टी. भोपाल द्वारा दिए गए जबाब की पुष्टि की (सितम्बर 2016)।

इस प्रकार, देयक पारितकर्ता प्राधिकारी देयक पारित करने से पूर्व देयक क्रमांक, प्रशिक्षण बैच संख्या, पाठ्यक्रम का नाम और पाठ्यक्रम कोड, प्रशिक्षण की अवधि के संदर्भ में देयक को सत्यापित करने में विफल रहे थे जिसके फलस्वरूप एकही समयावधि में आयोजित एकही प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम और एकही बैच के लिए व्ही.टी.पी. को राशि ₹ 2.25 लाख का कपटपूर्ण दोहरा भुगतान हुआ।

⁵⁴ गुडविल एडवांस एकेडमी, छिंदवाड़ा और मौसम ग्रामीण उत्थान समाज सेवा समिति, सीहोर।

3.18 परिहार्य व्यय

शासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय, होशंगाबाद ने नवीन बालिका छात्रावास के निर्माण पर राशि ₹ 92.42 लाख का औचित्यरहित व्यय किया जबकि अप्रैल 2008 में राशि ₹ 91.74 लाख की लागत से निर्मित 50 सीटर बालिका छात्रावास निर्माण पूरा होने के बाद से खाली था।

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता (एम.पी.एफ.सी.) के नियम 9 (i) के अनुसार प्रत्येक शासकीय सेवक से यह अपेक्षा है कि वह लोक निधि से व्यय करने के संबंध में वही सतक्रता बरते जो एक व्यक्ति अपने स्वयं के धन को खर्च करने के बारे में सामान्य दूरदर्शिता का परिचय देता है। मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 10 के अनुसार आवंटित निधि का उपयोग प्रत्येक कदम पर मितव्ययिता से किया जाना चाहिए। विभागाध्यक्ष यह देखने के लिए उत्तरदायी है कि उसके स्वयं के कार्यालय तथा अधीनस्थ संवितरण अधिकारियों द्वारा संबंधित समस्त वित्तीय नियमों एवं विनियमों का पालन किया जा रहा है।

प्राचार्य, शासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय, होशंगाबाद (प्राचार्य) के अभिलेखों की नमूना जांच (सितम्बर 2015) में पाया गया कि तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने शासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय, होशंगाबाद में 50 सीटर बालिका छात्रावास के निर्माण के लिए राशि ₹ 75 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी (मार्च 2006) जो कि ₹ 83.82 लाख के लिए पुनरीक्षित की गई (जनवरी 2008)। छात्रावास का निर्माण कार्य म.प्र. हाउसिंग बोर्ड, उप संभाग होशंगाबाद द्वारा ₹ 91.74 लाख की लागत से किया गया और प्राचार्य द्वारा छात्रावास भवन का आधिपत्य अप्रैल 2008 में लिया गया था। हालांकि छात्रावास के लिए फर्नीचर या बिस्तर खरीदे नहीं गए थे और छात्रावास को चलाने के लिए कर्मचारी भी स्वीकृत / नियुक्त नहीं किए गए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि बालिका छात्रावास के 31 कमरों में से 14 कमरे⁵⁵ महाविद्यालय के कार्यालय और कक्षाओं के लिए उपयोग किए जा रहे थे (नवम्बर 2015 तक) और शेष कमरे खाली पड़े हुए थे। यद्यपि, महाविद्यालय में 60 स्वीकृत सीटों के साथ एक पाठ्यक्रम 'मॉर्डन ऑफिस मैनेजमेंट' संचालित किया जा रहा था और वर्ष 2008–09 से 2015–16 के दौरान इस पाठ्यक्रम में नामांकित छात्राओं की संख्या 36 से 69 तक थी, छात्रावास के निर्माण के बाद से इसमें किसी भी छात्रा को आवास आवंटित नहीं किया गया था। छात्रावास के निर्माण के बाद से महाविद्यालय प्रशासन ने छात्राओं को छात्रावास में आवास आवंटित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था।



पुराना छात्रावास भवन



नवीन छात्रावास भवन

इसके अतिरिक्त, अभिलेखों की संवीक्षा और एकत्र जानकारी (जनवरी 2016 एवं अगस्त 2016) से यह उदघटित हुआ कि प्राचार्य द्वारा एक और 50 सीटर बालिका छात्रावास

⁵⁵ प्राचार्य के लिए: 01; पुस्तकालय के लिए: 01; कक्षाओं के लिए: 03; कार्यालय के लिए: 03; भण्डार कक्ष: 01; कम्प्यूटर कक्ष: 01; कम्प्यूटर प्रयोगशाला: 03 और शिक्षा शाखा के लिए: 01 कमरा।

की आवश्यकता इंगित करते हुए निदेशक, तकनीकी शिक्षा, भोपाल को जानकारी प्रस्तुत की गई थी (जुलाई 2010)। नवीन बालिका छात्रावास के प्रक्षेपण के औचित्य को अभिनिश्चित करने के लिए अभिलेखों में कुछ भी नहीं था क्योंकि मौजूदा बालिका छात्रावास इसके निर्माण के बाद से ही उपयोग नहीं हुआ था। तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने केन्द्र प्रायाजित योजना ‘पोलीटेक्निक में महिला छात्रावास’ के अन्तर्गत 50 बिस्तर के नवीन बालिका छात्रावास के निर्माण हेतु ₹ एक करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी (जनवरी 2012) और म. प्र. लोक निर्माण विभाग को निर्माण एजेंसी नामांकित किया गया था। निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था तथा भवन का आधिपत्य ले लिया गया था (जनवरी 2016)। निर्माण एजेंसी द्वारा ₹ 92.42 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था (दिसम्बर 2015)।

इस प्रकार, विभाग द्वारा महाविद्यालय के लिए एक अतिरिक्त 50 सीटर बालिका छात्रावास की गलत प्रक्षेपित आवश्यकता के आधार पर 50 सीटर नवीन बालिका छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति दी गई जबकि तथ्य यह है कि मौजूदा 50 सीटर बालिका छात्रावास अप्रैल 2008 में अपने निर्माण पूर्ण होने के बाद से बिना किसी अधिभोग (occupancy) के था। नवीन छात्रावास के औचित्यरहित निर्माण के कारण ₹ 92.42 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

इस ओर इंगित किए जाने पर, शासन ने बताया (जून 2016) कि महाविद्यालय में केवल एक पाठ्यक्रम संचालित होने के कारण और केवल स्थानीय छात्राओं द्वारा प्रवेश लेने के कारण बालिका छात्रावास उपयोग नहीं किया जा सका। यह भी बताया गया कि चार नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की प्रक्रिया प्रगतिरत है और महाविद्यालय में पांच पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के पश्चात नवीन बालिका छात्रावास उपयोग किया जा सकेगा।

उत्तर स्वीकार योग्य नहीं था क्योंकि नवीन छात्रावास के निर्माण का निर्णय लेने से पूर्व जिम्मेदार प्राधिकारियों द्वारा छात्रावास की आवश्यकता का उचित आकलन नहीं किया गया था और इसके निर्माण पर ₹ 92.42 लाख का परिहार्य व्यय किया गया था एवं नवीन बालिका छात्रावास के निर्माण के औचित्य के संबंध में अभिलेखों में कुछ भी नहीं था। इसके अतिरिक्त, मौजूदा 50 सीटर बालिका छात्रावास इसके निर्माण के सात से अधिक वर्षों के बाद भी वांछित उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया गया था, जिसपर किया गया व्यय ₹ 91.74 लाख निष्फल रहा था।

आदिम जाति कल्याण विभाग

3.19 ब्याज की हानि

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, बड़वानी द्वारा बैंक को खाते में जमा राशि पर ब्याज न दिये जाने संबंधी निर्देशों के कारण लोक लेखे को राशि ₹ 1.78 करोड़ की हानि।

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग ने निर्देश जारी किया (मई 2011) कि सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों का दायित्व होगा कि उनके द्वारा खोले गए बैंक खातों में जमा ऐसी राशि जो समेकित निधि से आहरित की गई, उस पर प्राप्त ब्याज का उपयोग, योजना विशेष के उद्देश्य हेतु किए जाने के निर्देश हैं, को छोड़कर शेष अर्जित ब्याज की राशि को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में 15 अप्रैल तक “0049—प्राप्ति शीर्ष” में जमा कराएं।

कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास (ए.सी.टी.डी.), बड़वानी के अभिलेखों की नमूना जाँच (अप्रैल 2016) एवं आगे एकत्रित जानकारी (अक्टूबर 2016) में लेखापरीक्षा

ने देखा कि ए.सी.टी.डी. के पदनाम से नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक, बड़वानी में बचत बैंक खाता क्र. 023910200011461 संचालित किया जा रहा था। विभिन्न योजनाओं जैसे विद्युतीकरण बस्ती विकास, आदि से सम्बन्धित राशियाँ इस बैंक खाते में जमा की गई थीं तथा चूंकि यह एक बचत बैंक खाता था अतः बैंक द्वारा इस खाते में ब्याज जमा किया जा रहा था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जब ए.सी.टी.डी. कार्यालय प्रभार में थे, तब श्री के.बी.एस. चौहान, मण्डल संयोजक (ए.ओ.) द्वारा ए.सी.टी.डी. की सील के साथ बैंक को इस खाते में जमा राशि पर वर्ष 2010–11 से ब्याज न दिया जाए, इस सम्बन्ध में पत्र, बिना ए.सी.टी.डी. से अनुमोदन कराए, भेजा गया (जुलाई 2012)। चूंकि खाता ए.सी.टी.डी. द्वारा संचालित किया जा रहा था तथा ए.ओ. खाता संचालित करने के लिए अधिकृत नहीं थे, बैंक प्राधिकारियों को कोई कार्यवाही करने से पूर्व पत्र की प्रमाणिकता को पत्र पर हस्ताक्षर से अथवा ए.सी.टी.डी. से पुनः पुष्टिकरण कर, सत्यापन करना चाहिए था। किन्तु बैंक प्राधिकारियों द्वारा पत्र की प्रमाणिकता का सत्यापन नहीं किया गया तथा ब्याज जमा करना बन्द कर दिया गया। बैंक ने पूर्व में उपर्जित एवं जमा सितम्बर 2012 तक की ब्याज राशि ₹ 30.89 लाख को भी उल्टी प्रविष्टि कर, खाते नामे (डेबिट) डाल दिया। लेखापरीक्षा ने पाया कि यदि बैंक द्वारा उल्टी जमा प्रविष्टि नहीं की जाती तथा आगे ब्याज देना बन्द नहीं किया जाता तो दिनांक 25.05.2016 तक ब्याज राशि ₹ 1.78 करोड़ खाते में जमा हो जाती। इस प्रकार वित्त विभाग के निर्देशों का पूर्ण उल्लंघन करते हुए, ए.ओ. द्वारा ए.सी.टी.डी. के पदनाम एवं सील से बैंक को खाते में ब्याज जमा न करने सम्बन्धी पत्र अनाधिकृत रूप से जारी किया गया परिणामस्वरूप लोक लेखे को ₹ 1.78 करोड़ की हानि हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति इंगित किए जाने पर, ए.सी.टी.डी. द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया (अप्रैल 2016 एवं मई 2016) एवं बताया कि बचत खाते पर ब्याज प्राप्त किए जाने हेतु बैंक से पत्र व्यवहार किया जाएगा। बैंक ने सूचित किया (अक्टूबर 2016) कि उच्च कार्यालयों से निर्देश प्राप्त करने के पश्चात ब्याज जमा करने की कार्यवाही की जाएगी।

तथ्य यह है कि वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करते हुए श्री के.बी.एस. चौहान, मण्डल संयोजक के द्वारा की गई अत्यन्त अनियमित कार्यवाही से शासन को बैंक खाते में जमा राशियों पर ₹ 1.78 करोड़ ब्याज की हानि हुई तथा लोक लेखा ₹ 1.78 करोड़ की प्राप्ति से वंचित रहा। बैंक प्राधिकारियों एवं मण्डल संयोजक की मिलीभगत की संभावनाओं से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। बैंक का पक्ष लेने एवं शासन को प्रत्यक्ष हानि पहुंचाने के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध विभाग द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2016), उत्तर अप्राप्त है (जनवरी 2017)।

3.20 निष्फल व्यय

ग्रामीण ग्रेन बैंकों के संचालित न होने के कारण पांच जिलों में 2,846 ग्रामीण ग्रेन बैंकों की स्थापना पर किया गया व्यय ₹ 3.59 करोड़ निष्फल रहा तथा खाद्यान्न के मूल्य ₹ 15.75 करोड़ की हानि हुई।

भारत सरकार (जीओआई), खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ग्रामीण ग्रेन बैंक योजना को संशोधित किया (फरवरी 2006)। संशोधित योजना में ग्रामों के गरीबी रेखा से नीचे एवं अन्योदय अन्न योजना के सभी इच्छुक परिवारों को शामिल करने का उल्लेख किया जिन्हें राज्य शासन द्वारा लम्बे समय से खाद्य न्यूनता वाले क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया गया था। योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा अथवा सूखे मौसम में जब सीमान्त खाद्य असुरक्षा वाले परिवार जिनके पास राशन क्रय

करने हेतु पर्याप्त संसाधन नहीं थे, को भुखमरी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना था। इन लोगों को खाद्यान्न की आवश्यकता होने पर ग्राम में स्थापित ग्रामीण ग्रेन बैंक से खाद्यान्न उधार उपलब्ध कराना था। प्रत्येक ग्रेन बैंक की अनुमानित लागत ₹ 0.60 लाख⁵⁶ थी। मध्य प्रदेश में योजना का क्रियान्वयन मिशन संचालक, राजीव गांधी खाद्यान्न सुरक्षा मिशन द्वारा किया गया था जो कि आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग (सी.टी.डी.) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत था। योजना में आदिवासी क्षेत्रों में प्रत्येक 40 परिवारों पर एक ग्रेन बैंक स्थापित किए जाने का प्रावधान था। खाद्यान्न का आवर्तन बनाए रखने के लिए हितग्राहियों द्वारा उधार लिए गए खाद्यान्न की वापसी (अ) खाद्यान्न के रूप में, या (ब) कार्य के लिए प्राप्त मजदूरी अथवा खाद्यान्न के रूप में, या (स) नगद में की जानी थी। ग्राम स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्रेन बैंक समिति को उत्तरदायी बनाया गया था (फरवरी 2006)। 30–40 परिवारों का प्रत्येक समूह एक ग्रेन बैंक समिति स्थापित करेगा, उनमें कम से कम एक महिला सहित 3 से 5 व्यक्ति को शामिल कर कार्यकारी समिति का गठन ग्रेन बैंकों के प्रभावी भागीदारी एवं प्रबंधन हेतु किया जाना था। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास (ए.सी.टी.डी.)/जिला संयोजक, आदिवासी कल्याण (डी.ओ.टी.डब्ल्यू.) तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जनपद पंचायत योजना के क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदार होंगे (नवम्बर 2006)। मासिक प्रगति प्रतिवेदन सहायक आयुक्त द्वारा आगामी माह की 10 तारीख तक आयुक्त, आदिवासी विकास को भेजा जाना था। ग्रेन बैंकों के संचालन के सम्बन्ध में त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजा जाना आवश्यक था। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य शासन ग्रेन बैंकों के संचालन के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार था।

मिशन संचालक, राजीव गांधी खाद्यान्न सुरक्षा मिशन, भोपाल (निदेशक) के अभिलेखों की संवीक्षा (अक्टूबर 2014 एवं मई 2015) के दौरान तथा आगे अनुवर्ती संवीक्षा (जुलाई 2016) में लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि अवधि 2006–07 से 2010–11 के दौरान भारत सरकार ने राज्य के 21 जिलों में 4240 ग्रेन बैंक स्वीकृत किए। 2011–12 से, भारत सरकार ने कोई नया ग्रेन बैंक स्वीकृत नहीं किया। पांच⁵⁷ जिलों में ग्रेन बैंकों की संचालन की स्थिति की संवीक्षा में पाया गया कि कुल 2,972 स्वीकृत ग्रेन बैंकों में से ₹ 3.59 करोड़ व्यय कर 2,846 ग्रेन बैंकों की स्थापना की गई थी एवं ₹ 15.75 करोड़⁵⁸ खाद्यान्न की लागत के लिए प्रदान किए गए थे जिसका विवरण परिशिष्ट-3.20.1 में दिया गया है। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन पांच जिलों में सभी 2,846 ग्रेन बैंक संचालित नहीं थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अभीष्ट हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण के पश्चात उनके द्वारा खाद्यान्न वापस नहीं किया गया तथा वितरण के समय राशन कार्ड में प्रविष्टि के संबंध में कोई अभिलेख नहीं था योजना के संचालन की निगरानी नहीं की गई थी क्योंकि मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं ग्रेन बैंकों के संचालन के सम्बन्ध में कोई जानकारी ए.सी.टी.डी./डी.ओ.टी.डब्ल्यू कार्यालयों में उपलब्ध नहीं थी। ए.सी.टी.डी./डी.ओ.टी.डब्ल्यू द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सी.टी.डी. को नहीं भेजा गया। राज्य में ग्रेन बैंकों के संचालन की वर्तमान स्थिति की जानकारी संचालनालय को नहीं थी। इस प्रकार, 2,846 ग्रेन बैंकों की स्थापना पर ₹ 3.59 करोड़ का व्यय निष्फल रहा इसके अतिरिक्त खाद्यान्न के मूल्य के रूप में ₹ 15.75 करोड़ की हानि हुई।

⁵⁶ ₹ 0.60 लाख में से, ₹ 0.14 लाख स्थापना व्यय जिसमें से ₹ 12, 200 भण्डारण लागत, प्रशिक्षण, अनुदीक्षण एवं परिवहन प्रभार हेतु केन्द्रांश था, ₹ 1800 परिवहन प्रभार मद में राज्य शासन द्वारा प्रदाय किया जाना था शेष राशि (₹ 0.46 लाख) 40 विकेंटल खाद्यान्न हेतु।

⁵⁷ मण्डल (अगस्त 2015), डिप्लोरी (जुलाई 2015), सीहोर (मई 2015), झाबुआ (मई 2016), बड़वानी (मई 2016) एवं मिशन संचालक, राजीव गांधी खाद्यान्न सुरक्षा मिशन, भोपाल (जुलाई 2016)।

⁵⁸ खाद्यान्न का मूल्य जिला प्राधिकारियों द्वारा ग्रेन बैंकों की स्थापना के लिए उपयोजित खाद्यान्न की मात्रा के सम्बन्ध में प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं भारत सरकार के खाद्यान्न के किफायती मूल्य के आधार पर निकाली गई है।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर संचालक ने बताया (अक्टूबर 2014) कि ग्रेन बैंकों के संचालन में ग्रामीणों ने कम रुचि ली एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लागू हो जाने के कारण भी योजना निष्प्रभावी हुई। आगे बताया गया (मई 2015 एवं जुलाई 2016) कि ग्रेन बैंकों के नियमित संचालन एवं पर्यवेक्षण सम्बन्धी निर्देश, ग्रेन बैंकों की स्थापना के समय ही जारी किए गए थे। ग्रेन बैंकों की संचालन की स्थिति स्पष्ट नहीं थी क्योंकि ग्रेन बैंकों के संचालन सम्बन्धी जानकारी एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन जिलों से प्राप्त नहीं हो रहे थे। ग्रेन बैंकों के सम्बन्ध में पत्र जिलाध्यक्षों को नियमित रूप से जारी किए जा रहे थे तथा उन जिला अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही थी जिन्होंने जानकारी प्रस्तुत नहीं की थी।

संचालक के उत्तर मान्य नहीं थे क्योंकि ए.सी.टी.डी./डी.ओ.टी.डब्ल्यू एवं सी.टी.डी. स्तर पर ग्रेन बैंकों के संचालन की निगरानी एवं मूल्यांकन नहीं किया गया था। ग्रामीण ग्रेन बैंकों की स्थापना 2006–07 से 2010–11 के दौरान अर्थात् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, (एन.एफ.एस.ए.) जो कि सितम्बर 2013 से प्रभावशील था, के पूर्व की गई थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.) लक्षित सार्वजनिक प्रणाली में भी सुधार प्रावधानित किए गए थे, जिसमें स्थानीय सार्वजनिक वितरण तंत्र एवं ग्रेन बैंकों को सहायता प्रदान किया जाना सम्मिलित था।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (मई 2016); उत्तर अप्राप्त है (जनवरी 2017)।

शहरी विकास एवं पर्यावरण विभाग

3.21 निधियों का अवरोध

मुख्य घटक के कार्यों के निष्पादन में असामान्य विलंब के कारण, परियोजना “सागर झील के प्रदूषण के उपशमन और पर्यावरणीय सुधार” छोड़ दी गई थी और राशि ₹ 7.70 करोड़ नौ से अधिक वर्षों के लिए अवरुद्ध बनी रही।

राज्य सरकारों को झीलों के संरक्षण और सतत प्रबंधन के लिए सहायता देने और प्रोत्साहित करने के मुख्य उद्देश्य के साथ पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रदूषित और अपक्षीण झीलों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एन.एल.सी.पी.) वर्ष 2001 से क्रियान्वित की जा रही थी।

कार्यालय कार्यकारी निदेशक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (ई.पी.सी.ओ.) भोपाल में एन.एल.सी.पी. के अन्तर्गत परियोजना “सागर झील के प्रदूषण के उपशमन और पर्यावरणीय सुधार” से सम्बंधित अभिलेखों की जांच (जनवरी 2016) और आगे एकत्र जानकारी (जून 2016) में लेखापरीक्षा ने पाया कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय (एन.आर.सी.डी., एम.ओ.ई.एफ.), भारत सरकार, नई दिल्ली ने परियोजना के लिए राशि ₹ 21.33 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति जारी की (मार्च 2007) और गतिशीलता अग्रिम (Mobilisation Advance) के रूप में ₹ 4.00 करोड़ का सहायता अनुदान जारी किया। योजना में भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के बीच 70:30 अंश की हिस्सेदारी थी और स्वीकृति दिनांक से 36 माह के भीतर पूर्ण होना निर्धारित था। परियोजना के कार्य मुख्य घटक और गैर-मुख्य घटकों में विभाजित किए गए थे। परियोजना के अन्तर्गत कुल 15 कार्य पूर्ण किए जाना थे। परियोजना के लिए नोडल एजेंसी ई.पी.सी.ओ. और क्रियान्वयन एजेंसी नगर निगम, सागर था। मध्य प्रदेश शासन ने ₹ 426.65 लाख⁵⁹ का अपना समरूप अंश ई.पी.सी.ओ. को जारी किया। परियोजना के अन्तर्गत कार्यों के

⁵⁹ 2007–08 में ₹ 142.23 लाख, 2008–09 में ₹ 142.21 लाख और 2009–10 में ₹ 142.21 लाख।

निष्पादन के लिए ई.पी.सी.ओ. ने क्रियान्वयन एजेंसी, नगर निगम सागर को राशि ₹ 5.50 करोड़⁶⁰ जारी की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना के निर्बाध संचालन और कार्यों के समयबद्ध और ठोस गुणात्मक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग की अध्यक्षता में म.प्र. शासन द्वारा राज्य स्तरीय साधिकार समिति (Empowered Committee) का गठन किया गया (अगस्त 2007)। परियोजना के निष्पादन की समीक्षा एवं अनुवीक्षण के लिए समिति को तीन माह में कम—से—कम एक बार बैठक करना था। क्षेत्रीय स्तर पर परियोजना के निष्पादन का समन्वय करने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयुक्त की अध्यक्षता में एक संचालन समिति भी गठित की गई थी (सितम्बर 2007)। समिति को तीन माह में कम—से—कम एक बैठक करना था और कार्य की प्रगति का प्रतिवेदन नोडल एजेंसी ई.पी.सी.ओ. तथा राज्य स्तरीय साधिकार समिति को देना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्य प्रारंभ नहीं हो सके थे क्योंकि भूमि लागत में अत्यधिक वृद्धि के कारण सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) के लिए वामनखेड़ी में चिन्हित भूमि अधिग्रहित नहीं की जा सकी थी। विकसित चक्रीय सक्रिय कीचड़ प्रौद्योगिकी (Advanced Cyclic Activated Sludge Technology) पर आधारित एस.टी.पी. की स्थापना के लिए संजय ड्वाइव में एक दूसरा स्थल का चयन किया गया (सितम्बर 2008) परन्तु भूमि विवाद के कारण यह स्थल नगर निगम को उपलब्ध नहीं कराया जा सका। तीन वर्ष बाद, साधिकार समिति ने अपनी बैठक दिनांक 24 जुलाई 2010 में यह निर्णय लिया कि मुख्य घटक (सीवरेज सिस्टम) के कार्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से क्रियान्वित कराए जावेंगे क्योंकि नगर निगम मुख्य घटक के कार्यों को निष्पादित करने के लिए तकनीकी रूप से सक्षम नहीं था। साधिकार समिति ने अपनी बैठक दिनांक 23 जनवरी 2012 में आगे निर्णय लिया कि एन.एल.सी.पी. सीवरेज और एस.टी.पी. को लघु और मध्यम शहरों के लिए शहरी अधोसंरचना विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एम.टी.) के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए और ग्राम भैंसा, सागर में प्रस्तावित स्थल पर एकल एस.टी.पी. स्थापित किया जाए और ग्राम भैंसा में एस.टी.पी. के लिए स्थल की उपलब्धता/अधिग्रहण मार्च 2012 तक सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर, सागर को निर्देशित किया गया था। हालांकि, माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सका और सीवरेज प्रणाली का कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। आगे, कलेक्टर, सागर द्वारा ग्राम पथरिया हाट में एस.टी.पी. के विकास के लिए वैकल्पिक शासकीय भूमि आरक्षित की गई थी, परन्तु कार्य प्रारंभ नहीं हुआ था (अक्टूबर 2016)। एन.आर.सी.डी., एम.ओ.ई.एफ. नई दिल्ली में आयोजित बैठक (मई 2014) में परियोजना की स्थिति की समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया कि पिछले छह वर्षों से सागर झील परियोजना के लिए सीवरेज कार्य प्रारंभ नहीं हुए थे और निकट भविष्य में उनके क्रियान्वयन की कोई संभावना भी नहीं थी इसलिए राज्य शासन/स्थानीय निकाय को चाहिए कि इन कार्यों को नगर की यू.आई.डी.एस.एम.टी. योजना के अन्तर्गत एकीकृत तरीके से लेने पर विचार करे और उन्हें एन.एल.सी.पी. योजना के दायरे से खत्म किया जाए। उस स्थिति में, कार्यों के लिए एम.ओ.ई.एफ. द्वारा जारी की गई राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज सहित, मंत्रालय को वापस करने की आवश्यकता होगी और परियोजना को बन्द की स्थिति में लाया जाए।

ई.पी.सी.ओ. द्वारा मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए एन.आर.सी.डी., एम.ओ.ई.एफ., नई दिल्ली को प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र की संवीक्षा में लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच

⁶⁰ प्रथम किश्त: ₹ 1.00 करोड़ (सितम्बर 2007); द्वितीय किश्त: ₹ 2.00 करोड़ (जनवरी 2008) और तृतीय किश्त: ₹ 2.50 करोड़ (फरवरी 2009)

गैर मुख्य घटकों⁶¹ के निष्पादन पर सेंटेज प्रभार ₹ 79.86 लाख (81.79 प्रतिशत) जोड़ते हुए राशि ₹ 1.77 करोड़ व्यय होना दर्शाया गया था, जबकि केवल आठ प्रतिशत सेंटेज प्रभार स्वीकार्य था और तीन गैर मुख्य घटकों के कार्य निष्पादित नहीं किए गए थे जैसा कि परिशिष्ट 3.21.1 में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्य घटकों के कार्य प्रारंभ भी नहीं हुए थे जिसके फलस्वरूप ₹ 7.70 करोड़ तक की धनराशि नौ से भी अधिक वर्षों के लिए अवरुद्ध रही थी। अप्रयुक्त राशि एवं उसपर अर्जित ब्याज के साथ राशि ₹ 5.43 करोड़ नगर निगम सागर ने ई.पी.सी.ओ. को वापस कर दी थी (जुलाई 2015)।

इस प्रकार, भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना एस.टी.पी. के विकास के लिए विभिन्न स्थलों की पहचान की गई थी, जिन्हें अधिग्रहित नहीं किया जा सका। एस.टी.पी. के लिए भूमि की उचित पहचान और अधिग्रहण में विभाग के निरुत्साहपूर्ण टृटिकोण और प्रभावी अनुवीक्षण की कमी के कारण परियोजना के मुख्य घटक के कार्य नौ वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रारंभ नहीं हो सके थे जिसके फलस्वरूप परियोजना छोड़ दी गई थी/बन्द की जा चुकी थी। मुख्य घटकों के निष्पादन के लिए निर्धारित राशि ₹ 7.70 करोड़ ई.पी.सी.ओ. के पास अवरुद्ध बनी रही और परियोजना को क्रियाशील नहीं बनाया जा सका।

इस ओर इंगित किए जाने पर, कार्यकारी निदेशक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ने बताया (जुलाई 2016) कि एस.टी.पी. और सीवर पंपिंग स्टेशन के पथांतरण (diversion) और अवरोधन के मुख्य कार्य एस.टी.पी. के लिए भूमि अधिग्रहित न कर पाने, न्यायालय के स्थगन आदेश और लागत वृद्धि के कारण नहीं किए जा सके।

उत्तर स्वीकार योग्य नहीं था क्योंकि भूमि के अधिग्रहण में असामान्य विलम्ब के कारण परियोजना के मुख्य घटक के कार्य प्रारंभ नहीं हो सके थे और परियोजना छोड़ दी गई थी। इस प्रकार, विभाग ने सागर झील के संरक्षण और जीर्णोद्धार का एक अवसर खो दिया था और जल निकायों के प्रदूषण नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए भूमि अधिग्रहित करने में विभाग की निरुत्साहपूर्ण नीति के कारण सागर झील का पर्यावरण सुधार एवं प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित नहीं किया जा सका था।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2016); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2017)।

महिला एवं बाल विकास विभाग

3.22 संदिग्ध गबन

लाड़ली लक्ष्मी एवं ऊषा किरण योजनानांतर्गत कार्यशालाओं/सेमीनारों के आयोजन में राशि ₹ 1.88 लाख का संदिग्ध गबन।

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के नियम 192 के अन्तर्गत टीप के अनुसार नगदी ज्ञापन जिसमें अंकित व्यक्ति से धन पाने की अभिस्वीकृति न हो, भारतीय मुद्रांक अधिनियम (1899 द्वितीय) के अनुभाग 2(23) के आशय हेतु पावती नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, नगदी ज्ञापनों पर सुपुर्दगी प्रयोजन हेतु क्रेता का नाम एवं पता लिख देने मात्र से वह धनराशि के भुगतान के लिए क्रेता को दी गई अभिस्वीकृति में रूपान्तरित नहीं हो जाएगा। इसलिए नगदी ज्ञापन में जब तक कि उसमें अंकित व्यक्ति की ओर से धन प्राप्ति की अभिस्वीकृति (स्टांप लगा हुआ जब रकम ₹ 20 जो अब

⁶¹ झील का अग्रभाग विकास, कैचमैट एरिया ट्रीटमेंट, अल्प लागत स्वच्छता/प्रसाधन खण्ड, तैरता हुआ फब्बारा एवं झील के जल की गुणवत्ता का अनुवीक्षण।

पुनरीक्षित ₹ 5000 से अधिक है) नहीं हो या उन मामलों में जहां ऐसा व्यवहारिक नहीं है, वे “भुगतान किया” (PAID) से मुद्रांकित तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हों, लेखापरीक्षा में उप-प्रमाणक के रूप में मान्य नहीं किए जाएंगे।

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग—1 के नियम 284 के अनुसार कोई भी राशि कोषालय से तब तक आहरित नहीं की जाना चाहिए जब तक उसका तत्काल वितरण किया जाना आवश्यक न हो। मांग की प्रत्याशा में अथवा बजट अनुदान को व्यपगत होने से रोकने के लिये किया गया अग्रिम आहरण गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इस प्रकार आहरण करने पर दोषी व्यक्ति अनुशासनात्क कार्यवाही के भागी हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ऊषा किरण योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी निर्देशों (मार्च 2008) के अनुसार प्रत्येक परियोजना में, दीवार लेखन के लिए ₹1000, होडिंग हेतु ₹3000 तथा प्रत्येक विकास खण्ड पर कार्यशाला आयोजन हेतु ₹ 5000 की अधिकतम व्यय सीमा थी। परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवाएं (पो.ओ. आई.सी.डी.एस.) को संरक्षण अधिकारी के रूप में अभिहित किया गया था तथा विकास खण्ड स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन संरक्षण अधिकारी द्वारा किया जाना था।

कार्यालय महिला सशक्तीकरण अधिकारी (डब्ल्यू.ई.ओ.), छतरपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच (अगस्त 2015) एवं आगे एकत्रित जानकारी (अक्टूबर 2015) में पाया गया कि वर्ष 2013–14 के दौरान कार्यशालाओं/सेमीनारों के आयोजन एवं अन्य प्रभारों के लिए संचालनालय, महिला सशक्तीकरण से जिला महिला सशक्तीकरण अधिकारी (डी.डब्ल्यू.ई.ओ.) को ₹ 1.88 लाख⁶² का आवंटन प्राप्त हुआ। आवंटन के आधार पर, डी.डब्ल्यू.ई.ओ. ने अग्रिम आहरण के लिए स्वीकृति आदेश तैयार किया एवं उक्त राशि का कोषालय छतरपुर से चार देयकों के माध्यम से आहरण किया गया (अक्टूबर 2013 एवं दिसम्बर 2013) एवं श्री प्रमोद श्रीवास्तव, तत्कालीन डी.डब्ल्यू.ई.ओ. एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारी के व्यक्तिगत खाता (क्र.10797167151, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा राजनगर, छतरपुर) में जमा की गई। राशि रोकड़ बही में अस्थायी अग्रिम के रूप दर्शायी गई (अक्टूबर 2013 एवं दिसम्बर 2013) जिसका समायोजन रोकड़ बही में (28 मार्च 2014) में किया जाना दर्शाया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अस्थाई अग्रिम की सम्पूर्ण राशि का समायोजन समान दिनांक 03.03.2014 के तीन नगदी ज्ञापनों से किया गया जो कि लंच पैकेट, दीवार लेखन, फलैक्स बैनर एवं टेन्ट, कुर्सी तथा फर्श के किराए से सम्बन्धित थे। जबकि नगदी ज्ञापनों में टैक्स इन्डेक्स नम्बर एवं दुकान की पंजीकरण संख्या नहीं दर्शाए गए थे। नगदी ज्ञापनों पर ‘मेरे द्वारा भुगतान किया गया’ का प्रमाणपत्र अंकित नहीं था। देयकों का सत्यापन और ‘भुगतान आदेश के लिए पारित’, एवं “भुगतान एवं निरस्त” का स्टाम्प डी.डब्ल्यू.ई.ओ. (डी.डी.ओ.) द्वारा अंकित किया गया था।

लेखापरीक्षा जाँच में डी.डब्ल्यू.ई.ओ. ने सूचित किया (अक्टूबर 2015) कि कार्यशालाओं/सेमीनारों को आयोजित किए जाने सम्बन्धी कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं था। आगे, सभी सम्बन्धित 13 पी.ओ., आई.सी.डी.एस ने सूचित किया (अगस्त 2016) कि उनकी परियोजना में कार्यशाला का आयोजन नहीं हुआ एवं कार्यशालाओं/सेमीनारों के आयोजन सम्बन्धी कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं था। लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि अग्रिम की सम्पूर्ण राशि तत्कालीन डी.डब्ल्यू.ई.ओ. के व्यक्तिगत बैंक खाते में जमा की गई थी, बैंक से प्राप्त बैंक विवरण पत्रक से प्रकट हुआ कि अक्टूबर 2013 से मार्च 2014 के दौरान बैंक खाते से केवल ₹ 37,002 का आहरण हुआ। इस प्रकार शासकीय धन का व्यक्तिगत बचत खाते में अनाधिकृत रूप से जमा रखना, दोषपूर्ण नगदी ज्ञापनों

⁶² लाडली लक्ष्मी योजना अन्तर्गत सूचना शिक्षा संचार (आई.सी.) मद ₹ 0.36 लाख (सितम्बर 2013) एवं उषाकिरण योजना के अन्तर्गत घरेलू हिंसा ₹ 1.52 लाख (दिसम्बर 2013)।

एवं डी.डब्ल्यू.ई.ओ. कार्यालय अथवा सम्बन्धित पी.ओ. कार्यालयों में कार्यशालाओं/सेमीनारों के आयोजन सम्बन्धी अभिलेखों के उपलब्ध नहीं होने से शासकीय धन का गबन किया जाना प्रदर्शित हो रहा था।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (मई 2016)। निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में आयुक्त, महिला सशक्तीकरण विभाग ने तथ्यों एवं आँकड़ों को सत्यापित किया एवं बताया कि प्रकरण की जाँच की गई थी तथा दीवार लेखन के लिए ₹ 52,000 के अनियमित भुगतान की वित्तीय अनियमितता पायी गई थी। इसके लिए एवं अन्य वित्तीय अनियमितताओं के लिए तत्कालीन डी.डब्ल्यू.ई.ओ. श्री प्रमोद श्रीवास्तव के विरुद्ध आरोप पत्र जारी कर दिया गया एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रगति पर थी। तथापि, 13 विकास खण्डों में कार्यशालाओं/सेमीनारों के आयोजन के सम्बन्ध में विभाग ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।

ग्वालियर
दिनांक: 14 मार्च 2017


 (सौरभ के. मल्लिक)
 महालेखाकार
 (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)
 मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 15 मार्च 2017


 (शशि कान्त शर्मा)
 भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ: कंडिका 1.7, पृष्ठ 4)

31 मार्च 2016 तक जारी तथा 30 सितम्बर 2016 की स्थिति में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा कण्डिकाओं का वर्षवार विवरण

स.क्र.	विभाग	वर्ष 2010–11 तक		2011–12		2012–13		2013–14		2014–15		2015–16		योग	
		नि.प्र.	कंडिका	नि.प्र.	कंडिका	नि.प्र.	कंडिका	नि.प्र.	कंडिका	नि.प्र.	कंडिका	नि.प्र.	कंडिका	नि.प्र.	कंडिका
सामान्य क्षेत्र															
1.	गृह	76	134	08	14	10	15	12	28	50	134	32	120	188	445
2.	सामान्य प्रशासन	507	1048	56	136	45	126	62	235	82	372	129	678	881	2595
3.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	03	05	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	03	05
4.	राजस्व	04	09	-	-	02	02	01	04	06	10	02	12	15	37
5.	संसदीय कार्य	03	04	-	-	01	02	-	-	-	-	-	-	04	06
6.	जनसंपर्क	-	-	-	-	-	-	-	-	01	01	04	09	05	10
7.	जेल	-	-	09	10	25	29	11	12	20	42	18	104	83	197
8.	विधि	100	167	07	08	-	-	01	01	15	20	18	43	141	239
9.	योजना एवं सांख्यिकी	27	80	07	09	08	50	09	54	20	102	29	299	100	594
10.	वित्त	122	190	06	11	08	14	23	41	38	117	45	118	242	491
	योग	842	1637	93	188	99	238	119	375	232	798	277	1383	1662	4619
सामाजिक क्षेत्र															
11.	श्रम	47	80	05	33	12	46	01	04	03	16	14	33	82	212
12.	महिला एवं बाल विकास	283	503	44	125	104	269	76	231	64	236	103	436	674	1800
13.	पुनर्वास	11	27	-	-	01	01	-	-	-	-	-	-	12	28
14.	अनुरूपित जाति कल्याण	30	56	17	43	24	80	18	73	14	83	17	115	120	450
15.	अनुरूपित जनजाति कल्याण	215	377	46	110	76	211	54	262	54	216	95	349	540	1525
16.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	59	131	01	03	01	11	04	29	09	33	19	69	93	276
17.	खेल एवं युवा कल्याण	26	53	01	02	16	44	12	50	05	24	12	53	72	226
18.	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	94	246	16	48	16	73	14	71	10	44	11	59	161	541
19.	संस्कृति	39	76	05	14	14	65	01	03	03	06	08	20	70	184
20.	सामाजिक न्याय	185	444	25	110	13	78	04	20	08	47	25	86	260	785
21.	अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण	02	02	01	01	-	-	02	13	-	-	24	144	29	160
22.	विमुक्त, धुमकेड़ एवं अद्वै धुमकेड़ जाति कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	01	04	-	-	01	04
23.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	224	604	09	26	09	32	27	109	13	48	19	110	301	929
24.	लोक स्वास्थ्य योग्यताकी	397	954	20	44	09	37	34	146	13	70	32	288	505	1539
25.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	431	915	45	110	155	667	148	740	151	1049	180	1373	1110	4854
26.	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	173	406	15	17	29	68	12	40	27	139	23	151	279	821
27.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास (आर.इ.एस.)	79	134	14	27	20	83	47	211	39	256	51	390	250	1101
28.	स्कूल शिक्षा	1670	3492	40	97	51	216	49	305	124	580	99	602	2033	5292
29.	चाकिल्सा शिक्षा	78	178	11	21	14	50	17	59	13	80	20	156	153	544
30.	उच्च शिक्षा	429	973	19	111	25	157	43	244	71	423	46	376	633	2284
	योग	4472	9651	334	942	589	2188	563	2610	622	3354	798	4810	7378	23555
	महायोग	5314	11288	427	1130	688	2426	282	2985	854	4152	1075	6193	9040	28174

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश, ग्रामियर द्वारा संकलित)

परिशिष्ट-2.1.1

(संदर्भ : कंडिका-2.1.1.1 पृष्ठ 12)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यान्वयन की रूपरेखा के राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षित परिणामों की सूची

कार्यान्वयन की रूपरेखा 2005-2012

1. वर्ष 2012 तक शिशु मृत्यु दर को 30 / 1,000 जीवित जन्म तक कम करना।
2. वर्ष 2012 तक मातृ मृत्यु दर को 100 / 1,00,000 जीवित जन्म तक कम करना।
3. कुल जन्म दर वर्ष 2012 तक 2.1 तक कम करना।
4. मलेरिया मृत्यु कमी दर वर्ष 2010 तक 50 प्रतिशत, वर्ष 2012 तक अतिरिक्त 10 प्रतिशत।
5. कालाजार मृत्यु कमी दर वर्ष 2010 तक 100 प्रतिशत तथा वर्ष 2012 तक उन्मूलन निरंतर बनाए रखना।
6. फाइलेरिया / माइक्रो फाइलेरिया कमी दर वर्ष 2010 तक 70 प्रतिशत, वर्ष 2012 तक 80 प्रतिशत तथा वर्ष 2015 तक उन्मूलन।
7. डेंगू मृत्यु कमी दर वर्ष 2010 तक 50 प्रतिशत तथा वर्ष 2012 तक इसी स्तर को कायम रखना।
8. मोतियाबिंद ऑपरेशन को वर्ष 2012 तक 46 लाख तक बढ़ाना।
9. कुष्ठ प्रचलन दर वर्ष 2005 में 1.8 प्रति 10,000 तक कम करना तथा उसके पश्चात 1 प्रति 10,000 तक की कमी लाना।
10. क्षय डॉट्स शृंखला के अंतर्गत पूरे मिशन अवधि में 85 प्रतिशत रोगमुक्त दर को कायम रखना तथा नियोजित प्रकरण खोज दर कायम रखना।
11. सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक के स्तर तक उन्नयन करना।
12. प्रथम रेफरल यूनिट को रेफर किए गए प्रकरणों को 20 से कम को 75 प्रतिशत तक वृद्धि कर बैड ऑक्यूपैसी के उपयोग को बढ़ाना।
13. 4,00,000 अधिकृत सामाजिक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) को नियुक्त करना।

कार्यान्वयन की रूपरेखा 2012-2017

1. मातृ मृत्यु दर को 1 / 1,000 जीवित जन्म तक कम करना।
2. शिशु मृत्यु दर को 25 / 1,000 जीवित जन्म तक कम करना।
3. कुल प्रजनन दर को 2.1 तक कम करना।
4. 15 से 49 आयु की महिलाओं में एनीमिया को कम तथा रोकथाम करना।
5. संचारी, गैर संचारी, चोटिल तथा उभरते रोगों से रुग्णता एवं मृत्यु दर को कम करना तथा रोकथाम।
6. घरेलू खर्चों में से कुल स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाले व्यय को कम करना।
7. क्षय से वार्षिक घटनाओं एवं मृत्यु दर को आधे तक कम करना।
8. कुष्ठ के प्रसार को 1 प्रति 10,000 जनसंख्या तक कम करना तथा सभी जिलों में घटनाओं को शून्य करना।
9. वार्षिक मलेरिया घटना को 1 प्रति 1,000 तक कम करना।
10. सभी जिलों में माइक्रोफाइलेरिया के प्रसार को 1 प्रतिशत तक कम करना।
11. कालाजार का वर्ष 2015 तक उन्मूलन करना, सभी ब्लॉकों में 1 प्रकरण प्रति 10,000 जनसंख्या तक कम करना।

परिशिष्ट-2.1.2

(संदर्भःकंडिका-2.1.3, पृष्ठ 14)

चयनित जिले/ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/ उप स्वास्थ्य केंद्र/ आशा एवं हितग्राहियों की सूची

संक्र.	चयनित जिला/ डी.एच.एस. / डी.एच. का नाम	चयनित सी.एच.सी. का नाम	चयनित पी.एच.सी. का नाम	चयनित एस.सी. का नाम	आशाओं की संख्या	हितग्राहियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
निम्न प्रदर्शन करने वाले जिले						
1	अनूपपुर	जैतहरी	लपता	चौई, जरियारी, लापता	07	35
			सिंधोरा	गोरसी, खुरसा, सुलकहारी	07	30
		कोतमा	बिजुरी	भगता, बिजुरी, पेरिचुआ	03	30
			चौंडी पौंडी	चौंडी, दारसागर, पौंडी	08	30
2	धार	बकानेर	कालीबावड़ी	धाबया, लावनी, उटावद	07	30
			उमरवन	बड़िया, भानपुरा, पेटलाबाद	09	30
		पीथमपुर	बगड़ी	भाड़क्या, गोविंदपुरा, सगड़ी	08	30
			नालछा	मोगराभाव, लुन्हेरा, आली	08	30
		तिरला	सतीपुरा	भुवादा, घोड़ाभाव, सांगविकला	07	31
			खदानबुर्जुग	दिलवारा, हिम्मतगढ़, सलकनपुर	09	30
3	डिंडोरी	बजाग	चांडा	बछरगांव, चांडा, लालपुर	09	30
			गाडासरई	हर्रा, सुकुलपुरा, सुनहादादर	07	30
		करंजिया	बहारपुर	बहारपुर, गोपालपुर, सदवाच्छपुर	09	30
			गोरखपुर	गोरखपुर, मोहतरा, सैलवारा	09	30
4	टीकमगढ़	जतारा	दिघौरा	बमोरीबराना, बिलगांय, दिघौरा	13	15
			मोहनगढ़	अचरा, बृषभानपुरा, इकबालपुरा	03	10
		पृथ्वीपुर	जिरौन	भोपालपुरा, ककवानी, लुहारगांव	13	11
			सिमरा	धौरा, सिमराभाटा, वीरसागर	13	13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		मध्यम प्रदर्शन करने वाले जिले				
5	बैतूल	मुलतई	बरखेड़	बरखेड़, जाम, साईखेड़ा	09	31
			खेडीकोर्ट	गोला, जामगांव, सबडी	09	30
		सेहरा	भारवी	सेलगांव, जावरा	06	20
			बेरगांव	बोरगांव, गड़ा	06	20
6	खंडवा	छैगांव माखन	बरुद	बरुद, चिरवेल, देशगांव	08	31
			धनगांव	अहमदपुर खेरगांव, धनगांव	06	20
		खालवा	खारकला	बखार, देवलीकला, सिरपुर	09	31
			सेंधवाल	ढाकना, सेंधवाल, सुंदरदेव	08	30
7	मंडला	बम्हनी बंजर	हृदय नगर	हृदय नगर, कोरगांव, टिकरवारा	08	30
			मोहनिया पटपरा	बकौरी, खेड़ी, पादरी पटपरा	09	31
			नारायणगंज	ढालखापा, कुड़ामैली, सिंगोरा	09	31
8	पन्ना	अजयगढ़	बरियारपुर	बरियारपुर, लोलास, शानगुड़िया	09	30
			धरमपुर	धरमपुर, किरतपुर	06	20
		देवेंद्र नगर	बराछ	बराछ, मनकारंडगंज, तारा	08	30
			ककरहटी	देवरी रनवाहा, ककरहटी, सकरिया	03	30
9	रत्लाम	नामली	बिलपांक	बिलपांक, ढिकवा, लुन्हेरा	09	30
			धराद	धराद, कनैरी, मांगरोल	08	30
		सैलाना	स्करवदा	बल्लीखेड़ा, भल्ला का माल, नारायणगढ़	09	31
			सरवन	अमरगढ़, चावड़ाखेड़ी, सरवन	09	30
		उच्च प्रदर्शन करने वाले जिले				
10	खरगौन	गौगावा	कोटाखुर्द	कोटा बुजुर्ग	03	10
			नागझिरी	बलगांव, राजपुरा, रूपखेड़ा	08	30
		कसरावद	मुल्थान	बोरावा, कमोदवारा, उटावद	09	30
			सतकुर	बमंडी, भीलगांव, सतकुर	09	30
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

11	नीमच	मनासा	कुकड़ेश्वर	बडकुआ, भदवा, चंद्रपुरा	09	30
			महागढ़	अंतरी, देवरी खवासा, खजुरी	09	30
		जीरन	बिसलवासकला	बिसलवासकला, मालखेड़ा, नेवद	09	30
			बोडियाकला	जवी, रेवाली देवाली, सावन	09	30
12	रायसेन	गैरतगंज	देवनगर	आमखेड़ा, देहगांव, हिनोतिया	09	08
		सांची	दीवानगंज	बांसखेड़ा, जमुनिया, खोआ	06	16
			सलामतपुर	ढाकना छापना, सलामतपुर	05	10
13	राजगढ़	जीरापुर	गोधटपुर	गोधटपुर, कुम्दा, पिपलिया कुल्मी	09	30
			मच्छलपुर	कोडक्या, मच्छलपुर, राजाहेड़ी	07	31
		खिलचीपुर	छापीहेड़ा	भाटखेड़ा, खजूरी गोकुल, रनारा	09	30
			सोमवारिया	ब्यौरा कला, जैतपुरा कला, कुलीखेड़ा	09	30
योग	13	27	52	149	416	1386

परिशिष्ट-2.1.3

(संदर्भ: कंडिका- 2.1.7.1, पृष्ठ 18)

13 नमूना परीक्षित जिलों में वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में ए.एन.सी. सेवाओं की स्थिति

वर्ष	ए.एन.सी. के लिए कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाएं	प्रथम तिमाही में पंजीकृत (12 सप्ताह)	गर्भावस्था के दौरान 3 ए. एन.सी. चेकअप प्राप्त	वर्तमान गर्भावस्था के दौरान दिए गए टी.टी. 1	वर्तमान गर्भावस्था के दौरान दिए गए टी.टी. 2 या बूस्टर	गर्भवती महिलाओं को दी गई 100 आई.एफ.ए. गोलियां
2011-12	434825	231203	346430	310801	371174	362092
2012-13	399441	223977	323977	289659	338464	368479
2013-14	424303	249145	339784	299696	343804	403901
2014-15	437137	295545	366721	329855	363335	430937
2015-16	433521	296606	366448	319228	357302	433651
कुल	2129227	1296476 (61%)	1743360 (82%)	1549239	1774079 (83%)	1999060 (94%)

(स्रोत: डी.एच.एस. के एच.एम.आई.एस. से एकत्रित आंकड़े)

परिशिष्ट -2.1.4
(संदर्भ: कंडिका- 2.1.7.2, पृष्ठ 20)
वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में राज्य में प्रसव देखभाल की स्थिति

वर्ष	प्रसव					शासकीय संस्थानों में हुए कुल प्रसव में से 48 घंटे के अंदर डिस्चार्ज महिलाएं	शासकीय संस्थान में हुए प्रसव में जे. एस.वाई. प्रोत्साहन राशि भुगतान प्राप्त महिलाओं की संख्या	गृह प्रसव जो अप्रशिक्षित एस.बी.ए. द्वारा किया गया	गृह प्रसव जहाँ 24 घंटे के अंदर नवजात को देखा गया
	शासकीय संस्थान	निजी संस्थान	संस्थागत प्रसव	गृह प्रसव	कुल प्रसव				
2011-12	1157412	126494	1283906	206938	1490844	444443	1076425	157195	118946
2012-13	1063664	101298	1164962	202039	1367001	407493	974377	148173	124951
2013-14	1096338	75444	1171782	186272	1358054	415534	1005282	132557	103662
2014-15	1105102	106714	1211816	157659	1369475	143593	947982	112905	118872
2015-16	1115692	139002	1254694	142969	1397663	114891	967634	114038	113183
कुल	5538208	548952	6087160	895877	6983037	1525954	4971700	664868	579614

(स्रोत: राज्य स्वास्थ्य समिति, एच.एम.आई.एस.)

परिशिष्ट-2.1.5

(संदर्भ: कंडिका- 2.1.8.2, पृष्ठ 25)
टीकाकरण की स्थिति

वर्ष	ट्यूबरकुलोसिस (बी.सी.जी.)		पोलियो (ओ.पी.वी.)		डी.पी.टी. (डिप्टीरिया, परट्यूसिस, टिटेनस)		मिजल्स		हेपेटाईटिस-बी	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2011-12	1721454	1501778	1721454	1429744	1721454	1575112	1721454	1567795	1721454	1240447
2012-13	1774192	1410794	1774192	1455236	1774192	1492920	1774192	1474936	1774192	1462560
2013-14	1809351	1400942	1809351	1477207	1809351	1474862	1809351	1466310	1809351	1473450
2014-15	1776824	1370833	1776824	1389476	1776824	1458596	1776824	1445494	1776824	1451933
2015-16	1811086	1391230	1811086	1409612	1811086	1427938	1811086	1443250	1811086	1440273
कुल योग	8892907	7075577	8892907	7161275	8892907	7429428	8892907	7397785	8892907	7068663
कमी	1817330 (20%)		1731632 (19%)		1463479 (16%)		1495122 (17%)		1824244 (21%)	

(स्रोत: राज्य स्वास्थ्य समिति)

परिशिष्ट- 2.1.6

(संदर्भ: कंडिका- 2.1.8.2, पृष्ठ 25)

उम्रवार टीकाकरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक

वर्ष	एक वर्ष तक की उम्र हेतु टीकाकरण का लक्ष्य	एक वर्ष के उम्र तक की वास्तविक उपलब्धि	कमी	डेढ़ वर्ष के ऊपर की उम्र हेतु टीकाकरण का लक्ष्य	डेढ़ वर्ष के ऊपर की उम्र की वास्तविक उपलब्धि	कमी	कमी	पांच वर्ष से ऊपर की उम्र हेतु टीकाकरण के लक्ष्य	पांच वर्ष से ऊपर की उम्र हेतु टीकाकरण के लक्ष्य	कमी
2011-12	1721454	1481078	240376	1466591	1204488	262103		1445731	629008	816723
2012-13	1774192	1413913	360279	1523772	1235906	287866		1501595	627626	873969
2013-14	1809351	1426280	383071	1568543	1235916	332627		1546055	688004	858051
2014-15	1776824	1385338	391486	1541160	1277791	263369		1519390	807141	712249
2015-16	1811086	1403788	407298	1570860	1378060	192800		1548670	1046854	501816
योग	8892907	7110397	1782510 (20 %)	7670926	6332161	1338765 (17 %)		7561441	3798633	3762808 (50 %)

(स्रोत: राज्य स्वास्थ्य समिति)

परिशिष्ट -2.1.7

(संदर्भ : कंडिका-2.1.9.2, पृष्ठ 26)
पुरुष एवं महिला नसबंदी की स्थिति

वर्ष	एन.एस.वी. ¹		लेप्रोस्कोपिक ²		मिनीलैप ³		प्रसवोपरांत नसबंदी ⁴		कुल नसबंदी	
	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
2011-12	70000	45450	350000	431350	140000	69624	140000	30389	700000	594905
2012-13	70000	15381	350000	267435	140000	58983	140000	24890	700000	439006
2013-14	50000	6110	250000	273212	100000	43450	100000	20103	500000	400728
2014-15	62500	5910	312500	297510	125000	44956	125000	25710	625000	370000
2015-16	50000	9924	250000	319930	100000	43369	100000	30963	500000	406674
कुल योग	302500	82775 (27%)	1512500	1589437 (105%)	605000	260382 (43%)	605000	132055 (22%)	3025000	2211313 (73%)

(स्रोत: राज्य स्वास्थ्य समिति)

¹ बिना चीरा शुक्रवाहिकोच्छेन (वैसकटॉमी) एक तकनीक है जिसमें एक छिद्र द्वारा पुरुष नसबंदी की जाती है। छिद्र अंडकोश में किया जाता है जिसमें टांके या सिलाई की आवश्यकता नहीं होती।² लेप्रोस्कोपी सर्जरी को मिनीमैली इनवैसिव सर्जरी (एम.आई.एस.), बैंडेड सर्जरी या कीहोल सर्जरी भी कहा जाता है यह एक आधुनिक शल्य क्रिया तकनीक है जिसमें ऑपरेशन निर्धारित स्थान से दूर शरीर के किसी भी अंग में चीरा लगा कर (सामान्यतः 0.5–1.5 सी.एम.) किया जाता है।³ मिनीलेप्रोटॉमी जिसे सामान्यतः मिलीलैप कहा जाता है पेट के माध्यम से फैलोपियन ट्यूब में 5 सी.एम. से कम का चीरा लगाकर करने की एक शल्य क्रिया है। नसबंदी की प्रक्रिया में फैलोपियन ट्यूब को स्थाई रूप से बंद कर दिया जाता है।⁴ प्रसवोपरांत नसबंदी बच्चे के जन्म के बाद की जाती है। महिला द्वारा बच्चों को जन्म देने के बाद फैलोपियन ट्यूब तथा बढ़ा हुआ गर्भाशय पेट में नाभि के नीचे रहता है। प्रसवोपरांत नसबंदी सामान्य तौर पर गर्भाशय के सामान्य अवस्था में पहुंचने के पहले कुछ घंटों या दिनों के अंदर किया जाता है।

परिशिष्ट- 2.1.8

(संदर्भ: कंडिका- 2.1.9.2, पृष्ठ 27)
गर्भ अंतराल तथा गर्भ-निरोधक के उपयोग की स्थिति

वर्ष	अंतराल विधि				गर्भनिरोधक			
	आई.यू.सी.डी. ⁵		पी.पी.आई.यू.सी.डी. ⁶		गोलियां		कंडोम	
	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
2011-12	620300	296140	0	0	900000	231965	1800000	263639
2012-13	440000	381643	उपलब्ध नहीं	15365	900000	230363	1200000	222370
2013-14	440000	354812	उपलब्ध नहीं	45450	900000	579177	2000000	1084017
2014-15	500000	327991	500000	123344	800000	513838	1200000	816771
2015-16	500000	237984	300000	163997	800000	951364	1200000	1405864
योग	2500300	1598570 (64%)	800000	348156 (44%)	4300000	2506707 (58%)	7400000	3792661 (51%)

(चोत: राज्य स्वास्थ्य समिति)

परिशिष्ट-2.1.9

(संदर्भ: कंडिका- 2.1.10.2 पृष्ठ 28)
राज्य वार्षिक कार्य योजना के प्रस्तुति एवं अनुमोदन की स्थिति

संक्र.	वर्ष	राज्य स्वास्थ्य समिति से भारत सरकार को वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत करने की तिथि (निर्धारित तिथि 31 दिसंबर)	भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्ययोजना अनुमोदन की तिथि (निर्धारित तिथि 28 फरवरी)		
			प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि	विलंब दिनों में	वास्तविक अनुमोदन की तिथि
1.	2011-12	18/03/2011	77	13/05/2011	74
2.	2012-13	20/04/2012	110	26/05/2012	87
3.	2013-14	15/05/2013	135	17/06/2013	109
4.	2014-15	15/07/2014	196	09/10/2014	223
5.	2015-16	10/03/2015	69	11/05/2015	72

(चोत : राज्य स्वास्थ्य समिति)

⁵ अंतर गर्भाशय गर्भनिरोधक उपकरण.

⁶ प्रसवोपरांत अंतर गर्भाशय गर्भनिरोधक उपकरण

परिशिष्ट- 2.1.10

(संदर्भ : कंडिका- 2.1.10.2, पृष्ठ 28)

पी.आई.पी. के प्रस्तुति में विलंब एवं पी.आई.पी. के अनुमोदन में विलंब को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

संक्र.	जिले का नाम	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		विलंब की सीमा	
		एस.एच.एस. को पी.आई.पी. अनुमोदन की तिथि (निर्धारित तिथि: 31 अक्टूबर)	एस.एच.एस से पी.आई.पी. अनुमोदन की तिथि (निर्धारित तिथि: 15 मार्च)	एस.एच.एस. से पी.आई.पी. अनुमोदन की तिथि (निर्धारित तिथि: 31 मार्च)	एस.एच.एस. को पी.आई.पी. अनुमोदन की तिथि (निर्धारित तिथि: 15 मार्च)	एस.एच.एस. को पी.आई.पी. अनुमोदन की तिथि (निर्धारित तिथि: 31 मार्च)	एस.एच.एस. को पी.आई.पी. अनुमोदन की तिथि (निर्धारित तिथि: 31 मार्च)	एस.एच.एस. को पी.आई.पी. अनुमोदन की तिथि (निर्धारित तिथि: 31 मार्च)	एस.एच.एस. को पी.आई.पी. अनुमोदन की तिथि (निर्धारित तिथि: 31 मार्च)	एस.एच.एस. को पी.आई.पी. अनुमोदन की तिथि (निर्धारित तिथि: 31 मार्च)	एस.एच.एस. को पी.आई.पी. अनुमोदन की तिथि (निर्धारित तिथि: 31 मार्च)	एस.एच.एस. को पी.आई.पी. अनुमोदन की तिथि (निर्धारित तिथि: 31 मार्च)	एस.एच.एस. को पी.आई.पी. अनुमोदन की तिथि (निर्धारित तिथि: 31 मार्च)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अनूपपुर	12.02.11	05.09.11	03.03.12	13.08.12	13.02.13	08.08.13	24.02.14	18.11.14	13.01.15	01.07.15	2 से 4 माह	3 से 8 माह
2	बैतूल	प्रदायित नहीं	प्रदायित नहीं	प्रदायित नहीं	13.07.12	प्रदायित नहीं	22.08.13	प्रदायित नहीं	18.11.14	प्रदायित नहीं	01.07.15	प्रदायित नहीं	3 से 8 माह
3	धार	प्रदायित नहीं	03.09.11	प्रदायित नहीं	13.08.12	प्रदायित नहीं	प्रदायित नहीं	20.05.14	18.11.14	14.06.15	02.07.15	6 से 7 माह	3 से 8 माह
4	डिंडोरी	प्रदायित नहीं	प्रदायित नहीं	प्रदायित नहीं	प्रदायित नहीं	02.07.13	08.08.13	09.05.14	02.06.14	08.06.15	10.07.15	6 से 7 माह	3 से 4 माह
5	खंडवा	29.02.11	13.03.11	31.12.11	13.07.12	30.06.13	22.08.13	31.05.14	18.11.14	30.04.15	01.07.15	2 से 7 माह	1 से 8 माह
6	खरगौन	03.03.11	13.04.11	25.03.12	13.07.12	02.03.13	22.08.13	17.03.14	21.11.14	20.03.15	01.07.15	4 से 5 माह	1 से 8 माह
7	मंडला	29.03.11	प्रदायित नहीं	06.05.12	प्रदायित नहीं	24.06.13	06.09.13	15.05.14	24.11.14	15.01.15	02.07.15	2 से 7 माह	3 से 8 माह
8	नीमच	31.12.10	05.09.11	02.01.12	13.07.12	17.06.13	12.08.13	09.01.14	18.11.14	23.05.15	01.07.15	2 से 7 माह	3 से 8 माह
9	पन्ना	प्रदायित नहीं	06.08.11	प्रदायित नहीं	13.08.12	प्रदायित नहीं	22.08.13	प्रदायित नहीं	14.11.14	प्रदायित नहीं	01.07.15	उपलब्ध नहीं	3 से 8 माह
10	रायसेन	प्रदायित नहीं	प्रदायित नहीं	प्रदायित नहीं	प्रदायित नहीं	प्रदायित नहीं	22.08.13	17.05.14	18.11.14	15.01.15	01.07.15	2 से 6 माह	3 से 8 माह

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	राजगढ़	15.02.11	05.09.11	03.03.12	13.08.12	10.02.13	22.08.13	20.02.14	08.08.14	13.01.15	01.07.15	2 से 4 माह	3 से 6 माह
12	रतलाम	प्रदायित नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं									
13	टीकमगढ़	19.01.11	13.04.11	20.02.12	13.08.12	प्रदायित नहीं	18.08.13	प्रदायित नहीं	14.11.14	11.01.15	01.07.15	2 से 3 माह	1 से 8 माह

परिशिष्ट-2.1.11

(संदर्भ: कंडिका-2.1.11.1, पृष्ठ 33)

राज्य स्तर पर निरस्त किए गए कार्यों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक

संक्र.	जिले	कार्य का नाम	कार्य की संख्या	प्रशासकीय स्वीकृति का वर्ष	अनुबंध संख्या तथा दिनांक	अनुबंध अनुसार निर्माण अवधि	प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार राशि (₹ लाख में)	कार्य निरस्त किए जाने के कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	डिंडोरी	ए.एन.एम. स्कूल, हॉस्टल, 2 जी, 2 एच टाईप आवासीय भवन का निर्माण	1	2013	08-1-2015 तथा 27-02-2016	24 माह	498.00	निर्माण स्थल डिंडोरी से बैतूल स्थानांतरित किया गया
2	दतिया	आवासीय हॉस्टल भवन का निर्माण	1	2013	134/04-02-2014	15 माह	250.00	कारण नहीं बताया गया
3	नरसिंहपुर	आवासीय हॉस्टल भवन का निर्माण	1	2013	125/29-01-2014	15 माह	250.00	भूमि उपलब्ध नहीं
4	श्योपुर	आवासीय हॉस्टल भवन का निर्माण	1	2013	135/05-02-2014	15 माह	250.00	भूमि उपलब्ध नहीं
5	अलीराजपुर	पी.एच.सी. उमराली का उन्नयन	1	2013	26/ 04-03-2014	14 माह	32.50	नई पी.एच.सी. भवन की स्वीकृत होने के कारण पुराने भवन का उन्नयन निरस्त किया गया
	अलीराजपुर	एस.सी. सोंधवा, उमराली का निर्माण	2	2013	निविदा स्वीकृत	14 माह	42.00	विशेष कारण नहीं बताया गया
	अलीराजपुर	एस.सी. आमकुट का निर्माण	1	2013	411/04-02-2015	8 माह	21.00	एस.सी. परिसर के समीप पी.एच.सी. भवन का निर्माण कार्य कराया गया
6	बड़वानी	पी.एच.सी. मेनीमाता, धनौरा का उन्नयन	2	2013	01-01-2015	16 माह	65.00	नई पी.एच.सी. भवन की स्वीकृत होने के कारण पुराने भवन का उन्नयन निरस्त किया गया
7	भोपाल	एस.सी. चकलदी का उन्नयन	1	2013	08/03-02-2014	16 माह	17.00	एस.सी. परिसर के समीप नई पी.एच.सी. भवन स्वीकृत हुए जिसके कारण पुराने भवन का उन्नयन कार्य निरस्त किया
8	छतरपुर	पी.एच.सी. राजनगर का उन्नयन	1	2013	04-03-2014	16 माह	32.50	उन्नयन की आवश्यकता नहीं
9	खंडवा	एस.सी. गुलाइमाल का उन्नयन	1	2013	04-03-2014	16 माह	17.00	एस.सी. परिसर के समीप नई पी.एच.सी. भवन स्वीकृत हुए जिसके कारण उन्नयन कार्य निरस्त किया गया

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	सागर	पी.एच.सी. रेहली का उन्नयन	1	2013	07/03-02-2014	14 माह	32.50	पी.एच.सी. परिसर के समीप सी.एच.सी. भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है अतः कार्य निरस्त किया गया।
11	शिवपुरी	एस.सी. चारन का निर्माण कार्य	1	2013	04-03-2014	16 माह	21.00	एस.सी. परिसर के समीप पी.एच.सी. भवन निर्माण कार्य। अतः निरस्त किया गया।
12	मंडला	एस.सी. मोहनिया पटपरा का निर्माण	1	2013	614/05-12-2014	18 माह	21.00	एस.सी. परिसर के समीप पी.एच.सी. भवन निर्माण कार्य प्रगति पर होने के कारण
13	शहडोल	एस.सी. कंचनपुर का निर्माण	1	2013	188/27-06-2014	22 माह	21.00	एस.सी. परिसर के समीप पी.एच.सी. भवन निर्माण कार्य प्रगति पर होने के कारण
14	सीधी	एस.सी. मंझौली का निर्माण	1	2013	185/24-06-2014	18 माह	21.00	एस.सी. परिसर के समीप सी.एच.सी. भवन का निर्माण कार्य प्रगति के कारण
	सीधी	एस.सी. बरिगांव का निर्माण	1	2013	189/11-07-2014	20 माह	21.00	एस.सी. परिसर के समीप पी.एच.सी. भवन निर्माण कार्य प्रगति पर होने के कारण
15	सतना	एस.सी. माधवगढ़ का निर्माण	1	2013	183/24-06-2014	16 माह	21.00	एस.सी. परिसर के समीप पी.एच.सी. भवन निर्माण कार्य प्रगति पर होने के कारण
	सतना	एस.सी. ताला का निर्माण	1	2013	184/24-06-14	18 माह	21.00	एस.सी. परिसर के समीप पी.एच.सी. भवन निर्माण कार्य प्रगति पर होने के कारण
16	दमोह	एस.सी. कालूमार का निर्माण	1	2013	06-09-2014	18 माह	21.00	निर्माण स्थल वन क्षेत्र में था अतः निरस्त
		योग	22				1675.50	

(स्रोत: राज्य स्वास्थ्य समिति)

परिशिष्ट- 2.1.12

(संदर्भ: कंडिका- 2.1.11.1, पृष्ठ 33)

नमूना परीक्षित जिले में निरस्त किए गए कार्यों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक

जिले	निर्माण कार्य का नाम	प्रारंभ किए गए कार्यों की संख्या	प्रशासकीय स्वीकृति का वर्ष (प्र.स्वी.)	प्र.स्वा. अनुसार लागत (₹ लाख में)	कार्यदेश संख्या तथा दिनांक	अनुबंध के अनुसार निर्माण पूर्ण करने की अवधि (माह)	अद्यतन किया गया व्यय (₹ लाख में)	कार्य निरस्त होने के कारण
बैतूल	एस.सी. नीमपानी	1	2015-16	34.00	10.04.2015	6	10.45	फोर लेन पर गलत निर्माण स्थल चयन करने का कारण
मंडला	पी.एच.सी. अंजनी में चारदीवारी एवं लेबर रूम का निर्माण	1	2012-13	7.10	-	-	0.00	कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई
	खैरी में लॉण्ड्री का निर्माण	1	2013-14	39.56	01.07.2014	प्रदाय नहीं किया गया	13.60	लॉण्ड्री का स्थल हाईवे पर होने के कारण
रतलाम	एस.सी. मुंडलाकला का प्री फैब्रिकेटेड तकनीकी से निर्माण	1	2012	16.88	प्रदाय नहीं किया गया	3	0.00	कारण नहीं प्रदाय किया गया
	योग	4		97.54			24.05	

(स्रोत: नमूना परीक्षित जिले)

परिशिष्ट- 2.1.13

(संदर्भ: कंडिका-2.1.11.1, पृष्ठ 33)

राज्य स्तर पर प्रारंभ नहीं किए गए निर्माण कार्यों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

संक्र.	जिले	कार्य का नाम	निर्माण एजेंसी	प्रशासकीय अनुमोदन का वर्ष	अनुबंध संख्या तथा दिनांक	अनुबंध के अनुसार निर्माण अवधि	प्रशासकीय स्वीकृति के अनुसार राशि (₹ लाख में)	कार्य प्रारंभ न होने के कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आगर	जतारा / सुसनेर सी.एच.सी. का उन्नयन	एस.एच.एस.	2015	438 दिनांक 29-03-2016	उपलब्ध नहीं	40.00	निर्माण स्थल में परिवर्तन
2	बुरहानपुर	एस.सी. मंडवा का उन्नयन	एस.एच.एस.	2015	336 दिनांक 10-04-2015	उपलब्ध नहीं	17.00	एस.सी. के पास शासकीय स्कूल होने के कारण कलेक्टर द्वारा रोका गया
3	दतिया	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केंद्र हेतु प्रशिक्षण एवं आवासीय भवन का निर्माण	एस.एच.एस.	2015	-	24 माह	535.00	पुनर्निविदा, कार्यादेश दिनांक 02.05.2016
4	देवास	एस.सी. (पिपलिया सड़क) का उन्नयन	एस.एच.एस.	2015	सं. 370 दिनांक 13-04-2015	उपलब्ध नहीं	17.00	राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई बढ़ने के कारण कार्य शुरू नहीं किया गया
5	धार	टांडा में 30 बिस्तरीय सी.एच.सी. भवन, 1 जी तथा 1 एच टाइप क्वार्टर, चारदीवारी, ट्यूबवेल इत्यादि का निर्माण	एस.एच.एस.	2013	119/05-06-2013	18 माह	260.00	संकल्पना योजना अनुमोदन की प्रक्रिया प्रगति पर
6	जबलपुर	एस.सी. (अगरिया) का उन्नयन	एस.एच.एस.	2015	50/27-03-2015	उपलब्ध नहीं	17.00	भूमि उपलब्ध नहीं
7	झाबुआ	सी.एच.सी. (थांदला) का उन्नयन	एस.एच.एस.	2015	473/08-05-2015	उपलब्ध नहीं	40.00	100 बिस्तरीय अस्पताल का निर्माण होने के कारण सी.एच.सी. का उन्नयन रोक दिया गया
8	मंडला	आवासीय हॉस्टल भवन का निर्माण	एस.एच.एस.	2013	140/11-02-2014	15 महीने	250.00	कारण नहीं बताया गया

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	मुरैना	सबलगढ़ में 30 बिस्तरीय सी.एच.सी. भवन के साथ 1 जी तथा 1 एच टाईप क्वार्टर, चारदीवारी, ट्यूबवेल इत्यादि का निर्माण	एस.एच.एस.	2013	908/04-05-2013	18 महीने	260.00	50 बिस्तरीय सी.एच.सी. का पुनर्निविदा, कार्यादेश दिनांक 13.04.2016
10	नरसिंहपुर	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केंद्र का प्रशिक्षण एवं आवसीय भवन का निर्माण	एस.एच.एस.	2013	25-10-2014	24 महीने	535.00	स्थल चयन में विलंब के कारण
		जिला अस्पताल में 100 बिस्तरीय एम.सी.एच. भवन निर्माण	पी.आई.यू.	2015	10-02-2016	उपलब्ध नहीं	1065.15	कारण नहीं बताया गया है
11	रतलाम	सी.एच.सी. पिपलौदा का उन्नयन	एस.एच.एस.	2015	434/ 29-03-2016	उपलब्ध नहीं	40.00	भवन का नक्शा का पास नहीं
12	सागर	एस.सी. का उन्नयन	एस.एच.एस.	2015	380/13-04-2015	उपलब्ध नहीं	17.00	स्थल बदल दिया गया है
13	उज्जैन	सी.एच.सी. का उन्नयन	एस.एच.एस.	2015	442/29-03-2016	उपलब्ध नहीं	40.00	स्थल बदल दिया गया है
14	सीधी	100 बिस्तरीय एम.सी.एच. भवन का निर्माण	पी.आई.यू.	2016	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	1436.36	निविदा कार्य प्रगति पर है
15	जबलपुर	शिशु शल्य इकाई का निर्माण/उन्नयन	पी.आई.यू.	2016	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	123.19	निविदा कार्य प्रगति पर है
		योग					4692.70	

(स्रोत: राज्य स्वास्थ्य समिति)

परिशिष्ट-2.1.14

(संदर्भ: कंडिका- 2.1.11.1, पृष्ठ 33)

नमूना परीक्षित जिले में प्रारंभ नहीं किए गए निर्माण कार्यों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

जिले	निर्माण कार्य का नाम	निर्माण एजेंसी	कार्यों की संख्या	प्रशासकीय अनुमोदन का वर्ष (प्र.स्वी.)	प्र.स्वी. के अनुसार लागत (₹ लाख में)	कार्यादेश संख्या तथा दिनांक	अनुबंध के अनुसार पूर्ण करने की अवधि	पूर्ण होने की संभावित तिथि	कार्य प्रारंभ न होने के कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बैतूल	पी.एच.सी. देसली	डी.एच.एस.	1	2014-15	19.22	4.8.2014	16 माह	1.2.2016	कारण नहीं बताया गया
	पी.एच.सी. चिलौरी	डी.एच.एस.	1	2014-15	19.22	4.8.2014	16 माह	1.2.2016	कारण नहीं बताया गया
धार	सी.एच.सी. कुक्षी का 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन	डी.एच.एस.	1	2015-16	696.45	691/ 29.2.2016	20 माह	29.11.2017	पुराने आदिवासी हॉस्टल को गिराने की प्रक्रिया प्रगति पर
	पी.एच.सी. बगड़ी का उन्नयन	डी.एच.एस.	1	2013-14	33.00	उपलब्ध नहीं	16 माह	-	कारण नहीं बताया गया
डिंडोरी	एस.सी. धीरवाकंला का निर्माण	डी.एच.एस.	1	9.9.2015	24.00	9.9.2015	6 माह	9.3.2016	भूमि उपलब्ध नहीं
खरगौन	जिला अस्पताल खरगौन में ओ.पी.डी. का निर्माण	लो.नि.वि.	1	9.9.2013	24.93	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	कारण नहीं बताया गया
मंडला	ए.एन.एम. प्रशिक्षण केंद्र का हॉस्टल तथा क्वार्टर का निर्माण	डी.एच.एस.	1	2013-14	250.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	जिला अस्पताल से पांच कि.मी. से अधिक दूरी होने के कारण
पन्ना	3 एस.सी.-बरोह, कटारा, जंवार का निर्माण	डी.एच.एस.	3	302 तथा 304/2014-15	63.00	उपलब्ध नहीं	16 माह	उपलब्ध नहीं	भूमि समस्या
रतलाम	एस.सी. पिरहिंगोरिया	डी.एच.एस.	1	2012-13	12.00	16.5.2012	6 माह	0	ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं शुरू किया गया
टीकमगढ़	एस.सी. पहाड़िटिलवारन, ममोन, देवहारा, गिडखिनी, बिनवारा का निर्माण	डी.एच.एस.	5	2014-15	100.00	23/ 15.9.2014 तथा 22/ 11.9.2014	16 महीने	11.1.2016	भूमि उपलब्ध नहीं
	योग		16		1241.82				

(स्रोत: नमूना परीक्षित जिले)

परिशिष्ट-2.1.15

(संदर्भ: कंडिका- 2.1.11.1, पृष्ठ 33)

चयनित जिलों में अपूर्ण निर्माण कार्यों का सार

स. क्र.	कार्य का नाम	जिले का नाम	कार्यों की संख्या	प्रशासकीय स्वीकृति	कार्य की लागत (₹ लाख में)	कुल व्यय (₹ लाख में)	पूर्ण होने की तिथि से विलंब
1	डी.एच. एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण / उन्नयन कार्य	बैतूल, धार, खरगौन, मंडला, नीमच, रतलाम, टीकमगढ़	17	2012-15	4376.37	1716.47	6 - 28 माह
2	सी.एच.सी. का निर्माण / उन्नयन कार्य	बैतूल, धार, डिंडोरी, खरगौन, पन्ना, टीकमगढ़	13	2002-15	1030.03	373.66	2-110 माह
3	पी.एच.सी. का निर्माण / उन्नयन कार्य	बैतूल, धार, मंडला, नीमच, पन्ना, टीकमगढ़	23	2011-15	968.38	182.92	7-35 माह
4	एस.एच.सी. का निर्माण / उन्नयन	धार, डिंडोरी, मंडला, नीमच, पन्ना, टीकमगढ़	125	2012-15	2490.90	267.89	2-42 माह
	योग		178		8865.68	2540.94	

(स्रोत: नमूना परीक्षित जिले)

परिशिष्ट- 2.1.16

(संदर्भ:- कंडिका 2.1.11.1, पृष्ठ 33)

नमूना परीक्षित जिलों में पूर्ण किए किंतु अधिगृहित नहीं किए गए कार्यों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

जिला	निर्माण कार्य का नाम	कार्यों की कुल संख्या	प्रशासकीय अनुमोदन (ए.ए.) का वर्ष	ए.ए. के अनुसार लागत (₹ लाख में)	कार्यादेश संख्या एवं दिनांक	पूर्णता दिनांक	कुल किए गए व्यय (₹ लाख में)	अधिग्रहण न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
खंडवा	पांच पी.एच.सी. का उन्नयन— पुनासा, गुड़ी, रोशनी, जावर तथा खार	05	2014-15	165.00	04.03.14	03.07.15	124.00	सौंपने की प्रक्रिया प्रगतिरत है
	11 एस.सी. का उन्नयन— सलाई, गोलखेड़ा, अहमदपुर, कालमुखी, गोलाईमाल, पामाखेड़ी, कोलगाव, खेड़ी, पाडल्या, बोलीसराई तथा नर्वदानगर	11	2014-15	154.00	4.3.2014	3.7.2015	152.00	सौंपने की प्रक्रिया प्रगतिरत है
	एस.सी. भगवानपुरा का उन्नयन	01	उपलब्ध नहीं	17.00	15.01.2015	15.07.2015	17.00	सौंपने की प्रक्रिया प्रगतिरत है
	एस.सी. जसवाड़ी का उन्नयन	01	उपलब्ध नहीं	17.00	12.11.2014	उपलब्ध नहीं	14.00	सौंपने की प्रक्रिया प्रगतिरत है
	सी.एच.सी. खालवा में एन.बी.सी.यू. का निर्माण	01	2014-15	2.50	30.3.2015	20.04.2015	2.50	सौंपने की प्रक्रिया प्रगतिरत है
	सी.एच.सी. पंधाना में एन.बी.सी.यू. का निर्माण	01	2014-15	2.50	30.3.2015	20.04.2015	2.50	सौंपने की प्रक्रिया प्रगतिरत है

जिला	निर्माण कार्य का नाम	कार्यों की कुल संख्या	प्रशासकीय अनुमोदन (ए.ए.) का वर्ष	ए.ए. के अनुसार लागत (₹ लाख में)	कार्यादेश संख्या एवं दिनांक	पूर्णता दिनांक	कुल किए गए व्यय (₹ लाख में)	अधिग्रहण न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	जिला अस्पताल में डायलिसिस इकाई का निर्माण	01	2015-16	7.00	15.1.2016	26.1.2016	3.50	सौंपने की प्रक्रिया प्रगतिरत है
मंडला	जन्म प्रतीक्षालय का निर्माण	01	2013-14	3.00	3.3.2014	उपलब्ध नहीं	3.00	कारण प्रदायित नहीं
	डी.एच. में कैंटीन का निर्माण	01	2013-14	30.00	31.7.2014	उपलब्ध नहीं	7.06	कारण प्रदायित नहीं
	सी.एच.सी. में एन.बी.सी.यू. का निर्माण / उन्नयन कार्य	01	2014-15	22.00	30.6.2015	उपलब्ध नहीं	10.88	कारण प्रदायित नहीं
ठीकमगढ़	तीन पी.एच.सी. का उन्नयन—लिथोरा, बमोरीकला, तारीचारकला	03	2013	97.60	40/27.1.2014	14 माह	प्रदायित नहीं	कारण प्रदायित नहीं
	छह एस.सी. का निर्माण— सरकनपुर, शाहपुरा, गोवा, विजोथा, गोरा, सिमरामाता	06	2014	120.00	13/13.6.2014 तथा 22/11.9.2014	16 माह	प्रदायित नहीं	कारण प्रदायित नहीं
	योग	33		637.60			336.44	

परिशिष्ट-2.1.17

(संदर्भ : कंडिका- 2.1.11.6, पृष्ठ 39)

नमूना परीक्षित 13 जिला अस्पतालों की अधोसंरचना एवं प्रदत्त सुविधा की स्थिति

अधोसंरचना / सुविधा	उपलब्धता की स्थिति	जिला अस्पताल का नाम जहाँ अधोसंरचना / सुविधा उपलब्ध / पर्याप्त नहीं थी
निर्माण की स्थिति	पूर्ण-8 प्रगतिरत-5	प्रगतिरत- 5 डी.एच. : अनूपपुर, मंडला, पन्ना, रायसेन तथा रतलाम
चारदीवारी	चारदीवारी-8 आंशिक-5	आंशिक-5 डी.एच. : अनूपपुर, डिंडोरी, नीमच, रायसेन तथा राजगढ़
आसपास कचरा संग्रहण, गौशाला, जल-भराव	हां-5, नहीं-8	हां-5 डी.एच. : अनूपपुर, डिंडोरी, खरगौन, पन्ना, रतलाम
रोगी के अधिकार एवं उत्तरदायित्व सहित सिटीजन चार्टर स्थानीय भाषा में प्रवेश द्वारा तथा ओ.पी.डी. में प्रदर्शित था	हां-12, नहीं-1	नहीं-1 डी.एच. : खरगौन
दिव्यांग एवं बुजुर्ग लोगों के लिए आसान पहुंच हेतु अवरोध रहित (जैसे— रैम्प, हैंड रैलिंग इत्यादि) पहुंच थी।	हां-11, नहीं-2	नहीं-2 डी.एच. : नीमच तथा राजगढ़
प्रसव पूर्व जांच वार्ड उपलब्ध	उपलब्ध एवं उपयोग में-12, उपलब्ध पर उपयोग में नहीं-1	नहीं-1 डी.एच. : टीकमगढ़
पुरुष एवं महिला के लिए पृथक वार्ड।	हां-12, नहीं-1	नहीं- 1 डी.एच. : नीमच
आपरेशन थियेटर में प्री ऑपरेटिव रुम, पोस्ट ऑपरेटिव रुम चैंजिंग रुम था	हां-9, नहीं-4	नहीं-4 डी.एच. : धार, नीमच, राजगढ़, टीकमगढ़
आयुष इकाई	हां-9, नहीं-4	नहीं-4 डी.एच. : डिंडोरी, खरगौन, पन्ना एवं रायसेन
नवजात शिशु कक्ष	उपलब्ध एवं उपयोग में-11, उपलब्ध पर उपयोग में नहीं-1, उपलब्ध नहीं-1	उपलब्ध पर उपयोग में नहीं-1 डी.एच. : रायसेन, उपलब्ध नहीं-1 डी.एच. : टीकमगढ़
2 डी इको	उपलब्ध एवं उपयोग में-0, उपलब्ध पर उपयोग में नहीं-4, उपलब्ध नहीं-9	उपलब्ध पर उपयोग में नहीं-4 डी.एच. : धार, खरगौन, रतलाम, एवं टीकमगढ़, उपलब्ध नहीं-9 डी.एच. : अनूपपुर, बैतूल, डिंडोरी, खंडवा, मंडला, नीमच, पन्ना, रायसेन तथा राजगढ़।
अल्ट्रासाउण्ड सुविधा	उपलब्ध एवं उपयोग में-12, उपलब्ध पर उपयोग में नहीं-1, उपलब्ध नहीं-0	उपलब्ध पर उपयोग में नहीं-1 डी.एच. : डिंडोरी

परिशिष्ट -2.1.18

(संदर्भ : कंडिका- 2.1.16, पृष्ठ 47)

नमूना परीक्षित जिले में मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थिति को दर्शाने वाला पत्रक

संक्र.	जिले का नाम	जांच किए गए एम. एम.यू. की संख्या	वाहन का पंजीयन संख्या	उपकरण (43) उपलब्ध	फर्मीचर (12) उपलब्ध	झग (65) उपलब्ध	कुष्ट निरोधी झग (03) उपलब्ध	एंटी प्रोटोजल (02) उपलब्ध	हारमोस एवं अन्य इंडोक्राइन झग (02) उपलब्ध	टीकाकरण वैक्सीन (06) उपलब्ध	विटामिन-ए (1) उपलब्ध	लैब सुविधा (03) मलेरिया / टी.बी. / ब्लड एवं यूरिन
1	बैतूल	1	MP04-DB-0826	33	10	52	0	2	2	0	1	0
		2	MP48-DO-0595	31	8	54	0	2	2	0	1	3
2	खंडवा	3	MP02-AV-4421	26	8	34	3	2	2	6	1	3
3	रतलाम	4	MP02-AV-4917	38	6	41	2	2	2	1	1	3

(स्रोत: नमूना परीक्षित जिले)

परिशिष्ट 2.2.1

(संदर्भ:- कंडिका-2.2.7.2, पृष्ठ 67)

एम.पी.एफ. योजना के घटकों में राज्य और अन्य केन्द्रीय योजनाओं का योगदान दर्शाने वाला पत्रक
(₹ करोड़ में)

स.क्र.	एम.पी.एफ.का घटक	राज्य योजना/ उद्देश्य शीर्ष	योजना/ आयोजनेत्तर	आवंटन	व्यय	उपयोगिता का प्रतिशत
राज्य योजनाएं						
1.	प्रशिक्षण	पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन	योजना	233.86	179.55	77
		प्रशिक्षण	आयोजनेत्तर	17.75	12.67	71
2.	आवास	आवास और भवनों का निर्माण	योजना	155.60	152.60	98
3.	फॉरेंसिक विज्ञान	फॉरेंसिक विज्ञान	योजना	14.40	5.90	41
4.	वाहन	वाहनों का क्रय/प्रतिरक्षापन	आयोजनेत्तर	123.79	76.95	62
5.	शस्त्र	शस्त्र और गोलाबारूद	आयोजनेत्तर	60.18	58.58	97
6.	उपकरण	उपकरण	आयोजनेत्तर	362.87	199.96	55
कुल राज्य योजनाएं				968.45	686.20	71
केन्द्रीय योजनाएं						
1.	भवन	किलाबन्द पुलिस थाना	योजना	24.00	19.19	80
2.	भवन/आवास	विशेष अद्योसंरचना योजनाएं	योजना	7.48	7.09	95
कुल केन्द्रीय योजनाएं				31.48	26.28	83
महायोग				999.93	712.48	71

(स्रोत: अ.पु.म. योजना द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

परिशिष्ट 2.2.2

(संदर्भ: कंडिका-2.2.7.2, पृष्ठ 68)

मध्य प्रदेश शासन द्वारा ए.ए.पी. के प्रस्तुतीकरण और बिलम्ब की स्थिति

स. क्र.	ए.ए.पी. वर्ष	भारत सरकार को ए.ए.पी. प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि	पुलिस मुख्यालय द्वारा ए.ए.पी. प्रस्तुत करने की तिथि	एस.एल.ई.सी. की बैठक तिथि	भारत सरकार को प्रस्तुत करने की तिथि	ए.ए.पी. को प्रेषित करने में बिलम्ब	भारत सरकार द्वारा ए.ए.पी. के अनुमोदन की तिथि
1.	2011–12	27–12–2010	27–01–2011	26–02–2011	21–03–2011	83 दिन	04–01–2012
2.	2012–13	15–04–2012	28–04–2012	31–05–2012	10–07–2012	85 दिन	08–03–2013
3.	2013–14	15–04–2013	14–05–2013	04–06–2013	13–06–2013	58 दिन	26–08–2013
4.	2014–15	31–03–2014	31–05–2014	26–06–2014	11–07–2014	102 दिन	26–08–2014
5.	2015–16	31–03–2015	13–04–2015	22–05–2015	25–05–2015	55 दिन	02–07–2015

(स्रोत: नोडल अधिकारी)

परिशिष्ट 2.2.3
(संदर्भ: कंडिका—2.2.8.2, पृष्ठ 70)

गृह मंत्रालय और मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत और विमुक्त राशि की स्थिति को दर्शाने वाला प्रपत्र

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	ए.ए.पी. वर्ष	ए.ए.पी में प्रस्तावित राशि	अनुमोदित ए.ए.पी.			विमुक्त केन्द्रांश			मध्य प्रदेश शासन द्वारा विमुक्त किये जाने योग्य अंश	मध्य प्रदेश शासन द्वारा विमुक्त			विमुक्ति में मध्य प्रदेश शासन द्वारा लिया गया समय (माह में)	
			केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	किसको	दिनांक	राशि		केन्द्र	विमुक्ति दिनांक	कुल विमुक्त*	शुद्ध राज्यांश	
1.	2011–12	62.96	45.12	15.04	60.16	म.प्र.शासन	04 दिसम्बर 2011	16.00	16.61	30 मार्च 2012	18.04	2.04	4 माह	
						एमपीपीएचसी	04 जनवरी 2012	19.39		30 मार्च 2012	6.48	6.48		
						ओएफबी	18 जनवरी 2012	1.54	12.31	30 मार्च 2012	3.79	3.79		
						म.प्र.शासन	29 दिसम्बर 2011	0.61		30 मार्च 2012	0.61	00		
						वर्ष योग		37.54	28.92		28.92	12.31		
2.	2012–13	144.71	75.30	50.25	125.55	ओएफबी	27 फरवरी 2013	1.52	12.26	26 मार्च 2013	3.53	3.53	1 माह	
						म.प्र.शासन	27 फरवरी 2013	12.26	9.19	26 मार्च 2013	17.92	5.66		
						वर्ष योग		13.78	21.45		21.45	9.19		
3.	2013–14	129.73	77.84	51.89	129.73	ओएफबी	13 फरवरी 2014	4.60	50.37	13 मार्च 2014	2.12	2.12	27 माह तक	
						म.प्र.शासन	24 सितम्बर 2013	50.37		26 दिसम्बर 2015	76.51	26.14		
						एमपीपीएचसी	28 फरवरी 2014	6.40	40.91	29 मार्च 2014	10.00	10.00		
						वर्ष योग		61.37	91.28		88.63	38.26		
4.	2014–15	110.79	66.45	44.34	110.79	म.प्र.शासन	01 सितम्बर 2014	41.32	54.43	23 अक्टूबर 2015	41.32	00	13 माह तक	
						ओएफबी	29 अगस्त 2014	2.17		12 जनवरी 2015	1.45	1.45		
						म.प्र.शासन	09 जनवरी 2015	13.11	38.38	06 अगस्त 2015	21.11	8.00		
						ओएफबी	30 मार्च 2015	0.97		06 अगस्त 2015	1.70	1.70		
						वर्ष योग		57.57	92.81		65.58	11.15		
5.	2015–16	41.90	25.14	16.76	41.90	म.प्र.शासन	03 दिसम्बर 2015	18.42	23.42	विमुक्त नहीं			7 माह मार्च 2016 की रिथिति में	
						ओएफबी	12 अगस्त 2015	2.03						
						ओएफबी	30 मार्च 2016	1.35	17.87					
						म.प्र.शासन	27 जनवरी 2016	5.00						
						वर्ष योग		26.80	41.29		0.00	0.00		
महायोग		490.09	289.85	178.28	468.13			197.06	275.75		204.58	70.91		

* 25 / 40 प्रतिशत राज्यांश, भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश शासन को जारी की गई केन्द्रांश के साथ (ओ.एफ.बी. और म.प्र.पु.हा.का. को जारी केन्द्रांश को छोड़कर)

परिशिष्ट 2.2.4
(संदर्भ: कंडिका-2.2.11.3, पृष्ठ 79)

जिलों में औसत प्रतिक्रिया समय की स्थिति (मिनट में)

सं. क्र.	जिला	2011–12			2012–13			2013–14			2014–15			2015–16		
		शहरी	अद्वृ शहरी	ग्रामीण	शहरी	अद्वृ शहरी	ग्रामीण	शहरी	अद्वृ शहरी	ग्रामीण	शहरी	अद्वृ शहरी	ग्रामीण	शहरी	अद्वृ शहरी	ग्रामीण
1.	जबलपुर	9.5	—	31.5	9.5	—	31.5	8.5	—	26	8.5	—	26	7.5	—	23
2.	भोपाल	12	15	30	12	15	30	12	15	30	12	15	30	—	—	—
3.	पन्ना	25	30	35	25	30	35	25	30	35	25	30	35	25	30	35
4.	खरगोन	12.5	22.5	42.5	12.5	20	40	12.5	17.5	32.5	11	12.5	35	10	12.5	32.5
5.	ग्वालियर	उपलब्ध नहीं करायी गई			9.2	—	22.8	14.6	—	18.7	13	—	19	12	—	14.5
6.	डिंडोरी	निगरानी नहीं की गई											5	5	30	
7.	रीवा	निगरानी नहीं की गई														
8.	बालाघाट	उपलब्ध नहीं करायी गई					5	—	17	9	—	28	5.1	—	34	
9.	इन्दौर	उपलब्ध नहीं करायी गई								5.1	—	15.4	5.2	—	10.6	
10.	सागर	36	—	48	35	—	46	36	—	44	18	—	38	28	—	35
11.	छतरपुर	10	28	40	9	26	42	10	29	38	9	30	39	8	27	35
12.	बैतूल	निगरानी नहीं की गई														
13..	छिन्दवाड़ा	निगरानी नहीं की गई														

(स्पेतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट 2.2.5

(संदर्भ: कंडिका-2.2.13.1, पृष्ठ 82)

एफ.एस.एल. में प्राप्त, निराकृत एवं लम्बित प्रकरणों को दर्शाने वाला प्रपत्र

सं. क्र.	वर्ष	इकाई	प्रारम्भिक शेष	प्राप्त प्रकरण	कुल प्रकरण	निराकृत प्रकरण	अंतर्शेष
1.	2011–12	एस.एफ.एस.एल.	4032	10881	14913	12686	2227
		आर.एफ.एस.एल.	9214	8354	17568	13970	3598
	योग		13246	19235	32481	26656	5825
2.	2012–13	एस.एफ.एस.एल.	2227	11643	13870	11420	2450
		आर.एफ.एस.एल.	3598	9337	12935	12300	635
	योग		5825	20980	26805	23720	3085
3.	2013–14	एस.एफ.एस.एल.	2450	11022	13472	11800	1672
		आर.एफ.एस.एल.	635	11424	12059	11240	819
	योग		3085	22446	25531	23040	2491
4.	2014–15	एस.एफ.एस.एल.	1672	11451	13123	10884	2239
		आर.एफ.एस.एल.	819	11337	12156	9964	2192
	योग		2491	22788	25279	20848	4431
5.	2015–16	एस.एफ.एस.एल.	2239	12190	14429	11470	2959
		आर.एफ.एस.एल.	2192	11965	14157	12310	1847
	योग		4431	24155	28586	23780	4806

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट 2.3.1

(संदर्भ: कंडिका 2.3.6, पृष्ठ 98)

आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु बजट आवंटन और व्यय दर्शाने वाला पत्रक
13वें वित्त आयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक बजट	अनुपूरक बजट	पुर्नविनियोजन / समर्पण	कुल उपलब्ध बजट	व्यय	बचत
2011–12	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2012–13	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
2013–14	100.00	100.00	0.00	200.00	100.00	100.00
2014–15	135.25	64.75	0.00	200.00	80.44	119.56
2015–16	0.00	83.16	−2.00	81.16	47.64	33.52
योग	435.25	247.91	−2.00	681.16	328.08	353.08

राज्य आयोजना

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक बजट	अनुपूरक बजट	पुर्नविनियोजन / समर्पण	कुल उपलब्ध बजट	व्यय	बचत
2011–12	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
2012–13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013–14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014–15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015–16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00

नाबाड़

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक बजट	अनुपूरक बजट	पुर्नविनियोजन / समर्पण	कुल उपलब्ध बजट	व्यय	बचत
2011–12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012–13	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00
2013–14	1.00	3.00	0.00	4.00	1.79	2.21
2014–15	50.00	0.00	0.00	50.00	7.00	43.00
2015–16	11.00	0.00	0.00	11.00	9.37	1.63
योग	62.00	53.00	0.00	115.00	18.16	96.84

अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक बजट	अनुपूरक बजट	पुर्णविनियोजन/समर्पण	कुल उपलब्ध बजट	व्यय	बचत
2011–12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012–13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013–14	7.38	0.00	−4.13	3.25	2.38	0.87
2014–15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015–16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	7.38	0.00	−4.13	3.25	2.38	0.87

विभिन्न योजनान्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु बजट आवंटन और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक बजट	अनुपूरक बजट	पुर्णविनियोजन/समर्पण	कुल उपलब्ध बजट	व्यय	बचत
2011–12	100.01	0	0	100.01	100.01	0
2012–13	100.00	50.00	0	150.00	0	150.00
2013–14	108.38	103.00	(−) 4.13	207.25	104.17	103.08
2014–15	185.25	64.75	0	250.00	87.44	162.56
2015–16	11.00	83.16	(−) 2.00	92.16	57.01	35.15
योग	504.64	300.91	(−) 6.13	799.42	348.63	450.79

(लोत: संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े)

परिशिष्ट 2.3.2

(संदर्भ: कंडिका 2.3.7.2, पृष्ठ 103)

जिला स्तर पर दर्ज और लाभान्वित हितग्राहियों को दर्शाने वाला पत्रक

संक्र.	जिले का नाम	वर्ष	छ: माह से तीन वर्ष आयु समूह के बच्चे			तीन वर्ष से छ: वर्ष आयु समूह के बच्चे			गर्भवती एवं धात्री मातायें		
			दर्ज हितग्राही	लाभान्वित हितग्राही	कमी (प्रतिशत)	दर्ज हितग्राही	लाभान्वित हितग्राही	कमी (प्रतिशत)	दर्ज हितग्राही	लाभान्वित हितग्राही	कमी (प्रतिशत)
1	अलीराजपुर	2011–16	334405	315295	19110(5.71%)	379981	321045	58936(15.51%)	128810	114824	13986(10.86%)
2	बालाघाट	2011–16	363309	354045	9264(2.55%)	375858	306710	69148(18.40%)	151686	147401	4285(2.82%)
3	भोपाल	2011–16	443666	354793	88873(20.03%)	493419	259414	234005(47.43%)	188605	160984	27621(14.64%)
4	छिन्दवाड़ा	2011–16	475760	437161	38599(8.11%)	486286	389027	97259(20%)	191058	180876	10182(5.33%)
5	धार	2011–16	635571	600218	35353(5.56%)	691734	570130	121604(17.58%)	266365	248696	17669(6.63%)
6	इंदौर	2011–16	487552	342212	145340(29.81%)	564651	304838	259813(46.01%)	207441	159800	47641(22.97%)
7	खंडवा	2011–16	362796	341768	21028(5.80%)	408278	304181	104097(25.50%)	143366	137882	5484(3.83%)
8	खरगौन	2011–16	514660	430890	83770(16.28%)	596502	358309	238193(39.93%)	208793	176408	32385(15.51%)
9	पन्ना	2011–16	306249	235156	71093(23.21%)	335684	202670	133014(39.62%)	137222	103549	33673(24.54%)
10	राजगढ़	2011–16	588826	339491	249335(42.34%)	436398	312993	123405(28.28%)	178894	155549	23345(13.05%)
11	रतलाम	2011–16	451474	323667	127807(28.31%)	428173	314849	113324(26.47%)	148869	131352	17517(11.77%)
12	सतना	2011–16	643195	580606	62589(9.73%)	639708	526438	113270(17.71%)	274078	240730	33348(12.71%)
13	सिवनी	2011–16	304082	291950	12132(3.99%)	343466	269162	74304(21.63%)	125841	123688	2153(1.71%)
14	विदिशा	2011–16	366496	356544	9952(2.72%)	431085	422270	8815(2.04%)	137895	135466	2429(1.76%)
	योग		6278041	5303796	974245(15.52%)	6611223	4862036	1749187(26.46%)	2488923	2217205	271718(10.92%)

(स्रोत: जिला कार्यालयों द्वारा प्रदाय आंकड़े)

परिशिष्ट 2.3.3

(संदर्भ: कंडिका 2.3.7.2, पृष्ठ 103)

परियोजना स्तर पर दर्ज और लाभान्वित हितग्राहियों को दर्शाने वाला पत्रक

संक्र.	ज़िले का नाम	परियोजना का नाम	वर्ष	छ: माह से तीन वर्ष आयु समूह के बच्चे			तीन वर्ष से छ: वर्ष आयु समूह के बच्चे			गर्भवती एवं धात्री मातायें		
				दर्ज हितग्राही	लाभान्वित हितग्राही	कमी	दर्ज हितग्राही	लाभान्वित हितग्राही	कमी	दर्ज हितग्राही	लाभान्वित हितग्राही	कमी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	अलीराजपुर	सोडवा	2011–16	85316	76491	8825	88629	75753	12876	29996	27325	2671
2		कटठीवाड़ा	2011–16	53387	43070	10317	62788	40111	22677	17319	15122	2197
3		जोबट	2011–16	51813	43899	7914	58898	45700	13198	21393	16222	5171
4	बालाघाट	परसवाडा	2011–16	31230	31230	0	25460	25460	0	9656	9656	0
5		बिरसा	2011–16	40222	37139	3083	41917	38840	3077	16206	15504	702
6		बालाघाट ग्रामीण	2011–16	40421	38872	1549	40329	28569	11760	16779	16958	−179
7	भोपाल	बेरसिया 1	2011–16	50871	46027	4844	49977	44977	5000	17666	15928	1738
8		गोविन्दपुरा	2011–16	49072	36981	12091	50811	24251	26560	21386	17537	3849
9		फंदा	2011–16	35100	31098	4002	36830	25842	10988	14249	12738	1511
10	छिन्दवाडा	ग्रामीण	2011–16	39276	37827	1449	38518	27172	11346	15315	15129	186
11		पांडुर्णा	2011–16	37389	37246	143	38767	38394	373	14702	14542	160
12		जामई 2	2011–16	27898	24415	3483	24244	21145	3099	9500	8341	1159
13	धार	बदनावर	2011–16	34823	32304	2519	38658	27822	10836	15728	14630	1098
14		नालछा	2011–16	77371	69100	8271	79474	61965	17509	30960	28304	2656
15		सरदारपुर 1	2011–16	41012	40218	794	46009	45084	925	16710	15882	828
16	इंदौर	इंदौर ग्रामीण 1	2011–16	44342	32309	12033	42396	18747	23649	16502	13997	2505
17		इंदौर शहरी 2	2011–16	32759	19793	12966	34461	24353	10108	13181	9771	3410
18		इंदौर शहरी 7	2011–16	23119	16620	6499	26045	19771	6274	9839	8138	1701
19	खंडवा	खंडवा ग्रामीण	2011–16	35170	34140	1030	40707	34863	5844	14862	14662	200
20		पंधाना	2011–16	74760	73305	1455	80838	57715	23123	28854	28594	260
21		बलडी	2011–16	14883	14441	442	16114	14897	1217	5719	5626	93
22	खरगौन	सेगांव	2011–16	30709	27469	3240	33299	25446	7853	10472	10177	295
23		सनावद	2011–16	46973	40771	6202	48368	27369	20999	18203	15873	2330

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
24		भीकनगांव	2011–16	54395	47287	7108	60600	38818	21782	21257	19452	1805
25	पन्ना	अजयगढ़	2011–16	28117	26348	1769	26634	22125	4509	11605	11093	512
26		गुन्नौर	2011–16	57264	42860	14404	66657	42509	24148	22304	15824	6480
27		शाहनगर	2011–16	48340	44668	3672	51080	47765	3315	23282	21639	1643
28	राजगढ़	सारंगपुर	2011–16	49447	42825	6622	59772	33752	26020	20384	17239	3145
29		जीरापुर	2011–16	48617	44406	4211	47885	39280	8605	27519	23619	3900
30		सुथालिया	2011–16	24717	16690	8027	25329	13970	11359	13310	9010	4300
31	रतलाम	जावरा शहरी	2011–16	15557	10563	4994	17969	11392	6577	6106	4798	1308
32		रतलाम शहरी 2	2011–16	24087	17700	6387	28801	20606	8195	8482	7923	559
33		आलोट	2011–16	62497	38289	24208	64054	40451	23603	26539	20394	6145
34	सतना	नागौद 2	2011–16	23389	22289	1100	24020	18797	5223	10349	10065	284
35		मैहर 1	2011–16	59982	50479	9503	56376	41526	14850	26804	21650	5154
36		सतना शहरी	2011–16	35843	31275	4568	36889	31551	5338	15610	13196	2414
37	सिवनी	ग्रामीण 02	2011–16	29427	23495	5932	32237	20153	12084	11017	10286	731
38		घंसोर	2011–16	32718	31597	1121	35966	32206	3760	14873	13026	1847
39		धनौरा	2011–16	18702	17669	1033	22430	18228	4202	7991	7787	204
40	विदिशा	लटेरी	2011–16	33399	33399	0	27255	25215	2040	8996	8996	0
41		विदिशा शहरी	2011–16	37816	37816	0	41428	41428	0	11455	11455	0
42		ग्यारसपुर	2011–16	36834	34751	2083	37898	36352	1546	14941	14941	0
		योग		1719064	1499171	219893 (12.79%)	1806817	1370370	436447 (24.16%)	688021	613049	74972 (10.90%)

(खोल: परियोजना कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े)

परिशिष्ट 2.3.4

(संदर्भ: कंडिका 2.3.9.1, पृष्ठ 106)

आंगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण व्यवधान का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

संक्र.	जिले का नाम	परियोजना का नाम	वर्ष	आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	स्व-सहायता समूह की संख्या	हितग्राहियों की संख्या	व्यवधान की सीमा दिवस में
1	भोपाल	फंदा	2011–12	11	9	1073	30
			2012–13	6	4	737	60
			2013–14	10	9	892	90
2	छिन्दवाड़ा	ग्रामीण	2015–16	29	15	431	60
		पांडुर्णा	2011–12	1	1	45	31
			2012–13	2	2	81	31
			2013–14	2	2	108	31
			2014–15	4	4	200	30
			2015–16	1	1	40	30
3	धार	बदनावर	2011–12	88	40	1571	120
			2012–13	43	43	879	90
			2013–14	38	37	730	30
			2014–15	29	29	545	90
			2015–16	144	37	2847	60
		सरदारपुर 1	2013–14	2	1	76	8
			2014–15	4	2	181	1
			2015–16	16	12	783	6
4	खरगौन	सेगांव	2015–16	26	26	512	30
5	पन्ना	शाहनगर	2012–13	5	5	295	30
			2013–14	4	3	382	90
			अजयगढ़	1	1	220	90
			2013–14	5	4	324	60
			2015–16	27	25	1881	60
		गुन्नौर	2011–12	6	5	493	60
			2013–14	17	12	1216	60
			2014–15	15	12	1328	60
			2015–16	15	16	647	30
6	राजगढ़	सारंगपुर	2012–13	28	20	2649	90
			2013–14	9	6	337	30
			2015–16	8	6	364	30
			जीरापुर	28	22	1290	60
			सुथालिया	61	28	2300	90
			2012–13	56	13	480	30
			2013–14	31	22	1893	30
			2015–16	62	28	5433	30
7	सिवनी	ग्रामीण 02	2011–12	48	30	967	90
			2012–13	49	38	1097	30
			2013–14	31	24	1383	60
			घनसौर	7	5	118	30
			2013–14	6	3	121	30
			2015–16	8	4	130	30
				983	606	37079	1 से 120 दिवस

परिशिष्ट 2.3.5

(संदर्भ: कंडिका 2.3.10.4, पृष्ठ 116)

राज्य स्तर पर आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण की स्थिति दर्शाने वाला पत्रक

योजना का नाम	वर्ष	स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	पूर्ण	निर्माणाधीन	अप्रारंभ
2011–12 से पूर्व					
विश्व बैंक	1994–2004	5805	5671	7	127
राज्य आयोजना	2006–2011	5382	4307	713	362
योग		11187	9978	720	489
2011–12 से 2015–16 के दौरान					
राज्य आयोजना	2011–12	12	12	0	0
13 वां वित्त	2011–14	4227	1813	2128	286
13 वां वित्त	2015–16	769	2	256	511
एम.पी.एच.एस.आर.पी.	2013–14	531	178	348	5
आई.सी.डी.एस. मिशन	2013–14	2933	410	2350	173
नाबांड	2013–14	148	128	20	0
योग		8620	2543	5102	975

(स्रोत: संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े)

परिशिष्ट 2.3.6

(संदर्भ: कंडिका 2.3.10.4, पृष्ठ 116)

2011–12 से 2015–16 की अवधि में जिला स्तर पर आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण की धीमी प्रगति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	जिले का नाम	स्वीकृत आंगनवाड़ी	पूर्ण आंगनवाड़ी की संख्या	निर्माणाधीन आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	आंगनवाड़ी की संख्या जिनका निर्माण प्रारंभ नहीं किया गया	जारी राशि	व्यय	शेष
1	अलीराजपुर	33	12	21	0	2.57	1.98	0.59
2	भोपाल	479	208	226	45	41.42	18.11	23.31
3	धार	332	149	183	0	48.83	11.46	37.37
4	इंदौर	567	316	226	25	27.66	15.08	12.58
5	खंडवा	212	81	130	1	11.05	5.97	5.08
6	खरगोन	150	106	44	0	10.00	6.77	3.23
7	पन्ना	182	152	30	0	27.36	6.08	21.28
8	राजगढ	205	48	157	0	10.33	5.74	4.59
9	रतलाम	399	137	252	10	24.82	19.24	5.58
10	सतना	150	108	22	20	10.01	6.71	3.30
	योग	2709	1317	1291	101	214.05	97.14	116.91

(स्रोत: जिला कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े)

परिशिष्ट—3.1.1

(संदर्भः— कंडिका 3.1.2.2 एवं 3.1.4.3 पृष्ठ 128 एवं 136)

म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग के आदेश क्रमांक एफ/14 – 10/98/42 – 1 दिनांक 11.09.2000 के अनुसार व्यापम में स्वीकृत पदों का विवरण

स. क्र.	पद का नाम	स्वीकृत किये गये पदों की संख्या
1	अध्यक्ष	01
2	संचालक	01
3	नियंत्रक	01
4	संयुक्त नियंत्रक	04
5	वित्त अधिकारी	01
6	उप नियंत्रक	05
7	सहायक नियंत्रक	06
8	लेखा अधिकारी	01
9	अधीक्षक	02
10	सहायक अधीक्षक	02
11	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	01
12	वैयक्तिक सहायक	01
13	आशुलिपिक	03
14	सहायक ग्रेड –1	04
15	सहायक ग्रेड –2	15
16	सहायक ग्रेड –3	18
17	लेखाकार	01
18	पुस्तकालय अध्यक्ष	01
19	उप यंत्री (सिविल)	01
20	सीनियर सिस्टम इनालिस्ट	01
21	सिस्टम इनालिस्ट	01
22	सहायक प्रोग्रामर	04
23	डाटा एंट्री आपरेटर	04
24	स्टेनो टाइपिस्ट	10
25	इलेक्ट्रीशियन	01
26	प्लम्बर	01
27	वाहन चालक	06
28	दफ्तरी	04
29	भूत्य	19
30	चौकीदार	02
31	फर्श सह सफाईकर्मी	03
32	माली	01
योग		126

परिशिष्ट-3.1.2
(संदर्भ: कंडिका 3.1.3.2 पृष्ठ 132)
अक्टूबर 2004 से मार्च 2016 तक मण्डल के अध्यक्षों का विवरण

सं. क्र.	अध्यक्ष का नाम	अध्यक्ष की श्रेणी	नियुक्ति का सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक	अवधि
1	श्री अजीत रायजदा	अतिरिक्त मुख्य सचिव	29-सितम्बर-2004	01.10.2004 से 30.09.2007
2	श्री रणवीर सिंह	अतिरिक्त मुख्य सचिव	28- सितम्बर -2007	04.10.2007 से 04.09.2008
3	श्री सुधीर चतुर्वेदी	अतिरिक्त मुख्य सचिव	05- सितम्बर -2008	05.09.2008 से 02.03.2009
4	श्री दिलीप मेहरा	अतिरिक्त मुख्य सचिव	02-मार्च-2009	02.03.2009 से 07.08.2009
5	श्री एम.के. राय	अतिरिक्त मुख्य सचिव	03-अगस्त-2009	07.08.2009 से 01.02.2010
6	श्रीमती रंजना चौधरी	अतिरिक्त मुख्य सचिव	29-जनवरी-2010	01.02.2010 से 30.06.2012
7	श्री ख्वदीप सिंह	अतिरिक्त मुख्य सचिव	29-जून-2012	03.07.2012 से 01.12.2012
8	श्री डॉ.के. सामन्तारे	अतिरिक्त मुख्य सचिव	30-नवंबर-2012	01.12.2012 से 31.07.2013
9	डॉ. देवराज विरदी	अतिरिक्त मुख्य सचिव	30-जुलाई-2013	31.07.2013 से 18.02.2014
10	श्री ए.पी. श्रीवास्तव	प्रमुख सचिव	17-फरवरी-2014	24.02.2014 से 13.07.2014
11	डॉ. देवराज विरदी (अवकाश के कारण अस्थाई प्रभार)	अतिरिक्त मुख्य सचिव	-----	14.07.2014 से 02.08.2014
12	श्री ए.पी. श्रीवास्तव	प्रमुख सचिव	17- फरवरी -2014	04.08.2014 से 21.08.2014
13	श्री एम.एम. उपाध्याय	अतिरिक्त मुख्य सचिव	16- अगस्त -2014	21.08.2014 से 31.07.2015
14	श्रीमती अरुणा शर्मा (अतिरिक्त प्रभार)	अतिरिक्त मुख्य सचिव	16- अगस्त -2015	04.08.2015 से 06.02.2016
15	श्री दीपक खाण्डेकर (अतिरिक्त प्रभार)	अतिरिक्त मुख्य सचिव	06- फरवरी -2016	08.02.2016 से अभी तक

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट—3.1.3
(संदर्भ:— कंडिका 3.1.4.1 एवं 3.1.7.3, पृष्ठ 135)
मण्डल द्वारा आयोजित की गई परीक्षाओं का विवरण

सं. क्र.	वर्ष	भर्ती परीक्षाओं का विवरण		प्रवेश परीक्षाओं का विवरण	
		आयोजित भर्ती परीक्षाओं की संख्या	सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या	आयोजित प्रवेश परीक्षाओं की संख्या	सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या
1	2005	04	803868	12	165147
2	2006	0	0	12	163420
3	2007	02	121427	11	193207
4	2008	13	1314111	11	316871
5	2009	05	26222	11	295975
6	2010	05	189448	11	308001
7	2011	08	225134	15	377139
8	2012	20	2779039	16	397835
9	2013	16	1288723	11	487855
10	2014	05	476418	10	328757
11	2015	12	1398525	08	334094
	योग	90	8622915	128	3368301

परिशिष्ट-3.1.4

(संदर्भ:- कंडिका 3.1.4.3 पृष्ठ 136)

म.प्र. शासन, जनशक्ति नियोजन विभाग के आदेश क्रमांक एफ/1717/42/82
दिनांक 03.05.1982 के अनुसार मण्डल में स्वीकृत पदों का विवरण

स. क्र.	पद का नाम	स्वीकृत किये गये पदों की संख्या
1	अध्यक्ष	01
2	नियंत्रक	01
3	उप नियंत्रक	02
4	सहायक नियंत्रक	04
5	प्रशासनिक अधिकारी	01
6	लेखा अधिकारी	01
7	अधीक्षक	04
8	उच्च श्रेणी लिपिक (ग्रेड-1)	06
9	उच्च श्रेणी लिपिक (ग्रेड-2)	06
10	अवर श्रेणी लिपिक	30
11	लेखाकार	02
12	स्टोरकीपर (उच्च श्रेणी लिपिक, ग्रेड-2)	03
13	आशुलिपिक	04
14	स्टेनो टाइपिस्ट (अवर श्रेणी लिपिक + विशेष वेतन)	04
15	वाहन चालक	02
16	दफ्तरी	04
17	चपरासी	20
18	चौकीदार	02
19	सफाईकर्मी	04
20	फर्श	04
	योग	105

परिशिष्ट-3.1.5

(संदर्भ:- कंडिका 3.1.4.4, पृष्ठ 137)

पुलिस विभाग के लिए मण्डल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं का विवरण

स. क.	वर्ष	भर्ती परीक्षाओं की संख्या	सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या
1	2005	01	21981
2	2008	01	26060
3	2011	01	55601
4	2012	02	80533
5	2013	03	741256
6	2014	02	131406
7	2015	01	144138
	योग	11	1200995

परिशिष्ट—3.1.6

(संदर्भ:— कंडिका 3.1.5.2 एवं 3.1.7.1 पृष्ठ 139 एवं 145)

मण्डल की प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं में शामिल संदिग्ध व्यक्तियों का विवरण
दर्शाने वाला विवरण पत्रक

सं. क्र.	परीक्षा का नाम एवं वर्ष	परीक्षा की तिथि	मण्डल द्वारा की गई कार्रवाई	मण्डल के अधिकारियों के नाम
1	सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग एवं प्लाटून कमांडर के पदों हेतु पुलिस भर्ती परीक्षा, 2012	-	मण्डल के आदेश क्रमांक /व्यापम/ 5-प-1/ 3250/ 2014 दिनांक 23.05.2014 के अनुसार यह बताया गया था कि अनुचित साधन (यू.एफ.एम) प्रकरण के आधार पर भर्ती परीक्षा 2012 की नियम पुस्तिका की कंडिका 2.12 के अंतर्गत सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग एवं प्लाटून कमांडर के पदों हेतु पुलिस भर्ती परीक्षा 2012 के 11 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।	डॉ. पंकज त्रिवदी, तत्कालीन नियंत्रक, नितिन मोहिन्द्रा, तत्कालीन कम्प्यूटर शाखा प्रभारी एवं श्री चन्द्रकांत मिश्रा, तत्कालीन सहायक प्रोग्रामर
2	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी तथा निरीक्षक नापतौल 2012 के लिये भर्ती परीक्षा	07.10.2012	मण्डल के आदेश क्रमांक /5-प-1/ 35/ 457/ 2015 दिनांक 19.01.2015 के अनुसार यहां बताया गया था कि अनुचित साधन प्रकरण के आधार पर 18 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।	डॉ. पंकज त्रिवदी, तत्कालीन नियंत्रक, नितिन मोहिन्द्रा, तत्कालीन सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, श्री अजय कुमार
3	संयुक्त भर्ती परीक्षा 2013 (सहायक प्रोग्रामर, आई.टी. ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर)	05.05.2013	मण्डल के आदेश क्रमांक /5-प-1/ 7331/ 2015 दिनांक 30.09.2015 के अनुसार यह बताया गया था कि तीन सदस्यों वाली समिति इस प्रकरण की जाँच के लिए गठित की गई जाँच से पता चला कि मूल स्कैन डाटा में हेरफेर किया गया और अपने पत्र में यह विवरण दिया कि अनुचित साधन (यू.एफ.एम) प्रकरण के आधार पर 14 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया था।	सेन , तत्कालीन सिस्टम एनालिस्ट एवं श्री चन्द्रकांत मिश्रा, तत्कालीन सहायक प्रोग्रामर
4	प्री.मेडिकल टेस्ट परीक्षा,2012	10.06.2013	मण्डल के आदेश क्रमांक /5प-1/ 29/ 8467-8845/ 2014 दिनांक 31.12.14 में बताया गया कि समिति द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर विचार करने के बाद, 7 और 9 अभ्यर्थियों के परिणाम को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया था।	

परिशिष्ट—3.1.7

(संदर्भः— कंडिका 3.1.6.1, पृष्ठ 140)

मण्डल की कुल आय के विरुद्ध कुल व्यय दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	वर्ष	आय	व्यय	बचत
1	2007–08	1911.55	1838.98	72.57
2	2008–09	5961.53	2888.87	3072.66
3	2009–10	4005.75	3424.67	581.08
4	2010–11	3893.55	3335.13	558.42
5	2011–12	10821.74	9180.25	1641.49
6	2012–13	11368.53	9771.81	1596.72
7	2013–14	9917.33	8494.00	1423.33
योग		47879.98	38933.71	8946.27

परिशिष्ट—3.1.8

(संदर्भः— कंडिका 3.1.7.2 पृष्ठ 146)

भर्ती परीक्षाओं में तथाकथित अनियमितताओं पर मण्डल द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क्र.	परीक्षा का नाम एवं वर्ष	परीक्षा का दिनांक	मण्डल द्वारा की गई कार्रवाई
1	संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग—2, वर्ष—2011	19.02.2012	मण्डल के आदेश क्रमांक म.प्र. व्यापम/5-प-1/44/ 2013 दिनांक: 01.01.2014 के अनुसार यह बताया गया कि 73 उम्मीदवारों के परीक्षा परिणाम के अंकों की पुष्टि होने के पश्चात् व्यापम ने इन 73 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया था।
2	संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग—3, वर्ष—2011	22.01.2012	मण्डल के आदेश क्रमांक म.प्र. व्यापम/5-प-1/40/ 2013 दिनांक: 01.01.2014 के अनुसार यह बताया गया कि 84 उम्मीदवारों के परीक्षा परिणाम के अंकों की पुष्टि होने के पश्चात् व्यापम ने इन 84 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया था।
3	म.प्र. राज्य दुर्घट महासंघ मयोदित के अंतर्गत विभिन्न पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा, 2012	23.09.2012	मण्डल के आदेश क्रमांक/5-प-1/35/2033/ 2014 दिनांक: 29.03.2014 के अनुसार यह बताया गया कि मेपिंग के बाद उत्तर पुस्तिका के डाटा और प्रावीण्य सूची के परिणामों की संख्या में अंतर होने के कारण अनुचित साधन (यू.एफ.एम) मामले के आधार पर 10 उम्मीदवारों के परिणामों को निरस्त किया गया था।
4	सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग एवं प्लाटून कमांडर के पदों हेतु पुलिस भर्ती परीक्षा, 2012	—	मण्डल के आदेश क्रमांक/व्यापम/5-प-1/3250/2014 दिनांक: 23.05.2014 के अनुसार यह बताया गया था कि अनुचित साधन (यू.एफ.एम) के आधार पर 11 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया था।
5	पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा, 2012	—	मण्डल के आदेश क्रमांक/व्यापम/5-प-1/3299/ 2014 दिनांक: 26.05.2014 के अनुसार यह बताया गया था कि अनुचित साधन (यू.एफ.एम) के आधार पर भर्ती परीक्षा 2012 की नियम पुस्तिका की कंडिका 2.12 के अंतर्गत पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2012 के 34 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया था।
6	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी तथा निरीक्षक नापतौल के पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2012	07.10.2012	मण्डल के आदेश क्रमांक/व्यापम/5-प-1/3787/2014 दिनांक: 13.06.2014 के अनुसार यह बताया गया था कि अनुचित साधन (यू.एफ.एम) के आधार पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी तथा निरीक्षक नापतौल हेतु भर्ती परीक्षा 2012 नियम पुस्तिका की कंडिका 2.12 के अंतर्गत 16 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी तथा निरीक्षक नापतौल के पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2012	07.10.2012	मण्डळ के आदेश क्रमांक/5-प-1/35/ 457/2015 दिनांक: 19.01.2015 के अनुसार यह बताया गया था कि अनुचित साधन (यू.एफ.एम) के आधार पर 18 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया था।
7	परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा 2012	12.08.2012	मण्डळ के आदेश क्रमांक/5-प-1/209/5716/2015 दिनांक: 23.07.2015 के अनुसार यह बताया गया था कि अनुचित साधन (यू.एफ.एम) के आधार पर 08 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया था।
8	संयुक्त चयन परीक्षा 2013 (सहायक प्रोग्रामर, आई.टी. ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर)	05.05.2013	मण्डळ के आदेश क्रमांक/5-प-1/7331/2015 दिनांक: 30.09.2015 के अनुसार यह बताया गया था कि अनुचित साधन (यू.एफ.एम) के आधार पर 14 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया था।
9	वन रक्षक भर्ती परीक्षा, 2012	15.04.2012	मण्डळ के आदेश क्रमांक/5-प-1/ 8663/2015 दिनांक: 01.12.2015 के अनुसार यह बताया गया था कि अनुचित साधन (यू.एफ.एम) के आधार पर भूप सिंह जाटव का परीक्षा परिणाम तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया था।

परिशिष्ट-3.1.9

(संदर्भ:- कंडिका 3.1.7.2 पृष्ठ 146)

प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं पर मण्डल द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण
पत्रक

सं. क्र.	परीक्षा का नाम एवं वर्ष	परीक्षा का दिनांक	मण्डल द्वारा की गई कार्रवाई
1	प्री. मेडिकल टेस्ट परीक्षा,2008	07.06.2008	मण्डल के आदेश क्रमांक/5 प-1/3070/2014 दिनांक 19.05.2014 से ज्ञात हुआ कि 42 अभ्यर्थियों के अनुक्रमांकों के क्रम में छेड़छाड़ नकल कराने के उददेश्य से की गई। 42 अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया गया था।
2	प्री. मेडिकल टेस्ट परीक्षा,2008	07.06.2008	मण्डल के आदेश क्रमांक/5 प-1/6061/2015 दिनांक 31.07.2015 से ज्ञात हुआ कि पररूपधारण के 6 प्रकरण पाये गये। मण्डल द्वारा 6 अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया गया था।
3	प्री. मेडिकल टेस्ट परीक्षा,2009	05.07.2009	मण्डल के आदेश क्रमांक/5प-1/2845/2014 दिनांक 08.05.2014 से ज्ञात हुआ कि 85 प्रकरणों में अनुक्रमांकों से छेड़छाड़ धोखाधड़ी सहित पाई गई, जिनकी अभ्यर्थिता को मण्डल द्वारा निरस्त कर दिया गया था।
4	प्री. मेडिकल टेस्ट परीक्षा,2009	05.07.2009	मण्डल के आदेश क्रमांक/5प-1/30/2008/7482/2015 दिनांक 07.10.2015 से ज्ञात हुआ कि पररूपधारण के 37 प्रकरण पाये गये, जिनकी अभ्यर्थिता को मण्डल द्वारा निरस्त कर दिया गया था।
5	प्री. मेडिकल टेस्ट परीक्षा,2010	20.06.2010	मण्डल के आदेश क्रमांक/5प-1/2810/2014 दिनांक 06.05.2014 से ज्ञात हुआ कि 90 अभ्यर्थियों के अनुक्रमांकों के क्रम में छेड़छाड़ नकल कराने के लिए की गई। 90 अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया गया था।
6	प्री. मेडिकल टेस्ट परीक्षा,2010	20.06.2010	मण्डल के आदेश क्रमांक/5प-1/30/2008/7484/2015 दिनांक 07.10.2015 से ज्ञात हुआ कि पररूपधारण के 18 प्रकरण पाये गये जिनकी अभ्यर्थिता को मण्डल द्वारा निरस्त कर दिया गया था।
7	प्री. मेडिकल टेस्ट परीक्षा,2011	24.07.2011	मण्डल के आदेश क्रमांक/5प-1/2751/2014 दिनांक 03.05.2014 से ज्ञात हुआ कि 98 अभ्यर्थियों के अनुक्रमांकों के क्रम में छेड़छाड़ नकल कराने के लिए की गई। 98 अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया गया था।
8	प्री. मेडिकल टेस्ट परीक्षा,2012	10.06.2012	मण्डल के आदेश क्रमांक/5प-1/2523/2014 दिनांक 24.04.2014 से ज्ञात हुआ कि 14 अभ्यर्थियों को व्यापम के आरोपी अधिकारियों द्वारा अनुचित लाभ के लिये ओएमआर सीट में खाली छोड़े गये गोले काले किये गये। 14 अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया गया था।
9	प्री. मेडिकल टेस्ट परीक्षा,2012	10.06.2012	मण्डल के आदेश क्रमांक/5प-1/2829/2014 दिनांक 07.05.2014 से ज्ञात हुआ कि 272 अभ्यर्थियों के अनुक्रमांकों के क्रम में छेड़छाड़ नकल कराने के लिए की गई। 272 अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया गया था और जॉच करने के उपरांत 47 दूसरे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया गया था।
10	प्री. मेडिकल टेस्ट परीक्षा,2012	10.06.2012	मण्डल के आदेश क्रमांक/5प-1/29/8467/2014 दिनांक 31.12.14 से ज्ञात हुआ कि 7 अभ्यर्थियों को व्यापम के आरोपी अधिकारियों द्वारा अनुचित लाभ के लिये ओएमआर सीट में खाली छोड़े गये गोले काले किये गये एवं ओएमआर सीट से छेड़छाड़ की गई। 7 अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया गया था।
11	प्री. मेडिकल टेस्ट परीक्षा,2012	10.06.2012	मण्डल के आदेश क्रमांक/5प-1/29/8465/2014 दिनांक 31.12.2014 जिसमें यह कहा गया कि ओएमआर सीट में स्याही की मिसमैच के प्रकरण थे और स्कैनिंग के दौरान स्कैन डाटा के

			दौरान छेड़छाड़व हेराफेरी की गई थी (कुल 19 प्रकरण पूर्व के 14 प्रकरण शामिल) उनमें से नौ अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया गया था।
12	प्री. मेडिकल टेस्ट परीक्षा,2012	10.06.2012	मण्डल के आदेश क्रमांक/5प-1/30/2008/7475/2015 दिनांक 07.10.2015 से ज्ञात हुआ कि परस्परधारण का एक प्रकरण पाया गया, जिसकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया गया था।
13	प्री. मेडिकल टेस्ट परीक्षा,2013	07.07.2013	मण्डल के आदेश क्रमांक/6297/2013 दिनांक 09.10.2013 से ज्ञात हुआ कि 345 अभ्यर्थियों के अनुक्रमांकों में परिवर्तन कर अनुचित लाभ दिया गया। 345 अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया गया था।
14	प्री. मेडिकल टेस्ट परीक्षा,2013	07.07.2013	मण्डल के आदेश क्रमांक/7254/2013 दिनांक 06.12.2013 से ज्ञात हुआ कि 70 अभ्यर्थियों के अनुक्रमांकों में छेड़छाड़ कर अनुचित लाभ दिया गया था। 70 अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया गया।
15	प्री. मेडिकल टेस्ट परीक्षा,2013	07.07.2013	मण्डल के आदेश क्रमांक/5प-1/1873/2014 दिनांक 22.03.2014 से ज्ञात हुआ कि 24 अभ्यर्थियों के अनुक्रमांकों के कम में छेड़छाड़ नकल कराने के लिए की गई। 24 अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया गया था।
16	प्री. पीजी परीक्षा, 2012	11.03.2012	मण्डल के आदेश क्रमांक/5प-1/28/2031/2014 दिनांक 29.03.2014 से ज्ञात हुआ कि परीक्षा से पूर्व 8 अभ्यर्थियों के पास उत्तर कुंजी थी। इन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया गया था।
17	प्री. पीजी परीक्षा, 2012	11.03.2012	मण्डल के आदेश क्रमांक/5प-1/28/1314/2015 दिनांक 20.02.2015 से ज्ञात हुआ कि परीक्षा से पूर्व 12 अभ्यर्थियों के पास मॉडल उत्तर कुंजी थी। 12 अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया गया था।
18	पी.ई.पी.टी. परीक्षा, 2012	20.05.2012	मण्डल के आदेश क्रमांक/5प-1/6997/2015 दिनांक 15.09.2015 से ज्ञात हुआ कि दो अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट में स्थाही भिन्नता थी, उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया गया था।
19	पी.ई.पी.टी. परीक्षा, 2013	21.04.2013	मण्डल के आदेश क्रमांक/5प-1/6999/2015 दिनांक 15.09.2015 से ज्ञात हुआ कि एक अभ्यर्थी की ओएमआर सीट में स्थाही भिन्नता थी, उसकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया गया था।

परिशिष्ट 3.2.1
(संदर्भ: कंडिका 3.2.2.2 (अ), पृष्ठ 155)
कटौत्रा नहीं की गई उपकर की राशि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

स.क्र.	जिले का नाम	इकाई का नाम	निर्माण कार्यों की संख्या	निर्माण कार्यों की कुल लागत	कटौत्रा न की गई उपकर की राशि	इकाई द्वारा बताए गए विशेष कारण
1	अनूपपुर	जनपद पंचायत, जैतहरी	133	244.75	2.45	भविष्य में श्रम उपकर की राशि कटौत्रा उपरांत मंडल के खाते में अंतरित की जाएगी।
2	बुरहानपुर	जनपद पंचायत, बुरहानपुर	589	1219.71	12.20	भविष्य में नियमानुसार निर्माण कार्यों से उपकर राशि का कटौत्रा किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
3	ग्वालियर	जनपद पंचायत, मुरार,	50	144.71	1.45	शासन के आदेश के अभाव में निर्माण कार्यों से उपकर राशि का कटौत्रा किया जाना सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
4	देवास	नगर पालिक निगम, देवास	43	505.13	5.05	सचिव, म.प्र.शासन के आदेश क्र.183/1002/ब-8/4/2011 दिनांक 12.06.2011 प्राप्त होने के उपरांत, माह सितम्बर 2011 से ₹ 10.00 लाख की कीमत से अधिक के निजी भवनों में भवन अनुज्ञा के प्रकरणों में उपकर कटौत्रा किए जाने का अनुपालन किया गया था। इस वजह से पूर्व के भवन अनुज्ञा के प्रकरणों को उपकर कटौत्रे के लिये नहीं लिया जा सका।
5	उज्जैन	जनपद पंचायत, उज्जैन	375	606.38	6.06	शासकीय निर्माण कार्यों से उपकर का कटौत्रा संबंधित निर्देशों की अनुपलब्धता के कारण नहीं किया जा सका। भविष्य में निर्देशों की उपलब्धता पर उपकर कटौत्रा एवं मंडल को अंतरित किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
योग			1190	2720.68	27.21	

परिशिष्ट 3.2.2

(संदर्भ: कंडिका 3.2.2.2 (ब), पृष्ठ 155)

मनरेगा योजना के कार्यों से कटौत्रा नहीं की गई उपकर की राशि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	जिले का नाम	इकाई का नाम	निर्माण कार्यों की संख्या	निर्माण कार्यों की कुल लागत	कटौत्रा न किया गया उपकर	इकाई द्वारा बताए गए विशेष कारण
1	अनूपपुर	जनपद पंचायत, जैतहरी	3176	19.33	0.19	उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार मनरेगा योजना के कार्यों से उपकर राशि का कटौत्रा नहीं किया गया।
2	बैतूल	जनपद पंचायत शाहपुर, बैतूल	4033	30.53	0.31	मनरेगा परिषद के निर्देशानुसार के कार्यों से एक प्रतिशत उपकर राशि का कटौत्रा निर्देशों के प्राप्त न होने के कारण नहीं किया गया।
3	बुरहानपुर	जनपद पंचायत बुरहानपुर	13800	64.18	0.64	मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गांरटी परिषद, भोपाल के दिनांक 10.04.2008 के निर्देशानुसार, मनरेगा निर्माण कार्यों से एक प्रतिशत उपकर राशि का कटौत्रा नहीं किया गया। अतः उपकर राशि मंडल को अंतरित नहीं की गई।
4	देवास	जनपद पंचायत, सोनकच्छ	5200	28.47	0.28	उच्चतर कार्यालय के स्पष्ट निर्देशों के अभाव में, एक प्रतिशत उपकर राशि का कटौत्रा ग्राम पंचायत स्तर पर नहीं किया गया। भविष्य में निर्देशों के प्राप्त होने पर उपकर का कटौत्रा सुनिश्चित किया जाएगा।
5	ग्वालियर	जनपद पंचायत, मुरार	5814	26.64	0.27	मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गांरटी परिषद के मनरेगा योजना के निर्माण कार्यों से श्रम उपकर की राशि के कटौत्रे से संबंधित निर्देशों के अभाव में श्रम उपकर की राशि का कटौत्रा नहीं किया गया।
6	उज्जैन	जनपद पंचायत उज्जैन	3656	14.13	0.14	मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गांरटी परिषद के मनरेगा योजना के निर्माण कार्यों से श्रम उपकर की राशि के कटौत्रे से संबंधित निर्देशों के अभाव में श्रम उपकर की राशि का कटौत्रा नहीं किया गया।
	योग		35679	183.28	1.83	

परिशिष्ट 3.2.3
(संदर्भ: कंडिका 3.2.2.3, पृष्ठ 155)
मंडल में जमा नहीं किये गए संग्रहित उपकर का ब्यौरेवार विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

सं. क्र.	जिले का नाम	इकाई का नाम	संग्रहित उपकर की राशि	मंडल में जमा की गई उपकर की राशि	मंडल में जमा नहीं की गई उपकर की शेष राशि	शेष राशि की अवधि	इकाई द्वारा बताए गए विशेष कारण
1.	अनूपपुर	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ (आर.ई.एस.), अनूपपुर	18.34	5.25	13.09	4/11 से 3/13	निर्देशानुसार प्रत्येक माह में कटौत्रा की गई उपकर की राशि जमा की जाएगी।
		नगर पालिका परिषद अनूपपुर (भवन अनुज्ञा),	18.09	3.59	14.50	4/11 से 3/16	मण्डल को शीघ्र ही उपकर की राशि अंतरित की जाएगी।
2.	बैतूल	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ (आर.ई.एस.), मुलताई, बैतूल	11.91	10.30	1.61	1/16 एवं 2/16	श्रम विभाग को शीघ्र ही उपकर की राशि अंतरित की जाएगी।
		जनपद पंचायत शाहपुर, बैतूल	4.09	0.80	3.29	4/11 से 3/15	श्रम विभाग को शीघ्र ही कटौत्रा की गई उपकर की राशि अंतरित की जाएगी।
3.	बुरहानपुर	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ (आर.ई.एस.), बुरहानपुर	29.53	22.38	7.15	4/11 से 3/16	श्रम विभाग को शीघ्र ही कटौत्रा की गई उपकर की राशि अंतरित की जाएगी।
4.	देवास	नगर पालिक निगम (निर्माण), देवास	134.79	23.89	110.90	1/12 से 4/14 एवं 11/14 से 2/16	नगर पालिक निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने पर उपकर की राशि मण्डल/श्रम कार्यालय को अंतरित की जाएगी।
		नगर पालिक निगम (भवन अनुज्ञा), देवास	193.48	132.97	60.51	8/14 से 3/16	मण्डल को शीघ्र ही उपकर की राशि अंतरित की जाएगी।
5.	ग्वालियर	जनपद पंचायत, मुरार, ग्वालियर	0.18	0.00	0.18	12/14 एवं 6/15	मण्डल को शीघ्र ही उपकर की राशि अंतरित की जाएगी।
		नगर पालिक निगम (भवन अनुज्ञा), ग्वालियर	862.39	770.71	91.68	4/15 से 8/15	मण्डल को शीघ्र ही उपकर की राशि अंतरित की जाएगी।
6.	उज्जैन	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ (आर.ई.एस.), उज्जैन	34.61	24.56	10.05	4/11 से 3/13	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के उपरांत जून 2016 में उपकर की राशि मण्डल को अंतरित कर दी गई थी।
		योग	1307.41	994.45	312.96		

परिशिष्ट 3.2.4
(संदर्भ: कंडिका 3.2.2.4, पृष्ठ 156)
विलम्ब से जमा किये गये उपकर का ब्यौरेवार दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

संक्र.	जिले का नाम	इकाई का नाम	विलम्ब से जमा की गई उपकर की राशि	विलम्ब अवधि माह में
1.	भोपाल	मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल	702.00	1 से 20
2.	अनूपपुर	श्रम कार्यालय, अनूपपुर	44.73	1 से 11
		नगर पालिक परिषद (भवन अनुज्ञा), अनूपपुर	3.59	1 से 26
		निर्माण एजेन्सी (आर.ई.एस.), अनूपपुर	19.25	1 से 11
		निर्माण एजेन्सी (पी.डब्ल्यू.डी.), अनूपपुर	129.96	1 से 16
3.	बैतूल	श्रम कार्यालय, बैतूल	116.60	1 से 19
		जनपद पंचायत, शाहपुर, बैतूल	3.97	1 से 84
		निर्माण एजेन्सी (पी.डब्ल्यू.डी.), बैतूल	193.52	1 से 18
		निर्माण एजेन्सी (आर.ई.एस.), बैतूल	29.35	1 से 29
		निर्माण एजेन्सी (आर.ई.एस.), मुलताई, बैतूल	11.91	1 से 16
4.	बुरहानपुर	निर्माण एजेन्सी (आर.ई.एस.), बुरहानपुर	23.92	1 से 39
		निर्माण एजेन्सी (पी.डब्ल्यू.डी.), बुरहानपुर	90.59	1 से 10
5.	देवास	श्रम कार्यालय, देवास	153.53	1 से 64
		नगर पालिक निगम (भवन अनुज्ञा), देवास	55.37	1 से 15
		जनपद पंचायत, सोनकच्छ, देवास	2.92	1 से 96
		निर्माण एजेन्सी (आर.ई.एस.), देवास	94.55	1 से 18
		निर्माण एजेन्सी (पी.डब्ल्यू.डी.), देवास	161.60	1 से 16
6.	ग्वालियर	श्रम कार्यालय, ग्वालियर	77.65	1 से 33
		नगर पालिक निगम (भवन अनुज्ञा), ग्वालियर	328.19	2 से 13
7.	उज्जैन	निर्माण एजेन्सी (आर.ई.एस.), उज्जैन	28.44	1 से 19
		निर्माण एजेन्सी [पी.डब्ल्यू.डी. (बी/आर)], उज्जैन	59.51	1 से 6
		योग	2331.15	1 से 96

परिशिष्ट 3.2.5

(संदर्भ: कंडिका 3.2.2.6, पृष्ठ 158)

उपकर की वसूली हेतु दोषी नियोक्ताओं के विरुद्ध जारी की आर.आर.सी. के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ में)

संख्या	संस्थाओं का नाम एवं पता	उपकर निर्धारण की तिथि	निर्धारण की गई उपकर की राशि	जमा की गई उपकर की राशि	शेष राशि	विलम्बित माहों की संख्या (मार्च 2016 तक)	प्रत्येक माह के लिए 2 प्रतिशत की दर से ब्याज	आर.आर.सी.जारी होने की तिथि / आर.आर.सी.जारी होने के उपरांत व्यतीत माहों की अवधि (मार्च 2016)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सहायक श्रम आयुक्त, श्रम कार्यालय, ग्वालियर								
1.	1. संचालक, एच.आई.सी.टी.कॉलेज, ग्राम—अड्डूपुरा, झॉसीरोड, ग्वालियर 2. श्रीमती गुडडी माहौर पत्नी श्री एम.एल.माहौर, बी-2/24, आर.पी. कालोनी, तानसेन नगर, ग्वालियर	12.12.2012	150000	0	150000	38	114000	31.12.2013 / 27 माह
2.	1. सुश्री प्रियंका अग्रवाल पुत्री श्री विष्णु प्रसाद अग्रवाल, नया बाजार, लश्कर, ग्वालियर 2. श्रीमती रेनू सिकारिया, पत्नी श्री पवन सिकारिया, नया बाजार, लश्कर, ग्वालियर	14.03.2013	81000	0	81000	35	56700	31.12.2013 / 27 माह
3	1. श्री मनोज जैन, अध्यक्ष, मानोदीप हायर एज्यूकेशनल सोसायटी, (जैन कॉलेज) गुडगुडी का नाका, चिरवाई, लश्कर, ग्वालियर	14.03.2013	90000	0	90000	35	63000	31.12.2013 / 27 माह
4	1. डॉ सुनील कुमार सिंह राठौर, सचिव, गुरु वक्ता सिंह कल्याण समिति, 26—सी. भगत सिंह नगर, भिष्णु रोड, ग्वालियर 2. संचालक / अध्यक्ष जय इस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एण्ड रिसर्च एंड विजय राजेश इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड मैनेजमेंट झॉसी रोड ग्वालियर)	14.03.2013	225457	100000	125457	35	87820	31.12.2013 / 27 माह
5	सचिव, आर.एन.एस. शिक्षा प्रसार समिति, संचालक, रामनाथ सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सिथौली रोड, ग्वालियर	14.03.2013	250000	0	250000	35	175000	31.12.2013 / 27 माह
6.	श्री प्रदीप सिंह तोमर, सचिव, शारदा शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति, त्रिष्णिकुल विद्या निकेतन, शिवपुरी लिंक रोड, ग्वालियर	14.03.2013	48000	0	48000	35	33600	31.12.2013 / 27 माह

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	1. डॉ. श्री आलोक अग्रवाल, संचालक, मैसकॉट हॉस्पीटल एवं रिसर्च केन्द्र, सिंधी कॉलोनी, कंपू लश्कर ग्वालियर 2. श्रीमती वर्षा कुकरेजा पत्नी श्री दिलीप कुकरेजा, संचालक मैसकॉट हॉस्पीटल एवं रिसर्च केन्द्र, सिंधी कॉलोनी, कंपू लश्कर ग्वालियर 3. श्रीमती रेनू अग्रवाल पत्नी श्री डॉ. आलोक अग्रवाल, संचालक, मैसकॉट हॉस्पीटल एवं रिसर्च केन्द्र, सिंधी कॉलोनी, कंपू लश्कर ग्वालियर	11.03.2013	336000	0	336000	35	235200	31.12.2013 / 27 माह
8.	श्री बी.के.शर्मा, चेयरमैन, स्नेहालय इंटर नेशनल पब्लिक स्कूल, (ग्वालियर हॉस्पीटल एवं एजूकेशनल वैरिटेबल ट्रस्ट), बहरोरी, झाँसी रोड, ग्वालियर	12.12.2012	100000	0	100000	38	76000	31.12.2013 / 27 माह
9.	संचालक/प्राचार्य, सिल्वर वैल्स हायर सैकेण्डरी स्कूल, शिवपुरी लिंक रोड, ग्वालियर	13.03.2013	48000	0	48000	35	33600	31.12.2013 / 27 माह
10.	श्री संदीप मित्तल, चेयरमैन, मॉ केला देवी इंस्टीयूट ऑफ मैनेजमेंट, शिवपुरी लिंक रोड, ग्वालियर	13.03.2013	390000	0	390000	35	273000	31.12.2013 / 27 माह
11.	श्री उदय घाटगे, अध्यक्ष, देवी अहिल्याबाई घाटगे हायर एजूकेशन सोसायटी, जी.आई.सी.टी.एस. कॉलेज, शिवपुरी लिंकरोड, ग्वालियर	15.03.2013	420000	0	420000	35	294000	31.12.2013 / 27 माह
12.	श्री उदय घाटगे, अध्यक्ष, देवी अहिल्याबाई घाटगे हायर एजूकेशन सोसायटी, जी.आई.टी.एस. कॉलेज, केदारपुर, शिवपुरी लिंक रोड, ग्वालियर	15.03.2013	390000	0	390000	35	273000	31.12.2013 / 27 माह
13.	श्री दीपेन्द्र कुमार टमोटिया, संचालक, आदित्याज होटल लिमिटेड, एअरपोर्ट रोड, दीनदयाल नगर के सामने, ग्वालियर	15.03.2013	263682	75000	188682	35	132077	31.12.2013 / 27 माह
14.	1. अध्यक्ष, स्व. सी.एल.चौकसे, श्री नाथू सिंह यादव, स्मृति शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, ग्राम-राई, चितौरा रोड, मुरार, ग्वालियर 2. संचालक, एल.एल.ए.टी. (युप ऑफ कॉलेज), ग्राम-राई, चितौरा रोड, मुरार, ग्वालियर	30.09.2013	507045	0	507045	29	294086	11.06.2015 / 9माह
15.	संचालक, जय लक्ष्मी नारायण शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, (लक्ष्मी नारायण इंस्टीयूट ऑफ टेक्नालॉजी), ग्राम-रतवाई, चितौरा रोड, मुरार, ग्वालियर	30.09.2013	328201	0	328201	29	190357	11.06.2015 / 9माह
16.	1. मे उदय प्रताप शर्मा, ए-46, गोविन्दपुरी, ग्वालियर 2. कार्यपालन यंत्री, बॉथ सुरक्षा संभाग, ग्वालियर	21.03.2013	3854690	3543866	310824	35	217577	11.06.2015 / 9 माह

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	संचालक /प्राचार्य, विक्रांत ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूट, (विक्रांत एजूकेशनल एवं सोशल वेलफेर सोसायटी), बड़गाँव रोड, रतबाई, मुरार, ग्वालियर	28.03.2014	416430	50000	366430	23	168558	11.06.2015 / 9 माह
18.	संचालक, जय शिव फूड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०, काशीपुर के पास, ग्राम— सलवाई, भितरवार रोड, डबरा, ग्वालियर	23.11.2013	498753	283890	214863	27	116026	11.06.2015 / 9 माह
19.	1. प्राचार्य, रुस्तमजी इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, बी.एस.एफ. अकादमी, टेक्नपुर, ग्वालियर 2. प्रबंधक, आदसिल इंडिया लि०, आदसिल हाउस, सेक्टर 16—ए, नोएडा. (उ०प्र०)	27.09.2012	626100	527623	98477	41	80751	11.06.2015 / 9 माह
सहायक श्रम आयुक्त, श्रम कार्यालय, उज्जैन								
20.	1. श्री संजीव यादव पुत्र श्री मोहनलाल यादव, 2. श्री राजेन्द्र पुत्र श्री मोहनलाल यादव (पार्टनर)हरी ओम कोल्ड स्टोरेज, ग्राम—सुरसा, तहसील—घट्टिया, उज्जैन	04.03.2013	37470	31323	6147	35	4303	09.06.2016 / 0 माह
21.	अनंत नारायण मीणा, संचालक, संदीपनी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एवं साइंस, घट्टिया, उज्जैन	05.05.2014	107400	0	107400	21	45108	09.06.2016 / 0 माह
22.	श्री हनी सेठ नचानी, 219, उषानगर, दशहरा मैदान के सामने, इंदौर (मानाखेडा स्टेडियम योजना पर व्यवसायिक/आवासीय बहुमंजिला भवन का निर्माण)	17.11.2015	1459875	0	1459875	3	87593	09.06.2016 / 0 माह
23.	श्री दिलीप रोहरा पुत्र श्री प्रताप राय रोहरा फैक्टरी शैड का निर्माण (श्री साई फैब्रिक्स) प्लाट नं.12 बी, 12 डी, मैं, औद्योगिक क्षेत्र, मकसीरोड, उज्जैन	04.04.2014	22400	0	22400	22	9856	09.06.2016 / 0 माह
24.	श्री विजय मित्तल पुत्र श्री किशनलाल मित्तल, पवन कुमार मित्तल पुत्र श्री किशनलाल मित्तल, श्रीमती मीना मित्तल पत्नी श्री विजय कुमार मित्तल एवं श्रीमती सरला मित्तल पत्नी श्री पवन मित्तल (पार्टनर), बालाजी इन्टरप्राइजेज, हरीफाठक, रिंग रोड, उज्जैन (हरीफाठक, रिंग रोड, उज्जैन पर मित्तल एवेन्यू का निर्माण)	18.02.2013	126720	118644	8076	36	5815	26.12.2013 / 27 माह
25.	श्री सुनील कुमार पुत्र श्री हीरालाल जैन, संचालक, बोकेम हैल्थ केयर प्रा०लि०, प्लॉट नं. 84, औद्योगिक क्षेत्र, नागझिरी देवास रोड, उज्जैन (प्लॉट नं.84 पर फैक्टरी का निर्माण), औद्योगिक क्षेत्र, नागझिरी देवास रोड, उज्जैन	18.11.2014	516404	0	516404	15	154921	10.11.2015 / 4 माह
1	2	3	4	5	6	7	8	9

26.	श्री राकेश शर्मा पुत्र श्री भगवान लालजी शर्मा (यथार्थ फ्यूचरिस्टिक्स अकादमी का निर्माण), निनोरा, इंदौर रोड, उज्जैन	30.09.2013	133100	0	133100	29	77198	18.03.2014 / 23 माह
27.	श्री विकास लखोटिया पुत्र श्री श्याम सुन्दर लखोटिया, 576, उन्हेल रोड, नागदा, उज्जैन (फैक्ट्री शैड का निर्माण रॉक ड्यूड टैक्नोलॉजी प्रा० लि०, उन्हेल रोड, नागदा, उज्जैन)	11.01.2013	52980	50000	2980	37	2205	12.04.2016 / 0 माह
28.	श्री भगवान सिंह भाटी, मै. भाटी वेरहाउस, ग्राम— हटियाखेड़ी, तहसील बड़नगर, उज्जैन (वेरह हाउस का निर्माण)	18.06.2013	14875	0	14875	32	9520	26.12.2013 / 27 माह
29.	डॉ हर्ष मंगल पुत्र श्री नरेन्द्र मंगल, 56, 57, मंगल कॉलोनी, उद्यान रोड, उज्जैन (सहर्ष हॉस्पीटल का निर्माण प्लॉट नं.12 मंगल कॉलोनी, उद्यान रोड, उज्जैन)	06.03.2013	39263	35310	3953	35	2767	12.04.2016 / 0 माह
30.	श्री मनोज तिवारी पुत्र श्री रमेश चन्द्र तिवारी, एच—9/54, ऋषि नगर, उज्जैन (मै. इलेक्ट्रोपावर ट्रांसफार्मर फैक्ट्री का निर्माण, शेड प्लॉट नं. 3-ए, औद्योगिक क्षेत्र, देवास रोड, उज्जैन)	06.08.2013	35680	0	35680	30	21408	12.04.2016 / 0 माह
31.	श्रीमती किरण आगरकर पत्नी श्री अजय आगरकर, प्लॉट नं. 4, कल्पतरु एवेन्यू, देवास रोड, उज्जैन (भवन निर्माण)	11.12.2013	20000	0	20000	26	10400	12.04.2016 / 0 माह
	योग		1,15,89,525	48,15,656	67,73,869		33,45,446	

परिशिष्ट 3.2.6
(संदर्भ: कंडिका 3.2.3.4, पृष्ठ 161)

उपकर के चैकों/झाफ्टों से प्राप्त नहीं हुई राशि एवं संख्या को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

वर्ष	मूल रूप से वापिस किए गए चैकस/झाफ्टस का विवरण जो त्रृटिपूर्ण पाये गये		बैंक द्वारा अनादृत पाए जाने पर वापिस किए गए चैकस/झाफ्टस का विवरण		योग	
	चैकों/झाफ्टों की संख्या	राशि (₹)	चैकों/झाफ्टों की संख्या	राशि (₹)	चैकों/झाफ्टों की संख्या	राशि (₹)
2003–04	00	0	02	88905	02	88905
2004–05	05	451343	19	438351	24	889694
2005–06	03	17468	20	1772966	23	1790434
2006–07	01	9647	50	3668222	51	3677869
2007–08	00	0	42	3864934	42	3864934
2008–09	00	0	00	0	00	0
2009–10	00	0	106	6160515	106	6160515
2010–11	00	0	29	1554093	29	1554093
2011–12	10	733727	62	6782733	72	7516460
2012–13	00	0	222	15037290	222	15037290
2013–14	05	23141	206	30658720	211	30681861
2014–15	00	0	292	37113313	292	37113313
2015–16	48	3007880	100	17970400	148	20978280
योग	72	4243206	1150	125110442	1222	129353648

(स्रोत: मंडल के अभिलेखों से संग्रहित ऑकड़े)

परिशिष्ट 3.2.7

(संदर्भ: कंडिका 3.2.4.3, पृष्ठ 164)

कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

स.क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2011–12				वर्ष 2012–13				वर्ष 2013–14				वर्ष 2014–15				वर्ष 2015–16			
		वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	प्रतिशत में		वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	प्रतिशत में		वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	प्रतिशत में		वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	प्रतिशत में		वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	प्रतिशत में	
				व्यय	कमी			व्यय	कमी			व्यय	कमी			व्यय	कमी			व्यय	कमी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	चिकित्सा सहायता योजना, 2004	1100	155.56	14.14	85.86	1100	310.5	28.23	71.77	400	472.08	118.02	-18.02	500	410.14	82.03	17.97	600	395.51	65.92	34.08
2	मृत्यु की दशा में अंतर्यामी सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना, 2004	1600	1219.74	76.23	23.77	1600	1699.51	106.22	-6.22	2000	1192.11	59.61	40.39	1000	560.10	56.01	43.99	1000	1090.87	109.09	-9.09
3	शिक्षा हेतु प्रोत्साहन योजना, 2004	1900	3350.93	176.36	-76.36	1900	4692.07	246.95	-146.95	5000	4120.27	82.41	17.59	5000	2093.5	41.87	58.13	7000	3694.07	52.77	47.23
4	मेधावी छात्र पुरुस्कार योजना, 2004	1000	191.06	19.11	80.89	1000	324.15	32.42	67.59	500	455.01	91.00	9.00	500	418.99	83.80	16.20	1500	924.88	61.66	38.34
5	प्रसूति सहायता योजना, 2004	1000	2781.3	278.13	-178.13	1000	3538.15	353.82	-253.82	4000	2405.92	60.15	39.85	4000	914.74	22.87	77.13	4000	1383.11	34.58	65.42
6	विवाह सहायता योजना, 2004	1300	452.03	34.77	65.23	1300	999.74	76.90	23.10	1200	1859.46	154.96	-54.96	2500	1456.44	58.26	41.74	3000	2528.48	84.28	15.72
7	पैशान योजना, 2008	1000	0	0.00	100.00	1000	0	0.00	100.00	500	0	0.00	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
	पैशान योजना, 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0.00	0.00	100	20	0	0.00	100.00
8	गृह ऋण सहायता योजना, 2008	100	0	0.00	100.00	100	0	0.00	100.00	100	0	0.00	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
9	कौशल प्रशिक्षण योजना, 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	2000	0	0.00	100.00	2000	0	0.00	100	1500	100.00	6.67	93.33
10	पंचीन दयाल उपाध्याय श्रमिक शैड योजना, 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	250	0	0.00	100.00	250	0	0.00	100	150	0	0.00	100.00
11	राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में विद्यार्थियों के सफल होने पर पुरुस्कार	-	-	-	-	-	-	-	-	100	0	0.00	100.00	100	0	0.00	100	100	0.45	0.45	99.55

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
12	सुपर 500 योजना (कक्षा 10)	-	-	-	-	-	-	-	-	200	0	0.00	100.00	125	3.75	3.00	97.00	125	10.50	8.40	91.60
13	सुपर 500 योजना (कक्षा 12)	-	-	-	-	-	-	-	-	200	0	0.00	100.00	125	1.75	1.40	98.60	125	14.00	11.20	88.80
14	व्यवसायिक पाठ्यक्रम अनुदान योजना, 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	0.00	0.00	100	100	1.42	1.42	98.58
15	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक ग्रामीण आवास योजना, 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2500	0.00	0.00	100	2500	0	0.00	100.00
16	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक शहरी आवास योजना, 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	0.00	0.00	100	500	0	0.00	100.00
17	खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	0	0.00	100.00
18	औजार उपकरण खरीदी पर अनुदान, 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1500	4.00	0.27	99.73
19	कौशिंग अनुदान योजना, 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	1.42	0.28	99.72
20	मृत्यु/अपेगता की स्थिति में अपेजोइट श्रमिकों हेतु अत्याधिक एवं अनुग्रह भुगतान योजना, 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	23.08	4.62	95.38
21	साइकिल अनुदान योजना, 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2500	25.87	1.03	98.97
22	दो पहिया वाहन क्रय हेतु अनुदान योजना, 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	6.70	6.70	93.30
	योग	9000	8150.62	598.74	201.26	9000	11564.12	844.54	-44.53	16450	10504.85	566.15	733.85	19210	5859.41	349.24	1050.76	27570	10204.36	449.34	1650.66

(टीप: वर्ष 2011–16 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय लक्ष्य ₹ 812.30 करोड़ के विरुद्ध वित्तीय उपलब्ध ₹ 462.83 करोड़ थी।)

परिशिष्ट 3.2.8

(संदर्भ: कंडिका 3.2.4.5, पृष्ठ 166)

प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित निर्माण श्रमिकों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(संख्या में)

सं. क्र.	जिले का नाम	प्रशिक्षित किये जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	अप्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	अप्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों का प्रतिशत
1	अनूपपुर	700	450	250	35.71
2	बैतूल	2445	136	2309	94.44
3	बुरहानपुर	1540	230	1310	85.06
4	देवास	780	237	543	69.62
5	ग्वालियर	1550	132	1418	91.48
6	उज्जैन	3185	270	2915	91.52
योग		10200	1455	8745	85.74

परिशिष्ट 3.2.9

(संदर्भ: कंडिका 3.2.4.7, पृष्ठ 167)

अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान अंतर्गत लाभ की स्वीकृति में अनियमितताओं का व्यौरेवार विवरण पत्रक (जाली मृत्यु प्रमाण पत्र)

(राशि ₹ में)

स.क्र.	जिले का नाम	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	नगर पालिक निगम के अभिलेखों के अनुसार मृतक व्यक्ति का विवरण		कूटरचित / जाली मृत प्रमाण पत्र के अनुसार मृतक पंजीकृत श्रमिक का विवरण		अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना अंतर्गत भुगतान की गई अनियमित राशि
			मृतक व्यक्ति का नाम	मृतक पंजी में दर्शाए अनुसार पंजीयन क्र. एवं तिथि	लाभान्वित मृतक पंजीकृत श्रमिक व्यक्ति का नाम	कूटरचित / जाली मृत प्रमाण पत्र में दर्शाए अनुसार पंजीयन क्र. एवं तिथि	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	बैतूल	नगर पालिका सारणी	बाबूलाल	296 / 20.12.2013	बिटटी बाई	296 / 23.02.2013	27000
2			बेनी बाई पचौरी	192 / 20.08.2013	चन्द्रकला	192 / 17.02.2013	27000
3	बुरहानपुर	श्रम पदाधिकारी, बुरहानपुर	काशी बाई	900 / 01.09.2011	गुलाम बख्श पुत्र महमूद बख्श	900 / 06.05.2011	27000
4			गुलनार बानो पत्नी मो. याकूब	812 / 05.08.2011	शबाना बानो पत्नी सगीरुददीन	812 / 05.01.2012	27000
5			मो.यूसुफ पुत्र मो.अजीज	549 / 17.05.2012	शेख इकबाल पुत्र शेख नवाब	549 / 17.05.2012	27000
6			मो.यूसुफ पुत्र मो.अजीज	549 / 17.05.2012	अहमद उल्ला पुत्र मोती उल्ला	549 / 17.05.2012	27000
7			--	--	रफीक साहब पुत्र अहमद साहब	973 / 24.04.2012	27000
8			मो.यूसुफ पुत्र मो.अजीज	549 / 17.05.2012	शेख जफर पुत्र शेख गफूर	549 / 17.05.2012	27000
9			ए.सलीम पुत्र ए हफीज	168 / 08.02.2012	शेख करीम पुत्र शेख बशीर	168 / 08.06.2012	27000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10			कुसुम बाई पत्नी सालिक राम	633 / 08.06.2012	इकबाल अब्बास पुत्र शेख अब्बास	633 / 19.07.2012	27000
11			गुलशाद बी पत्नी राशिद खान	549 / 17.05.2013	मो० सादिक पुत्र मझले साहब	549 / 17.05.2013	27000
12			छन्नूमल पुत्र सावन मल	894 / 23.08.2013	मो० सादिक पुत्र मो० यासीन	894 / 10.06.2013	27000
13	उज्जैन	नगर पालिक निगम उज्जैन	आनंदी देवी अग्रवाल पत्नी नारायण दास	170 / 21.01.2015	हीरा लाल परमार पुत्र पन्ना लाल	170 / 21.01.2015	78000
14			कुण्डलिक राव पुत्र नारायण राव	2137 / 25.07.2015	कमल किशोर पुत्र रामचन्द्र	2137 / 21.01.2015	28000
15			प्रकाश बद्री पुत्र बाबू लाल	2438 / 19.08.2014	जगदीश चन्द्र पुत्र धूलजी	2438 / 20.11.2014	78000
16			साधना सिंह पत्नी सुरेन्द्र सिंह	1857 / 27.06.2015	सपना पत्नी अतुल	1857 / 17.04.2015	78000
योग							586000

परिशिष्ट 3.2.10

(संदर्भ: कंडिका 3.2.4.8, पृष्ठ 169)

चिकित्सालयों को प्रदाय अग्रिमों का समायोजन न होने का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(राशि ₹ में)

संक्र.	कार्यालय का नाम जिन्होंने चिकित्सालयों को अग्रिम प्रदाय किया	हितग्राही का नाम	चिकित्सालय का नाम	चैक क्र.	दिनांक	अग्रिम राशि	उपयोगिता प्रमाण पत्र/समायोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सी.एम.एच.ओ, अनूपपुर	संतोष कुमार मिश्रा पिता श्री सुदामा प्रसाद मिश्रा	चिकित्सा अनुसंधान फाउन्डेशन शंकर नेत्रालय, चेन्नई	आरटीजी एस खाता क्र.एसबीआई 104975 28701	21/09/2014	67000	प्राप्त नहीं
2		कु0 वन्दना पटेल पिता श्री सत्यनारायण बी पटेल	मैट्रो चिकित्सालय एवं कैंसर अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर	734380	01/11/2014	90000	प्राप्त नहीं
		कु0 वन्दना पटेल पिता श्री सत्यनारायण बी पटेल	मैट्रो चिकित्सालय एवं कैंसर अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर	734412	03/07/2015	90000	प्राप्त नहीं
3		जुगल किशोर साहू पिता श्री राम निहोर साहू	भोपाल मेमोरियल चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र, भोपाल	734389	31/12/2014	100000	प्राप्त नहीं
4		अंगत साहू पुत्र पिता जगन्नाथ साहू	मोहन ऑल हरगोविन्द दास पब्लिक चैरिटेबिल, जबलपुर	734398	19/03/2015	60000	प्राप्त नहीं
5		श्याम सुंदर पुत्र पिता रूप लाल सेन	मोहन ऑल हरगोविन्द दास पब्लिक चैरिटेबिल, जबलपुर	734402	06/05/2015	100000	प्राप्त नहीं
		श्याम सुंदर पुत्र पिता रूप लाल सेन	मोहन ऑल हरगोविन्द दास पब्लिक चैरिटेबिल, जबलपुर	734441	08/01/2016	99000	प्राप्त नहीं
6		श्रीमती राधा, पत्नी श्री फूल चन्द्र साहू	मैट्रो चिकित्सालय एवं कैंसर अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर	734405	06/05/2015	50000	प्राप्त नहीं
7		श्रीमती घमलिया साहू पत्नी श्री लाखन साहू	मैट्रो चिकित्सालय एवं कैंसर अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर	734410	03/07/2015	50000	प्राप्त नहीं
8		संगीता साहू पत्नी श्री बद्री साहू	मैट्रो चिकित्सालय एवं कैंसर अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर	734411	03/07/2015	100000	प्राप्त नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
9		चमनलाल साहू पिता श्री बैजनाथ साहू	मैट्रो चिकित्सालय एवं कैंसर अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर	734413	13/07/2015	100000	प्राप्त नहीं
10		ठाकुर सिंह पिता श्री सालिक राम	मैट्रो चिकित्सालय एवं कैंसर अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर	734419	10/08/2015	50000	प्राप्त नहीं
11		विनय कुमार पिता श्री कामता प्रसाद	मैट्रो चिकित्सालय एवं कैंसर अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर	734420	10/08/2015	100000	प्राप्त नहीं
12		तरुण सारीवान पिता श्री शिव दास	मैट्रो चिकित्सालय एवं कैंसर अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर	734421	10/08/2015	100000	प्राप्त नहीं
13		कु0 रीना साहू पिता श्री हेमबली साहू	मेडटरीना इंस्टीयूट ऑफ मेडीकल साइंस, नागपुर	734429	15/10/2015	65000	प्राप्त नहीं
14		अंगद प्रसाद पटेल पिता श्री रेवा सिंह	मैट्रो चिकित्सालय एवं कैंसर अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर	734430	15/10/2015	50000	प्राप्त नहीं
15		श्रीमती भानमती राठौर पत्नी श्री रामदयाल	आशीष हॉस्पीटल, जबलपुर	734431	15/10/2015	100000	प्राप्त नहीं
16		रामप्रसाद राठौर पिता श्री बुद्धराम	सिटी हॉस्पीटल एवं अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर	734438	29/12/2015	45000	प्राप्त नहीं
17		कु0 राजनंदनी पिता श्री नरेश पटेल	मैट्रो चिकित्सालय एवं कैंसर अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर	734445	19/02/2016	100000	प्राप्त नहीं
18		प्रीतम सिंह पुत्र पिता अवध राज सिंह	आनंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जबलपुर	734446	19/02/2016	88000	प्राप्त नहीं
19		ओम प्रकाश नायक पिता श्री जय सिंह नायक	मैट्रो चिकित्सालय एवं कैंसर अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर	734447	19/02/2016	100000	प्राप्त नहीं
20		दामन साहू पुत्र पिता श्री जयपाल साहू	मोहन ऑल हरगोविन्द दास पब्लिक चैरिटेबिल, जबलपुर	734448	19/02/2016	75000	प्राप्त नहीं
21		श्रीमती नीलमणि मिश्रा पत्नी श्री कृष्णाकांत मिश्रा	जवाहर लाल नेहरू कैंसर हॉस्पीटल एवं अनुसंधान केन्द्र, भोपाल	734449	19/02/2016	50000	प्राप्त नहीं
22		श्रीमती कोमलवती पत्नी श्री दलबीर यादव	साइरोटेक कैंसर हॉस्पीटल एवं अनुसंधान केन्द्र, नागपुर	734451	25/02/2016	90000	प्राप्त नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
23	विशेषर साहू पिता श्री शिव प्रसाद साहू लल्लू सिंह पिता श्री कुँवर सिंह श्रीमती रामकली पत्नी श्री देवशरण साहू श्रीमती नीलमणि मिश्रा पत्नी श्री कृष्णकांत मिश्रा सोन शाह पिता श्री दादोली सिंह गोंड होरिल चौधरी पिता श्री मातारू चौधरी	मैट्रो चिकित्सालय एवं कैंसर अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर	734452	25 / 02 / 2016	75000	प्राप्त नहीं	
24		साइरोटेक हॉस्पीटल एवं कैंसर अनुसंधान केन्द्र, नागपुर	734454	14 / 03 / 2016	100000	प्राप्त नहीं	
25		मैट्रो चिकित्सालय एवं कैंसर अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर	734455	25 / 02 / 2016	50000	प्राप्त नहीं	
26		जवाहर लाल नेहरू कैंसर हॉस्पीटल एवं अनुसंधान, भोपाल	734457	25 / 02 / 2016	50000	प्राप्त नहीं	
27		मैट्रो चिकित्सालय एवं कैंसर अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर	734458	30 / 03 / 2016	100000	प्राप्त नहीं	
28		मैट्रो चिकित्सालय एवं कैंसर अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर	734459	30 / 03 / 2016	60000	प्राप्त नहीं	
29		जवाहर लाल नेहरू कैंसर हॉस्पीटल एवं अनुसंधान, भोपाल	734439	29 / 12 / 2015	50000	प्राप्त नहीं	
30	श्रम कार्यालय, ग्वालियर	रोकड वहीं में नाम की प्रविष्टि नहीं	अधीक्षक जयारोग्य हॉस्पीटल, ग्वालियर	रोकड वही पृ.क्र.-61	24 / 05 / 2011	70000	प्राप्त नहीं
31		रोकड वहीं में नाम की प्रविष्टि नहीं	अधीक्षक कैंसर हॉस्पीटल, ग्वालियर	रोकड वही पृ.क्र.-61	30 / 07 / 2011	50000	प्राप्त नहीं
32		रोकड वहीं में नाम की प्रविष्टि नहीं	अधीक्षक जयारोग्य हॉस्पीटल, ग्वालियर	रोकड वही पृ.क्र.-62	27 / 02 / 2012	70000	प्राप्त नहीं
33		रामबाई	अधीक्षक कैंसर हॉस्पीटल, ग्वालियर	रोकड वही पृ.क्र.-61	25 / 07 / 2013	75000	प्राप्त नहीं
34		नरेन्द्र सिंह	अधीक्षक कैंसर हॉस्पीटल, ग्वालियर	रोकड वही पृ.क्र.-61	26 / 07 / 2013	75000	प्राप्त नहीं
35		नरेन्द्र सिंह	अधीक्षक कैंसर हॉस्पीटल, ग्वालियर	रोकड वही पृ.क्र.-61	24 / 10 / 2013	25000	प्राप्त नहीं
		योग				2769000	

परिशिष्ट 3.2.11

(संदर्भ: कंडिका 3.2.4.9, पृष्ठ 169)

विवाह सहायता योजना के अंतर्गत नाबालिंग हितग्राहियों को हितलाभ की अनियमित स्वीकृति को दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

संक्र.	कार्यालय का नाम	पंजीकृत भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक का नाम	पंजीयन क्र.	भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक से संबंध	वधु/वर की जन्म तिथि	विवाह होने की तिथि	भुगतान की गई राशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.	श्रम कार्यालय बुरहानपुर	शेख रफीक	011201 / 40269907 दिनांक 07.04.07	पुत्री	05.05.1992	04.04.2013	15,000	विवाह की तिथि को वर की आयु 20 वर्ष 1 माह एवं 29 दिन थी।
2.	श्रम कार्यालय देवास	शाकूबाई	1901902111 दिनांक 27.08.2011	पुत्री	26.09.1994	07.04.2014	15,000	विवाह की तिथि को वर की आयु 19 वर्ष 6 माह एवं 11 दिन थी।
3.	श्रम कार्यालय देवास	फरीदा बी	12724108 दिनांक 22.02.2008.	पुत्री	05.07.1993	16.03.2014	15,000	विवाह की तिथि को वर की आयु 20 वर्ष 8 माह एवं 11 दिन थी।
4.	नगर पालिका निगम, देवास	अनीता	1902031812 दिनांक 31.05.2012	पुत्री	05.09.1994	04.06.2014	15,000	विवाह की तिथि को वर की आयु 19 वर्ष 8 माह एवं 19 दिन थी।
5.	नगर पालिका निगम, देवास	मिश्रीलाल	19521 / 11 दिनांक 01.01.2011	पुत्री	27.08.1995	20.04.2014	15,000	विवाह की तिथि को वर की आयु 18 वर्ष 7 माह एवं 23 दिन थी।
6.	नगर पालिका निगम, देवास	अशोक	19892 / 14 दिनांक 31.12.2011	पुत्री	19–20 वर्ष चिकित्सा बोर्ड के प्रमाण पत्र के अनुसार	28.04.2014	15,000	विवाह की तिथि को वर की आयु 19–20 वर्ष थी।

1	2	3	4	5	6	8	9	10
7.	जनपद पंचायत सोनकच्छ, देवास	प्रेमनारायण	109020006 दिनांक 10.08.2010	पुत्री	07.08.1994	18.04.2012	10,000	विवाह की तिथि को वधू की आयु 17 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन थी।
8.	जनपद पंचायत सोनकच्छ, देवास	जसमत	1090200047 दिनांक 10.03.2012	पुत्री	05.05.1997	21.04.2015	25,000	विवाह की तिथि को वधू की आयु 17 वर्ष 11 माह एवं 16 दिन थी।
9.	जनपद पंचायत सोनकच्छ, देवास	चन्द्र सिंह	1924510179 दिनांक 02.09.2013	पुत्री	05.08.1994	30.04.2015	25,000	विवाह की तिथि को वर की आयु 20 वर्ष 08 माह एवं 15 दिन थी।
10.	सहायक श्रमायुक्त उज्जैन	गंगाराम प्रजापति	011301 / 61378906 / दिनांक 14.11.2008	पुत्री	05.08.1996	26.06.2014	15,000	विवाह की तिथि को वधू की आयु 17 वर्ष 10 माह एवं 11 दिन थी।
11.	सहायक श्रमायुक्त उज्जैन	मोहनलाल	1140105837 / 04. 11.2010	पुत्री	20.06.1995	15.04.2014	15,000	विवाह की तिथि को वर की आयु 18 वर्ष 9 माह एवं 25 दिन थी।
12.	सहायक श्रमायुक्त उज्जैन	रुकैया	आर एन 69710101 / 18.04.2014	पुत्री	09.07.1994	26.04.2014	15,000	विवाह की तिथि को वर की आयु 19 वर्ष 9 माह एवं 15 दिन थी।
योग							1,95,000	वर के 9 प्रकरण एवं वधू के 3 प्रकरण

परिशिष्ट 3.3.1
(संदर्भ: कड़िका 3.3.3.1, पृष्ठ 177)
अनुदान प्राप्ति एवं किए गए व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्त अनुदान	ब्याज एवं अन्य	योग	किया गया व्यय	शेष	बैंक शेष (वार्षिक लेखों के अनुसार)	विविध लेनदार (व्यय से लेनदार का प्रतिशत)
2007–08	0	400.00	—	400.00	—	400.00	52.47	—
2008–09	400.00	1260.00	—	1660.00	1131.97	528.03	1.50	—
2009–10	528.03	462.00	—	990.03	750.70	239.33	231.89	—
2010–11	239.33	1418.50	8.69	1666.52	1521.64	144.88	74.15	58.40 (4)
2011–12	144.88	1171.80	14.88	1331.56	1264.21	67.35	95.48	53.26 (4)
2012–13	67.35	1817.39	8.91	1893.65	1862.55	31.10	202.21	244.73 (13)
2013–14	31.10	6475.30	28.54	6534.94	6751.25	-216.31	358.28	595.03 (9)
2014–15	-216.31	7246.26	24.91	7054.86	7722.59	-667.73	150.86	866.53 (11)
2015–16	-667.73	7514.54	18.42	6865.23	7869.05	-1003.82	16.85	1155.34 (15)
योग	.	27765.79	104.35	28396.79	28873.96⁷	.		

(स्रोत: जी.वी.के. ई.एम.आर.आई. द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र, वार्षिक लेखे एवं मिशन संचालक, एन.एच.एम. द्वारा संधारित परियोजना का लेजर)

⁷ आंकड़ा जी.वी.के. ई.एम.आर.आई. द्वारा चार जिलों जैसे—रायसेन, विदिशा, देवास एवं सीहोर में चलाए जा रहे मोबाइल चिकित्सा यूनिटों पर व्यय (2012–13 ₹ 6.05 लाख, 2013–14 ₹ 59.81 लाख, 2014–15 ₹ 82.73 लाख एवं 2015–16 ₹ 83.30 लाख) को सम्मिलित करता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पपूर्ति वाली बस्तियों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवायें उपलब्ध कराना, दूरस्थ क्षेत्रों में उन्नत प्रजनन एवं बाल्य स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच में वृद्धि करना इत्यादि है।

परिशिष्ट 3.3.2
(संदर्भ कड़िका 3.3.3.2, पृष्ठ 178)
मानकों से अधिक किए गए ओपेक्स व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

वर्ष	चलित एंबुलेंसों की औसत संख्या (प्रतिमाह)	परिचालन लागत (ई.एम.आर.आई. के अनुसार)	प्रति एंबुलेंस व्यय (वार्षिक)	व्यय (मासिक)	₹ 0.98 लाख / 1.03 लाख के अनुसार		अधिक व्यय मासिक	अधिक व्यय वार्षिक	अधिक भुगतान
					अधिक व्यय मासिक	अधिक व्यय वार्षिक			
2009–10	48	572.30	11.92	1.32	—	—	—	—	—
2010–11	72	1063.55	14.77	1.23	—	—	—	—	—
2011–12	97	1261.16	13.00	1.08	—	—	—	—	—
2012–13	124	1734.61	13.98	1.16	0.18* (3 माह)	0.54	66.96		
2013–14	531	5687.33	10.71	0.89	—	—	—	—	—
2014–15	604	7540.88	12.48	1.04	0.06	0.72	434.88		
2015–16	(1.03 लाख) 606	7525.65	12.42	1.03	—	—	—	—	—
योग									501.84

(स्रोत: मिशन संचालक, एन.एच.एम. एवं जी.वी.के. ई.एम.आर.आई. द्वारा प्रदाय किए गए आंकड़े)

परिशिष्ट 3.3.3

(संदर्भ कड़िका 3.3.3.2, पृष्ठ 178)

निर्धारित परिचालन लागत एवं वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

वर्ष	चलित एंबुलेंस की औसत संख्या (प्रतिमाह)	एंबुलेंसों संख्या (संचयी)	मद	निर्धारित परिचालन लागत		वास्तविक व्यय	अधिक व्यय
				प्रति एंबुलेंस	कुल		
2013–14	531	6374 ⁸	ईंधन	0.227	1446.90	1685.51	238.61
			मरम्मत एंव रखरखाव	0.026	165.72	277.18	111.46
			प्रशिक्षण व्यय	0.028	178.47	254.29	75.82
			योग		1791.09	2216.98	425.89
2014–15	604	7254	ईंधन	0.227	1646.66	2428.19	781.53
			मरम्मत एंव रखरखाव	0.026	188.60	575.95	387.35
			टायर	0.020	145.08	154.70	9.62
			योग		1980.34	3158.84	1178.50
2015–16	606	7272	ईंधन	0.30	2181.60	2544.12	362.52
			मरम्मत एंव रखरखाव	0.045	327.24	701.83	374.59
			योग		2508.84	3245.95	737.11
			कुल योग		6280.27	8621.77	2341.50

(स्रोत: मिशन संचालक, एन.एच.एम. एवं जी.वी.के. ई.एम.आर.आई. द्वारा प्रदाय किए गए आंकड़े)

⁸ एंबुलेंसों की संख्या (अप्रैल–454, मई–454, जून–454, जुलाई–454, अगस्त–512, सितम्बर–520, अक्टूबर–547, नवम्बर–581, दिसम्बर–589, जनवरी–601, फरवरी–604, मार्च–604)

परिशिष्ट 3.3.4

(संदर्भ: कंडिका 3.3.4.3, पृष्ठ 181)

जनसंख्या का विवरण, उपलब्ध एंबुलेंसों एवं जिलों में एंबुलेंसों की आवश्यकता जहाँ एंबुलेंसें कम तैनात की गई हैं, को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क्रं.	जिला	कुल जनसंख्या	उपलब्ध एंबुलेंसों की संख्या	प्रति एंबुलेंस जनसंख्या	प्रति लाख जनसंख्या के अनुसार आवश्यकता	अतिरिक्त आवश्यक एंबुलेंसें	प्रतिक्रिया समय (2015–16) (मिनट:सेकण्ड)
1	भिण्ड	17,03,562	12	141964	17	5	27:36 श. ⁹ (12 माह) 33:48 ग्रा. ¹⁰ (8 माह)
2	दमोह	12,63,703	11	114882	13	2	20:28 श. (4 माह)
3	देवास	15,63,107	12	130259	16	4	24:12 श. (8 माह) 30:58 ग्रा. (3 माह)
4	गुना	12,40,938	10	124094	12	2	27:45 श. (10 माह) 31:48 ग्रा. (6 माह)
5	ग्वालियर	20,30,543	14	145039	20	6	21:15 श. (3 माह) 30:35 ग्रा. (2 माह)
6	कटनी	12,91,684	12	107640	13	1	30:57 श. (12 माह) 31:35 ग्रा. (3 माह)
7	मुरैना	19,65,137	13	151164	20	7	24:31 श. (7 माह) 31:05 ग्रा. (1 माह)
8	नरसिंहपुर	10,92,141	9	121349	11	2	22:27 श. (5 माह)
9	नीमच	8,25,958	6	137660	8	2	28:07 श. (12 माह)
10	राजगढ़	15,46,541	11	140595	15	4	26:15 श. (7 माह)
11	सतना	22,28,619	17	131095	22	5	25:31 श. (9 माह) 31:02 ग्रा. (3 माह)
12	शहडोल	10,64,989	10	106499	11	1	20:57 श. (2 माह) 31:00 ग्रा. (3 माह)
13	शिवपुरी	17,25,818	14	123273	17	3	35:09 श. (12 माह) 32:54 ग्रा. (3 माह)
14	सीधी	11,26,515	10	112652	11	1	35:29 श. (12 माह) 33:53 ग्रा. (5 माह)
15	सिंगरौली	11,78,132	9	130904	12	3	30:20 श. (12 माह) 30:45 ग्रा. (2 माह)
16	टीकमगढ़	14,44,920	12	120410	14	2	22:25 श. (8 माह)

(स्रोत: मिशन संचालक, एन.एच.एम. द्वारा प्रदाय किए गए आंकड़े)

⁹ ‘श.’ शहरी क्षेत्र को दर्शाता है।

¹⁰ ‘ग्रा.’ ग्रामीण क्षेत्र को दर्शाता है।

परिशिष्ट 3.3.5

(संदर्भ: कंडिका 3.3.5.1, पृष्ठ 182)

ग्रहण की गई आपात स्थितियों के प्रकार को दर्शाने वाल विवरण पत्रक

		आज दिनांक तक	2013-14	2014-15	2015-16	कुल (आज दिनांक तक आंकड़े का प्रतिशत)
	कुल प्राप्त की गई कॉल्स	62101482	9310076	7893577	7548085	24751738
आपात स्थितियों के प्रकार	चिकित्सा (उपलब्ध कराई गई + उपलब्ध नहीं कराई गई)	3914061	721185	974700	997810	2693695
	पुलिस	81811	13235	12304	4130	29669
	अग्नि	227	1	3	2	6
	कुल	3996099	734421	987007	1001942	2723370 (68 %)
चिकित्सा आपात स्थितियों के प्रकार (उपलब्ध कराई गई)	गर्भावस्था संबंधी	1422182 (47.5%)	339828 (48%)	466361 (49%)	459940 (47%)	1266129
	अन्य आपात स्थितियाँ	1570288	360868	485462	511860	1358190
	योग	2992470	700696	951823	971800	2624319

(स्रोत: प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.))

परिशिष्ट 3.3.6

(संदर्भ: कंडिका 3.3.5.2, पृष्ठ 182)

एंबुलेंसों के प्रतिक्रिया समय को दर्शाता विवरण

वर्ष	निर्धारित प्रतिक्रिया समय (मिनटों में)	जिलों की संख्या जहाँ प्रतिक्रिया समय अधिक था	जिले का नाम जहाँ प्रतिक्रिया समय अधिक था	परिवहित किए गए रोगियों की संख्या	अस्पाल के समय में औसत काल
2013-14	शहरी 15-20	33	सिंगरौली 40:51	197389	उपलब्ध नहीं
	ग्रामीण 20-30		मंदसौर 47:01		उपलब्ध नहीं
2014-15	शहरी 15-20	21	सिंगरौली 33:42	195311	उपलब्ध नहीं
	ग्रामीण 20-30		सिंगरौली 40:41		उपलब्ध नहीं
2015-16	शहरी 15-20	27	सीधी 35:29	359093	54:01 से 54:05
	ग्रामीण 20-30		रीवा 36:23		1:03:47 से 1:07:53

(स्रोत: प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.))

परिशिष्ट 3.3.7

(संदर्भ: कंडिका 3.3.5.2, पृष्ठ 182)

निर्धारित प्रतिक्रिया समय तथा वास्तविक प्रतिक्रिया समय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

सं. क्र.	जिले नाम	वर्ष	क्षेत्र	निर्धारित प्रतिक्रिया समय (मिनटों में)	वास्तविक प्रतिक्रिया समय (मिनट:सेकंड)	अधिक (मिनट: सेकंड)
1	अशोकनगर	2013-14	शहरी	15-20	24:31 से 34:28	4:31 से 14:28
			ग्रामीण	20-30	30:14 से 33:37	3:37
		2014-15	शहरी	15-20	22:12 से 33:06	2:12 से 13:06
			ग्रामीण	20-30	32:14	2:14
		2015-16	शहरी	15-20	25:28 से 35:08	5:28 से 15:08
			ग्रामीण	20-30	30:48 से 35:45	5:45
		2013-14	शहरी	15-20	22:00	2:00
			ग्रामीण	20-30	40:24	10:24
		2014-15	शहरी	15-20	23:06	3:06
			शहरी	15-20	21:54	1:54
3	जबलपुर	2013-14	ग्रामीण	20-30	31:26	1:26
		2015-16	शहरी	15-20	20:16 से 20.22	0:16
4	मुरैना	2015-16	शहरी	15-20	20:22 से 24:31	4:31
			ग्रामीण	20-30	31:05	1:05
5	रीवा	2013-14	शहरी	15-20	20:25 से 23:36	0:25 से 3:36
			ग्रामीण	20-30	34:05 से 41:03	4:05 से 11:03
		2014-15	शहरी	15-20	20:13 से 24:42	0:13 से 04:42
			ग्रामीण	20-30	37:24	7:24
		2015-16	शहरी	15-20	22:52 से 30.55	2:52 से 10:55
			ग्रामीण	20-30	30:32 से 36.09	0:32 से 09:06
		2013-14	शहरी	15-20	30:44 से 40:51	10:44 से 20:51
			ग्रामीण	20-30	34:15 से 44:09	4:15 से 14:09
		2014-15	शहरी	15-20	23:14 से 33:42	3:14 से 13:42
			ग्रामीण	20-30	40:41	10:41
		2015-16	शहरी	15-20	24:11 से 30.20	4:11 से 10:20
			ग्रामीण	20-30	30.37 से 30.45	-

(स्रोत: मिशन संचालक, एन.एच.एम. तथा जी.वी.के. ई.एम.आर.आई. द्वारा प्रदाय किए गए आंकड़ों विश्लेषण के दौरान देखे गए अवलोकन)

परिशिष्ट 3.3.8

(संदर्भ: कंडिका 3.3.5.6, पृष्ठ 186)

ई.एम.आर.आई. तथा जिला चिकित्सालयों के आंकड़ों के मध्य अंतर को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

सं. क्र.	जिले का नाम	माह	ईएमआरआई के आंकड़े	जिला आंकड़े	अस्पताल के	अंतर	कमी का प्रतिशत
1	अशोकनगर	9/2015	468	334	134	29	
		10/2015	560	281	279	50	
2	बुरहानपुर	9/2015	346	185	161	47	
		10/2015	355	195	160	45	
3	धार	9/2015	274	240	34	12	
		10/2015	282	234	48	17	
4	जबलपुर	9/2015	473	386	87	18	
		10/2015	364	309	55	15	
5	मुरैना	9/2015	955	489	466	49	
		10/2015	912	550	362	40	
6	रीवा	9/2015	203	135	68	33	
		10/2015	207	145	62	30	
7	सिहोर	9/2015	511	399	112	22	
		10/2015	611	504	107	18	
8	सिंगरौली	9/2015	307	159	148	48	
		10/2015	324	98	226	70	
	योग		7152	4643	2509		

(स्रोत: जी.वी.के. ई.एम.आर.आई. तथा जिला चिकित्सालयों द्वारा प्रदाय किए गए आंकड़े)

परिशिष्ट 3.4.1

(संदर्भ: कंडिका 3.4.5.4, पृष्ठ 195)

नमूना जाँच की गई ग्राम पंचायतों में रोजगार सूजन एवं परिसम्पत्तियों के निर्माण से संबंधित आवश्यक अभिलेखों की स्थिति

संक्र.	ग्राम पंचायत का नाम	जॉबकार्ड पंजी		रोजगार पंजी		निर्माण कार्य पंजी		परिसम्पत्ति पंजी		निरीक्षण पंजी	
		संधारित	अद्यतन	संधारित	अद्यतन	संधारित	अद्यतन	संधारित	अद्यतन	संधारित	अद्यतन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आरोन		×	×		×		×		×	
2.	नवनी	×		×		×		×		×	
3.	केनबरा	×		×		×		×		×	
4.	खोरीबरी	×		×		×		×		×	
5.	भालेवाडा		×	×			×		×	×	
6.	नेतरा		×	×			×	×		×	
7.	मोहगांवखुर्द		×	×			×		×	×	
8.	पथरी		×	×		×		×		×	
9.	खैरलांजी		×	×			×		×	×	
10.	सेलोटपुर		×	×			×	×			×
11.	सावजपानी		×	×		×		×		×	
12.	छाबरी		×	×		×		×		×	
13.	ढोकरझेला		×	×		×		×		×	
14.	नंदेवानी		×	×		×		×		×	
15.	सूखापुरा		×	×			×	×		×	
16.	सेजवदा		×	×			×	×		×	
17.	बिलासपुर		×		×	×		×		×	
18.	कंजौली		×	×		×		×		×	
19.	मैथानापहुज		×	×			×	×		×	
20.	भलका	×		×		×		×		×	
21.	माफीपुरा		×	×		×		×		×	
22.	मूसापुरा		×	×		×		×		×	
23.	धौलीवावडी	×		×		×		×		×	
24.	कुवाड़	×		×		×		×		×	
25.	चुनप्या	×		×		×		×		×	
26.	जमली	×		×		×		×		×	
27.	अरन्या		×	×		×		×		×	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	बावलिया खुर्द	x		x		x		x		x	
29.	पीरनालवासा	x		x		x		x		x	
30.	कटकोदा	x		x		x		x		x	
31.	कंझर	x		x		x		x		x	
32.	पाथरवारा		x	x		x		x		x	
33.	घटटी		x	x			x		x	x	
34.	पीपरखेड़ा	x		x		x		x		x	
35.	बदवास		x		x		x		x		x
36.	टमोटी		x	✓			x		x	x	
37.	सावन		x		x		x		x		x
38.	शीरखेड़ा		x	x			x	x		x	
39.	नारायणपुर	x		x		x		x		x	
40.	टेगना		x	x		x		x		x	
41.	भटवा		x	x		x		x		x	
42.	कलेहरा	x		x		x		x		x	
43.	बासिया		x	x		x		x		x	
44.	नयापुरा	x		x		x		x		x	
45.	बलौड़िया	x		x		x		x		x	
46.	चुनिया	x		x		x		x		x	
47.	सारगपुर										
48.	रैकोवा										
49.	धुमाहडोल										
50.	बैरछा	x		x		x		x		x	
51.	पिंडोनिया	x		x		x		x		x	
52.	जयसिंहपुरा		x		x		x		x		x
53.	उंचवास		x	x		x		x		x	
54.	कबूला		x	✓		x		x		x	
55.	पिपरियाअजीत		x	✓			x		x	x	
56.	सिरावली		x		x		x		x	x	
57.	तालापार		x		x		x		x	x	
योग		20	34	45	06	37	17	43	11	49	05

परिशिष्ट 3.4.2

(संदर्भ: कंडिका 3.4.5.6, पृष्ठ 197)

राज्य स्तर पर लंबित शिकायतों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

वर्ष	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	31 मार्च की स्थिति में निराकृत शिकायतें				कुल निराकृत शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतें
		2013	2014	2015	2016		
2007-08	530	389	74	28	04	495	35
2008-09	349	181	83	32	14	310	39
2009-10	733	245	169	92	41	547	186
2010-11	594	218	92	71	44	425	169
2011-12	367	96	66	53	27	242	125
2012-13	312	06	66	47	18	137	175
2013-14	274	0	20	61	21	102	172
2014-15	164	0	0	16	23	39	125
2015-16	399	0	0	0	40	40	359
योग	3722	1135	570	400	232	2337	1385

परिशिष्ट 3.4.3

(संदर्भ: कंडिका 3.4.5.6, पृष्ठ 197)

नमूना जाँच की गई ग्राम पंचायतों में शिकायत पंजी/सामाजिक अंकक्षेण के विवरण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स.क्र.	जिले का नाम	ब्लॉक का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	शिकायत पंजी की स्थिति	सामाजिक अंकक्षेण की स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अशोकनगर	चंदेरी	आरोन	अपूर्ण	नहीं किया गया
2.	अशोकनगर	चंदेरी	नवनी	अपूर्ण	नहीं किया गया
3.	अशोकनगर	मुगावली	केनबरा	असंधारित	नहीं किया गया
4.	अशोकनगर	मुगावली	खोरीबरी	असंधारित	नहीं किया गया
5.	बालाघाट	बालाघाट	भालेवाड़ा	असंधारित	नहीं किया गया
6.	बालाघाट	बालाघाट	नेतरा	असंधारित	नहीं किया गया
7.	बालाघाट	किरनापुर	मोहगांवखुर्द	असंधारित	नहीं किया गया
8.	बालाघाट	किरनापुर	पथरी	असंधारित	नहीं किया गया
9.	बालाघाट	खैरलांजी	खैरलांजी	असंधारित	नहीं किया गया
10.	बालाघाट	खैरलांजी	सेलोटपुर	असंधारित	नहीं किया गया
11.	छिंदवाड़ा	पाण्डुरना	सेवजपानी	अपूर्ण	नहीं किया गया
12.	छिंदवाड़ा	पाण्डुरना	छाबड़ी	असंधारित	नहीं किया गया
13.	छिंदवाड़ा	सोंसर	ढोकरझेला	असंधारित	नहीं किया गया
14.	छिंदवाड़ा	सोंसर	नंदेवानी	असंधारित	नहीं किया गया
15.	छिंदवाड़ा	हर्रई	सूखापुरा	असंधारित	नहीं किया गया
16.	छिंदवाड़ा	हर्रई	सेजवदा	असंधारित	नहीं किया गया
17.	दतिया	सेवडा	बिलासपुर	असंधारित	नहीं किया गया
18.	दतिया	सेवडा	कंजौली	असंधारित	नहीं किया गया
19.	दतिया	भांडेर	मैथानापहुज	अपूर्ण	नहीं किया गया
20.	दतिया	भांडेर	भलका	असंधारित	नहीं किया गया
21.	धार	तिरला	माफीपुरा	अपूर्ण	नहीं किया गया
22.	धार	तिरला	मूसपुरा	अपूर्ण	नहीं किया गया
23.	धार	उमरवन	धोलीवावडी	असंधारित	नहीं किया गया
24.	धार	उमरवन	कुवाड़	असंधारित	नहीं किया गया
25.	धार	गंधवानी	चुनप्या	अपूर्ण	नहीं किया गया
26.	धार	गंधवानी	जमली	अपूर्ण	नहीं किया गया
27.	इंदौर	इंदौर	अरनिया	अपूर्ण	नहीं किया गया
28.	इंदौर	इंदौर	वावलिया खुर्द	असंधारित	नहीं किया गया
29.	इंदौर	देपालपुर	पीरनालवासा	असंधारित	नहीं किया गया
30.	इंदौर	देपालपुर	कटकोदा	अपूर्ण	नहीं किया गया
31.	खरगौन	भीकनगांव	कङ्गर	असंधारित	नहीं किया गया
32.	खरगौन	भीकनगांव	पाथरवारा	असंधारित	नहीं किया गया
33.	खरगौन	गौगांवन	घट्टी	अपूर्ण	नहीं किया गया
34.	खरगौन	गौगांवन	पीपरखेड़ा	असंधारित	नहीं किया गया
35.	नीमच	मनासा	भद्रवास	संधारित	नहीं किया गया
36.	नीमच	मनासा	टमोटी	असंधारित	नहीं किया गया
37.	नीमच	नीमच	सावन	असंधारित	नहीं किया गया
38.	नीमच	नीमच	सिरखेड़ा	असंधारित	नहीं किया गया
39.	सतना	रामनगर	नारायणपुर	अपूर्ण	नहीं किया गया
40.	सतना	रामनगर	टेगना	अपूर्ण	नहीं किया गया
41.	सतना	मझगांव	भटवा	असंधारित	नहीं किया गया
42.	सतना	मझगांव	केलहरा	असंधारित	नहीं किया गया
43.	सीहारं	सीहारं	शीलखेड़ा	ग्राम पंचायत के अभिलेख जाँच हेतु जप्त थे इसलिए अनुवर्ती लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।	
44.	सीहोर	सीहोर	बाँसिया	असंधारित	नहीं किया गया
45.	सीहोर	इच्छावर	नयापुरा	अपूर्ण	नहीं किया गया
46.	सीहोर	इच्छावर	बलोंडिया	संधारित	नहीं किया गया
47.	शहडोल	सोहागपुर	चुनिया	असंधारित	नहीं किया गया
48.	शहडोल	सोहागपुर	सारंगपुर	ग्राम पंचायत सचिव लेखापरीक्षा के लिए ग्राम पंचायत में उपस्थित नहीं हुआ।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
49.	शहडोल	बुढार	रैकोवा	ग्राम पंचायत सचिव लेखापरीक्षा के लिए ग्राम पंचायत में उपस्थित नहीं हुआ ।	
50.	शहडोल	बुढार	धुमाहडोल	ग्राम पंचायत सचिव लेखापरीक्षा के लिए ग्राम पंचायत में उपस्थित नहीं हुआ ।	
51.	शाजापुर	शाजापुर	बैरछा	असंधारित	नहीं किया गया
52.	शाजापुर	शाजापुर	पिंडोनिया	असंधारित	नहीं किया गया
53.	शाजापुर	बडोद	जयसिंहपुरा	संधारित	नहीं किया गया
54.	शाजापुर	बडोद	उंचवास	संधारित	नहीं किया गया
55.	विदिशा	विदिशा	कावूला	असंधारित	नहीं किया गया
56.	विदिशा	विदिशा	पिपारिया अजीत	असंधारित	नहीं किया गया
57.	विदिशा	कुरबई	सिरावली	अपूर्ण	नहीं किया गया
58.	विदिशा	कुरबई	तालापार	अपूर्ण	नहीं किया गया
योग				34 (असंधारित)	

परिशिष्ट 3.5.1

(संदर्भ: कंडिका 3.5, पृष्ठ 200)

पूर्व संशोधित दरों के उपयोग के कारण प्रशमन शुल्क का कम आरोपण

जिले का नाम	अधिसूचना दिनांक 16 मार्च 2012			अधिसूचना दिनांक 21 जनवरी 2013			अधिसूचना दिनांक 2 मार्च 2015			कुल प्रकरण	कुल राशि (₹ में)
	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ में)	निम्नलिखित दिनों तक का विलंब	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ में)	निम्नलिखित दिनों तक का विलंब	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ में)	निम्नलिखित दिनों तक का विलंब		
पन्ना	1617	577860	152	0	0	0	0	0	0	1617	5,77,860
ग्वालियर	0	0	0	0	0	0	1168	175200	11	1168	1,75,200
छिन्दवाडा	15618	5687790	454	0	0	0	0	0	0	15618	56,87,790
उज्जैन	0	0	0	0	0	0	141	21150	28	141	21,150
धार	2310	801920	184	0	0	0	0	0	0	2310	8,01,920
भोपाल	0	0	0	0	0	0	3302	495300	26	3302	4,95,300
खरगोन	0	0	0	0	0	0	420	63000	54	420	63,000
देवास	0	0	0	1002	401500	41	121	18150	67	1123	4,19,650
श्योपुर	0	0	0	122	97310	38	288	43200	70	412	1,49,010
	0	0	0	0	0	0	2	8500	189		
	19545	7067570		1124	498810		5442	824500		26111	83,90,880

परिशिष्ट-3.6.1

(संदर्भ: कंडिका 3.6, पृष्ठ 201)
पुलिस गार्ड की बकाया लागत का विवरण

(राशि ₹ में)

स.क्र.	जिले का नाम	संस्थान का नाम	वित्तीय वर्ष						योग	अभियुक्तयाँ	
			2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15				
1.	भोपाल	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स,लिमिटेड, (भेल)	2,32,503	29,56,500	4,18,837	-	-		36,07,840	22.05.2013 को गार्ड हटाए गए	
2.		स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (एसबीआई), वल्लभ भवन	-	-	27,93,750	29,56,500	7,39,125		64,89,375	07/2014 को गार्ड हटाए गए	
3.		दूरदर्शन केन्द्र	-	-	-	-	2,91,000	23,40,833	26,31,833	19.02.2016 को गार्ड हटाए गए	
								योग	1,27,29,048		
4.	देवास	स्टेट बैंक ऑफ इन्डौर, मोती बंगला	-	3,25,000	3,25,000	3,25,000	10,12,500		19,87,500	03.09.2014 को गार्ड हटाए गए	
5.		स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया,बीएनपी	-	3,25,000	3,25,000	3,25,000	-		9,75,000	01.04.2015 को गार्ड हटाए गए	
6.		स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, खातेगांव	-	3,25,000	3,25,000	3,25,000	3,37,500		13,12,500	01.02.2015 को गार्ड हटाए गए	
7.		स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, सोनकच्छ	-	3,25,000	2,50,000	2,75,000	-		8,50,000	01.04.2015 को गार्ड हटाए गए	
8.		स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, बागली	-	3,25,000	2,50,000	2,75,000	-		8,50,000	31.03.2015 को गार्ड हटाए गए	
								योग	59,75,000		
								कुल योग	1,87,04,048		

परिशिष्ट— 3.8.1

(संदर्भ: कंडिका 3.8, पृष्ठ 204)

मुद्रण कार्य हेतु कपटपूर्ण तरीके से तैयार अभिलेखों के आधार पर निजी मुद्रकों को किये गये भुगतानों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

संक्र.	चिकित्सालय का प्रदाय आदेश क्रमांक व दिनांक	नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री का आमुख पत्र क्र. एवं दिनांक जो कि कपटपूर्ण तरीके से तैयार किया गया एवं सत्यापन के लिए उपयोग किया गया	निजी मुद्रकों के नाम जिन्हें नियंत्रक, मुद्रण एवं प्रकाशन, भोपाल द्वारा कार्यादेश जारी किया जाना दर्शाया गया	निजी मुद्रकों के बीजक क्रमांक व दिनांक	देयक की राशि (₹ में) (वैट कर सहित)	चेक क्रमांक एवं रोकड़बही क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, एम.वाय. चिकित्सालय, इन्दौर (म.प्र.)						
1	9762/19.05.14	1461/05.06.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	77/05.06.2014	24948	249062 & 249063 66/17.06.14
2	10422/30.05.14	1596/18.06.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	101/18.06.2014	39690	
3	10370/30.05.14	1463/06.06.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	78/06.06.2014	54600	
4	10360/30.05.14	1544/10.06.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	80/10.06.2014	35437	
5	10360/30.05.14	1545/10.06.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	83/10.06.2014	35437	
6	10362/30.05.14	1551/11.06.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	85/11.06.2014	37800	
7	10362/30.05.14	1553/11.06.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	86/11.06.2014	37800	
8	10364/30.05.14	1554/11.06.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	87/11.06.2014	54600	
9	10368/30.05.14	1556/11.06.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	89/11.06.2014	54600	
10	10386/30.05.14	1557/11.06.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	90/11.06.2014	56700	
11	10400/30.05.14	----/12.06.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	91/12.06.2014	37800	
12	10404/30.05.14	1562/12.06.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	93/12.06.2014	55650	
13	10410/30.05.14	1590/15.06.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	95/15.06.2014	36750	
14	10410/30.05.14	1592/15.06.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	96/15.06.2014	36750	
15	10418/30.05.14	1593/15.06.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	97/15.06.2014	30450	
16	10418/30.05.14	1594/15.06.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	99/15.06.2014	30450	
17	10422/30.05.14	1595/18.06.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	100/18.06.2014	45360	
योग						704822
18	10342/30.05.14	456/10.06.14	बरखा सेल्स कॉरपोरेशन	21/10.06.2014	46200	249056 & 249057 66/17.06.14
19	10384/30.05.14	515/23.06.14	बरखा सेल्स कॉरपोरेशन	29/23.06.2014	47828	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20		516/23.06.14	बरखा सेल्स कॉरपोरेशन	30/23.06.2014	18900	
21	10348/30.05.14	517/23.06.14	बरखा सेल्स कॉरपोरेशन	31/23.06.2014	36015	
22	10348/30.05.14	518/24.06.14	बरखा सेल्स कॉरपोरेशन	32/24.06.2014	41160	
23	10340/30.05.14	519/24.06.14	बरखा सेल्स कॉरपोरेशन	33/24.06.2014	46200	
				योग	236303	
24	556-B/01.07.14	6345/12.09.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	113/12.09.2014	13125	
25	699-B/14.08.14	6369/15.09.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	116/15.09.2014	11340	
26	10372/30.05.14	7579/20.09.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	117/20.09.2014	22680	
27	10398/30.05.14	7580/20.09.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	118/20.09.2014	54495	
28	10402/30.05.14	7581/20.09.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	119/20.09.2014	34020	
29	10390/30.05.14	7582/20.09.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	120/20.09.2014	40950	
30	10412/30.05.14	7614/21.09.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	121/21.09.2014	36750	
31	10412/30.05.14	7615/21.09.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	122/21.09.2014	36750	249498 & 249497 121/06.02.15
32	10420/30.05.14	7616/21.09.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	123/21.09.2014	30450	
33	10420/30.05.14	7617/21.09.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	125/21.09.2014	30450	
34	10394/30.05.14	7810/25.09.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	127/25.09.2014	39900	
35	10426/30.05.14	7811/25.09.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	128/25.09.2014	45360	
36	10426/30.05.14	7812/25.09.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	129/25.09.2014	39690	
37	10366/30.05.14	7815/25.09.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	131/25.09.2014	54600	
				योग	490560	
38	10350/30.05.14	904/15.09.14	संजय सप्लायर्स, इन्दौर	51/15.09.2014	41160	
39	10350/30.05.14	914/17.09.14	संजय सप्लायर्स, इन्दौर	56/17.09.2014	36015	
40	10408/30.05.14	906/15.09.14	संजय सप्लायर्स, इन्दौर	52/15.09.2014	40950	
41	10408/30.05.14	918/18.09.14	संजय सप्लायर्स, इन्दौर	59/18.09.2014	40950	249495 & 249496 121/06.02.15
42	17541/16.09.14	917/18.09.14	संजय सप्लायर्स, इन्दौर	58/18.09.2014	23814	
43	10528/16.09.14	919/18.09.14	संजय सप्लायर्स, इन्दौर	60/18.09.2014	13125	
44	10734/30.05.14	970/25.09.14	संजय सप्लायर्स, इन्दौर	64/25.09.2014	46200	
45	10344/30.05.14	984/26.09.14	संजय सप्लायर्स, इन्दौर	68/26.09.2014	46200	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
46	10374/30.05.14	971/25.09.14	संजय सप्लायर्स, इन्दौर	65/25.09.2014	36225	
47	10350/30.05.14	985/26.09.14	संजय सप्लायर्स, इन्दौर	69/26.09.2014	24150	
				योग	348789	
48	13747/15.07.14	622/31.07.14	बरखा सेल्स कॉरपोरेशन	467/31.07.2014	6300	
49	10340/30.05.14	920/18.09.14	बरखा सेल्स कॉरपोरेशन	476/18.09.2014	46200	
50	10392/30.05.14	968/25.09.14	बरखा सेल्स कॉरपोरेशन	481/25.09.2014	40950	
51	10392/30.05.14	986/26.09.14	बरखा सेल्स कॉरपोरेशन	483/26.09.2014	40950	
52	10388/30.05.14	969/25.09.14	बरखा सेल्स कॉरपोरेशन	482/25.09.2014	22680	
				योग	157080	
53	10352/30.05.14	977/25.09.14	यश सेल्स कॉरपोरेशन	662/25.09.2014	41160	
54	10414/30.05.14	983/25.09.14	यश सेल्स कॉरपोरेशन	664/25.09.2014	34020	
55	10352/30.05.14	982/26.09.14	यश सेल्स कॉरपोरेशन	665/26.09.2014	36015	
				योग	111195	
56	20363/14.11.14	1114/19.11.14	संजय सप्लायर्स, इन्दौर	319/19.11.2014	21000	
57	20381/14.11.14	1115/19.11.14	संजय सप्लायर्स, इन्दौर	321/19.11.2014	5775	
58	20369/14.11.14	1117/20.11.14	संजय सप्लायर्स, इन्दौर	322/20.11.2014	21000	
59	22721/24.12.14	641/09.01.15	संजय सप्लायर्स, इन्दौर	378/09.01.2015	27300	
60	22709/24.12.14	642/09.01.15	संजय सप्लायर्स, इन्दौर	380/09.01.2015	25200	
61	22709/24.12.14	924/28.01.15	संजय सप्लायर्स, इन्दौर	384/28.01.2015	37800	
62	22707/24.12.14	643/10.01.15	संजय सप्लायर्स, इन्दौर	381/10.01.2015	37800	
63	22707/24.12.14	916/27.01.15	संजय सप्लायर्स, इन्दौर	383/27.01.2015	25200	
				योग	201075	
64	1305/14.01.15	917/27.01.15	बरखा सेल्स कॉरपोरेशन	877/27.01.2015	46200	
65	1309/14.01.15	918/27.01.2015	बरखा सेल्स कॉरपोरेशन	878/27.01.2015	45675	
				योग	91875	
66	1307/14.01.15	---/28.01.15	यश सेल्स कॉरपोरेशन	957/28.01.2015	46200	
67	1313/14.01.15	930/28.01.15	यश सेल्स कॉरपोरेशन	958/28.01.2015	45675	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
68	1327/14.01.15	931/28.01.15	यश सेल्स कॉर्पोरेशन	959/28.01.2015	33075	
69	1311/14.01.15	1014/30.01.15	यश सेल्स कॉर्पोरेशन	965/30.01.2015	45675	
70	1319/14.01.15	1015/30.01.15	यश सेल्स कॉर्पोरेशन	966/30.01.2015	45675	
योग					216300	
71	20367/14.11.14	10025/01.12.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	134/01.12.2014	13125	249641 & 249642 133/09.03.15
72	20373/14.11.14	10039/03.12.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	135/03.12.2014	23625	
73	20377/14.11.14	10190/09.12.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	140/09.12.2014	24948	
74	20379/14.11.14	10191/09.12.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	141/09.12.2014	13125	
75	20370/14.11.14	10193/09.12.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	143/09.12.2014	24937	
76	20383/14.11.14	10192/09.12.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	142/09.12.2014	24937	
77	22713/24.12.14	11590/06.01.15	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	145/06.01.2015	40950	
78	22715/24.12.14	11591/06.01.15	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	146/06.01.2015	47775	
79	22719/24.12.14	11592/06.01.15	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	147/06.01.2015	47775	
80	22723/24.12.14	11630/09.01.15	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	149/09.01.2015	34125	
81	22727/24.12.14	11631/09.01.15	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	150/09.01.2015	34125	
82	22723/24.12.14	11710/10.01.15	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	151/10.01.2015	40950	
83	22711/24.12.14	11711/10.01.15	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	153/10.01.2015	40950	
84	1315/14.01.15	12590/15.01.15	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	156/15.01.2015	48195	
85	1321/14.01.15	12591/15.01.15	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	158/15.01.2015	40950	
86	1323/14.01.15	12615/16.01.15	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	159/16.01.2015	45675	249699 & 249702 145/31.03.15
87	1331/14.01.15	12616/16.01.15	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	160/16.01.2015	47775	
88	1315/14.01.15	12629/17.01.15	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	162/17.01.2015	47775	
योग					641717	
89	1343/14.01.15	14590/28.02.15	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	163/28.02.2015	22050	249699 & 249702 145/31.03.15
90	1343/14.01.15	14591/28.02.15	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	164/28.02.2015	26250	
योग					48300	
91	15193/19.11.13	6012/02.12.13	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	001/02.12.2013	15750	573555 & 573556 133/11.03.14
92	15195/19.11.13	6014/02.12.13	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	002/02.12.2013	23625	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
93	15197/19.11.13	6031/03.12.13	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	003/03.12.2013	23625	
94	15199/19.11.13	6032/03.12.13	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	004/03.12.2013	23625	
95	15201/19.11.13	6035/03.12.13	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	007/03.12.2013	24570	
96	15211/19.11.13	6036/03.12.13	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	8/03.12.2013	24570	
97	15636/29.11.13	6165/12.12.13	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	10/12.12.2013	22050	
98	15638/29.11.13	6166/12.12.13	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	11/12.12.2013	24990	
99	16093/09.12.13	6176/18.12.13	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	15/18.12.2013	22680	
100	15215/19.11.13	6254/27.12.13	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	21/27.12.2013	22680	
101	15203/19.11.13	6255/27.12.13	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	22/27.12.2013	23625	
102	17123/24.12.13	6256/27.12.13	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	24/27.12.2013	24990	
103	17488/31.12.13	8204/01.01.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	25/01.01.2014	24948	
104	17490/31.12.13	8205/01.01.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	26/01.01.2014	24570	
105	17492/31.12.13	8206/01.01.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	27/01.01.2014	24150	
योग					350448	
106	15217/19.11.13	1251/27.11.13	बरखा सेल्स कॉरपोरेशन	318/27.11.2013	24948	
107	15213/19.11.13	1261/03.12.13	बरखा सेल्स कॉरपोरेशन	320/03.12.2013	24150	
108	15191/19.11.13	1262/03.12.13	बरखा सेल्स कॉरपोरेशन	321/03.12.2013	22680	
109	17228/27.12.13	236/07.01.14	बरखा सेल्स कॉरपोरेशन	322/07.01.2014	5775	
110	943/09.01.14	628/10.01.14	बरखा सेल्स कॉरपोरेशन	327/10.01.2014	24696	
111	940/09.01.14	629/10.01.14	बरखा सेल्स कॉरपोरेशन	329/10.01.2014	24948	
योग					127197	
112	15207/19.11.13	1252/28.11.13	यश सेल्स कॉरपोरेशन	711/28.11.2013	19950	
113	15209/19.11.13	1253/28.11.13	यश सेल्स कॉरपोरेशन	712/28.11.2013	23760	
114	15189/19.11.13	1254/28.11.13	यश सेल्स कॉरपोरेशन	713/28.11.2013	24486	
115	15635/19.11.13	1270/06.12.13	यश सेल्स कॉरपोरेशन	719/06.12.2013	24696	
116	15205/19.11.13	1271/06.12.13	यश सेल्स कॉरपोरेशन	720/06.12.2013	24412	
117	16083/09.12.13	1302/20.12.13	यश सेल्स कॉरपोरेशन	731/20.12.2013	22680	
118	15571/17.12.13	1303/28.12.13	यश सेल्स कॉरपोरेशन	732/28.12.2013	24948	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
119	15569/17.12.13	1304/28.12.13	यश सेल्स कॉरपोरेशन	733/28.12.2013	24696	
योग					189628	
120	306/03.01.14	1205/27.02.14	बरखा सेल्स कॉरपोरेशन	334/27.02.2014	23940	573747 & 573748 144/27.03.14
121		1206/27.02.14	बरखा सेल्स कॉरपोरेशन	335/27.02.2014	24696	
122	308/03.01.14	1207/27.02.14	बरखा सेल्स कॉरपोरेशन	336/27.02.2014	24948	
123	1181/13.01.14	1208/27.02.14	बरखा सेल्स कॉरपोरेशन	337/27.02.2014	22680	
124	327/03.01.14	1209/27.02.14	बरखा सेल्स कॉरपोरेशन	338/27.02.2014	24696	
125	444/04.01.14	1430/03.03.14	बरखा सेल्स कॉरपोरेशन	339/03.03.2014	24570	
126	341/03.01.14	1431/03.03.14	बरखा सेल्स कॉरपोरेशन	340/03.03.2014	24948	
127	448/04.01.14	----/03.03.14	बरखा सेल्स कॉरपोरेशन	341/03.03.2014	24570	
128	303/03.01.14	1433/03.03.14	बरखा सेल्स कॉरपोरेशन	342/03.03.2014	23940	
129	464/04.01.14	1434/03.03.14	बरखा सेल्स कॉरपोरेशन	343/03.03.2014	16380	
130	321/03.01.14	1435/06.03.14	बरखा सेल्स कॉरपोरेशन	344/06.03.2014	19950	
131	467/15.01.14	1436/06.03.14	बरखा सेल्स कॉरपोरेशन	345/06.03.2014	24570	
योग					279888	
132	351/03.01.14	8691/21.02.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	33/21.02.2014	24948	573743 & 573744 144/27.03.14
133	451/04.01.14	8775/21.02.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	34/21.02.2014	24360	
134	424/04.01.14	8776/24.02.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	35/24.02.2014	24990	
135	1187/13.01.14	8778/24.02.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	37/24.02.2014	24990	
136	310/03.01.14	8779/28.02.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	38/28.02.2014	22575	
137	470/04.01.14	8780/28.02.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	39/28.02.2014	22680	
138	474/04.01.14	8785/28.02.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	40/28.02.2014	22680	
139	313/03.01.14	8786/28.02.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	41/28.02.2014	22260	
140	344/03.01.14	8787/28.02.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	42/28.02.2014	23940	
141	361/03.01.14	8790/28.02.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	43/28.02.2014	23940	
142	454/04.01.14	8792/28.02.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	45/28.02.2014	24360	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
143	457/04.01.14	8793/28.02.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	46/28.02.2014	24360	
योग					286083	
144	477/04.01.14	8840/01.03.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	47/01.03.2014	23100	
145	575/06.01.14	8842/01.03.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	50/01.03.2014	23887	
146	580/06.01.14	8865/03.03.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	52/03.03.2014	24948	
147	1178/13.01.14	8868/03.03.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	53/03.03.2014	22312	
148	1184/13.01.14	8869/03.03.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	54/03.03.2014	21787	
149	1172/13.01.14	8870/03.03.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	55/03.03.2014	22680	
150	1190/13.01.14	8871/03.03.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	57/03.03.2014	24990	
151	1193/13.01.14	8875/03.03.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	58/03.03.2014	24990	
152	354/03.01.14	8876/03.03.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	59/03.03.2014	24948	
153	357/03.01.14	9051/03.03.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	60/03.03.2014	24948	
154	414/04.01.14	9052/03.03.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	61/03.03.2014	22050	
155	428/04.01.14	9053/03.03.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	62/03.03.2014	24990	
156	431/04.01.14	9054/03.03.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	63/03.03.2014	24990	
157	561/06.01.14	----/03.03.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	64/03.03.2014	24150	
158	569/06.01.14	9056/03.03.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	65/03.03.2014	24150	
159	1200/15.01.14	9311/03.03.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	66/03.03.2014	24948	
160	1211/15.01.14	9314/03.03.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	68/03.03.2014	22050	
161	1214/15.01.14	9315/03.03.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	69/03.03.2014	21577	
162	1203/15.01.14	9320/03.03.14	कावेरी इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	70/03.03.2014	23520	
योग					451015	
163	318/03.01.14	1131/06.02.14	यश सेल्स कॉरपोरेशन	877/06.02.2014	19950	
164	1175/13.01.14	1152/13.02.14	यश सेल्स कॉरपोरेशन	878/13.02.2014	19950	
165	1169/13.01.14	1202/27.02.14	यश सेल्स कॉरपोरेशन	879/27.02.2014	19950	
166	422/04.01.14	1203/27.02.14	यश सेल्स कॉरपोरेशन	880/27.02.2014	24675	
167	1166/13.01.14	1204/27.02.14	यश सेल्स कॉरपोरेशन	882/27.02.2014	24486	
168	566/06.01.14	1423/03.03.14	यश सेल्स कॉरपोरेशन	905/03.03.2014	24150	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
169	440/04.01.14	1424/03.03.14	यश सेल्स कॉरपोरेशन	906/03.03.2014	24570	
170	437/04.01.14	1425/03.03.14	यश सेल्स कॉरपोरेशन	907/03.03.2014	24570	
171	330/03.01.14	1426/03.03.14	यश सेल्स कॉरपोरेशन	908/03.03.2014	24696	
172	370/03.01.14	1427/03.03.14	यश सेल्स कॉरपोरेशन	909/03.03.2014	24696	
173	364/03.01.14	1428/03.03.14	यश सेल्स कॉरपोरेशन	910/03.03.2014	24948	
174	367/03.01.14	1429/03.03.14	यश सेल्स कॉरपोरेशन	911/03.03.2014	24948	
175	460/04.01.14	1437/06.03.14	यश सेल्स कॉरपोरेशन	912/06.03.2014	24570	
176	333/03.01.14	1438/06.03.14	यश सेल्स कॉरपोरेशन	913/06.03.2014	24696	
177	575/06.01.14	1439/06.03.14	यश सेल्स कॉरपोरेशन	914/06.03.2014	24948	
178	589/06.01.14	1440/06.03.14	यश सेल्स कॉरपोरेशन	915/06.03.2014	24696	
179	557/06.01.14	1441/06.03.14	यश सेल्स कॉरपोरेशन	916/06.03.2014	24696	
योग					405195	
180	12043/02.09.13	810/10.09.13	यश सेल्स कॉरपोरेशन	420/10.09.2013	24948	573549 & 573550 133/11.03.14
181	12041/02.09.13	820/16.09.13	यश सेल्स कॉरपोरेशन	421/16.09.2013	24570	
182	12339/06.09.13	821/16.09.13	यश सेल्स कॉरपोरेशन	422/16.09.2013	24019	
183	12337/06.09.13	822/16.09.13	यश सेल्स कॉरपोरेशन	423/16.09.2013	23100	
184	923-B/25.09.13	---/19.10.13	यश सेल्स कॉरपोरेशन	520/19.10.2013	24948	
185	925-B/25.09.13	---/21.10.13	यश सेल्स कॉरपोरेशन	521/21.10.2013	24570	
186	14176/21.10.13	---/22.10.13	यश सेल्स कॉरपोरेशन	522/22.10.2013	24948	
187	14356/24.10.13	952/28.10.13	यश सेल्स कॉरपोरेशन	531/28.10.2013	21525	
योग					192628	
188	7293/06.06.13	527/10.06.13	बरखा सेल्स कॉरपोरेशन	27/10.06.2013	24570	573547 & 573548 132/10.03.14
189	11205/19.08.13	803/09.09.13	बरखा सेल्स कॉरपोरेशन	252/09.09.2013	24150	
190	11203/19.08.13	804/09.09.13	बरखा सेल्स कॉरपोरेशन	253/09.09.2013	24696	
191	11201/19.08.13	805/09.09.13	बरखा सेल्स कॉरपोरेशन	254/09.09.2013	23625	
192	12343/06.09.13	---/21.09.13	बरखा सेल्स कॉरपोरेशन	301/21.09.2013	14438	
193	9063/18.09.13	---/25.09.13	बरखा सेल्स कॉरपोरेशन	307/25.09.2013	12600	
194	14182/21.10.13	---/28.10.13	बरखा सेल्स कॉरपोरेशन	310/28.10.2013	18375	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
195	7293/06.06.13	964/28.10.13	बरखा सेल्स कॉर्पोरेशन	311/28.10.2013	18375	
योग					160829	
कुल योग (I)					5690927	
कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, जयरामग्य विकित्सालय समूह, ग्वालियर (म.प्र.)						
1.	16774-79/ 24.09.14	82459/30.11.14	प्रियंका प्रिन्टर्स, भोपाल	065/18.11.14	312000	723613/ 18.11.14
2.	16780-84/ 24.09.14	82458/30.11.14	प्रियंका प्रिन्टर्स, भोपाल	066/18.11.14	285000	
3.	16785-90/ 24.09.14	82456/30.11.14	प्रियंका प्रिन्टर्स, भोपाल	067/18.11.14	180000	
योग					777000	
4.	16791-96/ 24.09.14	82455/29.11.14	हेल्पलाईन एजेन्सीज प्रा.लि., भोपाल	121/18.11.14	290000	723611/ 30.12.14
5.	16797-82/ 24.09.14	82450/29.11.14	हेल्पलाईन एजेन्सीज प्रा.लि., भोपाल	122/18.11.14	184500	
6.	16803-08/ 24.09.14	82446/29.11.14	हेल्पलाईन एजेन्सीज प्रा.लि., भोपाल	123/18.11.14	192500	
7.	16809-14/ 24.09.14	82445/29.11.14	हेल्पलाईन एजेन्सीज प्रा.लि., भोपाल	124/18.11.14	390000	
योग					1057000	
8.	3187-90/ 26.02.15	85144/10.03.15	हेल्पलाईन एजेन्सीज प्रा.लि., भोपाल	127/03.03.15	424850	264253/ 28.03.15
योग					424850	
कुल योग(II)					2258850	
महा योग(I+II)					7949777	

परिशिष्ट— 3.9.1

(संदर्भ: कंडिका 3.9, पृष्ठ 205)

ठेकेदारों से समय में कार्य पूरा कराने के लिए निविदा प्रपत्रों के मुख्य नियम और अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करने पर क्षतिपूर्ति की दरें दर्शाने वाला विवरण पत्रक

नियम का विवरण	शर्तों का विवरण जिनका ठेकेदार को पालन करने की आवश्यकता है	शास्ति/क्षतिपूर्ति जब ठेकेदार शर्तों का पालन करने में विफल रहता है
नियमावली के परिशिष्ट 2.13 के धारा 2 और अनुबंध की शर्त 2	उन सभी मामलों में ठेकेदार आबद्ध होगा जिसमें किसी भी कार्य के लिए स्वीकृत समय एक माह से अधिक है, सम्पूर्ण कार्य के $1/8$ भाग को अनुबंध के तहत सम्पूर्ण स्वीकृत समय के $1/4$ भाग समाप्ति के पूर्व, कार्य का $3/8$ भाग का ऐसे समय के $1/2$ भाग समाप्ति के पूर्व एवं कार्य का $3/4$ भाग का ऐसे समय के $3/4$ भाग समाप्ति के पूर्व करना होगा।	ठेकेदार द्वारा उपरोक्त शर्त का पालन करने में विफल होने की दशा, में कार्यपालन यन्त्री ठेकेदार पर क्षतिपूर्ति के रूप में राशि के बराबर शास्ति आरोपित करेगा— <ol style="list-style-type: none"> 1. ₹ 2,00,000 तक की लागत के कार्य के सम्बन्ध में कार्य मूल्य का $1/2$ प्रतिशत प्रति सप्ताह। 2. ₹ 2,00,000 से ऊपर एवं ₹ 5,00,000 तक की लागत के कार्य के सम्बन्ध में कार्य मूल्य का $3/8$ प्रतिशत प्रति सप्ताह। 3. ₹ 5,00,000 से ऊपर एवं ₹ 10,00,000 तक की लागत के कार्य के सम्बन्ध में कार्य मूल्य का $1/4$ प्रतिशत प्रति सप्ताह। 4. ₹ 10,00,000 से ऊपर एवं ₹ 25,00,000 तक की लागत के कार्य के सम्बन्ध में कार्य मूल्य का $1/8$ प्रतिशत प्रति सप्ताह। 5. ₹ 25,00,000 एवं इसके ऊपर तक की लागत के कार्य के सम्बन्ध में कार्य मूल्य का $1/16$ प्रतिशत प्रति सप्ताह। <p>धारा के प्रावधान के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की कुल राशि कार्य मूल्य के 6 प्रतिशत तक सीमित होगी। अधीक्षण यन्त्री का निर्णय अन्तिम होगा।</p>
निविदा प्रस्तुति के निहितार्थ निविदा प्रपत्र के धारा 3.4(i) में	इस धारा के अनुसार निविदाकर्ताओं को निविदा प्रस्तुत करने की तय तिथि से पूर्व स्थल का पर्याप्त रूप से दौरा करने की सलाह दी जाती है। निविदा कर्ता को (चाहे निरीक्षण किया है या नहीं) प्रासंगिक दस्तावेज, नमूने, स्थल, खदान आदि का पूरीजानकारी है समझा जाएगा।	-----
निविदा प्रपत्र के धारा 3.6 में निविदा की प्रस्तुति	इसका तात्पर्य यह है कि निविदाकर्ता ने निविदा सूचना, निविदा की शर्तें एवं अन्य सभी अनुबंध दस्तावेज पढ़े हैं और मानकों, प्रक्रियाओं, कार्य के क्षेत्र एवं विशिष्टताओं जो किया जाना है और विशिष्टताओं जैसा भारतीय रोड कांग्रेस और भारतीय मानकों के प्रकाशनों में निर्धारित विनिर्देशन है के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। निविदाकर्ता को कार्य के स्थल इत्यादि की उपयुक्तता एवं उपलब्धता के साथ हीं साथ खादानों में सामाग्री के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए। नई खादान का प्रारम्भ करना, वहां पहुंच के निर्माण एवं मरम्मत की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से ठेकेदार की निहित होगी।	-----

परिशिष्ट 3.9.2

(संदर्भ: कंडिका 3.9, पृष्ठ 206)

समयवृद्धि प्रकरणों में कम शास्ति लगाए जाने के कारण ठेकेदारों से वसूली योग्य राशि का कार्यवार विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक

सं. क्र.	पैकेज क्र. एवं कार्य आवंटन दिनांक	कार्य का नाम एवं कार्य पूर्ण करने की विनिर्दिष्ट अवधि	निविदा लागत (₹लाख में)	कार्य पूर्ण होने की वास्तवि क तिथि	समयवृद्धि की अवधि (माह में)	किये गये कार्य का कुल मूल्य (₹ लाख में)	कार्य को विलम्ब से पूर्ण करने के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में लागू शास्ति की दर (%) में)	वसूली योग्य राशि (₹ में)	आरोपित की गई शास्ति की दर (प्रतिशत में)	वसूल की गई राशि (₹ में)	वसूली योग्य राशि (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12=9-11)
कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, देवास											
1	710/9.7.12	विकासखण्ड देवास में एम.एम. जी.एस.वार्ड के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों एवं सी.डी. कार्य का निर्माण/उन्नयन, 12 माह	198.37	25.12.14	16 माह	173.14	(1/16)*4*16 = 4.00%	6,92,558	0.25	43,285	6,49,273
2	711/9.7.12	तदैव, 12 माह	196.42	23.12.14	16 माह	143.30	(1/16)*4*16 = 4.00%	5,73,206	0.25	35,825	5,37,381
3	108/29.05.12	तदैव, 12 माह	183.21	22.12.14	17 माह	137.55	(1/16)*4*17 = 4.250%	5,84,585	0.30	41,265	5,43,320
4	109/29.05.12	तदैव, 12 माह	152.85	---	6 माह	107.99	(1/16)*4*6 = 1.500%	1,61,990	0.15	16,199	1,45,791
5	118/29.05.12	तदैव, 12 माह	137.22	---	25 माह	105.10	(1/16)*4*25 = 6.000%	6,30,606	0.20	21,020	6,09,586
6	110/29.05.12	तदैव, 12 माह	140.06	---	21 माह	75.75	(1/16)*4*21 = 5.250%	3,97,691	0.25	18,938	3,78,753
7	111/29.05.12	तदैव, 12 माह	175.48	---	16 माह	114.23	(1/16)*4*16 = 4.000%	4,56,933	0.20	22,847	4,34,086
8	112/29.05.12	तदैव, 12 माह	168.76	---	13 माह	90.23	(1/16)*4*13 = 3.250%	2,93,236	0.20	18,045	2,75,191
योग			1,352.37			947.29		37,90,805		2,17,424	35,73,381
कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, हरदा											
1.	4301/24.12.10	एम.एम.जी.एस.वार्ड के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों एवं सी.डी. कार्य का निर्माण/उन्नयन, 12 माह	186.08	07.10.13	20 माह	168.40	(1/16)*4*20 = 5.000%	8,42,012	0.00	0	8,42,012
2.	4302/24.12.10	तदैव, 12 माह	152.65	07.10.13	20 माह	158.53	(1/16)*4*20=5.00 0%	7,92,635	0.00	0	7,92,635

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12=9-11)
3.	4303/24.12.10	तदैव, 12 माह	76.77	07.08.12	6 माह	70.04	(1/16)*4*6 = 1.500%	1,05,067	0.9375	65,667	39,400
योग			415.50			396.97		17,39,714		65,667	16,74,047
कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग क्रं-1, जबलपुर											
1	3304/13.02.12	एम.एम.जी.एस.वार्ड. के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों एवं सी.डी. कार्य का निर्माण / उन्नयन, 12 माह	87.91	18.04.14	13 माह	135.45	(1/16)*4*13=3.25 0%	4,40,211	उपलब्ध नहीं	67,725	3,72,486
2	3317/22.01.13	एम.एम.जी.एस.वार्ड. के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण / उन्नयन, 12 माह	194.87	20.11.14	8 माह	145.06	(1/16)*4*8 =2.000%	2,90,129	0.10	14,506	2,75,623
3	3317/07.04.12	एम.एम.जी.एस.वार्ड. के अन्तर्गत सी.डी. कार्य का निर्माण / उन्नयन, 12 माह	86.42	02.05.15	22 माह	124.80	(1/16)*4*22=5.50 %	6,86,407	0.10	12,480	6,73,927
4	3317/21.07.14	एम.एम.जी.एस.वार्ड. के अन्तर्गत सी.डी. कार्य का निर्माण / उन्नयन, छ: माह	27.56	29.06.15	4 माह	41.31	(1/16)*4*4 =1 %	41,310	0.10	4,131	37,179
5	3321/05.03.12	एम.एम.जी.एस.वार्ड. के अन्तर्गत सी.डी. कार्य का निर्माण / उन्नयन, 12 माह	109.86	05.08.14	15 माह	52.56	(1/16)*4*15=3.75 %	1,97,120	0.10	5,257	1,91,863
6	3333/30.10.12	एम.एम.जी.एस.वार्ड. के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण / उन्नयन, 12 माह	228.30	17.03.14	3 माह	174.92	(1/16)*4*3 =0.75%	1,31,192	उपलब्ध नहीं	32,798	98,394
7	3333/07.04.12	एम.एम.जी.एस.वार्ड. के अन्तर्गत सी.डी. कार्य का निर्माण / उन्नयन, 12 माह	142.56	12.02.14	9 माह	87.50	(1/16)*4*9 = 2.250%	1,96,877	उपलब्ध नहीं	21,875	1,75,002
योग			877.48			761.61		19,83,246		1,58,772	18,24,474
कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग क्रं-2, जबलपुर											
1	3326/25.09.12	एम.एम.जी.एस.वार्ड. के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण / उन्नयन, 12 माह	120.62	20.02.15	15 माह	94.00	(1/16)*4*15=3.75 0%	3,52,509	0.10	9,400	3,43,109
2	3334/29.02.12	एम.एम.जी.एस.वार्ड. के अन्तर्गत सी.डी. कार्य का निर्माण / उन्नयन, 12 माह	106.36	12.07.13	3 माह	39.85	(1/16)*4*3 =0.750%	29,891	उपलब्ध नहीं	2,490	27,401

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12=9-11)
3	3302/20.04.12	एम.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत सी.डी. कार्य का निर्माण / उन्नयन, 12 माह	126.18	28.12.13	6 माह	116.26	(1/16)*4*6 =1.500%	1,74,384	उपलब्ध नहीं	43,671	1,30,713
4	3316/09.08.12	एम.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत सी.डी. कार्य का निर्माण / उन्नयन, 12 माह	146.02	28.06.14	8 माह	96.55	(1/16)*4*8 =2.000%	1,93,092	0.10	9,655	1,83,437
5	3326/15.03.12	एम.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत सी.डी. कार्य का निर्माण / उन्नयन, 12 माह	55.76	03.08.14	15 माह	23.31	(1/8)*4*15 =7.50%, 6.00% तक सीमित	1,39,833	0.50	11,653	1,28,180
योग			554.94			369.97		8,89,709		76,869	8,12,840
कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, बालाघाट											
1	3814/19.09.12	एम.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों एवं सी.डी. कार्य का निर्माण / उन्नयन, 12 माह	102.29	08.10.14	12 माह	116.87	(1/16)*4*12 =3.00%	3,50,614	0.05	5,844	3,44,770
2	3809 B/01.06.12	एम.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों एवं सी.डी. कार्य का निर्माण / उन्नयन, 12 माह	108.57	05.10.14	12 माह	175.83	(1/16)*4*12 =3.00%	5,27,481	0.10	17,583	5,09,898
योग			210.86			292.70		8,78,095		23,427	8,54,668
कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग क्रं-2, छिन्दवाड़ा											
1	3616 C/06.06.12	जी.एस.एस.वाई. के अन्तर्गत विकासखण्ड परासिया, छिन्दवाड़ा, के द्वितीय चरण का कार्य, 12 माह	211.6	24.07.14	12 माह	181.14	(1/16)*4*12 =3.00%	5,43,435	0.15	27,172	5,16,263
2	3616 D/10.09.12	जी.एस.एस.वाई. के अन्तर्गत विकासखण्ड परासिया, छिन्दवाड़ा, के द्वितीय चरण का कार्य, 12 माह	245.48	10.12.14	14 माह	129.81	(1/16)*4*14 =3.50%	4,54,321	0.10	12,981	4,41,340
3	3604/24.01.11	जी.एस.एस.वाई. के अन्तर्गत विकासखण्ड चौराई का कार्य, छिन्दवाड़ा, 12 माह	142.39	28.02.14	24 माह	80.18	(1/16)*4*24 =6.00%	4,81,081	0.25	20,045	4,61,036
4	3610/01.01.11	जी.एस.एस.वाई. के अन्तर्गत विकासखण्ड बिछुआ का कार्य, छिन्दवाड़ा, 12 माह	182.75	10.06.14	28 माह	91.50	(1/16)*4*28 =6.00%	5,49,018	0.20	18,301	5,30,717

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12=9-11)
5	3616 B/06.06.12	जी.एस.एस.वाई. के अन्तर्गत विकासखण्ड परासिया, छिन्दवाड़ा, के द्वितीय चरण का कार्य, 12 माह	262.62	15.03.14	8 माह	213.37	(1/16)*4*8 =2.00%	4,26,738	0.10	21,337	4,05,401
6	3623/28.09.12	जी.एस.एस.वाई. के अन्तर्गत विकासखण्ड परासिया, छिन्दवाड़ा, के तृतीय चरण का कार्य, 12 माह	627.97	30.06.15	20 माह	411.22	(1/16)*4*20 =5.00%	20,56,105	0.10	41,122	20,14,983
7	3622/21.08.12	जी.एस.एस.वाई. के अन्तर्गत विकासखण्ड चौराई, छिन्दवाड़ा, के तृतीय चरण का कार्य, 12 माह	92.72	25.01.15	15 माह	64.60	(1/16)*4*15 =3.75%	2,42,241	0.10	6,460	2,35,781
8	3606/14.01.11	जी.एस.एस.वाई. के अन्तर्गत विकासखण्ड परासिया, छिन्दवाड़ा, का कार्य, 12 माह	190.38	25.06.14	28 माह	108.62	(1/16)*4*28 =6.00%	6,51,692	0.15	16,292	635400
योग			1,356.44			889.31		39,25,794		1,03,512	38,22,282
कुल योग			4767.59			3657.85		1,32,07,363		6,45,671	1,25,61,692

परिशिष्ट 3.9.3
(संदर्भ: कंडिका 3.9, पृष्ठ 206)
अधीक्षण यंत्री के पैकेजवार उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

संख्या	पैकेज क्र. एवं कार्य आवंटन दिनांक	कार्य पूरा होने की तिथि	समय विस्तार अवधि	कार्य के विलम्ब से पूर्ण होने के मुख्य कारण एवं अधीक्षण यंत्री द्वारा सूचित किये गए लघु शास्ति आरोपित कर समयवृद्धि देने के लिए	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, देवास					
1	710/9.7.2012	25.12.14	16 माह	शासकीय भूमि पर अतिक्रमण और निजी भूमि पर विवाद के कारण स्थल चयन में विलम्ब, खदानों के आवंटन में विलम्ब, बरसात के मौसम में भारी वर्षा और बरसात के मौसम में ले आउट दिया जाना। विभागीय विलम्ब को ध्यान रखते हुए कुल पैकेज का 0.25 प्रतिशत शास्ति आरोपित की गई।	अधीक्षण यंत्री के उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ठेकेदार कार्य की आनुपातिक प्रगति देने में विफल रहा तथा अनुबंध की शर्तों के धारा 3.4(i) एवं 3.6 के अनुसार ठेकेदार को भूमि की उपलब्धता एवं अनुरूपता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना आवश्यक था। साथ ही ठेकेदार को नई खदाने खोलने एवं इसके अतिरिक्त पहुँच का निर्माण/अनुवीक्षण की जिम्मेदारी पूरी तरह से ठेकेदार की निर्धारित की गई थी। इसके अलावा, विलम्ब की वह अवधि जिसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार नहीं है अधीक्षण यंत्री द्वारा जारी सकारण आदेश में उल्लेख नहीं किया गया था।
2	711/9.7.2012	23.12.14	16 माह	निजी भूमि और स्थल पर विवाद के कारण स्थल चयन में विलम्ब, खदानों की अनुपलब्धता, बरसात के मौसम में भारी वर्षा और मजदूरों की कमी। विभागीय विलम्ब को ध्यान रखते हुए कुल पैकेज का 0.25 प्रतिशत शास्ति आरोपित की गई।	
3	108/29.05.2012	22.12.14	17 माह	निजी भूमि और स्थल पर विवाद के कारण स्थल चयन में विलम्ब, खदानों की अनुपलब्धता और पहुँच मार्ग उपलब्ध न होना। विभागीय विलम्ब को ध्यान रखते हुए कुल पैकेज का 0.30 प्रतिशत शास्ति आरोपित की गई।	
4	109/29.05.2012	---	6 माह	निजी भूमि पर स्थल विवाद के कारण सड़क उपलब्ध न होना, खदानों की अनुपलब्धता, बरसात के मौसम में भारी वर्षा और मजदूरों की कमी। विभागीय विलम्ब को ध्यान रखते हुए कुल पैकेज का 0.15 प्रतिशत शास्ति आरोपित की गई।	
5	118/29.05.2012	---	25 माह	सड़क का अलग से ले आउट न दिया जाना और सड़कों के स्तर का सलाहकार द्वारा समय पर जांच न किया जाना खदानों का आवंटन होना, मजदूरों की कमी और विभागीय अधिकारियों द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन में कमी होना। विभागीय विलम्ब को ध्यान रखते हुए कुल पैकेज का 0.20 प्रतिशत शास्ति आरोपित की गई।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	110/29.05.2012	---	21 माह	<p>स्थल तक का पहुँच मार्ग उपलब्ध न होना, सलाहकार द्वारा ले आउट न दिया जाना, मजदूरों की कमी और विभागीय अधिकारियों द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन में कमी होना।</p> <p>विभागीय विलम्ब को ध्यान रखते हुए कुल पैकेज का 0.25 प्रतिशत शास्ति आरोपित की गई।</p>	
7	111/29.05.2012	---	16 माह	<p>निजी भूमि पर अतिक्रमण, न्यायालय स्थगन, खदाने और पहुँच मार्ग उपलब्ध न होना।</p> <p>विभागीय विलम्ब को ध्यान रखते हुए कुल पैकेज का 0.20 प्रतिशत शास्ति आरोपित की गई।</p>	
8	112/29.05.2012	---	13 माह	<p>निजी भूमि पर अतिक्रमण, किसानी कार्य में डायवर्सन सड़क का उपलब्ध न होना, खदाने और पहुँच मार्ग उपलब्ध न होना।</p> <p>विभागीय विलम्ब को ध्यान रखते हुए कुल पैकेज का 0.20 प्रतिशत शास्ति आरोपित की गई।</p>	
कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, हरदा					
1.	4301/24.12.10	07.10.13	20 माह	<p>मजदूरों की कमी के कारण, सब ग्रेड और सोल्डर कार्य निष्पादित करने में विभाग द्वारा विलम्ब किया गया, खदान का आवंटन न होना, किसानों द्वारा सड़क स्थल पर अतिक्रमण होना और गर्मी में पानी की कमी होना। समयवृद्धि विना शास्ति के आरोपण स्वीकृत की गई।</p> <p>मजदूरों की कमी, अतिवृष्टि और दूरस्थ स्थानों से माल ढुलाई और गर्मी में पानी की कमी।</p> <p>कार्य लागत का 0.9375 प्रतिशत शास्ति आरोपण के बाद समयवृद्धि स्वीकृत की गई।</p>	<p>अधीक्षण यंत्री के उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ठेकेदार कार्य की आनुपातिक प्रगति देने में विफल रहा तथा अनुबंध की शर्तों के धारा 3.4(i) एवं 3.6 के अनुसार ठेकेदार को भूमि की उपलब्धता एवं अनुरूपता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना आवश्यक था। साथ ही ठेकेदार को नई खदाने खोलने एवं इसके अतिरिक्त पहुँच का निर्माण/अनुवीक्षण की जिम्मेदारी पूरी तरह से ठेकेदार की निर्धारित की गई थी।</p>
2.	4302/24.12.10	07.10.13	20 माह		
3.	4303/24.12.10	07.08.12	6 माह		
कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग क्र. 1, जबलपुर					
1	3304/13.02.12	18.04.14	13 माह	<p>विभाग द्वारा सब ग्रेड और अर्थ वर्क पूर्ण करने के उपरान्त ठेकेदार को कार्य स्थल विलम्ब से दिया गया, खनिज विभाग द्वारा खदानों का आवंटन विलम्ब से किया गया, मजदूरों की कमी और अतिवृष्टि।</p> <p>इन कारणों के कारण समयवृद्धि के लिए ठेकेदार पर ₹ 67,725/-शास्ति का आरोपण किया गया।</p>	<p>अधीक्षण यंत्री के उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ठेकेदार कार्य की प्रगति आनुपातिक देने में विफल रहा तथा अनुबंध की शर्तों के धारा 3.4(i) एवं 3.6 के अनुसार ठेकेदार को भूमि की उपलब्धता एवं अनुरूपता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना आवश्यक था।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	3317/22.01.13	20.11.14	8 माह	विभाग द्वारा सब ग्रेड और अर्थ वर्क पूर्ण करने के उपरान्त ठेकेदार को कार्य स्थल विलम्ब से दिया गया, खनिज विभाग द्वारा खदानों का आवंटन विलम्ब से किया गया, मजदूरों की कमी और अतिवृष्टि। इन कारणों के कारण समयवृद्धि के लिए ठेकेदार पर 0.10 प्रतिशत शास्ति का आरोपण किया गया।	
3	3317/07.04.12	02.05.15	22 माह	चैनेज 1100 मीटर से 1600 मीटर पर घाट होने के कारण सामग्री ले जाने में कठिनाई होना, चैनेज 1800 मीटर से 2200 मीटर में वन भूमि होने के कारण विलम्ब लगा। श्रमिकों का अभाव और पानी की कमी। इन कारणों के कारण समय वृद्धि के लिए ठेकेदार पर 0.10 प्रतिशत शास्ति का आरोपण किया गया।	
4	3317/21.07.14	29.06.15	4 माह	विभाग द्वारा सब ग्रेड और अर्थ वर्क पूर्ण करने के उपरान्त ठेकेदार को कार्य स्थल विलम्ब से दिया गया, पहुँच मार्ग में घाट होने के कारण और मजदूरों की कमी। इन कारणों के कारण समय वृद्धि के लिए ठेकेदार पर 0.10 प्रतिशत शास्ति का आरोपण किया गया।	
5	3321/05.03.12	05.08.14	15 माह	विभाग द्वारा सब ग्रेड और अर्थ वर्क पूर्ण करने के उपरान्त ठेकेदार को कार्य स्थल विलम्ब से दिया गया, सड़क की हालत अच्छी न होने के कारण सामग्री ले जाने में कठिनाई होना, और अतिवृष्टि। इन कारणों के कारण समय वृद्धि के लिए ठेकेदार पर 0.10 प्रतिशत शास्ति का आरोपण किया गया।	
6	3333/30.10.12	17.03.14	3 माह	विभाग द्वारा सब ग्रेड और अर्थ वर्क पूर्ण करने के उपरान्त ठेकेदार को कार्य स्थल विलम्ब से दिया गया, लै आउट विलम्ब से देना, भूमि विवाद, खादान आवंटन में विलम्ब होना और अतिवृष्टि। इन कारणों के कारण समयवृद्धि के लिए ठेकेदार पर 0.10 प्रतिशत शास्ति का आरोपण किया गया।	
7	3333/07.04.12	12.02.14	9 माह		
कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग क्र. 2, जबलपुर					
1		20.02.15	15 माह	विभाग द्वारा सब ग्रेड और अर्थ वर्क पूर्ण करने के उपरान्त ठेकेदार को कार्य स्थल विलम्ब से दिया गया, स्थल उपलब्ध न होना एवं वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र विलम्ब से प्राप्त होना। इन कारणों के कारण समयवृद्धि के लिए ठेकेदार पर 0.10 प्रतिशत शास्ति का आरोपण किया गया।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	3334/29.02.12	12.07.13	3 माह	<p>फसल खड़ी होने के कारण ले आउट विलम्ब से देना, बरसात होने के कारण सामग्री का परिवहन न हो सकना एवं बाजार में आई.एस.आई पाईप उपलब्ध न होना।</p> <p>इन कारणों के कारण समयवृद्धि के लिए ठेकेदार पर ₹ 2490/- शास्ति का आरोपण किया गया।</p>	<p>अधीक्षण यंत्री के उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ठेकेदार कार्य की अनुपातिक प्रगति देने में विफल रहा तथा अनुबंध की शर्तों के धारा 3.4(i) एवं 3.6 के अनुसार ठेकेदार को भूमि की उपलब्धता एवं अनुरूपता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना आवश्यक था। साथ ही ठेकेदार को नई खदाने खोलने एवं इसके अतिरिक्त पहुँच का निर्माण/अनुवीक्षण की जिम्मेदारी पूरी तरह से ठेकेदार की निर्धारित की गई थी। इसके अलावा, विलम्ब की वह अवधि जिसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार नहीं है अधीक्षण यंत्री द्वारा जारी सकारण आदेश में उल्लेख नहीं किया गया था।</p>
3	3302/20.04.12	28.12.13	6 माह	<p>विभाग द्वारा सब ग्रेड और अर्थ वर्क पूर्ण करने के उपरान्त ठेकेदार को कार्य स्थल विलम्ब से दिया गया, ले आउट विलम्ब से देना एवं बाजार में आई.एस.आई. पाईप उपलब्ध न होना।</p> <p>इन कारणों के कारण समयवृद्धि के लिए ठेकेदार पर ₹ 43,671/- शास्ति का आरोपण किया गया।</p>	
4	3316/09.08.12	28.06.14	8 माह	<p>विभाग द्वारा सब ग्रेड और अर्थ वर्क पूर्ण करने के उपरान्त ठेकेदार को कार्य स्थल विलम्ब से दिया गया, स्थल उपलब्ध न होना, मजदूरों की कमी एवं अधिक वर्षा।</p> <p>इन कारणों के कारण समयवृद्धि के लिए ठेकेदार पर 0.10 प्रतिशत शास्ति का आरोपण किया गया।</p>	
5	3326/15.03.12	03.08.14	15 माह	<p>विभाग द्वारा सब ग्रेड और अर्थ वर्क पूर्ण करने के उपरान्त ठेकेदार को कार्य स्थल विलम्ब से दिया गया, स्थल उपलब्ध न होना।</p> <p>इन कारणों के कारण समयवृद्धि के लिए ठेकेदार पर 0.50 प्रतिशत शास्ति का आरोपण किया गया।</p>	
कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, बालाघाट					
1.	3814/19.09.12	08.10.2014	12 माह	<p>विभाग द्वारा सब ग्रेड और अर्थ वर्क पूर्ण करने के उपरान्त ठेकेदार को कार्य स्थल विलम्ब से दिया गया, वन विभाग से अनापत्ति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण ले आउट विलम्ब से देना।</p> <p>इन कारणों के कारण समयवृद्धि के लिए ठेकेदार पर 0.05 प्रतिशत शास्ति का आरोपण किया गया।</p>	<p>अधीक्षण यंत्री के उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ठेकेदार कार्य की अनुपातिक प्रगति देने में विफल रहा तथा अनुबंध की शर्तों के धारा 3.4(i) एवं 3.6 के अनुसार ठेकेदार को भूमि की उपलब्धता एवं अनुरूपता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना आवश्यक था। साथ ही ठेकेदार को नई खदाने खोलने एवं इसके अतिरिक्त पहुँच का निर्माण/अनुवीक्षण की जिम्मेदारी पूरी तरह से ठेकेदार की निर्धारित की गई थी। इसके अलावा, विलम्ब की वह अवधि जिसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार नहीं है अधीक्षण यंत्री द्वारा जारी सकारण आदेश में उल्लेख नहीं किया गया था।</p>
2.	3809 बी/01.06.12	05.10.2014	12 माह	<p>विभाग द्वारा सब ग्रेड और अर्थ वर्क पूर्ण करने के उपरान्त ठेकेदार को कार्य स्थल विलम्ब से दिया गया, वन विभाग से अनापत्ति विलम्ब से जारी होने के कारण, खनिज विभाग द्वारा खदानों का आवंटन विलम्ब से किया जाना।</p> <p>इन कारणों के कारण समयवृद्धि के लिए ठेकेदार पर 0.10 प्रतिशत शास्ति का आरोपण किया गया।</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रं. 2, छिन्दवाड़ा					
1	3616 सी/06.06.12	24.07.14	12 माह	<p>विभाग द्वारा सब ग्रेड और अर्थ वर्क पूर्ण करने के उपरान्त ठेकेदार को कार्य स्थल विलम्ब से दिया गया, वन विभाग से अनापत्ति विलम्ब से जारी होने के कारण, निजी भूमि विवाद ।</p> <p>इन कारणों के कारण समयवृद्धि के लिए ठेकेदार पर 0.15 प्रतिशत शास्ति का आरोपण किया गया ।</p>	<p>अधीक्षण यंत्री के उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ठेकेदार कार्य की आनुपातिक प्रगति देने में विफल रहा तथा अनुबंध की शर्तों के धारा 3.4(i) एवं 3.6 के अनुसार ठेकेदार को भूमि की उपलब्धता एवं अनुरूपता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना आवश्यक था । साथ ही ठेकेदार को नई खदाने खोलने एवं इसके अतिरिक्त पहुँच का निर्माण/अनुवीक्षण की जिम्मेदारी पूरी तरह से ठेकेदार की निर्धारित की गई थी । इसके अलावा, विलम्ब की वह अवधि जिसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार नहीं है अधीक्षण यंत्री द्वारा जारी सकारण आदेश में उल्लेख नहीं किया गया था ।</p>
2	3616 डी/10.09.12	10.12.14	14 माह	<p>विभाग द्वारा सब ग्रेड और अर्थ वर्क पूर्ण करने के उपरान्त ठेकेदार को कार्य स्थल विलम्ब से दिया गया, निजी भूमि विवाद ।</p> <p>इन कारणों के कारण समयवृद्धि के लिए ठेकेदार पर 0.10 प्रतिशत शास्ति का आरोपण किया गया ।</p>	
3	3604/24.01.11	28.02.14	24 माह	<p>विभाग द्वारा सब ग्रेड और अर्थ वर्क पूर्ण करने के उपरान्त ठेकेदार को कार्य स्थल विलम्ब से दिया गया, कार्य की माप विलम्ब से लिया जाना ।</p> <p>इन कारणों के कारण समयवृद्धि के लिए ठेकेदार पर 0.25 प्रतिशत शास्ति का आरोपण किया गया ।</p>	
4	3610/01.01.11	10.06.14	28 माह	<p>विभाग द्वारा सब ग्रेड और अर्थ वर्क पूर्ण करने के उपरान्त ठेकेदार को कार्य स्थल विलम्ब से दिया गया, अतिदुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण मशीनरी ले जाने में कठिनाई होना ।</p> <p>इन कारणों के कारण समय वृद्धि के लिए ठेकेदार पर 0.20 प्रतिशत शास्ति का आरोपण किया गया ।</p>	
5	3616 बी/06.06.12	15.03.14	8 माह	<p>विभाग द्वारा सब ग्रेड और अर्थ वर्क पूर्ण करने के उपरान्त ठेकेदार को कार्य स्थल विलम्ब से दिया गया, खदानों के आवंटन में विलम्ब होना, वन विभाग से अनुमति विलम्ब से प्राप्त होना ।</p> <p>इन कारणों के कारण समयवृद्धि के लिए ठेकेदार पर 0.10 प्रतिशत शास्ति का आरोपण किया गया ।</p>	
6	3623/28.09.12	30.06.15	20 माह	<p>विभाग द्वारा सब ग्रेड और अर्थ वर्क पूर्ण करने के उपरान्त ठेकेदार को कार्य स्थल विलम्ब से दिया गया, वन विभाग से अनुमति विलम्ब से प्राप्त होना, कार्य के एलाइनमेन्ट में परिवर्तन ।</p> <p>इन कारणों के कारण समयवृद्धि के लिए ठेकेदार पर 0.10 प्रतिशत शास्ति का आरोपण लगाया गया ।</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	3622/21.08.12	25.01.15	15 माह	<p>विभाग द्वारा सब ग्रेड और अर्थ वर्क पूर्ण करने के उपरान्त ठेकेदार को कार्य स्थल विलम्ब से दिया गया, म.प्र. विद्युत मण्डल द्वारा लाईन शिपिटिंग करने के पश्चात पुलियों का निर्माण कराया गया एवं वर्षा ऋतु में अत्यधिक वर्षा होना।</p> <p>इन कारणों के कारण समयवृद्धि के लिए ठेकेदार पर 0.10 प्रतिशत शास्ति का आरोपण लगाया गया।</p>	
8	3606/14.01.11	25.06.14	28 माह	<p>विभाग द्वारा सब ग्रेड और अर्थ वर्क पूर्ण करने के उपरान्त ठेकेदार को कार्य स्थल विलम्ब से दिया गया, विलम्ब से डी.पी.आर. प्राप्त होना, पुलियों के संख्यां में परिवर्तन होना, अत्यधिक वर्षा होना।</p> <p>इन कारणों के कारण समयवृद्धि के लिए ठेकेदार पर 0.15 प्रतिशत शास्ति का आरोपण लगाया गया।</p>	

परिशिष्ट 3.10.1

(संदर्भ: कांडिका 3.10, पृष्ठ 208)

प्रथम ठेकेदार से जोखिम एवं लागत के रूप में कार्यवार अधिक एवं वसूली योग्य राशि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

संक्र.	कार्य का नाम	पीस वर्क के माध्यम से किये गये कार्य की लागत (₹ में)	कार्य की लागत, यदि प्रथम ठेकेदार द्वारा पूर्ण किया गया होता (₹ में)	अधिक एवं वसूली योग्य राशि (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)
पैकेज क्रमांक 0902				
1.	मुख्य सड़क से सिमरी दुबे	1184467	728087	456380
2.	मुख्य सड़क से धरमपुरा	82475	47936	34539
3.	भिल्से से अमसिल	1851130	1226752	624378
4.	मुख्य सड़क बड़ागाँव से जमीन प्रताप सिंह	456338	316174	140164
5.	काकरहटी से मोहनपुरा (सड़क)	6444005	4056355	2387650
6.	मुख्य सड़क से सवाईगंजपुर्वा	632844	368666	264178
7.	7 / 10 किमी से भटेरमेघा	307731	184334	123397
8.	भटेरमेघा से भटेरजीत	176700	112622	64078
योग		11135690	7040926	4094764
पैकेज क्रमांक 0908				
1.	मुख्य सड़क बीरमपुरा से मक्केपाला	922931	667445	255486
2.	मुख्य सड़क से सरईखेडा	922931	667445	255486
3.	बगरोड से सलैया समरी	19665	18670	995
4.	जरगनवा से खजगवां	19665	18670	995
5.	पटना से उमरिया	19331	18353	978
6.	पटीखेडा से माधवपुरा	481779	334743	147036
7.	मुख्य सड़क से लाखनचौरी	1316928	955348	361580
8.	बघवरखुर्द से रानीपुरा	582789	422572	160217
9.	मक्केपाला से अलौनी	420589	306357	114232
योग		4706608	3409603	1297005
कुलयोग		15842298	10450529	5391769

संक्र.	पैकेज क्रमांक	कुल वसूली योग्य राशि (₹ में)	जब्त ई.एम.डी. (₹ में)	शेष वसूली योग्य राशि (₹ में)
1.	0902	4094764	270051	3824713
2.	0908	1297005	255840	1041165
योग		53,91,769	5,25,891	48,65,878

परिशष्ट- 3.10.2

(संदर्भ: कंडिका 3.10, पृष्ठ 208)

अनुबंध की धारा 3 (सी) के अंतर्गत अन्य ठेकेदार द्वारा कार्य करने पर प्रथम ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर पैकेजवार वसूली योग्य राशि का विवरण पत्रक

स. क्र.	पैकेज क्रमांक	कार्य का नाम	प्रथम ठेकेदार का नाम	प्रथम ठेकेदार से अनुबंध क्र / दिनांक	कार्य की लागत (एस. ओ.आर. के अनुसार) जिसे प्रथम ठेकेदार द्वारा अपूर्ण छोड़ा गया था (₹ लाख में)	निविदा प्रतिशत	कार्य की कुल लागत यदि यह प्रथम ठेकेदार द्वारा पूर्ण किया गया होता	समान कार्य की कुल लागत जिसे प्रथम ठेकेदार द्वारा अपूर्ण छोड़ा गया था, द्वितीय ठेकेदार द्वारा स्वीकृत एवं अनुबंधित	जोखिम एवं लागत पर प्रथम ठेकेदार से वसूली योग्य राशि (₹ लाख में)	प्रथम ठेकेदार से वसूली गई राशि (₹ लाख में)	प्रथम ठेकेदार से बकाया वसूली योग्य (₹ लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग क्रमांक 2, जबलपुर

1.	3302	ग्रामीण सड़कों एवं पुल —पुलियों का निर्माण/ अद्यतन	मेसर्स आर.के. कन्स्ट्रक्शन, पनागर, जिला जबलपुर	07/ 22.12.10	77.81	एस.ओ. आर. से 13 % कम (-) 10.11	67.70	92.80*	25.10	1.26	23.84
2.	3310	---do---	--do--	08/ 22.12.10	60.86	एस.ओ. आर. से 0.1 % कम (-) 0.061	60.79	72.72#	11.93	1.64	10.29
योग							128.49	128.49	37.03	2.90	34.13

1* प्रथम ठेकेदार द्वारा छोड़े गये अपूर्ण कार्य को मेसर्स राजेन्द्र प्रसाद को 19.26% एस.ओ.आर. से अधिक दरों पर प्रदाय किया गया था। कार्य की कुल लागत ₹ 77.81 + ₹ 14.99 (19.26% एस.ओ.आर. से अधिक) = ₹ 92.80 लाख हुई।

प्रथम ठेकेदार द्वारा छोड़े गये अपूर्ण कार्य को मेसर्स मॉरी रीवा कन्स्ट्रक्शन को 19.5% एस.ओ.आर. से अधिक दरों पर प्रदाय किया गया था। कार्य की कुल लागत ₹ 60.86 + ₹ 11.86 (19.5% एस.ओ.आर. से अधिक) = ₹ 72.72 लाख हुई।

परिशिष्ट 3.11.1

(संदर्भ: कंडिका 3.11, पृष्ठ 209)

लांड्री सर्विसेस को जारी लिनेन कपड़ों का वार्डवार विवरण एवं संबंधित वार्डों के विवरण से वास्तविक पुष्टि किये बिना कपटपूर्ण अधिक भुगतान का विवरण पत्रक

संक्र.	वार्ड का नाम	अवधि		वार्डों द्वारा जारी लिनेन की संख्या	फर्म द्वारा लिनेन दावों की सं.	लिनेन कपड़े का अन्तर	कपटपूर्ण भुगतान (₹ में)	छूट घटाया (₹ में)	सर्विस टेक्स जोड़ा (₹ में)	कुल कपटपूर्ण अधिक भुगतान (₹ में)	बिल सं. एवं दिनांक
		से	तक	(5)	(6)	(7=6-5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1 (अ)	मुख्य ओ.टी.	12/2013	4/2014	10812	42190	31378	196057	10783	22899.8	208174	886/6-1-14, 984/4-2-14, 1053/3-3-14, 37/22-4-14, 88/6-5-14
1(ब)		05/2014	12/2014	14852	129399	114547	743898	40914	86889	789873	172/4-6-14, 250/7-7-14, 409/5-9-14, 490/9-10-14, 560/5-11-114, 664/2-12-14, 751/7-1-15,
1 (स)		01/2015	07/2015	12363	158368	146005	954056	52473	111436	1013019	820/6-2-15, 935/9-3-15, 53/15-4-15, 151/8-5-15, 228/8-6-15, 336/8-7-15, 444/12-8-15
1(द)		08/2015	09/2015	3316	29040	25724	212131	530	29624	241224	532/6-9-15, 862/6-1-16
2.	एफ.एस.डब्ल्यू (एफ.एस.)	05/2014	12/2014	5487	10868	5381	33056	1818	3861	35099	क्रम सं. 1 (ब) के अनुसार
		01/2015	07/2015	5421	11321	5900	37409	2057	4369	39721	क्रम सं. 1 (स) के अनुसार
		08/2015	09/2015	1521	3492	1971	17400	43	2430	19786	क्रम सं. 1 (द) के अनुसार
3.	गायनिक ओ.टी.	05/2014	12/2014	13363	91133	77770	512315	28177	59839	543977	क्रम सं. 1 (ब) के अनुसार
		01/2015	07/2015	12226	97512	85286	561567	30886	65592	596273	क्रम सं. 1 (स) के अनुसार
		08/2015	09/2015	3932	20411	16479	131278	328	18333	149283	क्रम सं. 1 (द) के अनुसार
4.	मातृत्व वार्ड	05/2014	12/2014	15674	35965	20291	131075	7209	15310	139176	क्रम सं. 1 (ब) के अनुसार
		01/2015	07/2015	16382	42630	26248	169287	9311	19773	179749	क्रम सं. 1 (स) के अनुसार
		08/2015	09/2015	5379	14208	8829	81559	204	11390	92744	क्रम सं. 1 (द) के अनुसार
5.	पी.पी. ओ.टी.	05/2014	12/2014	2591	11571	8980	58338.5	3208.6	6814	61944	क्रम सं. 1 (ब) के अनुसार
		01/2015	07/2015	1292	8772	7480	44688	2458	5220	47449	क्रम सं. 1 (स) के अनुसार
		08/2015	09/2015	414	7301	6887	61535	154	8593	69975	क्रम सं. 1 (द) के अनुसार
6.	हेमोडायलिसिस (एच.डी.)	05/2014	12/2014	5025	13725	8700	51676	2842	6036	54869	क्रम सं. 1 (ब) के अनुसार
		01/2015	07/2015	4794	15694	10900	63084	3470	7368	66982	क्रम सं. 1 (स) के अनुसार
		08/2015	09/2015	1907	7633	5726	47334	118	6610	53826	क्रम सं. 1 (द) के अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6-5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.	न्यू आई.सी.यू	05/2014	12/2014	1435	4486	3051	20070	1104	2344	21310	क्रम सं. 1 (ब) के अनुसार
		01/2015	07/2015	1399	5684	4285	31408	1727	3668	33349	क्रम सं. 1 (स) के अनुसार
		08/2015	09/2015	442	1935	1493	16073	40	2244	18277	क्रम सं. 1 (द) के अनुसार
8.	एम.एम.डब्ल्यू II+एम.एम.डब्ल्यू II(एस-II)	05/2014	12/2014	7478	11313	3835	23597	1298	2756	25055	क्रम सं. 1 (ब) के अनुसार
		01/2015	07/2015	7022	11773	4751	28601	1573	3341	30369	क्रम सं. 1 (स) के अनुसार
		08/2015	09/2015	1767	3941	2174	20511	51	2864	23324	क्रम सं. 1 (द) के अनुसार
9.	चिकित्सक कमरा सं. 2,3,11,12,19,20 (सी.एच.डब्ल्यू +ओ.पी.डी.) सी. एच.डब्ल्यू.+मातृत्व वार्ड	05/2014	12/2014	8195	13978	5783	35900	1974	4193	38118	क्रम सं. 1 (ब) के अनुसार
		01/2015	07/2015	7027	11897	4870	29812.5	1640	3482	31655	क्रम सं. 1 (स) के अनुसार
		08/2015	09/2015	2069	3731	1662	14444	36	2017	16425	क्रम सं. 1 (द) के अनुसार
10.	आई.ओ.टी.+आई. वार्ड	05/2014	12/2014	1721	2107	386	2368	130	276	2514	क्रम सं. 1 (ब) के अनुसार
		01/2015	07/2015	1823	2217	394	2155	119	252	2288	क्रम सं. 1 (स) के अनुसार
		08/2015	09/2015	401	551	150	1216	03	170	1382	क्रम सं. 1 (द) के अनुसार
11.	महिला वार्ड (एफ. एम.)	05/2014	12/2014	4497	6347	1850	10269	565	1199	10903	क्रम सं. 1 (ब) के अनुसार
		01/2015	07/2015	3497	5915	2418	15686	863	1832	16655	क्रम सं. 1 (स) के अनुसार
		08/2015	09/2015	1287	1912	625	5514	14	770	6270	क्रम सं. 1 (द) के अनुसार
12.	एम.एस.डब्ल्यू-I (एस-I)	05/2014	12/2014	5753	14440	8687	50534	2779	5902	53657	क्रम सं. 1 (ब) के अनुसार
		01/2015	07/2015	4629	7917	3288	19969	1098	2332	21203	क्रम सं. 1 (स) के अनुसार
		08/2015	09/2015	1342	1347	05	-54	0	-8	-62	क्रम सं. 1 (द) के अनुसार
13.	एम.एम.डब्ल्यू I + पुराना आई.सी.यू + डेंगू वार्ड	05/2014	12/2014	6010	9060	3050	18266	1005	2134	19395	क्रम सं. 1 (ब) के अनुसार
		01/2015	07/2015	3956	7220	3264	19923	1096	2327	21154	क्रम सं. 1 (स) के अनुसार
		08/2015	09/2015	1073	3514	2441	21533	54	3007	24486	क्रम सं. 1 (द) के अनुसार
14.	निजी वार्ड	05/2014	12/2014	2198	4538	2340	13997	770	1635	14862	क्रम सं. 1 (ब) के अनुसार
		01/2015	07/2015	1935	2189	254	1449	80	169	1538	क्रम सं. 1 (स) के अनुसार
		08/2015	09/2015	633	634	01	177	0	25	201	क्रम सं. 1 (द) के अनुसार
15.	पी.आई.सी.यू वार्ड	05/2014	12/2014	2517	4623	2106	12731	700	1487	13518	क्रम सं. 1 (ब) के अनुसार
		01/2015	07/2015	2180	3507	1327	8795	484	1027	9339	क्रम सं. 1 (स) के अनुसार
		08/2015	09/2015	594	1118	524	4258	11	595	4842	क्रम सं. 1 (द) के अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6-5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16.	ई.एन.टी. वार्ड	05/2014	12/2014	921	953	32	-453	-25	-53	-480	क्रम सं. 1 (ब) के अनुसार
		01/2015	07/2015	792	1033	241	1037	57	121	1101	क्रम सं. 1 (स) के अनुसार
		08/2015	09/2015	179	269	90	822	2	115	935	क्रम सं. 1 (द) के अनुसार
	योग			221523	901382	679859	4538352	216231.6	544610.8	4866726	

परिशिष्ट— 3.12.1

(संदर्भ: कंडिका 3.12, पृष्ठ 210)

संदिग्ध हस्तालिखित बिल के माध्यम से क्रय करना दर्शाकर एल.पी.जी. सिलेंडरों के लिए किए गये भुगतान का तिथिवार विवरण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

संक्र.	क्रय/वितरण की तिथि	क्रय करना दिखाये गये सिलेंडर की संख्या	दर प्रति सिलेंडर (₹ में)	कुल राशि (₹ में)	बिल सं. एवं दिनांक	भुगतान की गई राशि (सर्वश्री)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	29.12.2012	2	1280.5	2561	336/03.09.2013	कमलेश सटांकर, सहायक ग्रेड III
2.	19.01.2013	8	1241	9928		
3.	30.01.2013	3	1228	3684		
4.	13.02.2013	8	1228	9824		
5.	25.02.2013	8	1228	9824		
6.	26.03.2013	8	1116	8928		
7.	13.04.2013	12	975	12000	303/26.08.2013	विजय कुमार राजुरकर, स्टीवर्ड
8.	12.05.2013	8	1000	8000		
9.	22.05.2013	8	1000	8000		
10.	06.06.2013	10	1000	10000		
11.	16.06.2013	9	1000	9000		
12.	26.06.2013	9	1000	9000		
13.	14.07.2013	8	975	7800	303/26.08.2013	विजय कुमार राजुरकर, स्टीवर्ड
14.	01.08.2013	9	975	8775		
15.	07.08.2013	8	975	7800		
16.	17.08.2013	6	975	5850		
17.	27.08.2013	7	975	6825		
18.	05.09.2013	2	1710	3420		
19.	07.09.2013	5	1010	5050	503/20.11.2013	विजय कुमार राजुरकर, स्टीवर्ड
20.	18.09.2013	8	1010	8080		
21.	28.09.2013	4	1090	4360		
22.	05.10.2013	2	1050	2100		
23.	08.10.2013	8	1090	8720		
24.	20.10.2013	5	1090	5450		
25.	27.10.2013	8	1090	8720	574/11.12.2013	विजय कुमार राजुरकर, स्टीवर्ड
26.	31.10.2013	8	1090	8720		
27.	12.11.2013	9	1035	9315		
28.	12.11.2013	9	1035	9315		
29.	21.11.2013	4	1035	4140		
30.	05.12.2013	4	1100	4400		
31.	06.12.2013	4	1100	4400	734/10.03.2014	विजय कुमार राजुरकर, स्टीवर्ड
32.	07.12.2013	4	1100	4400		
33.	10.03.2014	4	1180	4720		
34.	10.06.2014	5	1688	8440		
35.	15.06.2014	1	1792	1792		
36.	27.05.2014	3	1792	5376		
37.	04.06.2014	3	1717	5151	161/20.06.2014	
38.	05.05.2014	5	1792	8960		
39.	10.05.2014	4	1792	7168		
40.	14.05.2014	5	1792	8960		
41.	20.05.2014	3	1792	5376		
42.	20.05.2014	3	1792	5376		
43.	14.03.2014	9	1180	10620		
44.	22.03.2014	9	1180	10620		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
45.	28.03.2014	9	1180	10620	44/08.12.2014	कमलेश सटांकर, सहायक ग्रेड III
46.	17.12.2013	4	1130	4520		
47.	21.12.2013	5	1130	5650		
48.	28.12.2013	5	1100	5500		
49.	31.12.2013	4	1100	4400		
50.	08.01.2014	4	1343	5372		
51.	13.01.2014	2	1340	2680		
52.	15.01.2014	2	1340	2680		
53.	19.01.2014	2	1340	2680		
54.	22.01.2014	2	1340	2680		
55.	24.01.2014	2	1340	2680		
56.	29.01.2014	3	1340	4020		
57.	02.02.2014	4	1340	5360		
58.	03.04.2014	4	468	1872		विजय कुमार राजुरकर, स्टीवर्ड
59.	06.04.2014	2	1792	3584		
60.	13.04.2014	2	1792	3584		
61.	15.04.2014	2	1792	3584		
62.	19.04.2014	3	1792	5376		
63.	26.04.2014	3	1792	5376		
64.	19.06.2014	6	1688	10128		
65.	01.07.2014	3	1688	5064		विवेक नागले, स्टीवर्ड
66.	05.07.2014	3	1730	5190		
67.	11.07.2014	5	1730	8650		
68.	17.07.2014	5	1730	8650		
69.	23.07.2014	5	1730	8650		
70.	27.07.2014	5	1730	8650		
71.	02.08.2014	4	1725	6900		
72.	07.08.2014	5	1725	8625		
73.	12.08.2014	4	1725	6900		
74.	20.08.2014	4	1725	6900		
75.	28.08.2014	5	1730	8650		
76.	02.09.2014	2	1700	3400		
77.	09.09.2014	6	1750	10500		
78.	17.09.2014	6	1700	10200		
79.	25.09.2014	6	1690	10140		
80.	02.10.2014	3	1690	5070		विवेक नागले, स्टीवर्ड
81.	07.10.2014	6	1690	10140		
82.	15.10.2014	5	1690	8450		
83.	21.10.2014	5	1690	8450		
84.	01.11.2014	5	1659	8295		
85.	07.11.2014	5	1649	8245		
86.	13.11.2014	5	1659	8295		
87.	21.11.2014	5	1649	8245		
88.	28.11.2014	4	1659	6636		
89.	02.12.2014	5	1640	8200		
90.	09.12.2014	4	1640	6560		
91.	15.12.2014	4	1630	6520		
92.	20.12.2014	4	1630	6520		
93.	25.12.2014	2	1630	3260		
94.	31.12.2014	4	1630	6520		
95.	07.01.2015	5	1630	8150		
96.	13.01.2015	5	1630	8150		
97.	20.01.2015	5	1630	8150		
98.	24.01.2015	5	1630	8150		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
99.	03.02.2015	5	1440	7200	142/05.06.2015	विवेक नागले, स्टीवर्ड
100.	08.02.2015	5	1440	7200		
101.	15.02.2015	5	1440	7200		
102.	22.02.2015	5	1440	7200		
103.	25.02.2015	3	1440	4320		
104.	02.03.2015	6	1397	8382		
105.	09.03.2015	6	1397	8382		
106.	20.03.2015	6	1397	8382		
107.	25.03.2015	6	1397	8382		
योग		540		7,29,017		

परिशिष्ट— 3.12.2

(संदर्भ: कंडिका 3.12, पृष्ठ 211)

हस्तालिखित बिलों के आधार पर क्रय किये एल.पी.जी. सिलेंडर का भुगतान दर्शाने वाला प्रपत्र जिनकी प्रविष्टियाँ भंडार पंजी में नहीं पाई गई

संक्र.	क्रय / वितरण की तिथि	क्रय में दिखाये गये सिलेंडर की संख्याएँ	दर प्रति सिलेंडर (₹ में)	कुल भुगतान राशि (₹ में)	भंडार पंजी पृष्ठ क्र. जो प्रमाण पत्र में दिखाया गया था लेकिन भंडार पंजी में प्रविष्टियाँ नहीं पाई गई	बिल सं. एवं दिनांक जिसके माध्यम से भुगतान किया गया था	राशि भुगतान की गई (सर्व/श्री)	टिप्पणी
1.	29.12.2012	2	1280.50	2561	78	336/ 03.09.2013	कमलेश सटांकर, सहायक ग्रेड- III	क्रय किये गये सिलेंडरों की संख्याएँ एवं राशि का उल्लेख नहीं किया गया था। भंडार पंजी के पृष्ठ क्र. 78 पर स.क्र. 2 पर दर्ज प्रविष्टियाँ नहीं पाई गई
2.	19.01.2013	8	1241	9928	78			
3.	30.01.2013	3	1228	3684	78			
4.	10.02.2013	4	1228	4912	78			
5.	13.02.2013	8	1228	9824	78			
6.	25.02.2013	8	1228	9824	78			
7.	14.03.2013	1	1116	1116	78			
8.	26.03.2013	8	1116	8928	78			
9.	12.11.2013	9	1035	9315	79	574/ 11.12.2013	विजय कुमार राजुरकर	भंडार पंजी में प्रविष्टि नहीं पाई गई
10.	10.03.2014	4	1180	4720	82	734/ 10.03.2014	विजय कुमार राजुरकर	भंडार पंजी में प्रविष्टि नहीं पाई गई
11.	17.12.2013	4	1130	4520	11	44/ 08.12.2014	कमलेश सटांकर, सहायक ग्रेड- III	भंडार पंजी के निर्दिष्ट पृष्ठ क्र. पर अन्य प्रविष्टियों का उल्लेख किया गया था।
12.	21.12.2013	5	1130	5650	11			
13.	28.12.2013	5	1100	5500	11			
14.	31.12.2013	4	1100	4400	12			
15.	08.01.2014	4	1343	5372	12			
16.	13.01.2014	2	1340	2680	13			
17.	15.01.2014	2	1340	2680	13			
18.	19.01.2014	2	1340	2680	13			
19.	22.01.2014	2	1340	2680	14			
20.	24.01.2014	2	1340	2680	14			
21.	29.01.2014	3	1340	4020	14			
22.	02.02.2014	4	1340	5360	14			
23.	02.10.2014	3	1690	5070	87	412/ 21.11.2014	विवेक नागले, स्टीवर्ड	भंडार पंजी में प्रविष्टि नहीं पाई गई
		97		1,18,104				

परिशिष्ट— 3.12.3

(संदर्भ: कंडिका 3.12, पृष्ठ 211)

उच्च दर से क्रय किए गये एल.पी.जी. गैस सिलेंडर के लिए संदिग्ध हस्तलिखित बिल के माध्यम से अधिक आहरित राशि का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

सं. क्र.	सिविल सर्जन बैतूल, के अनुसार विवरण				गैस ऐजेंसी के अनुसार विवरण				अधिक भुगतान (₹ में)
	क्रय/वितरण का दिनांक	क्रय के लिए दिखाये गये सिलेंडरों की संख्या	दर (₹ में)	भुगतान राशि (₹ में)	वितरण का दिनांक	आपूर्ति की गई वास्तविक सिलेंडरों की सं.	दर (₹ में)	प्राप्त राशि (₹ में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=5-9)
1.	12.12.2012	8	1280.5	12244	12.12.2012	8	467	3736	8508
2.	10.02.2013	6	1228	7368	10.02.2013	2	467	934	6434
3.	14.03.2013	8	1116	8928	14.03.2013	7	467	3269	5659
4.	03.04.2013	8	1100	8800	03.04.2013	8	449	3592	5208
5.	02.05.2013	8	1000	8000	02.05.2013	8	449	3592	4408
6.	02.07.2013	8	975	7800	02.07.2013	8	454	3632	4168
7.	26.07.2013	8	975	7800	26.07.2013	4	454	1816	5984
	योग	54		60,940		45		20,571	40,369

परिशिष्ट—3.13.1

(संदर्भ: कंडिका—3.13, पृष्ठ 212)

मुद्रांक शुल्क का कम/नहीं लगाने एवं पंजीकरण शुल्क नहीं लगाने का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(राशि ₹ में)

संक्र.	आवंटी का नाम (सर्वश्री)	दुकान क्र.	आवंटन दिनांक	प्रीमियम ऑफसेट मूल्य	लगाने योग्य स्टाम्प शुल्क (एस.डी.) (8%/7.5% /5%)	लगाने योग्य निबंधन शुल्क (आर.एफ.) (एस.डी. का 75%)	कुल लगाने योग्य एस.डी.+आर.एफ.	लगाया गया मुद्रांक शुल्क	लगाया गया पंजीयन शुल्क	मुद्रांक शुल्क / पंजीयन शुल्क का कम आरोपण	मुद्रांक शुल्क की लागू दरें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6+7)	(9)	(10)	{11=8-(9+10)}	(12)
रोगी कल्याण समिति, गरोठ कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मन्दसौर											
1	फजलुदिन, पुत्र— श्री अब्दुल रजाक अगवान	1	15-07-1999	235501	17663	13247	30910	0.00	0.00	30910	7.5%
2	महेश कुमार, पुत्र— श्री बालचन्द जी मोदी	2	15-07-1999	235501	17663	13247	30910	0.00	0.00	30910	7.5%
3	कमलेश कुमार गुप्ता	3	15-07-1999	235501	17663	13247	30910	0.00	0.00	30910	7.5%
4	अमित कुमार चौधरी	4	15-07-1999	235501	17663	13247	30910	0.00	0.00	30910	7.5%
5	सरद कुमार मुलचन्द	5	15-07-1999	235501	17663	13247	30910	0.00	0.00	30910	7.5%
6	मुकेश चौधरी	6	15-07-1999	235501	17663	13247	30910	0.00	0.00	30910	7.5%
7	जगदीश चन्द्र, पुत्र— श्री रामचन्द्र	7	15-07-1999	235501	17663	13247	30910	0.00	0.00	30910	7.5%
8	कृष्णानन्द पुत्र— श्री बद्री लाल	8	15-07-1999	235501	17663	13247	30910	0.00	0.00	30910	7.5%
9	धर्मचन्द्र संघवी	9	15-07-1999	235501	17663	13247	30910	0.00	0.00	30910	7.5%
10	अनिल अग्रवाल	10	15-07-1999	235501	17663	13247	30910	0.00	0.00	30910	7.5%
11	रमेशचन्द्र, पुत्र— श्री भेरु लाल	11	15-07-1999	235501	17663	13247	30910	0.00	0.00	30910	7.5%
12	महेश, पुत्र— श्री बलराम	12	15-07-1999	235501	17663	13247	30910	0.00	0.00	30910	7.5%
13	राधेश्याम, पुत्र— श्री रामदयाल	13	15-07-1999	235501	17663	13247	30910	0.00	0.00	30910	7.5%
14	अनिल कुमार उदिया	14	15-07-1999	235501	17663	13247	30910	0.00	0.00	30910	7.5%
15	भेरु लाल, पुत्र— श्री गोवर्धन लाल	15	15-07-1999	235501	17663	13247	30910	0.00	0.00	30910	7.5%
16	बंशिलाल चौधरी	16	15-07-1999	235501	17663	13247	30910	0.00	0.00	30910	7.5%
17	श्रीमती सुमित्रा बाई मुजवादिया	17	15-07-1999	235501	17663	13247	30910	0.00	0.00	30910	7.5%
18	शिवराज सिंह, पुत्र— श्री बृजराज सिंह	18	15-07-1999	235501	17663	13247	30910	0.00	0.00	30910	7.5%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6+7)	(9)	(10)	{11=8-(9+10)}	(12)
19	श्रीमती ज्योती, पत्नी— श्री श्याम सिंह जादोन	19	21-04-2006	376000	30080	22560	52640	0.00	0.00	52640	8%
20	राम सिंह, पुत्र— श्री शिवराज सिंह जादोन	20	21-04-2006	381000	30480	22860	53340	0.00	0.00	53340	8%
21	जगदीश, पुत्र— सत्यनारायण गुप्ता	21	21-04-2006	476000	38080	28560	66640	0.00	0.00	66640	8%
22	अंतिम, पुत्र— श्री कैलास चन्द्र	22	21-04-2006	552000	44160	33120	77280	0.00	0.00	77280	8%
23	श्रीमती श्यामा बाई, पत्नी— बद्री लाल	23	21-04-2006	577200	46176	34632	80808	0.00	0.00	80808	8%
24	चन्द्र सिंह, पुत्र— श्री नाथूसिंह सिसोदिया	24	21-04-2006	651000	52080	39060	91140	0.00	0.00	91140	8%
25	श्रीमती कमला बाई, पत्नी— श्री मोहन लाल	25	21-04-2006	666500	53320	39990	93310	0.00	0.00	93310	8%
26	श्री कृष्ण पुत्र— भंवर लाल गुप्ता	26	21-04-2006	684000	54720	41040	95760	0.00	0.00	95760	8%
27	शिवनारायण पुत्र— श्री भंवर लाल वर्मा	27	21-04-2006	630000	50400	37800	88200	0.00	0.00	88200	8%
28	हरिनारायण पुत्र— मांगी लाल मोदी	28	21-04-2006	631000	50480	37860	88340	0.00	0.00	88340	8%
29	अशोक कुमार पुत्र— हरनाम दास पंजाबी	29	21-04-2006	651000	52080	39060	91140	0.00	0.00	91140	8%
30	राजेश पुत्र— श्री लक्ष्मी नारायण बड़ोदिया	30	21-04-2006	611000	48880	36660	85540	0.00	0.00	85540	8%
31	नरेन्द्र कुमार पुत्र— नानालाल धनोटिया	31	21-04-2006	601000	48080	36060	84140	0.00	0.00	84140	8%
32	श्रीमती अनिला पत्नी— श्री कृष्णकान्त भट्ट	32	21-04-2006	641000	51280	38460	89740	0.00	0.00	89740	8%
33	महेश कुमार पुत्र— श्री रतन लाल	33	21-04-2006	621500	49720	37290	87010	0.00	0.00	87010	8%
34	जितन्द्र कुमार पुत्र— कन्हैयालाल	34	21-04-2006	741000	59280	44460	103740	0.00	0.00	103740	8%
35	देवी लाल पुत्र— नरसिंह	35	21-04-2006	762500	61000	45750	106750	0.00	0.00	106750	8%
36	उमराव सिंह पुत्र— नाथू सिंह	36	21-04-2006	956000	76480	57360	133840	0.00	0.00	133840	8%
37	ओमकारलाल—निर्भयराम पाटीदार एण्ड सन्स, कोटड़ा बुजुर्ग	37	21-07-2010	3706000	277950	208463	486413	0	0	486413	7.5%
38	अनिल—निर्भयराम पाटीदार एण्ड सन्स, कोटड़ा बुजुर्ग	38	21-07-2010	1870000	140250	105188	245438	0	0	245438	7.5%
39	कैलाश पुत्र— श्री हरिवल्लभ चौधरी	39	21-07-2010	1651000	123825	92869	216694	0	0	216694	7.5%
40	महेश पुत्र— लक्ष्मीनारायण रावत	40	21-07-2010	1516000	113700	85275	198975	0	0	198975	7.5%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6+7)	(9)	(10)	{11=8-(9+10)}	(12)
41	રાજેન્દ્ર પુત્ર— શ્રી ઉદ્યરામ કોટવાર	41	21-07-2010	1407000	105525	79144	184669	0	0	184669	7.5%
42	અશોક પુત્ર— શ્રી સત્યનારાયણ પાટીદાર	42	21-07-2010	1388000	104100	78075	182175	0	0	182175	7.5%
43	શુભમ પુત્ર— શ્રી રાજેન્દ્ર વ્યાસ	43	21-07-2010	1343000	100725	75544	176269	0	0	176269	7.5%
44	ધીરપસિંહ પુત્ર— શ્રી માનસિંહ	44	21-07-2010	1336000	100200	75150	175350	0	0	175350	7.5%
45	કિસન સિંહ પુત્ર— શ્રી કર્ણ સિંહ	45	21-07-2010	1292000	96900	72675	169575	0	0	169575	7.5%
46	રાધેશ્યામ પુત્ર— શ્રી ભેરુલાલ વિશ્વકર્મા	46	21-07-2010	1310000	98250	73688	171938	0	0	171938	7.5%
47	મુકેશ પુત્ર— શ્રી કિશોરીલાલ પાટીદાર	47	25-09-2012	1313000	65650	49238	114888	0	0	114888	5%
48	વિનોદ કુમાર પુત્ર— શ્રી નાથુલાલ શર્મા	48	21-07-2010	1351000	101325	75994	177319	0	0	177319	7.5%
49	ધીરજ પુત્ર— શ્રી ગ્યારસી લાલ	49	25-09-2012	1235000	61750	46313	108063	0	0	108063	5%
50	સુમંત કુશવાહ પુત્ર— શ્રી એમ.એલ. કુશવાહ	50	25-09-2012	1302000	65100	48825	113925	0	0	113925	5%
યોગ				37468718	2769960	2077469	4847429	0	0	4847429	

રોગી કલ્યાણ સમિતિ, શામગઢ, કાર્યાલય, મુખ્ય ચિકિત્સા એવં સ્વાસ્થ્ય અધિકારી, મન્ડસૌર

51	વિશાલ કુમાર પુત્ર— ગોવર્ધનલાલ જૈસવાલ	1	08.09.2010	811000	60825	45619	106444	100	0	106344	7.5%
52	સુનીલ કુમાર પુત્ર— શિવનારાયણ	2	08.09.2010	871000	65325	48994	114319	100	0	114219	7.5%
53	દિનેશ કુમાર પુત્ર— રામગોપાલ	3	08.09.2010	911000	68325	51244	119569	100	0	119469	7.5%
54	કમલ કિશોર પુત્ર— બાલમુકુંદ	4	08.09.2010	921000	69075	51806	120881	100	0	120781	7.5%
55	શકુન્તલાબાઈ પટ્ટી— પ્રકાશચન્દ્ર જૈન	5	08.09.2010	933000	69975	52481	122456	100	0	122356	7.5%
56	બાલારામ પુત્ર— બદ્રીલાલ ભાવસાર	6	08.09.2010	951000	71325	53494	124819	100	0	124719	7.5%
57	ઓમપ્રકાશ બાલારામ ભાવસાર	7	08.09.2010	901000	67575	50681	118256	100	0	118156	7.5%
58	શાંતિબાઈ પટ્ટી— રાજમહલ	8	08.09.2010	1197000	89775	67331	157106	100	0	157006	7.5%
59	દિનેશ કુમાર જેતરામ	9	08.09.2010	1201000	90075	67556	157631	0	0	157631	7.5%
60	રોહિત કુમાર પાટીદાર	10	08.09.2010	1380000	103500	77625	181125	0	0	181125	7.5%
61	વિનોદ કુમાર જેતરામ	11	08.09.2010	1401000	105075	78806	183881	0	0	183881	7.5%
62	રાજેન્દ્ર કુમાર પુત્ર— ભેરુલાલ ચૌધરી	14	22.10.2007	387000	30960	23220	54180	100	0	54080	8%
63	ઓમપ્રકાશ પુત્ર— બગદીરામ ગુપ્તા	15	22.10.2007	400000	32000	24000	56000	100	0	55900	8%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6+7)	(9)	(10)	{11=8-(9+10)}	(12)
64	सत्यनारायण पुत्र— बद्रीलाल मंडवारिया	16	22.10.2007	421000	33680	25260	58940	100	0	58840	8%
65	गीताबाई रामचन्द्र मेहता	17	22.10.2007	437000	34960	26220	61180	100	0	61080	8%
66	नवीन प्रकाश कैलाश चन्द्र	18	22.10.2007	430000	34400	25800	60200	100	0	60100	8%
67	शशि पत्नी— स्व. श्री चिमनलाल पंजाबी	19	22.10.2007	431000	34480	25860	60340	100	0	60240	8%
68	हरिनारायण पुत्र— श्री राजमल गुप्ता	20	01.07.2005	351000	28080	21060	49140	100	0	49040	8%
69	राकेश पुत्र— पारसमल	21	01.07.2005	355000	28400	21300	49700	100	0	49600	8%
70	गुलाबचन्द्र पुत्र— धूलचन्द्र मंडवरिया	22	01.07.2005	400000	32000	24000	56000	100	0	55900	8%
71	अनिल कुमार पुत्र— बाबुलाल काला	22A	09.11.2002	141501	11320	8490	19810	100	0	19710	8%
72	मनोहरलाल पुत्र— बद्रीलाल	23	09.11.2002	450000	36000	27000	63000	100	0	62900	8%
73	सत्यनारायण झानचन्द्र	24	09.11.2002	450000	36000	27000	63000	100	0	62900	8%
74	पुष्पादेवी राजमल	25	09.11.2002	450000	36000	27000	63000	100	0	62900	8%
75	मोहनलाल पुरावाला	26	09.11.2002	450000	36000	27000	63000	100	0	62900	8%
76	राजमल पुत्र— श्री कासिराम गुप्ता	27	09.11.2002	450000	36000	27000	63000	100	0	62900	8%
77	योगेश कुमार हरिओमप्रकाश गुप्ता	28	09.11.2002	450000	36000	27000	63000	100	0	62900	8%
78	गीताबाई सत्यनारायण	29	09.11.2002	450000	36000	27000	63000	0	0	63000	8%
79	रामगोपाल पुत्र— सत्यनारायण चौधरी	30	09.11.2002	450000	36000	27000	63000	100	0	62900	8%
80	ललित कुमार पुत्र— मुकंदराम	31	09.11.2002	450000	36000	27000	63000	100	0	62900	8%
81	गीतादेवी पति— सुरेशचन्द्र	32	09.11.2002	450000	36000	27000	63000	100	0	62900	8%
82	प्रवीण कुमार सुरेशचन्द्र व्यास	33	09.11.2002	450000	36000	27000	63000	100	0	62900	8%
83	भंवरलाल पुत्र— मांदलिया	34	09.11.2002	450000	36000	27000	63000	100	0	62900	8%
84	गोरधनलाल पुत्र— भवानीशंकर	35	09.11.2002	450000	36000	27000	63000	100	0	62900	8%
85	कन्हैयालाल सीताराम	36	09.11.2002	450000	36000	27000	63000	100	0	62900	8%
86	पंकज पुत्र— भेरुलाल धनोतिया	37	09.11.2002	450000	36000	27000	63000	100	0	62900	8%
87	शांतीबाई पत्नी— कन्हैयालाल रत्नावत	38	09.11.2002	450000	36000	27000	63000	100	0	62900	8%
88	जगदीश कुमार घडिया	38A	09.11.2002	104111	8329	6247	14576	0	0	14576	8%
89	कन्हैलाल पुत्र— नरसिंहलाल	39	09.11.2002	450000	36000	27000	63000	100	0	62900	8%
90	सत्यनारायण पुत्र— मोहनलाल	40	09.11.2002	450000	36000	27000	63000	100	0	62900	8%
91	काता बाई पत्नी— विश्वनाथ बटवाल	41	09.11.2002	450000	36000	27000	63000	100	0	62900	8%
92	किशनचन्द्र कालरा ट्रेडिंग कम्पनी	42	09.11.2002	450000	36000	27000	63000	100	0	62900	8%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6+7)	(9)	(10)	{11=8-(9+10)}	(12)
93	मुकेश कुमार पुत्र— महावीर कुमार जैन	43	09.11.2002	450000	36000	27000	63000	100	0	62900	8%
94	जगदीश रामेश्वर मुजावदीया	44	09.11.2002	450000	36000	27000	63000	100	0	62900	8%
95	बालकृष्ण रामनिवास मेहता	45	09.11.2002	450000	36000	27000	63000	100	0	62900	8%
96	नन्दकिशोर शिवचेतन मेहता	46	09.11.2002	450000	36000	27000	63000	100	0	62900	8%
97	गिरजाशंकर पुत्र— ओमप्रकाश	47	09.11.2002	450000	36000	27000	63000	100	0	62900	8%
98	कृष्ण वल्लभ पुत्र— नारायणलाल	48	09.11.2002	450000	36000	27000	63000	100	0	62900	8%
99	गीतादेवी पति— दुर्गाशंकर चौहान	49	09.11.2002	550000	44000	33000	77000	100	0	76900	8%
100	जगिल अहमद रईस अहमद	50	09.11.2002	557000	44560	33420	77980	100	0	77880	8%
101	कैलाशचन्द्र बालमुकुन्द गुप्ता	51	09.11.2002	561000	44880	33660	78540	100	0	78440	8%
102	धीरज कुमार रामविलास संघवी	52	09.11.2002	555555	44444	33333	77778	100	0	77678	8%
103	ओमप्रकाश तखतराम	53	09.11.2002	561000	44880	33660	78540	100	0	78440	8%
योग				29820167	2328223	1746167	4074391	4800	0	4069591	
योग				67288885	5098183	3823636	8921820	4800	0	8917020	
कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अशोकनगर											
1	संजय कुमार पुत्र— श्री कोमलचन्द्र जैन	1	19.03.2010	65000	4875	3656	8531	50	0	8481	7.5%
2	संजय कुमार पुत्र— श्री कोमलचन्द्र जैन	2	19.03.2011	160000	12000	9000	21000	50	0	20950	7.5%
3	सुधीरसोनी पुत्र— श्री रामस्वरूप सोनी	1	13.05.2014	2200000	110000	82500	192500	100	0	192400	5%
4	राम कुमार रघुवंशी पुत्र— श्री रघुराज सिंह रघुवंशी	3	06.06.2014	911000	45550	34163	79713	100	0	79613	5%
5	श्रीमती वंदना रघुवंशी पत्नी— रामकुमार रघुवंशी	4	06.06.2015	821000	41050	30788	71838	100	0	71738	5%
6	अवतार सिंह पुत्र— श्री सिरनाम सिंह	5	29.08.2014	986000	49300	36975	86275	100	0	86175	5%
कुलयोग				72431885	5360958	4020718	9381677	5300	0	9376377	

टीप: स.क्र. 1 से 50 और 59,60,61,78 तथा 88 के लिए अनुबंध निष्पादित नहीं किये गये थे।

परिशिष्ट-3.14.1

(संदर्भ: कंडिका, 3.14, पृष्ठ 213)

पूर्व से पदस्थ सफाई कर्मियों एवं आउटसोर्सड किए गए सफाई कर्मियों के साथ के सफाई कर्मियों, अधिक सफाई कर्मियों के परिनियोजन पर किए गए अधिक व्यय का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक

संक्र.	अस्पताल में बिस्तरों की संख्या	अस्पताल में स्वीकृत सफाई कर्मियों की संख्या	अस्पताल में कार्यरत सफाई कर्मियों की संख्या	आउटसोर्सड किए सफाई कर्मियों की संख्या	अस्पताल में उपलब्ध कुल सफाई कर्मियों की संख्या	मानदण्डों के अनुसार रखे जाने वाले सफाई कर्मियों की संख्या	अत्यधिक आउटसोर्सड सफाई कर्मियों की संख्या	अत्यधिक भुगतान की अवधि	अत्यधिक भुगतान की अवधि	सफाई कर्मियों को एक माह के लिये भुगतान की दर (सभी करों सहित) (₹ में)	परिहार्य अत्यधिक भुगतान (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4+5)	(7)	(8=6-7)	(9)	(10)	(11)	(12=8*10*11)

कार्यालय सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, बड़वानी

1.	300 बिस्तरीय	23	15	54	69	54	15	अक्टूबर 2013 से मार्च 2014	06 माह	7340	660600
								अप्रैल 2014 से 15 नवम्बर 2014	07 माह 15 दिन	7773	874463
								16 नवम्बर 2014 से मार्च 15	04 माह 15 दिन	7783	525353
								अप्रैल 2015 to जून 2015	03 माह	7894	355230
								जनवरी 2016	01 माह	7693	115395

योग

2531041

टीप:- अप्रैल से सितम्बर 2013, जुलाई से दिसम्बर 2015 एवं फरवरी से मार्च 2016 में कोई भुगतान नहीं किया गया था।

कार्यालय सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, जय प्रकाश, भोपाल

2.	400 बिस्तरीय	25	16	60	76	66	10	अप्रैल 2013 से मई 2013	02 माह	6345	126900
				90	106	66	40	जून 2013 से अगस्त 2014	15 माह	6345	3807000
				90	106	66	40	सितम्बर 14	01 माह	7773	310920
				90	106	66	40	अक्टूबर 2014	01 माह	7898	315920
				90	106	66	40	नवम्बर 14 से जुलाई 2015	09 माह	7849	2825640

योग

7386380

टीप:- बजट की कमी के कारण अगस्त 2015 से मार्च 2016 तक कोई भुगतान नहीं किया गया था।

परिशिष्ट -3.14.2

(संदर्भ: कंडिका, 3.14, पृष्ठ 213)

पूर्व से पदस्थ सफाई कर्मियों एवं आउटसोर्स पर रखे गये अत्यधिक सफाई कर्मियों पर मासिक परिहार्य व्यय का विवरण पत्रक

अस्पताल में बिस्तरों की संख्या	माह	अस्पताल में स्वीकृत सफाई कर्मियों की संख्या	अस्पताल में कार्यरत सफाई कर्मियों की संख्या	आउटसोर्स पर रखे गये सफाई कर्मियों की संख्या	अस्पताल में उपलब्ध कुल सफाई कर्मियों की संख्या	मानदण्डों के अनुसार रखे जाने वाले सफाई कर्मियों की संख्या	अत्यधिक आउटसोस ड्र सफाई कर्मियों की संख्या	सफाई कर्मियों को एक माह के लिये भुगतान की दर (₹ में)	अधिक आउटसोर्स ड्र सफाई कर्मियों को अधिक भुगतान (₹ में)	12.36 प्रतिशत की दर से सेवा कर का भुगतान (₹ में)	कुल परिहार्य भुगतान (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4+5)	(7)	(8=6-7)	(9)	(10=8*9)	(11)	(12=10+11)
कार्यालय सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, सागर											
300 बिस्तरीय	12.06.14 to 30.06.14	51	27	29	56	54	02	3686	7372	911	8283
	07/2014	51	27	62	89	54	35	5820	203700	25177	228877
	08/2014	51	27	64	91	54	37	5820	215340	26616	241956
	09/2014	51	27	62	89	54	35	5820	203700	25177	228877
	10/2014	51	27	61	88	54	34	6900	234600	28997	263597
	11/2014	51	27	60	87	54	33	6900	227700	28144	255844
	12/2014	51	27	61	88	54	34	6900	234600	28997	263597
	01/2015	51	27	54	81	54	27	6900	186300	23027	209327
	02/2015	51	27	52	79	54	25	6900	172500	21321	193821
	03/2015	51	27	48	75	54	21	6918	145278	17956	163234
	04/2015	51	27	45	72	54	18	6918	124524	15391	139915
	05/2015	51	27	44	71	54	17	6918	117606	14536	132142
	06/2015	51	27	50	77	54	23	6918	159114	19666	178780
	07/2015	51	27	49	76	54	22	6918	152196	18811	171007
	08/2015	51	27	48	75	54	21	6918	145278	17956	163234
	09/2015	51	27	52	79	54	25	6918	172950	21377	194327
	10/2015	51	27	49	76	54	22	6918	152196	18811	171007
	11/2015	51	27	50	77	54	23	6918	159114	19666	178780
	12/2015	51	27	49	76	54	22	6918	152196	21307	173503
	01/2016	51	27	49	76	54	22	6918	152196	22068	174264
	02/2016	51	27	49	76	54	22	6918	152196	22068	174264
	03/2016	51	27	33	60	54	06	6918	41508	6019	47527
योग								3512164	443999	3956163	

परिशिष्ट.3.15.1

(संदर्भ: कंडिका 3.15,पृष्ठ 215)

ई—टेण्डरिंग में भाग लेने वाले निविदाकारों की संख्या एवं कार्यवार निविदा प्रस्तुत करने के लिये प्रदाय समय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

संक्र.	निविदा आमंत्रण क्र./वर्ष	ई—निविदा क्र.	कार्य का विवरण	निविदा आमंत्रण	निविदा रचना दिनांक	अनुमानित लागत (₹ लाख में)	ऑनलाईन निविदा क्रय प्रारंभ: दिनांक/समय	ऑनलाईन निविदा क्रय समाप्त: दिनांक/समय	ई—टेण्डरिंग में भाग लेने वाले निविदाकारों की संख्या	समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित हुआ	निविदा क्रय के लिये निर्धारित समय	ऑनलाईन साईट पर निविदा आमंत्रण के लिये प्रदाय समय कुल समय	निविदाएं आमंत्रण में निर्धारित समय की कमी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	04/2014-15	192	ग्राम गोलाघाट, विकासखंड पिछोर में 50 कि.ली. स्टेट 9 आर.सी.सी. ओवर टैक का का निर्माण	प्रथम आमंत्रण	08.05.2014	9.50	11.05.2014 10.30	21.05.2014 23.30	1	पत्रिका, आचरण	15 दिन	10 दिन	5 दिन
2.	59/2014-15	1137	ग्राम रामगढ़ विकासखंड बद्रवास में चेकडैम रिचार्ज डगवेल मरम्मत का निर्माण	प्रथम आमंत्रण	23.08.2014	8.94	16.09.2014 00.32	16.09.2014 15.15	2	पिपुल्स समाचार, दैनिक मध्यराज	15 दिन	14 घण्टे 43 मिनट	15 दिन
3.	41/2014-15	574	विकासखंड पोहरी एवं कोलारस के अंतर्गत 90 मीटर गहरे 125/115 मिमी व्यास के 20 नक्कूपों का खनन	प्रथम आमंत्रण	19.06.2014	9.80	08.07.2014 23.00	08.07.2014 23.55	1	प्रकाशित नहीं	15 दिन	55 मिनट	15 दिन
4.	85/2014-15	2053	ग्राम खोदा विकासखंड पोहरी में चेकडैम परकोलेशन टैक रूफ वाटर हारवेस्टिंग, रिचार्ज साफ्ट का निर्माण	प्रथम आमंत्रण	08.11.2014	12.53	08.12.2014 23.00	08.12.2014 23.50	2	आचरण	15 दिन	50 मिनट	15 दिन
5.	86/2014-15	2054	ग्राम मुहर विकासखंड पिछोर में रूफ वाटर हारवेस्टिंग, रिचार्ज साफ्ट का निर्माण	प्रथम आमंत्रण	08.11.2014	13.36	08.12.2014 23.00	08.12.2014 23.50	2	आचरण	15 दिन	50 मिनट	15 दिन
6.	87/2014-15	2056	ग्राम मुहर विकासखंड पिछोर में पी.डब्ल्यू.एस. एस. अंतर्गत बिजल कार्य	प्रथम आमंत्रण	08.11.2014	5.27	08.12.2014 23.00	08.12.2014 23.50	2	आचरण, नवभारत, सत्तासुधार	15 दिन	50 मिनट	15 दिन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.	100/ 2014-15	2162	ग्राम गुरुखुदवाया विकासखंड पिछोर में पी. डब्ल्यू.एस.एस. अंतर्गत बिजली कार्य	प्रथम आमंत्रण	17.11.2014	3.36	04.12.2014 23.20	04.12.2014 23.50	2	प्रकाशित नहीं	15 दिन	30 मिनट	15 दिन
8.	76/ 2014-15	1420	विकासखंड पिछोर में गहरे 125/155 मिमी व्यास के 20 नलकूपों का खनन	प्रथम आमंत्रण	10.09.2014	9.80	25.09.2014 23.10	25.09.2014 23.50	2	पिपुल्स समाचार, आचरण, दैनिक मध्यराज	15 दिन	40 मिनट	15 दिन
9.	77/ 2014-15	1421	विकासखंड करेरा में 120 मीटर गहरे 150 मिमी व्यास के 10 नलकूपों का खनन	प्रथम आमंत्रण	10.09.2014	6.60	25.09.2014 23.20	25.09.2014 23.50	2	पिपुल्स समाचार, आचरण, सत्तासुधार	15 दिन	30 मिनट	15 दिन
10	67/ 2014-15	1275	विकासखंड पोहरी में 90 मीटर गहरे 125/155 मिमी व्यास के 20 नलकूपों का खनन	प्रथम आमंत्रण	28.08.2014	9.80	17.09.2014 23.24	17.09.2014 23.50	2	पिपुल्स समाचार, आचरण, सत्तासुधार	15 दिन	26 मिनट	15 दिन
11	66/ 2014-15	1274	विकासखण्ड शिवपुरी में 90 मीटर गहरे 125/155 मिमी व्यास के 20 नलकूपों का खनन	प्रथम आमंत्रण	28.08.2014	9.80	17.09.2014 23.20	17.09.2014 23.50	2	आचरण, सत्तासुधार	15 दिन	30 मिनट	15 दिन
12	63/ 2014-15	1143	ग्राम गोवर्धन विकासखंड पोहरी में 2 पंप हाउस तथा पाईपलाइन बिछाने एवं जोड़ने का निर्माण	प्रथम आमंत्रण	23.08.2014	3.78	16.09.2014 00.17	16.09.2014 00.59	2	आचरण, दैनिक मध्यराज, सायंकालीन श्रम संघ्या	15 दिन	42 मिनट	15 दिन
13	62/ 2014-15	1141	उप संभाग करेरा अंतर्गत सहरिया प्रभावित ग्राम में 120 मीटर गहरे 150 मिमीव्यास के नलकूपों का खनन	प्रथम आमंत्रण	23.08.2014	13.20	15.09.2014 23.55	16.09.2014 00.30	2	पिपुल्स समाचार,आचरण, दैनिक मध्यराज,	15 दिन	35 मिनट	15 दिन
14	61/ 2014-15	1139	विकासखंड बद्रवास में 90 मीटर गहरे 125/155 मिमी व्यास के 20 नलकूपों का खनन	प्रथम आमंत्रण	23.08.2014	9.80	15.09.2014 23.37	15.09.2014 23.59	2	आचरण	15 दिन	22 मिनट	15 दिन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
15	60/ 2014-15	1138	विकासखंड कोलारस में 90 मीटर गहरे 125/155 मिमी व्यास के 20 नलकूपों का खनन	प्रथम आमंत्रण	23.08.2014	9.80	16.09.2014 00.38	16.09.2014 00.59	2	पिपुल्स समाचार, नवभारत, सत्तासुधार	15 दिन	21 मिनट	15 दिन
16	58/ 2014-15	1136	ग्राम सालोन विकासखंड बद्रवास में चेकडैम रिचार्ज साफ्ट डगवेल का निर्माण	प्रथम आमंत्रण	23.08.2014	8.49	15.09.2014 23.11	16.09.2014 15.15	2	आचरण, दैनिक मध्यराज	15 दिन	16 घण्टे 4 मिनट	15 दिन
17	12/ 2014-15	336	विकासखंड पिछोर में 90 मीटर गहरे 125/155 मिमी व्यास के 10 नलकूपों का खनन	प्रथम आमंत्रण	23.05.2014	4.90	10.06.2014 13.35	10.06.2014 14.00	2	आचरण, नई दुनिया	15 दिन	25 मिनट	15 दिन
18	10/ 2014-15	264	विकासखंड पोहरी में 90 मीटर गहरे 125/155 मिमी व्यास के 10 नलकूपों का खनन	प्रथम आमंत्रण	16.05.2014	4.90	26.05.2014 23.12	26.05.2014 23.50	2	पिपुल्स समाचार, दैनिक नवभारत	15 दिन	38 मिनट	15 दिन
19	06/ 2014-15	237	विकासखंड शिवपुरी 90 मीटर गहरे 125/155 मिमी व्यास के नलकूपों का खनन	प्रथम आमंत्रण	14.05.2014	4.90	26.05.2014 23.12	26.05.2014 23.50	2	दैनिक भाष्कर, सायंकालीन श्रम संघ्या	15 दिन	38 मिनट	15 दिन
20	55/ 2014-15	1092	विकासखंड नरवर में 90 मीटर गहरे 125/155 मिमी व्यास के 20 नलकूपों का खनन	प्रथम आमंत्रण	19.08.2014	9.80	04.09.2014 23.12	04.09.2014 23.50	2	आचरण, पिपुल्स समाचार, सत्तासुधार	15 दिन	38 मिनट	15 दिन
21	54/ 2014-15	1091	विकासखंड करेरा में 90 मीटर गहरे 125/155 मिमी व्यास के 20 नलकूपों का खनन	प्रथम आमंत्रण	19.08.2014	9.80	04.09.2014 23.15	04.09.2014 23.50	2	प्रकाशित नहीं	15 दिन	35 मिनट	15 दिन
22	57/ 2014-15	1109	ग्राम दसेरिया विकासखंड खनियाधाना में पी.डब्ल्यू.एस.एस. अंतर्गत बिजली कार्य	प्रथम आमंत्रण	20.08.2014	2.92	04.09.2014 23.15	04.09.2014 23.50	2	पिपुल्स समाचार, आचरण, दैनिक मध्यराज	15 दिन	35 मिनट	15 दिन
23	56/ 2014-15	1108	ग्राम देवीयाजगन विकासखंड खनियाधाना में पी.डब्ल्यू.एस.एस. अंतर्गत बिजली कार्य	प्रथम आमंत्रण	20.08.2014	2.92	04.09.2014 23.15	04.09.2014 23.50	2	आचरण, दैनिक मध्यराज	15 दिन	35 मिनट	15 दिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

24	43/ 2014-15	601	विकासखंड पिछोर में 90 मीटर गहरे 125/155 मिमी व्यास के 20 नलकूपों का खनन	प्रथम आमंत्रण	24.06.2014	9.80	09.07.2014 23.15	09.07.2014 23.55	2	आचरण, पिपुल्स समाचार	15 दिन	40 मिनट	15 दिन
25	26/ 2014-15	507	जिला शिवपुरी के सभी विकासखंड में 10 रिचार्जिंग साफ्ट एवं पीट का निर्माण	प्रथम आमंत्रण	10.06.2014	6.20	27.06.2014 23.05	27.06.2014 23.50	2	आचरण, पिपुल्स समाचार	15 दिन	45 मिनट	15 दिन
26	11/ 2014-15	296	शिवपुरी विकासखंड अंतर्गत सभी ग्रामों में 120 मीटर गहरे 150 मिमी व्यास के 10 नलकूपों का खनन	प्रथम आमंत्रण	19.05.2014	6.60	09.06.2014 23.35	09.06.2014 23.55	2	प्रकाशित नहीं	15 दिन	20 मिनट	15 दिन
27	37/ 2014-15	552	विकासखंड शिवपुरी एवं बद्रवास में 90 मीटर गहरे 125/155 मिमी व्यास के 20 नलकूपों का खनन	प्रथम आमंत्रण	17.06.2014	9.80	04.07.2014 23.10	04.07.2014 23.59	2	आचरण, पिपुल्स समाचार	15 दिन	49 मिनट	15 दिन
28	36/ 2014-15	551	विकासखंड करेरा एवं नरवर में 90 मीटर गहरे 125/155 मिमी व्यास के 20 नलकूपों का खनन	प्रथम आमंत्रण	17.06.2014	9.80	04.07.2014 23.04	04.07.2014 23.59	2	आचरण	15 दिन	55 मिनट	15 दिन
29	101/ 2014-15	2163	विकासखंड नरवर में 120 मीटर गहरे 150 मिमी व्यास के खनन	प्रथम आमंत्रण	17.11.2014	9.90	04.12.2014 23.59	05.12.2014 01.00	2	प्रकाशित नहीं	15 दिन	1 घण्टा	15 दिन
30	25/ 2014-15	492	ग्राम असपुर एवं देवियागोविन्द विकासखंड पिछोर में पी.डब्ल्यू.एस. एस. के अंतर्गत बिजली कार्य	प्रथम आमंत्रण	07.06.2014	6.97	27.06.2014 23.25	28.06.2014 00.20	2	पिपुल्स समाचार, आचरण	15 दिन	55 मिनट	15 दिन
31	102/ 2014-15	2165	विकासखंड कोलारस एवं करेरा के अंतर्गत 90 मीटर गहरे 125/115 मिमी व्यास के 10 नलकूपों एवं 120 मीटर गहरे 150 मिमी व्यास के 05 नलकूपों का खनन	प्रथम आमंत्रण	17.11.2014	8.20	05.12.2014 00.10	05.12.2014 01.00	2	प्रकाशित नहीं	15 दिन	50 मिनट	15 दिन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
32	106/ 2014-15	2206	विकासखंड शिवपुरी / बदरास अंतर्गत 90 मीटर गहरे 125/115 मिमी व्यास के 09 नलकूपों एवं 120 मीटर गहरे 150 मिमी व्यास के 09 नलकूपों का खनन	प्रथम आमंत्रण	19.11.2014	9.90	08.12.2014 23.00	09.12.2014 23.30	2	प्रकाशित नहीं	15 दिन	1 दिन	14 दिन
योग						261.14							

परिशिष्ट—3.16.1

(संदर्भ: कण्डका 3.16, पृष्ठ 216)

कार्य की मूल्यांकन राशि से अधिक आहरित राशि के विवरण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(राशि ₹ में)

संक्र.	ब्लॉक का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	निर्माण कार्य का प्रकार	कार्य की संख्या	स्वीकृति का वर्ष	कार्य की लागत	उपलब्ध राशि				पंचायत द्वारा आहरित राशि	मूल्यांकन राशि	मूल्यांकन राशि से अधिक आहरित राशि	कार्य की स्थिति	टिप्पणी
							प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	तृतीय किश्त	योग					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(11=8+9+10)	12	13	(14=12-13)	15	16
1.	सिरोंज	पयासी	मिडिल स्कूल एवं अतिरिक्त कक्ष	2	2010-11	1031000	375000 125500	273000 87850	----	861350	744000	672578	71422	अवरुद्ध	
2.		पर्धा	अतिरिक्त कक्ष	2	2010-11	502000	251000	175700	----	426700	425143	225140	200003	..यथोपरि..	
3.		भौरा	अतिरिक्त कक्ष	1	2010-11	251000	125500	87850	----	213350	211927	124577	87350	..यथोपरि..	
4.		सरपुरकला	अतिरिक्त कक्ष	2	2010-11	502000	251000	175700	----	426700	422118	232000	190118	..यथोपरि..	
5.		पथरिया	मिडिल स्कूल	1	2010-11	780000	375000	----	----	375000	366786	268629	98157	..यथोपरि..	
6.		बामोरीशाला	अतिरिक्त कक्ष	1	2010-11	251000	125500	87850	----	213350	210860	118112	92748	..यथोपरि..	
7.		दामोदरखेडी	अतिरिक्त कक्ष	1	2010-11	251000	125500	87850	----	213350	210607	--	210607	अप्रारंभ	
8.		बरोदाताल	अतिरिक्त कक्ष	1	2010-11	251000	125500	87850	----	213350	212110	52612	159498	अवरुद्ध	
9.		बरोदाताल	अतिरिक्त कक्ष	1	2010-11	251000	125500	87850	----	213350	210831	--	210831	अप्रारंभ	
10.		सियालपुर	अतिरिक्त कक्ष	1	2010-11	251000	125500	87850	----	213350	210778	189323	21455	अवरुद्ध	
11.		कर्रखेरी	अतिरिक्त कक्ष	1	2010-11	251000	125500	87850	----	213350	209787	189034	20753	..यथोपरि..	
12.		आमिरगढ	अतिरिक्त कक्ष	2	2010-11	502000	251000	87850	----	338850	337514	289879	47635	..यथोपरि..	
13.		सुल्तानपुर	अतिरिक्त कक्ष	2	2010-11	502000	251000	175700	----	426700	425442	233936	191506	..यथोपरि..	
14.		बगरोदा	अतिरिक्त कक्ष	1	2010-11	251000	125500	87850	----	213350	68916	25396	43520	..यथोपरि..	
15.		घटवार	अतिरिक्त कक्ष	2	2010-11	502000	251000	175700	----	426700	424725	371844	52881	..यथोपरि..	
16.		रतनबर्डी	अतिरिक्त कक्ष	1	2010-11	251000	125500	87850	----	213350	211784	124548	87236	..यथोपरि..	
17.		इकलौदा	अतिरिक्त कक्ष	2	2010-11	502000	251000	175700	----	426700	420701	166720	253981	..यथोपरि..	
18.		कोरवासा	अतिरिक्त कक्ष	3	2010-11	753000	376500	263550	----	640050	639519	516482	123037	..यथोपरि..	
19.		साकलौन	अतिरिक्त कक्ष	1	2010-11	251000	125500	87850	----	213350	212922	166676	46246	..यथोपरि..	
20.		नेकन	अतिरिक्त कक्ष	1	2010-11	251000	125500	87850	----	213350	211801	157761	54040	..यथोपरि..	
21.		बामोरीशाला	प्र. अ. कक्ष	1	2011-12	246000	123000	-----	-----	123000	121513	44911	76602	..यथोपरि..	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(11=8+9+10)	12	13	(14=12-13)	15	16
22.	बामोरीशाला	बामोरीशाला	अतिरिक्त कक्ष	2	2010-11	502000	251000	175700	----	426700	421278	206355	214923	..यथोपरि..	
23.		बामोरीशाला	अतिरिक्त कक्ष	2	2010-11	502000	251000	175700	----	426700	228679	194287	34392	..यथोपरि..	
24.		संतोषपुर	अतिरिक्त कक्ष	1	2010-11	251000	125500	87850	----	213350	210997	74747	136250	..यथोपरि..	
25.		गहुरखेड़ी	अतिरिक्त कक्ष	2	2010-11	502000	251000	175700	----	426700	394437	---	394437	अप्रारंभ	
26.		देवीतोरी	अतिरिक्त कक्ष	2	2010-11	502000	251000	175700	----	426700	425419	396933	28486	अवरुद्ध	
27.		त्रिभुवनपुर	अतिरिक्त कक्ष	1	2010-11	251000	125500	87850	----	213350	211161	124828	86333	..यथोपरि..	
28.		सियालपुर	अतिरिक्त कक्ष	1	2010-11	251000	125500	87850	----	213350	209892	102264	107628	..यथोपरि..	
29.		रुसालीघाट	अतिरिक्त कक्ष	1	2010-11	251000	125500	87850	----	213350	111297	---	111297	अप्रारंभ	
30.		पामाखेड़ी	अतिरिक्त कक्ष	1	2010-11	251000	251000	----	----	251000	124098	---	124098	..यथोपरि..	
31.		कचनारिया	मिडिल स्कूल	1	2010-11	780000	375000	----	----	375000	87000	---	87000	..यथोपरि..	
योग				44		12626000	6393500	3611300	----	10004800	8934042	5269572	3664470		
1.	कुरबाई	काकर बरखेड़ा	मिडिल स्कूल भवन	1	2007-08	678000	644100	----	----	644100	612000	335685	276315	अवरुद्ध	
2.		कांकर	अतिरिक्त कक्ष	1	2010-11	251000	125500	87850	----	213350	220000	113367	106633	..यथोपरि..	
3.		कांकर	प्र. अ. कक्ष	1	2011-12	246000	123000	86100	----	209100	211100	131800	79300	..यथोपरि..	
4.		कांकर	मिडिल स्कूल भवन	1	2012-13	946000	473000	331100	----	804100	804500	417607	386893	..यथोपरि..	
5.		टेंकू	...यथोपरि....	2	2012-13	946000	473000	331100	----	804100	790000	619117	170883	पूर्ण	
6.		छापरा	प्र. अ. कक्ष	1	2011-12	246000	123000	86100	----	209100	277051	218883	58168	..यथोपरि..	
7.		विसलोनी सेदारपुर	अतिरिक्त कक्ष	1	2010-11	251000	125500	87850	----	213350	213350	97516	115834	अवरुद्ध	
8.		मलियाखेड़ा	अतिरिक्त कक्ष	1	2012-13	150420	142899	----	----	142899	145900	124963	20937	पूर्ण	
9.		खदूरिया पथ्थि विसरा	अतिरिक्त कक्ष	1	2011-12	257000	128500	89950	----	218450	225000	44568	180432	अवरुद्ध	
योग				10		3971420	2358499	1100050	----	3458549	3498901	2103506	1395395		
1.	विदिशा	बलवरखेड़ा	अतिरिक्त कक्ष	1	2010-11	251000	125500	87850	----	213350	209447	125480	83967	अवरुद्ध	
2.		पाउआनाला	...यथोपरि....	1	2009-10	242000	121000	----	----	121000	121000	----	121000	अप्रारंभ	
3.		कृला	स्कूल भवन	1	2008-09	690000	356500	161000	88000	605500	604000	453867	150133	अवरुद्ध	
4.		ठीलाखेड़ी	...यथोपरि....	2	2010-11	502000	251000	90000	121000	462000	219123	121838	97285	..यथोपरि..	
योग				05		1685000	854000	338850	209000	1401850	1153570	701185	452385		
1.		बीजूखेड़ी	मिडिल स्कूल	1	2010-11	780000	390000	273000	----	663000	663000	469777	193223	प्रगतिरत	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(11=8+9+10)	12	13	(14=12-13)	15	16
2.	लटेरी	माहोटी	अतिरिक्त कक्ष	2	2010-11	502000	251000	87850	125500	464350	464350	340906	123444	..यथोपरि..	
3.		माहोटी	अतिरिक्त कक्ष	1	2010-11	251000	125500	87850	----	213350	213350	182463	30887	..यथोपरि..	
4.		माहोटी	प्र. अ. कक्ष	1	2011-12	246000	123000	86100	----	209100	209100	140937	68163	अवरुद्ध	न्यायालय द्वारा वसूली का आदेश जारी किया गया
5.		माहोटी	अतिरिक्त कक्ष	1	2009-10	242000	121000	84700	----	205700	205700	180318	25382	..यथोपरि..	न्यायालय द्वारा वसूली का आदेश जारी किया गया
6.		माधावता	मिडिल स्कूल	1	2010-11	780000	390000	273000	----	663000	663000	351551	311449	..यथोपरि..	न्यायालय द्वारा वसूली का आदेश जारी किया गया
7.		माधावता	अतिरिक्त कक्ष	2	2010-11	502000	251000	175700	----	426700	426700	-	426700	एक अप्रारंभ, एक अवरुद्ध	न्यायालय द्वारा वसूली का आदेश जारी किया गया
8.		मुसकरा	मिडिल स्कूल	1	2008-09	690000	356500	161000	88000	605500	602400	447662	154738	अवरुद्ध	न्यायालय द्वारा वसूली का आदेश जारी किया गया
9.		मुसकरा	अतिरिक्त कक्ष	1	2010-11	251000	125500	87850	----	213350	213350	-	213350	..यथोपरि..	न्यायालय द्वारा वसूली का आदेश जारी किया गया
10.		मुसकरा	प्र. अ. कक्ष	1	2011-12	246000	123000	----	----	123000	123000	-	123000	अप्रारंभ	
11.		नशोबर्णी	प्र. अ. कक्ष	1	2011-12	246000	123000	86100	----	209100	209100	128647	80453	अवरुद्ध	न्यायालय द्वारा वसूली का आदेश जारी किया गया
12.		नशोबर्णी	प्र. अ. कक्ष	1	2011-12	246000	123000	86100	----	209100	209100	132842	76258	..यथोपरि..	न्यायालय द्वारा वसूली का आदेश जारी किया गया
13.		नशोबर्णी	अतिरिक्त कक्ष	1	2010-11	251000	125500	87850	----	213350	213350	142960	70390	..यथोपरि..	न्यायालय द्वारा वसूली का आदेश जारी किया गया

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(11=8+9+10)	12	13	(14=12-13)	15	16
14.	बैरागढ	बैरागढ	मिडिल स्कूल	1	2010-11	780000	390000	273000	----	663000	663000	-	663000	..यथोपरि..	न्यायालय द्वारा वसूली का आदेश जारी किया गया
15.		बैरागढ	अतिरिक्त कक्ष	2	2010-11	502000	251000	----	----	251000	251000	-	251000	..यथोपरि..	न्यायालय द्वारा वसूली का आदेश जारी किया गया
16.		बलरामपुर	अतिरिक्त कक्ष	1	2009-10	242000	121000	90000	----	211000	211000	179327	31673	प्रगतिरत	
17.		बलरामपुर	अतिरिक्त कक्ष	1	2010-11	502000	251000	87850	----	338850	338850	187489	151361	अवरुद्ध	
18.		कच्छखेड़ा	अतिरिक्त कक्ष	1	2010-11	251000	125500	87850	----	213350	125000	78328	46672	..यथोपरि..	
19.		टोकरा	अतिरिक्त कक्ष	1	2011-12	257000	128500	----	----	128500	128500	114549	13951	प्रगतिरत	
20.		टोकरा	प्राथमिक विद्या भवन	1	2010-11	650000	325000	227500	----	552500	316677	-	316677	अप्रारंभ	
21.		बनारसी	...यथोपरि....	1	2010-11	650000	325000	----	----	325000	308934	78000	230934	अवरुद्ध	
22.		गोलाखेड़ा	मिडिल स्कूल	1	2010-11	780000	390000	273000	----	663000	663000	538810	124190	पूर्ण	
23.		तलोनी	...यथोपरि....	2	2010-11	502000	251000	175700	----	426700	409763	339178	70585	अवरुद्ध	
24.		उनरसिकाला	प्र. अ. कक्ष	1	2011-12	246000	123000	86100	----	209100	209100	105701	103399	प्रगतिरत	
योग				28		10595000	5309000	2878100	213500	8400600	8040324	4139445	3900879		
1.	गंजबासोदा	सैरवासा	स्कूल भवन	1	2007-08	678000	406800	237300	----	644100	459700	260175	199525	अवरुद्ध	
2.		बरोड़	अतिरिक्त कक्ष	1	2009-10	242000	122500	90000	----	212500	212500	120383	92117	..यथोपरि..	
3.		मेनबाड़ा	...यथोपरि....	2	2010-11	502000	251000	175700	----	426700	426700	263260	163440	..यथोपरि..	
4.		मेनबाड़ा	...यथोपरि....	1	2010-11	251000	125500	87850	----	213350	206174	113067	93107	..यथोपरि..	
5.		पबावि कुरवाई	...यथोपरि....	1	2010-11	251000	125500	----	----	125500	125000	89713	35287	पूर्ण	
6.		बाउली	प्र. अ. कक्ष	1	2011-12	246000	123000	----	----	123000	123000	105528	17472	अवरुद्ध	
7.		किरवाया	...यथोपरि....	1	2011-12	246000	123000	----	----	123000	123000	109687	13313	..यथोपरि..	
8.		लधा	...यथोपरि....	1	2011-12	246000	123000	----	----	123000	114500	105877	8623	..यथोपरि..	
9.		मेनबाड़ा	अतिरिक्त कक्ष	1	2010-11	251000	238450	----	----	238450	78500	----	78500	अप्रारंभ	
10.		भटनी	...यथोपरि....	1	2009-10	242000	121000	----	----	121000	100000	----	100000	..यथोपरि..	
11.		रिछाई	...यथोपरि....	1	2010-11	251000	125500	87850	----	213350	208619	----	208619	अवरुद्ध	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(11=8+9+10)	12	13	(14=12-13)	15	16
12.	ખૈરાદા	ખૈરાદા	પ્ર. અ. કક્ષ	1	2011-12	257000	128500	----	----	128500	128500	--	128500	અપ્રારંભ	
13.		ત્વાદા	..યથોપરિ..	1	2009-10	242000	121000	----	----	121000	121000	---	121000	..યથોપરિ..	
14.		સતપારા	..યથોપરિ..	2	2010-11	502000	251000	251000	----	502000	438000	---	438000	..યથોપરિ..	
	યોગ			16		4407000	2385750	929700	----	3315450	2865193	1167690	1697503		
1.	નટેરન	એંચદા	અતિરિક્ત કક્ષ	1	2009-10	242000	121000	----	----	121000	60000	---	60000	અપ્રારંભ	
2.		થાના	..યથોપરિ..	2	2010-11	502000	251000	----	----	251000	100000	---	100000	..યથોપરિ..	
3.		કોલુઆ	..યથોપરિ..	1	2010-11	251000	121000	----	----	121000	121000	---	121000	..યથોપરિ..	
4.		કોલુઆ	મિડિલ સ્કૂલ ભવન	1	2008-09	690000	356500	161000	----	517500	517500	---	517500	અવરૂદ્ધ	
5.		સંકરાઈ	અતિરિક્ત કક્ષ	1	2010-11	251000	125500	----	----	125500	111350	57747	53603	..યથોપરિ..	
6.		મહૂ	..યથોપરિ..	1	2010-11	251000	125500	87850	----	213350	125000	112408	12592	..યથોપરિ..	
7.		મહૂ	..યથોપરિ..	1	2010-11	251000	125500	87850	----	213350	213350	---	213350	અપ્રારંભ	
8.		કરમેડી	પ્ર. અ. કક્ષ	1	2011-12	246000	123000	----	----	123000	123000	96399	26601	પ્રગતિરત	
9.		પીપલધર	..યથોપરિ..	1	2011-12	246000	123000	86100	----	209100	209100	152266	56834	અવરૂદ્ધ	
10.		સંગ્રામપુર	મિડિલ સ્કૂલ ભવન	1	2008-09	690000	356500	161000	88000	605500	430779	360994	69785	પ્રગતિરત	
11.		રાયખેડી	અતિરિક્ત કક્ષ	1	2008-09	240000	117500	----	----	117500	180000	39950	140050	અવરૂદ્ધ	
12.		તાજખજૂરી	..યથોપરિ..	1	2009-10	242000	121000	----	----	121000	119450	41317	78133	..યથોપરિ..	
13.		હડા	..યથોપરિ..	1	2010-11	251000	125500	87850	----	213350	224000	148297	75703	પ્રગતિરત	
14.		પૈરવાસા	..યથોપરિ..	3	2009-10	726000	363000	----	----	363000	360000	291021	68979	અવરૂદ્ધ	
15.		પૈરવાસા	..યથોપરિ..	1	2010-11	251000	125500	87850	----	213350	193000	60200	132800	..યથોપરિ..	
16.		પિપરિધા	..યથોપરિ..	2	2010-11	502000	251770	175700	----	427470	475000	250476	224524	પ્રગતિરત	
17.		રામપુરકલા	..યથોપરિ..	2	2010-11	502000	175700	175700	----	351400	351400	253476	97924	..યથોપરિ..	
18.		રામપુરકલા	..યથોપરિ..	1	2010-11	251000	251000	----	----	251000	251000	133578	117422	..યથોપરિ..	
19.		બીજા	..યથોપરિ..	1	2010-11	251000	125500	87850	----	213350	211792	101141	110651	..યથોપરિ..	
20.		બીજા	પ્ર. અ. કક્ષ	1	2011-12	246000	123000	86100	----	209100	207853	43897	163956	અવરૂદ્ધ	
21.		બીજા	..યથોપરિ..	1	2011-12	246000	123000	----	----	123000	119859	28608	91251	..યથોપરિ..	
22.		સોમવારા	અતિરિક્ત કક્ષ	2	2010-11	502000	251000	175700	----	426700	426700	115145	311555	..યથોપરિ..	
23.		સોમવારા	પ્ર. અ. કક્ષ	1	2011-12	246000	123000	86100	----	209100	208900	136604	72296	..યથોપરિ..	
24.	ભરનાખેડ	ભરનાખેડ	અતિરિક્ત કક્ષ	1	2010-11	251000	125500	87850	----	213350	157651	45500	112151	..યથોપરિ..	
25.		ભરનાખેડ	અતિરિક્ત કક્ષ	1	2010-11	251000	125500	87850	----	213350	195986	105108	90878	..યથોપરિ..	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(11=8+9+10)	12	13	(14=12-13)	15	16	
26.	ग्यारसपुर	रावन	..यथोपरि..	1	2010-11	251000	125500	87850	----	213350	213350	179553	33797	..यथोपरि..		
27.		रावन	प्र. अ. कक्ष	1	2011-12	246000	123000	86100	----	209100	209100	152266	56834	..यथोपरि..		
28.		अमखेराकालू	प्र. अ. कक्ष	1	2011-12	246000	123000	86100	----	209100	207024	110980	96044	प्रगतिरत		
29.		जामनयाई	प्र. अ. कक्ष	1	2011-12	246000	123000	86100	----	209100	209100	101107	107993	अवरुद्ध		
	योग			35		9567000	4850470	2068500	88000	7006970	6532244	3118038	3414206			
1.	ग्यारसपुर	हैदरगढ	अतिरिक्त कक्ष	2	2010-11	502000	251000	175700	----	426700	405458	---	405458	अप्रारंभ		
2.		इकोदिया	..यथोपरि..	1	2009-10	242000	121000	90000	----	211000	211000	182940	28060	अवरुद्ध		
3.		सेमराटप्पा	प्र. अ. कक्ष	1	2010-11	246000	123000	86100	----	209100	209100	111854	97246	..यथोपरि..		
4.		मुंगवारा	मिडिल स्कूल भवन	1	2010-11	780000	390000	----	----	390000	390000	315132	74868	प्रगतिरत		
5.		घोसुआ	अतिरिक्त कक्ष	1	2010-11	251000	125500	87850	----	213350	213350	198347	15003	..यथोपरि..		
6.		नदोर	..यथोपरि..	1	2010-11	251000	125500	87850	----	213350	213350	179287	34063	अवरुद्ध		
7.		धोखेडा	प्र. अ. कक्ष	1	2010-11	246000	123000	----	----	123000	120000	114035	5965	..यथोपरि..		
8.		बंजागीर	..यथोपरि..	1	2010-11	246000	123000	----	----	123000	120000	114237	5763	..यथोपरि..		
9.		..यथोपरि..	..यथोपरि..	1	2010-11	246000	123000	86100	----	209100	200000	112648	87352	..यथोपरि..		
10.		घटेरा	मिडिल स्कूल भवन	1	2012-13	946000	473000	331100	----	804100	804100	598467	205633	प्रगतिरत		
11.		मधियाजामन	..यथोपरि..	1	2012-13	946000	473000	331100	----	804100	803500	595672	207828	प्रगतिरत		
12.		मधियाजामन	..यथोपरि..	1	2012-13	946000	473000	331100	----	804100	800000	608135	191865	..यथोपरि..		
योग			13			5848000	2924000	1606900	----	4530900	4489858	3130754	1359104			
महायोग			151			48699420	25075219	12533400	510500	38119119	35514132	19630190	15883942			

परिशिष्ट— 3.16.2
 (संदर्भ: कण्डका 3.16, पृष्ठ 216)
 कार्य की ब्लॉकवार स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक

सं. क्र.	ब्लॉक का नाम	कार्यों की कुल संख्या	अपारंभ कार्यों की संख्या	अवरुद्ध कार्यों की संख्या	प्रगतिरत कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या
1.	लटेरी	28	03	17	07	01
2.	विदिशा	05	01	04	---	---
3.	गंजबासोदा	16	06	09	---	01
4.	कुरवाई	10	--	07	---	03
5.	सिरोंज	44	07	37	---	---
6.	नटेरन	35	05	20	10	---
7.	ग्यारसपुर	13	02	06	05	---
	योग	151	24	100	22	05

परिशिष्ट— 3.16.3
 (संदर्भ: कण्डका 3.16, पृष्ठ 217)
 कार्यों का वर्षवार विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक

सं. क्र.	ब्लॉक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	Total
1.	लटेरी	--	01	02	19	06	--	28
2.	विदिशा	--	01	01	03	--	--	05
3.	गंजबासोदा	01	--	03	08	04	--	16
4.	कुरवाई	01	--	--	02	03	04	10
5.	सिरोंज	--	--	--	43	01	--	44
6.	नटेरन	--	03	05	19	08	--	35
7.	ग्यारसपुर	--	--	01	09	--	03	13
	योग	02	05	12	103	22	07	151

परिशिष्ट—3.17.1
 (संदर्भ: कण्डका 3.17, पृष्ठ 218)

व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रशिक्षण खर्च की प्रतिपूर्ति के मूल एवं कपटपूर्ण तरीके से हेरफेर किए गए देयकों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

सं. क्र.	व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं के नाम	व्ही.टी.पी. का पंजीयन क्रमांक	पाठ्यक्रम की कोड संख्या	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण बैच संख्या	व्ही.टी.पी. को प्रशिक्षण खर्च की प्रतिपूर्ति के देयकों का विवरण		एफ.व्ही.सी. देयक क्रमांक एवं दिनांक
						देयक क्रमांक एवं राशि (₹)	हेरफेरी किए देयक क्रमांक एवं राशि (₹)	
1.	गुडविल एडवांस एकेडमी, छिंदवाड़ा	223430049	ICT 102	19.12.2013 से 17.02.2014	23430049 ICT 10214013	00388551 90000	-----	58 17.10.2014
2.	गुडविल एडवांस एकेडमी, छिंदवाड़ा	223430049	ICT 102	19.12.2013 से 17.02.2014	23430049 ICT 10214013	-----	00388531 90000	58 17.10.2014
3.	मौसम ग्रामीण उत्थान समाज सेवा समिति, सीहोर	223330032	GAR 105	05.12.2013 से 28.03.2014	23330032 GAR 10514006	00494591 135000	-----	76 22.10.2014
4.	मौसम ग्रामीण उत्थान समाज सेवा समिति, सीहोर	223330032	GAR 105	05.12.2013 से 28.03.2014	23330032 GAR 10514006	-----	00494581 135000	76 22.10.2014
योग							2,25,000	

परिशिष्ट 3.20.1

(संदर्भ: कंडिका 3.20, पृष्ठ 222)

बन्द ग्रेन बैंको की कुल संख्या एवं उन पर स्थापना एवं खाद्यान्न मद में किए गए व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(राशि ₹ में)

जिले का नाम	वर्ष	स्वीकृत ग्रामीण ग्रेन बैंको की संख्या	स्थापित ग्रामीण ग्रेन बैंको की संख्या	ग्रेन बैंको की स्थापना पर किया गया व्यय	खाद्यान्न की मात्रा (एम.टी. में)		खाद्यान्न की दर प्रति एम.टी.		खाद्यान्न का मूल्य		कुल राशि
					गेंहूँ	चावल	गेंहूँ	चावल	गेंहूँ	चावल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(5+10+11)
मण्डला	2006–07	189	189	26,46,000	756	0	9829.9	12862	74,31,404.4	0	1,00,77,404.4
	2007–08	100	100	14,00,000	400	0	13074.1	0	52,29,640	0	66,29,640
	2008–09	279	279	40,82,723	1116	0	14588	0	1,62,80,208	0	2,03,62,931
	2010–11	1119	1119	1,56,66,000	4476	0	15439.3	0	6,91,06,306.8	0	8,47,72,306.8
	योग	1687	1687	2,37,94,723	6748	0	0	0	9,80,47,559.2	0	12,18,42,282.2
डिण्डोरी	2006–07	121	121	12,94,700	484	0	9829.9	0	47,57,671.6	0	6052371.6
	2007–08	70	70	8,54,000	280	0	13074.1	0	36,60,748	0	4514748
	2008–09	172	172	20,98,400	688	0	14588	0	1,00,36,544	0	12134944
	योग	363	363	42,47,100	1452	0	0	0	1,84,54,963.6	0	2,27,02,063.6
सीहोर	2006–07	10	10	1,40,000	20	0	9829.9	12862	196598	0	3,36,598
	2008–09	20	20	2,80,000	80	0	14588	0	1167040	0	14,47,040
	योग	30	30	4,20,000	100	0	0	0	13,63,638	0	17,83,638
झाबुआ	2006–07	162	162	2,91,600	648	0	9829.9	0	63,69,775.2	0	6661375.2
	2007–08	70	70	9,80,000	280	0	13074.1	0	36,60,748	0	46,40,748
	2008–09	255	255	35,70,000	1020	0	14588	0	1,48,79,760	0	1,84,49,760
	2010–11	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	613	487	48,41,600	1948	0	0	0	2,49,10,283.2	0	2,97,51,883.2
बड़वानी	2006–07	93	93	0	186	186	9829.9	12862	1828361.4	2392332	4220693.4
	2007–08	59	59	826000	236	0	13074.1	0	3085487.6	0	3911487.6
	2008–09	127	127	1778000	508	0	14588	0	7410704	0	9188704
	योग	279	279	26,04,000	930	186			1,23,24,553	2392332	1,73,20,885
कुल योग		2972	2846	3,59,07,423	11178	186	0	0	15,51,00,997	23,92,332	19,34,00,752

परिशिष्ट-3.21.1

(संदर्भ: कण्डका 3.21, पृष्ठ 225)

एन.आर.सी.डी., एम.ओ.ई.एफ. को सूचित किए अनुसार घटकवार स्वीकृत और व्यय राशि के विवरण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

सं. क्र.	परियोजना के घटकों के नाम	एन.आर.सी.डी. द्वारा स्वीकृत घटकों की लागत (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	कार्य की स्थिति
अ.	मुख्य घटक			
1.	अपरोधन एवं पथांतरण कार्य (ट्रंक सीवर की कुल निर्धारित लम्बाई 3.43 कि.मी.)	490.32	-----	कार्य नहीं प्रारंभ
2.	सीवेज पम्पिंग स्टेशन			
	(अ) मध्यवर्ती पम्पिंग स्टेशन	88.79	-----	
	(ब) एस.टी.पी. तक राइजिंग मेन के साथ आखरी पम्पिंग स्टेशन	385.36	-----	
3.	सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (12 एम.एल.डी. क्षमता का)	284.78	-----	
4.	विगादन (35.69 हेक्टेयर क्षेत्र में)	68.63	-----	
5.	झील स्ट्रेच-IV के समानान्तर 558 मीटर की रिटेनिंग दीवार	17.94	-----	
6.	झील स्ट्रेच- III और IV के समानान्तर 1800 मीटर लम्बाई में पत्थर अक्षनतिक	26.27	-----	
7.	तेज पानी निकासी	257.00	-----	
ब.	गैर-मुख्य घटक			
8.	कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट	140.02	2.93	
9.	स्ट्रेच- I और II के लिए झील का अग्रभाग विकास	82.81	24.21	
10.	अल्प लागत स्वच्छता/प्रसाधन खण्ड	47.64	55.01	
11.	1730 मीटर की लम्बाई में श्रृंखला जोड़ घेराबंदी	24.22	-----	
12.	स्नान घाट	7.39	-----	
13.	तैरता हुआ फवारा एवं विसरित वातक	35.00	15.30	
14.	झील के जल की गुणवत्ता का अनुश्रवण	9.00	0.19	
15.	जन सहभागिता एवं जागरूकता अभियान	10.00	-----	
	योग	1975.17	97.64	
	जोड़े सेंटेज @ 8%	158.01	79.86*	
	कुल परियोजना लागत	2133.18	177.50	
	भारत सरकार का अंश @ 70%	1493		
	राज्य सरकार का अंश @ 30%	640		

* इसमें ई.पी.सी.ओ. द्वारा खर्च की गई राशि ₹ 49.50 शामिल है।

©
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

पी.डी.एफ. डाउनलोड करने के लिए यहाँ स्कैन करे



www.agmp.nic.in